चतुर्दश माला, खंड 25, अंक 5

गुरुवार, 1 मार्च, 2007
10 फाल्गुन, 1928 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दसवां सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No.....62.....
Dated...26.May.2008

(खण्ड 25 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी. डी. टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

ए. के. सिंह
संयुक्त सचिव

हरनाम दास टक्कर
निदेशक

प्रतिमा श्रीवास्तव
संयुक्त निदेशक–I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक–II

अरुणा वशिष्ठ
सम्पादक

सुनीता थपलियाल
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

चतुर्दश माला, खंड 25, दसवां सत्र, 2007/1928 (शक)

अंक 5, गुरुवार, 1 मार्च, 2007/10 फाल्गुन, 1928 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 41 से 60	1-31
अतारांकित प्रश्न संख्या 264 से 493	31-295
सभा पटल पर रखे गए पत्र	296-298, 303-304
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति	
25वां प्रतिवेदन	298
मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति	
187वें प्रतिवेदन से 190वां प्रतिवेदन	298-299
कार्य मंत्रणा समिति	
33वां प्रतिवेदन	299
समितियों के लिए निर्वाचन	
(एक) प्राक्कलन समिति	299
(दो) लोक लेखा समिति	299-300
(तीन) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	301
(चार) अनुसूचित जातियों तथा अनसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	302-303
सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित	
(एक) राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2007	304
(दो) खेल प्रसारण सिगनल (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य हिस्सेदारी) विधेयक, 2007	305
(तीन) राष्ट्रीय कर अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2007	306
राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन)	
अध्यादेश के बारे में वक्तव्य	304-305
खेल प्रसारण सिगनल (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य हिस्सेदारी)	
अध्यादेश के बारे में वक्तव्य	305-306
राष्ट्रीय कर अधिकरण (संशोधन) अध्यादेश के बारे में वक्तव्य	306
नियम 377 के अधीन मामले	306-318
(एक) मदुरै को क्वालालमपुर और सिंगापुर के साथ हवाई संपर्क से जोड़ने की आवश्यकता	
श्री एन.एस.वी. चित्तन	306-307

(दो) दूरदर्शन केन्द्र, पोर्ट ब्लेयर से प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के प्रसारण क्षेत्र में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

श्री मनोरंजन भक्त 307-308

(तीन) वित्त आयोग द्वारा संसद सदस्यों के सुझावों को पर्याप्त महत्व दिए जाने की आवश्यकता

श्री वी.के. थुम्मर 308

(चार) पालनपुर शहर, गुजरात से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के चौराहे पर एक ऊपरि पुल के निर्माण की आवश्यकता

श्री हरिसिंह चावड़ा 308-309

(पांच) आन्ध्र प्रदेश में गुंटूर और चिलकलूरपेट के बीच एक नया विमानपत्तन स्थापित करने की आवश्यकता

श्री रायापति सांबासिवा राव 309

(छह) राजस्थान में लंबित रेलवे परियोजनाओं के लिए बजटीय आबंटन प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री राम सिंह कस्वां 310

(सात) अफीम की खेती में लगे लोगों के हित के लिए एक व्यापक नीति बनाने की आवश्यकता

श्री श्रीचन्द कृपलानी 310-311

(आठ) महाराष्ट्र में शोलापुर रेलवे मंडल में लंबित रेलवे परियोजनाओं को पूरा करने और क्षेत्र में मानवरहित रेल समपार पर कर्मचारी उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख 311

(नौ) नागपुर में उच्चतम न्यायालय की एक खंड पीठ स्थापित करने की आवश्यकता

श्री हंसराज गं. अहीर 311-312

(दस) छत्तीसगढ़ में रायपुर और आन्ध्र प्रदेश में विजयनगरम के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग–43 का निर्माण कार्य पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री परसुराम मांझी 312

(ग्यारह) पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर बांध के निकट दामोदर नदी की गाद हटाने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता

श्री सुनील खां 312-313

(बारह) उत्तर प्रदेश में हाल ही में आई वर्षा और ओलावृष्टि के कारण जिन किसानों की फसलें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, उन्हें विशेष वित्तीय पैकेज प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री रामजीलाल सुमन 313-314

(तेरह) बिहार में समस्तीपुर जिले में गंगा और बागमती नदियों द्वारा भूमि कटाव के कारण विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास की आवश्यकता

श्री आलोक कुमार मेहता 314

(चौदह) प्रायद्वीपीय नदियों को आपस में जोड़ने की आवश्यकता

श्री डी. वेणुगोपाल 314-315

(पन्द्रह) उड़ीसा में पूर्व तटीय रेलवे के खुर्दा रोड़ मंडल में रंडिया रेल समपार पर रेल उपरि पुल के निर्माण में तेजी लाने की आवश्यकता

श्री अर्जुन सेठी 315

(सोलह) कृषि कामगारों के हितों के संरक्षण की दृष्टि से उनके लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाने की आवश्यकता

श्री चेंगरा सुरेन्द्रन 315

(सत्रह) महाराष्ट्र के सतारा जिले में एक नया केन्द्रीय विद्यालय खोलने की आवश्यकता

श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील 315

(अट्ठारह) झारखंड से विधान सभा और लोक सभा में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों के संबंध में यथापूर्व स्थिति बनाए रखने की आवश्यकता

श्री हेमलाल मुर्मू 315-316

(उन्नीस) ग्रीन हाऊस उत्सर्जनों के कारण मौसम में परिवर्तन से, जैसाकि संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट में बताया गया है, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन को बचाने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता

श्री सनत कुमार मंडल 316-317

(बीस) सामुदायिक सूचना केन्द्रों (सी आई सी) के कार्यकरण की समीक्षा करने और 11वीं योजना में केन्द्रीय सहायता से उन्हें चालू रखना सुनिश्चित करने की आवश्यकता

डा. अरूण कुमार शर्मा 317-318

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

श्री नवीन जिन्दल की स्कीट शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई और भारतीय क्रिकेट टीम को विश्व कप 2007 के लिए शुभकामनाएं 318

सदस्य द्वारा निवेदन

अर्जेंटीना में ओटेवियो क्वात्रेच्चि की गिरफ्तारी 319-325

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव 325-405

श्री मधुसूदन मिस्त्री 325-339

श्री सन्दीप दीक्षित 339-344

श्री लाल कृष्ण आडवाणी 345-359

श्री बसुदेव आचार्य 373-384

श्री रामजीलाल सुमन 385-390

श्री इलियास आजमी 391-394

श्री सीताराम सिंह 394-401

श्री भर्तृहरि महताब 401-405

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका 415
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका 416-422

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका 423-424

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका 423-426

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मोहन सिंह

श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

गुरुवार, 1 मार्च, 2007/10 फाल्गुन, 1928 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, हमने एक कार्य–स्थगन प्रस्ताव दिया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : स्थगन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया है।

...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : महोदय, एडजर्नमेंट मोशन एडमिट नहीं हुआ। ...*(व्यवधान)* यहां पर हम लोगों ने यह मांग की थी कि प्रधानमंत्री जी इस सदन में आकर क्वात्रोची के मामले पर वक्तव्य दें। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न काल आरंभ करें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : दो दिनों से प्रश्न काल नहीं हुआ। मैं आपसे अपील करता हूं कि प्रश्न काल के पश्चात् आप इन सभी मुद्दों को उठा सकते हैं। हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप लोग सभा की कार्यवाही चलने नहीं देना चाहते!

...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : क्वात्रोची के मामले सहित हमें किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने में कोई एतराज नहीं है; लेकिन पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का निपटान कर लें। तत्पश्चात् हम और सब बातों पर विचार कर सकते हैं। ...*(व्यवधान)* हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का निपटान करने के बाद सभी मामलों पर जवाब देंगे। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

क्वैश्चन आवर तो होना चाहिए।

....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपकी समस्या क्या है?

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम) : आप जानते हैं कि क्वात्रोची मामला बोफोर्स से संबंधित है। ...*(व्यवधान)* बोफोर्स मामले में देश की प्रतिष्ठा दांव पर है। इस मामले में सौ संसद सदस्यों ने अपने स्थान से त्यागपत्र दिया था। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप चाहते हैं कि अब मैं त्यागपत्र दूं!

...*(व्यवधान)*

श्री किन्जरपु येरननायडु : नहीं, महोदय ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सभा पूर्वाह्न 11.30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा पूर्वाह्न 11.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पूर्वाह्न 11.30 बजे

लोक सभा पूर्वाह्न 11.30 बजे पुनः समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, ...* हमारी मांग है कि प्रधान मंत्री जी को सदन में आकर इस संबंध में बयान देना चाहिए ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : महोदय, हम इस आरोप पर पुरजोर खंडन करते हैं। ...*(व्यवधान)*

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

रेलवे स्टेशनों को आदर्श स्टेशनों के रूप में विकसित करना

***41. श्री नरहरि महतो :**
श्री प्रभुनाथ सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(क) किसी रेलवे स्टेशन को आदर्श रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित करने हेतु उसका चयन करने के लिए निर्धारित मानदण्ड क्या हैं;

(ख) आदर्श स्टेशनों में प्रदान की जाने वाली अतिरिक्त सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखण्ड स्थित उन रेलवे स्टेशनों का ब्यौरा क्या है जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान आदर्श स्टेशनों के रूप में विकसित करने के लिए स्वीकृति प्रदान की गयी है; और

(घ) निकट भविष्य में इन राज्यों में आदर्श स्टेशनों के रूप में विकसित किए जाने हेतु प्रस्तावित रेलवे स्टेशनों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : (क) 1999–2000 का रेल बजट प्रस्तुत करते समय तत्कालीन रेल मंत्री ने घोषणा की थी कि प्रत्येक मंडल में कम से कम एक स्टेशन को आदर्श स्टेशन बनाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे जहां उच्चतर स्तर की यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस घोषणा के बाद प्रारंभ में 61 स्टेशनों को आदर्श स्टेशन के रूप में चुना गया था। बाद में समय–समय पर इसमें और अधिक आदर्श स्टेशनों को शामिल किया गया। अब 2006–07 का रेल बजट प्रस्तुत करते समय की गई घोषणा के अनुसार 'ए' और 'बी' कोटि के सभी स्टेशनों को आदर्श स्टेशन के रूप में चुना गया है।

(ख) आदर्श स्टेशनों पर 'वांछनीय सुविधाएं' जैसे विश्राम गृह, स्नान सुविधा के साथ प्रतीक्षालय, अमानती सामान गृह, पूछताछ काउंटर, इंटरेक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम, जन उद्घोषणा प्रणाली/कंप्यूटर साधित उद्घोषणा, पुस्तक स्टाल/जरूरी वस्तुओं के अन्य स्टाल, अल्पाहार गृह, रोशनी के साथ पार्किंग/परिचलन क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी प्रदर्श बोर्ड, सार्वजनिक टेलीफोन बूथ, जल शीतक, मानकीकृत प्रदर्श व्यवस्था, मॉड्यूलर खानपान स्टाल, भुगतान करके उपयोग करने वाले शौचालय, अनारक्षित टिकट प्रणाली, एटीएम की व्यवस्था आदि उपलब्ध कराई जाती हैं।

'ए' कोटे के स्टेशनों में गैर–उपनगरीय स्टेशनों जहां सालाना यात्री आमदनी 50 करोड़ रु. से अधिक है, को ए–1 कोटि के स्टेशनों का दर्जा दिया गया है और वहां अतिरिक्त सुविधाओं के रूप में साइबर कैफे की व्यवस्था, कम से कम एक वातानुकूलित वी आई पी लाउंज की व्यवस्था, फूड प्लाजा, गाड़ी में सवारी डिब्बों की स्थिति की प्रदर्श व्यवस्था, उद्घोषणा और सुरक्षा प्रयोजनार्थ सी सी टी वी, सिक्का चालित टिकट वैंडिंग मशीनें, प्रीपेड टैक्सी सेवा, स्थैतिक मोबाइल चार्जिंग सुविधा, अग्रभाग सहित स्टेशन इमारत का सौंदर्यीकरण आदि की व्यवस्था है। ये केवल ए–1 कोटि के स्टेशनों के लिए ही वांछनीय सुविधाएं निर्धारित की गई हैं। ए–1, ए एवं बी कोटि के स्टेशनों पर मुहैया कराई जाने वाली वांछनीय सुविधाओं की विस्तृत सूची संलग्न विवरण में दी गई है। विभिन्न सुविधाओं की व्यवस्था स्टेशन की कोटि पर निर्भर है।

(ग) पिछले तीन वर्ष अर्थात् 2004–05, 2005–06 और 2006–07 के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य से 8 स्टेशन, बिहार से 20 स्टेशन और झारखंड से 4 स्टेशन आदर्श स्टेशनों के रूप में विकसित किए जाने हेतु चिह्नित किए गए हैं। इनका ब्यौरा इस प्रकार है :

बिहार	अक्षयवत राय नगर, अररिया कोर्ट, नयागांव, नरकटियागंज जं., पूर्णिया जं. सगौली जं., सुल्तानगंज, पटना साहिब, बख्तियारपुर, बिहारशरीफ, जमुई, झाझा, क्यूल, लखीसराय, राजेंद्र नगर (टी), राजगीर, अनुग्रह नारायण रोड, रक्सौल, सहरसा और मधुबनी।
झारखंड	साहिबगंज, बड़हरवा, बरकाकाना और गढ़वा रोड़
पश्चिम बंगाल	बैरकपुर, नईहाटी, रिश्रा, श्रीरामपुर, रामपुरहाट, शिउड़ाफुली, चंदननगर और पुरुलिया।

(घ) रेलवे उन स्टेशनों का विकास कार्य पूरे करने को प्राथमिकता दे रही है जिन्हें पहले ही चुना जा चुका है। अभी कोई अन्य स्टेशन चिह्नित नहीं किया गया है।

विवरण

क्रम सं.	सुविधाएं	स्टेशन कोटि		
		ए–1	ए	बी
1	2	3	4	5
1.	रिटायरिंग रूम	जी हां	जी हां	जी हां
2.	नहाने की सुविधा सहित प्रतीक्षालय			
	उच्च श्रेणी	जी हां	जी हां	–
	द्वितीय श्रेणी	जी हां	जी हां	जी हां
	महिलाओं के लिए अलग (उच्च एवं द्वितीय श्रेणी संयुक्त)	जी हां	जी हां	–

1	2	3	4	5
3.	क्लॉक रूम	जी हां	जी हां	जी हां
4.	पूछताछ काउंटर	जी हां	जी हां	जी हां
5.	एनटीईएस (नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम)	जी हां	जी हां	–
6.	आईवीआरएस (इंटरऐक्टिव वायस रिस्पॉंस सिस्टम)	जी हां	जी हां	जी हां
7.	जन उद्घोषणा प्रणाली/कंप्यूटर साधित उद्घोषणा	जी हां	जी हां	जी हां
8.	बुक स्टॉल/आवश्यक वस्तुओं के अन्य स्टॉल	जी हां	जी हां	जी हां
9.	अल्पाहार कक्ष	जी हां	जी हां	जी हां
10.	रोशनी व्यवस्था सहित पार्किंग/परिचालन क्षेत्र	जी हां	जी हां	जी हां
11.	जेट क्लीनिंग सुविधा सहित धुलनीय एप्रन	जी हां	जी हां	जी हां
12.	रेलगाड़ी विद्युत संकेतक बोर्ड	जी हां	जी हां	जी हां
13.	पब्लिक फोन बूथ	जी हां	जी हां	जी हां
14.	टच स्क्रीन पूछताछ प्रणाली	जी हां	जी हां	–
15.	पानी बेचने की मशीनें	जी हां	जी हां	जी हां
16.	वाटर कूलर	जी हां	जी हां	जी हां
17.	साइनेज (मानकीकृत)	जी हां	जी हां	जी हां
18.	माड्यूलर खानपान स्टाल	जी हां	जी हां	जी हां
19.	स्वचालित वेंडिंग मशीनें	जी हां	जी हां	जी हां
20.	प्लेटफार्म एवं परिचालन क्षेत्र में भुगतान एवं उपयोग शौचालय	जी हां	जी हां	जी हां
21.	यूटीएस (अनारक्षित टिकट वितरण प्रणाली)	जी हां	जी हां	जी हां
22.	शिकायतों का कम्प्यूटरीकरण	जी हां	जी हां	–
23.	साइबर कैफे की व्यवस्था	जी हां	–	–
24.	एटीएम की व्यवस्था (तरजीही तौर पर टिकट जारी करने की सुविधा सहित)	जी हां	जी हां	जी हां
25.	न्यूनतम एक वातानुकूलित वी आई पी लाइंज की व्यवस्था	जी हां	–	–
26.	फूड प्लाजा	जी हां	–	–
27.	सवारीडिब्बा प्रदर्श व्यवस्था	जी हां	–	–
28.	उद्घोषणा और सुरक्षा प्रयोजनार्थ सी सी टी वी	जी हां	–	–
29.	सिक्का चालित वेंडिंग मशीनें	जी हां	–	–
30.	प्रीपेड टैक्सी सेवा	जी हां	–	–
31.	स्थैतिक मोबाइल चार्जिंग सुविधा	जी हां	–	–
32.	अग्रभाग सहित स्टेशन इमारत का सौंदर्यीकरण	जी हां	–	–

ऑटो उद्योग का विकास

***42. श्री रनेन बर्मन :** क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ऑटो उद्योग के वार्षिक उत्पादन में कुछ वर्षों से निरंतर वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2000–01 से 2005–06 के बीच औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही;

(ग) उक्त अवधि के दौरान ऑटो उद्योग द्वारा प्राप्त की गई निर्यातों की औसत वार्षिक प्रतिशतता कितनी रही; और

(घ) वर्ष 2006–07 तथा 2007–08 के लिए सरकार को कितनी वृद्धि होने की आशा है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी, हां। देश में ऑटो उद्योग का वार्षिक उत्पादन लगातार बढ़ रहा है।

(ख) वर्ष 2000–01 से 2005–06 तक ऑटोमोटिव उद्योग के उत्पादन की वृद्धि की औसत वार्षिक वृद्धि दर 17% थी।

(ग) वर्ष 2000–01 से 2005–06 की अवधि के दौरान ऑटोमोटिव उद्योग के कारोबार में निर्यातों की प्रतिशतता में वृद्धि होती रही है। ऑटोमोटिव उद्योग के कारोबार में निर्यातों की प्रतिशतता वर्ष 2000–01 में 6.20% से बढ़कर वर्ष 2005–06 में 11.77% हो गयी है।

(घ) भारतीय ऑटोमोबाइल विनिर्माता संघ (एसआईएएम) तथा भारतीय ऑटोमोटिव कम्पोनेन्ट विनिर्माता संघ (एसीएमए) के अनुसार, ऑटोमोटिव उद्योग का उत्पादन वर्ष 2006–07 में 20% से अधिक तथा वर्ष 2007–08 में लगभग 15% की वृद्धि दर को प्राप्त करने की आशा है। उसी अवधि के दौरान निर्यात में 20% से अधिक की वृद्धि होने की आशा है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों पर पेट्रोल पंप

***43. श्रीमती नीता पटैरिया :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों पर खोले गए पेट्रोल पंपों की वर्ष–वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर कई पेट्रोल पंप पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से समुचित मंजूरी प्राप्त किए बिना अवैध ढंग से चल रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन पेट्रोल पंपों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : (क) पिछले 3 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर खोले गए खुदरा बिक्री केन्द्रों की संख्या 2574 है। राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय राजमार्गों के आसपास ईंधन स्टेशनों, सर्विस स्टेशनों और विश्राम क्षेत्रों के उपयोग के लिए मानक तैयार करना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। मंत्रालय और पेट्रोलियम और प्राकृतिक मंत्रालय के बीच फरवरी, 2003 में एक अंतर मंत्रालयीन बैठक आयोजित की गई जिसमें मौजूदा खुदरा बिक्री केन्द्रों और नए खुदरा बिक्री केन्द्रों के लिए (प्रस्तावित) नए मानक और दिशानिर्देशों के अनुप्रयोग के बारे में तेल कंपनियों द्वारा उठाए गए मुद्दों का जल्दी समाधान करने की आवश्यकता को समझा गया और संबंधित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में इस बात पर सहमति हुई कि ईंधन स्टेशनों और सर्विस स्टेशनों की स्थापना के लिए (प्रस्तावित) नए मानक उन सभी खुदरा बिक्री केन्द्रों पर लागू होंगे, जो दिशानिर्देशों को जारी करने के बाद आरम्भ किए गए हैं, जबकि सभी मौजूदा पेट्रोल पम्प इंडियन रोड कांग्रेस (आईआरसी) 1983 मानकों का पालन करेंगे और मामला दर मामला आधार पर प्रबन्धक के लिए छूट हेतु प्रस्तावों की जांच की जाएगी। चर्चाओं के आधार पर यह भी सहमति हुई कि तेल उद्योग और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय प्रस्तावित मानकों के बारे में जल्दी ही मिलेंगे और मतभेद निपटाएंगे।

नए दिशानिर्देश सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सितम्बर, 2003 में जारी किए गए थे। बाद में सार्वजनिक क्षेत्र में सभी तेल विपणन कंपनियों अर्थात् आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईबीपी ने अपनी कार्यस्थलों के अनुमोदन के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के यहां आवेदन किया। आज की तारीख तक कुल 1167 आवेदन पत्र अनुमोदन के लिए लम्बित हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने उन पेट्रोल पम्पों के मामलें में कमियां बताई हैं जिन्हें 2003 के दिशानिर्देशों के निर्गम से पहले आरम्भ किया गया था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और तेल विपणन कंपनियों ने ऐसे सभी लम्बित मामलों के जल्दी निपटान के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ मुद्दे उठाए हैं।

विवरण

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज़) द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर खोले गए पेट्रोल पंपों की राज्य वार/वर्ष वार संख्या को दर्शाने वाला विवरण

राज्य	आईओसी			बीपीसी			एचपीसी			आईबीपी			योग
	2003–04	2004–05	2005–06	2003–04	2004–05	2005–06	2003–04	2004–05	2005–06	2003–04	2004–05	2005–06	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
आंध्र प्रदेश	39	31	15	17	11	6	0	0	15	13	7	2	156
अरुणाचल प्रदेश	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3
असम	1	6	6	1	1	1	0	3	6	7	1	1	34
बिहार	10	11	15	10	1	7	3	9	1	19	14	9	109
छत्तीसगढ़	8	13	12	5	9	6	4	7	5	0	3	6	78
दिल्ली	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	6
गुजरात	8	6	17	8	10	6	10	10	13	1	2	1	92
गोवा	2	2	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	9
हरियाणा	32	33	20	8	3	6	8	21	10	30	11	3	185
हिमाचल प्रदेश	6	14	5	2	4	1	2	5	5	3	10	5	62
जम्मू और कश्मीर	7	4	6	3	9	4	1	7	2	0	2	1	46
झारखण्ड	1	12	14	1	7	6	8	6	5	15	1	5	81
कर्नाटक	60	44	26	10	5	3	0	0	17	13	2	4	184
केरल	14	17	6	4	14	8	0	1	11	5	13	3	96
मध्य प्रदेश	35	23	22	11	22	11	13	9	8	3	0	2	159
महाराष्ट्र	19	11	14	14	18	13	18	12	12	6	2	1	140
मणिपुर	3	1	2	0	0	0	0	0	0	1	3	1	11
मेघालय	3	6	3	2	0	0	0	0	5	3	0	0	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
मिजोरम	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
नागालैंड	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	4
उड़ीसा	20	34	27	10	6	14	1	2	5	13	14	2	148
पंजाब	17	17	13	5	6	9	7	22	14	44	21	9	184
राजस्थान	46	29	25	18	17	4	10	27	14	22	16	4	232
सिक्किम	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3
तमिलनाडु	26	21	20	11	18	8	7	5	8	14	13	2	153
त्रिपुरा	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3
उत्तरांचल	13	4	3	4	3	2	8	0	2	0	5	2	46
उत्तर प्रदेश	37	37	31	18	14	12	5	15	10	21	27	18	245
पश्चिम बंगाल	15	9	14	5	3	13	4	1	2	8	2	0	76
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
पांडिचेरी	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	2	0	6
योग	425	389	321	169	184	143	111	162	171	244	174	81	2574

आईओसी – इंडियन ऑयल कार्पोरेशन, बीपीसी – भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, एचपीसीएल – हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, आईबीपी – आईबीपी कंपनी लिमिटेड

विमानपत्तनों का निर्माण और विस्तार

***44. श्री एम. अंजनकुमार यादव :**
श्री हरिभाऊ राठौड़ :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्य सरकारों से अपने राज्यों में विमानपत्तनों के निर्माण और विस्तार के संबंध में अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राज्य सरकारों से प्राप्त आवेदन का हवाईअड्डावार विवरण निम्नलिखित है–

1. **तमिलनाडु**
   - (i) चेन्नई (विस्तार एवं आधुनिकीकरण)
   - (ii) कोयम्बटूर (टर्मिनल बिल्डिंग और रनवे विस्तार)
   - (iii) मदुरै (नए टर्मिनल बिल्डिंग और रनवे का विस्तार)
   - (iv) त्रिचिरापल्ली (नए टर्मिनल बिल्डिंग और रनवे का विस्तार)
   - (v) तूतीकोरिन (रनवे का विस्तार)
2. **कर्नाटक**
   - (i) बेलगाम (टर्मिनल बिल्डिंग और रनवे का विस्तार)
   - (ii) बेल्लारी (आवश्यक अवसंरचना विकास के साथ हवाईअड्डा का प्रचालनीकरण)
   - (iii) बीजापुर (ग्रीनफील्ड)
   - (iv) गुलबर्गा (ग्रीनफील्ड)
   - (v) हासन (ग्रीनफील्ड)
   - (vi) हुबली (टर्मिनल बिल्डिंग का विस्तार व आधुनिकीकरण और रनवे का विस्तार)
   - (vii) करवार (नेवल वायुपट्टी पर सिविल इन्क्लेव की स्थापना)
   - (viii) मंगलौर (नए टर्मिनल बिल्डिंग और रनवे का विस्तार)
   - (ix) मैसूर (नए टर्मिनल बिल्डिंग के निर्माण और रनवे के विस्तार द्वारा हवाई अड्डा का प्रचालनीकरण)
   - (x) शिमोगा (ग्रीनफील्ड)
3. **आन्ध्र प्रदेश**
   - (i) *विशाखापत्तनम (नए टर्मिनल बिल्डिंग और रनवे का विस्तार)*
   - (ii) विजयवाड़ा (नए टर्मिनल बिल्डिंग और रनवे का विस्तार)
   - (iii) तिरूपति (रनवे का विस्तार, नए टर्मिनल बिल्डिंग और कार्गो काम्प्लेक्स का निर्माण)
   - (iv) राजमुन्दरी (एक टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण और सुदृढ़ीकरण और रनवे का विस्तार)
   - (v) कुडप्पा (ग्रीनफील्ड)
   - (vi) वारंगल (ग्रीनफील्ड)
4. **केरल**
   - (i) कन्नूर (ग्रीनफील्ड)
   - (ii) कालीकट (टर्मिनल बिल्डिंग का विस्तार एवं आधुनिकीकरण)
   - (iii) त्रिवेन्द्रम (एकीकृत टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण)
5. **पांडिचेरी**
   - (i) पांडिचेरी (रनवे का विस्तार)
   - (ii) करायकाल (ग्रीनफील्ड)
6. **लक्षद्वीप**
   - (i) अगाति (रनवे का विस्तार)
7. **राजस्थान**
   - (i) अजमेर के पास किशनगढ़ (ग्रीनफील्ड)
8. **उत्तराखंड**
   - (i) नैनी सैनी, गोचर, चिनयालिसौर (ये सभी राज्य सरकार के हवाई अड्डे हैं। राज्य सरकार ने इनके स्तरोन्नयन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से अनुरोध किया है)
9. **उत्तर प्रदेश**
   - (i) आगरा (ग्रीनफील्ड)
10. **पंजाब**
    - (i) लुधियाना के पास हलवारा (भारतीय वायु सेना की वायुपट्टी पर सिविल इन्क्लेव)
11. **महाराष्ट्र**
    - (i) नागपुर (भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा महाराष्ट्र एयरपोर्ट विकास निगम द्वारा संयुक्त रूप से, टर्मिनल

बिल्डिंग का विस्तार तथा आधुनिकीकरण और कार्गो काम्प्लेक्स का निर्माण)

(ii) गोंडिया (पायलट और भू इन्जीनियरों का प्रशिक्षण संस्थान)

(iii) बारामती (एटीआर प्रचालनों के लिए हवाई अड्डे का विकास)

(iv) रायपुर (नए टर्मिनल बिल्डिंग और रनवे का विस्तार)

12. **मध्य प्रदेश**

(i) भोपाल (नए टर्मिनल बिल्डिंग का विस्तार)

(ii) इन्दौर (नए टर्मिनल बिल्डिंग का विस्तार)

13. **गोवा**

(i) डाबोलिन (एक नया एकीकृत टर्मिनल बिल्डिंग)

(ii) मोपा (ग्रीनफील्ड)

13. **अरूणाचल प्रदेश**

(i) ईटानगर के पास करशिंशगा (ग्रीनफील्ड)

(ii) पासीघाट (ग्रीनफील्ड)

15. **सिक्किम**

(i) गंगटोक के पास पाक्यांग (ग्रीनफील्ड)

16. **नागालैंड**

(i) कोहिमा के पास चिथू (ग्रीनफील्ड)

17. **मेघालय**

(i) तुरा (नए टर्मिनल बिल्डिंग और रनवे का विस्तार)

18. **मणिपुर**

(i) इम्फाल (रात्रि अवतरण सुविधाएं)

19. **पश्चिम बंगाल**

(i) आसनसोल (ग्रीनफील्ड)

(ii) कोलकाता (आधुनिकीकरण और विस्तार)

(iii) माल्दा (आवश्यक स्तरोन्नयन के साथ हवाईअड्डा का प्रचालनीकरण)

(iv) कूच बिहार (रनवे का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा टर्मिनल बिल्डिंग की पुनर्सज्जा)

20. **झारखंड**

(i) रांची (नए टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा सरकार के विचारार्थ/क्रियान्वयन के विभिन्न स्तरों पर प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

कच्चे तेल का उत्पादन

*45. **श्री वी.के. तुम्मर :**

श्री सर्वानन्द सोनोवाल :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कच्चे तेल के उत्पादन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और इसमें कितना लक्ष्य हासिल किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान किए गए निवेश का कंपनी–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : (क) आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी), आयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) और निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों (नि/सं. उ.) द्वारा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कच्चे तेल उत्पादन के लिए और प्राप्त लक्ष्य/अनुमान उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:

एम एम टी (मिलियन मीट्रिक टन)

वर्ष	लक्ष्य/अनुमान	उपलब्धियां
2003–04	33.497	33.369
2004–05	33.624	33.980
2005–06	34.564	32.187

(ख) पिछले तीन वर्षों अर्थात 2003–04 से 2005–06 में ओएनजीसी और ओआईएल द्वारा योजना परिव्यय का व्यय और निजी/संयुक्त उद्यम कम्पनियों द्वारा तदनुरूपी अवधि में किए गए निवेश निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रुपए)

वर्ष	ओएनजीसी योजना परिव्यय का व्यय	ओआईएल योजना परिव्यय का व्यय	निजी/सं.उ. कम्पनियों द्वारा व्यय
2003–04	6851.98	577.85	714.87
2004–05	10681.29	872.71	1076.05
2005–06	11421.03	993.97	1824.15

(ग) देश में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग को पूरा करने के लिए सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा आरंभ किए गए महत्वपूर्ण उपायों में अन्य बातों के साथ–साथ निम्न सम्मिलित है:

(1) नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) और नए क्षेत्रों विशेष रूप से गहरे जल और कठिन सीमावर्ती क्षेत्रों और पहले से उत्पादनरत क्षेत्रों की अधिक गहरी परतों में अन्वेषण के माध्यम से अन्वेषण प्रयासों में वृद्धि करना;

(2) वर्धित तेल निकासी (ईआर), उन्नत तेल निकास (आईओआर) योजनाओं के कार्यान्वयन द्वारा मौजूदा प्रमुख क्षेत्रों से निकासी घटक में सुधार करना;

(3) नए खोजे गए क्षेत्रों का तेजी से विकास करना और उत्पादक क्षेत्रों में भूकम्पीय सर्वेक्षणों, वर्क ओवर, उत्प्रेरण प्रचालनों कूपों के वेधन इत्यादि के लिए नई प्रौद्योगिकियों के प्रयोग को बढ़ाना;

(4) देश के लिए हाइड्रोकार्बन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विदेश में तेल और ग्सर सम्पत्तियों का अर्जन;

(5) एलएनजी के आयात के लिए दीर्घकालिक करार;

(6) राष्ट्रपार गैस पाइपलाइन;

(7) वैकल्पिक स्रोतों की संभावना ज्ञात करना;

(8) पेट्रोलियम उत्पादों का संरक्षण;

(9) कार्यनीतिक पेट्रोलियम भंडारों की स्थापना करना।

[अनुवाद]

पर्यटन को उद्योग का दर्जा

***46. श्री कीर्ति वर्धन सिंह :**
श्रीमती निवेदिता माने :

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2006–2007 के दौरान देश में कितने विदेशी पर्यटक आए और उनसे कितना राजस्व प्राप्त हुआ;

(ख) क्या पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार के पास उपयुक्त प्रोत्साहन प्रदान करते हुए इस उद्योग के विकास को बढ़ावा देने संबंधी प्रस्ताव हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) वर्ष 2006 के दौरान भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की अनुमानित संख्या 4.43 मिलियन है। 2006 के दौरान पर्यटन से अनुमानित विदेशी मुद्रा आय 6569 मिलियन यूएस डॉलर है।

(ख) से (घ) पर्यटन क्षेत्र में टूअर ऑपरेटरों, ट्रेवल एजेंटों, एयरलाइनों और होटलों जैसे अनेक सेवा प्रदाताओं की गतिविधियां शामिल हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति एवं प्रोन्नति विभाग) ने जम्मू एवं कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल के राज्यों के लिए, इनमें स्थित इको–टूरिज्म इंडस्ट्रीज सहित कुछ निश्चित पहचान किए गए थ्रस्ट इंडस्ट्रीज के लिए आबकारी कर में रियायत, आयकर में छूट तथा निवेश में सहायता अनुदान आदि के माध्यम से पैकेजों की घोषणा की है। इसके अलावा, पर्यटन मंत्रालय अपनी प्लान स्कीम 'भारी राजस्व सृजक परियोजनाओं को सहायता' के अधीन राज्य निगमों के माध्यम से भारी राजस्व सृजक पर्यटन परियोजनाओं के लिए अनुदान के रूप में 50 करोड़ रुपए तक की सहायता प्रदान करता है। अपनी प्लान स्कीम 'आवास अवसंरचना को प्रोत्साहन' के अधीन मंत्रालय बजट श्रेणी के होटलों के लिए पूंजी अनुदान के रूप में सहायता प्रदान करता है।

[हिन्दी]

सच्चर समिति की रिपोर्ट

***47. डा. चिन्ता मोहन :**
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' :

क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति पर विचार करने हेतु गठित सच्चर समिति की रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) रिपोर्ट में अंतर्विष्ट सिफारिशों के क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) यह रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में 30 नवम्बर में पेश कर दी गई थी। यह मंत्रालय के वेबसाइट www.minorityaffairs.gov.in पर भी उपलब्ध है। इस रिपोर्ट के 12वें अध्याय, जिसका शीर्षक "परिप्रेक्ष्य और सिफारिशें" है, में समिति की प्रमुख सिफारिशें शामिल है। समिति की सिफारिशों पर सरकार विचार कर रही है।

शहरों को विमान सेवा से जोड़ा जाना

***48. श्री हरिसिंह चावड़ा :**
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विमानपत्तनों की संख्या कितनी है और इनमें से कितने विमानपत्तनों का संचालन हो रहा है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से उनके राज्यों के और अधिक शहरों को विमान सेवा से जोड़ने हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों से राज्य–वार ऐसे कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) उक्त अनुरोधों में प्रत्येक अनुरोध पर क्या कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) देश में लगभग 455 हवाई अड्डे/हवाई पट्टियां हैं जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राज्य सरकारों, रक्षा (नागर विमानन प्राधिकरण की सिविल एन्क्लेव वाले हवाई अड्डों सहित) से संबंधित हैं और निजी लाइसेंस–प्राप्त एयरोड्रोम हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण 127 हवाई अड्डों का प्रचालन तथा अनुरक्षण करता है जिनमें रक्षा एयरफील्ड्स पर वाणिज्यिक एयरलाइन प्रचालनों के लिए सिविल एन्क्लेव शामिल हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) राज्य सरकारों की ओर से निम्नानुसार अनेक अनुरोध प्राप्त हुए हैं : आन्ध्र प्रदेश (2), छत्तीसगढ़ (1) गुजरात, हिमाचल प्रदेश (1), जम्मू और कश्मीर (1), कर्नाटक (1), मध्य प्रदेश (1), महाराष्ट्र (1), मिजोरम (1), पांडिचेरी (1), तमिलनाडु (2), त्रिपुरा (1), उत्तर प्रदेश (2), उत्तरांचल (1), तथा पश्चिम बंगाल (2)।

(घ) सरकार ने पूर्वोत्तर सहित देश के विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हवाई परिवहन सेवाओं का बेहतर विनियमन प्राप्त करने के उद्देश्य से मार्ग संवितरण दिशानिर्देश बनाए हैं। तथापि वाणिज्यिक साध्यता के आधार पर विर्निदिष्ट स्थानों के लिए हवाई सेवाएं प्रदान करना एयरलाइनों के ऊपर है। इस प्रकार एयरलाइनें सरकार द्वारा जारी मार्ग संवितरण दिशानिर्देशों के अनुपालन के अध्याधीन देश में कहीं भी प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

[अनुवाद]

लग्जरी टूरिस्ट रेलगाड़ियां

***49. डा. एम. जगन्नाथ :**
डा. धीरेंद्र अग्रवाल :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लग्जरी टूरिस्ट रेलगाड़ियों की शुरुआत करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में रेलवे को प्राप्त हुए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इस पर रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की गई है तथा इनकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) रेलवे द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और क्या अन्य उपाय किए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : (क) और (ख) जी, हां। रेल मंत्रालय को लग्जरी पर्यटक गाड़ियां चलाने के लिए कर्नाटक, पंजाब, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों की ओर से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। कर्नाटक और पंजाब में लग्जरी पर्यटक गाड़ियां चलाने के लिए रेल मंत्रालय ने अनुमोदन प्रदान कर दिया है। लग्जरी पर्यटक गाड़ी चलाने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के प्रस्ताव की जांच की जा रही है जबकि मध्य प्रदेश सरकार ने इस संबंध में कोई व्यापक प्रस्ताव नहीं भेजा है।

(ग) रेलवे रेलगाड़ियों, सवारी डिब्बों, पर्वतीय भूभागों की गाड़ियों को चार्टर किए जाने और संपूर्ण पर्यटक पैकेजों के परिचालन को प्रोत्साहन दे रही है। इसके अलावा, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 100 स्थलों पर बजट होटल स्थापित किए जाने पर विचार किया गया है। अब भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम टूर ऑपरेटरों द्वारा चलाए जा रहे पर्यटन पैकेजों को सेवा प्रदान करने के लिए विभिन्न गाड़ियों में मांग के अनुसार 15 प्रतिशत वातानुकूलित शायिकाएं और 10 प्रतिशत स्लीपर शायिकाएं बुक कर सकता है।

भारतीय रेल विदेशी पर्यटकों के लिए इंडरेल पासों की बिक्री कर रही है जिसमें उस समयावधि के भीतर, जिसके लिए यह पास खरीदा गया हो, पसंद के अनुसार यथासंभव अधिक से अधिक गंतव्यों के लिए यात्रा टिकट लिए जा सकते हैं। भारतीय रेल की ओर से ये व्यवस्थाएं भारत में पर्यटन गतिविधियों में व्यापक योगदान दे रही हैं।

एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स का विलय

***50. एडवोकेट सुरेश कुरूप :**
श्री एस. के. खारवेन्थन :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स के विलय हेतु उपाय सुझाने के लिए गठित मंत्रियों के समूह ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त एयरलाइन्स के कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स के कर्मचारी संगठनों से भी विचार–विमर्श किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दोनों एयरलाइन्स के विलय हेतु अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) मंत्रियों के समूह ने सिफारिश की है कि एयर इंडिया लिमिटेड और इंडियन एयरलाइन्स लिमिटेड के नई कंपनी में विलय के प्रस्ताव को सरकार द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है।

(ग) और (घ) एयर इंडिया की 11 कर्मचारी यूनियन/एसोसिएशन तथा इंडियन एयरलाइन्स की 8 यूनियनों को 17.01.07 को मंत्री स्तरीय बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया था। इसके बाद विभिन्न कर्मचारी प्रतिनिधियों के साथ विचार–विमर्श जारी है।

(ङ) मामला सरकार के पास सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

[हिन्दी]

भारत-म्यांमार गैस पाइपलाइन परियोजना

*51. **श्री पंकज चौधरी :***
श्री मो. ताहिर :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या म्यांमार ने भारत को "आन–लैंड पाइपलाइन" के माध्यम से गैस की आपूर्ति करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारणा हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) भारत म्यांमार गैस पाइपलाइन परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : (क) से (घ) म्यांमार संघ की सरकार ने ए–1 और ए–3 ब्लाकों से पाइपलाइन मार्ग के माध्यम से गैस की खरीद के लिए बोलियां आमंत्रित की थीं। गैल (इंडिया) लिमिटेड (गेल) ने सितम्बर, 2006 में अपनी बोली भेजी। म्यांमार से पाइपलाइन देश के पूर्वोत्तर राज्यों से बिछानी परिकल्पित है। गेल ने परियोजना के लिए विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट, पर्यावरण प्रबंधन योजना और त्वरित जोखिम विश्लेषण पूरा कर लिया है।

बाद में म्यांमार ने गेल को यह सूचित किया है कि वे पाइपलाइन मार्ग के माध्यम से इस गैस की बिक्री करने के अपने निर्णय की समीक्षा कर रहे हैं। गैस की बिक्री करने के अन्य विकल्पों की खोज करते समय म्यांमार ने 3.5 एमएमटीपीए तरल प्राकृतिक गैस की खरीद के लिए बोली के लिए कहा। गेल ने इसके उत्तर में दिसम्बर, 2006 में म्यांमार को अपनी बोली भेज दी है।

एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 9–11 जनवरी, 2007 के दौरान म्यांमार का दौरा किया। दौरे के दौरान राष्ट्रपार पाइपलाइन के माध्यम से म्यांमार से प्राकृतिक गैस के आयात के मुद्दे पर ऊर्जा मंत्रालय, म्यांमार के साथ चर्चा की गई। म्यांमार पक्ष ने यह बताया कि वर्तमान में उपलब्ध 4.8 ट्रिलियन घन फीट (टीसीएफ) गैस में से उनकी सरकार इस गैस का एक हिस्सा अपनी घरेलू आवश्यकताओं के लिए निर्धारित करना चाहेगी और शेष गैस व्यवहार्य निर्यात के लिए पर्याप्त नहीं होगी। म्यांमार ने ए–3 ब्लॉक में वेधन आरम्भ किया है और वेधन के परिणामों और उपलब्ध गैस की मात्रा के आधार पर यह उपलब्ध विकल्पों के माध्यम से गैस बिक्री करने का निर्णय लेगा।

[अनुवाद]

शुल्क मुक्त दुकानें

*52. **श्री दलपत सिंह परस्ते** : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसे शहरों में शुल्क मुक्त दुकानें खोलने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जहां पर ब्रांडेड आयातित मदिरा, सिगरेट और सौंदर्य प्रसाधन इत्यादि उपलब्ध कराए जा सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (ग) जी, नहीं। पर्यटन मंत्रालय को शहरों में शुल्क मुक्त दुकानें खोलने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

रेलगाड़ियों में बम रखे होने संबंधी शरारती टेलीफोन कालें

*53. **श्री रघुराज सिंह शाक्य :***
श्री हेमलाल मुर्मू :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में रेलगाड़ियों में बम रखे होने की शरारती टेलीफोन कालों अथवा बम बरामद होने से रेल परिचालन में व्यवधान उत्पन्न होता है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2005–2006 और 2006–2007 के दौरान जोनवार ऐसी कितनी घटनाएं हुई हैं; और

(ग) रेलवे द्वारा ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : (क) जी, हां। गाड़ियों में बम रखे होने के बारे में झूठी कॉलों के कारण या देश के विभिन्न भागों में गाड़ियों में बम की बरामदगी के कारण सवारी डिब्बों की तोड़फोड़–रोधी जांच करने के कारण गाड़ियों का संचालन बाधित होता है।

(ख) वर्ष 2005–06 और 2006–07 (22.02.2007 तक) के दौरान झूठी कॉल प्राप्त होने की घटनाओं और बमों की बरामदगी की घटनाओं की संख्या नीचे दी गई है :–

रेलवे	झूठी कॉलें प्राप्त होने की घटनाओं की संख्या		बम बरामद होने की घटनाओं की संख्या	
	2005–06	2006–07*	2005–06	2006–07*
मध्य	7	14	–	–
पूर्व	4	3	2	2
पूर्व मध्य	–	–	1	1
पूर्व तट	–	1	–	–
उत्तर	18	7	–	–
उत्तर मध्य	1	3	–	–
पूर्वोत्तर	5	3	–	–
पूर्वोतर सीमा	3	–	–	–
उत्तर पश्चिम	2	4	–	–
दक्षिण	15	21	–	–
दक्षिण मध्य	6	10	–	–
दक्षिण पूर्व	–	–	–	–
दक्षिण पूर्व मध्य	1	–	–	–
दक्षिण पश्चिम	2	2	–	–
पश्चिम	14	29	–	–
पश्चिम मध्य	4	13	–	–
जोड़	84	110	3	3

*(22.02.2007 तक)

(ग) इस संबंध में रेल मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:–

1. बम की झूठी खबर के मामले में की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में फील्ड अधिकारियों को विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं और साथ–साथ झूठी कॉलों का सामना करने के संबंध में रेलों ने संयुक्त रूप से अपनाई जाने वाली कार्य प्रणालियां जारी की हैं। संबंधित अधिकारियों को हिदायत दी गई है कि वे संपूर्ण रेल प्रणाली के पब्लिक इंटरफेस टेलीफोनों के कालर आइडेंटिफिकेशन प्रणाली स्थापित करे।

2. गाड़ियों में बम होने की झूठी कॉलों या बमों की बरामदगी को देखते हुए गाड़ियों की तोड़फोड़ रोधी जांच करने के लिए गहन समन्वय बनाए रखा जाता है और रेलवे द्वारा सिविल पुलिस और राजकीय रेल पुलिस को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

3. गाड़ियों में और प्लेटफार्मों पर लावारिस/आरक्षित सामान के बारे में पुलिस, राजकीय रेल पुलिस और रेल सुरक्षा बल कर्मियों को सूचित करने के लिए यात्रियों को सचेत करने के वास्ते महत्वपूर्ण और संवेदनशील रेलवे स्टेशनों पर जन उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से बार–बार घोषणाएं की जाती हैं।

4. रेल सुरक्षा बल के श्वान दस्ते (डॉक स्क्वैड) जहां कहीं उपलब्ध हैं, तोड़फोड़–रोधी जांच के लिए संवेदनशील रेलवे स्टेशनों पर तैनात किए जा रहे हैं।

5. संवेदनशील रेलवे स्टेशनों पर डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर्स, हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर्स श्वान दस्ते (डॉग स्क्वैड) आदि की सहायता से यात्रियों तथा उनके सामान की जांच की जाती है।

6. रेल सुरक्षा बल और राजकीय रेल पुलिस के बीच संस्थागत कार्य प्रणालियों के माध्यम से आसूचना सूचना को नियमित रूप से आदान–प्रदान किया जा रहा है।

[अनुवाद]

पेट्रोल पंपों का आबंटन

***54. श्री ए. साई प्रताप :**
श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में अपने एक फैसले में 70 प्रतिशत से ज्यादा पेट्रोल पंपों के आबंटन को रद्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सामान्य वर्गों के साथ–साथ वर्गीकृत श्रेणियों से संबंधित व्यक्तियों को पेट्रोल पंपों के आबंटन संबंधी मानदंडों की समीक्षा और उनमें संशोधन करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : (क) उच्चतम न्यायालय ने अब तक कुल 414 मामलों में से 280 मामले (खुदरा बिक्री) केन्द्र डीलरशिपें/एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें/एसकेओ–एलडीओ डीलरशिपें) निपटाए हैं। 280 मामलों में से, उच्चतम

न्यायालय ने अब तक 147 मामलों (52.5%) में तत्कालीन डीलर चयन बोर्डों (डीएसबीज) द्वारा किए गए चयन को रद्द करने के लिए दो न्यायाधीशों की समिति की सिफारिश मान ली है।

(ख) प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था (एपीएम) को 1.4.2002 से समाप्त कर दिया गया और इसके बाद डीलर चयन बोर्डों को 9.5.2002 को भंग कर दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) को अगस्त, 2003 में इस मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए उन विस्तृत नीतिगत दिशानिर्देशों के आधार पर पेट्रोलियम उत्पादों के स्थानों और डीलरशिपों के चयन में वाणिज्यिक स्वतंत्रता दी गई है जिसका उद्देश्य चयन प्रक्रिया को और अधिक निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना था। वर्तमान में विद्यमान दिशानिर्देशों की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि ये मूल्यांकन प्रक्रिया और डीलरों के चयन में निष्पक्ष मानदंड के उपयोग की व्यवस्था करते हैं।

(ग) और (घ) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पेट्रोलियम उत्पादों के खुदरा मूल्यों में कमी

*55. **श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :**
श्री मोहन सिंह :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के मूल्यों में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2006 की प्रथम छमाही की तुलना में मूल्यों में कितनी कमी आई है;

(ग) क्या सरकार का विचार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के मूल्यों में कमी आने के मद्देनजर पेट्रोलियम उत्पादों के खुदरा मूल्यों में और कमी करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : (क) और (ख) जी, हां। अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल मूल्यों के आधार पर भारतीय बास्केट का औसत मूल्य जनवरी–जुलाई, 2006 के दौरान 64.57 डालर/बीबीएल और अगस्त–दिसम्बर, 2006 के दौरान 61.44 डालर/बीबीएल था। इस प्रकार कच्चे तेल के मूल्य में 3.13 डालर/बीबीएल (4.85%) तक की कमी आई है।

(ग) और (घ) अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में कमी के आधार पर पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में 30.11.06 को कमी की गई थी। इनमें से 16.2.2007 में फिर कमी की गई थी। प्रत्येक अवसर पर पेट्रोल और डीजल के लिए कमी क्रमशः 2/– रुपए प्रति लीटर और 1/– रुपए प्रति लीटर थी (दिल्ली मूल्य)। यह ध्यान रखने योग्य है कि घरेलू एलपीजी के मूल्यों में अंतिम बार संशोधन 5.11.04 को किया गया था। तथापि, सार्वजनिक वितरण प्रणाली मिट्टी तेल के आधारभूत मूल्य में 1.4.2002 से परिवर्तन नहीं हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों में उतार–चढ़ाव होता रहता है। सरकार घटने–बढ़ने वाले मूल्यों पर पैनी निगाह रख रही है।

निजी कंपनियों द्वारा यात्री रेलगाड़ियों का परिचालन

*56. **श्री विजय कृष्ण** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में निजी कंपनियों को यात्री रेलगाड़ियों के परिचालन की अनुमति देने और निजी कंपनियों को इंजनों, रेल डिब्बों और रेल की पटरियों के निर्माण और उनका स्वामित्व प्रदान करने की अनुमति देने संबंधी किन्हीं परियोजनाओं पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे अन्य देश में रेलगाड़ियों के परिचालन संबंधी निवेश मॉडलों का अध्ययन कर रही है और स्वीडन की परिचालन प्रणाली को अपनाने का निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : (क) निजी क्षेत्र द्वारा यात्री गाड़ियों के परिवहन/संचालन की अनुमति दिए जाने की कोई योजना नहीं है। बहरहाल, यात्री गाड़ियों से संबंधित कुछ वाणिज्यिक गतिविधियों के संचालन की अनुमति निजी क्षेत्र को दी जा सकती है। भारतीय रेल नेटवर्क पर यात्री गाड़ी परिचालनों के लिए निजी क्षेत्र को रेलइंजनों और रेलपथ के स्वामित्व की अनुमति दिए जाने की अभी कोई योजना नहीं है। बहरहाल, पर्यटक यात्री डिब्बों का स्वामित्व संयुक्त रूप से किया जा सकता है। निजी क्षेत्र को शामिल करते हुए संयुक्त उद्यम में रेलइंजनों और सवारी डिब्बों के लिए निर्माण इकाइयां स्थापित किए जाने की व्यावहारिकता की जांच करने का विनिश्चय किया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

निःशक्त बच्चों के लिए व्यवस्था

*57. **श्री असादूद्दीन ओवेसी** : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुनर्वास परिषद (आर सी आई) के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार राज्य के प्रत्येक विद्यालय में निःशक्त बच्चों के लिए कम से कम एक विशेष शिक्षक और एक संसाधन केन्द्र होना जरूरी है;

(ख) यदि हां, तो कितने राज्यों के विद्यालयों में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ग) क्या मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा भारतीय पुनर्वास परिषद के परामर्श से किए गए अध्ययन के अनुसार अधिकतर राज्यों ने भारतीय पुनर्वास परिषद के मार्गदर्शी सिद्धान्तों का पालन नहीं किया है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम बताएं और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार शिक्षा के संबंध में निःशक्त बच्चों के पक्ष में कुछ और व्यवस्था करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य द्वारा निःशक्त बच्चों के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद के मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार) : (क) से (छ) भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) ने ऐसे कोई दिशा–निर्देश जारी नहीं किए हैं। भारतीय सरकार द्वारा विकलांग बच्चों की शिक्षा को दो योजनाओं – सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए) और विकलांग बच्चों हेतु एकीकृत शिक्षा (आईईडीसी) द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। योजनाओं का उद्देश्य विकलांग बच्चों को सामान्य स्कूलों में इनके समावेश, एकीकरण और धारण द्वारा शैक्षिक अवसर प्रदान करना है। राज्य सरकारों, संघ राज्य–क्षेत्र प्रशासनों और गैर–सरकारी संगठनों के माध्यम से इन योजनाओं को कार्यान्वित किया जाता है। विकलांग बच्चों की एकीकृत शिक्षा योजना में 2 लाख से भी अधिक विकलांग बच्चों को 2005–06 के दौरान 90,756 से अधिक स्कूलों में एकीकृत किया गया। 20.17 लाख अभिज्ञात विकलांग बच्चों में से 15.60 लाख बच्चों को सर्वशिक्षा अभियान के तहत स्कूलों में दाखिला दिलाया गया।

तेल शोधनशालाओं की स्थापना

***58. श्री भर्तृहरि महताब :**
प्रो. महादेवराव शिवनकर :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में नई तेल शोधनशालाओं की स्थापना करने और तेल शोधनशालाओं की विद्यमान शोधन क्षमता में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कंपनी–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नई तेल शोधनशालाओं की स्थापना के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने नई तेल शोधनशालाओं की स्थापना के कारण घरेलू बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव के संबंध में कोई आकलन किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : (क) से (घ) रिफाईनरी क्षेत्र को जून, 1998 में लाइसेंस मुक्त किया गया था। तब से निजी और सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम इसकी व्यवहार्यता के प्रवर्तकों के मूल्यांकन के आधार पर भारत में कहीं भी रिफाइनरी स्थापित कर सकते हैं। रिफाइनरियों की स्थापना करने के लिए प्रस्तावों पर केन्द्रीय सरकार नहीं, बल्कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उद्यम विचार करते हैं।

इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, मंगलोर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, चैन्नई पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एस्सार आयल लिमिटेड और नागार्जुन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड सहित सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कम्पनियों दोनों ने नई रिफाइनरियों की स्थापना करने/वर्तमान रिफाइनरियों की क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। स्थान, क्षमता/क्षमता में वृद्धि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) और (च) नई शोधन क्षमता का मूल्यों पर अनुकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है क्योंकि पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति बढ़ेगी। इसके अलावा, नई क्षमता से मूल्य वर्धन के प्रतिधारण के माध्यम से पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात से निर्यात आयों में वृद्धि होगी और इससे आगे देश की ऊर्जा सुरक्षा में और वृद्धि होगी।

विवरण

कंपनी	रिफाइनरियां	क्षमता/विस्तार *(एमएमटीपीए में)
1	2	3
क	नई	
इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल)	पारादीप (उड़ीसा)	15.00
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल)	भटिण्डा (पंजाब)	9.00

1	2	3
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल)	बीना (मध्य प्रदेश)	6.00
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड	जामनगर (गुजरात)	29.00
नागार्जुन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (एनओसीएल)	कुड्डालोर (तमिलनाडु)	6.00
ख	**क्षमता का विस्तार**	**वर्तमान शोधन क्षमता में वृद्धि (एमएमटीपीए)**
आइओसीएल	पानीपत (अतिरिक्त विस्तार)	3.00
आईओसीएल	हल्दिया रिफाइनरी विस्तार	1.5
मंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल)	मंगलोर रिफाइनरी	5.31
बीपीसीएल	कोच्चि रिफाइनरी, कोच्चि	2.0
चैन्नई पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (सीपीसीएल)	मनाली रिफाइनरी	1.7
एचपीसीएल	मुंबई रिफाइनरी	2.4
एचपीसीएल	विशाख रिफाइनरी	7.5
एस्सार आयल लिमिटेड	वादीनार रिफाइनरी	3.5
आयल एंड नैचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी)	तातीपाका	0.08

*मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष

पेट्रोलियम क्षेत्र में भारत-रूस सहयोग

***59. श्री जुएल ओराम :**

श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओ एन जी सी) ने भारत, रूस तथा अन्य देशों में अन्वेषण, उत्पादन और विपणन के क्षेत्र में पारस्परिक परियोजनाओं की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए रूस की तेल कंपनियों के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इस करार से भारत को क्या लाभ प्राप्त होने की आशा है;

(घ) क्या भारत और रूस स्खलिन–तीन और चार परियोजनाओं पर भी भागीदारी करने का सहमत हो गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोनों देशों की शेयरधारिता कितनी है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : (क) से (ग) ऑयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) ने गाजप्राम के साथ 21.02.2005 को और रासनेफ्ट के साथ 25.1.2007 को समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। गाजप्राम के साथ समझौता ज्ञापन में भारत, रूस और तीसरे देशों की तेल और गैस परियोजनाओं में संयुक्त भागीदारी की संभावनाओं का अध्ययन करने की संकल्पना है। रासनेफ्ट के साथ हुए समझौता ज्ञापन के अनुसार दो संयुक्त अध्ययन समूह गठित किए जाएंगे, एक अपस्ट्रीम के लिए और दूसरा डाऊन स्ट्रीम क्रिया कलापों के लिए।

इन दो समझौता ज्ञापनों से रूस की दो राष्ट्रीय तेल और गैस कंपनियों के ओएनजीसी के अधिक निकट आने की संभावना है जिसके परिणामस्वरूप देश की तेल सुरक्षा की उपलब्धि हेतु रूस और अन्य देशों में संयुक्त प्रचालन तथा तेल एवं गैस संपत्तियों के अर्जन की संभावना होगी।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपर्युक्त (घ) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

श्रीनगर (बडगाम) अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन

***60. श्री अब्दुल रशीद शाहीन** : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीनगर (बडगाम) स्थित विमानपत्तन पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए निर्माण और विकास कार्य प्रगति पर है;

(ख) यदि हां, तो इसमें अभी तक कितनी प्रगति हुई है और इस परियोजना को पूरा करने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने श्रीनगर (बड़गाम) स्थित अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को संचालित करने के लिए उड़ान मार्गों के बारे में कोई योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) 70 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है तथा परियोजना के पूरा हेने की संभावित तारीख 30 जून, 2007 है।

(ग) और (घ) उड़ानों के प्रचालन के लिए मार्गों का चयन एयरलाइनों द्वारा किया जाता है। अभी तक किसी भी एयरलाइन ने श्रीनगर हवाईअड्डे से अंतर्राष्ट्रीय प्रचालनों के लिए अपनी रुचि नहीं दिखाई है।

श्रीनगर से सऊदी अरब के लिए हज उड़ानों का सीधा प्रचालन किया जाता है।

[हिन्दी]

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा उत्तराखंड में मंदिरों का रख-रखाव

264. श्री जय प्रकाश (मोहनलाल गंज) : क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की योजना भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा उत्तराखंड, बद्रीनाथ एवं केदारनाथ स्थित मंदिरों का रख–रखाव करवाने की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना में बद्रीनाथ मंदिर के आस–पास के क्षेत्रों में अतिक्रमण की रोकथाम करने हेतु कार्रवाई करने को सम्मिलित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) उत्तराखंड राज्य में स्थित बद्रीनाथ और केदारनाथ के मंदिर केन्द्रीय संरक्षित स्मारक नहीं हैं और फिलहाल उन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन लाने की कोई योजना नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

विकलांगों के कल्याण से संबंधित लंबित प्रस्ताव

265. श्री हंसराज गं. अहीर : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकलांगों, महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण हेतु कार्यरत संगठनों को दो किस्तों में अनुदान जारी करने के मामले बड़ी संख्या में सरकार के पास लंबित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित संगठनों को धन की कमी के कारण उक्त योजनाओं के संचालन में हो रही कठिनाइयों के मद्देनजर उन्हें समय पर एक मुश्त अनुदान जारी करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा प्रस्ताव किए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) अनुदान सहायता योजनाओं के अंतर्गत, किसी संगठन को एक मुश्त अग्रिम अनुदान जारी करने का प्रावधान नहीं है। गैर–सरकारी संगठनों को, उपयोगिता प्रमाण–पत्र, लेखा परीक्षित लेखों, कार्य–निष्पादन, निरीक्षण रिपोर्ट तथा राज्य सरकारों से प्राप्त संस्तुतियों के आधार पर दो किस्तों में अनुदान सहायता दी जाती है।

[अनुवाद]

रनवे की लंबाई

266. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर विमानपत्तन के रनवे की लम्बाई राष्ट्रीय स्तर के अन्य विमान पत्तनों के रनवे की तुलना में कम है; और

(ख) यदि हां, तो इसके विस्तार हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) बंगलौर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर रनवे 09/27 की 3306 मीटर लंबाई का प्रबंधन एचएएल के पास है जो कि अन्य राष्ट्रीय स्तर के हवाईअड्डों के रनवे की तुलना की लंबाई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पुणे मंडल में लोनाड-बारामती ब्रॉड-गेज मार्ग

267. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे के पुणे मंडल में लोनाड–बारामती ब्रॉड–गेज मार्ग का निर्माण कार्य निर्माणाधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस निर्माणाधीन मार्ग की लम्बाई कितनी है और इस परियोजना की लागत कितनी है;

(ग) क्या रेलवे पुणे रेलवे स्टेशन पर दबाव को कम करने हेतु लोनाड रेलवे स्टेशन पर माल यातायात सुविधाओं का संचालन करने की भी योजना बना रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या दक्षिण की ओर जाने वाले माल गाड़ियों को पुणे में प्रवेश करने देने के बजाय दौंड–बारामती–लोनाड में मोड़ दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां।

(ख) लंबाई 52 कि.मी. अनुमानित लागत 138.48 करोड़ रु.।

(ग) और (घ) लोनाड रेलवे स्टेशन पर पहले ही माल सुविधाएं उपलब्ध हैं। परियोजनाओं के पूरा होने के बाद लोनाड में एक अतिरिक्त माल यातायात लाइन की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। बहरहाल, इस सुविधा से पुणे माल शेड पर दबाव कम नहीं होगा।

(ङ) और (च) मनमाड–दौंड के रास्ते आने वाले और दक्षिण की ओर जाने वाले माल यातायात को दौंड–बारामती–लोनाड मार्ग के जरिए ढोया जाएगा जिससे पुणे पर दबाव कम होगा।

[हिन्दी]

रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों हेतु सुविधाएं

268. डा. सत्यनारायण जटिया : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रतलाम माक्सी खंड (पश्चिम रेलवे) एवं शामगढ़–नाग्दा खंड (पश्चिम–मध्य रेलवे) के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिए कौन–सी सुविधाएं उपलब्ध हैं; और

(ख) वर्ष 2007–08 के दौरान इन स्टेशनों पर कौन–सी सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) रतलाम–माक्सी तथा शामगढ़–नागदा खंडों के अंतर्गत स्टेशनों की कोटि और मानदंडों के अनुसार न्यूनतम अनिवार्य सुविधाएं पहले ही मुहैया करा दी गई हैं। बहरहाल, स्टेशनों पर बेहतर सुविधाओं की व्यवस्था एक सतत् प्रक्रिया है और प्रतिवर्ष स्टेशन के महत्व तथा पारस्परिक प्राथमिकताओं के आधार पर इस प्रकार के कई कार्य शुरू किए जाते हैं। इन कार्यों को बजट दस्तावेजों के साथ संसद में प्रतिवर्ष प्रस्तुत मशीन संयंत्र एवं चल स्टॉक कार्यक्रम भाग–II में दर्शाया जाता है। इसके अलावा, अलग–अलग योजना शीर्षों के अंतर्गत दोहरीकरण, यातायात सुविधा कार्य, आमान परिवर्तन, कंप्यूटरीकरण आदि के भाग के रूप में भी स्टेशनों में सुधार किया जाता है। इस प्रकार के अपग्रेडेशन कार्य प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में पूरे किए जाते हैं।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर राज्यों में भारतीय संस्कृति को बढ़ावा

269. श्री जोवाकिम बखला : क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों एवं सिक्किम में भारतीय संस्कृति का संरक्षण करने, विकास करने और इसको बढ़ावा देने से संबंधित कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजन हेतु राज्यवार कितनी धनराशि खर्च की गई है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) और (ख) संस्कृति मंत्रालय, इस मंत्रालय तथा इससे संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों तथा स्वायत्त संगठनों की विभिन्न स्कीमों के माध्यम से विविध कार्यकलाप करके सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में संस्कृति के संरक्षण, विकास और संवर्धन हेतु सभी प्रयास करता रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में कला और संस्कृति के विकास हेतु मंत्रालय के कुल वार्षिक योजना आबंटन का 10 प्रतिशत अलॉट किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र की संस्कृति को उजागर करने के लिए वर्ष 2006 से ऑक्टेव–शीर्षक से एक विशेष उत्सव आरंभ किया गया है।

(ग) पिछले 3 वर्षों के दौरान, संगठनों/स्कीम के संबंध में पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में संस्कृति के विकास और संवर्धन हेतु व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2003–04, 2004–05 और 2005–06 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों के कार्यकलापों के लिए संगठनों और वास्तविक/प्रमाणित व्यय की सूची:–

क्रम सं.	संगठन	वास्तविक व्यय		
		2003–04	2004–05	2005–06
1	2	3	4	5
1.	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण	63.20	94.16	78.72
2.	संगीत नाटक अकादमी	121.21	14.71	267.90
3.	राष्ट्रीय नाट्य अकादमी	79.47	71.84	109.91
4.	साहित्य अकादमी	35.00	34.22	50.64
5.	ललित कला अकादमी	13.50	35.03	57.06
6.	एम पी सी सी की स्थापना	00.00	280.00	207.00
7.	सी सी आर टी	50.37	55.00	99.02
8.	क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र	621.35	151.64	396.44
9.	आई जी आर एम एस, भोपाल	38.55	30.00	45.81
10.	गाँधी स्मृति और दर्शन संस्थान	00.00	24.93	27.37
11.	कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान	4.84	1.94	1.80
12.	भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण	20.59	55.31	65.63
13.	राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान	00.00	1.62	00.00
14.	विक्टोरिया मेमोरियल हॉल	25.20	31.05	47.16
15.	भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार	00.00	00.00	12.19
16.	राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद	317.53	260.21	149.87
17.	राष्ट्रीय संग्रहालय	36.21	20.38	00.00
18.	भारतीय संग्रहालय	217.50	654.50	1047.57
19.	स्थानीय संग्रहालय का संवर्धन	499.00	103.53	50.53
20.	आर आर आर एल एफ	215.68	150.21	307.22
21.	एम ए के ए आई, कोलकाता	17.90	8.37	9.00
22.	इलाहाबाद संग्रहालय	00.00	3.04	7.99
23.	एन आर एल सी, लखनऊ	1.77	00.00	00.00
24.	नृत्य, नाटक और रंगमंच को सहायता	85.66	113.21	79.37

1	2	3	4	5
25.	सांस्कृतिक संगठनों को भवन अनुदान	65.94	107.14	374.86
26.	राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता	00.00	00.00	2.72
27.	जनजातीय/लोक कला को सहायता	00.00	00.00	10.67
28.	राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन	00.00	00.00	20.26
	योग	2530.47	2322.30	3506.45
	पूर्वोत्तर राज्यों के क्रियाकलापों हेतु बजटीय आबंटन	2200.00	3545.00	5511.00

विमानपत्तनों पर सुरक्षा

270. श्री बाडिगा रामकृष्णा :
श्री एनेन बर्मन :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के सभी घरेलू/अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों, विशेषकर कोलकाता एवं हैदराबाद विमानपत्तनों पर प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था करने हेतु उच्च तकनीक वाले उपकरणों को लगाने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सभी विमानपत्तनों पर उपरोक्त उपकरणों को लगाने की योजना को क्रियान्वित करने हेतु सरकार द्वारा क्या आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) उपरोक्त कार्य पर कितना अनुमानित व्यय होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) जी, हां। कोलकाता तथा हवाई अड्डों समेत देश के सभी प्रमुख हवाई अड्डों पर बायो–मीट्रिक एसेस कंट्रोल सिस्टम, इन लाइन एक्सरे बैगेज इंस्पैक्शन सिस्टम (एक्स–बी आई एस), विस्फोटक रोधी उपस्कर, क्लोज सर्किट टेलीविजन, पैरामीटर इन्ट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम आदि जैसे सुरक्षा उपकरण संस्थापित करने का निर्णय किया गया है।

(ग) सभी संबंधित हवाई अड्डा प्रचालनों/एजेंसियों की सुरक्षा प्रौद्योगिकी उन्नत करने के लिए तुरन्त आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है। संबंधित एजेंसियों द्वारा सभी अतिसंवेदनशील हवाई अड्डों पर इन लाइन एक्स बी आई एस को लागू किया जाना, क्रियान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में है।

(घ) कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, कालीकट तथा श्रीनगर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के लिए 45 करोड़ रुपए की लागत से एक्स इन लाइन एक्स–बी आई एस का आर्डर दिया गया है। मौजूदा कस्टम ड्यूटी सहित लगभग 91.00 करोड़ रुपए का एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर का आदेश संस्थापित किए जा रहे अन्य सुरक्षा उपस्कर तथा उनकी लागत निम्नानुसार है:–

मेटल डिटेक्टर – 5.77 करोड़ रुपए

एक्सरे बैगेज इंस्पैक्शन सिस्टम – 34.00 करोड़ रुपए

[हिन्दी]

गंगा बेसिन में तेल एवं गैस की खोज संबंधी सर्वेक्षण

271. श्री बालेश्वर यादव : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गंगा बेसिन में स्थित राज्यों में तेल और प्राकृतिक गैस की संभावना का पता लगाने हेतु सर्वेक्षण किए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके राज्य–वार क्या परिणाम निकले; और

(ग) इन भंडारों से तेल और गैस को निकालने का काम कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (ग) ऑयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन (ओएनजीसी) ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) और निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश (उ.प्र.) और बिहार राज्यों में पड़ने वाले गंगा बेसिन में अन्वेषण किया है। विगत तीन वर्षों में ओएनजीसी, ओआईएल और निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा उत्तर प्रदेश में किए गए अन्वेषणात्मक निवेश 2–डी भूकम्पीय के 878 किलोमीटर और एक अन्वेषणात्मक कुंआ थे।

गंगा बेसिन में अन्वेषण के कार्य में तेजी लाने के लिए नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) के अन्तर्गत 6 अन्वेषण ब्लॉक पहले ही दिए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, महानिदेशक हाइड्रोकार्बन ने उत्तराखंड में वायु चुम्बकीय सर्वेक्षण किया है।

अभी तक गंगा बेसिन में कोई वाणिज्यिक हाइड्रोकार्बन भंडार सिद्ध नहीं हुआ है।

नागपुर में वायुयान के रख-रखाव हेतु संयंत्र

272. श्री सुब्रत बोस : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विख्यात विमानन कंपनी बोइंग ने नागपुर में वायुयान के रखरखाव हेतु संयंत्र स्थापित करने संबंधी समझौते को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संयंत्र हेतु अनिवार्य अनुषंगी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करने हेतु आरंभिक प्रबंध किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संयंत्र की स्थापना संबंधी कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) अपनी संविदात्मक दायित्व के एक भाग के रूप में एयर इंडिया द्वारा मैसर्स बोइंग से विमानों की खरीद के लिए एक निर्णय के अनुसरण में, मैसर्स बोइंग ने भारत में नागपुर में अनुरक्षण, मरम्मत और ओवरहाल सुविधा की स्थापना में सहायता की आफर दी है। बोइंग ने भूमि के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं तथा इस संबंध में एयर इंडिया के साथ एक एम आर ओ करार किया है। इस सुविधा के लिए स्थल को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(घ) इस समय इस प्लांट की स्थापना तथा कार्य को पूरा करने के लिए एक निश्चित समय सीमा बताना संभव नहीं होगा।

[हिन्दी]

गुजरात में स्मारक

273. श्री जीवाभाई ए. पटेल :
श्री वी. के. दुग्मर :

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन स्मारकों के रख–रखाव एवं अनुरक्षण पर कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन स्मारकों से सरकार द्वारा कितना राजस्व अर्जित किया गया है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के क्षेत्राधिकार में गुजरात में 202 केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों/स्थलों की विस्तृत सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान संरक्षण, परिरक्षण, रख–रखाव और उनके पर्यावरण संबंधी विकास पर खर्च की गई राशि निम्नानुसार है:–

2003–04	132.53 लाख रुपये
2004–05	150.75 लाख रुपये
2005–06	171.62 लाख रुपये

वर्ष 2006–07 के दौरान जनवरी, 2007 तक 182.08 लाख रुपये खर्च किए गए हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन स्मारकों से अर्जित राजस्व निम्नानुसार है:–

2003–04	19.18 लाख रुपये
2004–05	23.12 लाख रुपये
2005–06	25.35 लाख रुपये
2006–2007 (दिसम्बर, 2006 तक)	20.01 लाख रुपये

विवरण

गुजरात में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के क्षेत्राधिकार में आने वाले केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची

क्रम सं.	स्मारक/स्थल का नाम	स्थान	जिला
1	2	3	4
1.	भद्रकाली मंदिर के पीछे तीन द्वार	अहमदाबाद	अहमदाबाद
2.	भद्रकाली मंदिर के पीछे भद्र द्वार	अहमदाबाद	अहमदाबाद
3.	सीदी सैय्यद की मस्जिद	अहमदाबाद	अहमदाबाद
4.	अहमद शाह की मस्जिद	अहमदाबाद	अहमदाबाद
5.	तीन दरवाजा अथवा त्रिपोलिया गेट	अहमदाबाद	अहमदाबाद
6.	शाह कूपा मस्जिद	अहमदाबाद	अहमदाबाद

1	2	3	4
7.	जामी मस्जिद	अहमदाबाद	अहमदाबाद
8.	अहमद शाह की रानियों के मकबरे	अहमदाबाद	अहमदाबाद
9.	अहमद शाह का मकबरा	अहमदाबाद	अहमदाबाद
10.	पंच कुवा गेट	अहमदाबाद	अहमदाबाद
11.	सारंगपुर में रानी की मस्जिद	अहमदाबाद	अहमदाबाद
12.	मकबरा	अहमदाबाद	अहमदाबाद
13.	ईंटों की मीनारें	अहमदाबाद	अहमदाबाद
14.	सीदी बशीर की मीनार तथा मकबरा (झुका हुआ)	अहमदाबाद	अहमदाबाद
15.	दिल्ली गेट	अहमदाबाद	अहमदाबाद
16.	कुतुब शाह की मस्जिद	अहमदाबाद	अहमदाबाद
17.	दादा हरीर की मस्जिद व मकबरा	अहमदाबाद	अहमदाबाद
18.	दादा बाई हरीर का सीढ़ीदार कुंआ	अहमदाबाद	अहमदाबाद
19.	कालुलपुर द्वार	अहमदाबाद	अहमदाबाद
20.	सारंगपुर द्वार	अहमदाबाद	अहमदाबाद
21.	दरियापुर द्वार	अहमदाबाद	अहमदाबाद
22.	प्रेमाभाई द्वार	अहमदाबाद	अहमदाबाद
23.	माता भवानी का कुंआ	अहमदाबाद	अहमदाबाद
24.	अच्युत बीबी की मस्जिद तथा मकबरा	अहमदाबाद	अहमदाबाद
25.	दरिया खान का मकबरा	अहमदाबाद	अहमदाबाद
26.	मुहाफिज खान की मस्जिद	अहमदाबाद	अहमदाबाद
27.	रानी रूपवती की मस्जिद	अहमदाबाद	अहमदाबाद
28.	शाहपुर काजी मोहम्मद चिश्ती की मस्जिद	अहमदाबाद	अहमदाबाद
29.	सैय्यद उस्मान की मस्जिद तथा मकबरा	अहमदाबाद	अहमदाबाद
30.	शाह आलम का मकबरा तथा इसके आसपास समूह की सभी इमारतें	अहमदाबाद	अहमदाबाद
31.	छोटे पत्थर की मस्जिद (रानी मस्जिद)	अहमदाबाद	अहमदाबाद
32.	आजम खान मौजम्म खान का रौजा	अहमदाबाद	अहमदाबाद
33.	दस्तूर खान की मस्जिद	अहमदाबाद	अहमदाबाद
34.	रानी सीपरी की मस्जिद व मकबरा	अहमदाबाद	अहमदाबाद
35.	एस्टेडिया द्वार	अहमदाबाद	अहमदाबाद

1	2	3	4
36.	मलिक आलम की मस्जिद	अहमदाबाद	अहमदाबाद
37.	रायपुर द्वार	अहमदाबाद	अहमदाबाद
38.	कंकरिया तालाब का प्रवेश मार्ग	अहमदाबाद	अहमदाबाद
39.	बीबीजी की मस्जिद	अहमदाबाद	अहमदाबाद
40.	हैबतखान की मस्जिद	अहमदाबाद	अहमदाबाद
41.	बाबा लौली की मस्जिद	अहमदाबाद	अहमदाबाद
42.	सर्वे सं. 6814 में नवाब सरदार खान की मस्जिद तथा बाहरी द्वार	अहमदाबाद	अहमदाबाद
43.	परिसर सहित नवाब सरदार खान का रौजा जिसकी सी.एस.सं. 6811 है	अहमदाबाद	अहमदाबाद
44.	मीर अबू तुरब का मकबरा	अहमदाबाद	अहमदाबाद
45.	जेठाभाई का सीढ़ीदार कुंआ	ईसांपुर	अहमदाबाद
46.	लघु प्रस्तर मस्जिद (गुमले मस्जिद)	ईसांपुर	अहमदाबाद
47.	मकबरे (कुतुब–ए–आलम)	वटवा	अहमदाबाद
48.	विशाल मस्जिद	सरखेज रोजा	अहमदाबाद
49.	विशाल तालाब, महल तथा अन्तःपुर	सरखेज रोजा	अहमदाबाद
50.	मंडप	सरखेज रोजा	अहमदाबाद
51.	बाबा इशाक तथा बाबा गंज बक्श का रोजा	सरखेज रोजा	अहमदाबाद
52.	बीबी (रानी) राजबाई का मकबरा	सरखेज रोजा	अहमदाबाद
53.	मोहम्मद बेगराह का मकबरा	सरखेज रोजा	अहमदाबाद
54.	शेख अहमद खट्टाऊ गंज बक्श का मकबरा	सरखेज रोजा	अहमदाबाद
55.	जामी मस्जिद	ढोलका	अहमदाबाद
56.	मलाव तालाब	ढोलका	अहमदाबाद
57.	खान मस्जिद	ढोलका	अहमदाबाद
58.	बहलोल खान गाजी की मस्जिद	ढोलका	अहमदाबाद
59.	ध्वस्त इमारत	ढोलका	अहमदाबाद
60.	लोथल स्थित प्राचीन स्थल	सरगवाला	अहमदाबाद
61.	रगुशा पीर की मस्जिद	रनपुर	अहमदाबाद
62.	जामी मस्जिद	मंडल	अहमदाबाद
63.	काजी मस्जिद	मंडल	अहमदाबाद
64.	सैय्यद मस्जिद	मंडल	अहमदाबाद

1	2	3	4
65.	मनसर तालाब तथा वेदियां	वीरमगाम	अहमदाबाद
66.	प्राचीन स्थल गोहिलवाड टिम्बो (टीला)	अमरेली	अमरेली
67.	काशीविश्वनाथ मंदिर की दीवार पर भित्ति चित्र	पडार सिंहा	अमरेली
68.	प्राचीन स्थल	वेनीवडार	अमरेली
69.	सीढ़ीदार कुआं	बोरसाड	आनंद
70.	जामी मस्जिद	खम्भात	आनंद
71.	प्राचीन स्थल/टीला	सिहोर	भावनगर
72.	दरबारगढ़	सिहोर	भावनगर
73.	प्राचीन स्थल/टीला	वाला	भावनगर
74.	जैन मंदिर	तलाजा	भावनगर
75.	तलाजा गुफाएं	तलाजा	भावनगर
76.	जामी मस्जिद	भरूच	भरूच
77.	महादेव का प्राचीन ध्वस्त मंदिर	बाक्का	दाहोद
78.	सिकंदर शाह का मकबरा	हलोल	गोधरा
79.	एक–मीनार–की मस्जिद	हलोल	गोधरा
80.	पंच–महुडा–की मस्जिद	हलोल	गोधरा
81.	मकबरा	हलोल	गोधरा
82.	कुंडलीदार सीढ़ीदार कुआं रास्ते के चारों तरफ 50 फुट जगह के साथ जोकि नजदीकी सड़क से 10 फुट दूर है	चांपानेर	गोधरा
83.	सकर खान की दरगाह	चांपानेर	गोधरा
84.	शहर द्वार	चांपानेर	गोधरा
85.	दुर्ग की दीवारें	चांपानेर	गोधरा
86.	दुर्ग के दक्षिण पूर्वी कोने पर शहर दीवार जोकि पहाड़ी तक जा रही है	चांपानेर	गोधरा
87.	पूर्वी व दक्षिणी भद्र द्वार	चांपानेर	गोधरा
88.	सहर की मस्जिद (बोहरानी)	चांपानेर	गोधरा
89.	तीन प्रकोष्ठ	चांपानेर	गोधरा
90.	मांडवी अथवा कस्टम हाउस	चांपानेर	गोधरा
91.	जामी मस्जिद	चांपानेर	गोधरा
92.	सीढ़ीदार कुआं	चांपानेर	गोधरा

1	2	3	4
93.	केवडा मस्जिद	चांपानेर	गोधरा
94.	मकबरा जिसके मध्य में ईंटों का गुम्बद तथा छोटे कोने में गुम्बद हैं	चांपानेर	गोधरा
95.	केवडा मस्जिद का स्मारक	चांपानेर	गोधरा
96.	नगीना मस्जिद	चांपानेर	गोधरा
97.	नगीना मस्जिद का स्मारक	चांपानेर	गोधरा
98.	लाल गुम्बज	चांपानेर	गोधरा
99.	कबूतरखाना पैवेलियन	चांपानेर	गोधरा
100.	कमानी मस्जिद	चांपानेर	गोधरा
101.	बावा मान की मस्जिद	चांपानेर	गोधरा
102.	द्वार सं. 1 अटक द्वार (दो प्रवेश द्वारों सहित)	पावागढ़ हिल	गोधरा
103.	द्वार सं. 2 (तीन प्रवेशद्वारों सहित बुधिया द्वार)	पावागढ़ हिल	गोधरा
104.	द्वार सं. 3 मोती द्वार सदनशाह द्वार	पावागढ़ हिल	गोधरा
105.	द्वार सं. 4 बड़ी बुर्जी सहित तथा उसके अंदर के कमरे	पावागढ़ हिल	गोधरा
106.	बुर्जियों के दाहिने ओर सीढ़ियों सहित सात मंजिल	पावागढ़ हिल	गोधरा
107.	द्वार सं. 4 के ऊपर टकसाल	पावागढ़ हिल	गोधरा
108.	द्वार सं. 5 गुलान बुलान द्वार	पावागढ़ हिल	गोधरा
109.	द्वार सं. 6 बुलंद दरवाजा	पावागढ़ हिल	गोधरा
110.	मकाई कोठार	पावागढ़ हिल	गोधरा
111.	पटई रावल का महल तथा तालाब	पावागढ़ हिल	गोधरा
112.	द्वार सं. 7 मकई द्वार	पावागढ़ हिल	गोधरा
113.	द्वार सं. 8 तारापोर गेट	पावागढ़ हिल	गोधरा
114.	पावागढ़ का किला तथा पावागढ़ पहाड़ी के शिखर पर ध्वस्त हिन्दू मंदिर तथा जैन मंदिर	पावागढ़ हिल	गोधरा
115.	नवलख कोठार	पावागढ़ हिल	गोधरा
116.	शिखर पर किले की दीवार	पावागढ़ हिल	गोधरा
117.	रुद्र महालय मंदिर	देसर	गोधरा
118.	कंकेश्वर महादेव मंदिर	काकनपुर	गोधरा
119.	मूर्तियों की स्क्रीन के साथ रत्नेश्वर प्राचीन मंदिर	रतनपुर	गोधरा
120.	रुद्राबाई सीढ़ीदार कुआं	अदालज	गांधीनगर

1	2	3	4
121.	दुर्वासा ऋषि का आश्रम तथा उसका स्थल	पिंडारा	जामनगर
122.	कालिका माता मंदिर	नवी धेवाड	जामनगर
123.	गोकेश्वर महादेव मंदिर	लौराली	जामनगर
124.	सर्वे सं. 106 में गांधी गढ़ी तथा मंदिर	ओल्ड ढींक	जामनगर
125.	राम लक्ष्मण का मंदिर	बरादिया	जामनगर
126.	द्वारकाधीश मंदिर समूह तथा इसके बाहरी परिसर अहाते सर्वे सं. 1607, 1608, 1906	द्वारका	जामनगर
127.	क्षत्रप अभिलेख	द्वारका	जामनगर
128.	रुकमिनी मंदिर	द्वारका	जामनगर
129.	धरषनवेल मंदिर मागाडेरु	धरषनवेल	जामनगर
130.	सर्वे सं. 655 में गुहादित्य मंदिर	वरवाडा	जामनगर
131.	जूनागढ़ी (जैन) मंदिर	वसई	जामनगर
132.	कंकेश्वर महादेव मंदिर तथा अन्य पूजा स्थल	वसई	जामनगर
133.	गोप (सूर्य) मंदिर	नानी गोप	जामनगर
134.	अशोक शिलालेख	जूनागढ़	जूनागढ़
135.	बौद्ध गुफा	जूनागढ़	जूनागढ़
136.	बाबा प्यारे, खापरा कोडिया गुफाएं	जूनागढ़	जूनागढ़
137.	प्राचीन टीला	इंतवा	जूनागढ़
138.	जामी मस्जिद	मंगरोल	जूनागढ़
139.	बीबी मस्जिद	मंगरोल	जूनागढ़
140.	रवेली मस्जिद	मंगरोल	जूनागढ़
141.	रणछोड़ रायाजी मंदिर तथा महादेव मंदिर चौक के आसपास पड़ी खाली जमीन	मूल द्वारका	जूनागढ़
142.	विट्ठलभाई हवेली	वास्को	खेडा
143.	भामारिया कुआं	महामदाबाद	खेडा
144.	गल्लेश्वर का मंदिर	सरनाल	खेडा
145.	सैफु–उद्–दीन तथा निजाम–उद्–दीन का मकबरा	सोजाली	खेडा
146.	मुबारक सैय्यद का मकबरा	सोजाली	खेडा
147.	राव लखा छतरी	भुज	कच्छ
148.	शिव मंदिर	कोटई	कच्छ

1	2	3	4
149.	उत्खनित स्थल	सुरकोटडा	कच्छ
150.	मलाई माता मंदिर	पालदार	मेहसाण
151.	हिंगलोजी माता मंदिर	खंडोसान	मेहसाण
152.	सभा मंडप (दोहरे पूजा स्थल) तथा प्राचीन पूजा स्थल	खंडोसान	मेहसाण
153.	जसमलनाथजी महादेव मंदिर	असोदा	मेहसाण
154.	अजपल कुंड	वादनगर	मेहसाण
155.	अभिलेख तथा अर्जुन बारी द्वार	वादनगर	मेहसाण
156.	तोरण	वादनगर	मेहसाण
157.	कुंड	विजापुर	मेहसाण
158.	सूर्य मंदिर, सूर्य कुंड तथा अन्य लगे हुए मंदिर व पड़ी हुई मूर्तियां	मोढेरा	मेहसाण
159.	खान सरोवर का प्रवेशद्वार	पाटन	पाटन
160.	रानी–की–वाव	पाटन	पाटन
161.	सहस्रलिंग तालाब (उत्खनित)	अनावडा	पाटन
162.	शेख फरीद मकबरा	पाटन	पाटन
163.	जामी मस्जिद	सिधपुर	पाटन
164.	रुद्र महालय मंदिर के अवशेष	सिधपुर	पाटन
165.	नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर	सुनाक	पाटन
166.	सिवाई माता मंदिर	सुनाक	पाटन
167.	नीलकंठ महादेव मंदिर	रुहावी	पाटन
168.	संदेरी माता मंदिर में दो छोटे पूजा स्थल	सांदेर	पाटन
169.	सीतामाता मंदिर	पिलुदरा	पाटन
170.	सूर्य प्रतिमा वाला तोरण	पिलुदरा	पाटन
171.	लिम्बोजी माता मंदिर	डेनमाल	पाटन
172.	मकान जहां महात्मा गांधी पैदा हुए थे	सी	पोरबंदर
173.	प्राचीन पार्श्वनाथ मंदिर	वडोदरा	पोरबंदर
174.	गुफाएं	मियानी	राजकोट
175.	सिकंदरशाह का मकबरा	प्रांतजी	साबरकंठा
176.	मंदिर समूह	खेड तथा रोडा	साबरकंठा
177.	दरगाह जिसे ख्वाजा दांना साहेब की रोजा के नाम से जाना जाता है	सूरत	सूरत

1	2	3	4
178.	प्राचीन इंगलिश मकबरे	सूरत	सूरत
179.	ख्वाजा सफर सुलेमानी का मकबरा	सूरत	सूरत
180.	प्राचीन डच तथा अर्मीनियम मकबरे तथा कब्रिस्तान	सूरत	सूरत
181.	सर्वे प्लाट सं. 535 में शामिल प्राचीन स्थल	कामरेज	सूरत
182.	फतेह बुर्ज	ब्यारा	सुरेन्द्रनगर
183.	रनक देवी का मंदिर	वधावन	सुरेन्द्रनगर
184.	प्राचीन टीला	रंगपुर	सुरेन्द्रनगर
185.	सूर्य मंदिर	थानगढ़	सुरेन्द्रनगर
186.	नवलखा मंदिर	सेजकपुर	सुरेन्द्रनगर
187.	गांव में प्राचीन स्थल/टीला (गणेश मंदिर)	सेजकपुर	सुरेन्द्रनगर
188.	दरबारगढ़	हल्वाड	सुरेन्द्रनगर
189.	अनंतेश्वर मंदिर	भादिया अनंदपुर	सुरेन्द्रनगर
190.	भाउ ताम्बेकरवाडा में भित्ति चित्र के कमरे	वड़ोदरा	वड़ोदरा
191.	ऐतिहासिक स्थल सर्वे सं. 431, 435	वड़ोदरा	वड़ोदरा
192.	हजीरा या कुतुबुद्दीन महमद खान का मकबरा	दांतेश्वर	वड़ोदरा
193.	प्राचीन स्थल (उत्खनित)	कायावरोहन	वड़ोदरा
194.	तोरण प्रवेशद्वार	कायावरोहन	वड़ोदरा
195.	समश्यापुर का प्राचीन स्थल	गोराज	वड़ोदरा
196.	वड़ोदरा द्वार तथा उसके आसपास के निर्माण हीरा द्वार सर्वे सं. 38, 41, 45, 47 तथा टिक्का सं. 102 व 103	दभोई	वड़ोदरा
197.	हीरा द्वार सर्वे सं. 38, 41, 45, 47 तथा टिक्का सं. 102 व 103	दभोई	वड़ोदरा
198.	माहुडी (चांपानेरी) द्वार तथा उसके पास के निर्माण	दभोई	वड़ोदरा
199.	नांदोदी द्वार तथा उसके पास के निर्माण	दभोई	वड़ोदरा
200.	सप्तमुखी वाव	दभोई	वड़ोदरा
201.	सूक्ष्म प्रस्तर स्थल सर्वे सं. 311, 12, 13 तथा 298	अमाराजपुरा	वड़ोदरा
202.	प्राचीन स्थल (कोटडा)	धौलाबीरा तहसील – भरूच	भुज

[अनुवाद]

वन्य जीव एवं वन पर्यटन

274. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश में वन्य जीव एवं वन पर्यटन को बढ़ावा देने की व्यापक संभावनाएं विद्यमान हैं;

(ख) यदि हां, तो पर्यटन क्षमता का दोहन करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या गत वर्ष एवं वर्तमान वर्ष के दौरान अब तक केन्द्र सरकार को इन राज्यों में पर्यटन संबंधी अवसंरचना विकसित करने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (घ) वन्यजीव एवं वन पर्यटन सहित देश में पर्यटक रुचि वाले स्थानों/स्थलों का एकीकृत विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। पर्यटन का विकास एवं संवर्धन मुख्यतया राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्वयं किया जाता है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय प्रत्येक वर्ष केन्द्रीय वित्तीय सहायता के अनुदान हेतु प्राथमिकता प्रदान किए गए परियोजनाओं के आधार पर निम्नलिखित योजनाओं के लिए उन्हें निधियां प्रदान करता है:

(i) पर्यटक परिपथ

(ii) उत्पाद अवसंरचना एवं गंतव्य विकास

(iii) भारी राजस्व सृजक परियोजनाएं

परियोजना प्रस्तावों को सौंपे जाने पर योजना दिशा–निर्देशों के अनुसार उनका मूल्यांकन किया जाता है और संबंधित शीर्ष के अधीन उपलब्धता की शर्त पर निधियां जारी की जाती हैं।

मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के राज्यों को 2005–06 और 2006–07 (दिसम्बर, 2006 तक) के दौरान जारी की गई निधियों की स्थिति निम्नानुसार है:

क्रम सं.	राज्य का नाम	2005–06 के दौरान स्वीकृत राशि (लाख रु. में)	2006–07 के दौरान स्वीकृत राशि (लाख रु. में)
1	मध्य प्रदेश	3037.39	3599.78
2	महाराष्ट्र	2075.04	2769.05

कोलकाता और न्यूयार्क के बीच सीधी उड़ानें

275. श्री हितेन बर्मन : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया कोलकाता एवं न्यूयार्क के बीच सीधी उड़ानें आरंभ करने वाली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) एयर इंडिया द्वारा इस मार्ग पर और अधिक संख्या में यात्रियों को किस प्रकार आकर्षित करने और अन्य विमान कंपनियों से किस प्रकार प्रतिस्पर्धा किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) कोलकाता सहित विभिन्न शहरों से नई सेवाओं के प्रचालन के लिए आवश्यकता की एयर इंडिया द्वारा नियमित रूप से संवीक्षा, मांग और विमानों की उपलब्धता को ध्यान में रखकर की जाती है। इस समय कोलकाता से न्यूयार्क के लिए अविराम सेवाएं प्रचालित करने की कोई योजना नहीं है।

(घ) एयर इंडिया के कोलकाता और न्यूयार्क के बीच बहुत आकर्षक मार्केट किराए हैं। ऐसा विशेष रूप से कोलकाता–दिल्ली/मुम्बई–कोलकाता सैक्टरों पर घरेलू विमान कंपनियों के साथ यथानुपात प्रबन्धों के कारण हो सका है जिससे यात्रियों को न्यूयार्क और मुम्बई/दिल्ली के बीच एयर इंडिया की सीधी विमान सेवा से जोड़ने में मदद करती है।

पर्यटन पर आतंकवादी गतिविधियों का प्रभाव

276. श्री मणी कुमार सुब्बा : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम एवं उत्तर पूर्व में हिंसक एवं उग्रवादी अभियानों के कारण इस क्षेत्र में पर्यटन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत छह माह के दौरान इन स्थानों पर कितने पर्यटक आए एवं पूर्ववर्ती तीन वर्षों के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (ग) हिंसक एवं उग्रवादी घटनाओं से पर्यटन पर तुरन्त और स्थानिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है किन्तु तात्कालिक प्रभाव समाप्त होने के बाद पर्यटक पुनः आते हैं, जैसाकि वर्ष 2003–2004 और 2005 के दौरान पूर्वोत्तर में पर्यटक आगमनों के निम्नलिखित आंकड़ों से प्रतीत होता है:–

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पर्यटक आगमन		
	2003	2004	2005
1	2	3	4
असम	2163285	2295378	2478434
मेघालय	378257	445902	381000
मणिपुर	93180	93725	94615
मिजोरम	35408	38924	44988

1	2	3	4
त्रिपुरा	260527	264078	219007
नागालैंड	6348	11140	18353
अरूणाचल प्रदेश	2318	5009	3294
सिक्किम	191627	245365	268267
कुल उत्तर पूर्व	3130950	3399521	3507958

पूर्वोत्तर में पर्यटक आगमनों के पिछले 6 महीनों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

[हिन्दी]

रसोई गैस वितरकों के विरुद्ध शिकायतें

277. श्री हरिकेवल प्रसाद : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के प्रत्येक राज्य में विशेषकर उत्तर प्रदेश में रसोई गैस के वितरकों की संख्या कितनी है और कंपनी–वार एवं स्थान–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान देश के प्रत्येक राज्य में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में इन वितरकों के विरुद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कितने वितरकों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं और इन शिकायतों के आधार पर कितने वितरण अधिकार रद्द किए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) 1.1.2007 की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएनसीज़) देश में 9344 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें प्रचालनरत थी जिनमें उत्तर प्रदेश राज्य में 1159 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें सम्मिलित हैं। कंपनीवार और स्थानवार एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें संबंधित तेल विपणन कंपनियों के निदेशक (विपणन) के पास उपलब्ध हैं।

(ख) और (ग) 1.4.2003 से और जनवरी, 2007 तक ओएमसीज़ को देश में अपने एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों के विरुद्ध 4431 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उपर्युक्त में से 606 शिकायतें उत्तर प्रदेश राज्य एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों से संबंधित हैं।

इस प्रकार पिछले वर्षों के दौरान और जनवरी 2007 तक ओएमसीज के 2381 एन पी जी डिस्ट्रीब्यूटरों के विरूद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उपर्युक्त में से 238 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर उत्तर प्रदेश से संबंधित है। दोषी डिस्ट्रीब्यूटरों के विरुद्ध विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों (एमडीजी)/डिस्ट्रीब्यूटरशिप करार के अनुसार कार्रवाई की गई है। 1.4.2003 से जनवरी, 2007 की अवधि के दौरान ओएमसीज़ ने देश में 34 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को समाप्त कर दिया है जिनमें उत्तर प्रदेश राज्य में 3 सम्मिलित हैं।

[अनुवाद]

विदेशों में भारतीय रेस्तरां

278. श्री नवीन जिन्दल : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम को विदेशों में भारतीय रेस्तरां खोलने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में किसी योजना को अंतिम रूप दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश के अन्दर आतिथ्य उद्यमों में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) देश में आतिथ्य उद्यमों में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :–

(i) न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय मानक स्तर बनाए रखने के लिए भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में मरम्मत, रख–रखाव और नवीकरण कार्य आन्तरिक रूप से उत्पादित धनराशियों के माध्यम से किया जाता है।

(ii) भारत पर्यटन विकस निगम वित्तीय संस्थानों/बैंकों से उधार लेकर मार्केट के माध्यम से नवीकरण योजना के लिए भी धन लगाता है।

(iii) होटलों को और अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए नई सेवाएं/सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

(iv) भारत पर्यटन विकास निगम ने दिल्ली स्थिति होटलों में रेस्तराओं, शोरूम, स्वास्थ्य केन्द्रों आदि को लाइसेंस के आधार पर निजी पार्टियों को पट्टे पर देकर उनके संचालन में निजी भागीदारी को भी मंजूरी प्रदान की है।

जन केरोसिन परियोजना

279. श्री पी. मोहन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जन केरोसिन परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस योजना का कुछ और क्षेत्रों में विस्तार करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (ग) सरकार ने पीडीएस मिट्टी तेल वितरण नेटवर्क को मूलतः बदलने के लिए एक नवीन मार्गदर्शी परियोजना अनुमोदित की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह अत्यधिक राजसहायता प्राप्त उत्पाद लक्षित लाभार्थियों को राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर वांछित मात्रा में वस्तुतः उपलब्ध कराया जाता है साथ ही पीडीएस मिट्टी तेल में मिलावट को रोका जाता है और अन्ततः समाप्त किया जाता है। जन केरोसिन परियोजना (जेकेपी) के नाम से यह प्रयोगिक परियोजना 2 अक्टूबर, 2005 से शुरू में 6 माह की अवधि के लिए चलाई गई थी। सरकार समय–समय पर जेकेपी की समीक्षा करती रही है और इस प्रणाली को सुव्यवस्थित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर रही है। जेकेपी प्रायोगिक परियोजना देश के 24 राज्यों में फैले 414 ब्लॉकों में चलाई गई है। तथापि, गुजरात और राजस्थान की राज्य सरकारों ने क्रमशः 1.7.2006 और 1.10.2006 से राज्यों में जेकेपी प्रायोगिक परियोजना के कार्यान्वयन को जारी नहीं रखने का निर्णय लिया है।

राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद् द्वारा किए गए गहन अध्ययन और सरकार द्वारा की गई समीक्षा के आधार पर इस प्रायोगिक परियोजना को प्रारंभ में 3 माह के लिए 30 जून, 2006 तक और दोबारा 30 सितम्बर, 2006 तक बढ़ाया गया था। इसे अब आगे 30 जून, 2007 तक बढ़ाया गया है। इसके बाद इस योजना के कार्य का मूल्यांकन किया जाएगा और प्राप्त अनुभवों के आधार पर, सरकार इस योजना को पूरे देश में लागू करने पर विचार करेगी।

रेलवे की चालू परियोजनाएं

280. श्री के.सी. पल्लानी शामी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात और सीमेंट के मूल्यों में बार–बार हो रही वृद्धि से देश में चालू एवं लंबित रेल परियोजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और वे लक्ष्य प्राप्ति में असफलता का प्रमुख कारण है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने इस स्थिति से निपटने हेतु कोई उपचारात्मक उपाय किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) इस्पात तथा सीमेंट की कीमतों में होने वाली असाधारण वृद्धि से सामान्यतः परियोजनाओं की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कुछ मामलों में, यह ठेका रद्द होने का कारण भी बन जाता है जिससे लक्ष्य प्रभावित होते हैं।

(ग) और (घ) कीमतों में होने वाली कमीबेशी को शामिल करते हुए कीमत कमीबेशी फार्मूला में समुचित आशोधन किया गया है ताकि अलग–अलग उप समूहों के थोक कीमत सूचकांक के संबंध में इस्पात एवं सीमेंट की कीमतों में होने वाली कमीबेशी को भी समाहित किया जा सके।

रेलवे में जन सुविधाएं

281. श्री बची सिंह रावत 'बचदा' : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे पर्यावरण अनुकूल शौचालयों को शुरू करने पर विचार कर रही है जिससे रेलवे की पटरियों पर अपशिष्ट न गिरे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे शौचालयों पर संभावित व्यय कितना है तथा इनको कब तक लगाए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय रेल द्वारा यात्री सवारी डिब्बों के लिए पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल शौचालय विकसित करने/प्राप्त करने की प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा, देश में ही इस प्रकार के शौचालय विकसित करने, बड़े पैमाने पर इनका इस्तेमाल करने के पूर्व फील्ड अनुभव के लिए इस प्रकार के शौचालयों के कम संख्या में हासिल करने के संबंध में भी कार्रवाई की जा रही है। इस समय, लगभग 3 करोड़ रु. की लागत पर हाल ही में इस प्रकार के 80 अदद शौचालयों के लिए एक आर्डर पेश किया गया है। अन्य खरीद प्रक्रिया भी जारी है। कम मात्रा में खरीदे जा रहे शौचालयों के फील्ड परीक्षणों के दौरान प्राप्त किए गए अनुभव के आधार पर बड़े पैमाने पर इस प्रकार के शौचालयों की फिटमेंट के लिए समय सीमा का निर्धारण किया जाएगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विमानपत्तनों पर सुरक्षा व्यवस्था संबंधी समिति

282. श्री तुकाराम गंगाधर गदाख : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा विमानन क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था और वित्तीय संवृद्धि के लिए क्या प्रभावी उपाय किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में किसी समिति का गठन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) निर्धारित सुरक्षा प्रबंध, जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ पहले से विद्यमान यात्रियों, केबिन बैगेज, होल्ड बैगेज, कार्गो, डाक की सुरक्षा भौतिक सुरक्षा जैसे पैरामीटरों की सुरक्षा, हवाई अड्डों में प्रवेश नियंत्रण तथा विमान के लिए प्रवेश नियंत्रण शामिल है। इसके अतिरिक्त खतरे की संभावना की समय–समय पर समीक्षा की जाती है। आतंकी गुटों की ओर से नागर विमानन को किसी धमकी के प्राप्त होने पर हवाई अड्डों पर सुरक्षा प्रबंधों को अधिक सुरक्षा जांचों लेंडर प्वाइंट पर द्वितीय सुरक्षा जांचे आरम्भ करके गहन निगरानी के जरिए उपयुक्त रूप से सुदृढ़ किया जाता है। विमानन सेक्टर में वित्तीय वृद्धि को प्रमोट करने के प्रयोजन से, सरकार ने घरेलू अनुसूचित प्रचालकों द्वारा प्रचालित किए जा रहे 80 सीटों तक की बैठने की क्षमता वाले विमानों के लिए हवाई अड्डा प्रभारों में रियायत प्रदान करने जैसे उपाय किए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

सेना में महिलाओं की भर्ती

283. श्री राजनरायन बुधौलिया : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश की विशेषकर उत्तर प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं को सेना में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) और (ख) सरकार किसी राज्य अथवा क्षेत्र का विचार किए बिना पात्र महिलाओं को अधिकारी के रूप में सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करती है। सेना में भर्ती सभी भारतीय महिलाओं के लिए है और यह ग्रामीण या शहरी इलाकों अथवा क्षेत्रों तक सीमित नहीं है।

विदेशी पर्यटक

284. श्रीमती करूणा शुक्ला : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रति वर्ष भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की औसत संख्या कितनी है और गत वर्ष की तुलना में उनकी संख्या में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है;

(ख) प्रति वर्ष भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों का देश–वार ब्यौरा क्या है और भारत में किसी देश से सर्वाधिक संख्या में पर्यटक आते हैं; और

(ग) विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) वर्ष 2006 के दौरान भारत में विदेशी पर्यटक आगमन की संख्या का प्रारंभिक अनुमान 4.43 मिलियन है जो कि 2005 के दौरान 3.92 मिलियन के संगत आंकड़े की तुलना में 13.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

(ख) वर्ष 2005 के दौरान सर्वोच्च 10 देशों से भारत में विदेशी पर्यटक आगमनों की संख्या नीचे दी गई है:–

क्रम सं.	देश	पर्यटक आगमन
1.	यू.के.	651083
2.	यू.एस.ए.	611165
3.	कनाडा	157643
4.	फ्रांस	152258
5.	श्रीलंका	136400
6.	जर्मनी	120243
7.	जापान	103082
8.	मलेशिया	96276
9.	आस्ट्रेलिया	96258
10.	इटली	67642

(ग) भारत में और अधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए, सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:–

- पर्यटक परिपथों और गंतव्यों की अवसंरचना विकास की अपनी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पर्यटक स्थलों का विकास करना;
- होटल अवसंरचना, विशेषतया बजट होटलों, की वृद्धि पर ध्यान देना;
- प्रमुख पर्यटक आकर्षणों के लिए एयर क्षमता में वृद्धि करने और सड़क अवसंरचना में सुधार करने के माध्यम से संपर्क बेहतर करना;
- 'इन्क्रेडिबल इंडिया' अभियान द्वारा इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से ग्राहकों तक सीधी पहुंच बनाना;

- विश्व स्तर की प्रचार सामग्री का सृजन करना;
- विदेशों में एयरलाइनों, टूअर ऑपरेटरों तथा थोक विक्रेताओं के साथ मिलकर प्रत्यक्ष सहकारी मार्केटिंग करना;
- उभरते बाजारों, विशेषतया चीन, पूर्वोत्तर एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देना;
- व्यापार मेलों एवं प्रदर्शनियों में भाग लेना;
- सम्पादकीय जनसम्पर्क तथा प्रचार को अधिकतम करना;
- इंटरनेट एवं वेब मार्केटिंग का प्रयोग करना;
- पर्यटक संबंधी प्रकाशनों का सृजन करना; और
- विभिन्न पर्यटन उत्पादों पर स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए, मीडिया कार्मिकों और टूअर ऑपरेटरों को भारत की सुपरिचितिकरण यात्रा पर आमंत्रित करने के लिए, आतिथ्य कार्यक्रम को पुनः प्रवर्तित करना, जिसमें एयर पैसेज प्रदान करना भी शामिल होगा।

राजकोट एक्सप्रेस का रीवा तक विस्तार

285. श्री गणेश सिंह : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर मंडल के अंतर्गत रीवा रेलवे स्टेशन पर वाशिंग पिट को चालू कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में वाशिंग पिट में कितनी रेलगाड़ियों का रख–रखाव किया जा रहा है;

(ग) क्या अब राजकोट एक्सप्रेस का विस्तार रीवा तक करने के लिए कोई व्यवहार्यता अध्ययन किया गया है जबकि वहां वाशिंग पिट चालू कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां।

(ख) रीवा की धुलाई गर्त में गाड़ी सं. 1509/1510 रीवा–बिलासपुर घिरमिरी पैसेंजर का अनुरक्षण किया जाता है।

(ग) और (घ) 1463/1464–1465/1466 वेरावल–राजकोट–जबलपुर एक्सप्रेस को रीवा तक चलाने के मामले की जांच की गई, लेकिन फिलहाल इसे व्यावहारिक नहीं पाया गया।

[अनुवाद]

दिल्ली विमानपत्तन पर विमानों का उतरना और उड़ान भरना

286. श्री जी. करूणाकर रेड्डी : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विमानपत्तन पर स्थान की कमी के कारण विमानों को उड़ान भरने के लिए एक घंटे तक इंतजार करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या निकट भविष्य में रनवे स्थान की कमी को पूरा करने के लिए सरकार की कोई योजना है;

(ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) दिल्ली में वायु यातायात में प्रत्याशित वृद्धि से निपटने में किस सीमा तक सक्षम रहा है; और

(घ) दिल्ली में विमानों के उतरने और उड़ान भरने के लिए स्थान की मांग को पूरा करने के लिए क्या तात्कालिक कदम उठाए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) कुछ उड़ानों में विलम्ब खराब मौसम (कोहरा, आंधी, तूफान आदि) की अवधि तथा व्यस्ततम यातायात अवधि के दौरान और उड़ानों की भीड़भाड़ की वजह से होते हैं।

(ग) और (घ) दो रनवे प्रचालनों की अवधि के दौरान दिल्ली हवाई अड्डे पर एक घंटे में औसतन लगभग 35–40 विमान लैंड अथवा टेक–आफ करते हैं। बढ़े हुए यातायात को संभालने के लिए दोनों रनवे का इस्तेमाल करके नई प्रक्रियाएं क्रियान्वित की गई हैं। कुहरे के मौसम में भूमि पर यातायात स्थितियों को भांपने के लिए नियंत्रकों द्वारा भूतल आवागमन दिशानिर्देश एवं नियंत्रण प्रणाली (एस एम जी सी एस) का इस्तेमाल किया जाता है। बढ़ते हुए यातायात की मांग को पूरा करने के लिए नए रनवे, अतिरिक्त टैक्सी वे तथा पार्किंग वे के निर्माण के लिए कार्रवाई आरम्भ की गई है।

वातानुकूलित थ्री टीयर कोचों का पुनः अभिकल्पन

287. श्री मिलिन्द देवरा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे सामान्य रेलगाड़ियों के वातानुकूलित थ्री टीयर कोचों का पुनः अभिकल्पन करने और इसकी सवारियों को ले जाने की क्षमता बढ़ाने के प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त प्रस्ताव से कुल कितना राजस्व अर्जित होने की संभावना है; और

(घ) यह प्रस्ताव कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी, हां। 81 यात्रियों को ढोने की संवर्द्धित क्षमता वाले वातानुकूल 3–टियर कोच के एक नए अभिकल्प और रूपरेखा को अंतिम रूप दिया गया है।

एक प्रोटोटाइप कोच का निर्माण किया गया है और इस समय इसके वैधीकरण परीक्षण किए जा रहे हैं।

(ग) इस प्रस्ताव से संभावित राजस्व अर्जन का अनुमान लगाना व्यावहारिक नहीं है।

(घ) इस प्रकार के सवारी डिब्बों का उत्पादन 2007–08 के दौरान शुरू कर दिया जाएगा बशर्ते कि परीक्षणों में अभिकल्प प्रमाणित हो जाएं।

केरल में रक्षा उत्पादन पार्क

288. श्री पी.सी. थामस : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केरल में रक्षा उत्पादन पार्क की स्थापना करने के लिए एक परियोजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) केरल स्थित उन कारखानों का ब्यौरा क्या है जो रक्षा इकाइयों और रक्षा कारखानों के लिए उत्पादों की आपूर्ति कर रहे हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह) : (क) और (ख) केरल सरकार के उद्योग मंत्री ने केरल राज्य में एक रक्षा उत्पादन पार्क स्थापित करने के लिए विभिन्न रक्षा संगठनों से अनुरोध किया है ताकि उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में विनिर्माण के लिए उपयुक्त परियोजनाओं का पता लगाया जा सके। देश में एक रक्षा उत्पादन पार्क स्थापित करने के लिए इस समय कोई योजना नहीं है।

(ग) केरल में गुणता, आश्वासन महानिदेशालय, रक्षा मंत्रालय में पंजीकृत रक्षा उत्पादों की आपूर्तिकर्ता निर्माणियों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

केरल में निर्माणियों की सूची

क्र.सं.	निर्माणी का नाम और पता
1	2
1.	अपोलो टायर्स लिमिटेड, पेराम्ब्रा, त्रिचूर–680689
2.	केलट्रॉन केलट्रॉन इक्विपमेंट कम्पलेक्स, कराकुलम–695564
3.	वेस्टर्न इण्डिया प्लाइवुड लिमिटेड, मिलरोड, बलियापाटम, कण्णनूर
4.	सी आई आई गुराडियन इन्टरनेशनल लिमिटेड, 131, पनमपिल्ली नगर, कोचीन–682036
5.	एफ सी आई ओ ई एन कनेक्टर्स लिमिटेड, पोस्टबॉक्स–1958, थेक्कोडम, वायतला, कोच्चि–682019
6.	गार्डियन कंट्रोल्स लिमिटेड, 131, पनमपिल्ली नगर, कोचीन, 682036
7.	केलट्रॉन कंट्रोल्स लिमिटेड, पोस्ट ऑफिस येयूर, अलाप्पूझा–688534
8.	ओ ई एन इण्डिया लिमिटेड, वायत्तिला, पोस्टबॉक्स संख्या–1952, कोचीन–682019
9.	हिंदुस्तान फर्नेसेज (प्रा.) लिमिटेड, शोरनूर रोड़ (पोस्टऑफिस) विय्युर त्रिचूर
10.	जे.के. रबड़ प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल इस्टेट, पो.ओ. बल्ला वाया–आनंदाश्रम, कन्हानगड
11.	स्टील एण्ड इंडस्ट्रियल फोर्जिंग्स लिमिटेड, अतानी पोस्ट, त्रिचूर–680771
12.	वज्र रबड़ प्रोडक्ट्स लिमिटेड, XII/371–ए, पायंगोड, कोनाथुकुन्नु (पो.ओ.) त्रिचूर, जिला–680123

[हिन्दी]

नासिक में फ्लाईओवर

289. श्री देविदास पिंगले : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग के पास नासिक जिले में फ्लाई ओवर के निर्माण का कोई प्रस्ताव लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं। रेलवे के पास लागत में भागीदारी के आधार पर ऊपरी सड़क पुल के निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। बहरहाल, बी ओ टी (निर्माण, परिचालन और हस्तांतरण) योजना के आधार पर 7 निर्माण कार्य प्रगति पर हैं।

(ख) और (ग) बीटीओ निर्माण कार्य और उनकी स्थिति इस प्रकार है:–

क्रम सं.	ऊपरी सड़क पुल का नाम	स्थान	शर्त	टिप्पणी
1.	इगतपुरी–भुसावल खंड पर समपार सं. 99–बी के बदले निफद आर ओ बी	किमी. 218/8–9	लागत में भागीदारी	सामान्य व्यवस्था आरेखण (जीडी) अनुमोदित कर दिया गया है। राज्य सरकार से बीओटी के आधार पर पूरे कार्य को ुरू करने का अनुरोध किया गया है।
2.	इगतपुरी–भुसावल खंड पर बोरतेम्बे ऊपरी सड़क पुल	किमी. 139/6–7	बीओटी	सामान्य व्यवस्था आरेखण (जीएडी) के अनुमोदन की प्रक्रिया चल रही है।

[अनुवाद]

लंबित एल.ओ.आई. धारकों को खुदरा बिक्री केन्द्रों का आबंटन

290. श्री अधीर चौधरी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल कंपनियां विज्ञापन के अनुरूप कार्पस फंड स्कीम के लंबित एल.ओ.आई. धारकों को आबंटित किए जाने हेतु खुदरा बिक्री केन्द्रों के विकास के लिए नए स्थलों को खरीदने के अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप ऐसे लंबित एल.ओ. आई. धारक परेशान हो रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तेल कंपनियों द्वारा स्थलों की खरीद कब तक किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) मौजूदा नीति के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज़) से अपेक्षा है कि वे उपयुक्त स्थल प्राप्त करें तथा संग्रह निधि योजना के तहत, अपने खर्चे पर सभी बुनियादी सुविधाओं के साथ आशय पत्र धारकों को तैयार खुदरा बिक्री केन्द्र उपलब्ध कराएं। इस योजना के तहत खुदरा बिक्री केन्द्र की स्थापना के लिए भूमि प्राप्त करने हेतु, ओएमसीज़ राज्य सरकारों तथा भू–स्वामित्व प्राधिकारियों को आवेदन करती हैं ताकि विज्ञापित क्षेत्र में उपयुक्त भूमि का प्लाट उपलब्ध कराया जा सके। तत्पश्चात् प्राधिकारियों के साथ नियमित अनुवर्ती बातचीत की जाती है। इसके साथ ही, यदि सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं है, तो भूमि प्राप्ति में विलंब से बचने के लिए निजी पक्षकारों से भूमि प्रापण के लिए समाचार–पत्रों में विज्ञापन देने के कदम उठाए जाते हैं। यदि विज्ञापन के प्रत्युत्तर में कोई प्रस्ताव नहीं मिलता तो नियमित अंतरालों पर विज्ञापन देने की प्रक्रिया दोहराई जाती है। इसके अलावा, लंबित आशय–पत्र धारकों के समक्ष आने वाली कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय के दिनांक 06 सितम्बर, 2006 के पत्र द्वारा अस्थायी कंपनी–स्वामित्व–कंपनी–प्रचालित (कोको) खुदरा बिक्री केन्द्रों के प्रचालन के लिए मुख्य दिशा–निर्देश जारी किए थे। इन व्यापक दिशा–निर्देशों के अनुसार, अस्थायी कोको खुदरा बिक्री केन्द्र विशेष योजना (आपरेशन विजय–कारगिल), विवेकाधीन कोटा योजना, संग्रह निधि योजना तथा उसी क्रम में अन्य श्रेणियों के तहत आशय–पत्र धारकों को सौंपे जा सकते हैं।

(ग) और (घ) चूंकि खुदरा बिक्री केन्द्रों की स्थापना के लिए भूमि प्रापण की प्रक्रिया एक गहन प्रक्रिया है, इसलिए एक निश्चित समय–सीमा निर्दिष्ट नहीं की जा सकती है।

सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण तथा संवर्धन

291. श्री रायापति सांबासिवा राव :
श्री हरिसिंह चावड़ा :
श्री जीवाभाई ए. पटेल :
श्री थावरचन्द गेहलोत :

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश की सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण और विकास हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान देश के दूर–दराज के क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति का प्रसार करने में नए तरीके ढूंढने के संबंध में सरकार द्वारा क्या उपलब्धि हासिल की गई है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्यों को आबंटित धनराशि का राज्य–वार ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) संस्कृति मंत्रालय ने देश की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण/संरक्षण के लिए कई स्कीमें तैयार की हैं, जिनके लिए अनुदान गैर–सरकारी

संगठनों को दिया जाता है। इन स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु कोई भी अनुदान राज्यों को सीधे जारी नहीं किया जाता है।

(ख) मंत्रालय, अपनी तथा स्वायत्त संगठनों तथा संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों की स्कीमों के माध्यम से देश के दूर-दराज के क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति का प्रसार कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के अनेक व्यक्तियों तथा स्वैच्छिक संगठनों ने वित्तीय सहायता की विभिन्न स्कीमों से लाभ उठाया है।

(ग) उपर्युक्त (क) में उल्लिखित कारणों की वजह से प्रश्न नहीं उठता।

विमान कंपनियों में प्रतिस्पर्धा

292. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की विमान कंपनियों के बीच जबरदस्त प्रतिस्पर्धा है;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए भविष्य हेतु एक कार्पोरेट विजन तथा सुदृढ़ मध्यस्तरीय प्रबंध रणनीति तैयार करने की सरकार की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) वर्ष 2005 तथा 2006 के दौरान 6 नई अनुसूचित एयरलाइनों ने अपने प्रचालन आरम्भ किए तथा कुल मिलाकर 136 विमानों के आयात के लिए अनुसूचित एयरलाइनों को अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रदान किया गया जिसके परिणामस्वरूप एयरलाइन प्रचालकों के बीच उच्चतर प्रतिस्पर्धा हुई है। नई अनुसूचित निजी एयरलाइनों के प्रवेश से घरेलू यात्री यातायात वर्ष 2004 में 17.7 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2006 में 32.2 मिलियन हो गया है।

(ख) और (ग) प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए सरकार के स्वामित्व वाली एयरलाइनों एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स के पास अपनी निगमित दृष्टि और रणनीति है। निजी एयरलाइनें अपनी स्वयं की प्रबंधन रणनीतियां तथा व्यावसायिक योजनाएं बनाने के लिए स्वतंत्र हैं।

[हिन्दी]

पेट्रोल पंपों के आबंटन को रद्द किया जाना

293. श्री जे.एम. आरून रशीद :
श्री शिशुपाल एन. पटले :
डा. राजेश मिश्रा :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री अनवर हुसैन :
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव :
प्रो. महादेवराव शिवनकर :
श्री अवतार सिंह भडाना :
श्री सज्जन कुमार :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एन.डी.ए. शासनकाल के दौरान पेट्रोल पंपों और तेल के डिपो आबंटन को रद्द करने के उच्चतम न्यायालय के आदेश पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ख) रद्द किए गए ऐसे आबंटनों की संख्या कितनी है और इनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज़) को इस मामले के संबंध में उच्चतम न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करने की सलाह दी है।

(ख) उच्चतम न्यायालय ने पूरे देश के विभिन्न राज्यों में खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप/एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप/एसकेओ-एलडीओ डीलरशिपों के 147 मामलों में तत्कालीन डीलर चयर बोर्डों (डीएसबीज़) द्वारा किए गए चयन को रद्द करने के दो न्यायाधीशों वाली समिति की सिफारिश का अभी तक संवर्धन किया है।

समर्पित मालढुलाई गलियारा परियोजना

294. श्री गिरधारी लाल भार्गव :
श्री ई.जी. सुगावनम :
श्री रशीद मसूद :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी और पश्चिमी समर्पित मालढुलाई गलियारा परियोजनाओं के निर्माण के लिए किन-किन मार्गों को अनुमोदित किया गया है;

(ख) इन समर्पित मालढुलाई गलियारा परियोजनाओं के विकास में अभी तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निर्धारित समय-सीमा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) पूर्वी समर्पित रेल माल यातायात गलियारा परियोजना पंजाब में लुधियाना से शुरू होकर सोननगर में समाप्त होगी। कोलकाता क्षेत्र में प्रस्तावित डीप सी पोर्ट पर माल यातायात में वृद्धि की संभाव्यता को ध्यान में रखते हुए इस मार्ग को डीप सी पोर्ट तक बढ़ाया जाएगा। पश्चिमी समर्पित माल यातायात गलियारा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से शुरू होगा और वडोदरा, अहमदाबाद, पालनपुर और रेवाड़ी के रास्ते तुगलकाबाद/दादरी तक जाएगा।

इस परियोजना को निष्पादित करने के लिए भारतीय समर्पित माल यातायात गलियारा निगम लि. (डी एफ सी सी आई एल) नामक सार्वजनिक क्षेत्र के एक नए उपक्रम की स्थापना की गई है। मौजूदा अनुमान के अनुसार इन परियोजनाओं का कार्य परियोजना का निर्माण कार्य शुरू होने के उपरांत लगभग 5 वर्ष में पूरा हो जाएगा।

सी.एन.जी. सुविधाएं

295. श्री शिशुपाल एन. पटले :
श्री अबु अयीश मंडल :
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव :
श्री जी. करुणाकर रेड्डी :
श्री नवीन जिन्दल :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में देश के विभिन्न शहरों में चल रहे संपीडित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) फिलिंग स्टेशनों की शहर–वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने देशभर में सी.एन.जी. का उत्पादन और विपणन करने के लिए निजी और संयुक्त उद्यमों के लिए कोई योजना बनाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को राज्य सरकारों से अपने राज्यों में सी. एन.जी. सुविधाएं प्रदान करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) वर्ष 2007–2008 के दौरान किन–किन शहरों में सी. एन.जी. फिलिंग स्टेशन खोले जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) विभिन्न कंपनियों द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, देश के विभिन्न नगरों में प्रचालनरत सीएनजी केन्द्रों की संख्या निम्नानुसार है:–

नगरों का नाम	सीएनजी भराई केन्द्रों की संख्या
1	2
मुंबई	115
थाणे	6
मीरा–भयन्दर	2
दिल्ली	145
नोएडा	1
विजयवाड़ा	5
हैदराबाद	1
कानपुर	4
लखनऊ	4
आगरा	1
अगरतला	1
अहमदाबाद	64
अंकलेश्वर	1
भरूच	1
सूरत	20
वड़ोदरा	3
गांधीनगर	1
हजीरा	1
आज की तारीख तक योग	376

(ख) और (ग) पूरे देश में प्राकृतिक गैस ट्रंक पाइपलाइन और नगर/स्थानीय प्राकृतिक गैस नेटवर्क बिछाने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र से निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 'पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियमन बोर्ड अधिनियम, 2006' अधिनियमित भूमि है और प्राकृहितक गैस पाइपलाइनों और नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्कों के विकास के लिए नीति अधि ासूचित की है। नगर गैस वितरण प्रणालियों को लागू करने के लिए गेल और तेल विपणन कंपनियों ने निम्नलिखित संयुक्त उद्यम कंपनियों का गठन किया है:–

- मुंबई में मैसर्स महानगर गैस लिमिटेड (एमजीएल)
- दिल्ली में मैसर्स इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल)
- आंध्र प्रदेश राज्य में मैसर्स भाग्यनगर गैस लिमिटेड (बीजीएल)
- कानपुर में मैसर्स सेन्ट्रल यूपी गैस लिमिटेड (सीयूजीएल)
- लखनऊ और आगरा में ग्रीन गैस लिमिटेड (जीजीएल)
- मुंबई को छोड़कर महाराष्ट्र राज्य में महानगर नेचुरल गैस लिमिटेड (एमएनजीएल)
- मध्य प्रदेश राज्य में अवन्तिका गैस लिमिटेड (एजीएल)

(घ) और (ङ) सरकार को कतिपय राज्य सरकारों से राज्यों में सीएनजी का विस्तार करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं। जैसा कि भाग (क) के उत्तर में बताया गया है, बड़ी संख्या में सीएनजी केन्द्र कई नगरों में खोले गए हैं। गेल (इंडिया) लिमिटेड और तेल विपणन कंपनियों ने नगर गैस वितरण नेटवर्कों का कार्यान्वयन करने के लिए कई संयुक्त उद्यम कंपनियों का गठन किया है। सीएनजी सुविधाएं प्रदान करना गैस की उपलब्धता, आवश्यक आधारभूत सुविधाओं की स्थापना और आर्थिक व्यवहार्यता पर निर्भर करता है।

(च) विभिन्न कंपनियों द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार सीएनजी स्टेशन 2007–2008 में इन्दोर, पुणे, राजकोट, फरीदाबाद, राजामुन्दरी, तिरूपति, विशाखापत्तनम, देगस, वापी, वलसाड, मेहसाणा, आनन्द, बिलिमोरा, नाडियाड, मेहसाणा, कलोल, हिम्मतनगर, सुरेन्द्रनगर, वधवान, लिमडी और मोरबी नगरों में खोलने की संभावना है।

[अनुवाद]

भुवनेश्वर स्थित उदयगिरि गुफाओं में ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शनी

296. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भुवनेश्वर में उदयगिरि गुफाओं में ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शनियां आयोजित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उदयगिरि गुफाओं में ऐसी प्रदर्शनियों के कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (ग) जी, हां। संस्कृति विभाग ने भुवनेश्वर में उदयगिरि गुफाओं में ध्वनि और प्रकाश शो शुरू करने के लिए डिपॉजिट कार्य के रूप में भारतीय पर्यटन विकास निगम को वर्ष 2002 में 125.00 लाख रुपये स्वीकृत और रिलीज़ किए हैं। कार्य का निष्पादन प्रगति पर है और सिविल कार्य लगभग पूरा होने को है। शो के लिए आलेख को अन्तिम रूप दे दिया गया है और ध्वनि और प्रकाश शो के शीघ्र ही शुरु कर दिए जाने की आशा है।

ओएनजीसी में अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक की नियुक्ति

297. श्री गुरूदास दासगुप्त :

श्री मनोरंजन भक्त :

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी :

श्री ई. पोन्नुस्वामी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक का पद रिक्त पड़ा है;

(ख) क्या उक्त पद के लिए नियुक्ति में असाधारण विलम्ब हुआ है;

(ग) यदि हां, तो क्या लोक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा अनुशंसित पैनल को रद्द कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) तेल और प्राकृतिक गैस निगम के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक की नियुक्ति के लिए सरकार द्वारा क्या नई पहल की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (ङ) ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ओएनजीसी) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) का पद, ओएनजीसी के तत्कालीन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री सुबीर राहा के पांच वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात् दिनांक 25.5.2006 से रिक्त पड़ा है। लोक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) द्वारा सिफारिश किए गए पैनल से ओएनजीसी के श्री आर.एस. शर्मा, निदेशक (वित्त) की नियुक्ति ओएनजीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में करने के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रस्ताव को सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस निर्देश के साथ वापिस भेज दिया गया कि पीएसयूज़ से बाहर के उम्मीदवारों सहित एक वृहत चुनाव के द्वारा नए सिरे से चयन प्रक्रिया चलाई जाए तथा यह भी कि ओएनजीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का चयन, पीईएसबी के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक खोज–सह–चयन समिति के माध्यम से कराया जाए। इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है।

राष्ट्रीय गैस ग्रिड

298. श्री रघुनाथ झा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पावर ग्रिड की तर्ज पर राष्ट्रीय गैस ग्रिड की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसकी स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है; और

(घ) ऐसे गैस ग्रिड की स्थापना से होने वाले लाभों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (घ) यद्यपि राष्ट्रीय गैस ग्रिड स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है, भारत सरकार ने सार्वजनिक के साथ–साथ निजी क्षेत्र से निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियमन बोर्ड अधिनियम, 2006 बनाया है और प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों तथा

नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के विकास के लिए नीति अधिसूचित की है। नीति के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है –

(1) बिना भेदभाव के आधार पर पाइपलाइन नेटवर्क के सभी संचालकों के लिए खुली पहुंच को सरल बनाना

(2) निकायों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, जिसके द्वारा किसी निकाय द्वारा उसकी प्रभावी स्थिति के दुरूपयोग से बचा जा सके;

(3) गैस उपलब्धता तथा उचित शुल्क के रूप में उपभोक्ता हित को सुरक्षित करना।

वर्तमान में, देश के विभिन्न भागों में, उत्पादन केन्द्रों से मांग केन्द्रों तक गैस को लिंक करने के परिवहन हेतु पाइपलाइन आधारभूत ढांचा बिछाने का काम करने वाली अनेक कम्पनियां सार्वजनिक क्षेत्र में गेल (इंडिया) लिमिटेड, गुजरात राज्य पेट्रोनेट लिमिटेड (जीएसपीएल) और निजी क्षेत्र में रिलायंस गैस ट्रांसपोर्टेशन इनफरक्स्ट्रक्चर लिमिटेड शामिल है।

टूरिस्ट पुलिस की तैनाती

299. श्री एल. राजगोपाल : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को सभी पर्यटक स्थलों पर स्मारकों और विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए टूरिस्ट पुलिस की तैनाती करने संबंधी अनुदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन–किन राज्यों ने इस संबंध में पर्यटक पुलिस की तैनाती की है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में सभी राज्यों में पर्यटक स्थलों पर टूरिस्ट पुलिस की तैनाती सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) और (ख) जी, हां। स्मारकों और विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने राज्य सरकारों को प्रमुख पर्यटक गंतव्यों में टूरिस्ट पुलिस तैनात करने की सलाह दी है।

(ग) आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, केरल, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू व कश्मीर, उत्तर प्रदेश, दिल्ली आदि ने किसी न किसी रूप में टूरिस्ट पुलिस बल तैनात किया है।

(घ) कानून और व्यवस्था का विषय संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के क्षेत्राधिकार में आता है। तथापि, पर्यटक की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्यटन मंत्रालय, देश के महत्वपूर्ण गंतव्यों में टूरिस्ट पुलिस तैनात करने और सुरक्षा के लिए उचित व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहमति हेतु प्रयास कर रहा है।

रसोई गैस की कालाबाजारी

300. श्री एन.एस.वी. चित्तन :

श्री सर्वे सत्यनारायण :

क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रसोई गैस की बड़े पैमाने पर हो रही कालाबाजारी और घरेलू रसोई गैस सिलेन्डरों का वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे कदाचार को समाप्त/रोकने के लिए आम जनता को शामिल करने अथवा सहयोग लेने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या पहल की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज़) ने ऐसे मामले दर्ज किए हैं जहां उनके एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए विपथन/काला बाजारी की जाती है। ओएमसीज, विपणन अनुशासन दिशा–निर्देश (एमडीजी) और/या डिस्ट्रीब्यूटरशिप करार के तहत अपने उन डिस्ट्रीब्यूरों के खिलाफ कार्रवाई करती हैं, जो घरेलू सिलेंडरों के विपथन/काला बाज़ारी में लिप्त पाए जाते हैं। ओएमसीज़ द्वारा की जाने वाले कार्रवाई के अलावा, राज्य सरकारों को घरेलू एलपीजी के गैर कानूनी प्रयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एलपीजी (आपूर्ति और वितरण विनियमन) आदेश, 2000 के तहत शक्तियां प्रदान की गई हैं।

(ख) से (घ) सरकार ने जन साधारण को सावधान करने के उद्देश्य से विज्ञापन जारी किए हैं कि घरेलू एलपीजी का गैर–घरेलू प्रयोजनों के लिए प्रयोग गैर कानूनी, खतरनाक तथा राष्ट्र हित के विरुद्ध है। इन विज्ञापनों के माध्यम से जन साधारण से सहयोग भी मांगा जाता है कि अनियमितता/कदाचार की जानकारी ओएमसीज़ को दें।

इसके अलावा, वाणिज्यिक प्रयोजनों से घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के विपथन/कालाबाज़ारी की रोकथाम के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :–

(I) अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रख्यापित एलपीजी (आपूर्ति और वितरण) आदेश, 2000 के तहत ओएमसीज़ के डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए विपथन/कालाबाज़ारी की मनाही है।

राज्य सरकारों को इस आदेश के प्रावधानों के तहत चूक करने वाले डिस्ट्रीब्यूटरों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए शक्तिप्रदत्त

किया गया है। समय-समय पर राज्य सरकारों को अनधिकृत प्रयोग के लिए घरेलू सिलेंडरों के विपथन के विरुद्ध कदम उठाने के लिए सावधान किया गया है।

(ii) ओएमसीज़ के अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई विपथन/काला बाजारी नहीं हुई है, डिस्ट्रीब्यूटर के गोदाम, सुपुर्दगी स्थल साथ ही साथ मार्ग में यादृच्छिक जांच करते हैं। एमडीजी की शर्तों के अनुसार, यदि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए विपथन/क़ाला बाज़ारी प्रमाणित होती है, तो डिस्ट्रीब्यूटर के खिलाफ निम्नलिखित कार्रवाई की जाती है :-

प्रथम बार अपराध के लिए विपथित एलपीजी के मूल्य की वाणिज्यिक दर से वसूली के साथ 20,000/-रु. का जुर्माना।

दूसरी बार अपराध के लिए विपथित एलपीजी के मूल्य की वाणिज्यिक दर से वसूली के साथ 50,000/-रु. का जुर्माना।

तीसरी बार अपराध के लिए डिस्ट्रीब्यूटरशिप की समाप्ति।

(iii) सरकार ने ओएमसीज़ को सूचित किया है कि घरेलू तथा गैर-घरेलू सिलेंडरों के लिए अलग-अलग रंगों की शुरूआत करें। इससे घरेलू एलपीजी के अनधिकृत प्रयोग के विपथन को नियंत्रित करने में मदद मिलने की आशा है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विकास हेतु धनराशि

301. श्री संतोष गंगवार :
श्री बालासोवरी वल्लभनेनी :
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा :
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों को वर्ष 2005-2006 और 2006-2007 के दौरान अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याणार्थ विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार और योजनवार कितनी धनराशि आबंटित और जारी की गई है;

(ख) क्या सभी राज्य सरकारों ने उपर्युक्त धनराशि का उपयोग कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान योजनाओं के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार और योजनावार उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा धनराशि के दुरुपयोग संबंधी कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं और उन पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा धनराशि के समुचित उपयोग की निगरानी के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) से (घ) अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए योजनाओं के तहत, कोई राज्यवार आबंटन नहीं दिया जाता है। केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता का जारी किया जाना विशिष्ट प्रस्तावों पर आधारित होता है। साथ ही, यह पूर्व वर्ष के दौरान जारी निधियों की उपयोगिता प्रमाण-पत्रों पर भी आधारित होता है। निधियों की उपयोगिता की अवधि योजना दर योजना अलग-अलग होती है। अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए योजनाओं के साथ 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान, निधियों की उपयोगिता (जहां कहीं लागू हो) के संबंध में अनेक राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधियों का ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(ङ) और (च) ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। निधियों की उपयोगिता को नियमित रिपोर्टों और मूल्यांकन अध्ययनों के माध्यमों से मॉनीटर किया जाता है।

विवरण-I

अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता की केन्द्रीय योजना

(लाख रुपये)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2005-06		2006-07	
		जारी	प्रयुक्त*	जारी	प्रयुक्त
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	4532.05	5495.22	2758.95	

1	2	3	4	5	6
2.	असम	623.82	894.80	499.74	
3.	बिहार	0	618.00	1155.65	
4.	छत्तीसगढ़	400.01	393.08	449.99	
5.	गुजरात	797.50	1143.24	912.92	
6.	गोवा	0	0.10	0.00	
7.	हरियाणा	1483.7	1442.03	1070.43	
8.	हिमाचल प्रदेश	566.62	516.06	446.09	
9.	जम्मू–कश्मीर	142.15	101.50	145.53	
10.	झारखंड	0	0	550.61	
11.	कर्नाटक	2322.63	1838.62	2260.90	
12.	केरल	0	198.69	109.32	
13.	मध्यप्रदेश	2627.28	3493.23	3563.41	
14.	महाराष्ट्र	2511.20	2113.73	3392.12	
15.	मणिपुर	22.47	0	6.86	
16.	उड़ीसा	1576.33	1375.79	1629.26	
17.	पंजाब	0	659.16	864.83	
18.	राजस्थान	3328.75	3644.71	4048.51	
19.	सिक्किम	17.73	17.73	32.43	
20.	तमिलनाडु	4306.62	6326.60	4382.57	
21.	त्रिपुरा	243.98	1168.61	230.58	
22.	उत्तर प्रदेश	11007.30	7821.84	8680.37	
23.	उत्तरांचल	806.48	608.48	328.16	
24.	प. बंगाल	3294.38	3294.38	3185.14	
25.	चंडीगढ़	25.00	18.02	0.00	
26.	दिल्ली	79.51	42.08	53.27	
27.	पांडिचेरी	20.49	12.14	6.10	
	कुल	40736.00	43241.84	40763.74	

*इसमें पिछले वर्षों की अव्ययित शेष राशि से व्यय शामिल है।

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के उपबंधों के तहत 2005–06 एवं 2006–07 के दौरान जारी एवं उपयोग की गई केन्द्रीय सहायता

(लाख रुपये)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2005–06		2006–07	
		जारी केन्द्रीय सहायता	प्रयुक्त केन्द्रीय सहायता	जारी केन्द्रीय सहायता	प्रयुक्त केन्द्रीय सहायता
1.	आंध्र प्रदेश	388.38325	393.515	270.86	
2.	बिहार	13.00000	19.29	13.00	
3.	छत्तीसगढ़	46.38000	48.065	52.345	
4.	गोवा	0.10000	एन.आर.	–	
5.	गुजरात	281.03000	287.170	240.085	
6.	हरियाणा	73.96025	99.92250	61.07	
7.	झारखंड	–	15.60	40.00	
8.	कर्नाटक	852.66150	681.365	780.165	सूचना 31.3.2007 के बाद उपलब्ध होगी।
9.	केरल	117.52000	एन.आर.	22.000	
10.	मध्यप्रदेश	820.01000	737.36	712.195	
11.	महाराष्ट्र	426.86000	392.505	142.725	
12.	उड़ीसा	1.20000	4.70963	7.780	
13.	पंजाब	21.37500	97.93	55.867	
14.	राजस्थान	87.00000	127.89	21.000	
15.	सिक्किम	1.75000	1.875	2.425	
16.	तमिलनाडु	160.72000	एन.आर.	43.000	
17.	उत्तरांचल	37.00000	14.48	4.000	
18.	उत्तर प्रदेश	414.10500	666.91	663.235	
19.	दादरा और नागर हवेली	50.00000	49.3619	56.8019	
20.	पांडिचेरी	37.94500	36.36321	40.000	
	कुल	3831.00		3228.553	

अनुसूचित जाति विकास निगमों (एमसीडीसी) के लिए सहायता योजना

(लाख रुपये)

क्रम सं.	राज्य का नाम	2005–06	2006–07
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1317.22	1060.72
2.	चंडीगढ़	0	148.92
3.	गुजरात	384.31	
4.	हरियाणा	115.3	144.11
5.	हिमाचल प्रदेश	100.91	
6.	जम्मू कश्मीर	50.44	
7.	केरल	198.16	144.12
8.	मध्य प्रदेश	246.1	
9.	राजस्थान	257.17	
10.	उत्तर प्रदेश	480.39	306.25
	कुल	3150	1804.12

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत वर्ष 2005–06 एवं 2006–07 के दौरान जारी एवं उपयोग की गई (राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा) केन्द्रीय सहायता

(लाख रुपये)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2005–06		2006–07	
		जारी	प्रयुक्त*	जारी	प्रयुक्त*
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	9435.46	10448.73	3414.24	
2.	असम	490.41	468.86	374.86	
3.	बिहार	1100.00	एन.आर.	1892.74	
4.	छत्तीसगढ़	526.00	685.08	734.00	
5.	गोवा	3.00	8.66	19.29	
6.	गुजरात	940.12	1254.89	1432.67	
7.	हरियाणा	456.00	554.45	733.86	
8.	हिमाचल प्रदेश	143.87	59.87	99.29	
9.	जम्मू कश्मीर	136.31	81.10	173.64	
10.	झारखंड	शून्य	280.9	0.00	
11.	कर्नाटक	2652.00	3137.44	5142.22	
12.	केरल	3771.00	4233.62	2453.14	सूचना 31.3.2007 के बाद उपलब्ध होगी।
13.	मध्य प्रदेश	3064.10	3136.96	2827.98	
14.	महाराष्ट्र	8490.95	एन.आर.	2733.36	
15.	मणिपुर	126.43	126.42	139.32	
16.	मेघालय	8.33	एन.आर.	1.62	
17.	उड़ीसा	शून्य	0.00	1739.68	
18.	पंजाब	शून्य	372.23	1091.50	
19.	राजस्थान	1508.34	1552.54	3804.48	
20.	सिक्किम	शून्य	0.00	4.48	
21.	तमिलनाडु	6982.18	6170.38	2819.97	
22.	त्रिपुरा	222.39	222.39	161.22	
23.	उत्तर प्रदेश	11087.00	11083.00	5124.07	
24.	उत्तरांचल	296.13	424.74	555.47	
25.	प. बंगाल	3279.00	2531.96	3534.42	

1.	2	3	4	5	6
26.	दमन एवं दीव	0.50	एन.आर.	2.23	
27.	दादरा और नागर हवेली	शून्य	एन.आर.	0.00	
28.	दिल्ली	शून्य	एन.आर.	0.00	
29.	पांडिचेरी	90.00	115.60	100.00	
	कुल	54809.52		41109.75	

*उपयोग की गई राशि में पिछले वर्षों की अव्ययित शेष राशि शामिल है।

अस्वच्छ व्यवसायों में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना के तहत वर्ष 2005–06 एवं 2006–07 के दौरान जारी एवं उपयोग की गई (राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा) केन्द्रीय सहायता

(लाख रुपये)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2005–06		2006–07	
		जारी	प्रयुक्त*	जारी	प्रयुक्त
1.	आंध्र प्रदेश	262.37	423.17	311.42	
2.	असम	2.10	3.66	1.25	
3.	बिहार	0.00	6.44	0.00	
4.	छत्तीसगढ़	49.06	21.68	45.33	
5.	गोवा	1.56	0.62	0.93	
6.	गुजरात	354.03	411.98	590.23	
7.	जम्मू–कश्मीर	0.00	3.66	23.67	
8.	केरल	0.00	1.686	3.40	
9.	मध्य प्रदेश	10.50	54.62	6.30	सूचना 31.3.2007 के बाद उपलब्ध होगी।
10.	महाराष्ट्र	215.62	365.605	129.35	
11.	उड़ीसा	0.00	2.085	0.00	
12.	पंजाब	0.00	27.50	29.26	
13.	राजस्थान	31.94	72.28	103.31	
14.	तमिलनाडु	86.47	125.41	174.15	
15.	त्रिपुरा	7.57	7.67	9.35	
16.	उत्तर प्रदेश	44.16	102.53	129.49	
17.	उत्तरांचल	4.78	5.375	7.24	
18.	प. बंगाल	0.00	0.00	25.25	
19.	पांडिचेरी	10.00	2.99	10.00	
	कुल	1080.16	1638.961	1599.93	

*उपयोग की गई राशि में पिछले वर्षों की अव्ययित शेष राशि शामिल है।

(लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटित निधि लड़कों के छात्रावास		आबंटित निधि लड़कियों के छात्रावास		आबंटित निधि योग्यता उन्नयन		आबंटित निधि कोचिंग एवं सम्बद्ध	
		2005–06	2006–07	2005–06	2006–07	2005–06	2006–07	2005–06	2006–07
		2136	2200	2300	2400	1800	300	320	256
1.	आंध्र प्रदेश	516.2029	246.3	125.00	1011	44.4	44.4	16.09	125.32
2.	बिहार	0	0			10.95		0	
3.	छत्तीसगढ़	242.675	345.09	96.90	300.2	10.50	7.36	0	0
4.	गुजरात	0.00		60.00	109.56	12.36	4.11	0	0
5.	हरियाणा	0.00		0		8.70		15.56	0
6.	हिमाचल प्रदेश	951.8261		955.7005	69.08	0		0	0
7	जम्मू–कश्मीर	6.3900		0		0		0	0
8.	झारखंड	111.441	182.13	111.441	19.54	0		0	0
9.	कर्नाटक	0	151.5	0	222	0	28.2	0	0
10.	केरल	0.00		0		1.5	2.41	0.00	0
11.	मध्य प्रदेश	108.00	152.73	153.12	163.47	270.00	58.8	0	0
12.	उड़ीसा	0		0		186.37		0	0
13.	पंजाब	0		0		0		3.62	0
14.	राजस्थान	0	167.4	96.75		0	12.32	0	0
15.	सिक्किम	0		0.00		3.00	3	0	0
16.	त्रिपुरा	151.890		0		3.00	3	0	0
17.	उत्तर प्रदेश	169.5750		226.40		37.17	45.16	0	0
18.	प. बंगाल	0		0		34.34	28.97	0	0
19.	दिल्ली	0		0		0		10.00	0
20.	पांडिचेरी	0		242.52		0		0	0
	कुल	2258.00	1245.15	2067.53	1894.85	622.290	237.73	45.27	125.32

विवरण-II

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए योजनाएं

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति				मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति				अन्य पिछड़े वर्गों के लिए होस्टल			
		2005–06		2006–07		2005–06		2006–07		2005–06		2006–07	
		जारी राशि	प्रयुक्त	जारी राशि	प्रयुक्त	जारी राशि	प्रयुक्त	जारी राशि	प्रयुक्त	जारी राशि	प्रयुक्त	जारी राशि	प्रयुक्त
1.	आंध्र प्रदेश	457.86	प्रयुक्त	510.00	*	299.02	प्रयुक्त	364.73	*	440.00	प्रयुक्त		
2.	बिहार			216.38	–	6.56	प्रयुक्त	601.78	–			207.79	*
3.	छत्तीसगढ़											14.62	
4.	दिल्ली					5.00	प्रयुक्त						
5.	गोवा					13.90	प्रयुक्त						
6.	गुजरात	456.65	प्रयुक्त	346.12	–	344.12	प्रयुक्त	401.96	–				
7.	हिमाचल प्रदेश	16.50	प्रयुक्त					35.57	–	27.25	प्रयुक्त	183.48	
8.	जम्मू–कश्मीर	61.26	प्रयुक्त	103.11	–	224.24	प्रयुक्त						
9.	झारखंड											39.08	
10.	कर्नाटक			122.34	–		प्रयुक्त	539.66	–	258.75	प्रयुक्त	300.00	
11.	केरल									48.50	प्रयुक्त		
12.	मध्य प्रदेश									370.01	प्रयुक्त	369.27	
13.	महाराष्ट्र					56.56	प्रयुक्त						
14.	उड़ीसा			8								37.52	
15.	पंजाब	100.00	प्रयुक्त			138.42	प्रयुक्त						
16.	राजस्थान			310.00	–	235.24	प्रयुक्त	351.80	–	52.50	प्रयुक्त		
17.	तमिलनाडु	400.00	प्रयुक्त	400.00	–	290.25	प्रयुक्त			252.00	प्रयुक्त	346.50	
18.	उत्तर प्रदेश	296.11	प्रयुक्त	225.60	–	640.31	प्रयुक्त	671.56	–	159.93	प्रयुक्त	295.12	
19.	उत्तरांचल	11.58	प्रयुक्त	16.40	–	72.53	प्रयुक्त	81.94	–				
20.	पश्चिम बंगाल									86.16	प्रयुक्त	16.26	
संघ राज्य क्षेत्र													
21.	पांडिचेरी							44.10	–				
पूर्वोत्तर राज्य													
22.	असम							110.95	–				
23.	मणिपुर	50.00	प्रयुक्त	65.32	–	203.34	प्रयुक्त	100.00	–	58.33	प्रयुक्त	45.51	
24.	त्रिपुरा	121.03	प्रयुक्त	139.74	–	111.13	प्रयुक्त	131.94	–	38.84	प्रयुक्त		
25.	सिक्किम							8.06					
	कुल	1970.99		2455.01	–	2640.62		3444.05		1792.27		1855.15	

*सूचना 31 03 07 के बाद उपलब्ध होगी।

[अनुवाद]

मिलिट्री नर्सों द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति

302. डा. के.एस. मनोज : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा को सेवारत मिलिट्री नर्सों से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या मिलिट्री नर्सों के रैंक स्ट्रक्चर के पुनः नामकरण किए जाने के बाद से मिलिट्री नर्सों द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने/सेवा छोड़ने के मामलों में वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा मिलिट्री नर्सों के ऐसे पलायन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के एंटनी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मिलिट्री नर्सिंग सर्विस अफसरों के समयपूर्व सेवानिवृत्ति/त्याग–पत्र के लिए प्राप्त हुए आवेदनों की संख्या इस प्रकार है :

वर्ष	समयपूर्व सेवानिवृत्ति	त्याग–पत्र	कुल
2004	110	65	175
2005	77	46	123
2006	94	56	150
2007 (आज तक)	08	02	10

(ख) और (ग) मिलिट्री नर्सिंग सर्विस अफसरों की रैंक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस अफसर मुख्यतः अनुकंपा के आधार पर समयपूर्व सेवानिवृत्ति/त्याग–पत्र के आवेदन प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार के मामलों पर विचार करते समय सरकारी हित को ध्यान में रखा जाता है।

महानगरीय विमानपत्तनों हेतु नई ग्रांउडहैंडलिंग नीति

303. श्री उदय सिंह :
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल :
श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :
श्री अधीर चौधरी :
श्रीमती जयाप्रदा :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारी हवाई यातायात संभालने वाले छः बड़े विमानपत्तनों पर तीन एजेंसियों को कार्य करने की अनुमति देने के लिए एक नई ग्राउंड हैंडलिंग नीति को अंतिम रूप दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रस्तावित नई नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इससे महानगरों में विमानपत्तनों पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों को लाने और ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस में लगी एजेन्सियों की संख्या को सीमित करने में किस सीमा तक सहायता मिलेगी;

(घ) इस नीति के बारे में निजी एयरलाइन्स द्वारा व्यक्त की गई आशंकाओं के निराकरण के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं;

(ङ) क्या विदेशी कंपनियों को ग्रांउड हैंडलिंग का कार्य सौंपते समय पृथक सुरक्षा उपाय किए जाएंगे; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) नई ग्राउंड हैंडलिंग नीति निर्माणाधीन है।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानदंड प्राधिकरण (एफ एस एस ए आई) की स्थापना

304. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्य सुरक्षा और मानदंड अधिनियम, 2006 (फूड सेफ्टी एंड स्टैण्डर्ड एक्ट, 2006) के क्रियान्वयन को सरल बनाने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानदंड प्राधिकरण की स्थापना करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्राधिकरण की स्थापना में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इसकी स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (ग) सरकार ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के उपबंधों के अनुसार, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण स्थापित करने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन की जिम्मेवारी सौंपी गई है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना छः माह के अंदर करने के लिए कार्रवाई कर रहा है।

राष्ट्रीय पाण्डुलिपि मिशन

305. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल :

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभिलेखागार को सर्व सुलभ बनाने के लिए राष्ट्रीय पाण्डुलिपि मिशन ने यूनेस्को के सहयोग से दिशा–निर्देश तैयार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (ग) राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन "भारत और दक्षिण एशियाई देशों की संगत दस्तावेजी विरासत तक न्यायसंगत पहुंच के संवर्धन के लिए कानूनी और नीतिगत ढॉचे और प्रोटोकॉल का विकास" के संबंध में एक कम अवधि की परियोजना के संबंध में यूनेस्को (भारतीय कार्यालय) के साथ सहयोग कर रहा है। परियोजना, पांडुलिपिधारक तथा पाडुंलिपि मिशन, दोनों पक्ष के कानूनी अधिकारों के संबंध में उनके मध्य स्पष्ट समझौते के माध्यम से, राज्य के स्वामित्व में मौजूद पांडुलिपियों तथा विभिन्न भंडारों से आने वाली पांडुलिपियों की डिजिटल प्रतियों की प्राप्ति और हस्तांतरण के लिए निर्मित प्रावधानों की जांच करता है।

खाड़ी देशों में कार्गो भेजने से एअर इंडिया की आय

306. श्रीमती पी. सतीदेवी : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान खाड़ी देशों में सब्जियों और अन्य आवश्यक वस्तुओं के निर्यात से एअर इंडिया को कुल कितनी आय हुई है;

(ख) क्या एअर इंडिया कंपनी ने दुलाई की इस पूरी सेवा का दायित्व एअर इंडिया एक्सप्रेस कंपनी को सौंपा है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इससे कंपनी की आय पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों यथा 2003–2004, 2004–2005 तथा 2005–2006 के दौरान खाड़ी देशों को सब्जियों तथा अन्य अनिवार्य वस्तुओं के निर्यात से एअर इंडिया को प्राप्त कुल आय क्रमशः 11,574.11 लाख रुपए, 12,231.24 लाख रुपए तथा 9613.42 लाख रुपए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पलक्कड मंडल से रेल मार्ग

307. श्री सी.के. चन्द्रप्पन :
श्री पन्नियन रवीन्द्रन :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने पलक्कड मंडल से रेलवे के कतिपय खंडों को हटाने के रेलवे के प्रस्ताव पर अपनी चिंता व्यक्त की है जिससे एक सामान्य मंडल के लिए अपेक्षित न्यूनतम विनिर्दिष्ट मार्ग की लम्बाई में कमी होने के कारण पलक्कड मंडल समाप्त हो सकता है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर रेलवे की प्रतिक्रिया और ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां।

(ख) पालघट मंडल में जहां प्रस्तावित क्षेत्राधिकार सहित सेलम मंडल के सृजन के बावजूद पर्याप्त मात्रा में रूट किलोमीटर यातायात तथा कार्यभार शेष रहेगा।

[हिन्दी]

रायल्टी की राशि का उपयोग

308. श्री मनसुखभाई डी. वसावा : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल और गैस उत्पादन करने वाले राज्यों को रायल्टी देने का क्या औचित्य है;

(ख) क्या राज्य सरकारों द्वारा, जिस प्रयोजन के लिए रायल्टी दी जाती है, उसे पूरा नहीं किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार, जिन स्थानों के कारण रायल्टी की राशि दी जाती है, उनके विकास के लिए रायल्टी का उपयोग करने हेतु प्रावधान करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) समय–समय पर यथा संशोधित तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम 1948 तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम 1959 की शर्तों के अनुसार रायल्टी का भुगतान राज्यों में होने वाले तेल और गैस उत्पादन के लिए संबंधित राज्य सरकारों को ही किया जाता है।

(ख) प्रयोजन, तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास), अधिनियम, 1948 में विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है।

(ग) इस प्रकार से प्राप्त रायल्टी के प्रयोग का अधिकार संबंधित राज्य सरकारों के पास है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पवन हंस हेलीकॉप्टर्स सर्विसेज द्वारा नियमित रूप से उड़ान भरना

309. श्री मनोरंजन भक्त : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पोर्ट ब्लेयर और ग्रेट निकोबार से आम जनता को लाने और ले जाने हेतु पवन हंस हेलीकॉप्टर्स सर्विसेज द्वारा नियमित रूप से उड़ान भरने हेतु कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लि. ने अंतर-द्वीपीय सम्पर्कता की उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन को वेट लीज आधार पर दो डॉफिन हेलीकॉप्टर्स पहले ही दे दिए हैं। तद्नुसार, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन उसको विभिन्न कार्यों सहित महत्वपूर्ण द्वीपों को जोड़ने वाली निरंतर नियमित यात्री सेवाओं के लिए प्रयोग कर रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

एन एस के एफ डी सी द्वारा चलाई जा रही योजनाएं

310. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा :
श्री संतोष गंगवार :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (एन एस के एफ डी सी) द्वारा सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों के समग्र सामाजिक और आर्थिक उत्थान हेतु चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजनाएं कब से क्रियान्वित की जा रही हैं और उन पर प्रतिवर्ष खर्च की गई वार्षिक राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2006-2007 के दौरान निगम द्वारा राज्य-वार कितनी राशि आबंटित और जारी की गई और राज्य की चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एस सी ए) द्वारा उसका कितना उपयोग किया गया; और

(घ) उक्त योजनाए सफाई कर्मचारियों का उत्थान करने में किस सीमा तक सफल रही हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम की योजनाओं का ब्यौरा इस प्रकार है :

योजना का नाम	आरंभ की तारीख	2005-06 के दौरान जारी निधियां (करोड़ रुपए)
मियादी ऋण योजना	24.01.1997	29.80
लघु ऋण वित्त	24.01.1997	2.68
महिला समृद्धि योजना	01.10.2003	19.12
शिक्षा ऋण	01.10.2003	0.01

(ग) 2006-07 के दौरान राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम द्वारा आबंटित और जारी तथा राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों द्वारा प्रयुक्त निधियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) भारतीय समाज संस्थान, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम की योजनाओं का स्वतंत्र रूप से किए गए मूल्यांकन से पता चला है कि इन योजनाओं से लक्षित समूह को वैकल्पिक व्यवसाय अपनाने में मदद मिल रही है।

विवरण

एनएसाकेएफडीसी द्वारा आबंटित और जारी की गई निधि का एससीए द्वारा प्रयुक्त राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य के एससीए का नाम	आबंटित निधि	संवितरित निधि	प्रयुक्त निधि*
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	725.00	422.24	803.65
2.	असम	42.00	0.00	46.12
3.	बिहार	120.00	0.00	0.00
4.	चंडीगढ़	32.00	6.75	6.47
5.	छत्तीसगढ़	425.00	255.70	3.65
6.	दिल्ली	37.00	0.00	0.00
7.	गोवा	10.00	0.00	0.00
8.	गुजरात	265.00	1137.36	54.98
9.	हरियाणा	112.00	0.00	0.00
10.	हिमाचल प्रदेश	185.00	216.90	4.50
11.	जम्मू-कश्मीर	62.00	0.00	98.44

1	2	3	4	5
12.	झारखंड	62.00	62.50	25.33
13.	कर्नाटक	740.00	792.70	432.34
14.	केरल	32.00	0.00	0.00
15.	मध्य प्रदेश	590.00	833.82	864.50
16.	महाराष्ट्र	490.00	202.35	331.84
17.	मणिपुर	17.00	0.00	0.00
18.	मेघालय	17.00	0.00	0.00
19.	मिजोरम	17.00	0.00	0.00
20.	उड़ीसा	39.00	165.40	2.22
21.	पांडिचेरी	70.00	3.66	0.00
22.	पंजाब	75.00	25.21	20.12
23.	राजस्थान	370.00	98.44	152.95
24.	तमिलनाडु	32.00	0.00	0.00
25.	त्रिपुरा	20.00	0.00	2.25
26.	उत्तर प्रदेश	440.00	410.10	763.42
27.	उत्तरांचल	42.00	0.00	65.53
28.	पश्चिम बंगाल	32.00	12.20	0.00
	कुल	5100.00	4645.33	3678.31

नोट : *प्रयुक्त की गई निधि में पिछले वर्षों में जारी प्रयुक्त निधि भी शामिल है।

मध्य प्रदेश में खाद्य प्रयोगशाला का उन्नयन

311. श्री कृष्णा मुरारी मोघे : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से राज्य में खाद्य प्रयोगशाला के उन्नयन हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इसे कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (ग) खाद्य और औषध प्रशासन, मध्य प्रदेश के अंतर्गत खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के उन्नयन संबंधी एक प्रस्ताव खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में प्राप्त हुआ है। यह प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया गया है। इस संबंध में अनुमोदन की सूचना संगठन को दे दी गई है। तथापि, संगठन अपने आस-पास स्थित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को वाणिज्यिक आधर पर परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने की शर्तों की अनुपालना करने पर सहमत नहीं हुआ है क्योंकि प्रयोगशाला के लिए धनराशि सरकारी निधि से दी जा रही है। इस मामले पर आगे और पुनः विचार किया जा रहा है।

[अनुवाद]

तेल और गैस के उत्पादन पर रायल्टी

312. श्री के.एस. राव : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तेल और गैस का अन्वेषण और उत्पादन करने वाली कंपनियों से तेल और गैस के उत्पादन पर रायल्टी के रूप में कितना राजस्व वसूल किया गया;

(ख) वर्ष 2007-2015 के दौरान प्राकृतिक गैस का अनुमानित उत्पादन, आपूर्ति और मांग क्या होगी;

(ग) क्या सरकार का विचार अपनी राजस्व वसूली की रक्षा करने, अन्वेषण की अनुमति देने और सरकार को रायल्टी और लाभ के संदर्भ में राजस्व की कोई हानि होने से बचाने हेतु उत्पादन कंपनियों को उपभोक्ताओं को किसी भी मूल्य पर प्राकृतिक गैस बेचने की अनुमति देने हेतु कोई नई नीति बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान तेल और गैस के उत्पादन पर केन्द्रीय और राज्य सरकारों को भुगतान की गई रायल्टी निम्नानुसार है :-

वर्ष	धनराशि (करोड़ में)
2003-04	3854.69
2004-05	4904.08
2005-06	6113.38

(ख) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पर कार्य दल की रिपोर्ट के अनुसार ग्यारहवी योजना (2007-2012) के लिए आपूर्ति और मांग के अनुमान निम्नानुसार हैं :-

क्र.सं.	वर्ष	आपूर्ति	मांग
1	2	3	4
1.	2007-08	110.99	179.17
2.	2008-09	153.58	196.64

1	2	3	4
3.	2009–10	242.47	225.52
4.	2010–11	267.09	262.07
5.	2011–12	285.42	279.43

(आंकड़े एमएमएससीएमडी में)

(ग) और (घ) सरकार का अभी कोई नई नीति बनाने का विचार नहीं है। उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं के विद्यमान प्रावधानों के अनुसार प्रचालक बाजार निर्धारित मूल्यों पर गैस की बिक्री करने के लिए स्वतंत्र हैं।

पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 में संशोधन

313. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल : क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पुरावस्तुओं के निर्यात और आयात पर नजर रखने के लिए पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 में संशोधन करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रस्तावित कानून को अपराधों को संज्ञेय बनाने हेतु और अधिक कठोर बनाए जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस मामले पर उन देशों, जहां कलाकृतियों की तस्करी की गई है, के साथ बातचीत करने का निर्णय लिया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (घ) जी, हां। सरकार पुरावशेषों की अवैध तस्करी को रोकने के लिए पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 के प्रावधानों को अधिक कठोर बनाने के लिए इसमें संशोधन का प्रस्ताव कर रही है।

प्रस्तावित संशोधनों में पंजीकृत पुरावशेषों का आवधिक सत्यापन करने, इस अधिनियम के अन्तर्गत सजा दिए जाने वाले कुछेक अपराध के किए जाने पर अधिक सजा देने, विदेशी नागरिकों को पुरावशेषों के अन्तरण पर प्रतिबंध लगाने, पुरावशेषों के अनधिकृत प्रतिरूपों को बनाने पर प्रतिबंध लगाने, कुछ अपराधों को इस अधिनियम के अन्तर्गत गैर–संज्ञेय तथा गैर–ज़मानती बनाने आदि का प्रावधान है।

(ङ) और (च) तस्करी किए गए भारतीय पुरावशेषों के जब कभी किसी अन्य देश में मौजूद होने के बारे में विश्वस्त सूचना प्राप्त होती है, तब निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इसकी पुनः प्राप्ति के लिए कदम उठाए जाते हैं।

इस समय प्रक्रियाधीन ऐसे मामलों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

विदेश से भारतीय पुरावशेषों की पुनः प्राप्ति के लिए प्रक्रियाधीन मामले

1. ब्रिटिश संग्रहालय लंदन से पांच मूर्तियां
2. मिस्र से खगोलीय औजार (5)
3. वाशिंगटन से तीर्थंकर की एक मूर्ति
4. लंदन (यू.के.) से नटराज की एक मूर्ति
5. स्विटजरलैंड से वाराह की एक मूर्ति

हवाई यात्रा टिकटों की ई-बुकिंग

314. श्री कैलाश मेघवाल : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी एयरलाइनों के मामले में धोखे से टिकट खरीदने को देखते हुए हवाई यात्रा टिकटों की ई–बुकिंग करने की प्रक्रिया दोषपूर्ण है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान हुए ऐसे मामलों की वर्ष–वार स्थिति क्या है; और

(ग) इस बुराई को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) विनियामक प्राधिकरण, नागर विमानन महानिदेशालय को एयरलाइन के ई–टिकट धोखे से खरीदने के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

गैस एजेंसियों का आबंटन

315. श्री राम कृपाल यादव : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के तेल उपक्रमों ने वर्ष 2003 से गैस एजेंसियों का आबंटन नहीं किया है;

(ख) क्या वर्ष 2003 में जारी किए गए कुछ आशयपत्र धारकों को अभी तक डीलरशिप नहीं दी गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या सारे देश में गैस एजेंसियों की वर्तमान संख्या रसोई गैस की दिन–प्रतिदिन की आवश्यकता को पूरा करने हेतु पर्याप्त है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो नई गैस एजेंसियों का आबंटन रोकने के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र तेल विपणन कंपिनयों (ओएमसीज) ने वर्ष 2003 से और 1.1.2007 तक 1140 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप आबंटित की है।

(ख) ओएमसीज ने वर्ष 2003 में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की स्थापना हेतु 15 आशय पत्र (एलओआई) जारी किए हैं जिनका भूमि की अनुपलब्धता, गोदामों का विनिर्माण, न्यायालय मामले/शिकायतें, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक निकासियों आदि जैसे विभिन्न कारणों से चालू होना लंबित है।

(ग) से (ङ) दिनांक 01.01.2007 की स्थिति के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनियां (ओएमसीज) देश में एलपीजी की 9344 डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का प्रचालन कर रही थीं। इन डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के माध्यम से, ओएमसीज देश में 932 लाख उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान कर रही हैं। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों के पास पंजीकृत उपभोक्ताओं की वास्तविक मांग को पूरी तरह से पूरा किया जा रहा है।

सरकार ने ओएमसीज़ को इस बात की आज़ादी दी है कि वे अपने वाणिज्यिक निर्धारण तथा उनके द्वारा पहचाने गए स्थलों के अनुसार एक स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटरशिप की वहनीयता के लिए उपलब्ध रिफिल बिक्री संभाव्यता के आधार पर एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की स्थापना कर सकती हैं। तथापि सरकार ने ओएमसीज़ को सलाह दी है कि वे अर्ध–शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विपणन योजनाएं बनाएं। ओएमसीज़ ने मुख्यतः ग्रामीण और शहरी–ग्रामीण (अर्ध–शहरी) स्थलों में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की स्थापना के लिए 791 स्थलों के लिए एक सामान्य औद्योगिक विपणन योजना को अंतिम रूप दिया है।

भारतीय रेल संचालन का श्रीलंका तक विस्तार

316. श्री मोहन रावले : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेल का विचार श्रीलंका तक अपनी सेवा का विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संयुक्त उद्यम पर कितनी राशि खर्च होने की संभावना है;

(ग) क्या रेलवे का विचार अपने नेटवर्क का विस्तार अन्य सार्क देशों में करने की संभावनाओं का पता लगाने का भी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी हां। नेपाल और भूटान के सीमा क्षेत्रों में पांच–पांच स्थानों पर रेल संपर्क मुहैया कराने के लिए सर्वेक्षण किया गया है। विदेश मंत्रालय ने राइट्स के माध्यम से भारत–म्यांमार रेल संपर्क के लिए व्यावहारिकता अध्ययन किया था।

न्यू मायनागुडी-जोगीगोपा रेल लाइन

317. श्री अनवर हुसैन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यू मायनागुडी–जोगीगोपा रेल लाइन के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस कार्य को कब तक पूरा किए जाने की संभायना है;

(ग) क्या रेलवे लाइन की दिशा बदल ली गई है और उसे जोगीगोपा के स्थान पर न्यू–मायनागुडी–अभयपुरी लाइन पर बनाया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो दिशा बदलने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या रेल लाइन निर्माण की दिशा बदलने का निर्णय लेते समय जनता, जन–प्रतिनिधियों और मांग समिति को विश्वास में लिया गया था; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) भूमि अधिग्रहण, मिट्टी संबंधी कार्य, पुल संबंधी कार्य शुरू कर दिए गए हैं। समग्र वास्तविक प्रगति लगभग 15% है।

(ख) कार्य पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(ग) जी नहीं, जोगीघोपा सिरे पर इस लाइन का शुरूआती स्थल सर्वेक्षण स्तर पर यथा प्रस्तावित अभयपुरी है।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बाड़मेर में रिफाइनरी की स्थापना

318. श्री महावीर भगोरा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाड़मेर, राजस्थान में रिफाइनरी स्थापित करने की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार राजस्थान के बाड़मेर जिले में रिफाइनरी स्थापित करने में कठिनाइयों का सामना कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा इन कठिनाइयों को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार द्वारा रिफाइनरी के काम को शुरू करने और उसे पूरा करने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) राजस्थान कच्चे तेल की जटिल विशिष्टताओं, जो अत्यंत भारी और उच्च मोमी प्रकृति की हैं (अत्यंत उच्च बहाव बिन्दु के साथ) और आगे के संसाधित करने के लिए उसे दूरस्थ रिफाइनरी स्थल तक परिवहन करने में आने वाली कठिनाई को ध्यान में रखते हुए यह परिकल्पना की गई थी कि एमआरपीएल, ओएनजीसी तथा कैर्न के संयुक्त उद्यम द्वारा एक मूल रिफाइनरी स्थापना की व्यवहार्यता का पता लगाया जाएगा। एमआरपीएल को कच्चे तेल की खरीद के लिए निर्दिष्ट किया गया था।

परियोजना के प्रारंभिक व्यवहार्यता अध्ययन तथा आर्थिक व्यवहार्यता विश्लेषण के आधार पर यह बताया गया है कि :–

(i) भारी और मोमी राजस्थान क्रूड संसाधित करने के लिए एक अत्यधिक जटिल विन्यास वाली रिफाइनरी की आवश्यकता होगी।

(ii) तेल क्षेत्र को निकटतम समुद्री पत्तन से जोड़ने वाली एक कच्चा तेल पाइपलाइन की आवश्यकता होगी ताकि :–

(क) कच्चे तेल के उत्पादन और रिफाइनरी के चालू होने के कार्यक्रम के बीच बे–मेल के कारण प्रारम्भिक चरण में राजस्थान क्रूड को निकासी की जा सके।

(ख) परिसंपत्ति में भारी निवेश के अनुरूप रिफाइनरी का इष्टतम क्षमता उपयोग सुनिश्चित करने के लिए बाद के चरण में आयातित कच्चा तेल यहां तक लाया जा सके।

(iii) राजस्थान राज्य में कम मांग तथा निकटवर्ती राज्यों में परिशोधन आत्म–निर्भरता के कारण परिशोधित उत्पादों के एक बड़े भाग को, मुख्यतः मांग केन्द्रों, विदेश में, लम्बी–दूरी परिवहन/निकासी की आवश्यकता होगी।

उपर्युक्त आवश्यकताओं की पूर्ति का संचित प्रभाव यह होगा कि इसके लिए सामान्य रिफाइनरियों, जो (i) बिना किसी अल्पकालिक आपूर्ति बाधाओं के, विभिन्न स्थलों से स्रोतीकृत हल्के कच्चे तेलों पर आधारित हैं तथा (ii) जो मांग केन्द्रों के पास स्थित हैं या जिनकी निर्यात बाजारों तक सुगमता से पहुंच है, के लिए अपेक्षित निवेश से कहीं अधिक भारी निवेश की आवश्यकता होगी।

(ख) और (ग) ओएनजीसी से बताया है कि उच्च निवेश की आर्थिक व्यवहार्यता के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन तथा राजस्थान सरकार से अन्य लाभ अपेक्षित होंगे, जो देश के अन्य भागों में रिफाइनरी परियोजनाओं से काफी अधिक हैं। ओएनजीसी ने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि मूल रिफाइनरी परियोजना में भारी निवेशों की व्यवहार्यता के लिए अपेक्षित राजकोषीय प्रोत्साहनों तथा समर्थन पर विचार करे।

(घ) से (च) अनुकूल प्रोत्साहन पैकेज तथा राजस्थान सरकार से अन्य समर्थन की प्राप्ति पर ओएनजीसी रिफाइनरी विकास के लिए कार्य योजना बनाने में सक्षम होगी।

[अनुवाद]

हल्के लड़ाकू विमान

319. श्री ई. पोन्नुस्वामी : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान (एल सी ए) 'तेजस' का प्रयोक्ता परीक्षण हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विश्व के अन्य बहुउद्देशीय विमानों के साथ तुलना में 'तेजस' की स्थिति क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि परियोजना को क्रियान्वित करने में विलम्ब के कारण एल सी ए प्रौद्योगिकी पुरानी हो गई है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्रयास किए जा रहे हैं।

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) और (ख) रक्षा मंत्रालय की वैमानिक विकास एजेंसी के राष्ट्रीय परीक्षण केन्द्र में तैनात भारतीय वायुसेना पायलटों द्वारा पांच तेजस विमानों का प्रारंभिक प्रचालनात्मक स्वीकृति के लिए इस समय उड़ान परीक्षण किया जा रहा है। अब तक कुल 334 घंटों की 629 उड़ानें पूरी की जा चुकी हैं। भारतीय वायुसेना द्वारा, प्रथम लॉट के रूप में, बीस विमानों का क्रयादेश दिया गया है।

(ग) से (ङ) हल्के लड़ाकू विमान में, जो बहु–भूमिका वाले विमान हैं, वहीं प्रौद्योगिकियां इस्तेमाल की जाती हैं जो विश्व के अन्य

बहु–भूमिका वाले विमानों में मौजूद हैं। ये प्रौद्योगिकियां डिजिटल फ्लाई–बाई वायर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, डिजिटल एविऑनिक्स, ग्लास कॉकपिट, कम्पोजिट स्ट्रक्चर, ऑपन सिस्टम आर्किटेक्चर एविऑनिक्स और अत्याधुनिक सेंसर तथा प्रौद्योगिकियां हैं। इसका कार्य–निष्पादन हल्के वजन के इसी श्रेणी के अन्य बहु–भूमिका वाले लड़ाकू विमानों के समान है।

[हिन्दी]

विकलांग व्यक्तियों को प्रमाणपत्र और पेंशन

320. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विकलांग व्यक्तियों को विकलांगता प्रमाणपत्र और पेंशन पाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और इस संबंध में देश में कोई स्पष्ट पुनर्वास नीति नहीं है जैसाकि दिनांक 3 फरवरी, 2007 के 'दैनिक जागरण' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं; और

(घ) विकलांग व्यक्तियों को पेंशन सहित कितनी वित्तीय सहायता और अन्य राहत दी गई है और उन्हें केन्द्र तथा राज्य सरकार से राज्य–वार प्राप्त हुए लाभों का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) से (ग) सरकार ने विकलांगता प्रमाणपत्रों को जारी करने के लिए विभिन्न विकलांगताओं के निर्धारण व आकलन हेतु दिशानिर्देश जारी किए हैं और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने इन प्रमाणपत्रों को जारी करने के लिए जिला स्तर पर मेडिकल बोर्ड गठित किए हैं। इस उद्देश्य के लिए ब्लाक/पंचायत स्तर पर विशेष रूप से दूरवर्ती क्षेत्रों में शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। कम से कम समय में बिना किसी कठिनाई के विकलांग व्यक्तियों को विकलांगता प्रमाणपत्र जारी करने को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य–क्षेत्रों को आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। राष्ट्रीय विकलांगजन नीति को फरवरी, 2006 में अंगीकार किया गया है जो पुनर्वास सहित सभी पहलुओं का समाधान करती है।

(घ) राज्य सरकारों/संघ राज्य–क्षेत्र प्रशासनों द्वारा विकलांगता पेंशन/बेरोजगार भत्ता प्रदान किया जाता है। इसके संबंध में ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बेरोजगार भत्ता तथा विकलांगता पेंशन की मंजूरी के बारे में स्थिति
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	बेरोजगार भत्ता–75 रु. प्रतिमाह, विकलांगता पेंशन–125 रु. प्रतिमाह।
2.	छत्तीसगढ़	विकलांगता पेंशन–150 रु. प्रतिमाह।
3.	दिल्ली	बेरोजगार भत्ता–350 रु. प्रतिमाह।
4.	गोवा	विकलांगता पेंशन–750 रु. प्रतिमाह। 5% वार्षिक वृद्धि।
5.	हरियाणा	विकलांगता पेंशन–600 रु. प्रतिमाह।
6.	जम्मू–कश्मीर	विकलांगता पेंशन–300 रु. प्रतिमाह।
7.	केरल	12,000 रुपए अथवा उससे कम वार्षिक पारिवारिक आय वाले विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष पेंशन योजना।
8.	मिजोरम	विकलांगता पेंशन–100 रु. प्रतिमाह।
9.	मेघालय	विकलांगता पेंशन–50 रु. प्रतिमाह।
10.	नागालैंड	विकलांगता पेंशन–100 रु. प्रतिमाह।
11.	उड़ीसा	विकलांगता पेंशन–100 रु. प्रतिमाह।

1	2	3
12.	पंजाब	विकलांगता पेंशन–250 रु. प्रतिमाह। शैक्षिक अर्हता के आधार पर बेरोजगार भत्ता–150 रु. से 600 रु. प्रतिमाह।
13.	राजस्थान	विकलांगता पेंशन–200 रु. प्रतिमाह।
14.	सिक्किम	1500 निःशक्त व्यक्तियों को उनकी किसी भी समय विकलांगता के लिए सीमित बजट के आधार पर 500 रु. प्रतिमाह का निर्वाह भत्ता।
15.	तमिलनाडु	शैक्षिक अर्हता के आधार पर बेरोजगार भत्ता–400 रु. से 500 रु. प्रतिमाह।
16.	त्रिपुरा	दृष्टिहीन व्यक्तियों को 500 रु. प्रतिमाह बेरोजगार भत्ता। गरीबी रेखा के नीचे के दृष्टिीन व्यक्तियों को 1000 रु. प्रतिमाह का बेरोजगार भत्ता तथा सभी विकलांग व्यक्तियों को 300 रु. प्रतिमाह विकलांगता पेंशन।
17.	उत्तर प्रदेश	विकलांगता पेंशन–125 रु. प्रतिमाह।
18.	उत्तराखंड	विकलांगता पेंशन–400 रु. प्रतिमाह।
19.	पश्चिम बंगाल	सीमित निधियों के कारण नियम विकलांग व्यक्तियों को 500 रु. प्रतिमाह विकलांगता पेंशन।
20.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	बेरोजगार भत्ता–100 रु. प्रतिमाह।
21.	चंडीगढ़	शैक्षिक अर्हता के आधार पर बेरोजगार भत्ता–150 रु. से 400 रु. प्रतिमाह।
22.	लक्षद्वीप	विकलांगता पेंशन–100 रु. प्रतिमाह।
23.	पांडिचेरी	शैक्षिक अर्हता के आधार पर बेरोजगार भत्ता–200 रु. से 500 रु. प्रतिमाह।

[अनुवाद]

रेल टिकट जारी करना/बेचना

321. श्री सुग्रीव सिंह :
श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री ई.जी. सुगावनम :
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्री चन्द्रभान सिंह :
श्री रशीद मसूद :
श्री मिलिन्द देवरा :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने बैंकों, डाकघरों, पेट्रोल पंपों और अन्य तरीकों से रेल टिकटें जारी करने/बेचने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे टिकट जारी करने/बेचने हेतु संबंधित विभागों/प्राधिकारियों के साथ किसी समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) पर हस्ताक्षर किये गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी निबंधन और शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) ऐसी सुविधा का लाभ उठाने हेतु कितना प्रभार लगाया गया है;

(च) ऐसी सुविधा शुरूआत में किन स्थानों से शुरू की जायेगी;

(छ) रेल यात्रियों को ऐसी सुविधाएं कब तक उपलब्ध कराई जायेंगी;

(ज) क्या रेलवे ने ऐसी प्रणाली को शुरू करने से पहले आने वाली कठिनाइयों का पता लगाया है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (छ) रेल टिकटों के वितरण में सुधार करने की दृष्टि से, निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :–

(i) भारतीय स्टेट बैंक और छः अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों अर्थात् पंजाब नेशनल बैंक, देना बैंक, बैंक ऑफ बड़ोदा, केनरा बैंक, इंडियन बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ देशभर में 1393 स्थानों पर एटीएम लगाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

किए गए हैं। 1393 स्थलों में से, 857 स्थानों पर इंटरनेट के माध्यम से टिकटें जारी करने की सुविधा मुहैया की जाएगी।

(ii) भारतीय रेल खान–पान एवं पर्यटन निगम ने पंजाब के नवाशहर, कपूरथला और मुक्तसर जिलों के जिलाधीशों, आंध्रप्रदेश सरकार (ई–सेवा) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (ई–सुविधा) और उत्तर प्रदेश सरकार के बरेली के जिलाधीश, मणिपुर सरकार (मेनीट्रॉन), राजस्थान सरकार (ई–मित्र सोसायटी), जिलाधीश/इंदौर (समाधान समिति), भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड (बीपीसीएल), सिफी साइबर कैफे, आई टी जेड कैश कार्ड के वितरकों, डन कैश कार्ड युटीलिटी लिमिटेड और हजेज कम्यूनिकेशन इंडिया लिमिटेड के साथ ई–टिकटें जारी करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और ये सेवाएं इनके केन्द्रों पर चालू हो गई हैं।

(iii) डाकघरों के माध्यम से भी रेल टिकटें जारी करने का भी निर्णय लिया गया है। विस्तृत निबंधन एवं शर्तें, इन सुविधाओं के लिए लगाए जाने वाले प्रभार और अन्य ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ज) और (झ) सभी संभावित प्रभावों को ध्यान में रखते हुए सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद करारों पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं और इसका दुरुपयोग रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं।

विवरण

विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से रेल टिकटें जारी करने के लिए निबंधन एवं शर्तें।

1. **आटोमेटिड टेलर मशीनों (ए टी एम) के द्वारा टिकटें जारी करना :**

(क) ए टी एम के साइड में स्थित किओस्क में लगे इंटरनेट से जुड़े पी सी के द्वारा टिकटें जारी की जाएंगी।

(ख) विभिन्न प्रकार की टिकटें प्राप्त करने के लिए यात्रियों द्वारा निर्धारित सेवा प्रभारों का भुगतान किए जाने पर बैंक ए टी एम द्वारा टिकटें जारी करेंगें। किओस्क से टिकटें जारी करने के लिए सेवा प्रभार निर्धारित करने का बैंकों को विवेकाधिकार होगा।

(ग) ए टी एम केन्द्र स्थापित करने के लिए प्रारंभिक और आवर्ती लागत तथा बिजली और कनेक्टिविटी प्रभार बैंक द्वारा वहन किए जायेंगे।

(घ) प्रत्येक स्थान के लिए रेलवे द्वारा निर्धारित वार्षिक लाइसेंस शुल्क का भुगतान बैंकों द्वारा किया जाएगा।

(ङ) ए टी एम से ई–टिकटें जारी करने की सुविधा 857 स्थानों पर मुहैया कराये जाने की संभावना है।

(च) विभिन्न स्थानों पर एटीएम लगाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के तारीख से बारह से पन्द्रह महीनों की अवधि बैंकों को प्रदान की गई है।

2. **पेट्रोल पंपों और अन्य एजेंसियों के माध्यम से टिकटें जारी करना :**

(क) भारतीय रेल खान–पान एवं पर्यटन निगम (आई आर सी टी सी) एजेंटों को इंटरनेट के माध्यम से भारतीय रेल की यात्री आरक्षण प्रणाली पर कार्य करने की सुविधा उपलब्ध कराएगा।

(ख) आरक्षण एवं ई–टिकटें बुक करने के भारतीय रेल के नियम इंटरनेट आधारित ई–बुकिंग के लिए अधिरोपित विशेष शर्तों सहित ऐसे सभी कार्य–व्यापारों पर लागू होंगे।

(ग) आई आर सी टी सी वेबसाइट के माध्यम से टिकटों की ई–बुकिंग पर लागू सेवा संबंधी निबंधन एवं शर्तें एजेंटों के द्वारा बुक की गई टिकटों पर भी यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगी।

(घ) इन एजेंटों को अपने प्राधिकृत उपयोगकर्ता के लिए किसी भारतीय प्रमाणीकरण प्राधिकरण से क्लास 3 पर्सनल डिजीटल प्रमाण–पत्र खरीदना अपेक्षित होगा, जिसका विवरण वे आई आर सी टी सी को देंगे।

(ङ) जब कोई एजेंट लॉग इन करेगा, तो आई आर सी टी सी एप्लीकेशन डिजीटल प्रमाण–पत्र का सत्यापन करेगा और प्राधिकृत पाए जाने पर ही उसे टिकटों की संख्या पर प्रतिबंध के बिना टिकटें बुक करने की अनुमति प्रदान करेगा।

(च) एजेंट प्रचलित मानदंडों के अनुसार टिकटें बुक करेगा और सभी यात्रियों के पहचान पत्र का विवरण देगा।

(छ) ई–बुकिंग टिकटों के लिए एजेंट द्वारा आई आर सी टी सी को भुगतान आन लाइन किया जाएगा और ऐसे भुगतान के लिए इंटरनेट बुकिंग और कैश कार्ड विकल्प का उपयोग करते हुए केवल डायरेक्ट डेबिट द्वारा किया जाएगा।

(ज) विस्तृत निबंधन एवं शर्तें तथा एजेंटों द्वारा वसूल किए जाने वाले प्रभारों का विवरण आई आर सी टी सी की वेबसाइट अर्थात् www.irctc.co.in पर उपलब्ध है।

3. **डाकघरों के माध्यम से टिकटें जारी करना :**

डाकघरों के माध्यम से टिकटें जारी करने के प्रस्ताव को डाक विभाग के परामर्श से अंतिम रूप दिया जा रहा है।

कम्प्यूटरीकृत रेल आरक्षण केन्द्र

322. श्री अनन्त नायक :
श्री ए. साई प्रताप :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख के अनुसार पूर्वतटीय रेलवे के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों और विभिन्न शहरों/कस्बों में कार्यरत कम्प्यूटरीकृत रेल आरक्षण केन्द्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या रेलवे का विचार 2007–08 के दौरान नए कम्प्यूटरीकृत रेल आरक्षण केन्द्र खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार और जोनवार ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) पूर्व तट रेलवे के शहरों/कस्बों और रेलवे स्टेशनों पर 54 स्थानों पर अर्थात् अंगुल, बालूगांव, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर (एसेम्बली), भुवनेश्वर (चन्द्रशेखरपुर), बेरहमपुर, भद्रक, कटक, कटक (आर सी डी), चत्रपुर, चिल्का, ढेनकेनाल, जयपुर क्योंझार रोड, केन्द्रपाडा, खुर्दा रोड, पुरी, पुरी (बंगला धर्मशाला), पारादीप, पलासा, तालचेर, दुवाडा, जगदलपुर, जेपौर, कोरापुट, पारालाखेमुंडी, रायगडा, सिम्हाचलम, श्रीकाकूलम, श्रीकाकूलम टाऊन, विशाखापटनम, विशाखापटनम सी बी ओ, विशाखापटनम (एम वी पी कॉलोनी), विशाखापटनम (नेवल बेस), विशाखापटनम (गुजवुका), विशाखापटनम (ज्ञानपुरम), विजयनगरम, बारगढ़ रोड़, बालंगीर, हीराकुंड, कांटाबानजी, रेसिंगा, महासमुंद्र, संभलपुर, संभलपुर रोड, टिटलागढ़, नवापाडा शेड, जगतसिंहपुर, सोनपुर, भवानीपटना, दांतेवाडा, क्योंझार रोड, मल्कानगिरी, पार्वतीपुरम और बौध नामक रेलवे स्टेशनों पर कंप्यूटरीकृत केन्द्र परिचालित किए गए हैं।

(ख) और (ग) संलग्न विवरण के अनुसार 143 स्थानों पर जल्द ही कंप्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्रों के चालू कर दिए जाने की संभावना है।

विवरण

1.	आहवा	पश्चिम रेलवे
2.	अलौंग	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
3.	अलौंग (डिफेंस)	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
4.	अंबासा	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
5.	अनीनी	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
6.	अंजा	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
7.	अटारी रेलवे स्टेशन	उत्तर रेलवे
8.	औराइया	उत्तर मध्य रेलवे
9.	बागमारा	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
10.	बैरागढ़ (डिफेंस)	पश्चिम रेलवे
11.	बानमंखी	पूर्व मध्य रेलवे
12.	बनमोर	उत्तर मध्य रेलवे
13.	बड़ौत	उत्तर रेलवे
14.	बरेली कैंट	उत्तर रेलवे
15.	बर्सी टाउन	मध्य रेलवे
16.	बासनी	उत्तर पश्चिम रेलवे
17.	भींगा	उत्तर पूर्व रेलवे
18.	बीजापुर सिटी	दक्षिण पश्चिम रेलवे
19.	विष्णुपुर	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
20.	बोमडीला	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
21.	कारनिकोबार	पूर्व रेलवे
22.	कीरी/पिलानी	उत्तर पश्चिम रेलवे
23.	चैमफई	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
24.	चांडेल	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
25.	चंडी मंदिर (डिफेंस)	उत्तर रेलवे
26.	चेंगलंग	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
27.	चिकमंगलूर	दक्षिण पश्चिम रेलवे
28.	चुंगथांग	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
29.	चुराचंदपुर	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
30.	कोलैक्टोरेट कम्पाऊंड	पूर्वोत्तर रेलवे
31.	दापौरीजो	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
32.	देबगढ़	पूर्व तट रेलवे
33.	देवगघ	पूर्व रेलवे
34.	घारमुंड (डिफेंस)	उत्तर रेलवे
35.	धुलियान गंगा	पूर्व रेलवे
36.	डोडा	उत्तर रेलवे
37.	गेटोर जगतपुर	उत्तर पश्चिम रेलवे
38.	गौहना	उत्तर रेलवे

39.	ग्रेटर नोएडा	उत्तर रेलवे
40.	गुड़गांव II लोकेशन	उत्तर रेलवे
41.	गयाल सिंह	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
42.	हौजई	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
43.	हाओबाग	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
44.	आई आई टी/गुवाहाटी	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
45.	आई आई टी/दिल्ली	उत्तर रेलवे
46.	आई एन एस एंग्रे	पश्चिम रेलवे
47.	जाजपुर टाउन	पूर्व तट रेलवे
48.	जामिंया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय	उत्तर रेलवे
49.	जंगीपुर	पूर्व रेलवे
50.	जशपुर	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
51.	झज्जर	उत्तर रेलवे
52.	जोधपुर छावनी	उत्तर पश्चिम रेलवे
53.	जोवई	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
54.	जुन्नारदेव	मध्य रेलवे
55.	कालाशहर	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
56.	कामतुल	पूर्व मध्य रेलवे
57.	कांकेर	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
58.	करनागाका लैजिसलेटर होम	दक्षिण पश्चिम रेलवे
59.	कसौनी	पूर्वोत्तर रेलवे
60.	खागराघाट	पूर्व रेलवे
61.	खैरा	पूर्वोत्तर रेलवे
62.	खजौली	पूर्व मध्य रेलवे
63.	खम्मानगांव	मध्य रेलवे
64.	खौनसा	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
65.	किपहेरे	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
66.	कौलासिब	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
67.	कुचामन सिटी	उत्तर पश्चिम रेलवे
68.	कुरंग कुमे	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
69.	लालगढ़	उत्तर पश्चिम रेलवे
70.	लौखा बाजार	पूर्व मध्य रेलवे
71.	लावंगतलाई	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
72.	लेमाखौंग (मणिपुर)	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
73.	लौंगलेंग	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
74.	लखनऊ छावनी (रक्षा)	उत्तर रेलवे
75.	लुगलेई	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
76.	मद्रास हाईकोर्ट	दक्षिण रेलवे
77.	मझौलिया	पूर्व मध्य रेलवे
78.	मामित	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
79.	मंडी बाववाली	उत्तर पश्चि रेलवे
80.	मंगलवोई	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
81.	मंगन	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
82.	मौंगों	दक्षिण पूर्व रेलवे
83.	मांत्रीपुखी	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
84.	मेरठ छावनी (रक्षा)	उत्तर रेलवे
85.	मोहम्मदाबाद	पूर्वोत्तर रेलवे
86.	मौकोकचुंग	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
87.	मौन	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
88.	मोरीगांव	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
89.	नबरंगपुर	पूर्व तट रेलवे
90.	नौगांव	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
91.	नगरौटा	उत्तर रेलवे
92.	नालिया	पश्चिम रेलवे
93.	नासिरबाद	उत्तर पश्चिम रेलवे
94.	नवापुर	पश्चिम रेलवे
95.	नया गाजियाबाद	उत्तर रेलवे
96.	नयागढ़	पूर्व तट रेलवे
97.	नौंगपोह	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे

98. नौंगस्टोयेन	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
99. ओरास	मध्य रेलवे
100. पंडौला	पूर्व मध्य रेलवे
101. पाऊंटा साहेब	उत्तर रेलवे
102. परसाई	मध्य रेलवे
103. प्रतापपुर (रक्षा)	उत्तर रेलवे
104. पटना एयरपोर्ट	पूर्व मध्य रेलवे
105. पेरेन	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
106. फफूंद	उत्तर मध्य रेलवे
107. फेक	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
108. फूलबनी	पूर्व तट रेलवे
109. पूंछ	उत्तर रेलवे
110. पूंछ (रक्षा)	उत्तर रेलवे
111. पौरोमपेट	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
112. रायवाला (रक्षा)	उत्तर रेलवे
113. राजनगर	पूर्व मध्य रेलवे
114. रामबाग (श्रीनगर)	उत्तर रेलवे
115. रौइंग	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
116. साहिबाबाद	उत्तर रेलवे
117. सेहा	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
118. साकरी	पूर्व मध्य रेलवे
119. सेनापट्टी	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
120. सेप्पा	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
121. सेरछिप	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
122. सिंगताम	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
123. सुंदरगढ़	दक्षिण पूर्व रेलवे
124. सुरतगढ़ कैंट	उत्तर पश्चिम रेलवे
125. तामेंगलौंग	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
126. तामखुई रोड	पूर्वोत्तर रेलवे
127. तवांग	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
128. थौबल	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
129. तिरूवनमपूर रेलवे स्टेशन	दक्षिण रेलवे
130. टिटवाला	मध्य रेलवे
131. तुनसेंग	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
132. तुरा	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
133. उदयपुर	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
134. उखरूल	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
135. उना (गुजरात)	पश्चिम रेलवे
136. उत्तरलाई रेलवे स्टेशन	उत्तर पश्चिम रेलवे
137. वैंकटागिरि	दक्षिण मध्य रेलवे
138. विजयनगरम	पश्चिम रेलवे
139. विलियम नगर	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
140. वोखा	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
141. यिंगकौईंग	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
142. जीरो	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
143. जुनहेबोटो	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे

अहमदाबाद विमानपत्तन

323. श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्रीमती जयाबहन वी. ठक्कर :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद में एक अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन की स्थापना हेतु 291 करोड़ रुपए की परियोजना तैयार की गई है और यह परियोजना आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति से स्वीकृति हेतु लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए ए आई) द्वारा इस परियोजना का काम शुरू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) जी, नहीं। 290.92 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद हवाईअड्डे पर नये अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल भवन के निर्माण की परियोजना को अनुमोदित कर दिया गया है।

(ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने पहले ही परियोजना का कार्य शुरू कर दिया है।

सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देना

324. श्री कीरेन रिजीजू : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु कदम उठा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विशेष रूप से दक्षिण–पूर्व एशिया और पूर्व एशियाई देशों से बौद्ध पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) और (ख) जी, हां। सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने घरेलू बाजार में "भारत के सांस्कृतिक एवं विश्व विरासत स्थल" के नाम से एक अभियान की शुरूआत की है।

(ग) पर्यटन मंत्रालय ने वर्ष 2004–05 के दौरान, दक्षिण–पूर्वी एशियाई और पूर्वी एशियाई क्षेत्रों में प्रमुख रूप से बौद्ध बाजारों में "कम टू इंडिया एंड वाक विद दी बुद्धा" के नाम से एक बड़ा अभियान चलाया था। वर्तमान वर्ष का अभियान कथित बाजार में हमारे बौद्ध विरासत को भी उजागर करता है।

बौद्ध विरासत सहित भारत की सांस्कृतिक विरासत का भी मंत्रालय की सरकारी वेबसाइट और भारत तथा विदेश में स्थित भारत पर्यटन कार्यालयों द्वारा वितरित किए जाने हेतु प्रचार सामग्री के उत्पादन के माध्यम से विश्वव्यापी प्रचार किया जाता है।

[हिन्दी]

शिरडी के लिए विमान सेवाएं

325. श्री रामदस आठवले : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र में अहमदनगर स्थित विश्व प्रसिद्ध साईं बाबा शिरडी धाम को वायु मार्ग से जोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में अभी तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है और इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस विश्व प्रसिद्ध धाम को वायु मार्ग से कब तक जोड़े जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (घ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की शिरडी में हवाईअड्डे के निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने महाराष्ट्र हवाईअड्डा विकास निगम के माध्यम से क्षेत्र का सर्वेक्षण किया था तथा एक हवाईअड्डे के लिए शिरडी के निकट 450 हैक्टेयर भूमि की पहचान की है। एमएडीसी ने प्रारंभिक साध्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए मैसर्स एल एण्ड टी, रम्बोल को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया है।

छत्तीसगढ़ में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सी.पी.एस.यू.)

326. श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में केन्द्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में चलाये जा रहे भारी उद्योगों तथा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सी.पी.एस.यू.) के नाम क्या हैं;

(ख) इन भी उद्योगों तथा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का लाभ/हानि कितना है;

(ग) वर्तमान में इनमें से केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के कितने उपक्रमों को रुग्ण घोषित किया गया है;

(घ) सरकार द्वारा उनके पुनरुद्धार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) इनमें से केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों के नाम क्या हैं जिनका सरकार विनिवेश करने पर विचार कर रही है तथा इसके क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 2 उद्यमों (सी.पी.एस.यू.) अर्थात् फैरो स्क्रेप निगम लि. और सेंट्रल कोलफील्डस लि. के पंजीकृत कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य में हैं।

(ख) वर्ष 2005–06 के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों द्वारा अर्जित किया गया लाभ क्रमशः 5.68 करोड़ रुपए और 1711.66 करोड़ रुपए था।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों में से कोई भी उद्यम रुग्ण नहीं है क्योंकि दोनों की परिसम्पत्ति सकारात्मक है।

(ङ) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों के संबंध में विनिवेश का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[अनुवाद]

श्रेणी-III के कोहरा उपकरण की समीक्षा

327. श्री रेवती रमन सिंह : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रेणी–III उपकरण अधिक उपयोगी नहीं है तथा यात्रियों को उड़ान रद्द होने और ठंड मौसम की परेशानियों को झेलना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कोहरे वाले मौसम से निजात पाने हेतु देश में दिल्ली एवं अन्य विमानपत्तनों पर स्थापित श्रेणी–III के उपकरणों की समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) भविष्य में यात्रियों की असुविधा दूर करने हेतु इस परिस्थिति से निपटने के लिए क्या अन्य कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) जी, नहीं। आई जी आई एयरपोर्ट, दिल्ली पर खराब दृश्यता की स्थिति में, आईएलएस श्रेणी–III, एयरलाइन पायलटो के लिए उपयोगी होता है, जब दृश्यता 50 मीटर तक कम हो जाती है यह प्रणाली विमान के अंदर एक पूरक प्रणाली के रूप में काम करती है। इस प्रणाली का ग्राउंड कम्पलीमेंट संतोषप्रद रूप से कार्य करता हुआ पाया गया है और इसका प्रयोग कैट–III धारी पायलटों तथा विमानों द्वारा किया जा रहा है।

(घ) कोलकाता में आईएलएस सुविधा को कैट–II में उन्नत किया जा रहा है। लखनऊ, अमृतसर और जयपुर हवाईअड्डों पर भी आईएलएस सुविधा को कैट–II में उन्नत करने का प्रस्ताव है।

सौ वर्ष पुराने रेलवे को 'विरासत रेलवे' के रूप में घोषित करना

328. श्री अबु अयीश मंडल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने सौ वर्ष पुराने रेलवे को 'विरासत रेलवे' के रूप मे घोषित करने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन प्रस्तावों हेतु कोई सर्वेक्षण करवाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे सिग्नल प्रणाली, रेल पटरी और रोलिंग स्टॉक का आधुनिकीकरण

329. श्री बसुदेव आचार्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का विचार रेलवे सिग्नल प्रणाली, रेल पटरी और रोलिंग स्टॉक के आधुनिकीकरण हेतु 1 लाख करोड़ रुपये निवेश करने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्तावित निवेश से संबंधित अलग–अलग ब्यौरा क्या है; और

(ग) जोनवार कौन से कार्य इसके अंतर्गत किए जाएंगे तथा उक्त कार्यों हेतु कितनी निधि आबंटित की जायेगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) रेलवे सिग्नल प्रणाली, रेलपथ और चल स्टॉक का आधुनिकीकरण एक सतत् प्रक्रिया है और आवश्यकता अनुसार वार्षिक योजना में धनराशि उपलब्ध कराई जाती है जो संसाधनों की समग्र उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

राज्य और जिला सैनिक बोर्डों को बुनियादी सुविधाएं

330. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य और जिला सैनिक बोर्डों के पास श्रम शक्ति और कार्यालय के लिए स्थान के मामले में बुनियादी सुविधाएं भी नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इन बोर्डों में रिक्त पदों को तत्काल भरने हेतु राज्य सरकारों को पत्र लिखा है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार को इस संबंध में क्या उत्तर प्राप्त हुए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू) : (क) विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन 32 राज्य सैनिक बोर्ड तथा 352 जिला सैनिक बोर्ड हैं। कुछ बोर्डों के पास पर्याप्त कार्मिक शक्ति तथा भवन आदि नहीं है।

(ख) इन बोर्डों की प्राधिकृत तथा विद्यमान कार्मिक शक्ति क्रमशः 4317 तथा 3286 है। कार्मिक शक्ति की कमी इसलिए है कि कुछेक राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों ने रिक्त पदों को नहीं भरा है।

(ग) और (घ) सरकार ने इन बोर्डों में रिक्त पदों को शीघ्रता से भरने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध किया है तथा राज्य सरकारों प्रत्युत्तर में सकारात्मक रूप से विचार करने का आश्वासन दिया है।

[हिन्दी]

जैन मन्दिर से मूर्तियों की चोरी

331. श्री टेक लाल महतो : क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में गुड़गांव के जैन मंदिर से अष्टधातु की दस मूर्तियां चोरी हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) और (ख) हरियाणा राज्य पुलिस द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार जकुमपुरा, गुड़गांव में स्थित जैन मन्दिर से 10 अष्टधातु की मूर्तियों की चोरी की सूचना है। चोरियां केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों से नहीं की गई हैं।

चोरी हुई मूर्तियों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) राष्ट्रीय संरक्षित स्मारकों, स्थलों तथा संग्रहालयों में प्राचीन मूर्तियों तथा पुरावशेषों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए पहरा तथा निगरारी स्टाफ को तैनात किया गया है। निजी सुरक्षा गार्ड, राज्य पुलिस तथा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल लगाकर इनकी संख्या को बढ़ाया गया है।

विवरण

अभी हाल में गुड़गांव स्थित जैन मन्दिर से चोरी हुई दस अष्टधातु की मूर्तियों की सूची

1. आदि नाथ भगवान की दो मूर्तियां जो आठ धातुओं (अष्टधातु) के सम्मिश्रण से बनी पीतल (पीले) रंग वाली 12 इंच ऊंची बैल निशान वाली है।
2. खड्गजोन बाहुबली की एक प्रतिमा आठ धातुओं (अष्टधातु) के सम्मिश्रण से बनी पीतल (पीले) रंग वाली 9 इंच ऊंची है।
3. महावीर भगवान की एक मूर्ति जो आठ धातुओं (अष्टधातु) के सम्मिश्रण से बनी पीतल (पीले) रंग वाली 12 इंच ऊंची है।
4. एक चहुंमुखी मूर्ति जो आठ धातुओं (अष्टधातु) के सम्मिश्रण से बनी पीतल (पीले) रंग वाली 4 इंच ऊंची है।
5. पार्श्व नाथ की एक मूर्ति जो आठ धातुओं (अष्टधातु) के सम्मिश्रण से बनी पीतल (पीले) रंग वाली 4 इंच ऊंची है।
6. पंच परमेश्वर की एक मूर्ति जो आठ धातुओं (अष्टधातु) के सम्मिश्रण से बनी पीतल (पीले) रंग वाली 4 इंच ऊंची है।
7. अरिहन्त भगवान की एक मूर्ति जो आठ धातुओं (अष्टधातु) के सम्मिश्रण से बनी पीतल (पीले) रंग वाली 4 इंच ऊंची है।
8. चौबीसी की एक मूर्ति जो आठ धातुओं (अष्ठधातु) के सम्मिश्रण से बनी पीतल (पीले) रंग वाली 4 इंच ऊंची है।
9. महावीर भगवान की एक मूर्ति जो आठ धातुओं (अष्टधातु) के सम्मिश्रण से बनी पीतल (पीले) रंग वाली 4 इंच ऊंची है।

[अनुवाद]

राजस्थान में केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारक

332. श्री दुष्यंत सिंह : क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र द्वारा संरक्षित इन स्मारकों के संरक्षण और परिरक्षण पर कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान इन स्मारकों से कितना राजस्व अर्जित किया गया?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के क्षेत्राधिकार में राजस्थान में 160 केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों/स्थलों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान संरक्षण, परिरक्षण, रख–रखाव और उनके पर्यावरण संबंधी विकास पर खर्च की गई राशि निम्नानुसार है:–

2003–04	341.34 लाख रुपये
2004–05	279.97 लाख रुपये
2005–06	285.00 लाख रुपये

वर्ष 2006–07 के दौरान जनवरी, 2007 तक 295.00 लाख रुपये खर्च किए गए हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन स्मारकों से अर्जित राजस्व निम्नानुसार है:–

2003–04	39.70 लाख रुपये
2004–05	57.17 लाख रुपये
2005–06	55.76 लाख रुपये
2006–07 (जनवरी, 2007 तक)	50.85 लाख रुपये

विवरण

राजस्थान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के क्षेत्राधिकार में आने वाले केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों/स्थलों की सूची

क्रम सं.	स्मारक/स्थल का नाम	स्थान	जिला
1	2	3	4
1.	अढ़ाई–दिन का झोंपड़ा	अजमेर	अजमेर
2.	अजमेर–जयपुर मार्ग पर स्थित बावड़ी	अजमेर	अजमेर
3.	बादशाही हवेली	अजमेर	अजमेर
4.	एक तोरण मार्ग सहित दिल्ली दरवाजा	अजमेर	अजमेर
5.	तारागढ़ पहाड़ी का प्रवेश द्वार	अजमेर	अजमेर
6.	अना सागर बाध पर संगमरमर का पैविलियन तथा बलूस्ट्रेड और अना सागर बांध के पीछे मार्वल हम्मान के अवशेष	अजमेर	अजमेर
7.	दौलत बाग में सहेली बाजार की इमारतें	अजमेर	अजमेर
8.	सोला थुंवा के नाम से मशहूर अलाउद्दीन खान का मकबरा	अजमेर	अजमेर
9.	अबदुल्ला खान और उसकी बीबी का मकबरा	अजमेर	अजमेर
10.	त्रिपोलिया गेट	अजमेर	अजमेर
11.	अकबर किला में मैगजीन भवन	अजमेर	अजमेर
12.	सम्राट अकबर द्वारा खड़ी की गई कोस मीनार	अजमेर–जयपुर रोड़	अजमेर
13.	सम्राट अकबर द्वारा खड़ी की गई कोस मीनार	अजमेर–जयपुर रोड	अजमेर
14.	सम्राट अकबर द्वारा खड़ी की गई कोस मीनार	चतरी	अजमेर
15.	सराय	चतरी	अजमेर
16.	सम्राट अकबर द्वारा खड़ी की गई कोस मीनार	चुग्रा	अजमेर
17.	सम्राट अकबर द्वारा खड़ी की गई कोस मीनार	होशियारा	अजमेर
18.	सम्राट अकबर द्वारा खड़ी की गई कोस मीनार	होशियारा	अजमेर
19.	सम्राट अकबर द्वारा खड़ी की गई कोस मीनार	कैर	अजमेर
20.	सम्राट अकबर द्वारा खड़ी की गई कोस मीनार	खानपुरा	अजमेर
21.	महल बादशाली	पुष्कर	अजमेर
22.	भंडासर जैन मंदिर	बीकानेर	बीकानेर
23.	सूसनी देवी का जैन मंदिर	मोरखाना	बनस्वारा
24.	शिव मंदिर एवं खंडहर	अरथुना	भीलवाड़ा
25.	महाकाल और दो अन्य मंदिर	बिजोलिया	भीलवाड़ा
26.	शिलालेख (12वीं शताब्दी)	बिजोलिया	भीलवाड़ा
27.	पार्श्वनाथ मंदिर परिसर के अंदर के शिलालेख (12वीं शताब्दी)	बिजोलिया	भीलवाडा
28.	कनेर की पुतली के नाम से मशहूर प्राचीन मंदिर	खादीपुर गांव	बूंदी
29.	महल में हरदोती स्कूल के भित्ति चित्र	बूंदी	बूंदी
30.	प्राचीन टीला	नैनवा	बूंदी
31.	प्राचीन टीला	कैशवरईपटन	बूंदी
32.	घटेश्वर मंदिर	बदौली	चित्तौड़गढ़
33.	कुंड	बदौली	चित्तौड़गढ़
34.	श्रीनगर चावड़ी	बदौली	चित्तौड़गढ़
35.	आस्था माता मंदिर	बदौली	चित्तौड़गढ़
36.	गणेश मंदिर	बदौली	चित्तौड़गढ
37.	शेषशयन मंदिर	बदौली	चित्तौड़गढ़
38.	शिव मंदिर एवं कुंड	बदौली	चित्तौड़गढ़
39.	त्रिमूर्ति मंदिर	बदौली	चित्तौड़गढ़

1	2	3	4
40.	नारद मंदिर के नाम से मशहूर वामनावतार मंदिर	बदौली	चित्तौड़गढ़
41.	चित्तौड़ का संपूर्ण किला	चित्तौड़	चित्तौड़गढ़
42.	महानल मंदिर तथा मठ	मेनाल	चित्तौड़गढ़
43.	हाथीवाड़ा अहाता एवं अभिलेख प्लांट नं. 301 से सटा हुआ	नागरी	चित्तौड़गढ़
44.	सर्वेक्षण नं. 2, 991, 992, 993, 994/1, 994/3, 995, 996, 997, 999, 1000 तथा 1002 के संपूर्ण सर्वेक्षण में शामिल समीपवर्ती इलाकों के साथ–साथ प्राचीन स्थल एवं अवशेष	नागरी	चित्तौड़गढ़
45.	पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष	निलोथ/ जेबरा	चित्तौड़गढ़
46.	प्राचीन टीले	बदोपल	हनुमानगढ़
47.	प्राचीन टीले	भद्रकाली	हनुमानगढ़
48.	प्राचीन टीले	धोकल	हनुमानगढ़
49.	किला भटनेर	हनुमानगढ़	हनुमानगढ़
50.	तीन प्राचीन टीले	कालिम्बनगन	हनुमानगढ़
51.	प्राचीन टीले	मानक	हनुमानगढ़
52.	प्राचीन टीले	मुंडा	हनुमानगढ़
53.	प्राचीन टीले	पीर सुल्तान	हनुमानगढ़
54.	प्राचीन टीले	पीलिंबनगन	हनुमानगढ़
55.	दो प्राचीन टीले	मथुला	गंगानगर
56.	प्राचीन टीले	चक 86	गंगानगर
57.	प्राचीन टीले	भानर	गंगानगर
58.	प्राचीन टीले	बिंजौर	गंगानगर
59.	प्राचीन टीले	बरोर	गंगानगर
60.	प्राचीन टीले	रंग महल	गंगानगर
61.	प्राचीन टीले	तारखानवाला डेरा	गंगानगर
62.	जैन मंदिर अभिलेख	बड़ौदा	डूंगरपुर
63.	सोमनाथ मंदिर	देव शोमनाथ	डूंगरपुर
64.	बौद्ध गुफाएं एवं स्तंभ	विन्यागा (डंग)	झलावर
65.	नरंजनी आदि की गुफाएं	विन्यागा (डंग)	झलावर
66.	प्राचीन खंडहर	डलसानगर (गंधार)	झलावर
67.	प्राचीन खंडहर	दुधलिया (डंग)	झलावर
68.	बौद्ध गुफाएं	हात्यागौर	झलावर
69.	बौद्ध गुफाएं, स्तंभ, मूर्तियां	कोलवी (डंग)	झलावर
70.	चंद्रभाग के समीप स्थित प्राचीन मंदिर	झालरापटन	झलावर
71.	प्राचीन टीला	अबनेरी	दौसा
72.	वावड़ी	अबनेरी	दौसा
73.	हरसत माता का मंदिर	अबनेरी	दौसा
74.	बंजारों की छतरी (भरहुत स्तूप के रेलिंग पिलर के जैसे दो स्तंभ)	लालसेट	दौसा
75.	प्राचीन टीला	महेश्वर	दौसा
76.	प्राचीन टीला	रानीवास	दौसा
77.	प्राचीन टीला	सिकरई	दौसा
78.	सूर्य मंदिर	अम्बेर	जयपुर
79.	जामा मस्जिद	अम्बेर	जयपुर
80.	लक्ष्मी नारायण मंदिर	अम्बेर	जयपुर
81.	श्री जगत शिरोमणिजी मंदिर	अम्बेर	जयपुर
82.	पुंडरीक जी की हवेली – कमरे की चित्रकारी	ब्रह्मपुरी	जयपुर
83.	प्रेसको चित्रकारी वाला मंदिर	गुलटाजी	जयपुर
84.	उत्खनित स्थल	सांभर	जयपुर
85.	उत्खनित स्थल	बैराट	जयपुर
86.	प्राचीन मंदिर सहित किला	जैसलमेर	जैसलमेर

1	2	3	4
87.	प्राचीन स्थल	लोधुर्वा पटन	जैसलमेर
88.	किला	मंडौर	जोधपुर
89.	मंदिर के खंडहर	गणेश–गंज और अतरू	बरन
90.	यूपा स्तंभ	बादवा	बरन
91.	मंदिर	बरन	बरन
92.	प्राचीन खंडहर तथा ढांचागत अवशेष	कृष्णविलास	बरन
93.	प्राचीन मंदिर, मूर्ति तथा अभिलेख	सारगढ़	बरन
94.	शिव मंदिर तथा दो अप्रकाशित गुप्त काल के अभिलेख	चरचोमा	कोटा
95.	मंदिर, किला दीवार तथा प्रतिमाएं	डारा या मुकन्दारा	कोटा
96.	अभिलेख सहित मंदिर	कंसवा	कोटा
97.	बावड़ी में पारसी अभिलेख	अलनपुर	सवाईमाधोपुर
98.	जैन मंदिर	सवाईमाधोपुर	सवाईमाधोपुर
99.	रणथंभौर का किला	रनथम्भौर	सवाईमाधोपुर
100.	हर्षनाथ का किला	सीकर	सिकर
101.	बीसलदेव जी का मंदिर	बीसलपुर	टोंक
102.	प्राचीन टीला	बुंदवाली डाँगरी	टोंक
103.	प्राचीन टीला	गरियागढ़ (नेवई)	टोंक
104.	देवपुरा वरोडिया टीले	झलीया	टोंक
105.	हाथी भाटा	खेरा	टोंक
106.	प्राचीन टीला	नगर	टोंक
107.	उत्खनित स्थल	नगर	टोंक
108.	किला में अभिलेख	नगर	टोंक
109.	मांड किला ताल अभिलेख	नगर	टोंक
110.	बिचपूरिया मंदिर में युपा स्तंभ	नगर	टोंक
111.	अभिलेख	पनवर	टोंक
112.	उत्खनित स्थल	रैर (नेवाई)	टोंक
113.	काला पहाड़ मंदिर	टोडाराय सिंह	टोंक
114.	कल्याण रायजी का मंदिर	टोडाराय सिंह	टोंक
115.	स्थानीय तौर पर गोपीनाथ जी के मंदिर के नाम से मशहूर लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर	टोडाराय सिंह	टोंक
116.	हादी रानी का कुंड के नाम से मशहूर पुरानी बावड़ी	टोडाराय सिंह	टोंक
117.	पीपा जी का मंदिर	टोडाराय सिंह	टोंक
118.	अकबर की छतरी	बयाना	भरतपुर
119.	प्राचीन किला तथा इसके स्मारक	बयाना	भरतपुर
120.	ब्रहमवाद ईदगाह	बयाना	भरतपुर
121.	इस्लाम शाह का दरवाजा	बयाना	भरतपुर
122.	जहांगीर का प्रवेश द्वार	बयाना	भरतपुर
123.	झझरी	बयाना	भरतपुर
124.	सराज सादुल्ला	बयाना	भरतपुर
125.	ऊषा मंदिर	बयाना	भरतपुर
126.	लोधी की मीनार	बयाना	भरतपुर
127.	भरतपुर किले के बाहर दिल्ली दरवाजा	भरतपुर	भरतपुर
128.	अनाह दरवाजे के समीप फतेह बुर्ज	भरतपुर	भरतपुर
129.	भरतपुर किले के अंदर जवाहर बुर्ज तथा अष्टधातु प्रवेश द्वार	भरतपुर	भरतपुर
130.	किले की दीवार के चारों तरफ की खंदक	भरतपुर	भरतपुर
131.	चौबुर्ज दरवाजा तथा चौबुर्ज एवं अष्टधातु दरवाजों पर संपर्क सेतु सहित किले की दीवारें	भरतपुर	भरतपुर

1	2	3	4
132.	डीड भवन (महल)	दीग	भरतपुर
133.	लूटी गई तोप	दीग	भरतपुर
134.	संगमरमर का झोला	दीग	भरतपुर
135.	चौरासी खंभा मंदिर	कमान	भरतपुर
136.	प्राचीन टीला	मलाह	भरतपुर
137.	प्राचीन टीला	नोह	भरतपुर
138.	यक्ष की आदम कद प्रतिमा	नोह	भरतपुर
139.	लाल महल	रूपवा	भरतपुर
140.	शिव मंदिर	नीलकंठ	अलवर
141.	प्राचीन स्थल	भानगढ़	अलवर
142.	प्राचीन अवशेष	पनदरूपुर	अलवर
143.	लाल मस्जिद	तिजारा	अलवर
144.	प्राचीन खंडहर	कल्याणपुर	धौलपुर
145.	सास बहू मंदिर	नगडा	धौलपुर
146.	कुंभलगढ़ का संपूर्ण किला	कुम्बलगढ़	राजसमंद
147.	पैवेलियन एवं तोरण अभिलेख सहित घाट (प्लाट नं. 344 में शामिल क्षेत्र के समीप में स्थित)	नई चौकी राजसमंद	राजसमंद
148.	पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष	गिलूंड	राजसमंद
149.	बाबर का बगीचा (चार बाग)	धौलपुर (जोर)	राजसमंद
150.	जोगिनी – जोगना मंदिर	धौलपुर/ साने का गुर्जा	धौलपुर
151.	शेरगढ़ किला	धौलपुर	धौलपुर
152.	महाराजा गोपाल लाल के महल में भित्ति चित्र	करौली	करौली
153.	हल्दीघाटी	दारा	राजसमंद
154.	बादशाही बाग	नाथद्वारा, खेमनेर	राजसमंद
155.	चेतक समाधि	नाथद्वारा, खेमनेर	राजसमंद
156.	रक्त तलाई	तहसील नाथद्वारा	राजसमंद
157.	चावंड स्थित महाराणा प्रताप का क्षतिग्रस्त महल	सारदा	उदयपुर
158.	हवा महल के नाम से प्रख्यात महल, वीरपुरा (जयसमंद)	सारदा	उदयपुर
159.	रूठी रानी का महल के नाम से विख्यात हवा महल (जयसमंद)	सारदा	उदयपुर
160.	ब्रह्मा मंदिर का संरक्षण	पुष्कर	अजमेर

पेयजल की गुणवत्ता

333. डा. अरुण कुमार शर्मा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को अपने यात्रियों को उपलब्ध कराए जा रहे पेयजल की गुणवत्ता के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रेलवे में व्यापक स्तर पर 'पेयजल' के क्लोरिनेशन हेतु सामाय नमक के उपयोग पर आधारित सोडियम हाइपोक्लोराइड टेक्नोलॉजी का साइट जनरेशन भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा मानकीकृत है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी संहिता और संदर्भ (कोड एंड रेफरेन्स) का ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो रेलवे द्वारा नीति के रूप में ऐसी प्रौद्योगिकी को अपनाने के क्या कारण हैं;

(च) क्या रेलवे का विचार लोक स्वास्थ्य से जुड़े इस महत्वपूर्ण पहलू की सही संदर्भ में समीक्षा का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) पीने के पानी की गुणवत्ता के संबंध में प्राप्त शिकायतों के अलग से कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पीने के पानी को बड़े पैमाने पर क्लोरीन युक्त बनाने के लिए साधारण नमक के इस्तेमाल पर आधारित उसी स्थल पर सोडियम हाइपो क्लोराइट के निर्माण संबंधी प्रौद्योगिकी को अभी भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा मानकीकृत नहीं किया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) रेलों द्वारा अपनाई जाने वाली अन्य बहुत से विधियों में से यह भी एक विधि है और इसे अन्य मौजूदा प्रणालियों में सुधार के रूप में ही देखा गया है।

(च) और (छ) इस प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, मामले की समीक्षा की गई और क्षेत्रीय रेलों को नमूनों की प्रयोगशाला जांच करने का निर्देश दिया गया है।

भारत दर्शन रेलगाड़ी

334. श्री फ्रांसिस फैन्थम : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे द्वारा शुरू की गई विशेष पर्यटन रेलगाड़ी, 'भारत दर्शन' की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) वर्तमान में ऐसी रेलगाड़ियां किन सर्किटों/मार्गों पर चल रही हैं;

(ग) पिछले एक वर्ष के दौरान कितने पर्यटकों ने इस योजना का लाभ उठाया और इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया रही;

(घ) क्या रेलवे का विचार अन्य सर्किटों/मार्गों पर ऐसी और अधिक रेलगाड़ियां चलाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) रेल मंत्रालय भारत दर्शन गाड़ियां चलाता है, जो पर्यटकों को देश भर में विभिन्न महत्वपूर्ण पर्यटक स्थानों पर ले जाती हैं। इस प्रकार की गाड़ियों को चलाने का उद्देश्य आम भारतीय नागरिक को प्रति दिन 500 रु. के कुल खर्च, जिसमें गाड़ी से यात्रा करने की लागत, खाना, स्थल–दर्शन, गाइड आदि का खर्च शामिल है, पर देश को देखने का अवसर प्रदान करना है।

(ख) से (ङ) कोई विशिष्ट परिपथ/मार्ग निर्धारित नहीं है। तदनुसार, देश के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न अवधियों और मार्गों के यात्राक्रम तैयार किए जाते हैं और उन्हें विज्ञापित किया जाता है। चयन किए गए गतव्य स्थल पूरे देश में फैले हैं। पिछले वर्ष के दौरान 7905 नागरिकों ने इस सुविधा का लाभ उठाया है। यह उत्साहवर्द्धक है और हाल के ट्रिपों में गाड़ियों से ज्यादा लोगों ने यात्रा की है।

[हिन्दी]

फूड प्लाजा में खाद्य-पदार्थों के मूल्य

335. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :
श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे स्टेशनों पर नवनिर्मित फूड प्लाजा में बेचे जा रहे खाद्य–पदार्थों के मूल्य बाजार मूल्य से अधिक हैं;

(ख) यदि हां, तो रेलवे की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इन फूड प्लाजा में बेचे जा रहे खाद्य पदार्थों के मूल्य पर रेलवे का कोई नियंत्रण है; और

(घ) यदि हां, तो रेलवे द्वारा यात्रियों को सस्ते/उचित मूल्य पर खाद्य पदार्थ मुहैया कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (घ) फूड प्लाजाओं में बिक्री किए जाने वाले खाद्य पदार्थों की कीमत का निर्धारण बाजार के रुख के आधार पर किया जाता है। इस संबंध में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। रेलवे, रेलवे बोर्ड के अनुमोदन से निर्धारित युक्तिसंगत कीमतों पर मानक भोजन, ब्रेकफास्ट, चाय/कॉफी मुहैया कराती है, जिन्हें पैंट्री कारों, अल्पाहार कक्षों, स्टॉलों और ट्रॉलियों के जरिए उपलब्ध कराया जाता है।

ओरेकल ई-बिजनेस सूट

336. श्री अमिताभ नन्दी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम लिमिटेड (आई.आर.सी.टी.सी.) ने अपनी सभी प्रक्रियाओं को स्वाचालित और सुचारु बनाने हेतु ओरेकल ई–बिजनेस सूट का चयन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह उद्यम किस प्रकार से आई.आर.सी.टी.सी. की क्षमता बढ़ाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम में शुरू किए गए ओरेकल ई–बिजनेस सूट का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

1. ओरेकल वित्त जिसमें कंपनी के लिए सामान्य लेजर, भुगतान किए जाने वाले और प्राप्त किए जाने वाले लेखों, अचल परिसंपत्तियां और प्रॉपर्टी मैनेजर माड्यूल्स शामिल है।
2. कंपनी के लिए ओरेकल खरीदारी और इन्वैंटरी माड्यूल्स।
3. भा.रे. खानपान एवं पर्यटन निगम के कर्मचारियों के लिए ओरेकल मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एच आर एम एस)

(ग) निम्नलिखित तरीकों से ओरेकल ई–बिजनेस से भा.रे. खानपान एवं पर्यटन निगम के कार्य निष्पादन में सुधार होने की आशा है:–

(क) दक्ष कार्य प्रणाली : ओरेकल ई–बिजनेस सूट (ई आर पी) में ऐसी सर्वोत्तम गुणवत्ता मौजूद है जिसका इस्तेमाल विभिन्न संगठनों द्वारा प्रक्रियाओं से फालतू बातों को हटाने के लिए किया जाता है।

(ख) एकीकृत माड्यूल्स : यह कंपनी के सभी विभागों के साथ–साथ संपूर्ण उद्यम को पूरी तरह से एकीकृत प्रणाली मुहैया कराता है। ई.आर.पी. के विभिन्न माड्यूल्स, विभिन्न विभागों को बिना किसी कठिनाई के एकीकृत कर सकते हैं जिससे वे एक डाटा को शेयर कर सकते हैं और इस प्रकार विभागीय सम्प्रेषणों को कम किया जा सकता है।

(ग) केन्द्रीकृत डाटा अनुरक्षण : कारपोरेट स्तर पर बेहतर सामंजस्य – शीघ्र निर्णयों के लिए प्रबंधन की सभी प्रकार की रिपोर्टों की संभाव्यता।

(घ) संगठन के भीतर सूचना सुरक्षा को पूरी तरह सुनिश्चित करके रोल बेस एक्सेस के साथ विभिन्न उपयोगकर्ता ग्रुपों से एक्सेस।

पश्चिम रेलवे के मुख्यालय का स्थानांतरण

337. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे का मुख्यालय मुम्बई से अहमदाबाद स्थानांतरित करने हेतु गुजरात से कोई मांग है; और

(ख) यदि हां, तो रेलवे की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां।

(ख) किसी रेलवे के मुख्यालय का निर्धारण परिचालनिक तथा प्रशासनिक आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है जोकि क्षेत्रीय आधार पर न होकन किफायत तथा कार्यकुशलता की आवश्यकताओं पर निर्धारित होता है। मौजूदा व्यवस्था संतोषजनक तरीके से कार्य कर रही है। इसके मद्देनजर, पश्चिम रेलवे के मुख्यालय का स्थानांतरण अहमदाबाद करने का कोई विचार नहीं है।

इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड का पुनरुद्धार

338. श्री एन.एन. कृष्णदास : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड हेतु कोई पुनरुद्धार पैकेज सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या पलाक्कड़ यूनिट को स्वतंत्र दर्जा देने और इसे इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड की अनुषंगी इकाई बनाने हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के भारतीय उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख) लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) द्वारा इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड के पुनरुद्धार के संबंध में एक प्रस्ताव की सिफारिश की गई है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ माफी के रूप में नगद सहायता तथा गैर–नगद सहायता और इक्विटी के रूप में ऋण को परिवर्तन करने की परिकल्पना की गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

हाइड्रोकार्बन के भण्डार

339. श्रीमती अर्चना नायक : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत द्वारा आगामी वर्षों में हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में एक लम्बी कूद लगाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में देश में हाइड्रोकार्बन भण्डारों की क्षमता कितनी है;

(घ) देश में हाइड्रोकार्बन भण्डारों का पता लगाने तथा उनका दोहन करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओ.एन.जी.सी.) द्वारा हाइड्रोकार्बन के खोज कार्य में कोई बड़ी उन्नति हुई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) जी, हां। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना कार्यक्रम के मसौदे के अनुसार, दसवीं योजना की संभावित उपलब्धियों की तुलना में हाईड्रोकार्बन अन्वेषण तथा उत्पादन क्षेत्र की प्रमुख गतिविधियों में एक मात्रात्मक उछाल आना संभावित है।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) देश में कुल प्रक्षेपित हाईड्रोकार्बन स्रोत लगभग 28 बिलियन टन होने का अनुमान है। दिनांक 1.4.2007 की स्थिति के अनुसार, इनमें से 8.7 बिलियन टन सिद्ध तत्स्थान तेल व गैस भंडार हैं।

(घ) देश में हाईड्रोकार्बन भंडारों के अन्वेषण तथा दोहन के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं:–

- नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एनईएलपी) के विभिन्न दौरों के तहत प्रस्तावित किए जाने के लिए अन्वेषण हेतु क्षेत्र के लिए अधिक से अधिक क्षेत्रों को तैयार किया जाना।
- उत्पादन की शुरूआत हेतु सक्षम बनाने के लिए खोजे गए भण्डारों का तीव्र विकास करना।
- विद्यमान क्षेत्रों से उत्पादन को बढ़ाने के लिए उत्प्रेरण तकनीकों का उपयोग।
- विद्यमान क्षेत्रें में वृद्धिपरक निकासी घटक हेतु वर्धित तेल निकासी (ईओआर)/उन्नत तेल निकासी (आईओआर) तकनीकों का प्रयोग।
- देश में इक्विटी तेल लाने के लिए विदेश में अन्वेषण रकबों तथा उत्पादक आस्तियों का अर्जन।
- बायो–डीजल, एथेनॉल, आदि जैसे अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों की खोज करने के लिए सहायक प्रयास।

(ङ) और (च) ओएनजीसी ने भूकम्पीय आंकड़ों को अर्जित करने के लिए अपने दसवीं योजना (2002–07) लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। द्विआयामी भूकम्पीय के 35286 लाइन किलोमीटर तथा त्रिआयामी भूकम्पीय के 34834 वर्ग किलोमीटर के योजनाबद्ध लक्ष्यों की तुलना में दिनांक 01.01.2007 की स्थिति के अनुसार में 59144 लाइन किलोमीटर द्विआयामी तथा 81169 वर्ग किलोमीटर त्रिआयामी का कुल अर्जन हुआ। 561 कूपों के योजनाबद्ध अन्वेषी कूप वेधन लक्ष्य की तुलना में दिनांक 01.01.2007 की स्थिति के अनुसार 550 अन्वेषी कूपों के वेधन की लक्ष्य प्राप्ति हुई। इसी अवधि के दौरान (2002–07) तेल तथा तेल समतुल्य गैस (ओ+ओईजी) के 548.43 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) के योजनाबद्ध तत्स्थान उपचय 507.24 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) रहे हैं। वर्ष 2006–07 के लिए, चूंकि सभी अंर्तनिवेश तत्स्थान हैं, ओएनजीसी अपने अन्वेषी वेधन तथा तत्स्थान उपचय लक्ष्य इस वर्ष के अंत से पहले प्राप्त कर लेगी। ईओआर/आईओआर तकनीकों को लागू करने के कारण ओएनजीसी का 2000–01 से 2005–06 तक का वर्धमान तेल लाभ 22.6 एमएमटी था।

विवरण

दसवीं पंचवर्षीय योजना में संभावित उपलब्धियों की तुलना में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए प्रमुख संकेत सूचक वास्तविक प्राचल निम्नानुसार हैं:–

प्राचल	दसवीं योजना के लक्ष्य	दसवीं योजना में संभावित उपलब्धियां	ग्यारहवीं योजना के लिए संकेत सूचक वास्तविक प्राचल
1	2	3	4
भूकम्पीय सर्वेक्षण			
द्विआयामी (जीएलके/एलके)	98327	64867	128424
त्रिआयामी (वर्ग किलोमीटर)	48305	63947	150573
अन्वेषी वेधन कूपों की संख्या	871	944	1100
विकास वेधन कूपों की संख्या	883	1191	1660
हाईड्रोकार्बन			
तत्स्थान उपचय (एमएमटी)			
घरेलू	785–914	1813.42	1829.44
उत्पादन तेल (एमएमटी)			
घरेलू:	165.24–169.38	167.74	211.64
विदेशी:	5.2	16.83	35.51
योग	170.44–174.58	184.57	247.15

1	2	3	4
उत्पादन गैस (बीसीएम)			
घरेलू:	167.43–176.50	158.79	224.56
विदेशी:	4.94	5.41	9.67
योग	172.37–181.44	164.2	234.23
उत्पादन तेल व गैस (एमएमटीओई)	332.67–345.88	326.53	436.2
घरेलू:	10.14	22.24	45.18
विदेशी:	342.81–356.02	348.77	481.38
योग			
सीबीएम गैस उत्पादन (बीसीएम)	–	–	3.78
यूसीजी गैस उत्पादन (बीसीएम)	–	–	2.99

[हिन्दी]

विभिन्न जोनों में कार्यरत 'गैंगमैन'

340. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार देश के विभिन्न रेलवे जोनों में विशेषकर शोलापुर जोन में कार्यरत गैंगमैनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या रेलवे ने रेल मार्गों के अनुपात में गैंगमैन की नियुक्ति की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) 01.12.2006 के अनुसार क्षेत्रीय रेलों में रजिस्टर में दर्ज गैंगमैन/गैंगमेट की संख्या निम्नानुसार है:

मध्य	14147
पूर्व	9759
पूर्व तट	6658
पूर्व मध्य	12722
उत्तर	17104
उत्तर मध्य	10405
पूर्वोत्तर	6638
पूर्वोत्तर सीमा	11800
उत्तर पश्चिम	7819
दक्षिण	11076
दक्षिण मध्य	15313
दक्षिण पूर्व	10269
दक्षिण पूर्व मध्य	7475
दक्षिण पश्चिम	3905
पश्चिम	13142
पश्चिम मध्य	10409

सोलापुर मंडल पर रजिस्टर में दर्ज कर्मचारियों की संख्या 1843 है।

(ख) 'रेल पथ अनुरक्षण हेतु जनशक्ति' लागत मानदण्ड (एम सी एन टी एम) के युक्तिसंगत फार्मूले के अनुसार गैंग संख्या का आकलन किया जाता है।

(ग) उपर्युक्त फार्मूले से, प्रति कि.मी. जनदिवसों की आवश्यकता को निकाला जाता है।

(घ) लागू नहीं है।

[अनुवाद]

पंजीकृत कम्पनियों में नियोजित अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों का आंकड़ा

341. श्रीमती जयाप्रदा : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजीकृत कम्पनियों में नियोजित पिछड़े वर्ग के लोगों का आंकड़ा तैयार करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के भण्डार और अधिविशेष

342. श्री तरित बरण तोपदार : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का कुल भण्डार और अधिशेष कितना रहा है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान उपर्युक्त सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा कितना निवेश किया गया?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों मे केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र (सी.पी.एस.ई.) के लाभ अर्जित करने वाले उद्यमों के सकल ब्लॉक के सन्दर्भ में कुल आरक्षित निधि, अधिशेष राशि और निवेश नीचे दिया गया है।

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	लाभ अर्जित करने वाले केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की संख्या	आरक्षित कुल निधि और अधिशेष राशि	सकल ब्लॉक के सन्दर्भ में
2003–04	139	257405.70	498884.03
2004–05	143	307555.05	544061.56
2005–06	157	353641.62	596317.78

[हिन्दी]

रुग्ण मिलों की समीक्षा हेतु विशेषज्ञ समिति

343. श्री रामदास आठवले : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विशेष रूप से पिछड़े तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रुग्ण मिलों की संख्या में भारी बढ़ोत्तरी की समीक्षा करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने हेतु कदम उठाए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इन मिलों के पुनरुद्धार करने के लिए क्या अन्य प्रणाली अपनाई गई है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख) जहां तक भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय का संबंध है, इस प्रयोजनार्थ किसी विशेषज्ञ समित का गठन नहीं किया गया है।

(ग) उद्योगों की रुग्णता से संबंधित मामले रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम (सिका), 1985 के द्वारा निर्धारित किये जाते हैं।

[अनुवाद]

रेल कबाड़ों की बिक्री

344. श्री एम. अप्पादुरई : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रति वर्ष रेल कबाड़ों (जैसे लोहे की छड़ आदि) की बिक्री कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2005–06 के दोरान इससे प्राप्त राजस्व का ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक रेलवे जोन में ऐसी वस्तुओं के वर्तमान भण्डार का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

रेलवे	2005–06 के दौरान	
	राजस्व आय (करोड़ रुपये में)	1.2.2007 तक स्टॉक (मि.ट. में)
1	2	3
मध्य रेलवे	116.53	15317.000
पूर्व रेलवे	143.38	19012.000
उत्तर रेलवे	166.39	38757.000
पूर्वोत्तर रेलवे	34.53	5358.137
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	36.26	3518.000
दक्षिण रेलवे	125.12	12113.000
दक्षिण मध्य रेलवे	110.20	7291.000
दक्षिण पूर्व रेलवे	84.10	13807.000

1	2	3
पश्चिम रेलवे	63.33	28203.000
उत्तर पश्चिम रेलवे	75.27	15640.112
पूर्व तट रेलवे	31.05	3428.955
उत्तर मध्य रेलवे	103.00	2045.933
पूर्व मध्य रेलवे	39.94	1141.245
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	54.36	2928.341
दक्षिण पश्चिम रेलवे	25.12	9433.000
पश्चिम मध्य रेलवे	87.89	6461.000
चितरंजन रेल इंजन कारखाना	5.54	226.027
डीजल रेल इंजन आधुनिकीकरण कारखाना	16.23	2582.642
डीजल रेल इंजन कारखाना	4.45	572.901
सवारी डिब्बा कारखाना	19.43	2709.781
मैट्रो	1.44	99.000
रेल डिब्बा कारखाना	15.87	1395.128
रेल पहिया कारखाना	4.90	1270.000
कुल	1364.33	193310.202

एल.पी.जी. फिलिंग स्टेशन

345. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एल.पी.जी.) फिलिंग स्टेशनों/ऑटो गैस स्टेशनों की राज्य–वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या एल.पी.जी. आपूर्ति की उपलब्ध सुविधा की तुलना में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस से चलने वाले अधिकृत वाहनों की संख्या अधिक है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(घ) क्या सरकार का विचार वर्ष 2007–08 के दौरान देश में और अधिक एल.पी.जी. फिलिंग स्टेशन/ऑटो गैस स्टेशन स्थापित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा मांग को पूरा करने हेतु क्या अन्य उपचारात्मक कदम उठाए जाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क), (घ) से (च) सरकार ने द्रवित पेट्रोलियम गैस (मोटर वाहन में प्रयोग का विनियमन) आदेश, 2001 द्वारा वाहनों के लिए ऑटो–एलपीजी की बिक्री की अनुमति दे दी है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज़) ऑटो एलपीजी की मांग को पूरा करने के लिए विभिन्न नगरों में उपयुक्त स्थलों की उपलब्धता तथा उनकी वाणिज्यिक दृष्टि के आधार पर ऑटो एलपीजी वितरण केन्द्रों (एएलडीएस) की स्थापना करती है।

वर्तमान में, ओएमसीज़ देश में 181 एएलडीएस का प्रचालन कर रही हैं और वर्ष 2007–08 के दौरान और 251 एएलडीएस स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। ब्यौरे क्रमशः विवरण–I और विवरण–II पर दिए गए हैं।

(ख) और (ग) यद्यपि राज्य सरकारों द्वारा एलपीजी पर वाहनों को चलाया जाना अधिकृत किया है, ओएमसीज़ अपनी रिफाइनरियों/आयातों द्वारा ऑटो एलपीजी की मांग को पूरा कर रही है।

विवरण-I

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा प्रचालित एएलडीएस के राज्य–वार ब्यौरे

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एएलडीएस की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	16
2.	छत्तीसगढ़	2
3.	दिल्ली	17
4.	गुजरात	13
5.	कर्नाटक	30
6.	केरल	15
7.	मध्य प्रदेश	7
8.	महाराष्ट्र	33
9.	पंजाब	3
10.	राजस्थान	4
11.	तमिलनाडु	24
12.	उत्तर प्रदेश	5
13.	पश्चिम बंगाल	12
	योग	181

विवरण-II

वर्ष 2007–08 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित एएलडीएस के राज्य–वार ब्यौरे

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एएलडीएस की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	35
2.	गुजरात	18
3.	हरियाणा	11
4.	जम्मू और कश्मीर	2
5.	कर्नाटक	37
6.	केरल	19
7.	मध्य प्रदेश	11
8.	महाराष्ट्र	31
9.	उड़ीसा	3
10.	पंजाब	18
11.	राजस्थान	27
12.	तमिलनाडु	18
13.	उत्तर प्रदेश	16
14.	पश्चिम बंगाल	5
	योग	251

करवार, कर्नाटक के निकट 'सी बर्ड प्रोजेक्ट'

346. श्री अलीमाऊ चर्चिल : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में करवार के निकट कोई 'सी बर्ड प्रोजेक्ट' क्रियान्वित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गोवा स्थित नौसैनिक अड्डे को कब 'सी बर्ड प्रोजेक्ट' स्थानान्तरित किए जाने की संभावना है; और

(ग) उक्त प्रोजेक्ट के कब तक पूरा होने और पूर्णरूपेण प्रचालित होने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) जी, हां।

(ख) गोवा स्थित नौसेना बेस का प्रचालन जारी रहेगा।

(ग) वर्तमान चरण का अधिकांश निर्माण–कार्य पहले ही पूरा हो चुका है और बेस को प्रचालनात्मक बना दिया गया है।

[हिन्दी]

नांदेड़ रेल डिवीजन में आमान परिवर्तन

347. श्री डी.बी. पाटिल : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नांदेड़ रेल डिवीजन में आमान परिवर्तन से संबंधित कार्य में कुछ अनियमितताएं रेलवे के ध्यान में लाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या विभाग ने मामले की कोई जांच कराई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस्लापुर जलधारा तथा इस्लापुर कॉस्मेट रेल रोड़ के अंडर ब्रिज का निर्माण कार्य घटिया स्तर का है और क्या उक्त सड़क अब पूर्णतः जीर्ण–शीर्ण स्थिति में है; और

(ङ) यदि हां, तो मामले के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) मामले की जांच की जा रही है।

रेलवे स्टेशनों पर माल उतारा जाना

348. चौ. मुनव्वर हसन : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न पार्टियां स्थानीय कर्मचारियों के साथ मिलीभगत करके उत्तर प्रदेश के रेलवे स्टेशनों पर रैक स्थापन के 'पहले आओ, पहले पाओ' की घोषित नीति के बावजूद अपना माल बिना बारी के उतार लेते हैं;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न स्टेशनों पर गत तीन वर्षों के दौरान प्रकाश में आए ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में रेलवे की सतर्कता स्कंध द्वारा किए गए छापों का ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक मामले में दोषी के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई;

(घ) क्या उक्त प्रचलन से विभिन्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के माल उतारने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) यदि हां, तो कार्यकरण में पारदर्शिता लाने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) पूर्ण पारदर्शिता अपनाते हुए नियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जाता है।

[अनुवाद]

अभिभावक तथा वरिष्ठ नागरिक (कल्याण तथा देख-रेख) विधेयक, 2006

349. श्री असादूद्दीन ओवेसी : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभिभावक तथा वरिष्ठ नागरिक (कल्याण तथा देख–रेख) विधेयक, 2006 को लेकर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा पंचायती राज मंत्रालय के बीच इसके क्रियान्वयन को लेकर गतिरोध हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा दोनों मंत्रालयों के बीच विरोध के मुख्य मुद्दे क्या हैं;

(ग) क्या मंत्रियों के समूह का विचार दोनों मंत्रालयों द्वारा उठाए गए दोनों मुददों को लेकर विधेयक की पुनरीक्षा करने का है;

(घ) यदि हां, तो विधेयक की अद्यतन स्थिति क्या है; और

(ङ) कब तक उक्त विधेयक पारित तथा क्रियान्वित किया जाएगा?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) से (ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) इस विधेयक को अंतिम रूप दिया गया है। तथापि, विशिष्ट समय–सीमा बताना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

सी.एन.जी. खुदरा बिक्री केन्द्रों का खोला जाना

350. डा. धीरेन्द्र अग्रवाल :
श्री सुनिल कुमार महतो :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में विशेष रूप से झारखंड में कितने संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सी.एन.जी.) खुदरा बिक्री केन्द्र खोले गए;

(ख) क्या सरकार ने विशेष रूप से झारखंड में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार खुदरा बिक्री केन्द्र नहीं खोले हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) कब तक बाकी खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित किए जाएंगे?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) विगत दो वर्षों के दौरान खोली गई सीएनजी वितरण केन्द्रों की संख्या नीचे दी गई है:–

राज्य का नाम	विगत दो वर्षों के दौरान खोले गए सीएनजी केन्द्र
दिल्ली	26
महाराष्ट्र	45
आंध्र प्रदेश	06
उत्तर प्रदेश	09
त्रिपुरा	01
गुजरात	85
योग	172

गैस आपूर्ति के लिए संयोजन की कमी होने के कारण, झारखंड राज्य में कोई सीएनजी वितरण केन्द्र नहीं खोला गया है।

(ख) से (घ) देश के अलग–अलग शहरों में सीएनजी की आधारभूत सुविधाओं का विस्तार चरणबद्ध ढंग से किया जा रहा है। पूरे देश में ट्रंक प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों और नगर/स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क को बिछाने के लिए सार्वजनिक तथा गैर–सरकारी क्षेत्र से पूंजी–निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने "पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006" अधिनियमित किया है तथा "प्राकृतिक गैस पाइपलाइन और नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के विकास के लिए नीति" अधिसूचित की है। सीएनजी की सुविधाएं उपलब्ध कराना गैस की उपलब्धता, आवश्यक आधारभूत सुविधाएं स्थापित करना और आर्थिक लाभप्रदता पर निर्भर करता है।

कृषि उत्पादों की बिक्री हेतु स्टालों का खोला जाना

351. श्री हंसराज गं. अहीर :
श्रीमती रूपाताई डी. पाटील :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का विचार रेलवे स्टेशनों पर कृषि उत्पादों की बिक्री हेतु विशेष स्टाल खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या यह योजना सभी रेल डिवीजनों में क्रियान्वित की जायेगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या रेलवे स्टेशनों पर कृषि उत्पाद बेचने के लिए एक एजेंट नियुक्त करने के संबंध में रेलवे द्वारा कोई नियम तैयार किए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) बिचौलियों को समाप्त करते हुए किसानों को उनकी उपज की बिक्री करने के लिए आउटलेट उपलब्ध कराने वाली कृषि–खुदरा चेन के साथ भागीदारी के माध्यम से अतिरिक्त रेल भूमि का उपयोग करके परिवहन की अतिरिक्त मात्राओं की व्यवहारिकता की जांच करने का विनिश्चय किया गया है।

[अनुवाद]

कर्नाटक में हवाई अड्डे

352. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार फास्ट ट्रैक के आधार पर गुलबर्गा, हासन, सिमोगा तथा बीजापुर में नए हवाईअड्डे विकसित कर रही है तथा मंगलोर, बेलगाम तथा हुबली में विद्यमान हवाई अड्डों का विस्तार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक परियोजना की वर्तमान स्थिति के साथ तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने हाल के अध्ययन में इन गंतव्यों के लिए दैनिक उड़ानों की पर्याप्त संभावना का पता लगया है;

(घ) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने एयर डेक्कन सहित निजी हवाई परिचालकों से भी इन प्रस्तावित हवाई अड्डों के लिए वायुसेवाएं प्रदान करने पर विचार करने के लिए कहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास मंगलौर हवाईअड्डे पर 500 यात्रियों के लिए एक नए टर्मिनल भवन के निर्माण तथा बेलगाम व हुबली हवाईअड्डों पर रनवे के विस्तार के प्रस्ताव है।

कर्नाटक राज्य सरकार ने भी हासन व गुलबर्गा, बीजापुर तथा शिमोगा में नए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों के विकास के लिए अनुरोध किया है। ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों के विकास के लिए सुनिर्धारित प्रक्रियाएं हैं और उपरोक्त प्रस्ताव पर अंतिम अनुमोदन हेतु विचार किए जाने से पहले निर्धारित शर्तों के अनुरूप होने चाहिए।

(ग) एयरलाइन प्रचालक मार्ग संवितरण दिशानिर्देशों के अनुपालन के अध्याधीन देश में कहीं भी प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(घ) और (ङ) कर्नाटक राज्य सरकार ने सूचित किया है कि मैसर्स एयर डेक्कन हासन व गुलबर्गा हवाईअड्डों पर अपेक्षित अवसंरचना की शर्त पर इन हवाईअड्डों से अपनी उड़ानें प्रचालित कर सकती है।

खाड़ी देशों के लिए निजी एयरलाइंस

353. श्री के.सी. पल्लानी शामी : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का निजी एयरलाइनों के लिए खाड़ी और अन्य मार्गों को खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नयी योजना के शुरू होने से यातायात में कितनी वृद्धि होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) 29 दिसम्बर, 2004 को लिए गए निर्णय के अनुसार, सरकार ने उन निजी भारतीय अनुसूचित विमान कंपनियों को परमिट जारी करने का निर्णय लिया जिनका घरेलू सैक्टर में 5 वर्षों का लगातार प्रचालन हो तथा यू.ए.ई., कतार, बहरीन, ओमान, कुवैत और सऊदी अरेबिया को छोड़कर जिन्हें 3 वर्षों की अवधि के लिए एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस के लिए आरक्षित रखा जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर प्रचालन के लिए 20 विमानों का न्यूनतम विमान–बेड़ा हो।

स्टार एलाएंस के साथ इंडियन एयरलाइंस तथा एअर इंडिया का जोड़ा जाना

354. श्री बाडिगा रामकृष्णा : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस (आई.ए.) तथा एअर इंडिया (ए. आई.) की योजना स्टार एलायंस के साथ जुड़ने की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किसी सीमा तक स्टार एलायंस के साथ जुड़ने से इंडियन एयरलाइंस तथा एअर इंडिया को लाभ होगा; और

(घ) उन अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों का ब्यौरा क्या है जो स्टार एलायंस से जुड़े हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) इंडियन एयरलाइंस तथा एअर इंडिया दोनों ही एयरलाइंस द्वारा इस संबंध में अभी दृढ़ निर्णय लिया जाना है कि वे किस एलायंस में शामिल होंगे।

(घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, निम्नलिखित एयरलाइंस स्टार एलायंस के सदस्य हैं:–

एयर कनाडा, एयर न्यूजीलैंड, एयर निप्पोन एयरवेज, एशियाना एयरलाइंस, आस्ट्रेलियन एयरलाइंस, बीएमआई, एलओटी पोलिश एयरलाइंस, लुफ्थांसा, स्कैंडिनेवियन एयरलाइंस, सिंगापुर एयरलाइंस, साऊथ अफ्रीकन एयरवेज, स्पैन एयर, स्विस, टैप पुर्तगाल, थाई, यूनाइटेड एयरलाइंस तथा यू.एस. एयरवेज।

क्षेत्रीय :– ब्लू–1, क्रोशिया एयरलाइंस तथा आद्रिया एयरवेज।

[हिन्दी]

रेल परियोजनाओं में निजी निवेश

355. श्री मो. ताहिर : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन रेलवे योजनाओं का कोई आकलन किया है जो संसाधनों के अभाव में निर्धारित समय–सीमा से पीछे चल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ मेगा परियोजाएं तैयार की जा रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इसमें निजी निवेश की धनराशि का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) धनराशि की सीमित उपलब्धता के कारण रेलों के पास बड़ी मात्रा में परियोजनाओं का कार्य बकाया है, जिसे पूरा करने के लिए लगभग 54000 करोड़ रु. अपेक्षित हैं। इन परियोजनाओं को संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार निष्पादित किया जाता है।

(ग) और (घ) निजी इक्विटी भागीदारी के साथ निष्पादित/तैयार की गई रेल विकास निगम लि. (आर बी एन एल) की कुछ परियोजनाएं निम्नलिखित हैं:

परियोजना का नाम		निजी इक्विटी की राशि (करोड़ रु. में)
(i)	गांधीधाम–पालनपुर आमान परिवर्तन	40.00
(ii)	हरिदासपुर–पारादीप नई लाइन	107.50
(iii)	ओबूलावारीपाल्ले–कृष्णापत्तनम नई लाइन	113.40
(iv)	भरुच–दाहेज आमान परिवर्तन परि.	20.00
(v)	सूरत–हाजिरा नई लाइन	50.00

[अनुवाद]

ए.टी.एफ. मूल्यों में कमी

356. श्री सुव्रत बोस : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन ऑयल कारपोरेशन तथा अन्य पेट्रोलियम कंपनियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के मूल्यों में कमी के बाद ए.टी.एफ. के मूल्य में कमी लाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ए.टी.एफ. मूल्य में कमी लाने के अनुसार निजी एयरलाइनों से किराए में स्वतः स्फूर्त कमी लाने को कहेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) सरकार ए.टी.एफ. के संबंध में किसी भी प्रकार का प्रशासनिक मूल्य निर्धारण तंत्र नहीं रखती है तथा तेल कंपनियां बाजार शक्तियों के आधार पर मूल्य निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(ख) वायु निगम अधिनियम 1953 के निरस्त होने के बाद सरकार ने घरेलू वायु किराये प्रतिपादित नहीं किए हैं। घरेलू एयरलाइनें अपने वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर वायु किराये वसूलने के लिए स्वतंत्र हैं।

(ग) उपरोक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

धनराशि का दुरुपयोग

357. श्री मनसुखभाई डी. वसावा :
श्री काशीराम राणा :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हवाई अड्डों के उन्नयन के लिए कोई धनराशि जारी की है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे हवाई अड्डों का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि जारी की गई है;

(ग) क्या सरकार को इस धनराशि के दुरुपयोग के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हवाईअड्डों के विकास के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को बजटीय सहायता उपलब्ध कराता है। वर्ष 2003–04, 2004–05 तथा

2005–06 के दौरान, सरकार ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को बजटीय समर्थन के रूप में क्रमशः 22.08 करोड़, 30.00 करोड़ तथा 36.00 करोड़ रुपये जारी किए हैं। बजटीय समर्थन हवाईअड्डा–वार जारी नहीं किया जाता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

रेलवे लाइन का दोहरीकरण

358. श्री मणी कुमार सुब्बा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर–पूर्व में विभिन्न रेल क्षेत्रों में दोहरी लाइन का अभाव रेलयात्रियों तथा माल ढुलाई के त्वरित परिचालन में प्रमुख बाधा है;

(ख) अब तक 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर–पूर्व राज्यों में किन–किन क्षेत्रों में रेलवे लाइन का दोहरीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है; और

(ग) बाकी बची 10वीं योजना में तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दोहरी लाइन के प्रस्तावित तथा संभावी क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना में पूर्वोत्तर राज्यों में कोई परंपरागत दोहरीकरण नहीं किया गया है।

(ग) न्यू गुवाहाटी–डिगारू खंड के दोहरीकरण कार्य को वर्ष 2007–08 के बजट में शामिल किया गया है। डिगारू–लमडिंग खंड के दोहरीकरण के बारे में आगामी वर्ष में विचार किया जाएगा जो यातायात की आवश्यकता पर निर्भर करेगा।

पर्वत शिखरों की बुकिंग

359. श्री नवीन जिन्दल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय तथा विदेशी अभियान दलों द्वारा भारतीय पर्वतरोहण फेडरेशन के माध्यम से बुक किए गए पर्वत शिखरों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) अगली चढ़ाई के मौसम के लिए कितने पर्वत शिखर बुक किए गए हैं;

(घ) क्या भारतीय पर्वतारोहण फेडरेशन द्वारा कोई पर्वत शिखर शुल्क लिया जाता है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा वर्ष 2005–06 तथा 2006–07 के दौरान इसमें कितनी आय हुई है; और

(च) अभियानो को भारतीय पर्वतारोहण फेडरेशन द्वारा क्या–क्या सुविधाएं प्रदान की जाती हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) और (ख) भारतीय और विदेशी अभियान दलों द्वारा भारतीय पर्वतरोहण फाउंडेशन के माध्यम से पिछले तीन वर्षों के दौरान बुक किए गए शिखरों की संख्या इस प्रकार है:–

वर्ष	शिखरों की संख्या	
	भारतीय	विदेशी
2004	64	40
2005	47	46
2006	52	36

उपर्युक्त आंकड़े, भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन के माध्यम से बुक किए गए भारतीय और विदेशी अभियानों की संख्या में वृद्धि वाले रुख का संकेत नहीं करते हैं।

(ग) भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन के माध्यम से 24 फरवरी, 2007 की स्थिति के अनुसार अगली चढ़ाई के मौसम के लिए बुक किए गए शिखरों की संख्या इस प्रकार है:–

(i) भारतीय – 23

(ii) विदेशी – 10

(घ) और (ङ) भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन द्वारा विदेशी अभियान दलों से बुक किए गए शिखर की ऊंचाई और अवस्थिति के आधार पर संभलाई प्रभार वसूल किए जाते हैं। वसूल किए गए संभलाई प्रभार का 25 प्रतिशत संबंधित राज्य को उनके सम्बद्ध क्षेत्रों का विकास और संरक्षण करने के लिए दिया जाता है। भारतीय अभियान दलों से संभलाई प्रभार वसूल नहीं किए जाते हैं। भारतीय पर्वतरोहण फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2005–06 और 2006–07 के दौरान संभलाई प्रभार के रूप में क्रमशः 43,90,250/– रुपये और 33,34,500/– रुपये की राशि वसूल की गई थी।

(च) भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन इन अभियान दलों के लिए पर्वतारोहण संबंधी उपकरण और वस्त्र उपलब्ध कराता है। यह प्रभावी आयोजना, शयनशाला सुविधाएं और सभागार के इस्तेमाल के लिए फिल्मों, स्लाइडों, अद्यतन नक्शों और उपग्रह चित्रों सहित पुस्तकालय और पठन कक्ष सुविधाएं भी उपलब्ध कराती है। भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन पारस्परिक प्रभावी वेबसाइट भी अनारक्षित करता है।

बंगलौर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा

360. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलोर मेट्रोपोलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण कार्य पूरा करने के लक्षित तिथि से पीछे रह जायेगी क्योंकि नगर को देवनहल्ली को जोड़ने वाली छः लेन वाली एक्सप्रेस वे पर काफी कम कार्य हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो छः लेन वाली एक्सप्रेस वे के कार्य में तेजी लाने हेतु केन्द्र सरकार कौन-कौन से कदम उठाने पर विचार कर रही है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, नहीं। मैसर्स बंगलौर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लि. (बीआईएएल) द्वारा हवाईअड्डे का निर्माण किया जा रहा है। निर्माण कार्य अनुसूची अनुसार प्रगति पर है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्गों की सूची में नई जातियों को शामिल करना

361. श्री दलपत सिंह परस्ते :
श्री संतोष गंगवार :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल कितनी नई जातियां अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्गों की सूचियों में जोड़ी गई;

(ख) अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्गों की सूचियों में जातियों को जोड़ने के लिए क्या मानदंड अपनाया गया;

(ग) क्या गत एक वर्ष के दौरान राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्गों की सूचियों में और ज्यादा जातियों को जोड़ने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार उनकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) कब तक उक्त जातियों को अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्गों की सूची में जोड़ दिया जायेगा?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) इस अवधि के दौरान अनुसूचित जातियों की सूची में किसी समुदाय को शामिल नहीं किया गया है। अन्य पिछड़े वर्गों के संबंध में समुदायों के नाम इस प्रकार हैं:-

(i) आंध्र प्रदेश 1. सिकलीगर, 2. सिदुला (ii) बिहार : 1. बाखो (मुस्लिम), 2. ठकुराई (मुस्लिम), (iii) दिल्ली : 1. राय-सिख (महताम), (iv) गोवा : 1. भंडारी नायक, (v) गुजरात : 1. जागरी, 2. खवास, 3. सागर, (vi) कर्नाटक : हिन्दू सदारू, (vii) महाराष्ट्र : येल्लम/सेलाम, (viii) उड़ीसा : तमुली, (ix) उत्तर प्रदेश : उनई साहु।

(ख) अनुसूचित जातियों के संबंध में अपनाएं जाने वाला मानदण्ड, अस्पृश्यता की कुप्रथा से उत्पन्न सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से अत्यंत पिछड़ापन है। अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने व्यापक दिशा-निर्देश तैयार किए हैं, जिसमें विशिष्ट सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पैरामीटर शामिल हैं।

(ग) और (घ) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

विवरण

अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल किए जाने हेतु प्राप्त प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा इस प्रकार है:-

(I) अनुसूचित जाति

(i) उत्तर प्रदेश : मघुआ, मछुआरा, केवट, मल्लाह, बिन्द, धीमर, बाथम, कहार, कश्यप, गोदिया, चाई इत्यादि। इन प्रस्तावों को अतिरिक्त नृजातीय संबंधी सूचना हेतु राज्य सरकार को वापस भेजा गया है। 2. नमोशूद्र, मध्य प्रदेश (धोबी)। इस प्रस्ताव को अनुमोदित क्रिया-विधि के अनुसार भारत के महापंजीयक की टिप्पणी प्राप्त करने हेतु भेजा गया है।

(II) अन्य पिछड़ा वर्ग

(i) आंध्र प्रदेश

चकाली वन्नार, 2. देवरावंडलू, येल्लेम्मावंडलू, मुत्यालम्मावंडलू, 3. वीरभद्रीया, 4. कलिंगा, 5. गौड और 6. बारे। प्रश्नावली को राज्य सरकार के पास भेज दिया गया है और 18.11.2006 को लोक सुनवाई भी हुई थी।

(ii) बिहार

1. केवर्थ, 2. भाट (मुस्लिम) 3. ...../फकीर/दीवान/पदार (मुस्लिम), 4. ...../जुलाहा/एन्सारी, 5. छीपी, 6. इतफरोश/गाधेरी/इतपज/इब्राहीमी (मुस्लिम), 7. जादुपाथिया, 8. पर्धा, 9. बधाई, 10. बनिया (.....मोडक)/मयारा, बीहयुत कलवार, कलाल, बर्नवाल, बथाम, वैश्य, गोनादर, 11. सुत्रधार, 12. जाट (हिन्दू), सहरसा, सुपाउल, मधेपुरा और एरारिया जिले, 13. जाट (मुस्लिम) केवल मधुबनी में, दरभंगा, सीतामढ़ी, कघारिया और एरारिया जिला। 14. गदरिया (मुस्लिम), डोनवार, 15. डोनवार, 16. सुरजपुरी (मुस्लिम)। प्रश्नावली राज्य सरकार को भेज दी है।

(iii) कर्नाटक

1. बग्गारू, 2. बवांधी, 3. अपने दो पर्याय सहित दसारी (i) दसारू (ii) चाकरावदया दासा, 4. घिसादे, 5. गुर्खा, 6. अपने पर्याय सहित जंगाला (i) तेलगु जंगामा (ii) पकानाथी जंगमा, 7. कोडगु कपाला, 8. कुमबरी मराटी (उत्तर कन्नडा जिला), 9. मलाया, 10. मुधर, 11. पंगुई और इसका पर्याय पंगुसल, 12. राया रावथ और इसका पर्याय

'रावथ' 13. अपने पर्याय सहित तिवार, (i) कलारी (ii) केन्द्रीय सूची के क्रम सं. 154 में कल्लार को शामिल किया जाना (मारवार क्रम सं. 154 पर है जो राज्य सूची में पर्याय है), 14. अपने पर्याय सहित बंजारी (i) ब्रिंजारी (ii) वंजारा (iii) वंजारी (iv) लाम्बेद (v) गौरे या गौरिया, 15. दावेरी, 16. अपने पर्याय सहित गरूड़ी, (i) गरूडिंगा (ii) गराडिगा, 17. पराधीश, 18. अपने पर्याय सहित गिरीनी वडडार, (i) तुडुग वोडार, (ii) कल्लू वडडार, (iii) मन्नु वोडार (iv) भांडी वडडार, 19. बन्ना (कोडागु जिला), 20. कोडागु हेगड़े (कोडागु जिला), 21. अपने पर्याय सहित गुरावा, (i) गुरोऊ, 22. अम्मा कोडावा, 23. अनप्पन, 24. पर्याय एंडीपंडारम सहित एंडी, 25. बांधी, 26. पर्याय बल्लाला सहित बोलाहल्लाला, 27. पर्याय भट्टिया सहित भटियल, 28. चक्कन, 29. डोगरा, 30. गुल्ली, 31. पर्याय (i) मल्लारू मल्ला क्षत्रिय (ii) मुस्टिका पर्याय सहित जेट्टी/जत्ती, 32. कलावंथी को भोगम तेलगुवा की मुख्य जाति के रूप में क्रम सं. 167 के अंतर्गत शामिल किया जाना है। 35. मालवा, 36. मालेया, 37. आर्यन, 38. राजु क्षेत्रीय पर्याय सहित (ख) राजू–राजू (ग) राजूवार/राजूवर/राजेवार, 39. सोमवामशा क्षेत्रीय, 40. सतनिका, 41. तुलु पर्याय के साथ तुलुवा, 42. उशतमा (धारवाड़, बेलगाम, बीजापुर, गदग जिला), 43. कोदागरू, 44. वीरशाइवा लिंगयथ, 45. अरे क्षत्री, अरे मराठा, आर्या, आर्यारू, कोंकन मराठ, क्षत्रीय मराठा, कुलवाड़ी, 46. क्रिश्चयन, 47. अपने पर्याय परिवारा बन्त सहित बन्त, 48. जैनस (दिगम्बरस), 49. अम्बी, 50. बरीका, 51. राजभोई, 52. गंगामाथास्था, 53. जलगरा, 54. काब्बेर, 55. कांकन खर्वी, 56. कोली, 57. कोलीमहादेव, 58. मद्दार, 59. मोगेर, 60. परिवारा, 61. पागी, 62. बेगादी, 63. बागली, 64. बुडुदकी, 65. क्षत्री, 66. गारदी, 67. कील्लीकयता, 68. ग्राम वोक्काल, 69. ग्राम वोक्कालु, 70. ब्रह्मा कपाली, 71. जोगतिन, 72. कपाली, 73. रावल, 74. रावलिया, 75. आरे कसाई 76. आरी कटिकेलु, 77. कलाल खटिक, 78. मरात्ती, 79. सुर्यवमशा क्षत्रीय, 80. लादरा, 81. क्षत्रिय लाद/ सुगंधी लाद, 82. बात्तेर, 83. ब्रुन्ड, 84. गौरिगा, 85. गोवरी, 86. गोवरीमाराथा, 87. गोवरीगा, 88. नाईरी, 89. जीरागर, 90. पदिथी, 91. गौली, 92. गावली, 93. गावली, 94. कोन्नार, 95. कोन्नूर, 96. कृष्णा गावली, 97. मनियानी, 98. तेलुगु गोवदा (चिकमंगलूर और हसन जिला), 99. तलवाड़ा/तलवार बोया, 100. मयसा नायका, 101. बयादा, 102. बारगी, 103. हिरशीकरी, 104. बोवी, 105. मंसूरी, 106. वेल्लूथेदान, 107. पादियार, 108. सेरेगरा, 109. बेलचाद, 110. पूजारी, 111. हला क्षत्रीय, 112. देशा भंडारी, 113. देवेरामक्कालु/ दिवारमक्कालु, 114. गमल्ला, 115. हलेपाईकारू, 116. नादर, 117. थिरूय्यान, 118. चक्रासाली, 119. गुंगा, 120. गनागा, 121. गनागी, 122. कुला, 123. कुमबारड़, 124. सज्जन कुमबारा, 125. परियाला (दक्षिण कन्नाडा और उडुपी) 126. वजंत्री (उत्तर कन्नड जिला) 127. अग्नि वंशा क्षत्रिय, 128. अग्निवान्नी, 129. बाडीगर, 130. बाय्लापात्र, 131. बाय्लू अक्कासाली, 132. बाय्लू कम्मारा, 133. कोंकणी आचर, 134. कम्बार, 135. कामसन, 136. कन्छागर, 137. कन्छौरा, 138. मेस्ता, 139. सोहागर, 140. ताच्यन, 141. थाच्चन, 142. गडिगा, 143. गुनागी, 144. मरावन, 145. उपानडोर/उपा नदावर, 146. कुर्नी, 147. थोगाटारू/थोगतिगा, 148. थोगाताविरा/थोगातागरा/थोगातावीरा क्षत्रिय/थोगजा पुष्पांजलि, 149. पदमा शाली/पदमा सली, 150. पट्टासली, 151. सेनगुंधार, 152. जंद्रा, 153. स्वाकुला सली, 154. सोमवम्शा सहस्त्रार्जुन क्षत्रिय, 155. वनियन, 156. सद्रु, 157. सदुमाता, 158. सदकुला, 159. सरद, 160. सादु गौंड़ा, 161. सादु गोडर, 162. सदरा, 163. साद्री, 164. सादरा गौड़ा, 165. कोठाती, 166. कोट्टेगारा, 167. कोट्टेयारा, 168. कुमार क्षत्रिय, 169. क्षत्रिय कुमारपंत, 170. हालीकर वोक्कलीगा, 171. नामधारी वोक्कालिगा, 172. गंगाडकर वोक्कालिगा, 173. दास वोक्कालिगा, 174. रेड्डी वोक्कालिगा, 175. मरासु वोक्कालिगा, 176. रेड्डी, 177. हालीकर, 178. गौड़/गौड़ा, 179. कापु, 180. हेगड़े, 181. काम्मा, 182. गौंडेर, 183. उत्तम कोलागा, 184. गौड़ा बंजिगा, 185. बंजिगा सेट्टी, 186. दसारा बालिजा/दसारा बालाजिगा/दसारा बानाजिगा/दसा बानाजिगा, 187. बाले चट्टी/बनागरा, 188. रेड्डी (बालिजा), 189. उप्पार (बालिजा), 190. तुलेरू (बालिजा), 191. लिंगायत हिलावा का उपसमूह, 192. अम्बिगा, 193. भोयी, 194. गंगामठ, 195. शूरिका, 196. नावालिग, 197. नवी, 198. कमसाल, 199. पांचाल, 200. छट्टडा वैष्णव/ सत्ताडा वैष्णव/सत्ताडा श्रीवैष्णय, 201. कदरी वैष्णव, 202. समेराया, 203. सत्तादावल, 204. सत्तादावन, 205. वैष्णव, 206. पाछिगोटाला, 207. बुंदी–बेस्तर, 208. दालिजा, 209. सुनागरा, 210. भोमत्र, 211. गिड्डकी, 212. दोम्बीदसा, 213. अत्ती वक्काल, 214. हलाकी वक्काल, 215. कारे वक्काल, 216. गम गौड़ा, 217. नाथपंथी, 218. कोल्यारी, 219. नेद्रा, 220. येलेगर, 221. सिक्कालीगर, 222. उप्पिलायन, 223. छापर बंद (मुस्लिम), 224. छापर बंदा, 225. मोदीहर, 226. अदवीगोला, 227. निकामाक्कुलु, 228. रामोशी, 229. सरवेरगर, 230. भंडारी, 231. खुमारा, 232. गोरवा, 233. कुर्बा, 234. हजाम, 235. कापुटियान, 236. नाडिग, 237. नवालिगा, 238. शंभुकुला, 239. कुरावन, 240. बडीवाड्ली, 241. बोगर, 242. दैवांगा ब्राह्मण, 243. गेज्जीगर, 244. कम्मार, 245. कामसला, 246. केइनसर, 247. सोनी, 248. विश्व ब्राह्मण, 249. कनियूर, 250. सनियर, 251. विंकर, 252. जुलोहा, 253. हटगर, 254. सकुला सले, 255. पाटेगर, 256. बोगम तेलुगू, 257. सेरवगारा, 258. छट्टाद श्रीवैष्णव श्रीवैष्णव। क्रम संख्या 205 के लिए राज्य सरकार को प्रश्नावली भेज दी गई है तथा क्रम संख्या 206 से 258 के संबंध में आगे कार्रवाई की जा रही है।

[हिन्दी]

रसाई गैस के वितरक नियुक्त करना

382. श्री वी.के. दुग्मर : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विशेष रूप से गुजरात में और ज्यादा रसोई गैस के वितरक नियुक्त करने का प्रयास किया है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान राज्य-वार नियुक्त किए गए वितरकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार वर्ष 2007-08 के दौरान और ज्यादा रसोई गैस के वितरक नियुक्त करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) सरकार ने ओएनजीसी को इस बात की आजादी दी है कि वे अपने वाणिज्यिक निर्धारण तथा उनके द्वारा पहचाने गए स्थलों के अनुसार एक स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटरशिप की वहनीयता के लिए उपलब्ध रिफिल बिक्री संभाव्यता के आधार पर एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की स्थापना कर सकती हैं।

ओएमसीज़ ने विगत दो वर्षों तथा दिसम्बर, 2006 तक गुजरात राज्य में 23 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों सहित देश में 1070 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें चालू की हैं। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के राज्य-वार ब्यौरे संबंधित ओएमसीज़ के निदेशक (विपणन) के पास उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ) सरकार ने ओएमसीज़ को सलाह दी है कि वे अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विपणन योजनाएं बनाएं। ओएमसीज़ ने मुख्यतः ग्रामीण और शहरी-ग्रामीण (अर्ध-शहरी) स्थलों में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की स्थापना के लिए 791 स्थलों के लिए एक सामान्य औद्योगिक विपणन योजना को अंतिम रूप दिया है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के राज्य-वार ब्यौरे संबंधित ओएमसीज़ के निदेशक (विपणन) के पास उपलब्ध हैं।

एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की स्थापना एक सतत् प्रक्रिया है और इसमें उपयुक्त स्थलो की पहचान, गोदाम स्थापना के लिए भूमि व्यवस्था, विभिन्न सांविधिक मंजूरियों आदि को प्राप्त करना शामिल है।

मानसून तथा शीतकालीन पर्यटन गंतव्य

363. श्री एस.के. खारवेनथन : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मानसून तथा शीतकाल के दौरान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उन दिनों के गंतव्य पर्यटन स्थलों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में गत दो वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में अब तक होटल अधिवास का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त मौसम के दौरान घरेलू तथा विदेशी पर्यटकों दोनों के लिए 'विशेष पर्यटन पैकेज' प्रदान करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) और (ख) पर्यटन गंतव्यों की पहचान करना और उनके विकास की जिम्मेदारी मुख्यतः राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों की होती है। तथापि, भारत और विदेश में स्थित भारत पर्यटन कार्यालय सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पर्यटन उत्पादों का संवर्धन करता है, जिनमें मानसून तथा शीतकालीन पर्यटन गंतव्य शामिल है।

(ग) पर्यटन मंत्रालय को अनुमोदित होटलों द्वारा प्रस्तुत रिटर्नों से संकलित सूचना के आधार पर इन होटलों का कुल अधिवास 2004 में 65.1 प्रतिशत और 2005 में 67.7 प्रतिशत था।

(घ) और (ङ) टूर पैकेज तैयार करने की जिम्मेदारी मुख्यतः एयरलाइनों, टूर आपरेटरों और यात्रा अभिकर्ताओं की है। पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार कोई टूर पैकेज तैयार नहीं करता है।

एगालेगा द्वीप समूह में पर्यटन संबंधी अवसंरचना

364. श्री बाडिगा रामकृष्णा : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारीशस सरकार ने एगालेगा द्वीप समूह को मुख्यतः एक पर्यटन गंतव्य स्थल के रूप में विकसित करने हेतु दीर्घ-कालिक पट्टे पर भारत को देने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उपरोक्त द्वीप में पर्यटन संबंधी अवसंरचना के साथ-साथ पत्तन का विकास करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) पर्यटन मंत्रालय को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

झांसी-माणिकपुर रेल लाइन पर उपरिपुलों का पुनर्निर्माण

365. श्री राजनरायन बुधौलिया : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झांसी-माणिकपुर रेल लाइन पर कितने उपरिपुल हैं तथा वे कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) क्या इसके बावजूद कई स्थानों पर यातायात की भरमार की वजह से और ज्यादा उपरिपुल बनाए जाने की आवश्यकता है;

(ग) यदि हां, तो क्या रेलवे का विचार इस संबंध में सर्वेक्षण कराके उपरिपुलों का निर्माण कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) केवल एक, 1319/10–11 कि.मी. पर बांदा के निकट।

(ख) जी हां। छः समपार सं. 422, 454, 432, 476, 369 और 497 पर यातायात का घनत्व एक लाख गाड़ी वाहन इकाई (टीवीयू) होने के कारण यहां लागत में भागीदारी के आधार पर ऊपरी सड़क पुलों का निर्माण अपेक्षित है।

(ग) और (घ) राज्य सरकार ने मौजूदा नियमों के अंतर्गत अपेक्षित कतिपय प्रारंभिक पूर्व अपेक्षाओं को विधिवत् पूरा करते हुए प्रस्ताव प्रायोजित नहीं किया है। राज्य सरकार से कोई ठोस प्रस्ताव होने पर रेलवे आगे कार्रवाई कर सकती है।

रणथंभोर राष्ट्रीय पार्क में वाहनों का प्रवेश

366. श्री मिलिन्द देवरा : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने फिर से रणथंभोर राष्ट्रीय पार्क में वाहनों के प्रवेश की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पूर्व में राजस्थान उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच ने नेशनल पार्क के अंदर अपने वाहनों का परिचालन करने से निजी वाहन के मालिकों को रोक दिया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पर्यटकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ङ) पर्यटन उद्योग को पार्क में वाहनों के प्रवेश पर रोक से कितनी हानि उठानी पड़ी; और

(च) इस राजस्व की हानि की भरपाई के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) और (ख) जी, हां। राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के डबल बेंच ने अपने दिनांक 22.12.2006 के आदेश में राज्य सरकार द्वारा डी.बी. सिविल कोर्ट स्पेशल अपील (डब्ल्यू) सं.– 1465/2006 द्वारा रणथंभोर राष्ट्रीय पार्क में वाहनों के प्रवेश करने के लिए 15 जनवरी, 2007 तक के लिए अनुमति दे दी गई है जिसे 12 जनवरी, 2007 के आदेश द्वारा अगले आदेशों तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के सिंगल बेंच ने श्री गिरिराज गोयल और अन्य बनाम राजस्थान राज्य द्वारा एस.बी. सिविल रिट याचिका नं.–8888/2006 के बारे में 8 दिसम्बर, 2006 के आदेश में रणथंभोर राष्ट्रीय पार्क में वाहनों के प्रवेश को अगले आदेशों तक रोक दिया गया था। इस आदेश के अनुपालन में पार्क में वाहनों का प्रवेश रोक दिया गया।

(ङ) और (च) पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा पर्यटन उद्योग की हानि का कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

दादा साहेब फाल्के की कर्मभूमि के रूप में नासिक

367. श्री देविदास पिंगले : क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र के नासिक नगर को दादा साहेब फाल्के की कर्मभूमि के रूप में घोषित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या नासिक में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार समारोह का आयोजन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) और (ख) जी, नहीं। महाराष्ट्र के नासिक नगर को दादा साहेब फाल्के की कर्मभूमि के रूप में घोषित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कोको (सी.ओ.सी.ओ.) को आबंटन

368. श्री अधीर चौधरी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि निजी भू–स्वामियों की जमीनों/स्थलों पर बनाए गए कतिपय कोको का आबंटन रोक दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारी तेल कंपनियों ने संबंधित तेल कंपनियों की नीतियों के अनुसार भू–स्वमियों को ऐसे कोको के आबंटन के संबंध में कानूनी पहलू का विश्लेषण किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी टिप्पणियां क्या हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने सूचित किया है कि ऐसी भूमियों के लिए पालन किए जा रहे पट्टा करार की शर्तों के अनुसार उनको ऐसे कंपनी के स्वामित्व में कंपनी द्वारा प्रचालित कोकोज डीलरशिप के लिए डीलर के रूप में किसी तीसरे पक्षकार को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नियुक्त करने का पूर्ण अधिकार है। विविध न्यायालयों में मुकद्मों का प्रतिवाद करने के लिए ओएमसीज़ द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

भेल, झांसी हेतु क्रयादेश

369. श्री नरहरि महतो : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल), झांसी इकाई की इंजनों के विनिर्माण हेतु प्राप्त क्रयादेशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भेल ने इंजनों के विनिर्माण में काम आने वाली मशीनों, अन्य उपकरणों तथा अपनी क्षमता बढ़ाई है और अपने कामगारों को इसके अनुरूप प्रशिक्षित किया है;

(ग) क्या क्रयादेश प्राप्त नहीं होने के कारण भेल, झांसी इकाई बंद होने के कगार पर है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसे बंद होने से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल), झांसी इकाई ने रेलवे से इंजनों (मेनलाइन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव) की आपूर्ति के लिए कोई क्रयादेश प्राप्त नहीं किया है।

(ख) भेल ने वर्ष 1990 के दशक पूर्व प्रति वर्ष 30 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की क्षमता का सृजन किया था तथा तदनुसार जनशक्ति को प्रशिक्षित किया था। रेलवे से क्रयादेशों की प्राप्ति नहीं होने के कारण विगत तीन वर्षों में कोई अतिरिक्त क्षमता की वृद्धि नहीं की गई थी।

(ग) और (घ) रेलवे से क्रयादेशों की प्राप्ति न होने के कारण, भेल, झांसी इकाई द्वारा सृजित विशेषीकृत विनिर्माणी क्षमता का वर्तमान में उपयोग नहीं किया गया है। हालांकि, वैकल्पिक उत्पाद का विनिर्माण करने के लिए क्षमता का उपयोग किया जा रहा है।

रेल दुर्घटनाएं

370. श्री कीर्तिवर्धन सिंह :
श्रीमती निवेदिता माने :
श्री रायापति सांबासिवा राव :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव :
श्री मो. ताहिर :
श्री एस. के. खारवेनथन :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, 2006 से अब तक देश में हुई रेल दुर्घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके परिणामतः दुर्घटना–वार कितने व्यक्ति मारे गए और जख्मी हुए तथा संपत्ति को कितना नुकसान हुआ;

(ग) दुर्घटना–वार जख्मी व्यक्तियों तथा मृतकों के परिजनों को कितनी क्षतिपूर्ति/अनुग्रह राहत राशि दी गई है;

(घ) प्रत्येक दुर्घटना का प्रथम दृष्टया कारक क्या है;

(ङ) क्या ऐसी दुर्घटना के ठीक–ठीक कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच कराई गयी है;

(च) यदि हां, तो इसके परिणाम क्या हैं तथा दुर्घटना–वार इस पर क्या कार्रवाई की गयी है; और

(छ) रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (च) नवम्बर, 2006 से जनवरी, 2007 की अवधि के दौरान भारतीय रेल पर 35* परिणामी गाड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं जिनमें 75* व्यक्ति मारे गए और 216 व्यक्ति घायल हुए। इन दुर्घटनाओं के कारण रेल संपत्ति को 23.44* करोड़ रु. की क्षति होने का अनुमान है। उन मामलों में जहां मुआवजा राशि का भुगतान किया जाना था, 1.61* करोड़ रु. की अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया। बहरहाल, मुआवजा की राशि का भुगतान दावा पेश किए जाने तथा दावा अधिकरण द्वारा उन पर निर्णय दिए जाने के बाद किया जाएगा।

इन 35* दुर्घटनाओं में से 7 मामलों की संबंधित रेल सुरक्षा आयुक्तों द्वारा जांच की जा रही है और शेष 28 मामलों के लिए विभागीय जांच समितियों का गठन किया गया था। जांच रिपोर्टों के निष्कर्षों के आधार पर अभी तक अंतिम रूप दिए गए मामलों पर यथा आवश्यक कार्रवाई आरंभ की गई है जिसमें दोषी पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासन एवं अपील नियमों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई करना भी शामिल है। दुर्घटनावार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(छ) दुर्घटनाओं की रोकथाम करने के लिए सतत् रूप से सभी संभव उपाय किए जाते हैं। इन उपायों में गतायु परिसंपत्तियों का बदलाव, रेलपथ, चल स्टॉक, सिगनल एवं अंतर्पाशन प्रणालियों के उन्नयन एवं अनुरक्षण हेतु आयुक्त प्रौद्योगिकियों को अपनाना, संरक्षा पद्धतियों के पालन हेतु निगरानी रखने तथा कर्मचारियों को शिक्षित करने के लिए नियमित अंतरालों पर संरक्षा अभियान और निरीक्षण शामिल हैं। इनके परिणामस्वरूप, दुर्घटनाओं में गिरावट का रुझान आया है जो 2000–01 में 473 से घटकर 2005–06 में 234 रह गई है। वर्तमान वित्त वर्ष में अप्रैल, 2006 से जनवरी, 2007 तक परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या 172* थी जबकि गत वर्ष तदनुरूपी अवधि के दौरान यह संख्या 202 थी।

---

*आंकड़े अनंतिम हैं।

विवरण

क्रम सं.	खरीदा	दुर्घटना की किस्म	रेलवे	खंड	गाड़ी सं.	संक्षिप्त ब्यौरा
1.	10.11.06	पटरी से उतरना	पश्चिम	सूरत–नांदूरवार	113 डाउन पैसेंजर	10 सवारी डिब्बे पटरी से उतर गए
2.	15.11.06	बिना चौकीदार वाले समपार	दक्षिण	कायमकुलम–कोट्टायम	2625 अप एक्सप्रेस	एक अम्बेसडर कार ने गाड़ी इंजन को टक्कर मारी
3.	20.11.06	पटरी से उतरना	पूर्वोत्तर	थाणे–सिवान छपरा	484 डाउन पैसेंजर	एक सवारी डिब्बा पटरी से उतर गया
4.	23.11.06	बिना चौकीदार वाले समपार	उत्तर	फिल्लौर–नकोधर	3307 एक्सप्रेस	एक स्कूल वैन ने गाड़ी इंजन को टक्कर मारी
5.	25.11.06	बिना चौकीदार वाले समपार	पूर्व तट रेलवे	रायपुर–टिटलागढ़	8426 एक्सप्रेस	एक कार ने गाड़ी इंजन को टक्कर मारी
6.	26.11.06	बिना चौकीदार वाले समपार	उत्तर पश्चिम	मेहता रोड–बीकानेर	4888 एक्सप्रेस	एक जीप ने गाड़ी इंजन को टक्कर मारी
7.	30.11.06	चौकीदार वाले समपार	उत्तर	मुरादनगर–सहारनपुर	अप एलएचएम गुड्स	एक ट्रेक्टर ट्रॉली ने गाड़ी इंजन को टक्कर मारी
8.	02.12.06	विविध	पूर्व	साहिबगंज–भागलपुर	3071 अप एक्सप्रेस	उल्टे पुल का कचरा सवारी डिब्बे की छत पर गिर गया
9.	04.12.06	टक्कर	मध्य	नागपुर–अमला	6359 एक्सप्रेस एवं बैंकर बिजली इंजन	बैंकर बिजली इंजन एसएलआर के पिछले हिस्से टकरा गया
10.	07.12.06	बिना चौकीदार वाले समपार	उत्तर पश्चिम	वेगाना–रत्नगढ़	2 डीआर पैसेंजर	एक जीप ट्रेन इंजन से टकरा गई
11.	08.12.06	बिना चौकीदार वाले समपार	उत्तर	मेरठ–खुर्जा	4163 अप	एक मारूति कार ने गाड़ी इंजन को टक्कर मारी
12.	10.12.06	पटरी से उतरना	उत्तर	अमृतसर–पठानकोट	4 एसपी पैसेंजर	तीन सवारी डिब्बे पटरी से उतर गए
13.	10.12.06	बिना चौकीदार वाले समपार	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	न्यू जलपाईगुड़ी–न्यू बोंगाईगांव	अप डीएमयी गुड्स	एक ट्रक ने गाड़ी इंजन को टक्कर मारी
14.	13.12.06	बिना चौकीदार वाले समपार	पूर्वोत्तर	गोंडा–मैलानी	189 अप पैसेंजर	एक ट्रेक्टर ट्रॉली ने गाड़ी इंजन को टक्कर मारी
15.	13.12.06	पटरी से उतरना	दक्षिण पूर्व	राजखारस्वान–वडाजामदा	2021 एक्सप्रेस	एक सवारीडिब्बा पटरी से उतर गया
16.	13.12.06	टक्कर	मध्य	छतरपति शिवाजी टर्मिनस–कल्याण	टी 63 ईएमयू एवं टी 149 ईएमयू	टीएल 63 ईएमयू ने टी 149 ईएमयू के पीछे से टक्कर मारी
17.	24.12.06	चौकीदार वाले समपार	पूर्व	दानकुनी–कुमारकुंडू	3111 अप एक्सप्रेस	एक मोटर साइकिल ने गाडी इंजन को टक्कर मारी
18.	26.12.06	पटरी से उतरना	उत्तर	लखनऊ–रायबरेली	डाउन गौरीगंज गुड्स	27 मालडिब्बे पटरी से उतर गए
19.	28.12.06	टक्कर	दक्षिण मध्य	मनमाड–परबानीय	7063 एक्सप्रेस और खाली बीक्सन गुड्स	मालगाड़ी के ड्राइवर ने गाड़ी पीछे की और उसका पार्श्व पैसेंजर गाड़ी से टकरा गया

विवरण

हताहत		रुपयों की क्षति की लागत	अनुग्रह/ मुआवजा	प्रथम दृष्टव्या कारण	जांच की किस्म	निष्कर्ष/ परिणाम	उत्तरदायित्व	की गई अ.एच.अ. कार्रवाई
मारे गए	घायल							
	107	3075876	93000	रेलपथ उपकरण की खराबी	रेल संरक्षा आयुक्त	जांच चल रही है	–	–
1				सड़क उपयोगकर्ता की लापरवाही	विभागीय	सड़क उपयोगकर्ता की लापरवाही	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं
				अधिक गति और कोच की खराबी	विभागीय	रेल कर्मचारी की चूक	लोको पायलट, गार्ड और सेक्शन इंजीनियर/रेलपथ	अ. एवं अ. कार्रवाई चल रही है।
3	23			सड़क उपयोगकर्ता की लापरवाही	विभागीय	सड़क उपयोगकर्ता की लापरवाही	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं
2				सड़क उपयोगकर्ता की लापरवाही	विभागीय	सड़क उपयोगकर्ता की लापरवाही	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं
1				सड़क उपयोगकर्ता की लापरवाही	विभागीय	सड़क उपयोगकर्ता की लापरवाही	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं
2				फाटक खुला हुआ था	विभागीय	रेल कर्मचारी की चूक	चौकीदार	अ. एवं ज. कार्रवाई चल रही है।
36	16	2265242	15930000	रेल कर्मचारी की चूक	रेल संरक्षा आयुक्त	अंतिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा है	–	–
	2	10000	5500	बैंकर इंजन का उच्छलन	रेल संरक्षा आयुक्त	जांच चल रही है	–	–
7	4	3910		सड़क उपयोगकर्ता की लापरवाही	विभागीय की लापरवाही	सड़क उपयोगकर्ता	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं
	5			सड़क उपयोगकर्ता की लापरवाही	विभागीय	सड़क उपयोगकर्ता की लापरवाही	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं
		60500		रेल पटरी की टूट–फूट	विभागीय	रेल कर्मचारी की चूक	सेक्शन इंजीनियर एवं ड्राइवर	अ. एवं अ. कार्रवाई चल रही है।
2	3	2000		सड़क उपयोगकर्ता की लापरवाही	विभागीय	सड़क उपयोगकर्ता की लापरवाही	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं
3		20570		सड़क उपयोगकर्ता की लापरवाही	विभागीय	सड़क उपयोगकर्ता की लापरवाही	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं
		19418		रेलपथ के पास रखे रेल पटरी द्वारा अतिलंघन के कारण हुआ	विभागीय	रेल कर्मचारी की चूक	सेक्शन इंजीनियर	अ. एवं अ. कार्रवाई चल रही है।
	24	90000	31500	चालक टीएल 63 सिगनल को खतरे पर पार कर गया	रेल सरक्षा आयुक्त	जांच चल रही है	–	–
1				सड़क उपयोगकर्ता की लापरवाही	विभागीय	सड़क उपयोगकर्ता की लापरवाही	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं
		2475000		रेल पटरी की टूट–फूट	विभागीय	रेल कर्मचारी की चूक	नियंत्रक, लोको पायलट, सेक्शन इंजीनियर/रेलपथ	अ. एवं अ. कार्रवाई चल रही है
	2	453000	1000	माल गाड़ी का चालक अचानक गाड़ी चालू कर दिया जिससे पार्श्व भाग टकरा गया	विभागीय	रेल कर्मचारी की चूक	लोको पायलट, सहायक लोको पायलट, गार्ड	अ. एवं अ. कार्रवाई चल रही है

विवरण

क्रम सं.	खरीदा	दुर्घटना की किस्म	रेलवे	खंड	गाड़ी सं.	संक्षिप्त ब्यौरा
20.	29.12.06	पटरी से उतरना	उत्तर	पठानकोट–जालंधर	2332 एक्सप्रेस	गाड़ी इंजन और एक सवारी डिब्बा पटरी से उतर गया
21.	31.12.06	बिना चौकीदार वाले समपार	उत्तर	इलाहाबाद–ऊंचाहार	4215 अप एक्सप्रेस	एक टाटा सूमो ने गाड़ी इंजन को टक्कर मारी
22.	31.12.07	बिना चौकीदार वाले समपार	उत्तर	श्री गंगानगर–भटिंडा	2482 एक्सप्रेस	एक मारूति कार गाडी इंजन को टक्कर मारी
23.	01.01.07	बिना चौकीदार वाले समपार	उत्तर	जाखल–हिसार	7 एल जेएच पैसेंजर	एक ट्रेक्टर ने गाड़ी इंजन को टक्कर मारी
24.	04.01.07	पटरी से उतरना	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	न्यू जलपाईगुड़ी–अलीपुरद्वार	अप एचमबीएन गुड्स	7 सवारी डिब्बे पटरी से उतर गए
25.	05.01.07	टक्कर	पश्चिम	वड़ोदरा–गोधरा	डाउन गांधीधाम–शालीमार गुड्स एवं डाउन टीकेडी गुड्स	डाउन टीकेडी गुड्स ने गांधीधाम–शालीमार गुड्स के पीछे टक्कर मारी
26.	10.01.07	पटरी से उतरना	पूर्व	रामपुरहाट–गुमानी	कोल गुड्स	गाड़ी इंजन और 4 मालडिब्बे पटरी से उतर गए
27.	12.01.07	पटरी से उतरना	पूर्व मध्य	बरकाकाना–गरबा रोड़	अप पानीपत गुड्स	बैंकर इंजन और 4 मालडिब्बे पटरी से उतर गए
28.	14.01.07	पटरी से उतरना	दक्षिण पश्चिम	हसन–मंगलौर	तीन हल्के इंजन	तीन इंजन पटरी से उतर गए
29.	20.01.07	पटरी से उतरना	उत्तर मध्य	मणिकपुर–बांदा	अप मेला स्पेशल	गाड़ी इंजन पटरी से उतर गया
30.	21.01.07	बिना चौकीदार वाले समपार	उत्तर	जम्मूतवी–पठानकोट	8102 एक्सप्रेस	एक टाटा सूमो ने गाड़ी इंजन को टक्कर मारी
31.	21.01.07	बिना चौकीदार वाले समपार	दक्षिण मध्य	नाडिकुडी–पागिडीपल्ली	2719 एक्सप्रेस	अज्ञात वाहन ने गाड़ी संचलन का उल्लंघन किया
32.	24.01.07	चौकीदार वाले समपार	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	वरसोई–न्यू जलपाईगुड़ी	अप एनबीक्यू गुड्स	एक टक्कर गाड़ी इंजन को टक्कर मारी
33.	24.01.07	बिना चौकीदार वाले समपार	उत्तर	लुधियाना–फिरोजपुर	3 एलएफ पैसेंजर	एक मारूति कार गाड़ी इंजन को टक्कर मारी
34.	27.01.07	पटरी से उतरना	पूर्व तट रेलवे	बोलनगीर–झारसुगुडा	एन/एलपीजी गुड्स	12 मालडिब्बे पटरी से उतर गए
35.	28.01.07	पटरी से उतरना	दक्षिण	जोलारपेट्टै–कटपाडि	2674 एक्सप्रेस	5 सवारीडिब्बे पटरी से उतर गए
		जोड़				

आंकड़े अनंतिम हैं।

विवरण

हताहत		रुपयों की क्षति की लागत	अनुग्रह/ मुआवजा	प्रथम दृष्टया कारण	जांच की किस्म	निष्कर्ष/ परिणाम	उत्तरदायित्व	की गई अ.एच.अ. कार्रवाई
मारे गए	घायल							
		22500		मार्ग का स्थापन सही नहीं था	विभागीय	रेल कर्मचारी की चूक	सहायक स्टेशन मास्टर है	अ. एवं अ. कार्रवाई चल रही है
1				सड़क उपयोगकर्ता की लापरवाही	विभागीय	सड़क उपयोगकर्ता की लापरवाही	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं
2	3			सड़क उपयोगकर्ता की लापरवाही	विभागीय	सड़क उपयोगकर्ता की लापरवाही	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं
1				सड़क उपयोगकर्ता की लापरवाही	विभागीय	सड़क उपयोगकर्ता की लापरवाही	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं
		156119684		शरारती तत्व	विभागीय	शरारती तत्वों की गतिविधि	शरारती तत्व	लागू नहीं
	2	45190000		सिगनल उठ गया और स्टेशन मास्टर तथा बी–केबिन से स्लॉट प्राप्त किए बिना पॉइंट का बदलना और ए–28 का लिवर लॉक की खराबी	विभागीय	रेल कर्मचारी की चूक	स्विचमैन, सिगनल निरीक्षक और मास्टर क्राफ्ट्समैन	अ. एवं. अ. कार्रवाई चल रही है।
		1137626		चालक सिगनल को खतरे पर पार कर गया	विभागीय	रेल कर्मचारी की चूक	लोको पायलट एवं सहायक लोको पायलट, गार्ड और.....	अ. एवं अ. कार्रवाई चल रही है
6	7	1087000		अभी तय किया जाना है	रेल संरक्षा आयुक्त	जांच चल रही है	–	–
				रेल पटरी की खराबी	विभागीय	जांच चल रही है	–	–
		5000		चालक द्वारा अधिक गति	विभागीय	रेल कर्मचारी की चूक	लोको पायलट एवं सहायक लोको पायलट	अ. एवं अ. कार्रवाई चल रही है।
2				सड़क उपयोगकर्ता की लापरवाही	विभागीय	सड़क उपयोगकर्ता की लापरवाही	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं
1	4		35000	अज्ञात वाहन द्वारा अतिलंघन	रेल रक्षा आयुक्त	अंतिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा है	–	–
1	4	30000	8500	फाटक खुला था और चालक फाटक सिगनल को खतरे पर पार कर गया	विभागीय	जांच चल रही है	–	–
3				सड़क उपयोगकर्ता की लापरवाही	विभागीय	सड़क उपयोगकर्ता की लापरवाही	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं
		17590458		निजी साइडिंग मालिक की लापरवाही	विभागीय	रेल कर्मचारी से इतर व्यक्तियों की चूक	निजी साइडिंग मालिक	लागू नहीं
	10	4788000	5000	गरम धूरा	रेल संरक्षा आयुक्त	अंतिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा है	–	–
75	216	234445784	16109600					

[हिन्दी]

नवरत्न दर्जा प्राप्त कम्पनियों का कार्यनिष्पादन

371. डा. किरण मोहन :
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' :

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान 'नवरत्न' दर्जा प्राप्त कम्पनियों ने अपना व्यवसाय बढ़ाया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान उनकी वार्षिक विकास दर का ब्यौरा क्या है;

(ग) उनके व्यवसाय में निर्यात का हिस्सा कितना है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इन कम्पनियों द्वारा आयात/निर्यात के माध्यम से कितनी वार्षिक बचत की गयी है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) विगत 3 वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के वर्तमान 9 नवरत्न उद्यमों में कारोबार तथा वार्षिक विकास दर से संबंधित विवरण–I संलग्न हैं।

(ग) विगत 3 वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के इन 9 नवरत्न उद्यमों के कारोबार में निर्यात का अंश संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

(घ) विगत 3 वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 9 नवरत्न उद्यमों द्वारा दिए गए आयात व निर्यात तथा निर्यात की तुलना में अधिक आयात का ब्यौरा संलग्न विवरण–III में दिया गया है।

विवरण-I

	केन्द्रीय सरकारी उद्यम का नाम	2003–04	2004–2005		2005–2006	
		कारोबार	कारोबार	वर्ष 2003–04 की तुलना में वृद्धि की दर	कारोबार	वर्ष 2004–05 की तुलना में वृद्धि की दर
1.	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि.	8019.03	9527.14	18.81%	13374.03	40.38%
2.	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि.	46254.3	56969.99	22.21%	77035.92	30.64%
3.	गेल (इण्डिया) लि.	11945.18	13591.38	13.78%	16351.29	20.31%
4.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि.	50339.1	59264.55	17.73%	68161.77	15.01%
5.	इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि.	115874.75	137659.83	18.80%	168854.71	22.66%
6.	महानगर टेलीफोन निगम लि.	6369.6	5592.39	–12.20%	5560.98	–0.56%
7.	एनटीपीसी लि.	18868.4	22564.92	19.59%	26142.92	15.86%
8.	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लि.	32078.38	46364.37	44.53%	47966.4	3.46%
9.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लि.	21528.39	28629.94	32.99%	28265.57	–1.27%

विवरण-II

	केन्द्रीय सरकारी उद्यम का नाम	2003–04		2004–2005		2005–2006	
		निर्यात	कारोबार में निर्यात का%	निर्यात	कारोबार में निर्यात का%	निर्यात	कारोबार में निर्यात का%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि.	1742.84	21.73%	1572.77	16.51%	1788.48	13.37%
2.	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि.	1319.21	2.73%	1943.41	3.30%	4285.64	5.56%

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	गेल (इण्डिया) लि.	19.03	0.16%	76.95	0.57%	18.58	0.11%
4.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि.	1123.59	2.23%	1943.51	3.28%	3271.39	4.80%
5.	इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि.	3632.83	3.14%	3540.62	2.57%	5574.48	3.30%
6.	महानगर टेलीफोन निगम लि.	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
7.	एनटीपीसी लि.	0	0.00%	0	0.00%	0.31	0.00%
8.	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लि.	372.6	1.16%	1206.27	2.60%	2608.49	5.44%
9.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लि.	1687.77	7.84%	1335.06	4.66%	1091.11	3.86%

विवरण-III

(करोड़ रुपयों में)

केन्द्रीय सरकारी उद्यम का नाम	निर्यात मूल्य (एफओबी)	आयात मूल्य	निर्यात की तुलना में अधिक आयात
1		2	3 4
1. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि.			
2005–06 :	1768	2357	589
2004–05 :	1573	1726	153
2003–04 :	1743	1227	–516
2. भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि.			
2005–06 :	4286	22379	18093
2004–05 :	1943	6922	4979
2003–04 :	1319	4847	3528
3. गेल (इण्डिया) लि.			
2005–06 :	19	102	83
2004–05 :	77	98	21
2003–04 :	19	208	189
4. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि.			
2005–06 :	3271	20063	16792
2004–05 :	1944	13948	12004
2003–04 :	1124	9312	8188

1	2	3	4
5. इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि.			
2005–06 :	5574	68196	62622
2004–05 :	3541	46494	42953
2003–04 :	3633	36170	32537
6. महानगर टेलीफोन निगम लि.			
2005–06 :	0	0	0
2004–05 :	0	0	0
2003–04 :	0	0	0
7. एनटीपीसी लि.			
2005–06 :	0	690	690
2004–05 :	0	145	145
2003–04 :	0	126	126
8. तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लि.			
2005–06 :	2608	3013	405
2004–05 :	1206	3145	1939
2003–04 :	373	678	305
9. स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लि.			
2005–06 :	1091	6148	5057
2004–05 :	1335	4617	5057
2003–04 :	1688	2430	742

[अनुवाद]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में कामगार

372. एडवोकेट सुरेश कुरुप : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में लगभग कितनी संख्या में कामगार कार्यरत हैं;

(ख) इनमें से कितने असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं; और

(ग) वित्तीय वर्ष 2006–07 के दौरान इस उद्योग की समग्र विकास दर कितनी रही है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (ग) उद्योगो के वार्षिक सर्वेक्षण 2000–2001 के अनुसार, देश में संगठित क्षेत्र में 10,19,793 कामगार कार्यरत थे, जबकि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के असंगठित निर्माण क्षेत्र सर्वेक्षण (2000–2001) दर्शाता है कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में असंगठित उद्योगों में 68,42,000 कामगार कार्यरत थे।

वित्तीय वर्ष 2006–07 के दौरान उद्योग की समग्र वृद्धि दर के आंकड़े, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद ही उपलब्ध होंगे।

[हिन्दी]

विमान यात्रियों के लिए लाभकारी योजनाएं

373. श्री पंकज चौधरी : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इण्डियन एयरलाइन्स में नियमित

यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए टच 10 और टच 20 योजनाएं शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन योजनाओं को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) इंडियन एयरलाइन्स ने एक अल्पकालिक प्रोत्साहन योजना टच–10/टच–20 आरम्भ की है जो 1.2.2006 से 31.3.2007 तक वैध है। इस प्रस्ताव का लक्ष्य चुने हुए घरेलू सेक्टरों को प्रमोट करना है जहां सीटों के अधिभोग स्तर को सुधारने के लिए समर्थन की आवश्यकता है और यह भारत में टिकट खरीदने वाले भारतीयों तथा विदेशियों कि लिए मुफ्त हैं। इस प्रस्ताव के अधीन, कोई भी यात्री जो इंडियन एयरलाइन्स/एलाइंस एयर के विनिर्दिष्ट सैक्टरों पर 10 या 20 यात्राएं करता है, वह निशुल्क अवार्ड टिकट (टिकटों) के लिए पात्र होगा।

रेलवे में अपराध

374. श्री रघुराज सिंह शाक्य :
श्री अब्दुल रशीद शाहीन :
श्री हेमलाल मुर्मू :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलगाड़ियों में और स्टेशनों पर ठगी, लूट और अन्य आपराधिक घटनाओं की संख्या बढ़ी है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2006–07 के दौरान ऐसी घटनाओं की जोन–वार संख्या कितनी है और उन मामलों में क्या कार्रवाई की गयी;

(ग) क्या इन घटनाओं में रेल कर्मचारियों की मिलीभगत का पता लगाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उन कर्मचारियों के विरुद्ध रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है; और

(च) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी नहीं। भारतीय रेलों पर गाड़ियों और स्टेशनों पर वर्ष 2005 में दर्ज अपराधों की तुलना में वर्ष 2006 में दर्ज अपराधों की संख्या में कमी आई है।

वर्ष 2006 के दौरान गाड़ियों और रेलवे परिसरों में अपराधों अर्थात् हत्या, हत्या के प्रयास, डकैती, लूटपाट, ठगी, चोरी आदि के कुल 17,864 मामले दर्ज किए गए जबकि पिछले वर्ष 2005 के दौरान 19,058 मामले दर्ज किए गए थे।

(ग) से (ङ) रेलों पर अपराधों के सभी मामले राज्य सरकारों की राजकीय रेलवे पुलिस को सूचित किए जाते हैं, उन्हें उनके पास पंजीकृत किया जाता है और उनके द्वारा ही जांच की जाती है। जब भी ऐसे मामले में किसी भी रेल कर्मचारी की संलिप्त होने की सूचना मिलती है तो संबंधित राजकीय रेल पुलिस द्वारा उन पर मुकदमा चलाए जाने के अलावा उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी की जाती है।

(च) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:–

- औसतन 2230 से अधिक गाड़ियों को राजकीय रेल पुलिस द्वारा अनुरक्षित किया जा रहा है।
- रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957 तथा रेल अधिनियम 1989 के संशोधन होने के बाद रेलवे में अपराध पर नियंत्रण पाने के लिए राजकीय रेल पुलिस के प्रभावकारी पूरक प्रयासों के रूप में औसतन 1450 से अधिक गाड़ियों को रेल सुरक्षा बल द्वारा अनुरक्षित किया जा रहा है।
- संवेदनशील तथा महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर उपयुक्त जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं ताकि अभागे यात्री धोखेबाजों तथा यात्रियों की नशाखोरी आदि में संलिप्त गैंगों के शिकार न बन पाएं।
- अपराधिक गतिविधियों पर चर्चा करने तथा अपराधों पर नियंत्रण पाने हेतु प्रभावकारी योजना बनाने के लिए राज्य पुलिस तथा राजकीय रेल पुलिस के प्राधिकारियों के साथ नियमित तौर पर समन्वय बैठकें आयोजित की जाती हैं।

[अनुवाद]

उड़ानों का रद्द होना

375. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :
श्री प्रबोध पाण्डा :
श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :
श्री एम. अप्पावुरई :
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घने कोहरे या हवा के रूख में बदलाव के कारण जाड़े के मौसम में देश में दिल्ली तथा अन्य विमानपत्तनों से उड़ने वाली और वहां उतरने वाली कई उड़ानें रद्द हो गयी, विलम्बित हुई और बाधित हुई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे अनुमानतः कितना नुकसान हुआ और इससे कितने यात्री प्रभावित हुए;

(ग) आधुनिक उपकरणों के प्रावधान के बावजूद बाधाओं के क्या कारण हैं;

(घ) क्या संबंधित विमान कंपनियों द्वारा प्रभावित यात्रियों को कोई क्षतिपूर्ति दी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो संबंधित ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और इसे सदन के पटल पर रखा जाएगा।

कतिपय राज्यों को विशेष पर्यटन राज्य का दर्जा

376. श्री भर्तृहरि महताब : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन राज्यों को विशेष पर्यटन राज्य का दर्जा दिया गया है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान ऐसे प्रत्येक राज्य को सरकार द्वारा कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है;

(ग) क्या उड़ीसा को विशेष पर्यटन राज्य का दर्जा दिए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस मामले में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) पर्यटन मंत्रालय राज्यों को विशेष पर्यटन का दर्जा प्रदान नहीं करता है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

पीएनजी नेटवर्क

377. श्री जुएल ओराम :
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश मे आज की तिथि में पाइप्ड नेचुरल गैस नेटवर्क के अंतर्गत शामिल शहरों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विभिन्न शहरों में घरों में पीएनजी की आपूर्ति में कौन सी कंपनियां लगी हैं;

(ग) क्या सरकार ने वर्ष 2007–2008 के दौरान कुछ और शहरों में पाइप्ड नेचुरल गैस आपूर्ति नेटवर्क बिछाने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो इस उद्देश्य हेतु पहचाने गए शहरों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सभी प्रमुख शहरों में कब तक पीएनजी नेटवर्क लगा दिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) देश में पाइप प्राकृतिक गैस नेटवर्क के अंतर्गत शामिल शहर हैं – दिल्ली, मुंबई, अगरतला, सूरत, हजीरा, जूनागाम, वास्वा, मोरा, दमका, भरलई, कावास, राजगिरि, सुवाली, इच्छापुर, अंकलेश्वर, भडूच, बड़ोदरा, अहमदाबाद, विद्यानगर, आनन्द, मोर्बी, गांधीनगर, दुलियाजान, डिग्बोई, डिब्रुगढ़, मोरान, नहरकटिया, शिवसागर, नाजिरा, सियालुगुड़ी और तिनसुकिया।

(ख) देश में घरों में पीएनजी की आपूर्ति में शामिल कम्पनियां हैं – इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, महानगर गैस लिमिटेड, त्रिपुरा नेचुरल गैस कम्पनी लिमिटेड, गुजरात गैस कम्पनी लिमिटेड, जीएसपीसी गैस कम्पनी लिमिटेड, असम गैस कम्पनी लिमिटेड और अडानी इनर्जी लिमिटेड। इनके अतिरिक्त बड़ोदरा नगर निगम और चरोदार गैस सहकारी मंडली लिमिटेड भी पीएनजी की आपूर्ति में शामिल हैं।

(ग) और (घ) जबकि सरकार ने वर्ष 2007–08 के दौरान पाइप नेचुरल गैस बिछाने के लिए कोई कार्य–योजना तैयार नहीं की है, तो भी इसमें 6 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 का अधिनियम और प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के विकास के लिए नीति और नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण "नेटवर्क" अधिसूचित करके इस क्षेत्र में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक विनियामक ढांचा तैयार किया है। गेल और इसकी संयुक्त उद्यम कम्पनियों ने वर्ष 2007–2008 में कानपुर, लखनऊ, आगरा और विजयवाड़ा शहरों में पीएनजी आपूर्ति की योजना बनाई है।

(ङ) नगर गैस वितरण परियोजनाओं के कार्यान्वयन का सम्बन्ध गैस की उपलब्धता, आवश्यक आधारभूत सुविधाओं के होने और आर्थिक लाभप्रदत्ता से है।

[हिन्दी]

तेल कम्पनियों द्वारा लाभांश

378. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' :
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों ने दिसम्बर, 2006 में अंतरिम लाभांश की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो यह कंपनी–वार कितना है; और

(ग) पिछले वर्ष की तुलना में लाभांश के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (ग) प्रमुख तेल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा दिसंबर, 2006 माह में घोषित अंतरिम लाभांश का पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में कंपनी–वार ब्यौरा निम्नानुसार है:–

तेल पीएसयू का नाम	लाभांश भुगतान (करोड़ रुपए में)	
	2006–07 (अंतरिम)	2005–06 (अंतिम)
ओएनजीसी	3849.97	3564.83
आईओसीएल	700.81	1460.02
ओआईएल	235.40	567.11
एचपीसीएल	203.60	101.80
बीपीसीएल	216.93	90.39
गेल	465.11	845.65

[अनुवाद]

मालगाड़ियों के लिए पृथक रेल लाइनें

379. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का विचार त्वरित माल ढुलाई के लिए मुम्बई और कोलकाता से नई दिल्ली के लिए पृथक रेल लाइन बिछाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी, हां। रेल बजट 2006–07 में पश्चिमी और पूर्वी मार्गों पर समर्पित फ्रेट कॉरिडोर परियोजना को शामिल किया गया था। जवाहरलाल नेहरू पत्तन से तुगलकाबाद/दादरी के बीच पश्चिमी गलियारे की अनुमानित लागत 16,592 करोड़ रु. है। लुधियाना और सोन नगर के बीच पूर्वी गलियारे की अनुमानित लागत 11,589 करोड़ रु. है। प्रस्तावित डीप सी पोर्ट के कारण माल यातायात में वृद्धि की संभावना को देखते हुए पूर्वी गलियारे का कोलकाता क्षेत्र में इस पोर्ट तक विस्तार किया जायेगा। इस परियोजना को लागू करने के लिए डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डी एफ सी सी आई) नामक एक नया सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम गठित किया गया है।

विमान यातायात नियंत्रण प्रणाली का आधुनिकीकरण

380. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु :
श्री आलोक कुमार मेहता :
डा. के. धनराजू :
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 फरवरी, 2007 के हिन्दुस्तान टाइम्स में दिल्ली एयरपोर्ट्स ग्राउण्डेड ट्रुथ शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विमान यातायात नियंत्रण (एटीसी) के मूलभूत उपकरण – एटीसी और पायलट के बीच संचार प्रणाली पुरानी है तथा कई बार विमान के रेडियो पायलट के अनुदेशों के स्थान पर एफएम संगीत चैनल पकड़ने लगते हैं; और

(घ) यदि हां तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) जी, हां। रिपोर्ट में मुख्य तौर पर यातायात में वृद्धि की तुलना में अपर्याप्त अवसंरचना को उजागर किया गया था जिसके परिणामस्वरूप विलम्ब हुए थे। इस रिपोर्ट में वास्तविक स्थिति को बढ़ा–चढ़ा कर दर्शाया गया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने एक नया समानान्तर टैक्सी वे और दोनों रनवे के लिए त्वरित निकास टैक्सी–वे क्रियान्वित किए हैं और दोनों रनवे का साथ–साथ उपयोग भी क्रियान्वित किया है। इससे आगमन तथा प्रस्थान में होने वाले विलम्ब में कमी आई है तथा रनवे की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होकर यह प्रति मिनट 40 आवागमन की अधिकतम क्षमता तक बढ़ गई है। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राइवेट लिमिटेड (डायल) ने भी क्षमता में आगे और वृद्धि करने और विलम्बों को न्यूनतम करने के लिए अतिरिक्त रनवे और पार्किंग स्टैण्ड आदि के निर्माण हेतु कार्रवाई आरम्भ की है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। आई जी आई हवाई अड्डा, दिल्ली पर एटीसी प्रणाली तथा संचार यंत्रों में नियंत्रक और पायलट के बीच सम्प्रेषण के लिए डिजीटल वॉयस कन्ट्रोल सिस्टम (जी सी एस) के साथ अत्याधुनिक वी एच एफ ट्रांसमीटर तथा रिसीवर्स की व्यवस्था की गई है। ग्राउण्ड पर संस्थापित वी एच एफ ट्रांसमीटरों तथा रिसीवरों की नियमित जांच की जाती है और प्रचालन के अधिकतम सर्विसेबल लेबल पर अनुरक्षित रखा जाता है।

विमानों में एफ एम म्यूजिक चैनल की रिसेप्शन के संबंध में विदित

किया जाता है कि विमान के भीतर के उपस्कर का अनुरक्षण संबंधित एयरलाइनों द्वारा किया जाता है।

यात्रियों से अतिव्यस्तता प्रभार

381. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील :
श्री बृज किशोर त्रिपाठी :
श्री एल. राजगोपाल :
श्री सुव्रत बोस :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि निजी विमान कंपनियां यात्रियों से अतिव्यस्तता प्रभार (कन्जेशन चार्जेज) वसूल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो किन सेक्टरों में अतिव्यस्तता है और किन सेक्टरों में विमान कंपनियां अतिव्यस्तता प्रभार ले रही है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे प्रभार लेने वाली निजी विमान कंपनियों पर रोक लगाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (घ) जी, हां। कुछ एयरलाइनें अतिव्यस्तता प्रभार वसूल रही हैं। बहरहाल, एयर कार्पोरेशन एक्ट, 1953 के वर्ष 1994 में निरस्त होने के पश्चात घरेलू विमान किरायों को सरकार द्वारा विनियमित नहीं किया जाता है। घरेलू एयरलाइनें अपने वाणिज्यिक विवेक के आधार पर विमान किराए वसूलने के लिए मुक्त हैं।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों की आर्थिक स्थिति

382. श्री मोहन सिंह :
श्री रशीद मसूद :
श्री एस.के. खादवेनथन :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2005–06 की तुलना में वर्ष 2006–07 के दौरान आज की तिथि तक सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों की कंपनी–वार आर्थिक स्थिति क्या है;

(ख) क्या कच्चे तेल की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट के कारण सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों के लाभ में कमी आने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो कितना;

(घ) क्या तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में पुनः संशोधन की मांग की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) वर्ष 2005–06 की तुलना में वर्ष 2006–07 (अप्रैल–दिसम्बर, 06) के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों का करोपरांत लाभ निम्नवत् है:–

(रुपये करोड़)

कंपनी	अप्रैल–दिसम्बर, 06 (तीन तिमाही)	2005–06 (पूर्व वर्ष)
आईओसी	5890*	4915*
बीपीसी	1136*	292*
एचपीसी	1022	406
आईबीपी	107	12
योग	8155	5625

*आपवादिक मद सहित – अप्रैल 2006 के दौरान ओएनजीसी लिमिटेड में आईओसी की 20% अंशधारिता की बिक्री पर दीर्घावधिक मुनाफे के रूप में 3224.78 करोड़ रुपए का लाभ। वित्त वर्ष 2005–06 के दौरान गेल में आईओसी की 50% की अंशधारिता की बिक्री पर आईओसी को 438.86 करोड़ रुपए का लाभ हुआ था।

** के आर एल में विलय के बाद।

(ख) से (च) आम आदमी के हित को ध्यान मे रखते हुए, सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों के अनुसार पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि नहीं की है। इस कारण, तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज़) को अप्रैल–दिसम्बर, 06 के दौरान संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों के विपणन में 41,200 करोड़ रुपए तक कम वसूलियां हुई हैं। तथापि, सरकार ने तेल कंपनियों के साथ मिलकर इसका 87.5% भार स्वयं वहन करने तथा केवल 12.5% भार ही उपभोक्ताओं पर डालने का निर्णय लिया। सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान 28,300 करोड़ रुपए मूल्य के तेल बॉण्ड जारी करने पर सहमति दी। इसके अलावा, अपस्ट्रीम तेल कंपनियों ने भी ओएमसीज को होने वाली अल्प वसूलियों के लिए 24,000 करोड़ रुपए का अंशदान दिया।

आर सी टी के समक्ष लंबित क्षतिपूर्ति दावे

383. श्री गिरधारी लाल भार्गव :
श्रीमती किरण माहेश्वरी :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान रेल दावा अधिकरण (आर सी टी) द्वारा दुर्घटना मुआवजा दावा तथा किराया प्रतिदाय से संबंधित निपटाए गए मामलों की संख्या कितनी है और कितनी राशि क्षतिपूर्ति के रूप में दी गई;

(ख) आर सी टी के समक्ष आज तक लंबित क्षतिपूर्ति दावों की संख्या कितनी है;

(ग) ये मामले कब से लंबित हैं और इन मामलों को निपटाने में विलंब के क्या कारण हैं;

(घ) ऐसे मामलों को निपटाने में औसतन कितना समय लगता है; और

(ङ) लंबित क्षतिपूर्ति दावों शीघ्र निपटाने के लिए रेलवे द्वारा क्या उपाय किए गए हैं और इन मामलों को कब तक निपटाए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) निपटाए गए दावों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

	रेल अधिनियम, 1989 की धारा 124 ए के तहत दुर्घटना दावा संबंधी मामले		किरायों की वापसी संबंधी मामले	
वर्ष	दावों की संख्या	डिगसीशुदा धनराशि (रु.)	मामलों की संख्या	डिगरीशुदा धनराशि (रु.)
2003–04	438	5,58,91,500	9	34,451
2004–05	373	4,31,41,538	5	3,574
2005–06	175	4,51,82,850	2	400
2006–07 (31.12.06 तक)	238	3,09,23,259	2	3568

(ख) 1.1.2007 को दुर्घटना मुआवजा दावे के 274 मामले तथा किराया प्रतिदाय से संबंधित 2 मामले लंबित हैं।

(ग) 1.1.2007 को गाड़ी दुर्घटना मामलों की लंबित समयावधि:

एक वर्ष से कम	एक वर्ष पुराने	दो वर्ष पुराने	तीन वर्ष पुराने	चार वर्ष पुराने	पांच वर्ष पुराने एवं 5 वर्ष से अधिक पुराने	जोड
113	70	36	46	6	2	274

1.1.2007 को किराया प्रतिदाय मामलों की लंबित समयावधि:

एक वर्ष से कम	एक वर्ष पुराने	दो वर्ष पुराने	तीन वर्ष पुराने	चार वर्ष पुराने	पांच वर्ष पुराने एवं 5 वर्ष से अधिक पुराने	जोड
1	1	0	0	0	0	2

(घ) मामलों के निपटान में लगे औसत समय का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	दुर्घटना दावा क्षतिपूर्ति संबंधी मामले	किराया प्रतिदाय संबंधी मामले
2003–04	417 दिन	669 दिन
2004–05	761 दिन	826 दिन
2005–06	447 दिन	515 दिन
2006–07 (31.12.06 तक)	279 दिन	171 दिन

(ङ) मामलों के शीघ्र निपटान के लिए आर सी टी (प्रक्रिया) नियमों में संशोधन किया गया है।

(क) किसी भी पीठ के समक्ष दुर्घटना दावा संबंधी मामलों की अर्जी पेश की जा सकती है जिसका क्षेत्राधिकार उस स्थान पर जहां से यात्री अपना टिकट/पास प्राप्त करता है अथवा जहां दुर्घटना अथवा अप्रिय घटना घटित होती है अथवा गंतव्य स्टेशन का स्थान अथवा वहां पर दावाकर्ता आमतौर पर रहता है।

(ख) आर सी टी अंतिम सुनवाई की तारीख से 21 दिन के भीतर अपना फैसला सुना सके।

(ग) इससे पहले हलफनामें सरकारी नोटरी द्वारा प्रमाणित किए जाते थे। दावाकर्ताओं की सहूलियत के लिए आर सी टी के रजिस्ट्रारों को इसे प्रमाणित करने का अधिकार दे दिया गया है।

(2) रेल दावा अधिकरण के अध्यक्ष को उस पीठ में रिक्त होने की स्थिति में लंबित मामलों को निपटाने के लिए सर्किट बेंच स्थापित करने के लिए उसी पीठ का अथवा किसी दूसरी पीठ के एक सदस्य को नामित करने का अधिकार दे दिया गया है।

(3) निम्नलिखित प्रशासनिक उपाय भी किए गए हैं:–

i. दावा क्षतिपूर्ति संबंधी मामले दाखिल करने के लिए यात्रियों की सहायता हेतु प्रत्येक क्षेत्रीय रेल मुख्यालय में एक दुर्घटना कक्ष की स्थापना की गई है और मामले के निपटान की सतत निगरानी रखने की भी जिम्मेदारी सौंप दी गई है जब तक कि रेल दावा अधिकरण द्वारा डिगरी नहीं प्रदान कर दी जाती है।

ii. दुर्घटना संबंधी मामलों की डिगरी जारी हो जाने के बाद, रेलवे को यह सुनिश्चित करना होगा कि 15 दिनों की समयावधि के भीतर चैक जारी और प्रेषित कर दिए जाएं।

मामले के निपटान के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की जा सकती क्योंकि रेल दावा अधिकरण एक अर्ध–न्यायिक संस्था है। फिर भी, आर सी टी/अध्यक्ष से किसी खास पीठ में किसी सदस्य की रिक्ति होने की स्थिति में लंबित मामलों के निपटान के लिए सर्किट पीठ स्थापित करने के लिए अनुरोध किया जाता है।

विलंब के कारण

i. साक्ष्य पेश करने के लिए अर्जीकर्ता/उनके वकील द्वारा बारंबार स्थगन की मांग इत्यादि।

ii. दावाकर्ताओं द्वारा अपना दावा एक रेल दावा अधिकरण की एक पीठ से दूसरे पीठ में स्थानांतरित करने का अनुरोध।

iii. दावाकर्ताओं के उत्तराधिकारी वारिशों की अनुपलब्धता।

भारत और पाकिस्तान तटरक्षकों के बीच हॉटलाइन

384. श्री शिशुपाल एन. पटले :
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा :
श्री संतोष गंगवार :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत–पाक तटरक्षकों के बीच हॉटलाइन सेवा शुरू की गयी है ताकि दोनों देशों के बीच तटीय सीमाओं की निगरानी तथा सूचना का आदान–प्रदान किया जा सके जैसाकि दिनांक 1 फरवरी, 2007 के 'राष्ट्रीय सहारा' में समाचार प्रकाशित हुआ है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या भारतीय तटरक्षक बल देश की तटीय सीमाओं की रक्षा करने में जवानों की कमी का सामना कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) हॉटलाइन सेवाएं कितनी उपयोगी सिद्ध हुई हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (ङ) भारतीय तटरक्षक और पाकिस्तान समुद्री सुरक्षा एजेंसी के बीच 14 नवम्बर, 2006 को एक हॉटलाइन संपर्क सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। इस हॉटलाइन से दोनों पक्षों के मत्स्य–ग्रहण जलयानों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के उल्लंघन संबंधी सूचना का ऑनलाइन आदान–प्रदान संभव हुआ है। भारतीय तटनक्षक के महानिदेशक और पाकिस्तान समुद्री सुरक्षा एजेंसी के महानिदेशक के बीच प्रत्येक बुधवार को 0930 बजे (भारतीय मानक समय) नियमित रूप से सूचना का आदान–प्रदान किया जाता है। हॉटलाइन संपर्क की स्थापना से समुद्री कानून लागू करने वाली दोनों एजेंसियों के मध्य समुदी सहयोग का मार्ग प्रशस्त हुआ है। भारतीय तटरक्षक एक बढ़ता हुआ संगठन है और अपेक्षित जनशक्ति उपलब्ध करवाना एक सतत् प्रक्रिया है। रिक्तियों को भरने के लिए भर्ती नियमित आधार पर की जाती है। तटरक्षक देश की तटीय सीमाओं की रक्षा करने के लिए समुचित रूप से लैस है।

यात्रियों पर उपकर

385. श्री बृज किशोर त्रिपाठी :
डा. बाबू राव मिडियम :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में हरित विमानपत्तन विकसित करने के लिए विमान यात्रियों पर उपकर लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रस्तावित उपकर का उपयोग किस प्रकार किए जाने की संभावना है; और

(ग) इस उपकर के माध्यम से कितनी राशि जुटाए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

कम दृश्यता वाली परिस्थितियों में विमान-चालन हेत विमानचालकों को प्रशिक्षण

386. श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री कैलाश मेघवाल :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागर विमानन महानिदेशालय ने विमानचालकों के प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम का उन्नयन किया है ताकि वे सभी कोहरे

के कारण कम दृश्यता की परिस्थितियों में उड़ान का प्रचालन करनें में प्रशिक्षित हो सकें;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी निजी विमान कंपनियों को इस योजना को तुरन्त लागू करने हेतु निर्देश दे दिए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या नागर विमानन महानिदेशालय उड़ान भरने के लिए वर्तमान में निर्धारित आवश्यक न्यूनतम रनवे–पर दृश्यता 550 मीटर के दृश्यता मानदण्ड को कम कर 150 मीटर करने पर विचार कर रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक के लिए लिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, हां। नागर विमानन महानिदेशालय ने 22.11.2005 को उपकरण अवतरण प्रणाली श्रेणी–II तथा श्रेणी–III पर प्रचालन के लिए विमानचालकों की प्रशिक्षण अपेक्षाओं को संशोधित किया है जिससे विमानचालक कम दृश्यता परिस्थितियों में प्रचालन कर सके तथा ऐसा नागर विमानन अपेक्षाओं (सीएआर) खंड 7 सीरिज, एक्स पार्ट–I के संशोधन से किया जाता है।

(ख) और (ग) सीएआर का अनुपालन सभी एयरलाइन आपरेटरों के लिए अनिवार्य है।

(घ) और (ङ) इकाओ मार्गदर्शन के अनुसार, कम दृश्यता परिस्थिति के उड़ान के लिए न्यूनतम अपेक्षाओं के लिए, अनुसूचित आपरेटरों के लिए आवश्यक कार्यान्वयन के लिए आपरेटरों के साथ परामर्श करके नागर विमानन महानिदेशालय में संवीक्षा की जाती है।

राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता तथा प्रबंध संस्थान

387. श्री एल. राजगोपाल : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में खाद्य प्रसंस्करण की गुणवत्ता में सुधार लाने के मद्देनजर राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता तथा प्रबंध संस्थान की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (ग) सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता तथा प्रबंधन संस्थान की स्थापना कुण्डली, हरियाणा राज्य में की जा रही है। यह संस्थान खाद्य प्रसंस्करण में अंत:विधा अनुसंधान कार्य करने, नए उत्पाद और प्रक्रियाएं विकसित करने, नवप्रवर्तक विचारों के लिए प्रारंभिक सुविधाएं देने, उद्योग, सरकार, उपभोक्ताओं और सुविज्ञों के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की उभरते रूपरेखा पर गहन अंत:क्रिया के लिए मंच प्रदान करने, इस क्षेत्र के लिए अपेक्षित मानव संसाधन विकास समर्थन पर मार्गनिर्देश और सलाह देने तथा उद्योग के लिए विनियामक ढांचा तैयार करने पर जोर देते हुए एक ज्ञान केंद्र के रूप में कार्य करेगा। इस संस्थान के, इस वर्ष आंशिक रूप से काम करना शुरू करने की संभावना है।

रेलवे में फास्ट फूड चेन्स

388. श्री एन.एस.वी. चित्तन :
श्री चन्द्रभूषण सिंह :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने रेलगाड़ियों में और स्टेशनों पर पेय पदार्थों तथा खाद्य वस्तुओं के लिए वेंडिंग मशीनें लगाने के लिए फास्ट फूड चेन्स को आमंत्रित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने माडुलर किचन बनाने तथा रेलगाड़ियों में स्वच्छ वातावरण बनाने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी, हां। स्टेशनों पर फूड प्लाजा/फास्ट फूड यूनिट/क्विक सर्विस/फूड क्योस्कों की स्थापना के लिए बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए फास्ट फूड श्रृंखला सहित खानपान/आतिथ्य व्यवसाय में ख्याति प्राप्त छः केटरर्स को आमंत्रित किया गया है। स्वचालित वेंडिंग मशीनों की बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए फूड एवं पेय पदार्थों के विनिर्माण व्यवसाय से जुड़ी 18 कंपनियों को पैनलबद्ध किया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। आधुनिक साज सामान/उपकरणों की व्यवस्था करके पैंट्री कारों को रीडिजाइन/आधुनिक बनाने का विनिश्चय किया गया है। यह प्रक्रिया अभी आरंभिक चरण में है।

नए रेलवे टर्मिनलों का निर्माण

389. श्री हितेन बर्मन : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने पिछले तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा में नए रेलवे टर्मिनलों के निर्माण को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा किन–किन टर्मिनलों का निर्माण कार्य वास्तव में शुरू हो चुका है;

(ग) इन टर्मिनलों पर अब तक कितना खर्च हो चुका है तथा इनका कार्य पूरा करने की समय–सीमा क्या है; और

(घ) शेष टर्मिनलों पर निर्माण कार्य शुरू न किए जाने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल में चित्तपुर (कोलकाता) में 90.5 करोड़ रु. की लागत पर वर्ष 2003–04 में एक नए यात्री टर्मिनल का अनुमोदन किया गया था। 30.01.06 को ऊपरी पैदल पुल सहित प्लेटफार्म सं. 1,2 और 3, स्टेशन इमारत तथा अन्य संबद्ध यात्री सुविधा कार्यों सहित टर्मिनल स्टेशन को चालू किया गया है। प्लेटफार्म सं. 4 और 5 तथा अन्य संबद्ध कार्यों को 31.12.2007 तक पूरा कर लिया जाएगा।

(ग) 31.3.2006 तक चित्तपुर टर्मिनल पर 45.14 करोड़ रु. की राशि खर्च की गई है। मौजूदा वर्ष के दौरान खर्च की गई धनराशि लगभग 14 करोड़ रु. (अनंतिम) है। टर्मिनल के कार्य को 2007–08 के दौरान पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

तितली उद्यान की स्थापना

390. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कुआलालम्पुर की तर्ज पर एक तितली उद्यान की स्थापना और सिंगापुर की तर्ज पर नाइट सफारी शुरू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके लिए किस स्थान की पहचान की गई है; और

(घ) इन परियोजनाओं की कब तक स्थापना किए जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (घ) पर्यटक अवसंरचना सुविधाओं का विकास करने की जिम्मेदारी मुख्यतः राज्य/संघ शासित सरकारों की है। पर्यटन मंत्रालय राज्य/संघ शासित सरकारों से प्राप्त पर्यटन परियोजनाओं के लिए, उनसे परामर्श करके प्राथमिकता प्रदत्त परियोजनाओं को केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वर्ष 2003–04 में, बानेरघाटा जैविक उद्यान, जो एक तितली उद्यान है, के विकास के लिए कर्नाटक सरकार को 500.00 लाख रुपए मंजूर किए हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, पर्यटन मंत्रालय ने पश्चिमी बंगाल दार्जिलिंग के नाइट सफारी उद्यान की स्थापना करने, के विस्तृत परियोजना रिपोर्ट करने के लिए 15 लाख रुपए मंजूर किए हैं।

[हिन्दी]

रसोई गैस की आपूर्ति हेतु इंडियन ऑयल कारपोरेशन-रिलायंस के बीच समझौता

391. श्री संतोष गंगवार : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घरों में पाइपलानों के माध्यम से रसोई गैस की आपूर्ति के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रम इंडियन ऑयल कारपोरेशन और रिलायंय इंडस्ट्रीज के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन कंपनियों द्वारा किन–किन शहरों में रसोई गैस की आपूर्ति किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

केरल में आतिथ्य प्रबंधन संस्थान

392. डा. के.एस. मनोज : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में एक आतिथ्य प्रबंधन संस्थान की स्थापना हेतु केरल सरकार को मंजूरी दी है तथा कोई वित्तीय सहायता भी प्रदान की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पायलटों द्वारा मानदंडों का उल्लंघन

393. श्री उदय सिंह : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डीजीसीए ने हाल ही में निजी विमान कंपनियों के कुछ पायलटों के संबंध में उड़ान के घंटों संबंधी मानदड़ों का उल्लंघन करने के लिए उन्हें विमान चालन से हटाने का आदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य तथा बयौरा क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार डीजीसीए के विभिन्न मानदंडों का

उल्लंघन करते पाए गए ऐसे पायलटों और कमांडरों के विरुद्ध आगे और कार्रवाई करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा अचानक जांच की गई थी तथा यह पाया गया था कि आठ पायलटों ने फ्लाइट ड्यूटी टाइम सीमितताओं (एफडीटीएल) के निर्धारित मानदण्डों की सीमाओं को पार कर दिया था।

(ग) और (घ) वायुयान नियमावली, 1937 के अनुसार नागर विमानन महानिदेशालय ने दोषी पायलटों के विरुद्ध कार्रवाई की है जिसमें पायलटों को ऑफ–रोस्टर करना, चेतावनी देना और वित्तीय जुर्माना लगाया जाना शामिल है।

स्ट्राटो ट्रोपो राडार केन्द्रों की स्थापना

394. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में स्ट्राटो ट्रोपो राडार केन्द्रों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन केन्द्रों की कब तक स्थापना किए जाने की संभावना है; और

(घ) इन केन्द्रों से क्या लाभ होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

रसोई गैस हेतु दोहरी मूल्य प्रणाली

395. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री कैलाश मेघवाल :
श्री हंसराज गं. अहीर :
श्री टेक लाल महतो :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजसहायता के भार से निपटने के लिए कोई रसोई गैस हेतु दोहरी मूल्य प्रणाली शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारित करने के लिए एक स्वतंत्र विनियामक निकाय के गठन पर विचार कर रही है तथा उसका विचार पेट्रोलियम उत्पादों पर राजसहायता के लाभ केवल गरीबों तक पहुंचाने का है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या पहल की गई है;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान केरोसीन पर वर्षवार तथा राज्यवार कितनी राजसहायता प्रदान की गई; और

(च) राजसहायता का दुरुपयोग रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) घरेलू एलपीजी के दोहरे मूल्य निर्धारण की शुरूआत करने के लिए, इस समय कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) ऊपर (क) को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी नहीं। तथापि, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 को दिनांक 3.4.2006 को भारत के राजपत्र में 2006 का अधिनियम संख्या 19 के रूप में अधिसूचित किया गया है ताकि परिष्करण, संसाधन, संग्रहण, परिवहन, वितरण, विपणन और कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस को छोड़कर पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस को नियमित किया जा सके।

(ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान, पीडीएस पर बजट से दी गई राजसहायता की राशि वर्ष–वार तथा राज्यवार संलग्न विवरण में दी गई है।

(च) हालांकि पीडीएस मिट्टी तेल के वितरण का कार्य राज्य सरकार के प्राधिकारियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो भी सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज़) द्वारा भी इस उत्पाद के विपणन को रोकने के लिए विभिन्न उपाय किए जाते हैं जैसे मिट्टी तेल को मार्कर से रंगना, जन किरोसीन परियोजना के जरिए वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाना, परिवहन ट्रकों, खुदरा बिक्री केन्द्रों की ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) के जरिए बारीकी से निगरानी करना और क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण करना। घरेलू एलपीजी के संबंध में वाणिज्यिक स्थापना, गैर कानूनी एलपीजी वाहनों जैसे अप्राधिकृत इस्तेमाल के लिए विपणन को रोकने के लिए सरकार घरेलू एलपीजी की वितरण पर बारीकी से निगरानी रख रही है। घरेलू एलपीजी के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार ने ओएमसीज को सलाह दी है कि डीलर वार बिक्री पर निगरानी रखी जाए।

विवरण

विगत तीन वर्षों में राज्य–वार पीडीएस मिट्टी तेल पर दी गई राजसहायता की कुल राशि

राज्य	2003–04	2004–05	2005–06	योग (करोड़ रुपए)
1	2	3	4	5
अंडमान और निकोबार	1.37	0.69	0.75	2.81
बिहार	154.16	78.09	78.33	310.58
झारखंड	48.85	24.19	24.19	97.23
उड़ीसा	66.73	33.25	32.96	132.94
सिक्किम	1.29	0.64	0.61	2.54
पश्चिम बंगाल	168.26	82.75	82.88	333.89
अरुणाचल प्रदेश	1.99	1.14	1.02	4.15
असम	57.94	29.26	28.75	115.95
मणिपुर	4.39	2.18	2.13	8.70
मेघालय	4.56	2.25	2.34	9.15
मिजोरम	1.49	0.73	0.73	2.95
नागालैंड	3.06	1.56	1.55	6.17
त्रिपुरा	7.01	3.57	3.66	14.24
चंड़ीगढ़	2.57	1.25	1.33	5.15
दिल्ली	41.21	19.43	18.19	78.83
हिमाचल प्रदेश	12.13	5.91	6.08	24.12
हरियाणा	32.48	16.10	15.97	64.55
जम्मू और कश्मीर	19.68	9.57	9.37	38.62
पंजाब	58.33	27.65	27.62	113.60
राजस्थान	86.15	42.25	41.80	170.20
उत्तर प्रदेश	297.29	152.22	149.67	599.18
उत्तरांचल	21.25	9.97	10.03	41.25
आंध्र प्रदेश	97.92	47.22	48.81	193.95
कर्नाटक	92.15	44.25	44.16	180.56
केरल	41.44	20.49	20.05	81.98
लक्षद्वीप	0.15	0.05	0.05	0.25

1	2	3	4	5
पांडिचेरी	2.24	1.10	1.10	4.44
तमिलनाडु	105.61	52.69	53.36	211.66
छत्तीसगढ़	29.89	15.18	15.18	60.25
दादरा और नागर हवेली	0.32	0.17	0.21	0.70
दमन और दीव	0.55	0.16	0.16	0.87
गोवा	4.05	1.94	1.90	7.89
गुजरात	137.81	67.58	67.60	272.99
मध्य प्रदेश	105.69	53.07	53.08	211.84
महाराष्ट्र	242.97	118.84	119.09	480.90
कुल योग	1952.98	967.39	964.71	3885.08

एलपीजी के मूल्य में कटौती

396. श्रीमती पी. सतीदेवी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान घरेलू तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) के मूल्यों में कितनी बार संशोधन किया गया;

(ख) क्या सरकार का विचार घरेलू एलपीजी के मूल्य में और संशोधन करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान घरेलू एलपीजी के खुदरा बिक्री मूल्य में निम्नानुसार तीन बार संशोधन किया गया है:–

वर्ष	दिनांक	रुपए/सिलेंडर, दिल्ली में
2003–04	कोई संशोधन नहीं	240.45
2004–05	16.06.04	261.60
	05.11.04	281.60
2005–06	1.4.05	294.75**

** दिल्ली में वी.ए.टी. के कार्यान्वयन के कारण।

(ख) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

गैर-महानगरीय विमानपत्तनों के विकास हेतु भूमि

397. श्री जोआकिम बखला : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश में गैर–महानगरीय विमानपत्तनों के दोहन तथा विकास हेतु अब तक शहरों के निकट कितने क्षेत्रों की पहचान की गई है;

(ख) क्या सरकारी–निजी भागीदारी (पी पी पी) के माध्यम से 35 गैर–महानगरीय विमानपत्तनों पर शहरों के निकटवर्ती क्षेत्रों के व्यावसायिक रूप से दोहन तथा विकसित करने की योजना इसलिए बाधित हो गई क्योंकि मंत्रालय को पता चला है कि लगभग 15 विमानपत्तनों के आसपास पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या वैकल्पिक कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या इसके परिणामस्वरूप शहर के निकट के क्षेत्रों के विकास हेतु बोलियों के लिए केवल 20 विमानपत्तनों को रखे जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भा.वि.प्रा.) द्वारा विकास तथा आधुनिकीकरण के लिए चुने गए 35 गैर–मैट्रो हवाईअड्डों में से आठ गैर–मैट्रो हवाईअड्डों जो यात्री रक्षा वायुक्षेत्र में सिविल एन्क्लेव में हैं या दूरस्त क्षेत्रों में स्थित हैं हवाईअड्डों का सिटी साईड का विकास भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा। शेष गैर–मैट्रो

हवाईअड्डों का सिटी साईड विकास सार्वजनिक निजी साझेदारी (पी पी पी) द्वारा किया जाएगा।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

शोरानूर-मंगलोर खंड के बीच रेल लाइन का दोहरीकरण

398. श्री सी.के. चन्द्रप्पन :
श्री पन्नियन रवीन्द्रन :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुबंधीय विफलताओं के कारण शोरानूर–मंगलोर खंड के बीच रेल लाइन के दोहरीकरण के कार्य में विलंब हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समस्या को सुलझाने तथा परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) 307 कि.मी. लम्बे मार्ग पर 284 कि.मी. पर दोहरीकरण का कार्य पहले ही शुरू कर दिया गया है। अन्य 21 कि.मी. को भी पूरा कर दिया गया है और इसको मार्च, 2007 में चालू कर दिए जाने की संभावना है। नेत्रावटी रिवर पुल के निर्माण में संविदागत समस्या के कारण इस पुल को पूरा करने में विलम्ब हुआ है।

(ख) नेत्रावटी रिवर पुल के निर्माण के लिए पूर्व में दी गई संविदा को समाप्त कर दिया गया है और पुल के निर्माण के लिए नई निविदा की कार्रवाई चल रही है।

[हिन्दी]

केरोसीन की कालाबाजारी

399. श्री मनसुखभाई डी. वसावा :
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :
श्रीमती जयावहन बी. ठक्कर :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीबों को वितरित किए जाने वाले केरोसीन तेल की कालाबाजारी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान राज्यवार कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और कितने ऐसे मामलों का पता चला है तथा सरकार द्वारा दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) केरोसीन के अन्यत्र उपयोग तथा इसकी कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (घ) भारत सरकार राज्यों/संघ शासित राज्यों को मिट्टी के तेल का आबंटन सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत ऐतिहासिक आधार पर ही करती है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2000 में अपनाई गई नीति के अनुसार पीडीएस के तहत मिट्टी तेल के आबंटन का वितरण प्रतिवर्ष कम किया गया जिसकी शुरूआत 2001 से की गई तथा 2003–.04 तक यह कटौती जारी रही। यह कटौती प्रत्येक राज्य/संघ शासित राज्य में जारी किए गए एलपीजी कनेक्शनों की संख्या को ध्यान में रखते हुए की गई। वर्ष 2004–05 के लिए शुरूआती आबंटन अब तक अपनाई गई नीति के अनुसार किया गया। वर्ष 2005–06 के लिए आबंटन वर्ष 2004–05 के स्तर पर रखा गया जिसमें वर्ष के दौरान अतिरिक्त आबंटन मात्रा भी सम्मिलित थी। वर्ष 2006–07 के आबंटन को वर्ष 2005–06 के स्तर तक सीमित रखा गया। उच्च मूल्य अंतर के कारण कुछ बेईमान तत्वों द्वारा मिट्टी तेल की कालाबाजारी की संभावना को नकारा नहीं जा सकता।

तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज़) अपने मिट्टी तेल (एमकेओ) डीलरों का नियमित तथा औचक निरीक्षण करती हैं और विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों के तहत चूककर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई करती हैं। ओएमसीज़ द्वारा सूचित किया गया है कि उनके एसकेओ डीलरों के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। ओएमसीज़ ने सूचित किया है कि पिछले दो वर्षों के दौरान एसकेओ डीलरों द्वारा पीडीएस एसकेओ की कालाबाजारी के चार मामले तथा अन्य कदाचारों/अनियमितताओं के चौदह मामले पाए गए हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी डी एस) मिट्टी तेल की कालाबाजारी को रोकने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत मिट्टी तेल (प्रयोग पर प्रतिबंध और उच्चतम मूल्य का निर्धारण) आदेश 1993 के प्रावधानों को जारी किया है जिनके द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर पी डी एस मिट्टी तेल नहीं बेच सकते हैं और पी डी एस मिट्टी तेल डीलरों को भण्डार के स्थान सहित व्यापार के ध्यानाकर्षी स्थान पर बोर्ड पर स्टाक एवं मूल्य लिखकर अवश्य दर्शाना चाहिए।

अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत मिट्टी तेल के विपथन तथा कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए नियंत्रण आदेशों के तहत, राज्य सरकारों को कालाबाजारी तथा अन्य

अनियमितताओं में लिप्त सभी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के अधिकार प्रदान किए गए हैं।

सरकार ने यह सुनिश्चित करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली मिट्टी तेल नेटवर्क का आमूल चूल सुधार करने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना का भी अनुमोदन किया है। यह अत्यधिक रियायती उत्पाद वास्तव में अभीष्ट लाभार्थियों को रियायती मूल्यों पर वांछित मात्राओं में उपलब्ध कराया जाए और द्वितीयतः इस प्रकार मिलावट के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली मिट्टी तेल के विपथन को नियंत्रित, कम और अंततः समाप्त किया जा सके। इस योजना की मुख्य विशेषता यह है कि उप थोक केन्द्रों को आपूर्तियां सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों की प्रत्यक्ष निगरानी और उत्तरदायित्व के अंतर्गत की जाएंगी। यह योजना 2 अक्टूबर, 2005 से देश में 412 ब्लॉकों में प्रायोगिक आधार पर शुरू की गई है। प्रायोगिक योजना को 30.06.2007 तक और आगे बढ़ाया गया है।

रियायती मिट्टी तेल का विपथन/चोरी को रोकने के मद्देनजर और पेट्रोलियम उत्पादों का परिवहन करने वाले टैंक ट्रकों के संचलन की निगरानी करने हेतु सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 31.03.2007 तक सभी टैंक ट्रकों पर वैश्विक अवस्थिति प्रणाली (जी पी एस) आधारित वाहन ट्रैकिंग प्रणाली स्थापित करने का परामर्श दिया है। इस प्रणाली की अनिवार्य विशेषता यह है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली एस के ओ को ले जाने वाले वाहन पर एक उपकरण लगा होता और इसके आपूर्ति स्थान से जाने और गन्तव्य तक पहुंचने तक इसका वास्तविक समय आधार पर पता लगाया जा सकता है।

वाहन ईंधनों में मिलावट रोकने के लिए सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज़) को विभिन्न उपाय करने को कहा है जिसमें अपमिश्रकों में मार्कर प्रणाली आरंभ करना सम्मिलित है। ओएमसीज़ ने 1.10.2006 से अखिल भारत आधार पर मिट्टी तेल में मार्कर प्रणाली आरंभ कर दी है। नई प्रणाली के अंतर्गत सभी डिपुओं में मिट्टी तेल में मार्कर डाला जा रहा है। यह प्रणाली संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला में परिवहन ईंधनों में मिलावट नियंत्रित करने और अंततः समाप्त करने के लिए विश्व स्तर की प्रौद्योगिकी का आरंभ किए जाने की द्योतक है। मार्कर की उपस्थिति से मिट्टी तेल में बहुत थोड़ी मिलावट का भी पता लगाया जा सकता है। मिलावट रोकने के लिए मिट्टी तेल में मार्कर प्रणाली आरंभ करने के संबंध में प्रावधान बनाने के लिए एमएस/एचएसडी नियंत्रण आदेश, 2005, मिट्टी तेल नियंत्रण आदेश, 1993 तथा एमडीजी 2005 को संशोधित किया गया है। मार्कर प्रणाली की प्रगति की निगरानी हेतु मंत्रालय द्वारा एक समिति का गठन किया गया है। साथ ही साथ निजी क्षेत्र में तेल विपणन कंपनियों से भी मिट्टी तेल में मार्कर आरंभ करने के लिए कहा गया है, जैसा कि सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसीज़ द्वारा किया जा रहा है।

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में तेल एवं गैस के भंडारों की खोज

400. श्री मनोरंजन भक्त : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय द्वारा जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में खोजे गए तेल और गैस के भंडारों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या भारत और पाकिस्तान के प्राधिकारियों ने पाकिस्तान के पंजाब के प्रस्तावित तेल एवं गैस क्षेत्रों की वित्तीय और सुरक्षा पहलुओं पर विचार विमर्श किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पाकिस्तान अन्वेषण शुरू करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस कार्य के कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (ङ) जम्मू–कश्मीर राज्य (जे एंड के) में अभी तक कोई अन्वेषण ब्लॉक तैयार नहीं किया गया है। जम्मू–कश्मीर राज्य में अभी तक कोई वाणिज्यिक तेल या गैस की खोज नहीं की गई है। पाकिस्तान के पंजाब के तेल और गैस वाले क्षेत्र की वित्तीय और सुरक्षा के पहलुओं के बारे में पाकिस्तान के प्राधिकारियों के साथ अभी तक कोई विचार–विमर्श नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

ग्वालियर में बहुउद्देशीय सांस्कृतिक परिसर

401. श्री कृष्णा मुरारी मोघे : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से ग्वालियर में एक बहुउद्देशीय सांस्कृतिक परिसर के निर्माण तथा भारत भवन रजत जयंती मनाने हेतु क्रमशः 2 और 2.5 करोड़ रु. के दो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) इन्हें कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) ग्वालियर में 2.00 करोड़ रु. की लागत से एक बहुउद्देशीय सांस्कृतिक परिसर (एमपीसीसी) के निर्माण हेतु एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। भारत भवन, मध्य प्रदेश की रजत जयंती मनाने के संबंध में 93.43 लाख रु. की धनराशि का एक अन्य प्रस्ताव भी प्राप्त हुआ है।

(ख) ग्वालियर में एम पी सी सी के निर्माण हेतु प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया है तथा अनुदान की प्रथम किस्त की मंजूरी भी जारी की जा चुकी है।

भारत भवन की रजत जयंती मनाने से संबंधित प्रस्ताव के विभिन्न घटकों पर संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी और साहित्य अकादमी द्वारा तत्संबंधित स्कीमों के अन्तर्गत विचार किया गया था। लेकिन संगीत नाटक अकादमी के मामले में निधियों की कमी और ललित कला अकादमी और साहित्य अकादमी के मामले में प्रस्ताव के स्कीम के पैरामीटरों के भीतर नहीं आने के कारण उस पर सहमति नहीं हो सकी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मनोचिकित्सकों की भर्ती

402. श्री बालेश्वर यादव :
श्री असादूद्दीन ओवेसी :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थलसेना के सैनिकों में तनाव के मद्देनजर बढ़ती आपसी हत्याओं और आत्महत्याओं की समस्या से निपटने के लिए 400 मनोचिकित्सकों की नियुक्ति करने की योजना है, जैसाकि, दिनांक 30 दिसम्बर, 2006 को "द टाइम्स ऑफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा चुका है तथा सरकार द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रस्ताव का कब तक क्रियान्वयन किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) मनोचिकित्सकों की भर्ती का कोई प्रस्ताव नहीं है। सेना में मनोचिकित्सक पर्याप्त संख्या में हैं। अपने रैंकों में व्याप्त तनाव के समाधान के लिए सेना ने पहले ही कई उपाय किए हैं। इनमें से कुछ उपाय निम्नलिखित हैं:–

(i) उत्तरी तथा पूर्वी कमान, जहां सैनिक प्रतिविद्रोहिता संक्रियाओं में लगाए गए हैं, वहां सेना चिकित्सा कोर के 50 जूनियर कमीशनप्राप्त अफसरों को सलाहकार के रूप में प्रशिक्षित किया है।

(ii) धर्म गुरू, सेना शिक्षा कोर के जूनियर कमीशनप्राप्त, अफसरों तथा रेजीमेंटल मेडिकल अफसरों को यूनिट स्तर पर 'मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य परामर्शदाता' के रूप में चिह्नित किया गया है तथा तद्नुसार, उनकी सेवाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है।

(iii) योग तथा प्राणायाम सहित तनाव राहत संबंधी विशेष प्रशिक्षण की शुरूआत की गई है।

(iv) तनाव के प्रभाव को कम करने के लिए यूनिटों तथा कार्मिकों की अदला–बदली का कार्यान्वयन किया जा रहा है। यह उपाय एक सतत् प्रक्रिया है।

(v) आकस्मिक तथा वार्षिक छुट्टी को अलग–अलग किए जाने की अनुमति देकर छुट्टी नीति को उदारीकृत किया गया है।

(vi) सभी मुख्यमंत्रियों से सेवारत सैनिकों तथा उनके परिवारों की समस्याओं के प्रति सिविल प्रशासन को और अधिक ध्यान दिए जाने का अनुरोध किया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

रेल इंजनों, डिब्बों और वैगनों की मांग

403. श्री के.एस. राव : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उपलब्ध अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी की सहायता से रॉलिंग स्टॉक रेल इंजनों के निर्माण में निवेश हेतु निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने तथा वर्तमान मार्गों को सुदृढ़ बनाने और नए गंतव्यों पर पहुंचने के लिए रेल नेटवर्क का विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेल इंजनों, डिब्बों और वैगनों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) यातायात की मांग में प्रत्याशित वृद्धि को पूरा करने के लिए, नई इकाइयों की स्थापना करते समय चल स्टॉक विनिर्माण के लिए सभी संगठनात्मक तथा परिचालनिक संरचनाओं तथा संभावनाओं की खोज की जा रही है।

निर्धारित मार्गों तथा नई लाइनों आदि के सुदृढ़ीकरण के लिए गैर–बजटीय स्रोतों से निवेश में सहयोग प्राप्त करने के लिए रेल विकास निगम लि. की स्थापना की गई है।

(ग) चल स्टॉक की मांग में वृद्धि को पूरा करने के लिए रेल मंत्रालय द्वारा अनेक उपाय किए गए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:–

(i) डीजल रेल इंजन कारखाना, चितरंजन रेल इंजन कारखाना, सवारी डिब्बा कारखाना और रेल सवारी डिब्बा कारखाना में रेल

इंजन तथा सवारी डिब्बा उत्पादन इकाइयों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए निर्माण कार्य अनुमोदित किए गए हैं।

(ii) 1000 सवारी डिब्बे प्रतिवर्ष विनिर्माण के लिए एक नए सवारी डिब्बा कारखाने और 150 रेल इंजन प्रतिवर्ष विनिर्माण के लिए एक डीजल रेल इंजन कारखाना की स्थापना के लिए अनुमोदन दिया गया है।

(iii) मालडिब्बों के संबंध में देश में उत्पादन क्षमता मुख्यतः निजी क्षेत्र में हैं, जहां बाजार के रुख से उत्पादन क्षमता का निर्धारण होता है।

महाराष्ट्र में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं

404. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र विशेषकर औरंगाबाद जिले में पर्यटन से संबंधित विचाराधीन केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन्हें कब तक क्रियान्वित कर दिए जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) और (ख) पर्यटन मंत्रालय प्रतिवर्ष राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ विचार–विमर्श करके प्राथमिकता प्रदान किए गए परियोजना प्रस्तावों के आधार पर निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है:–

(i) पर्यटक परिपथ

(ii) उत्पाद अवसंरचना एवं गंतव्य विकास

(iii) भारी राजस्व सृजक परियोजनाएं

राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है तथा संदर्भाधीन शीर्ष के अंतर्गत राशि उपलब्ध होने पर फण्ड जारी किए जाते हैं।

पर्यटन मंत्रालय द्वारा 10वीं योजना (दिसम्बर, 2006 तक) के दौरान, महाराष्ट्र सरकार को 8197.75 लाख रुपए की परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया है। इसके अंतर्गत वर्ष 2006–07 के दौरान औरंगाबाद आर्ट और क्राफ्ट सेंटर के विकास के लिए 442.16 लाख रुपए की स्वीकृत केन्द्रीय वित्तीय सहायता के लिए एक परियोजना प्रस्ताव भी सम्मिलित है।

पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं को लागू करने और निष्पादन करने की जिम्मेदारी महाराष्ट्र राज्य सरकार की है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय केन्द्रीय वित्तीय सहायता के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का नियमित रूप से मानिटर करता है।

पर्यटन में विदेशी निवेश

405. श्री पी. मोहन : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पर्यटन के विकास हेतु प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पर्यटन उद्योग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के क्या संभावित प्रभाव होंगे?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने पहले ही ऑटोमेटिक रूट पर होटल एवं पर्यटन क्षेत्र में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दे दी है।

(ग) इस सुविधा से भारत में निवेश के लिए विश्व के प्रमुख होटल श्रृंखलाओं को प्रोत्साहन मिला है।

विमान यात्रियों हेतु चिकित्सा सुविधाएं

406. श्री कैलाश मेघवाल : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विमान के उड़ने से तनाव/दिल का दौरा पड़ने से विमानों तथा विमानपत्तनों पर हुई मौतों की संख्या की वर्षवार क्या स्थिति है;

(ख) क्या आपात स्थितियों में विमानों तथा विमानपत्तनों पर यात्रियों के लिए पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार विमानपत्तनों पर उपलब्ध सुविधाओं के स्तर को सुधारने की योजना बना रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) लंबी यात्रा पर जाने के इच्छुक यात्रियों को जारी किए गए एहतियाती दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और इसे सदन के पटल पर रखा जाएगा।

(ख) जी, हां। चैन्नै, कोलकाता एवं त्रिवेन्द्रम हवाईअड्डों पर फर्स्ट–एड सुविधाओं के साथ चिकित्सीय जांच यूनिट चौबीसों घंटे कार्यरत हैं। इसी प्रकार के चिकित्सीय जांच यूनिट दिल्ली और मुम्बई एयरपोर्टों पर भी उपलब्ध हैं जो चिकित्सीय इमरजेंसी की स्थिति में फर्स्ट–एड सुविधाएं प्रदान करती हैं। अन्य प्रमुख एयरपोर्टों पर फर्स्ट–एड सुविधाओं सहित चिकित्सीय जांच कक्ष बने हुए हैं जहां राज्य सरकार/निजी हॉस्पिटल के डॉक्टरों एवं पैरामैडिकल स्टाफ द्वारा चिकित्सीय इमरजेंसियां निपटाई जाती हैं।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (ख), को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और उसे सभा के पटल पर रखा जाएगा।

[हिन्दी]

ध्रुव हेलीकॉप्टरों की तैनाती

407. श्री जयप्रकाश (मोहनलाल गंज) :
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय वायुसेना के बेड़े में इस समय ध्रुव हेलीकॉप्टरों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या हाल ही में एयरो इंडिया शो के दौरान ध्रुव हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त हेलीकॉप्टर के दुर्घटना के कारणों की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला;

(ङ) हिंदुस्तान ऐरोनॉटिक्स लिमिटेड (एच ए एल) द्वारा ऐसे कुल कितने हेलीकॉप्टर भारतीय सशस्त्र सेना को अभी सौंपे जाने बाकी हैं तथा सरकार ने एच ए एल के साथ किन-किन मुद्दों पर चर्चा की है;

(च) क्या सरकार उक्त हेलीकॉप्टरों की परियोजना पर पुनर्विचार कर रही है तथा उसका विचार इन हेलीकॉप्टरों की खरीद पर प्रतिबंध लगाने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) भारतीय वायुसेना में अब तक कुल 20 ध्रुव हेलिकॉप्टर शामिल किए जा चुके हैं।

(ख) हाल ही में एयरो इंडिया प्रदर्शनी के लिए अभ्यास करते हुए 2.2.2007 को एक ध्रुव हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था।

(ग) और (घ) ऐसी सभी दुर्घटनाओं की जांच-पड़ताल जांच अदालत द्वारा की जाती है और तदनुसार उपचारात्मक कदम उठाए जाते हैं।

(ङ) हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से हेलिकॉप्टरों की खरीद सशस्त्र सेनाओं द्वारा हस्ताक्षरित संविदाओं के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार की जाती है।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ऑटोमोबाइल क्षेत्र हेतु ऑटोमोटिव मिशन प्लान

408. श्री मोहन रावले : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऑटोमोबाइल क्षेत्र हेतु एक महत्वाकांक्षी 10 वर्षीय ऑटोमोटिव मिशन प्लान (एएमपी) का अनावरण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ए एम पी पर्यावरणविदों की आकांक्षाओं पर खरा उतरने में विफल रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख) जी, हा। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 29.01.2007 को 'ऑटोमोटिव मिशन प्लान (एएमपी) 2006-2016' प्रारंभ किया गया। इस मिशन प्लान में भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग को विश्वस्तरीय केन्द्र के रूप में विकास के लिए सरकार, उद्योग तथा अकादमिक स्तर पर मध्यस्थता की पहचान की गई है। ऑटोमोटिव मिशन प्लान (एएमपी) 2006-2016 के लक्ष्य में "वर्ष 2016 तक जीडीपी के 10 प्रतिशत से अधिक तथा 25 मिलियन लोगों को अतिरिक्त रोजगार मुहैया कराने के लिए 145 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर तक पहुंचते हुए ऑटोमोबाइल तथा ऑटो कम्पोनेन्ट की डिजाईन तथा विनिर्माण के लिए विश्व में श्रेष्ठ स्थान के रूप में उभरना" उल्लेख किया गया है।

(ग) और (घ) इस ऑटोमोटिव मिशन प्लान (एएमपी) में ऑटोमोटिव उद्योग से संबंधित पर्यावरण संबंधी मामलों पर बल दिया गया है तथा हाइब्रिड वाहनों के लिए प्रोत्साहन के अलावा हाईड्रोजन, ईंधन सैलों, बायोडीजल, आदि सहित वैकल्पिक ईंधनों के विकास को प्रोत्साहित करने की मांग की गई है। इसमें ऑटो ईंधन तथा उत्सर्जन मानदंडों के लिए दीर्घकालिक रोडमैप की भी परिकल्पना की गई है।

धुबरी-फकीराग्राम रेल लाइन

409. श्री अनवर हुसैन : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धुबरी-फकीराग्राम रेल लाइन बंद कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) कुल कितनी रेल लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित किए जाने का प्रस्ताव है तथा उस पर कितना खर्च आने का अनुमान है;

(घ) अब तक कितनी धनराशि जारी की जा चुकी है तथा जारी धनराशि से क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई;

(ङ) इस रेल लाइन पर गोलकगंज पुल पर कार्य कब शुरू हुआ था और इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है; और

(च) धुबरी–फकीराग्राम लाइन पर संपूर्ण कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) यह लाइन 2000–01 से बंद है। बंद का कारण कानून व्यवस्था की समस्या थी। वर्तमान में, आमान परिवर्तन का कार्य शुरू कर दिया गया है।

(ग) और (घ) फकीराग्राम–धुबरी (66 कि.मी.) के आमान परिवर्तन की योजना है। यह संपर्क लाइन सहित न्यू जलपाईगुड़ी–न्यू बोंगाईगांव आमान परिवर्तन परियोजना का हिस्सा है। 31.3.06 तक इस परियोजना पर 770.56 करोड़ रु. का कुल व्यय किया गया है। वर्ष 2006–07 के दौरान इस परियोजना के लिए 35 करोड़ रु. के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

(ङ) गोलकगंज पुल, न्यू मायनागुड़ी–जोगीघोपा रेल लाइन परियोजना के अंतर्गत आता है। इस पुल के कार्य को मार्च, 09 तक पूरा करने की संभावना है।

(च) धुबरी–फकीराग्राम खंड कार्य को वर्ष 2008–09 के दौरान पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा गया है।

विमानों द्वारा ध्वनि प्रदूषण की समस्या

410. श्री सुग्रीव सिंह :

श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई आई टी, दिल्ली ने दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन और विमानों के मार्गों में पड़ने वाले क्षेत्रों के इर्द–गिर्द रिहायशी कालोनियों में ध्वनि प्रदूषण पर अपना अध्ययन पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अध्ययन का ब्यौरा और निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा वायुयानों के कारण ध्वनि प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने आई आई टी दिल्ली को इसके लिए कोई भी कार्य नहीं दिया है।

उड़ीसा में रेलवे द्वारा लौह का परिवहन

411. श्री अनन्त नायक : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में देवझर, बारबिल, जुरूड़ी और बंसपानी साइडिंग में रेलवे द्वारा कितनी मात्रा में लौह/लौह–अयस्क की ढुलाई की गई;

(ख) इन खनिजों की अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) क्या रेलवे ने गत तीन वर्षों के दौरान इन रेल साइडिंग क्षेत्रों के बाह्य क्षेत्र के विकास के लिए कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, दियोझार, बारबिल, जुरूली और बांसपानी से लौह अयस्क के रेकों के लदान एवं परिवहन की कुल संख्या इस प्रकार है:–

	लादे गए रेकों की संख्या (जनवरी–दिसम्बर)		
	2004	2005	2006
दियोझार	577	745	797
बारबिल	573	547	808
जुरूली	341	313	578
बंसपानी	680	814	980
जोड़	2171	2419	3163

(ख) लौह अयस्क (प्रति टन) के परिवहन को अनुमानित लागत 2000/– रुपये और लौह अयस्क चूरे को 750/– रुपये है।

(ग) अवसंरचनात्मक विकास के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं जैसे साइडिंगों में चौबीसों घंटे कार्य, पूरे रेक की सम्हलाई के लिए लाइन की लंबाई बढ़ाना, सार्वजनिक एवं निजी साइडिंगों का निर्माण, मोटरचालित सेंट्रल पैनल का निर्माण आदि। लौह अयस्क के संचलन में सहायता करने के लिए दैतारी और बांसपानी के बीच एक नई लाइन चालू की गई है। रेलवे लदान साइडिंगों को और विकसित करने के लिए सार्वजनिक एवं निजी भागीदारियां भी कर रही है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अनधिसूचित जनजातियों, घुमन्तु और अर्द्ध-घुमन्तु जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की अन्तरिम रिपोर्ट

412. श्री हरिभाऊ राठौड़ : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनधिसूचित जनजाति, घुमन्तु और अर्द्ध–घुमन्तु जनजाति राष्ट्रीय आयोग ने सरकार को कोई अंतरिम रिपोर्ट भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आयोग द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

वैष्णो देवी तीर्थ यात्रियों के लिए विशेष पैकेज यात्रा

413. श्री रामदास आठवले : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे खान–पान और पर्यटन निगम लिमिटेड (आई आर सी टी सी) ने वैष्णों देवी की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों के लिए विशेष पैकेज यात्रा तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां।

(ख) टूअर पैकेज में रेलवे आरक्षण सुनिश्चित किया जाना है और आवास, भोजन, सड़क परिवहन, दर्शन स्लिप तथा भवन पर नहाने–धाने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। दौरा प्रति शुक्रवर 21.05 बजे जम्मू राजधानी एक्सप्रेस द्वारा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आरंभ होता है और वापसी जम्मू से रविवार के दिन उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से 20.30 बजे होती है, जो सोमवार को प्रातः नई दिल्ली पहुंचती है। वयस्कों के लिए किराया 3950 रु. और बच्चों के लिए 2200 रु. है।

नागर विमानन क्षेत्र के विकास हेतु रूपरेखा

414. श्री जी. करूणाकर रेड्डी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागर विमानन क्षेत्र के लिए रूपरेखा तैयार करने हेतु सरकार द्वारा गठित नरेश चन्द्र समिति की सिफारिशों की जांच की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या निष्कर्ष रहा?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) जी, हां। नागर विमानन नीति के निर्माण की प्रक्रिया के एक हिस्से के रूप में नरेश चंद्रा समिति की सिफारिशों की भली–भांति जांच की गई है।

[हिन्दी]

छत्तीसगढ़ में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

415. श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से अपने राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना के लिए परियोजनावार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (ग) जी, हां। सरकार को वर्ष 2003–04 से 2006–07 के दौरान खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना/आधुनिकीकरण/विस्तार के लिए छत्तीसगढ़ राज्य से अब तक तेईस प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। सात प्रस्ताव अनुमोदित कर दिए गए हैं, पांच मामले बंद/अस्वीकृत कर दिए गए हैं और शेष ग्यारह मामले कार्रवाई के विभिन्न स्तरों पर हैं। गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना/आधुनिकीकरण/विस्तार के लिए वर्ष–वार/क्षेत्र–वार प्राप्त आवेदन पत्र उपलब्ध कराई गई निधियों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:–

वर्ष	प्राप्त आवेदन पत्र	उपलब्ध कराई गई क्षेत्र–वार निधियां (लाख रुपये में)			
		चावल मिलिंग इकाइयां	तेल मिलिंग इकाइयां	उपभोक्ता इकाइयां	कुल
2003–04	06	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2004–05	10	32.61	शून्य	शून्य	32.61
2005–06	03	91.76	शून्य	शून्य	91.76
2006–07 (फरवरी, 2007 तक)	04	14.98	26.66	50.00	91.64

[अनुवाद]

आकाश प्रक्षेपास्त्रों को वायुसेना में शामिल किया जाना

416. श्री रेवती रमन सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाश प्रक्षेपास्त्रों को वायुसेना में शामिल कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आकाश प्रक्षेपास्त्र प्रणाली के प्रयोक्ता परीक्षण पूरे नहीं हुए हैं।

[हिन्दी]

लघु पेट्रोल पंपों की स्थापना

417. प्रो. महादेवराव शिवनकर :
श्री मो. ताहिर :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार बड़े शहरों में स्थानीय निवासियों के अप्रयुक्त लॉनों पर लघु पेट्रोल पंप आबंटित करने के लिए किसी योजना पर विचार कर रही है, जैसा कि दिनांक 15 जनवरी, 2007 के "दैनिक जागरण" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे शहरों की पहचान की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ऐसे लघु पेट्रोल पंपों की स्थापना पर आने वाली लागत के संबंध में कोई आकलन किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त योजना के अंतर्गत ऐसे पेट्रोल पंपों के कब तक कार्य करने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का पुनरुद्धार

418. श्री बसुदेव आचार्य :
श्री दुष्यंत सिंह :
श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख :
श्रीमती करुणा शुक्ला :

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार के ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसईज़) का ब्यौरा क्या है जिन्हें पुनरुद्धार के लिए स्वीकृत किया गया है;

(ख) केन्द्र सरकार के उन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का ब्यौरा क्या है जो अभी भी रुग्ण पड़े हैं और जिनका पुनरुद्धार किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इन केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पुनरूद्धार के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (ग) सरकार ने संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा प्रस्तुत किए गए केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (सी.पी.एस.ई.) के प्रस्तावों पर विचार करने और पुनरुद्धार प्रस्तावों पर सिफारिश करने के लिए सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) का गठन किया है। बीआरपीएसई की सिफारिशों के आधार पर सरकार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उद्यमों के पुनरुद्धार का अनुमोदन करती है। बीआरपीएसई ने पुनरुद्धार हेतु केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 38 उद्यमों के संबंध में सिफारिश की है जिसमें 10947.50 करोड़ रुपए की नकद भिन्न सहायता और 2888.14 करोड़ रुपए की नकद सहायता शामिल है। 5253.30 करोड़ की नकद भिन्न सहायता और 1993.90 करोड़ रुपए के नकद निवेश के साथ सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 24 उद्यमों के पुनरुद्धार प्रस्ताव पहले ही मंजूर किए जा चुके हैं। बीआरपीएसई द्वारा पुनरुद्धार हेतु सिफारिश किए गए और सरकार द्वारा अनुमोदित किए गए केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के नाम संलग्न विवरण I और II में दिए गए हैं।

विवरण-I

31.01.2007 की स्थिति के अनुसार बीआरपीएसई द्वारा सिफारिश किए गए केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के पुनरुद्धार हेतु सहायता का ब्यौरा

क्रम सं.	केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम का नाम	पंजीकृत कार्यालय		भारत सरकार द्वारा नकद/नई धनराशि का निवेश	भारत सरकार द्वारा ब्याज, ऋण आदि की छूट	जोड़
		राज्य	स्थान			
1	2	3	4	5	6	7
भारी उद्योग विभाग						
1	हिन्दुस्तान साल्टस लि.	राजस्थान	जयपुर	4.28	73.30	77.58
2	ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी इण्डिया लि.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	60.00	112.92	172.92

1	2	3	4	5	6	7
3	बी.बी.जे. कंस्ट्रक्शन कम्पनी लि.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	0.00	54.61	54.61
4	एच.एम.टी. बेयरिंग लि.	कर्नाटक	बंगलौर	7.40	43.97	51.37
5	प्रागा टूल्स लि.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	10.00	204.71	214.71
6	ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी लिमिटेड	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	0.00	288.21	288.21
7	रियर्डसन एण्ड क्रूडास लि.	महाराष्ट्र	मुम्बई	0.00	0.00	0.00
8	भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लि.	बिहार		25.66	164.45	190.11
9	तुंगभर्दा स्टील प्रोड्क्ट्स लि.	कर्नाटक*	तुंगभर्दा	0.00	0.00	0.00
10	भारत पम्पस एण्ड कंम्प्रेसर्स लि.	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	0.00	137.00	137.00
11	एच.एम.टी. मशीन टूल्स लि.	कर्नाटक	बंगलौर	623.00	112.00	735.00
12	टायर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	0.00	818.79	818.79
13	नेपा लि.	मध्य प्रदेश	नेपा नगर	0.00	229.07	229.07
14	सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	दिल्ली	दिल्ली	184.29	1267.95	1452.24
15	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि.	झारखण्ड	रांची	102.00	1266.30	1368.30
16	एन्ड्रो यूले कम्पनी लि.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	146.62	508.87	655.49
17	इंस्ट्रूमेंटेशन लि.	राजस्थान	कोटा	85.44	603	688.44
18	त्रिवेणी स्टकचर्लस लि.	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	93.74	290.73	384.47
19	एच.एम.टी.लि.	कर्नाटक	बंगलौर	0.00	83.28	83.28
20	एच.एम.टी. वाचेज लि.	कर्नाटक	बंगलौर	204.42	302.15	506.57
भारत उद्योग विभाग का जोड़				1546.85	6561.31	8108.16
कपड़ा मंत्रालय						
21	नेटेका और इसकी सहायक कम्पनियां	दिल्ली	दिल्ली	0.00	0.00	0.00
22	ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन लि.	उत्तर प्रदेश	कानपुर	47.35	0.00	47.35
कोयला मंत्रालय						
23	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	0.00	0.00	0.00
उर्वरक विभाग						
24	मद्रास फर्टिलाइजर्स लि.	तमिलनाडु	चेन्नई	0.00	185.31	185.31
25	फर्टिलाइजर्स एण्ड केमीकल्स ट्रावनकोर लि.	केरल	उद्योग मंडल	0.00	670.37	670.37

1	2	3	4	5	6	7
नौवहन विभाग						
26	सेंट्रल इनलैण्ड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लि.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	17.00	400.00	417.00
27	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि.	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम	548.50	253.70	802.20
रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग						
28	हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि.	महाराष्ट्र	पुणे	80.62	123.75	204.37
29	हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमीकल्स लि.	महाराष्ट्र	रसायनी	250.00	100.00	350.00
30	हिन्दुस्तान इंसेक्टीसाइड्स लि.	दिल्ली	दिल्ली	0.00	240.01	240.01
31	बंगाल केमीकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	207.19	233.41	440.6
खान मंत्रालय						
32	मिनरल एक्सपलोरेशन कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	महाराष्ट्र	नागपुर	0.00	104.64	104.64
33	हिन्दुस्तान कॉपर लि.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	0.00	637.26	637.26
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग						
34	सेंट्रल इलैक्ट्रानिक्स लि.	दिल्ली	दिल्ली	0.00	28.60	28.60
जल संसाधन मंत्रालय						
35	नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लि.	दिल्ली	दिल्ली	60.00	745.97	805.97
इस्पात मंत्रालय						
36	मीकॉन लिमिटेड	झारखण्ड	रांची	93.00	7.72	100.72
37	भारत रिफैक्ट्रीज लि.	झारखण्ड	बोकारो स्टील सिटी	0.00	428.45	428.45
कृषि और सहकारिता विभाग						
38	स्टेट फार्मस कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	दिल्ली	दिल्ली	37.63	227	264.63
	भारी उद्योग विभाग से भिन्न का जोड़			1341.29	4386.19	5727.48
	कुल जोड़			2888.14	10947.50	13835.64

* सहायक कम्पनियां विभिन्न स्थानों/राज्यों में हैं।

* वी.आर.एस. ऋण पर गारन्टी शुल्क की माफी को छोड़कर (1.92 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष से अधिक नहीं) और वी.आर.एस. ऋण पर 50 प्रतिशत ब्याज संबंधी वार्षिक सहायता (6.50 करोड़ रुपए प्रति वर्ष से अधिक नहीं) जारी।

डी.एच.आई. – भारी उद्योग विभाग

विवरण-II

31.1.2007 की स्थिति के अनुसार बीआरपीएसई द्वारा सिफारिश किए गए प्रस्तावों के संबंध में मंत्रिमंडल/ आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा अनुमोदित नकद और नकद भिन्न सहायता

क्रम सं.	केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम का नाम	31.3.2005 तक कर्मचारियों की संख्या	सहायता (करोड़ रुपयों में)		
			नकद	नकद भिन्न	जोड़
1.	हिन्दुस्तान साल्ट्स लि.	140	4.28	73.30	77.58
2.	नटेका (इसकी धारक कम्पनियों सहित)	30638	39.23	–	39.23
3.	ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इण्डिया) लि.	1268	60.00	42.92	102.92
4.	बी.बी.जे. कंस्ट्रक्शन कम्पनी लि.	244	–	54.61	54.61
5.	एच.एम.टी बेयरिंग लि.	356	7.40	43.97	51.37
6.	प्रागा टूल्स लि.	554	5.00	209.71	214.71
7.	ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी लि.	550	4.00	280.21	284.21
8.	ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन लि.	2899	47.35	–	47.35
9.	सेंट्रल इनलैण्ड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लि.	1136	73.60	280.00	353.60
10.	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि.	3610	102.00	1116.30	1218.30
11.	सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	1586	184.29	1267.95	1452.24
12.	रिचर्डसन एण्ड क्रूडास लि.	77	–	–	–
13.	हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि.	1859	137.59	267.57	405.16
14.	हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमीकल्स लि.	1526	250.00	लागू नहीं	250.00
15.	फर्टिलाइजर्स एड केमीकल्स (ट्रावनकोर) लि.	4134	–	670.37	670.37
16.	तुंगभद्रा स्टील प्राडक्ट्स लि.	348	–	–	–
17.	हिन्दुस्तान इंसेक्टीसाइड्स लि.	1715	–	267.29	267.29
18.	मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लि.	2281	–	104.64	104.64
19.	सेन्ट्रल इलेक्ट्रानिक्स लि.	691	–	6.02	6.02
20.	ईस्टर्न कोल फील्ड्स लि.	105692	–*	–*	–*
21.	भारत पम्पस एण्ड कम्प्रेशर्स लि.	1244	3.37$	153.15	156.52$
22.	बंगाल केमीकल्स एड फार्मास्यूटिकल्स लि.	846	207.19	233.41	440.60
23.	एच.एम.टी. मशीन टूल्स लि.	4531	723.0	157.80	880.80
24.	मीकॉन	1539	145.0	23.08	168.08
	जोड़	169464	1993.30*	5252.30*	7245.60*

\# नकद सहायता में इक्विटी/ऋण/अनुदान के माध्यम से बजटीय समर्थन शामिल है।

@ नकद भिन्न सहायता में ब्याज, पेनल ब्याज और भारत सरकार का ऋण, गारंटी शुल्क, इक्विटी/ऋण–पत्र आदि को ऋण में परिवर्तन करना शामिल है।

* सरकार द्वारा अनुमोदित पुनरुद्धार योजना में अन्य बातों के साथ–साथ 2470.77 करोड़ रुपए की नकद भिन्न सहायता और कोल इण्डिया लिमिटेड से वर्ष 2004-05 से प्रतिवर्ष 14 करोड़ रुपए के सेवा–प्रभार की छूट का अनुमान लगाया गया है।

$ इसके अलावा, ओ.एन.जी.सी. और बी.एच.ई.एल. क्रमशः 150 करोड़ रुपए और 20 करोड़ रुपए की नकद सहायता प्रदान करेंगे। उपरोक्त आंकड़ों का आकलन करते समय भारत आप्टेलमिक ग्लास लिमिटेड के संबंध में 98 करोड़ रुपए की नकद सहायता पर विचार नहीं किया गया है।

भारत और पाकिस्तान के बीच थार एक्सप्रेस

419. श्री दुष्यंत सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाड़मेर में आई बाढ़ के कारण रेल लाइन क्षतिग्रस्त होने की वजह से बंद की गई भारत और पाकिस्तान के बीच चलाई गई दूसरी रेलगाड़ी, थार एक्सप्रेस की रेल लाइन की मरम्मत का कार्य पूर्ण किए जाने के बाद पुनः चालू किए जाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो रेल सेवाओं को पुनः कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) भारत और पाकिस्तान के बीच एक दूसरी गाड़ी 'थार एक्सप्रेस' की सेवाएं 17.02.2007 से पुर्नबहाल कर दी गई है जिसे पहले बाढ़ के कारण रद्द करना पड़ा था।

असम के डिब्रूगढ़ विमानपत्तन का रनवे विस्तार कार्यक्रम

420. डा. अरूण कुमार शर्मा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम के डिब्रूगढ़ विमानपत्तन का रनवे विस्तार कार्यक्रम का एक प्रस्ताव कई वर्षों से रक्षा स्वीकृति हेतु लंबित है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रक्षा भूमि को भारतीय विमान प्राधिकरण को अंतरित किए जाने के लिए गठित भारतीय वायुसेना और भारतीय थलसेना के अधिकारियों वाले एक स्थानीय बोर्ड ने उक्त भूमि के अंतरण के लिए सशर्त सिफारिश की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या–क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या उक्त विस्तारित रनवे भारतीय वायुसेना के बड़े विमानों के उतरने में सहायक होगा; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में स्वीकृति कब तक दिए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (घ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अनुरोध पर, भारतीय वायुसेना ने डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे के रनवे के प्रस्तावित विस्तार हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को रक्षा भूमि के हस्तांतरण की संभावना का पता लगाने के लिए वर्ष 2005 में एक बोर्ड का गठन किया था। भारतीय वायुसेना तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच व्यापक विचार–विमर्श के पश्चात् भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को भूमि दीर्घकालिक पट्टे पर दिए जाने के संबंध में भारतीय वायुसेना द्वारा तैयार एक प्रारूप समझौता ज्ञापन नवंबर, 2006 में विधीक्षा हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को अग्रेषित किया गया है।

(ङ) जी, हां।

(च) आवश्यक औपचारिकताओं के पूरा होने पर ऐसे सभी मामलों में अनुमति शीघ्रता से प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

निधियों का दुरुपयोग

421. श्री जीवाभाई ए. पटेल :
श्री गिरिधारी यादव :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ तेल कंपनियां अपनी निधियों का दुरुपयोग कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का तत्संबंधी कंपनीवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में कितने कर्मचारियों/अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (घ) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा निधियों के दुरुपयोग के किसी मामले की रिपोर्ट नहीं दी गई है। तथापि, अनियमितताओं के मामलों, जिनमें इन कम्पनियों के वैयक्तिक कर्मचारियों द्वारा कम्पनी को होने वाले अनुचित तरीके के घाटे शामिल हैं, को सामान्य सतर्कता कार्यवाहियों के साथ निपटा जाता है तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाइयां की जाती हैं।

नर्मदा परिक्रमा परिपथ भाग I और II

422. श्री कृष्णा मुरारी मोघे : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से सर्किट विकास योजना के तहत नर्मदा परिक्रमा परिपथ भाग–1 पर अनूपपुर, धिनडोरी और माण्डला तथा नर्मदा परिक्रमा परिपथ भाग–2 पर जबलपुर, होशंगाबाद और देवास के विकास का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पर्यटन परिपथ की एकीकृत विकास योजना के अंतर्गत नर्मदा परिक्रमा भाग–1 और भाग–2 के विकास के लिए मध्य प्रदेश की राज्य सरकार से परियोजना प्रस्तावों के प्राप्त होने पर, उनका योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार मूल्यांकन किया गया और वर्ष 2006–07 के दौरान, केन्द्रीय वित्तीय सहायता के लिए निम्नलिखित अनुदान मंजूर किए गए:–

(क) अमरकंटक–धिनडोरी–माण्डला क्षेत्र के नर्मदा परिक्रमा (भाग–1) के लिए 665.00 लाख रुपए

(ख) जबलपुर–होशंगाबाद–पंचमढ़ी–मधाही–बबाई–नेमवार नर्मदा परिक्रमा परिपथ (भाग–2) के लिए 774.89 लाख रुपए

पर्यटन मंत्रालय ने 10वीं योजना के दौरान (दिसम्बर, 2006 तक) मध्य प्रदेश की राज्य सरकार के लिए 9181.81 लाख रुपए मूल्य की परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है।

रेलवे के विभिन्न जोनों में आरक्षित माल की चोरी

423. श्री तुकाराम गणपत रेंगे पाटील : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान रेलयार्डों पर माल के लादने और उतारते समय बुक किए गए सामान के चोरी होने की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष जोनवार कितने मामले सामने आए हैं;

(ग) कितने व्यक्ति/अधिकारी इन घटनाओं के लिए दोषी पाए गए हैं; और

(घ) उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मानवरहित वायुयान की खरीद

424. श्री अमिताभ नन्दी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किसी विदेशी एजेंसी से मानवरहित वायुयान (यूएवीज़) खरीदे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय वायुसेना में कितने मानवरहित वायुयान शामिल किए गए हैं और इन मानवरहित वायुयानों के संक्रियात्मक मिशन क्या हैं;

(घ) क्या मानवरहित वायुयानों को शामिल किए जाने से पहले इनकी लंबी अवधि तक प्रचालन क्षमता का पता लगाया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) देश में स्वदेशी तौर पर अपने मानवरहित वायुयानों का निर्माण करने की क्षमता कब तक स्थापित हो जाएगी?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) और (ख) मानवरहित वायुयानों की आपूर्ति करने के लिए मैसर्स इज़रायल वायुयान उद्योग, इज़रायल के साथ संविदाएं की गई थीं। इनमें से कुछ संविदाओं के मामले में सुपुर्दगी अब पूरी कर दी गई है।

(ग) भारतीय वायुसेना द्वारा अभी तक सेवा में शामिल किए गए मानवरहित वायुयान टोही संबंधी संक्रियात्मक कार्यों और आसूचना एकत्र करने में लगे हुए हैं।

(घ) और (ङ) मानव रहित वायुयानों को सभी संक्रियात्मक, अनुरक्षण और उत्तरजीवता संबंधी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सेवा में शामिल किया गया था।

(च) सामरिक मानवरहित वायुयान निशांत का देश में ही विकास किया गया था।

पेट्रोलियम नियम, 2002 में संशोधन

425. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सभी संबंधित मंत्रालयों से पेट्रोलियम नियम, 2002 में पोतभंजन गतिविधि को शामिल करने संबंधी टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सभी संबद्ध मंत्रालयों से प्राप्त टिप्पणियों की विधि एवं न्याय मंत्रालय के परामर्श से जांच कर ली गई है। जहाज भंजन गतिविधि को शामिल करने के लिए दिनांक 2 फरवरी, 2007 की अधिसूचना जीएसआर 61 (ई) द्वारा पेट्रोलियम नियम, 2002 में संशोधन किया गया है।

पर्यटन को बढ़ावा देने संबंधी परियोजनाएं

426. श्री एन.एन. कृष्णदास : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 2007 की स्थिति के अनुसार सरकार के पास स्वीकृति हेतु विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त लंबित पर्यटन को बढ़ावा देने संबंधी परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान 31 जनवरी, 2007 तक स्वीकृति की गई पर्यटन को बढ़ावा देने संबंधी परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) पर्यटन मंत्रालय राज्य/संघ राज्य सरकारों से प्राप्त सभी प्रकार के पूर्ण प्राथमिका प्रदत्त पर्यटन परियोजनाओं को केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। 31 जनवरी, 2007 तक ऐसी कोई भी परियोजना क्लीयरेंस हेतु लंबित नहीं है, जो कि सभी प्रकार से पूर्ण हो।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत पर्यटन परियोजनाओं के राज्यवार अप–टू–डेट ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

10वीं पंचवर्षीय योजना के पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत पर्यटन परियोजनाओं का राज्य–वार विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत परियोजनाओं की सं. 2004–05	स्वीकृत परियोजनाओं की सं. 2005–06	स्वीकृत परियोजनाओं की सं. 2006–07
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	16	7	2
2.	असम	8	10	8
3.	अरूणाचल प्रदेश	9	10	12
4.	बिहार	7	3	2
5.	छत्तीसगढ़	6	7	15
6.	गोवा	3	1	0
7.	गुजरात	2	5	5
8.	हरियाणा	6	7	5
9.	हिमाचल प्रदेश	12	6	8
10.	जम्मू एवं कश्मीर	5	22	25
11.	झारखण्ड	2	5	2
12.	कर्नाटक	12	8	2
13.	केरल	10	13	17
14.	मध्य प्रदेश	11	12	8
15.	महाराष्ट्र	10	9	11
16.	मणिपुर	0	2	9
17.	मेघालय	2	1	7
18.	मिजोरम	6	10	6
19.	नागालैंड	7	9	7

1	2	3	4	5
20.	उड़ीसा	8	10	11
21.	पंजाब	7	5	12
22.	राजस्थान	13	7	8
23.	सिक्किम	8	14	8
24.	तमिलनाडु	7	19	11
25.	त्रिपुरा	1	3	4
26.	उत्तरांचल	7	13	11
27.	उत्तर प्रदेश	9	18	7
28.	पश्चिम बंगाल	10	5	6
29.	अण्डमान एवं निकोबार	0	1	0
30.	चण्डीगढ़	3	1	2
31.	दादरा एवं नगर हवेली	0	2	0
32.	दिल्ली	8	2	4
33.	दमन एवं दीव	0	4	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	1
35.	पांडिचेरी	2	2	0
	कुल	217	253	236

टिप्पणी – इसमें परिपथों, गंतव्यों, भारी राजस्व सृजक परियोजनाओं, ग्रामीण पर्यटन (साफ्टवेयर तथा हार्डवेयर) परियोजनाओं, आईटी, कार्यक्रम एवं मेलों तथा उत्सव परियोजनाओं से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं।

सैन्यकर्मियों द्वारा कानून और व्यवस्था को तोड़ा जाना

427. श्रीमती अर्चना नायक : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे मामले सामने आये हैं जहां वरिष्ठ सैन्यकर्मियों द्वारा पुलिस थाने में तोड़फोड़ करते हुए पुलिस हवलदारों की पिटाई की गई और कानून को हाथ में लिया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने रक्षा बलों द्वारा ऐसी कार्रवाई के खिलाफ शिकायतें की हैं;

(घ) यदि हां, तो ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) अभियुक्तों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (ङ) कोलकाता में नववर्ष की पूर्व संध्या पर एक झड़प की घटना जिसमें सैन्य कार्मिक और पुलिस शामिल थी, को पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा भारत सरकार के ध्यान में लाया गया है। इस घटना को गंभीरता से लिया गया है तथा इस मामले की जांच करने के लिए एक जांच अदालत के आदेश दे दिए गए हैं।

नई कोच फैक्ट्री की स्थापना

428. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने संयुक्त क्षेत्र में एक नई कोच फैक्ट्री खोलने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) रेलवे प्रतिवर्ष 1000 सवारी डिब्बों के निर्माण के लिए एक नई रेल कोच फैक्टरी की स्थापना कर रही है। इस नई रेल कोच फैक्टरी की स्थापना के लिए सभी संगठनात्मक एवं परिचालनिक संभावनाओं को विकसित किया जा रहा है।

पेट्रोलियम क्षेत्र में लीबिया के साथ सहयोग

429. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय तेल कंपनियों के लिए लीबिया में व्यापारिक संभावनाएं अधिगृहीत करने के लिए कदम उठा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार शोधनशाला के उन्नयन और लीबियाई व्यावसायिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु संयुक्त उद्यम की स्थापना करने का है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में लीबिया के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) जी, हां। सरकार ने लीबिया में भारतीय तेल कंपनियों के लिए व्यापार अवसरों को विकसित करने के कदम उठाए हैं।

(ख) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने हाल ही में एक प्रतिनिधि मंडल के साथ लीबिया का दौरा किया है। जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की तेल इकाईयों (पीएसयू) के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक शामिल थे।

(ग) इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) ने एक संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा रास लानुफ रिफाइनरी के आधुनिकीकरण व उन्नयन के लिए रुचि दिखाई है, जिसके आगे नेशनल ऑयल कार्पोरेशन (एनओसी), लीबिया तथा आईओसीएल सह–प्रवर्तक होंगे। भारत के पेट्रोलियम क्षेत्र में विभिन्न प्रशिक्षण स्थापनाओं में 100 लीबिया व्यावसायिकों को प्रशिक्षण करने का भी प्रस्ताव है।

(घ) और (ङ) इस संबंध में लीबिया के साथ कोई करार हस्ताक्षरित नहीं हुआ है।

गोवा में डाबोलिम विमानपत्तन का विस्तार

430. श्री अलीमाऊ चर्चिल : क्या **नागर विमान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौसेना ने गोवा में डाबोलिम विमानपत्तन पर अतिरिक्त भूमि को नागरिक उपयोग हेतु सौंप दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) डाबोलिम विमानपत्तन का विस्तार कार्य कब तक शुरू किए जाने और पूरा किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) भारतीय नौसेना ने गोवा में डाबोलिम हवाई अड्डे पर एप्रन का विस्तार करने के लिए एयरसाइड की तरफ 8.77 एकड़ भूमि सौंपने की सैद्धान्तिक रूप से सहमति दी है।

(ग) एप्रन के विस्तार का कार्य भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) को भूमि उपलब्ध करवाना भारतीय नौसेना पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

431. श्री हंसराज गं. अहीर : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्राकृतिक गैस पाइपलाइन तथा शहरी प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क की स्थापना की नई नीति के अंतर्गत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो नई नीति तथा विनियामक बोर्ड के सदस्यों का ब्यौरा क्या है

(ग) क्या सरकार ने शहरों में गैस पाइपलाइन के नेटवर्क का विस्तार करने हेतु कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (घ) जी नहीं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) के गठन का कार्य प्रगति पर है और इसके शीघ्र ही गठित हो जाने की आशा है।

सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र से निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से "प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों और शहरी अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्कों के विकास के लिए नीति" अधिसूचित कर दी गई है। नीति के व्यापक उद्देश्य निम्न हैं:–

(1) सभी पक्षकारों के लिए पाइपलाइन नेटवर्क पर बिना किसी भेदभाव के खुली पहुंच सुकर बनाना।

(2) कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहित करना, जिसके द्वारा किसी कंपनी द्वारा अधिपत्य की स्थिति के किसी दुरुपयोग से बचना।

(3) गैस की उपलब्धता और युक्तियुक्त प्रशुल्क की शर्तों के अनुसार उपभोक्ता हित सुरक्षित करना।

[अनुवाद]

भूमि मालिकों को मुआवज़ा

432. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन भूमि मालिकों को मुआवज़ा नहीं दिया गया है जिनकी भूमि का गत दो वर्षों में जम्मू और कश्मीर में सैन्यबलों द्वारा रक्षा प्रयोजनों से उपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उन भूमि मालिकों की सूची क्या है जिन्हें मुआवजा नहीं दिया गया है; और

(घ) भूमि मालिकों को कब तक मुआवजा दिए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (घ) ब्यौरे सेना प्राधिकारियों और रक्षा संपदा महानिदेशालय से एकत्र किए जा रहे हैं तथा सूचना सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

बंगलौर में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना

433. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को कर्नाटक सरकार से बंगलौर में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना करने के लिए कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) बंगलौर में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय खोलने के लिए विख्यात रंगमंच कर्मियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की व्यापक आधार वाली समिति ने बंगलौर में मौजूदा क्षेत्रीय संसाधन केन्द्र का पूर्ण विकसित क्षेत्रीय विद्यालय के रूप में विकास करने के साथ-साथ पांच क्षेत्रों में क्षेत्रीय नाट्य विद्यालय खोलने की सिफारिश की है। इसे 11वीं योजना अवधि के दौरान कार्य रूप में परिणत करने का प्रस्ताव है।

भारतीय रेलों द्वारा अर्जित लाभ/हानि

434. श्री के.सी. पल्लानी शामी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान रेलवे को कितना लाभ/हानि हुई है;

(ख) क्या रेलवे ने आगामी वर्षों में अपने लाभ बढ़ाने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान रेलों द्वारा जनित्र सरप्लस का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रु. में)

2003–04	2004–05	2005–06
1091.41	2074.23	6193.32

(ख) से (घ) जी, हां। भारतीय रेल ने वर्ष 2006–07 के लिए 10627.48 करोड़ रु. के सरप्लस का संशोधित लक्ष्य और वर्ष 2007–08 के लिए 11449.45 करोड़ रु. के सरप्लस का लक्ष्य निर्धारित किया है।

नौसेना में आई.एन.एस. शार्दुल को शामिल किया जाना

435. श्री मिलिन्द देवरा : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई एन एस शार्दुल को भारतीय नौसेना की सक्रिय सेवा में शामिल कर लिया गया है जैसा कि 3 जनवरी, 2007 के 'द डेक्कन हेराल्ड' में समाचार प्रकाशित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब शामिल किया गया;

(ग) युद्धपोत आईएनएस शार्दुल की कुल भार वहन क्षमता कितनी है तथा इसके निर्माण में कितना समय लगा और इस पर कितना व्यय किया गया;

(घ) युद्ध तथा शांति के दौरान इसके द्वारा क्या भूमिका निभाए जाने की अपेक्षा है;

(ङ) आई एन एस शार्दुल किस कंपनी द्वारा बनाया गया है;

(च) क्या इस युद्धपोत का नाम शार्दुल रखा जाना उपयुक्त है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) और (ख) भा.नौ.पो. शार्दुल को भारतीय नौसेना में 4 जनवरी, 2007 को शामिल किया गया था।

(ग) से (ङ) मैसर्स गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता ने इस पोत का निर्माण लगभग 36 करोड़ रु. की लागत से 52 माह में किया यह पोत कुल 5600 टन विस्थापन क्षमता वाला है और जवानों और सामग्री के जल व थलीय अवतरण के लिए है।

(च) और (छ) जी, हां। सभी जल व थलीय अवतरण वाले पोतों का नाम सामान्यतः उग्र जानवरों या उभयचनों के नाम पर रखा जाता है, तथा "शार्दुल" का अर्थ है "बाघ"।

डीजीसीए की पुनर्संरचना एवं सुदृढ़ीकरण

436. श्री कीर्ति वर्धन सिंह :
श्रीमती निवेदिता माने :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा गठित कॉ समिति ने नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) की पुनर्संरचना एवं सुदृढ़ीकरण की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) कॉ समिति द्वारा अन्य कौन–कौन सी सिफारिशें की गई हैं तथा इन पर क्या निर्णय लिया गया है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) पर काव समिति की सिफारिशें काफी व्यापक हैं, ये सिफारिशें नागर विमानन महानिदेशालय की भूमिका व कार्यों, विमानन विनियमन के लिए सांविधिक ढांचा, एयरलाइनों को प्रमाणन, कार्मिकों को लाइसेंसिंग, जांच की प्रणाली, उद्योग तथा नागर विमानन महानिदेशालय के लिए प्रशिक्षण आवश्यकताएं, अनुसूचित व गैर–अनुसूचित उड़ानों को क्लियरेंस के लिए प्रक्रिया, नागर विमानन महानिदेशालय की पुनर्संरचना तथा सुदृढ़ीकरण, श्रमशक्ति नीति और आवश्यकता आदि। सरकार ने समिति की अधिकतर सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। इनमें से अनेक सिफारिशों में विभिन्न मंत्रालयों द्वारा परामर्श तथा जांच किए जाने, अधि ानियमों व नियमों आदि में संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। इन सिफारिशों को कार्यान्वित किए जाने की कार्रवाई की जा रही है।

सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को नवरत्न का दर्जा दिया जाना

437. डा. चिन्ता मोहन :
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' :

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में कतिपय कम्पनियों को नवरत्न का दर्जा दिया है;

(ख) यदि हां, तो इन कम्पनियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन कम्पनियों को नवरत्न का दर्जा दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) उन सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जिनको नवरत्न का दर्जा दिए जाने हेतु दिए गए अनुरोध सरकार के पास लम्बित हैं तथा इस पर कब तक निर्णय लिए जाने की सम्भावना है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (ग) सरकार शीर्ष समिति की सिफारिशों के आधार पर नवरत्न का दर्जा प्रदान करती है। वर्ष 1997 में केन्द्रीय क्षेत्र के चुनींदा उद्यमों को नवरत्न का दर्जा प्रदान करने की शुरूआत की गई थी और उसके बाद फिलहाल किसी अन्य उपक्रम को यह दर्जा प्रदान नहीं किया गया है।

(घ) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 10 उद्यमों को 'नवरत्न' दर्जा प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव उनके प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से प्राप्त हुए थे। ये दस उद्यम निम्नलिखित हैं:–

(i) भारत इलेक्ट्रानिक्स लि. (बी ई एल)

(ii) भारत संचार निगम लि. (बी एस एन एल)

(iii) कोल इण्डिया लिमिटेड (सी आई एल)

(iv) हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लि. (एच ए एल)

(v) नेशनल एल्युमीनियम कम्पनी लि. (एन ए एल सी ओ)

(vi) नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एन एम डी सी)

(vii) पावर फाइनेन्स कॉरपोरेशन लि. (पी एफ सी)

(viii) पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (पी जी सी आई एल)

(ix) रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लि. (आर ई सी)

(x) शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एस सी आई)

कोयला विभाग से प्राप्त प्रस्ताव नवरत्न का दर्जा प्रदान करने हेतु विचार किए जाने की अपेक्षित बुनियादी शर्तों को पूरा नहीं कर रहा था। नौवहन विभाग ने एस सी आई को नवरत्न दर्जा प्रदान करने संबंधी

प्रस्ताव एस सी आई के कार्य–निष्पादन की अगली समीक्षा किए जाने तक लम्बित रखने का निर्णय किया है। शीर्ष समिति ने केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के शेष 8 उद्यमों से संबंधित प्रस्ताव पर विचार किया तथा बी एस एन एल को छोड़कर अन्य 7 उद्यमों को नवरत्न का दर्जा देने की सिफारिश की है।

गुजरात में रेल लाइनों का आमान परिवर्तन

438. श्री हरिसिंह चावड़ा :
श्री जीवाभाई ए. पटेल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में मीटर गेज और नैरा गेज रेल लाइनों की खंड–वार लंबाई कितनी है;

(ख) इन रेल लाइनों को बड़ी रेल लाइन में बदलने हेतु क्या समयावधि निर्धारित की गई है;

(ग) मेहसाना और पाटन के बीच आमान परिवर्तन के संबंध में अब तक कितनी प्रगति की गई है; और

(घ) आमान परिवर्तन परियोजना के तेजी से पूरी करने हेतु रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) गुजरात में 31.3.2006 तक (अद्यतन सूचना) मीटर और छोटी रेल लाइनों की खण्डवार लम्बाई (मार्ग किलो मीटर) का ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

क्रम सं.	खण्ड का नाम	मार्ग किलोमीटर
1	2	3
मीटर रेल लाइन		
1.	अहमदाबाद–खेड़ब्रह्म	142
2.	अहमदाबाद–खोदियार	17
3.	चानसमा–रानूज	13
4.	ढासा–वंसजालिया	195
5.	गांधीधाम–कांडला	12
6.	जूनागढ़–विसावदर	42
7.	कटोसन–चानसमा	52
8.	कलोल–कटोसन	38
9.	कलोल–विजौर–अमबलियासन	89
10.	खिजादिया–वेरावल	164
11.	महेसाणा–पाटन	40
12.	महेसाणा–साबरमती	52
13.	महेसाणा–तरंगहिल	56
14.	न्यू भुज–नलिया	101
15.	गांधीधाम–सामखियाली	53
16.	प्राची रोड–देलवाडा	50
17	प्राची रोड–कोडीनार	26
18.	समदड़ी–भिलड़ी	54
19.	साबरमती–बोटाड	165
20.	सुरेन्द्र नगर–ध्रांगधरा	35
21.	तलाल–प्राची रोड	20
22.	उदयपुर–हिम्मत नगर	59
छोटी लाइन		
1.	अंकलेश्वर–राजपिपला	63
2.	भरूच–कावी	76
3.	बिलीमोरा–वघाई	63
4.	छुछापुरा–तंखाला	38
5.	चोरांडा–मोतिकोरल	18
6.	दभाई–चांदोड़	16
7.	दभोई–तिम्बा रोड़	100
8.	जम्बूसर–छोटा उदयपुर	151
9.	झंगडिया–नेत्रंग	151
10.	कोसम्बा–उमरपाड़ा	31
11.	मियागाम कर्जन–दाभोल	62
12.	मियागाम कर्जन–दाभोल	38
13.	नाडियाड–भद्रन	60
14.	सामी–दहेज	39

(ख) सभी मीटर लाइनों/छोटी लाइनों का बड़ी लाइनों में

आमान परिवर्तन करने के लिए कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

(ग) और (घ) महेसाणा–पाटन खंड पर मिट्टी संबंधी कार्य, पुल आदि संबंधी कार्य शुरू हो चुके हैं। इस खंड को 2007–08 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है। इस खंड के आमान परिवर्तन संबंधी कार्य को निर्धारित लक्ष्य तक पूरा करने के लिए अपेक्षित निधि की व्यवस्था कर दी गई है और कार्य में तेजी लाई जा रही है।

भारत और विदेश में सतरिया नृत्य को बढ़ावा देना

439. श्री अनवर हुसैन : क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार असम के सतरिया नृत्य को भारत और विदेश में बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में संगीत नाटक अकादमी की क्या भूमिका है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) जी, हां। सरकार असम के सतरिया नृत्य को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है।

(ख) और (ग) नवंबर, 2002 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा असम के सतरिया नृत्य तथा सम्बद्ध परंपराओं की सहायता करने के लिए एक परियोजना का आरंभ किया गया था, जिसमें निम्नलिखित के लिए उपबंध किया गया है:–

(i) असम में सतरिया का वार्षिक उत्सव;

(ii) लब्धप्रतिष्ठ गुरूओं के अधीन सतरिया नृत्य और संगीत का प्रशिक्षण कार्यक्रम;

(iii) असम में चुनिंदा सत्तराओं को निधि प्रदान करना;

(iv) असम से बाहर सतरिया के कलाकारों को प्रायोजित करना; और

(v) शोध, प्रलेखन, प्रकाशन इत्यादि। हाल के दिनों में, अकादमी सतरिया नृत्य और संगीत के कार्य में लगी हुई संस्थाओं को कई वर्षों से निधियां प्रदान करती रही है और इस परंपरा के कई कलाकारों को सम्मानित भी किया गया है। अकादमी ने माजुली द्वीप के सत्तराओं में तथा गुवाहाटी में कलाकारों द्वारा अपनाई जाने वाली सतरिया परंपरा का श्रव्य/दृश्य प्रलेखन भी किया है।

[हिन्दी]

उन्नत लड़ाकू जहाज का विकास

440. श्री पंकज चौधरी :
श्री रशीद मसूद :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और रूस की उन्नत लड़ाकू जहाज का विकास करने की योजना है जैसा कि 24 जनवरी, 2007 के 'द हिन्दु' में समाचार प्रकाशित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रूस ने पुराने भारतीय लड़ाकू बेड़े को बदलने के लिए संयुक्त रूप से अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले लड़ाकू हेलीकाप्टरों तथा पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू जहाज मिग–35 का निर्माण करने की पेशकश की है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में दोनों देशों के बीच कोई समझौता किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह) : (क) और (ख) पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू वायुयान के सह–विकास की भारतीय और रूसी सरकारों के बीच सहयोग के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में पहचान की गई है। विस्तृत ब्यौरे तैयार करने के लिए तकनीकी वार्ता चल रही है। इस संबंध में वार्ता तथा अन्तर सरकारी करार के रूप में अन्तिम रूप दिए जाने के लिए प्रयास जारी हैं।

(ग) हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड ने बहु–भूमिका वाले हेलिकाप्टर (10 टन) का सह–विकास करने के लिए रूस के हेलिकाप्टर विनिर्माता सहित अन्तर्राष्ट्रीय साझेदारों से प्रस्ताव आमंत्रित किए थे। रूसी पक्ष भी मिग–35 वायुयान के साथ भारतीय वायु सेना के बहुभूमिका वाले युद्धक वायुयान के लिए बोली लगाने में अभिरुचि रखता है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

फर्जी टिकटों पर यात्रा करने वाले यात्री

441. श्री रघुराज सिंह शाक्य :
श्री हेमलाल मुर्मू :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न रेलगाड़ियों विशेष रूप से जनसेवा एक्सप्रेस में छपरा से अमृतसर तक फर्जी टिकटों पर यात्रा करने वाले कुछ यात्रियों को हाल ही में गिरफ्तार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे यात्रियों के विरुद्ध रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी घटनाओं का ब्यौरा क्या है जिनमें फर्जी टिकटों पर यात्रा करते समय व्यक्तियों को पकड़ा गया है;

(ङ) क्या ऐसी गैर कानूनी गतिविधियां रेलवे कर्मचारियों की मिली भगत से हो रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (घ) जाली टिकटों पर यात्रा करने के कुछ मामले सामने आए हैं। जाली टिकटों पर यात्रा करने वाले यात्रियों को पकड़ा जाता है और उनके विरुद्ध कानून के प्रावधानों के अनुसार आगे की कार्रवाई करने के लिए उन्हें पुलिस को सौंपा जाता है। बहरहाल, इस विषय पर गाड़ी–वार या खंड–वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। रेल कर्मचारियों की किसी भी प्रकार की मिलीभगत को गंभीरता से लिया जाता है।

(ङ) और (च) अब तक 11 कर्मचारियों पर अनुशासन एवं अपील नियमों के तहत कठोर कार्रवाई की गई है।

[अनुवाद]

अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी

442. श्री सुग्रीव सिंह : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में बंगलौर में अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी आयोजित की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो उन अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का ब्यौरा क्या है, जिन्होंने एरो इंडिया 2007 में भाग लिया?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) कुल 302 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने भाग लिया जैसाकि संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

विवरण

एयरोइंडिया 2007

अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों की सूची

क्र. सं.	देश	कंपनी का नाम
1	2	3
1.	आस्ट्रेलिया	एयरोस्टाफ आस्ट्रेलिया प्रा. लि.
2.		एविएशन आस्ट्रेलिया
3.		एविमेरीन (आस्ट्रेलिया) प्रा. लि.
4.		सी गियर आस्ट्रेलिया प्रा. लि.
5.		डीन विल्सन एविएशन लि.
6.		गिप्सलैंड एयरोनॉटिक्स प्रा. लि.
7.		इण्डस्ट्री केपेबिलिटी नेटवर्क (विक्टोरिया)
8.		जेट टरबाइन सर्विसिज
9.		रमिट यूनिवर्सिटी
10.		सीबीरा एविएशन आस्ट्रेलिया प्रा. लि.
11.	आस्ट्रिया	डायमण्ड एयरक्राफ्ट इण्डस्ट्रीज गम्भ
12.	बेल्जियम	सेनियरो
13.		इस्को टरबाइन टेक्नोलोजिज – बेल्जियम
14.		ई–एक्सट्रीम इंजीनियरिंग एस.ए.
15.		फॉजिज डे जीबग्रे
16.		जी.डी.टेक
17.		ओपन इंजीनियरिंग
18.		सविना फ्लाइट एकेडेमी एन.वी.
19.		समटैक
20.		टेकुपिस एयरो
21.		टेकस्पेस एयरो
22.	ब्राजील	एम्ब्रायर–एम्प्रेसा ब्राजीलियरा डे एयरोनॉटिका
23.	कनाडा	बोम्ब्राडियर
24.	चिली	फीडे 2008
25.	चेक रिपब्लिक	आरटीजिज एस.आर.ओ.
26.		एट चेक एस.आर.ओ.
27.		चेक इन्वेस्ट (द नेशनल इन्वेस्टमेंट एण्ड बिजनेस डेवलेपमेंट एजेंसी ऑफ दा चेक रिपब्लिक)
28.		डिपार्टमेंट ऑफ स्ट्रेजी एंड क्वालिटी ऑफ सर्विसिज
29.		एल्डिस पारडुबिस एस.आर.ओ.
30.		एम.पी.आई. प्राग चेक

1	2	3
31.		मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड ऑफ दा चेक रिपब्लिक
32.		मोरावन – एयरोप्लेन्स ए. एस.
33.		पीबीएस वेल्कास बाइट्स, ए. एस.
34.		जवी ए.एस.
35.	फ्रांस	ए.डी.आर.एस.ए.एस
36.		एयर लिक्विड
37.		अल्कान
38.		अंटाविया
39.		एरियनस्पेस
40.		एटीआर
41.		बाकमैन सास
42.		सीएफएम इन्टरनेशनल
43.		डसाल्ट एविएशन
44.		एका फारोस
45.		एका सिंटर्स
46.		एक–जोडिएक
47.		यूरेप इण्डस्ट्रीज
48.		यूरोट्रोप
49.		फोरजिज डे बोलोगने/मनोअर इण्डस्ट्रीज
50.		फ्रेंच मोड–डगा
51.		गिफाज
52.		हचीसन
53.		हाउड्राटेस्ट
54.		इन्टरटेक्नीक
55.		लीच इन्टरनेशनल यूरोप
56.		मैच एयरो
57.		मबडा
58.		मेजियर–सर्विसेज
59.		मेजियर–डोवटी
60.		माइक्रोटरबो
61.		नेक्सटर (जियाट–इण्डस्ट्रीज)
62.		नोविनटेक सा
63.		ओनेरा
64.		पॉलेस्ट्रा
65.		पगा एवियोनिक्स
66.		पावरजेट
67.		प्रोडेरा
68.		रेफेल इन्टरनेशनल
69.		सेफरान
70.		साफ्ट
71.		सेगम डिफेंस सिक्यूराइट
72.		सेकापेम
73.		सेंसोरेक्स
74.		एसकेएफ एयरोस्पेस
75.		स्नेक्मा
76.		स्नेक्मा सविर्सिज़
77.		सोफेमा
78.		सोफ्राडिर
79.		थेल्स
80.		टाइटफ्लेक्स यूरोप
81.		टर्बोमेका
82.		जोन एयरोनॉटिक
83.	जर्मनी	3 डी कोनटैक गम्भ एण्ड कं. केजी
84.		बडल लेव जर्मन एयरोस्पेस इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन
85.		कारल जिसिस
86.		डेगूसा

1	2	3
87.		डिहल बगट डिफेंस गम्भ एंड कं. केजी
88.		एडवर्ड विले गम्भ एंड कं. केजी
89.		यूरो ऐवेनिक्स नेवीगेसन सिस्टम
90.		यूरो फाइटर जगडफ्यूगजेग गम्भ
91.		फोर्मटेक गम्भ
92.		हैंडमान ए–पुंक्ट ऑटोमेसन गम्भ
93.		हांजे–एयरोस्पेस
94.		हांजे–एयरोस्पेस विर्टसाफ्टडाइन्टस गम्भ
95.		हिंकेल इंजीनियरिंग गम्भ एण्ड कं.
96.		इला 2008 बरलिन एयर शो/ मेजे बरलिन
97.		इनोविंट एयरक्राफ्ट इंटीरियर गम्भ
98.		इंटरटरबाईन लोजिस्टिक गम्भ
99.		जेना–ऑप्ट्रोनिक गम्भ
100.		लुफ्तान्सा टेक्नीक एजी
101.		मस्ट मैटजेन सलाक–टेक्नीक लि. एण्ड कं. केजी
102.		रोडे एण्ड सवार्ज गम्भ एण्ड कं. केजी
103.		रूट मल्टीक्लीन
104.		रोजलर आबरफलेचेनटेक्नीक
105.		रूआग एयरोस्पेस सर्विस गम्भ
106.		सीटेक एयरोस्पेस गम्भ
107.	ग्रीस	ऐपीकेस
108.	हॉलैण्ड	एडस
109.	आयरलैण्ड	एकरा कंट्रोल
110.	इज़रायल	एयरो माओज लि.
111.		बिने मायर लि.
112.		सी आई सिस्टम्स लि.
113.		कान्ट्रोप प्रिसिजन टैक्नोलोजिज लि.
114.		एलबिट सिस्टम्स लि.
115.		एलिसरा ग्रुप
116.		इए–एजरायल एयरोस्पेस इण्डस्ट्रीज
117.		इजरायल मिलिट्री इण्डस्ट्रीज लि.
118.		आरबिट टैक्नोलॉजी ग्रुप
119.		राडा इलेक्ट्रोनिक इण्डस्ट्रीज लि.
120.		राफेल
121.		आरएसएल इलेक्ट्रोनिक्स लि.
122.		स्कोप मेटल ट्रेडिंग
123.		सिबत–इजरायल एम.ओ.डी.
124.		टेडीरन कॉम्नीकेसन्स लि.
125.	इटली	ऐरिया
126.		अगूस्ता वेस्टलैंड
127.		एइआड एण्ड मोड इटली
128.		एलिनिआ एयरोनॉटिक स्पा
129.		एसी स्पा
130.		सीरा सक्पा–इटेलियन एयरोस्पेस रिसर्च सैंटर
131.		इलेक्ट्रोनिका
132.		इलिट्रोनिका ऐस्टर स्पा
133.		फिनमेकानिका
134.		गेलिलिओ एवोनिका
135.		सैलेक्स कॉमनिकेसन
136.		सैलेक्स सिस्टमी इंटीग्रेटी स्पा
137.	मलेशिया	एडपर कंसल्ट एसडीएन बीएचडी
138.		दसा क्वालालाम्पुर
139.		वर्ल्ड एयरोस्पेस एसडीएन बीएचडी
140.	न्यूजीलैंड	एयर न्यूजीलैंड एयरलाइन ट्रेनिंग
141.	नार्वे	कोंग्सबर्ग
142.	पोलैंड	बूमर स्पा जू

1	2	3
143.		पोलिस चैम्बर ऑफ नेशनल डिफेंस मैन्यूफैक्चर्स
144.		राडमोर एस. ए.
145.		टैलिकॉम्नीकेसन्स रिसर्च इंस्टीट्यूट
146.	रोमानिया	एयरोस्टार सा
147.	रूस	क्रासनयोक्टेयाबर ओजेस्क
148.		ए एस पोपोव कॉम्नीकेसन्स इक्यूपमैंट प्लान्ट जेस्क (गिजास)
149.		एयरोमेडिया पब्लिसिंग हाउस लि.
150.		एयरोपियरोबोर – वोसखोड जेएस
151.		एवियाएक्टोमाटिक डिजायन ब्यूरो प्रिबोर जेस्क
152.		एवियाएक्सपोर्ट पी एण्ड सी
153.		एविएशन गियरबोक्सीज एण्ड ट्रांसमिशन्स–परम मोटर्स (ओजस्क रिडक्टर–पीएम)
154.		एवियाजाप्वास्ट पीएलसी (पब्लिक लि. क.)
155.		एवियानिका मोस्को रिसर्च एण्ड परोडक्सन कॉम्पलेक्स
156.		बेरीव
157.		चेरनशेव जेएससी
158.		एलकूस इलेक्ट्रोनिक कं.
159.		इलेक्ट्रोसिंग्नल नोवोसिबरस्क प्लान्ट कोरपोरेसन पब्लिक कं.
160.		फगप एनपीपी पोलिओट
161.		फिजिउ मम्बपे सालूट
162.		इन्टर वेस्टनिक (एयरफलीट)
163.		इरकूट कारपोरेशन
164.		ज्वाइंट स्टाक कं.– प्लांट फॉर इलेक्ट्रीक कनेक्टर्स (इसेट)
165.		ज्वाइंट स्टाक कं. – उफा इंजन इण्डस्ट्रीयल एसोसिएशन
166.		जेएससी टांटल
167.		जेएससी एयरक्राफ्ट कम्पोनेंट सॉसिंग कं. (मैन्यूफै.)
168.		जेएससी आर्क कोनवर्सिया
169.		जेएससी ओपक आबरोनप्रोम
170.		कामोव कं.
171.		कजान हेलिकॉप्टर्स
172.		किलीमोव कं.
173.		मिग रसियन एयरक्राफ्ट कारपोरेशन
174.		मिल मोस्को हेलिकॉप्टर प्लान्ट, जेएससी
175.		मिलिट्री परेड लि.
176.		मोटोरोस्ट्रोईएल जेएससी
177.		परम मोटर्स ग्रुप
178.		फोजोट्रोन–नीर कोरपोरेशन जेएससी
179.		रामेन स्कोई डिजाइन कं.
180.		रोजोबोरोनएक्सपोर्ट स्टेट कारपोरेशन
181.		रोस्टवरटोल पीएलसी
182.		रसियन एविएशन कं. लि.
183.		सोकोल निजनी नोवगोरोड एयरक्राफ्ट बिल्डिंग प्लान्ट जेएससी
184.		स्टेट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑपा ऐविएशन सिस्टम्स (गोसनियास)
185.		सुखोई एविएसन होल्डिंग कं.
186.		सुखोई सिविल एयरक्राफ्ट कं.
187.		सुखोई डिजाइन ब्यूरो
188.		टैक्नोकोम्पलेक्स रिसर्च एंड प्रोडक्सन सैन्टर
189.		टी एस इलेक्ट्रोनिक्स
190.		टूपोलेव पीएससी

1	2	3
191.		यूराल ऑप्टीकल एंड मेकेनिकल प्लान्ट (यूओम्स)
192.		विएसएमपीओ – अविस्मा कारपोरेशन
193.		याकोवलेव डिजाइन ब्यूरो
194.	सिंगापुर	जेन्स इन्फरमेशन ग्रुप
195.		प्राइम ऐरोस्पेस सिंगापुर और यूएई
196.		टेडोप्रेस एशिया प्राइवेट लिमिटेड
197.	दक्षिण अफ्रीका	आरडीआई काम्यूनिकेशनस (प्राइवेट) लिमिटेड
198.		टेलूमेट (प्रा.) लिमिटेड
199.	स्पेन	इन्द्रा
200.	स्वीडन	साब एबी
201.		ग्रिपन इंटरनेशनल
202.	स्विटजरलैंड	एक्यूट्रोनिक एजी
203.		रेव्यू थामन एजी
204.	थाईलैंड	एशियन मिलिट्री रिव्यू
205.	टर्की	सीएनआर ट्रेड फेयर्स
206.	यूक्रेन	ऐरोटेक्निका कारपोरेशन
207.		एंतोनोव ऐरोनॉटिकल साइंटिफिक एंड टेक्निकल काम्पलेक्स
208.		मोटर सिश
209.		एसई इवचेनको–प्रोग्रेस
210.		स्पेटसटेक्नोएक्सपोर्ट
211.		वेक्टर स्टेट कारपोरेशन
212.	यूनाइटेड अरब अमिरात	गल्प ऐवीएशन गाइड/मीडिया वन ग्रुप
213.		होराइजन इंटरनेशनल फ्लाइट एकेडमी, यूएई
214.		इन सविर्सस मिडल ईस्ट
215.	यूनाइटेड किंग्डम	एक्शन एविएशन लिमिटेड
216.		अपोलो मेटल
217.		एविएशन इंडस्ट्री ग्रुप
218.		बीएई सिस्टम्स
219.		शेल्टन लिमिटेड
220.		कोबहेम एयर रिफ्यूलिंग एंड आक्ज़िलरी मिशन इक्वीपमेंट डिवीजन
221.		कोबहेम डिफेंस कम्यूनिकेशन्स
222.		कोबहेम पीएलसी
223.		डेसो
224.		डानकास्टर ग्रुप लिमिटेड
225.		ईआईएस इलैक्ट्रानिक्स जीएमबीएच
226.		इलैक्ट्रान बीम प्रोसेसिस
227.		ईएसएल डिफैंस लिमिटेड
228.		एस्टरलाइन सेंसर्स ग्रुप
229.		ईटीपीएस–क्विंटिक लिमिटेड
230.		फार्मब्रोग ऐरोस्पेस कंसोरटियम
231.		फिल्ट्रानिक कंपोनेंट्स लिमिटेड
232.		जीकेएन ऐरोस्पेस
233.		एच आर स्मिथ ग्रुप ऑफ कम्पनीज़
234.		हेल हेमीलटन (वाल्वस) लिमिटेड
235.		हेम्पसन ऐरोस्पेस
236.		हारडिग यूरोप
237.		इंपीरियल डिफेंस सर्विस
238.		मार्टिन बेकर एयरक्राफ्ट कंपनी लिमिटेड
239.		एमडी हेलीकाप्टर्स
240.		मेट्रिस
241.		पीपीजी ऐरोस्पेस
242.		क्वीनेती क्यू
243.		रफी जीबी लिमिटेड
244.		आरएफडी ब्याफोर्ट लिमिटेड

1	2	3
245.		रोल्स रायस पीएलसी
246.		एसबीएसी
247.		सिगनेचर इंडस्ट्रीज लिमिटेड/सर्वे
248.		साइनो स्विरिनजेन
249.		स्मिथ ऐरोस्पेस
250.		स्टेन सील
251.		स्ट्रांगफील्ड टेक्नॉलाजी लिमिटेड
252.		टीडब्ल्यूआई लिमिटेड
253.		यूकेटीआई
254.		अल्ट्रा इलेक्ट्रोनिक्स इलेक्ट्रिक्स
255.		वालटेक लि.
256.	यूनाइटिड स्टेट्स ऑफ अमेरिका	अलाइड इन्टरनेशनल कारपोरेशन
257.		एम जनरल एलएलसी
258.		एमपेक्स डाटा सिस्टम्स कारपोरेशन
259.		एविएशन वीक
260.		एविएशन वीक एंड स्पेश टैक्नोलॉजी
261.		बैल हेलिकॉप्टर टैक्सट्रान (टैक्सट्रान ग्रुप)
262.		बिजनेस एंड कार्मिशियल एविएशन
263.		बिजनेस इंटेलीजेन्स सर्विसिज
264.		सेसना एयरक्राफ्ट कं. (टेक्सट्रान)
265.		सिनसिनाटी मशीन (मेग इंडिया)
266.		कम्पलीट पैराशूट सोलूसन्स, इन्क
267.		डिफेंस न्यूज मीडिया ग्रुप
268.		डिफेंस टैक्नोलोजी इन्टरनेशनल (डीटीआई)
269.		इंजन अलाइन्स
270.		आइन्सट्राम हेलिकॉप्टर कारपोरेशन
271.		ईस्टरलाइन कारपोरेशन
272.		जी ई एविएशन्स
273.		हेन्टजेन कोटिंग्स इन्क
274.		हनीवेल एयरोस्पेस
275.		इण्डस्ट्रीयल मेटल्स इन्टरनेशनल लि.
276.		इन्टरनेशनल एयरोस्पेस इंजिन्स
277.		आईटीटी
278.		केरन्स परोडक्ट्स
279.		किलगोर फ्लेर्स कं., एलएलसी, यूएसए
280.		किरखिल टा कं.
281.		कोरी इलेक्ट्रोनिक्स
282.		एल 3 काम्नीकेशन्स
283.		लोकहीड मार्टिन
284.		मेटाकोम्प टैक्नोलोजिज इन्क
285.		मूव एयरक्राफ्ट ग्रुप
286.		निविसेस इण्डस्ट्रीज एलएलसी
287.		नोर्थरोप गुरूमान कारपोरेशन
288.		ओसिन एयर इन्क
289.		ओवरहॉल एंड मैन्टेनेन्स
290.		प्राट एंड वीहटनी
291.		रेथियान कं.
292.		सेकाई इलेक्ट्रानिक्स इन्क
293.		शो न्यूज
294.		सिकोरस्काई एयरक्राफ्ट
295.		सुपरसोनिक सर्विसेज, इन्क
296.		टीएक एयरोस्पेस टैक्नोलोजिज
297.		यू.एस. डिपार्टमेंट ऑफ कामर्स
298.		अलब्रीक स्टेनलैस स्टील्स एंड स्पेसियलिटी मैटल इन्क
299.		यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफैंस (यूएस डोड)
300.		यू. एस. एयरोफोर्स
301.		वर्ल्ड एयरोस्पेस डाटाबेस
302.	वेनेजुएला	बोइंग

अल्पसंख्यक बहुल जिलों का विकास

443. श्री असादूद्दीन ओवेसी :
श्री बघी सिंह रावत 'बघदा' :

क्या **अल्पसंख्यक मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय महापंजीयक की सहायता से 25 प्रतिशत से अधिक अल्पसंख्यक जनसंख्या वाले क्षेत्रों को प्राथमिका के आधार पर धनराशि प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए इन जिलों का मानचित्रण करने की पलि की है जैसाकि दिनांक 15 जनवरी 2007 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय ने अन्य मंत्रालयों से इन जिलों में विशेष योजनाएं बनाने के लिए कहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में अल्पसंख्यक बहुल जिलों के विकास के संबंध में मंत्रालयों की क्या प्रतिक्रिया है अथवा इनके द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : (क) से (ङ) उन जिलों, सी.डी. ब्लाकों और नगरों, जिनकी जनसंख्या 50,000 से अधिक है, और जहां पर अल्पसंख्यक जनसंख्या काफी है, की भारत के महापंजीयक के परामर्श से पहचान की गई है। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नए 15-सूत्री कार्यक्रम में शामिल योजनाओं से संबंधित मंत्रालयों/विभागों को उचित कार्रवाई करने के लिए यह विवरण उपलब्ध करा दिया गया है।

हथियार प्रणाली के विकास हेतु निजी क्षेत्र की भागीदारी

444. श्री भर्तृहरि महताब :
श्री दुष्यंत सिंह :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने देश में हथियार प्रणाली के विकास हेतु निजी क्षेत्र की भागीदारी को आमंत्रित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर निजी क्षेत्र की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) हथियार प्रणाली के विकास हेतु निजी क्षेत्र के समक्ष क्या निबंधन और शर्तें रखी गई हैं;

(घ) हथियार प्रणाली के विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति देने के क्या कारण हैं; और

(ङ) निजी क्षेत्र को कौन-कौन सी परियोजनाएं दिए जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, उप प्रणालियों और संघटकों के विकास के लिए निजी क्षेत्र को नियमित रूप से शामिल करता रहा है।

(ख) निजी क्षेत्र की प्रतिक्रिया अत्यंत उत्साहवर्धक है और कई निजी कंपनियों ने परीक्षण और जांच आयोजित करने की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सीमित संख्या में सफलतापूर्वक उत्पाद विकसित और तैयार किए हैं।

(ग) विकसित की जाने वाली उप-प्रणालियों और संघटकों की किस्म के आधार पर पारस्परिक सहमत संविदा के आधार पर निबंधन और शर्तें निर्धारित की जाती हैं।

(घ) जहां भी निजी क्षेत्र में अवसंरचना और विशेषज्ञता उपलब्ध है, उनसे विकास कार्य के लिए संपर्क किया जाता है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन उन प्रणालियों पर केन्द्रित रहता है जो महत्वपूर्ण स्वरूप, सामरिक महत्व की हैं।

(ङ) प्रत्येक परियोजना पर रक्षा मंत्रालय का अर्जन विंग यह निर्णय करने के लिए विचार करता है कि इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा किया जाना चाहिए अथवा निजी क्षेत्र द्वारा किया जाना चाहिए।

रेलवे में निजीकरण

445. श्री जुएल ओराम : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे द्वारा बड़े स्तर पर निजीकरण की अनुमति दी गई अथवा दिए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) निजीकरण हेतु रेलवे द्वारा किन-किन नए क्षेत्रों की पहचान की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) रेलों पर बड़े पैमाने पर निजीकरण संबंधी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। बहरहाल, बड़े स्टेशनों का अपग्रेडेशन, सुपर स्पेशियल्टी अस्पतालों की स्थापना, चल स्टॉक के लिए विनिर्माण इकाइयों की स्थापना, रेल विकास निगम लि. (आर वी एन एल) के जरिए पोर्ट संपर्कता के लिए अवसंरचना संबंधी परियोजनाएं और खानपान/पर्यटन और आतिथ्य सत्कार के क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों जैसे अनेक क्षेत्रों/गतिविधियों की सार्वजनिक-निजी भागीदारी के जरिए निष्पादित करने हेतु पहचान की गई है।

विदेश में तेल क्षेत्रों का अधिग्रहण

446. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेश में तेल क्षेत्रों का तेजी से पता लगाने तथा अधिग्रहण करने और सस्ती दरों पर ऊर्जा प्राप्त करने सहित एक बहु–आयामी रणनीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त रणनीति को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) जी हां। ऊर्जा सुरक्षा प्राप्ति के लिए भारत की कार्यनीति जो भारत सरकार के एक दस्तावेज "हाइड्रोकार्बन विजन 2025" में शामिल है, में निम्नलिखित निहित है:–

- स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि तथा विदेशी तेल इक्विटी में निवेश द्वारा आत्म–निर्भरता प्राप्त करके ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- हाइड्रोकार्बन क्षेत्र को एक सार्वभौम प्रतिस्पर्धात्मक उद्योग के रूप में विकसित करना, जो उद्योग के सभी खण्डों में प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा क्षमता निर्माण द्वारा विश्व में सर्वोत्तम मापचिन्ह (बेंच मार्क) के रूप में जाना जा सके।
- काकर्यनीतिक तथा रक्षा विवेचनों को ध्यान में रखते हुए देश के लिए तेल सुरक्षा सुनिश्चित करना।

(ग) ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के लिए सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा शुरू किए गए महत्वपूर्ण कदमों में अन्य कदमों के साथ निम्नलिखित शामिल है:–

- आपूर्ति सुरक्षा : घरेलू तेल और गैस उत्पादन विदेशों से इक्विटी तेल व गैस बढ़ाना।
- प्राकृतिक गैस की मांग और आपूर्ति में कमी पूरी करने के लिए परियोजना शुरू करना तथा तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) की उपलब्धता सहज बनाना।
- एलएनजी के आयात के लिए दीर्घावधि करार।
- राष्ट्र पार गैस पाइपलाइनें।
- वैकल्पिक स्रोतों की संभावना का पता लगाना।
- पेट्रोलियम उत्पादों का संरक्षण।
- कार्यनीतिक पेट्रोलियम भंडारों की स्थापना।

बड़ी रेलवे लाइनों का दोहरीकरण

447. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसी बड़ी रेल लाइनों की जोन–वार लम्बाई कितनी है जिन पर केवल एक ट्रैक है;

(ख) इन लाइनों के दोहरीकरण हेतु रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या दोहरीकरण के लिए राजस्व सृजित करने वाले खंडों को प्राथमिकता दी जाएगी;

(घ) यदि हां, तो क्या राजमार्गों की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की तरह लाइनों के दोहरीकरण के लिए निजी क्षेत्र के निवेश की मांग की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) 31.3.2006 तक (नवीनतम सूचना) देश में बड़ी रेल लाइनों की क्षेत्रवार लंबाई (मार्ग कि.मी.) जोकि केवल एकल रेलपथ से संबंधित है का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

क्रम सं.	क्षेत्रीय रेल का नाम	मार्ग किलोमीटर
1.	मध्य	1437
2.	पूर्व	1176
3.	पूर्व मध्य	1424
4.	पूर्व तट	1405
5.	उत्तर	4889
6.	उत्तर मध्य	1485
7.	पूर्वोत्तर	1481
8.	पूर्वोत्तर सीमा	1730
9.	उत्तर पश्चिम	2940
10.	दक्षिण	1932
11.	दक्षिण मध्य	3080
12.	दक्षिण पूर्व	1313
13.	दक्षिण पूर्व मध्य	772
14.	दक्षिण पश्चिम	2541
15.	पश्चिम	2857
16.	पश्चिम मध्य	1235
	कुल	31697

(ख) और (ग) जब मौजूदा लाइनों की वहन क्षमता संतृप्त हो जाती है तब परिचालनिक दृष्टि से दोहरीकरण अथवा मल्टीपल लाइनों के निर्माण से संबंधित परियोजनाओं को शुरू किया जाता है। परिचालनिक प्राथमिकता और यातायात की आवश्यकता को ध्यान में रखकर संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार दोहरीकरण परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं।

(घ) निजी सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से स्वर्णिम चतुर्भुज के लिए निजी क्षेत्र से निवेश की मांग करने का अभी तक विचार नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

तेल और गैस क्षेत्र में भारत और यमन के बीच समझौता

448. श्री शिशुपाल एन. पटले :
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल और गैस अन्वेषण हेतु नए ब्लॉक प्रदान करने के लिए यमन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन ब्लाकों से हर वर्ष तेल की कितनी मात्रा मिलने का अनुमान है;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों का विचार हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में निवेश करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) जी नहीं। तथापि, पारस्परिक हितों की सहायता तथा पारस्परिक सहयोग को बढ़ाने व प्रोन्नत करने के उद्देश्य से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री द्वारा हाल ही में यमन की यात्रा के दौरान यमन गणराज्य के तेल व खनिज मंत्रालय तथा भारतीय गणराज्य के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच तेल और गैस उद्योग के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के नयाचार पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ग) और (घ) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां यमन में अन्वेषण तथा उत्पादन के अवसरों में निवेश की इच्छुक हैं। इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (15% (पीआई)), ऑयल इंडिया लिमिटेड (15% भागीदारी हित (पीआई)), कुवैत एनर्जी (25% (पीआई)) तथा मैडको एनर्जी (45% (पीआई तथा प्रचालक) के एक परिसंघ ने पिछले बोली दौर में अपतटीय ब्लॉक संख्या 82 और 83 के लिए सफलतापूर्वक बोली दी।

[अनुवाद]

बजट होटल

449. श्री एस.के. खारवेनथन :
श्री नवीन जिन्दल :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने देश में बजट होटलों का निर्माण करने के लिए विभिन्न स्थानों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अब इस संबंध में क्या प्रगति की गई है;

(ग) क्या रेलवे ने ऐसे होटलों के निर्माण में सरकारी–निजी क्षेत्र की भागीदारी की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो इसकी निबंधन और शर्तें क्या हैं;

(ङ) ऐसे बजट होटलों में यात्रियों को कौन–कौन सी मुख्य सुविधाएं प्रदान किए जाने की संभावना है; और

(च) इन बजट होटलों का निर्माण कब तक किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय रेल ने भारतीय रेल खान–पान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) के माध्यम से संपूर्ण भारतीय रेल नेटवर्क पर 100 सस्ते होटल स्थापित करने का विनिश्चिय किया है। ये होटल आई आर सी टी सी द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर रेलवे स्टेशनों के निकट पड़ी खाली भूमि पर बनाए जाएंगे। इन 100 सस्ते होटलों में से 20 स्थलों के लिए निविदाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है तथा 10 स्थलों के लिए निविदाएं जारी की गई हैं।

(ग) और (घ) आई आर सी टी सी को पारदर्शी आधार पर दो पैकेट निविदा प्रणाली अर्थात् तकनीकी और वित्तीय के तहत खुली प्रतिस्पर्धात्मक बोलियों के द्वारा निजी भागीदारी के माध्यम से बजट होटल स्थापित करने, उनका विकास करने, परिचालन करने तथा उनका रख–रखाव करने का कार्य सौंपा है। आई आर सी टी सी, क्षेत्रीय रेलों के परामर्श से स्थलों की पहचान करती है, निजी क्षेत्र की भागीदारी को आमंत्रित करके निविदाएं जारी करती हैं तथा उन्हें अंतिम रूप देती है। लाइसेंस की अवधि 30 वर्ष निर्धारित की गई है। ठेका उस निविदाकर्ता को दिया जाएगा, जो तकनीकी बोली में योग्य पाया गया हो तथा जिसने लाइसेंस की अवधि में आईआरसीटीसी के लिए अधिकतम प्रतिफल की बोली लगाई हो।

(ङ) और (च) बजट होटल मूलतः विश्राम कक्षो और रेल यात्री निवास का संवर्द्धित रूप है। इन होटलों का उपयोग करने से यात्रियों को शहर में किसी होटल तक जाने में लगने वाली परिवहन की लागत

और समय की बचत होगी। इन होटलों से पर्यटन का विकास करने में रेलवे को मदद मिलेगी। चूंकि निविदा प्रक्रिया जारी है और संविदा को अंतिम रूप दिए जाने के बाद तथा करार पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद इस कार्य में 2 वर्ष का समय लग सकता है।

कन्टेनर रेलगाड़ियों को निजी कंपनियों द्वारा चलाया जाना

450. श्री बृज किशोर त्रिपाठी :
श्री अनन्त नायक :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने कन्टेनर रेलगाड़ियां चलाने के लिए निजी कंपनियों के साथ कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) उन निजी कंपनियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें कंटेनर रेलगाड़ियां चलाने की अनुमति दी गई है; और

(घ) कन्टेनर रेलगाड़ियां चलाने के लिए निजी कंपनियां रेलवे की कितनी सहायक सिद्ध होंगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी हां।

(ख) यह करार सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। यह व्यावहारिक है तथा इससे विभिन्न कंटेनर परिचालकों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित होता है और यह राष्ट्रीय एवं सार्वजनिक हितों के साथ निजी कंपनियों के आकांक्षाओं को भी पूरा करता है।

(ग) निजी कंपनियां जिन्हें कंटेनर गाड़ियां चलाने की अनुमति प्रदान की गई है, उनकी सूची नीचे दी गई है।

1. अदानी लॉजिस्टिक्स लि./रंद्रा पोर्ट एवं इकोनॉमिक जोन लि.
2. बॉक्सट्रांस लॉजिस्टिक्स इंडिया सर्विसेज लि.
3. भारतीय कंटेनर कॉरपोरेशन लि.
4. सेंट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन
5. कंटेनर रेल रोड सेवा प्रा. लि.
6. दिल्ली आसाम रोड सर्विसेज प्रा. लि.
7. गेटवे रेल फ्रेट प्रा. लि.
8. हिंद टर्मिनल्स प्रा. लि./एम एस सी
9. इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड लीजिंग प्रा. लि.
10. इन्नोवेटिव बी 2 बी लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन प्रा. लि.
11. कृभको
12. पिपावाव रेलवे कॉर्पोरेशन लि.
13. रिलायन्स इंफ्रास्ट्रक्चर इंजी. प्रा. लि.
14. सिकल (एस आई सी ए एल) लॉजिस्टिक्स

(घ) निजी कंपनियां अंतर्देशीय कंटेनर डिपुओं को स्थापित करने में निवेश करेंगी तथा माल डिब्बे प्राप्त करेगी और बढ़ते यातायात को प्राप्त करेंगी।

नए विमानपत्तनों की स्थापना में निजी क्षेत्र

451. श्री हितेन बर्मन :
श्री के. एस. राव :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में नए विमानपत्तनों को स्थापित करने के लिए निजी क्षेत्र को आमंत्रित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में राज्य सरकारों का कोई प्रस्ताव लंबित है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) वर्तमान में, सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) आधार पर संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नए हवाई अड्डों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(ग) और (घ) "सैद्धान्ति रूप से" मोपा (गोवा) में एक नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के लिए स्वीकृति दे दी गई है। संबंधित राज्य सरकारों पोकयोंग (सिक्किम), कोहिमा के समीप चीथू (नागालैंड), इटानगर (अरूणाचल प्रदेश), कन्नौर (केरल), तथा पुणे के समीप चक्कन (राजगुरूनगर) तथा पनवेल के समीप नवी मुम्बई (महाराष्ट्र) में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के निर्माण के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के विकास के लिए सुनिर्धारित कार्यविधियां विद्यमान हैं। राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्ताव अभी जांच प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर हैं।

राष्ट्रीय विरासत आयोग

452. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय विरासत आयोग की स्थापना करने के लिए कानून लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सबंध में अंतिम निर्णय के कब तक लिए जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) और (ख) जी, हां। चूंकि निर्मित दाय का अपने व्यापक परिदृश्य में प्रलेखन करने, वितरण सूची तैयार करने और संरक्षण कार्य करने के लिए मौजूदा कानूनी तथा संस्थागत ढांचा पर्याप्त नहीं है, इसलिए सरकार का विरासत स्थल आयोग गठित करने का प्रस्ताव है। यह आयोग नीति संबंधी व्यापक दिशानिर्देश निर्धारित करेगा और ऐसे दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए कदम उठाएगा।

प्रस्तावित विरासत स्थल आयोग के कार्य निम्नलिखित होंगे:

– विरासत मामलों पर सरकार को सलाह देना।

विरासत स्मारकों तथा स्थलों के संरक्षण के मामलों में दिशानिर्देश तैयार करना।

विरासत के संरक्षण के संबंध में महत्वपूर्ण मामलों का अध्ययन करना या करवाना और सरकार को रिपोर्टें प्रस्तुत करना।

– वर्तमान विरासत कानूनों में उचित संशोधनों के लिए सुझाव देना।

(ग) इस संबंध में विधान लागू करने की समय–सीमा सूचित नहीं की जा सकती।

अधिक तेल और गैस के लिए रूस के साथ संविदा

453. श्री उदय सिंह :
श्री अधीर चौधरी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की रूस से और अधिक तेल और गैस प्राप्त करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो रूस की उन फर्मों का ब्यौरा क्या है जिनके साथ संविदा पर हस्ताक्षर किए गए हैं या किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या भारतीय तेल कंपनियों और रूसी तेल कंपनियों द्वारा पूर्व में की गई संविदाओं के कोई फलदायी परिणाम सिद्ध हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में भारत–रूस सहयोग से संबंधित मुद्दों पर नियमित आधार पर चर्चा की जाती है। जिनमें द्विपक्षीय ऊर्जा वार्ता, ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के तरीके, ऊर्जा आपूर्तियों विविधीकरण की प्रक्रिया में सुधार करने के लिए अवसरों की खोज करना और भारत, रूस और तीसरे देशों में पहले से पहचानी गई और भावी तेल और गैस परियोजनाओं में वाणिज्यिक ऊर्जा भागीदारी को मजबूत करना सम्मिलित है।

ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल), ओएनजीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी का रूस में सखालिन–1 परियोजना में हिस्सा है। ओएनजीसी ने गेजप्राम और रोसनेफ्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय कम्पनियां रूस में रूसी कम्पनियों के साथ काम करना चाहेंगी जिससे भारत भविष्य में रूस से 1 मिलियन बैरल तेल और तेल समकक्ष गैस प्रतिदिन प्राप्त कर सके।

(ग) और (घ) ओवीएल का रूस में सखालिन–1 परियोजना में हिस्सा है। सखालिन–1 रूस में अपतटीय सूदूर पूर्व में एक बड़ा तेल और गैस क्षेत्र है। ओवीएल के पास क्षेत्रों में 20% प्रतिभागिता हित (पीआई) है, प्रचालक के रूप में एक्सिन मोबिल की सहायक कम्पनी के पास 30% पीआई है; सोडेको जापनी कम्पनियों के एक परिसंघ के पास 30% पीआई है और शेष 20% रोसनेफ्ट की दो सहायक कम्पनियों के पास हैं। सखलिन–1 परियोजना में रूसी सूदूर पूर्व में सखालिन द्वीप के उत्तरी पूर्व तट पर तीन क्षेत्र चायको, ओडोप्टु और आक्रुतुन डगी अपतट सम्मिलित हैं। मिलकर उनमें अनुमानित रूप से 2.3 बिलियन बैरल तेल और 17.1 ट्रिलियन घन फीट गैस है।

क्षेत्र का विकास वर्तमान में प्रगति पर है और अन्तरिम उत्पादन सुविधा की स्थापना से कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन घरेलू क्रेताओं को बिक्री के लिए अक्टूबर, 2005 से सीमित पैमाने पर आरम्भ किया गया। सखालिन कच्चे तेल का निर्यात सितम्बर, 2006 से भी आरम्भ हुआ है। 2,50,000 बैरल प्रतिदिन के वर्तमान चरण के लिए नियोजित सर्वोच्च उत्पादन हाल में ही फरवरी, 2007 में प्राप्त किया गया। एसओके ओएल कच्चे तेल के ओवीएल हिस्से के पहले दो कार्गो को दिसम्बर, 2006 में मंगलोर रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल) के माध्यम से संसाधन के लिए नए मंगलोर में लाया गया।

भारत और रूस के बीच हस्ताक्षरित रक्षा प्रोटोकोल

454. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूसी राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान भारत और रूस के बीच हाल ही में रक्षा प्रोटोकोलों पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त प्रोटोकोलों के संबंध में कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) लंबित मुद्दों के संबंध में तीव्रता लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (घ) रूसी राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान किसी रक्षा प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे। तथापि, 24.1.2007 को सैन्य तकनीकी सहायोग पर भारत–रूस अन्तर–सरकारी आयोग की बैठक के लिए रूसी फेडरेशन के रक्षा मंत्री की यात्रा के दौरान निम्नलिखित प्रोटोकॉलों पर हस्ताक्षर किए गए थे:–

(i) बहु भूमिका वाले परिवहन वायुयान के सह–विकास और सह–उत्पादन के आशय का प्रोटोकॉल।

(ii) सैन्य तकनीकी सहयोग पर भारत–रूस अन्तर–सरकारी आयोग की छठी बैठक का प्रोटोकॉल।

इस बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने लम्बित मामलों को निपटाने की प्रक्रिया सहित दोनों देशों के बीच रक्षा आदान–प्रदान और सहयोग पर चल रहे स्तर पर संतोष व्यक्त किया।

[हिन्दी]

एयरलाइनों के विस्तार के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

455. प्रो. महादेवराव शिवनकर : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नागर विमानन के क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है ताकि देश के विभिन्न मार्गों पर एयरलाइन नेटवर्क में विस्तार किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विदेशी राशि में हिस्सेदारी हेतु घरेलू एयरलाइनों की सीमा तय की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या हवाई अड्डों के विकास के लिए निजी क्षेत्रों को 100 प्रतिशत भागीदारी की अनुमति दी जा रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) सरकार मामले पर विचार कर रही है।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार ने "विमान परिवहन सेवा एयरलाइनों" में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सीमाओं में वृद्धि कर दी है तथा संशोधित सीमा इस प्रकार है:–

- स्वचालित मार्ग के माध्यम से **49%**
- स्वचालिक मार्ग के माध्यम से अनिवासी भारतीयों द्वारा 100%
- विदेशी एयरलाइनों द्वारा कोई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष ईक्विटी भागीदारी की अनुमति नहीं है।

(ङ) और (च) हवाई अड्डा सैक्टर में एफडीआई पर वर्तमान नीति के अनुसार स्वचालिक मार्ग के माध्यम से ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे में 100% एफडीआई की अनुमति है जिसमें स्वचालित अनुमोदन सहित वर्तमान हवाई अड्डों में 74% एफडीआई की अनुमति है तथा 100% एफआईपीबी मार्ग के माध्यम से दिल्ली और मुम्बई की पुनर्संरचना में एफडीआई की 49% तक सीमित कर दिया गया है।

[अनुवाद]

ओ एन जी सी द्वारा निजी कंपनियों को खोज और उत्पादन व्यवसाय का अधिकार

456. श्री सी.के. चन्द्रप्पन :
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओ एन जी सी) ने खोज और उत्पादन (ई एंड पी) व्यवसाय के अपने अधिकार निजी कंपनियों को देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त प्रयोजनार्थ निविदा आमंत्रित की गई; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) अन्वेषण और उत्पादन क्रियाकलाप ओएनजीसी द्वारा अकेले अपने नामित ब्लॉकों में चलाए जाते हैं। इसके अन्वेषण और उत्पादन (ई एंड पी) व्यवसाय के लिए निजी कम्पनियों को अधिकार देने का कोई निर्णय नहीं है। एनईएलपी ब्लॉकों में, संविदाकारों द्वारा उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं के प्रावधानों के अनुसार हित सौंपा जा सकता है। ओएनजीसी ने उन्नत ई एंड पी प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए उत्पादकता की वृद्धि, निकासी के सुधार और प्रौद्योगिकी केन्द्र के सृजन के लिए विभिन्न कम्पनियों के साथ गठबंधन किए हैं।

क्षेत्रों के विकास और तेल और गैस उत्पादन के आवर्धन के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों के समावेश हेतु ओएनजीसी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/निजी कम्पनियों को सेवा संविदा आधार पर नए/छोटे/सीमांत क्षेत्रों के विकास के लिए आमंत्रित करती रही है।

(ग) और (घ) गांधार क्षेत्र और लाकवा/लखमनी/जेलेकी क्षेत्रों के तकनीकी अध्ययन के लिए "उत्पादकता की वृद्धि और निकासी के सुधार" के लिए निविदाएं मांगी गई हैं।

[हिन्दी]

अहमदाबाद और मुंबई के बीच तीसरी लाइन

457. श्री मनसुखभाई डी. वसावा :
श्री काशीराम राणा :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने बढ़ते यातायात के मद्देनजर अहमदाबाद और मुंबई के बीच तीसरी लाइन के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) विरार और अहमदाबाद के बीच तीसरी लाइन के निर्माण के लिए अद्यतन सर्वेक्षण 2004–05 के दौरान पूरा किया गया था। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, इस खण्ड पर तीसरी लाइन (504 कि.मी.) के निर्माण की लागत 1851 करोड़ रुपए आंकी गई है।

(ग) स्वचालित सिगनल प्रणाली अपनाकर इस मार्ग की क्षमता बढ़ाई जा रही है। पश्चिमी मार्ग पर समर्पित फ्रेट कोरिडोर के निर्माण में भी इस मार्ग पर अतिरिक्त क्षमता मुहैया होगी।

[अनुवाद]

कुष्ठरोग पीड़ितों का पुनर्वास

458. श्री मनोरंजन भक्त : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की कुष्ठ रोग पीड़ित निशक्त व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास और कल्याण की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई और जारी की गई तथा इस अवधि के दौरान इसकी उपयोगिता का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मद्रास उच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार से पूर्ण रूप से और आंशिक रूप से कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता में वृद्धि के बारे में रिपोर्ट मांगी है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सरकारी औषधालयों के माध्यम से मुफ्त सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। कुष्ठ प्रभावित व्यक्तियों के लाभ के लिए निम्नलिखित गतिविधियां संचालित की जाती हैं:

(i) स्व देखरेख अभ्यास के आधार पर एक दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कुष्ठ विकलांग रोगियों के लिए ब्लाक स्तर पर विकलांगता निवारण शिविरों का आयोजन।

(ii) गैर–सरकारी संगठनों द्वारा व्यवस्थित मान्यता प्राप्त संस्थाओं, केन्द्रीय सरकारी कुष्ठ निवारण प्रशिक्षण तथा अनुसंधान केन्द्रों, अभिनिर्धारित चिकित्सा महाविद्यालयों में पुनःसंरचनात्मक शल्य चिकित्सा का संचालन।

(iii) जिला कुष्ठ निवारण सोसायटियों, गैर–सरकारी संगठनों तथा आईएलईपी संस्थाओं के माध्यम से जरूरतमंद रोगियों को जूते–चप्पलों की आपूर्ति

(ग) चालू वर्ष 2006–07 के दौरान उपर्युक्त गतिविधियों के लिए राज्यों को जारी की गई निधियां इस प्रकार से हैं:–

क्रम सं.	गतिविधियां	2006–07 के दौरान जारी निधियां (लाख रुपए)
1	विकलांगता निवारण शिविर	214.68
2	जूते–चप्पल	71.04
3	खपची एवं बैसाखियां	23.68

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में लोक और जनजातीय कला समूहों से संबंधित भवनों का उन्नयन

459. श्री कृष्णा मुरारी मोघे : क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध लोक और जनजातीय कला समूहों से संबंधित भवनों और उपक्रमों में सुधार और उन्नयन करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) इसे कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (ग) जी, नहीं। इस प्रकार का कोई प्रस्ताव फिलहाल संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

विमान द्वारा यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि

460. श्री के.एस. राव : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष विमान से यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि की दर कितनी रही;

(ख) विमान यात्रा को प्रोत्साहन देने और व्यक्तियों की मांग को पूरा करने के लिए छोटे और मझोले शहरों को जोड़ने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने और नए विमानपत्तनों के निर्माण तथा छोटे शहरों को जोड़ने वाली नई एयरलाइन्सों के लिए आवश्यक अन्य अवसंरचना के निर्माण हेतु प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आमंत्रित करने के लिए नई नीतिगत पहलें करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) वर्ष 2004, 2005 तथा 2006 में घरेलू यात्री यातायात में हुई वृद्धि क्रमशः 25.0%, 22.8%, तथा 46.5%, थी।

(ख) सरकार ने पूर्वोत्तर सहित देश के विभिन्न क्षेत्रों की हवाई परिवहन सेवाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हवाई परिवहन सेवाओं के बेहतर विनियमन को प्राप्त करने के उद्देश्य से मार्ग संवितरण दिशानिर्देश जारी किए हैं। सरकार द्वारा जारी मार्ग संवितरण दिशानिर्देशों के अनुपालन के अध्याधीन, यातायात मांग तथा व्यावसायिक साध्यता के आधार पर विनिर्दिष्ट स्थानों के लिए हवाई सेवाएं प्रदान करना एयरलाइनों पर निर्भर है।

(ग) और (घ) मौजूदा नीति के अनुसार ऑटोमेटिक रूट के जरिए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों पर 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। मौजूदा हवाई अड्डों पर, 74% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एफआईपीबी) रूट के माध्यम से 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है।

निजी कंपनियों द्वारा रसोई गैस (एल पी जी) की आपूर्ति

461. श्री जी.एम. सिद्देश्वर : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रसोई गैस (एल पी जी) की आपूर्ति निजी कंपनियों को सौंपने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और एल पी जी की आपूर्ति की अनुमति किन–किन कंपनियों को दिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) वर्तमान में उपलब्ध एलपीजी के बड़े हिस्से की आपूर्ति देश में राजसहायता प्राप्त घरेलू एल.पी.जी. के रूप में की जाती है। वर्ष 2005–06 में कुल उपलब्ध एलपीजी का लगभग 96% भाग का विपणन राजसहायता प्राप्त एलपीजी के रूप में किया गया था। राजसहायता प्राप्त एलपीजी का विपणन तेल विपणन कम्पनियों (ओएमसीज) अर्थात् आयल कार्पोरेशन लि. (आईओसी), भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. (बीपीसी), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. (एचपीसी) और आईबीपी कम्पनी (आईबीपी) द्वारा किया जाता है। सरकारी सहायता के अतिरिक्त, तेल कम्पनियां इस उत्पाद को राजसहायता देने के भार को बांटती है।

घरेलू एलपीजी पर राजसहायता देने की वर्तमान व्यवस्था पर विचार करते हुए, जो देश में विपणन की जाने वाली कुल एलपीजी का मुख्य भाग होता है, एलपीजी की आपूर्ति का काम निजी कम्पनियों को सौंपने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

एलपीजी सिलेंडरों की कमी

462. श्री पी. मोहन :
श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी :
श्री एन.एन. कृष्णदास :
डा. धीरेंद्र अग्रवाल :
श्री महेश कनोडीया :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में एल पी जी सिलेंडरों की अत्यधिक कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) एल पी जी सिलेंडरों की कमी किन–किन राज्यों में है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एल पी जी सिलेंडरों की कमी के कारण एल पी जी सप्लायर कतिपय स्थानों विशेषकर दक्षिण तमिलनाडु में नए गैस कनेक्शन प्रविष्टि नहीं करते हैं;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) इस स्थिति में कब तक सुधार किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (ग) जी, नहीं। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनियों (ओएमसीज) ने देश में एलपीजी सिलेंडरों की अत्यधिक कमी होने की सूचना नहीं दी है। तथापि, ओएमसीज ने बताया है कि सिलेंडर

निर्माताओं द्वारा सिलेंडरों की अपर्याप्त आपूर्ति करने के कारण केरल राज्य में नए एल.पी.जी. सिलेंडरों की आपूर्ति में कुछ कमी आई है। अप्रैल, 2007 के बाद स्थिति के सुधरने की संभावना है।

(घ) से (च) जी, नहीं। ओएमसीज द्वारा नए एलपीजी कनेक्शनों के लिए प्राप्त अनुरोधों को पंजीकृत किया जा रहा है तथा दक्षिण तमिलनाडु सहित पूरे देश में वास्तविक ग्राहकों को कनेक्शन दिए जा रहे हैं।

बोंगाईगांव में रेल ऊपरीपुल

463. श्री अनवर हुसैन : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोंगाईगांव में रेल ऊपरी पुल के निर्माण हेतु परियोजना को स्वीकृति कब दी गई थी;

(ख) इस परियोजना की लागत कितनी है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस कार्य को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) बोंगाईगांव में समपार सं. एस.के./49 के बदले ऊपरी पुल के निर्माण के कार्य को वर्ष 1995-96 के निर्माण कार्यक्रम में स्वीकृत किया गया था।

(ख) इस कार्य को लागत में भागीदारी के आधार पर स्वीकृत किया गया था, जिनमें रेलवे के हिस्से की लागत 418.21 लाख रु. और राज्य सरकार का हिस्सा 471.30 लाख रु. था अर्थात् कुल लागत 889.51 लाख रु. थी। रेलवे के हिस्से का कार्य 2 वर्ष पहले ही पूरा कर लिया गया था। पहुंच मार्गों पर रीइन्फोर्स्ड मिट्टी संबंधी कार्य प्रगति पर है, जिसे राज्य लोक निर्माण विभाग (पी डब्ल्यू डी) द्वारा निष्पादित किया जा रहा है।

(ग) असम राज्य के लोक निर्माण विभाग से बार-बार इस कार्य को शीघ्र पूरा करने का आग्रह किया गया है। उनकी ओर से विलम्ब हो रहा है।

इंडियन ऑयल कार्पोरेशन द्वारा नाइजीरिया में रिफाइनरी और एल एन जी टर्मिनल

464. श्री सुग्रीव सिंह : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन ऑयल कार्पोरेशन का विचार नाइजीरिया में रिफाइनरी और लिक्वीफाइड नैचुरल गैस इंपोर्ट टर्मिनल स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नाइजीरिया में ऐसी इकाइयों की स्थापना के लिए निबंधन और शर्तें क्या हैं; और

(घ) इससे इंडियन ऑयल कार्पोरेशन के उत्पादन में कितनी वृद्धि होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) नाइजीरिया के ईडो राज्य की सरकार की ओर से जनवरी, 2004 में प्राप्त अनुरोध के प्रत्युत्तर में, इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) ने राज्य सरकार के सहयोग से ईडो राज्य में ग्रासरूट रिफाइनरी स्थापित करने की अपनी इच्छा व्यक्त की थी। ईडो राज्य में एक पेट्रोलियम रिफाइनरी विकसित करने में सहयोग करने हेतु 10 सितंबर 2004 को इडो राज्य की सरकार तथा आईओसीएल के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। आईओसीएल ने प्रस्तावित रिफाइनरी में अपने शामिल होने के कारण ईडो राज्य की सरकार से नाइजीरिया में तेल ब्लॉकों के आबंटन के लिए आग्रह किया था।

वर्तमान में आईओसीएल के पास नाइजीरिया में किसी तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) टर्मिनल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) रिफाइनरी की क्षमता तथा रूपरेखा को विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन जिसे अभी किया जाना है, के पश्चात् निर्धारित किया जाएगा।

(घ) प्रस्तावित रिफाइनरी से उत्पादन नाइजीरिया की घरेलू आवश्यकता को पूरा करने के लिए है।

उड़ीसा में रैकों/वैगनों की कमी

465. श्री अनन्त नायक : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा को माल विशेषकर खनिजों की ढ़लाई के लिए प्रर्याप्त संख्या में रैक/वैगन नहीं मिल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) राज्य में माल ढुलाई की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त संख्या में रैकों/वैगनों की आपूर्ति करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं। मौजूदा वर्ष में जनवरी तक पूर्व तट रेलवे पर माल लदान पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान हासिल लदान की तुलना में 4.40 मिलियन टन अधिक था। चालू वर्ष के दौरान जनवरी तक उड़ीसा में

उर्वरकों का लदान 3.68 मिलियन टन था, जबकि वर्ष 2005–06 के दौरान यह लदान 3.56 मिलियन टन था।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र में नांदेड़-यवतमाल-वर्धा रेल लाइन

466. श्री हरिभाऊ राठौड़ : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को महाराष्ट्र में नांदेड़–यवतमाल–वर्धा रेल लाइन के निर्माण के लिए विभिन्न संगठनों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) जी, हां। वर्धा–यवतमाल–नांदेड लाइन के निर्माण के बाद इस क्षेत्र की जनता से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है जिसके तहत इस 270 कि.मी. लंबी लाइन के निर्माण की लागत 581.01 करोड़ रु. आंकी गई है जिस पर (–)2.68% की ऋणात्मक प्रतिफल की दर आ रही है। महाराष्ट्र राज्य सरकार से परियोजना की लागत में 50% भागीदारी करने के लिए अनुरोध किया गया है।

खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्र

467. श्री बाडिगा रामकृष्णा : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में स्थापित खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन केंद्रों में अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों तथा महिला उद्यमियों के लिए कोई विशेष प्रावधान किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य में वर्षवार और उद्यमियों को प्रशिक्षण दिया गया/"हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस" दिए गए?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने संबंधी स्कीम के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में निम्नलिखित खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण केन्द्रों को उनके आवेदनपत्रों के आधार पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है। मंत्रालय अपने उद्देश्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और महिला उद्यमियों को प्राथमिकता देता है, इसलिए अनुमोदन के लिए उक्त बात को ध्यान में रखकर प्रस्तावों को अनुमोदित किया जाता है।

क्रम सं.	इकाई का नाम	स्वीकृत की गई राशि और तारीख
1.	विजया वालेन्टेरि आर्गनाइजेशन, डा. रामा रेड्डी कॉम्पलेक्स, जिला महबूबनगर, आंध्र प्रदेश	2.00 लाख रु. दिनांक 3.12.98
2.	–तदैव–	1.00 लाख, दिनांक 13.2.2000
3.	तिरूमला साईं सोसायटी, गांधी नगर, हैदराबाद	2.00 लाख, दिनांक 14.9.1999
4.	–तदैव–	0.30 लाख, दिनांक 30.3.2001
5.	संतोष एजुकेशन सोसाइटी, विद्यानगर करीमनगर, आंध्र प्रदेश	7.50 लाख, दिनांक 13.1.2000
6.	एट यूअर सर्विस, जिला महबूबनगर, आंध्र प्रदेश	2.00 लाख, दिनांक 7.3.2000
7.	रूरल इंटिग्रेटेड एंड सोशल एजुकेशन सोसाइट, डियरका नगर, अनंतपुर, आंध्र प्रदेश	1.785 लाख, दिनांक 31.3.2006

(घ) 450 से अधिक उद्यमियों को इन खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से प्रशिक्षित किया/व्यवहारिक अनुभव दिया गया है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए रेलवे की अप्रयुक्त भूमि दिया जाना

468. श्री रामदास आवठले : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे द्वारा देश के विभिन्न रेलवे जोनों के अंतर्गत खाली और अप्रयुक्त रेलवे भूमि को अनुसूचित जातियों और जनजातियों के गरीब व्यक्तियों को पट्टे के आधार पर देने के लिए कुछ प्रभावी कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

केरोसिन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क

469. श्री जी. करूणाकर रेड्डी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में केरोसिन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में आमूल–चूल परिवर्तन करने की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से आपूर्ति किए जाने वाले केरोसिन के अन्यत्र उपयोग को नियंत्रित करने में कितनी सहायता मिलेगी; और

(घ) पीडीएस केरोसिन के अन्यत्र उपयोग को रोकने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है और इसमें कितनी सफलता मिली है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली वाले मिट्टी तेल और पेट्रोल/डीज़ल के बीच उच्च मूल्य अंतर तथा इन उत्पादों के पेट्रोल/डीज़ल में आसनी से घुल जाने के कारण कुछ बेईमान तत्वों द्वारा मिट्टी तेल की कालाबाजारी की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। पीडीएस मिट्टी तेल के विपथन को नियंत्रित करना एक सतत् प्रक्रिया है और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय समय–समय पर मिलावट को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों की पुनरीक्षा करता रहा है। लक्षित लाभार्थियों के लिए राजसहायता प्राप्त पीडीएस मिट्टी तेल के वितरण को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(i) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी डी एस) मिट्टी तेल की कालाबाजारी को रोकने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने अनिवार्य वस्तु अधि–नियम, 1955 के तहत जारी मिट्टी तेल (प्रयोग पर प्रतिबंध और उच्चतम मूल्य का निर्धारण) आदेश, 1993 के द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर पी डी एस मिट्टी तेल नहीं बेच सकते हैं और पी डी एस मिट्टी तेल डीलरों को भण्डार के स्थान सहित व्यापार के ध्यानाकर्षी स्थान पर बोर्ड पर स्टाक एवं मूल्य लिखकर अवश्य दर्शाना चाहिए।

(ii) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली मिट्टी तेल नेटवर्क का आमूल चूल सुधार करने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना का अनुमोदन किया है। यह अत्यधिक रियायती उत्पाद वास्तव में अभीष्ट लाभार्थियों को रियायती मूल्यों पर वांछित मात्राओं में उपलब्ध कराया जाए और द्वितीयतः इस प्रकार मिलावट के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली मिट्टी तेल के विपथन को नियंत्रित, कम और अंततः समाप्त किया जा सके। इस योजना की मुख्य विशेषता यह है कि उप थोक केन्द्रों को आपूर्तियां सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों की प्रत्यक्ष निगरानी और उत्तरदायित्व के अंतर्गत दी जाएंगी। यह योजना 2 अक्तूबर, 2005 से देश में 412 ब्लॉकों में प्रायोगिक आधार पर शुरू की गई है। प्रायोगिक योजना को 30.06.2007 तक आगे बढ़ाया गया है।

(iii) रियायती मिट्टी तेल का विपथन/चोरी को रोकने के मद्देनजर और पेट्रोलियम उत्पादों का परिवहन करने वाले टैंक ट्रकों के संचलन की निगरानी करने हेतु सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 31.3.2007 तक सभी टैंक ट्रकों पर वैश्विक अवस्थिति प्रणाली (जीपीएस) आधारित वाहन ट्रैकिंग प्रणाली स्थापित करने का परामर्श दिया है। इस प्रणाली की अनिवार्य विशेषता यह है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली एस के ओ को ले जाने वाले वाहन पर एक उपकरण लगा होता और इससे आपूर्ति स्थान से जाने और गन्तव्य तक पहुंचने तक इसका वास्तविक समय आधार पर पता लगाया जा सकता है।

(iv) वाहन ईंधनों में मिलावट रोकने के लिए सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज़) को विभिन्न उपाय करने को कहा है जिसमें अपमिश्रकों में मार्कर प्रणाली आरंभ करना सम्मिलित है। ओएमसीज़ ने 1.10.2006 से अखिल भारत आधार पर मिट्टी तेल में मार्कर प्रणाली आरंभ कर दी है। नई प्रणाली के अंतर्गत सभी डिपुओं में मिट्टी तेल में मार्कर डाला जा रहा है। यह प्रणाली संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला में परिवहन ईंधनों में मिलावट नियंत्रित करने और अंततः समाप्त करने के लिए विश्व स्तर की प्रौद्योगिकी का आरंभ किए जाने की द्योतक है। मार्कर की उपस्थिति से मिट्टी तेल में बहुत थोड़ी मिलावट का भी पता लगाया जा सकता है। मिलावट रोकने के लिए मिट्टी तेल में मार्कर प्रणाली आरंभ करने के संबंध में प्रावधान बनाने के लिए एमएस/एचएसडी नियंत्रण आदेश, 2005, मिट्टी तेल नियंत्रण आदेश, 1993 तथा एमडीजी 2005 को संशोधित किया गया है। मार्कर प्रणाली की प्रगति की निगरानी हेतु मंत्रालय द्वारा एक समिति का गठन किया गया है। साथ ही साथ निजी क्षेत्र में तेल विपणन कंपनियों से भी मिट्टी तेल में मार्कर आरंभ करने के लिए कहा गया है, जैसा कि सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसीज़ द्वारा किया जा रहा है।

[हिन्दी]

भारतीय शांति सेना

470. प्रो. महादेवराव शिवनकर : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत दो वर्षों के दौरान शांति मिशन पर विदेश भेजी गई भारतीय शांति सेना के सैनिकों की संख्या में वृद्धि की है

(ख) यदि हां, तो आज तक कितने देशों को उक्त भारतीय सैनिक भेजे गए हैं;

(ग) उक्त प्रत्येक मिशन पर उनकी तैनाती के लिए कितनी अवधि निर्धारित की गई है;

(घ) क्या सरकार ने शांति मिशनों के दौरान मारे गए सैनिकों की संख्या का कोई आकलन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान मिशन में कितने सैनिक हताहत हुए?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने आज तक 30 से भी अधिक देशों में 43 संयुक्त राष्ट्र (यू एन) शांति संक्रियाओं में भाग लिया है।

(ग) संयुक्त राष्ट्र मिशनों में कार्मिकों की तैनाती की अवधि छह मास से एक वर्ष तक की होती है।

(घ) आज तक विभिन्न संयुक्त राष्ट्र शांति संक्रियाओं में भारतीय रक्षा बलों के 113 कार्मिक मारे गए हैं।

(ङ) इन संक्रियाओं में जनवरी, 2004 से भारतीय सेना के कार्मिक 10 घातक रूप से तथा 30 गैर–घातक रूप से हताहत हुए।

[अनुवाद]

तेल की खोज के लिए तुर्कमेनिस्तान के साथ समझौता

471. श्री अधीर चौधरी :
श्री निखिल कुमार :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) और मित्तल एनर्जी लिमिटेड ने तुर्कमेनिस्तान में तेल ब्लॉकों के लिए किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समझौते से क्या लाभ प्राप्त होने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार अन्य देशों में भी तेल ब्लॉक प्राप्त करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) देश की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल), जो ऑयल एंड नेचुरल गेस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है और साथ ही साथ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल), ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) तथा गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) जैसी अन्य राष्ट्रीय तेल कंपनियां विदेशी तेल इक्विटी अर्जन के साथ–साथ मध्य एशिया, सी आई एस, अफ्रीका लतीनी, अमरीका तथा आस्ट्रेलिया के अभिज्ञात देशों में तेल व गैस अन्वेक्षण रकबों तथा उत्पादन–योग्य आस्तियों के अर्जन हेतु एकल रूप से अथवा संयुक्त उद्यम के रूप में प्रस्तावों का अनुशीलन कर रही हैं।

मुंबई उपनगरीय रेल की क्षमता में वृद्धि

472. श्री वसुदेव आचार्य : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने मुंबई उपनगरीय रेल की क्षमता में वृद्धि की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां।

(ख) योजना आयोग ने मुंबई शहरी परिवहन परियोजना (एमयूटीपी) के चरण–II की संस्तुति कर दी है। यह आशा की जाती है कि एम यू टी पी का चरण–I और चरण–II उपनगरीय गाड़ियों को लंबी दूरी की गाड़ियों से पूर्ण रूप से पृथक कर देगा और इससे उपनगरीय रेल क्षमता में 56% की वृद्धि होगी। एमयूटीपी चरण–II के मुख्य घटक 5वीं और 6ठी लाइन छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई–कुर्ला, 5वीं और 6ठी लाइन थाणे–दिवा, 6ठी लाइन बोरीवली–मुंबई सेंट्रल, हारबर लाइन का अंधेरी से गोरेगांव तक विस्तार, डीसी से एसी में परिवर्तन (सीएसटीएम–थाणे खंड), इलेक्ट्रिकल मल्टिपल यूनिट का प्रापण और विनिर्माण, ईएमयू के लिए अनुरक्षण सुविधाएं और ईएमयू के लिए स्टेबलिंग लाइनें हैं।

(ग) एमयूटीपी चरण–II का प्रस्ताव विचाराधीन है। बजट भाषण 2007–08 में, यह घोषणा की गई है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में 5000 करोड़ रु. की लागत से चरण–II का कार्य शुरू किए जाने

का प्रस्ताव है और इसका वित्तपोषण रेलवे, राज्य सरकार और बहुपक्षीय वित्तपोषण संसाधनों की सहभागिता से किया जाएगा।

रेलों में कुल्हड़ और खादी का उपयोग

473. श्री सुव्रत बोस :
श्री टेकलाल महतो :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में कुल्हड़ और खादी के उपयोग को अनिवार्य किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त आदेश कब से लागू हुआ है और कौन-कौन से रेलवे जोनों में यह आदेश लागू हुआ है;

(ग) क्या इस आदेश में कोई छूट दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) रेलवे में कुल्हड़ और खादी के उपयोग की वर्तमान स्थिति क्या है;

(च) वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान जोन-वार कितने कुल्हड़ और खादी की खरीद की गई और इस पर कितना खर्च हुआ; और

(छ) रेलवे द्वारा आवश्यकता के अनुसार कुल्हड़ और खादी की उपलब्धता और रेलवे में इनके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) 2004 में, सभी क्षेत्रीय रेलों और भारतीय रेल खान-पान एवं पर्यटन निगम (आई आर सी टी सी) को भारतीय रेल पर कुल्हड़ और खादी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं।

(ग) और (घ) यह अनुदेश भी जारी किए गए हैं कि प्लास्टिक की मदों अर्थात् पाउच, कप आदि का उपयोग कम से कम किया जाए और आईसक्रीम निर्माता कंपनियों से बात की जाए कि वे आईसक्रीम तथा अपने अन्य उत्पादों को बायोडिग्रेडेबल कपों या अन्य बेहतर संभावित विकल्प में ही सप्लाई करें जो कि पर्यावरण अनुकूल हों। एसी सवारी डिब्बों में प्रयोग किए जाने वाले पर्दे के कपड़े के मामलों में छूट दी गई है क्योंकि वे अग्नि रोधक प्रकार के हैं।

(ङ) रेलों पर कुल्हड़ और खादी का उपयोग किया जा रहा है।

(च) क्षेत्रीय रेलों से सूचना इकट्ठी की जा रही है।

(छ) खादी और कुल्हड़ की खरीद के लिए सभी क्षेत्रीय रेलें अनुदेशों का अनुपालन कर रही हैं।

[हिन्दी]

एल.एन.जी. का आयात

474. श्री मो. ताहिर :
श्री बालेश्वर यादव :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाइपलाइन परियोजनाओं की विभिन्न बाधाओं को देखते हुए सरकार विदेशों से तरलीकृत प्राकृतिक गैस के सीधे आयात पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में किन्हीं समझौतों पर अन्य देशों के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं अथवा किए जाने हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश-वार वहां से कुल कितनी मात्रा का आयात किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (घ) देश में प्राकृतिक गैस की विद्यमान कमी और बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए, सरकार तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) के आयात का भी अनुशीलन कर रही है।

पेट्रोनेट एलएनजी लि. (पीएलएल) ने 25 वर्षों की अवधि के लिए 7.5 एमएमटीपीए एलएनजी के आयात हेतु रासगैस क़तर के साथ संविदा पर हस्ताक्षर किए हैं। रासगैस कतर से ही 5 एमएमटीपीए एलएनजी की आपूर्ति कर रही है और बकाया 2.5 एमएमटीपीए एलएनजी की आपूर्ति 2009 के मध्य से प्रारंभ होगी।

गेल, आईओसी तथा बीपीसीएल ने 13 जून, 2005 को 5 एमएमटीपीए एलएनजी के आयात के लिए नेशनल ईरानियन गैस एक्सपोर्ट कंपनी (एनआईजीईसी) के साथ संविदाओं पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके 2009 से आरंभ होने का कार्यक्रम है। इसके साथ-साथ पक्षकारों ने एलएनजी एसपीए के लिए एक पार्श्व पत्र भी हस्ताक्षर किए हैं, जिसके अनुसार एनआईजीईसी ने अपनी मूल कंपनी नेशनल ईरानियन गैस एक्सपोर्ट कंपनी (एनआईजीईसी) से एसपीए को प्रभावी बनाने का अनुमोदन प्राप्त करना था। एनआईजीईसी ने एनआईओसी के बोर्ड से अब तक अनुमोदन प्राप्त नहीं किया है।

पीएलएल कोच्चि में 5 एमएमटीपीए के विस्तार के प्रावधानों के साथ 2.5 एमएमटीपीए का एलएनजी टर्मिनल स्थापित कर रही है। पीएलएल कोच्चि एलएनजी टर्मिनल के लिए गोरगोन, ऑस्ट्रेलिया में एलएनजी परियोजना से 2.5 एमएमटीपीए एलएनजी के आयात के लिए एक्सन मोबिल के साथ वार्ता की अंतिम अवस्था में है।

गेल और पीएलएल दाभोल एलएनजी टर्मिनल के लिए, वर्ष 2009 के बाद से दीर्घकालीन आधार पर एलएनजी के आयात के लिए, एलएनजी के विभिन्न संभावित आपूर्तिकर्ताओं के साथ विचार–विमर्श कर रहे हैं।

पीएलएल और मैसर्स शैल हज़ीरा एलएनजी प्रा. लि. भी हाज़िर बाज़ार से कुछ खेपों का आयात कर रहे हैं।

[अनुवाद]

विमान पत्तनों का उन्नयन

475. श्री अमिताभ नन्दी :
श्री पी.एस. गढ़वी :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश के विभिन्न विमानपत्तनों में सुधार करने और उनको उन्नत बनाने पर कई करोड़ों रुपए खर्च कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्रत्येक विमानपत्तनों पर चालू वर्ष के दौरान अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी हां।

(ख) वर्तमान वर्ष के दौरान एयरपोर्टों के लिए अब तक किए गए व्यय (रुपए करोड़ों में) की राशि नीचे दिए गए अनुसार है :–

जयपुर – 9.3, जोधपुर – 10.63, खुजराहो – 0.70, कुल्लु – 2.46, लखनऊ – 2.16, पठानकोट – 0.29, श्रीनगर – 20.05, अमृतसर – 7.21, एवं उदयपुर – 18.14, गया – 3.08, अगरतल्ला – 0.46, डिब्रूगढ़ – 17.19, गुवाहाटी – 0.35 एवं सिल्चर – 5.36, अहमदाबाद – 12.15, औरंगाबाद – 0.62, बेलगांव – 3.92, गोंडिया – 12.40, नागपुर – 6.85, पोरबंदर – 2.39, पुणे – 8.52, रायपुर – 6.18, एवं बड़ोदरा – 0.62 पश्चिम क्षेत्र में सूरत – 12.30, अगाती – 1.00, बंगलौर – 5.43, कालीकट – 28.82, कोयम्बतूर – 3.77, हुबली – 1.90, हैदराबाद – 2.96, मदुरै – 4.98, मंगलौर – 6.41, मैसूर – 0.07, त्रिची – 9.15, विशाखापत्तनम – 41.43, चेन्नै – 51.23, कोलकाता – 21.94 एवं त्रिवेन्द्रम के लिए क्रमशः 2.32

कोल बेड मिथेन की खोज

476. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर :
श्री मधुसूदन मिस्त्री :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ने 2004 में गुजरात को दिए कोल बेड मिथेन (सीबीएम) ब्लाक में ड्रिलिंग क्रियाकलाप आरंभ करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गुजरात सरकार ने खोज और उत्पादन कार्य को शीघ्रातिशीघ्र आरंभ करने के उद्देश्य से इस ब्लॉक में तीसरे भागीदार को शामिल करने का सुझाव केन्द्र सरकार को दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) जी हां। गुजरात राज्य में कोल बेड मिथेन (सीबीएम) ब्लॉक नामतः बीएस (3) सीबीएम–2003/II, ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन तथा गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कार्पोरेशन (ओएनजीसी तथा जीएसपीसी) परिसंघ को सौंपा गया है। ओएनजीसी ने एक उच्च क्षमता प्राप्त रिग भाड़े पर लिया है और अगस्त, 2006 से सीबीएम कूपों का वेधन कार्य शुरू कर दिया है। अब तक, ओएनजीसी ने तीन कोर होल तथा एक अन्वेषी कूप का वेधन किया है।

(ग) और (घ) उत्पादन हिस्सेदारी संविदा के निबंधनों और शर्तों के अनुसार ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि तीसरे पक्षकार को शामिल करने के लिए प्रचालक पर जोर डाला जाए।

[हिन्दी]

जैव-डीजल का उत्पादन

477. श्री पी.के. दुम्बर : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में कितना जैव–डीजल का उत्पादन हुआ;

(ख) क्या जैव–डीजल किफायती और प्रदूषण मुक्त है;

(ग) जैव–डीजल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(घ) क्या जैव–डीजल के उत्पादन का भी विरोध हो रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) जैव ईंधन उद्योग, विकास की शैशव अवस्था में है। ग्रामीण विकास मंत्रालय जैव–ईंधन के उत्पादन के लिए जैव ईंधन के राष्ट्रीय मिशन के लिए नोडल मंत्रालय है।

(ख) जैव ईंधन की उत्पादन लागत डीजल की उत्पादन लागत से लगभग 50% अधिक है। तथापि जैव ईंधन द्वारा उत्पन्न सी ओ, भिन्नतम सामग्री और हाइड्रोकार्बन उत्सर्जन डीजल की तुलना में बहुत कम हैं।

(ग) देश में वायोडीजल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अक्टूबर, 2005 में 1.1.2006 से प्रभावी बायो–डीजल खरीद नीति की घोषणा की। नीति में पूरे देश में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनियों (ओएमसीज) के 20 खरीद केन्द्रों की पहचान की गई है। ओएमसीज भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करने वाला बायो–डीजल उन बायो–डीजल विनिर्माताओं से खरीदेंगी जो एक विनिर्दिष्ट सुपुर्द मूल्य पर तकनीकी विनिर्देशों को पूरा करने के बाद उनके यहां पंजीकरण करवाते हैं। अनुभूत आवश्यकता और तैयारी के आधार पर ओएमसीज और अधिक खरीद केन्द्र खोल सकती हैं।

बायो–डीजल के राष्ट्रीय मिशन पर एक विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट (डीपीआर) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा योजना आयोग को भेजी गई है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ, बायो–डीजल के विनिर्माण के लिए 4 लाख हैक्टेयर बंजर वन और गैर वन भूमि में जटरोफा के रोपण से संबंधित एक प्रदर्शन योजना परिकल्पित है। योजना आयोग ने प्रदर्शन चरण पर डीपीआर को "सैद्धान्तिक" अनुमोदन प्रदान कर दिया है, जिस पर 5 वर्ष की अवधि में 1286 करोड़ रुपए लागत आने का अनुमान है।

(घ) यह सरकार की जानकारी में नहीं आया है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कृषि खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना

478. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार राज्यों में केन्द्र सरकार, एनडीडीबी (राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की सफल इकाई) और राज्य सरकार के संयुक्त उद्यम से कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (ग) सरकार खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता और अन्य प्रोत्साहन देती है। लेकिन सरकार प्रसंस्कृत खाद्य वस्तुओ के उत्पादन आदि के लिए स्वयं खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना नहीं करती है। तथापि, सरकार ने देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/प्रौद्योगिकी उन्नयन/आधुनिकीकरण संबंधी एक योजन स्कीम कार्यान्वित की है। इस स्कीम के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/आधुनिकीकरण/स्थापना के लिए खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को सामान्य क्षेत्रों में संयंत्र और मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत के 25% की दर से अधिकतम 50 लाख रुपये अथवा जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप और एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम क्षेत्र जैसे दुर्गम क्षेत्रों में 33.33% की दर से अधिकतम 75 लाख रुपये की वित्तीय सहायता, सहायता अनुदान के रूप में दी जाती है। बागवानी विकास प्रौद्योगिकी मिशन के मिनी मिशन–IV के तहत, दुर्गम और उच्च बागवानी संभावना वाले क्षेत्रों में बागवानी उपज के प्रसंस्करण हेतु इससे भी बढ़ी हुई दरों पर यानी संयंत्र और मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत के 50% की दर से सहायता उपलब्ध है जिसकी अधिकतम सीमा 4.00 करोड़ रुपये है।

गैस पाइपलाइन नेटवर्क के लिए गेल-ओएनजीसी का संयुक्त उद्यम

479. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री सुग्रीव सिंह :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गेल (इंडिया) लिमिटेड और तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) ने गैस के पारेषण और विपणन के लिए पाइपलाइन नेटवर्क बिछाने के लिए कोई संयुक्त उद्यम बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उपरोक्त संयुक्त उद्यम में कितना निवेश किया जाएगा; और

(घ) देश में गैस अवसंरचना के विकास के लिए सरकारी क्षेत्र के तेल उपक्रमों द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (ग) जी नहीं। तथापि, गेल और ओएनजीसी ने केजी और महानदी बेसिनों में संभावित गैस खोज के दोहन के संबंध में गैस पाइपलाइन नेटवर्क बिछाने तथा उसके प्रचालन के लिए एक संयुक्त उद्यम स्थापित करने हेतु एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) के मसौदे को अंतिम रूप दिया है।

(घ) गेल देश में विभिन्न उपभोक्ताओं को प्राकृतिक गैस के परिवहन हेतु लगभग 130 एमएमएससीएमडी की क्षमता के साथ 5600

किलोमीटर से अधिक पाइपलाइनों का प्रचालन कर रही है। गेल दहेज–उरण पाइपलाइन, दाभोल–पनवेल पाइपलाइन तथा जगोटी–पीतमपुर पाइपलाइन परियोजना का भी कार्यान्वयन कर रही है।

[हिन्दी]

नासिक में विमानपत्तन का निर्माण

480. श्री देविदास पिंगले : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नासिक में विमानपत्तन के निर्माण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस विमानपत्तन के निमाण कार्य के लिए अनुमोदन कब तक दिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

मिट्टी तेल की खपत

481. श्री हंसराज गं. अहीर :

श्रीमती रूपाताई डी. पाटील :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में प्रतिवर्ष मिट्टी तेल की खपत में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान मिट्टी तेल की खपत का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने मिट्टी तेल की खपत में प्रतिवर्ष होने वाली वृद्धि के कारणों का कोई आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो राज्य–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों के लिए मिट्टी तेल की खपत के ब्यौरे निम्नानुसार है :

(हजार मीट्रिक टन में) (टीएमटीज)

	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
खपत	10230	9395	9541	7040

(ग) से (ङ) भारत सरकार, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा आगे पात्र उपभोक्ताओं को वितरित करने के लिए, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को मिट्टी तेल का आबंटन सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत तिमाही आधार पर करती है, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2000 में अपनाई गई नीति के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत वितरण के लिए मिट्टी तेल (एसकेओ) को आबंटन प्रतिवर्ष कम किया गया जिसकी शुरूआत 2001–02 से की गई तथा 2003–04 तक यह कटौती जारी रही। यह कटौती प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र में जारी किए गए एलपीजी कनेक्शनों की संख्या को ध्यान में रखते हुए की गई। जबकि वर्ष 2004–05 के लिए शुरूआती आबंटन अब तक अपनाई गई नीति के अनुसार किया गया, अतिरिक्त आबंटन, तात्कालिक आकस्मिक मांग की पूर्ति करने हेतु वर्ष के दौरान किए गए।

वर्ष 2005–06 के लिए आबंटन वर्ष 2004–05 के स्तर पर रखा गया जिसमें उस वर्ष के दौरान किया गया आबंटन सम्मिलित है। वर्ष 2006–07 के लिए आबंटन वर्ष 2005–06 के समकक्ष रखे गए हैं।

वर्तमान में भारत के मिट्टी तेल की घरेलू खपत मिट्टी तेल के घरेलू उत्पादन से अधिक है। मिट्टी तेल के घरेलू उत्पादन में हो रही कमी को तेल विपणन कंपनियों द्वारा आयातों के माध्यम से पूरा किया जाता है।

[अनुवाद]

क्रूज पर्यटन

482. श्री कीर्ति वर्धन सिंह :
श्रीमती निवेदिता माने :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में क्रूज पर्यटन के विकास की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ क्षेत्रों की पहचान कर ली गई है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस नीति को सभी तरह से मंजूरी दे दी है; और

(च) यदि हां, तो यह कब तक लागू हो जाएगी?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (च) पर्यटन मंत्रालय, जहाजरानी मंत्रालय के साथ मिलकर घरेलू तथा विदेशी दोनों प्रकार के पर्यटकों के लिए देश में क्रूज पर्यटन का संवर्धन कर रहा है। क्रूज शिपिंग नीति तैयार करने के लिए जहाजरानी मंत्री की अध्यक्षता और पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री की सह–अध्यक्षता में

एक उच्चस्तरीय स्टीयरिंग ग्रुप का गठन किया गया है। क्रूज पर्यटन उत्पादों के संवर्धन एवं विकास के लिए स्टीयरिंग ग्रुप ने सुगम आप्रवास एवं कस्टम क्लीयरेंस, बंदरगाहों का उन्नयन, अवसंरचनात्मक सुविधाएं, बंदरगाहों तक संपर्क, करों को युक्तिसंगत बनाने और तट यात्रा में रियायत देने से संबंधित मामलों के लिए नीतिगत उपायों की सिफारिश की है। पर्यटन मंत्रालय ने पहले ही निम्नलिखित क्रूज सेवाओं के संचालन हेतु क्लीयरेंस दे रखा है :–

(क) मेसर्स स्टार क्रूजेज को अपने क्रूज के संचालन के लिए मुंबई और गोवा से लक्षद्वीप तक।

(ख) मेसर्स इंडिया ओशन क्रूज लि. को अपने क्रूज के संचालन के लिए मंगलोर, कोचीन और त्रिवेन्द्रम के रास्ते गोवा से लक्षद्वीप तक।

[हिन्दी]

अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए धनराशि

483. डा. चिन्ता मोहन :
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या **अल्पसंख्यक मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए एक कोष की स्थापना का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस कोष से धन को खर्च करने के लिए कोई मार्गनिर्देश सिद्धांत तैयार किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल

484. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का 4 फरवरी, 2007 को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस मिसाइल परीक्षण में हासिल सफलता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जमीन से जमीन पर मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल को प्रचालन के लिए शामिल कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (घ) नौसेना और सेना के लिए ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एकीकृत प्रयोक्ता संरूपण के जलयान और सड़क चल लांचरों से श्रृंखलाबद्ध व क्रमिक रूप से सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किए गए हैं। इस प्रणाली को भारतीय नौसेना में शामिल किया जा चुका है और इन्हें कई नौसेना जलयानों पर स्थापित किया जा रहा है। भारतीय सेना ने सतह से सतह पर मार करने वाले रूपांतर के उत्पादन के लिए आर्डर कर दिए हैं और इस प्रणाली के प्रथम भाग को प्रचालनात्मक प्रयोग के लिए वर्ष 2007 के बाद के महीनों में शामिल किया जाएगा। इस मिसाइल प्रणाली की अग्रिम प्रचालनात्मक क्षमताओं का मूल्यांकन करने के लिए आगे और परीक्षण किए जा रहे हैं। हाल में 4 फरवरी, 2007 को किया गया उड़ान परीक्षण ऐसे प्रयासों का एक भाग है और यह शस्त्र–काम्पलेक्स के सेना प्रयोक्ता संरूपण को सिद्ध करने के लिए भी है। इस मिसाइल प्रणाली के उच्च कार्यनिष्पादन के कारण इसके निर्यात की संभावनाएं काफी अधिक हैं।

सैन्य बलों द्वारा फर्जी मुठभेड़

485. श्री असादूद्दीन ओवेसी :
श्री सुखदेव सिंह ढींडसा :
श्री गुरुदास दासगुप्त :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में फर्जी मुठभेड़ में सैन्यबलों की संलिप्तता बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने मामले सामने आए;

(ग) क्या सरकार ने राज्य में फर्जी मुठभेड़ों के बारे में जम्मू और कश्मीर सरकार के अनुरोध पर एक उच्चस्तरीय समिति गठित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) ऐसी फर्जी मुठभेड़ों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जाने वाले कदम क्या हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) और (ख) किसी भी बात से ऐसा नहीं लगता कि जम्मू–कश्मीर में फर्जी मुठभेड़ों में सशस्त्र सेनाओं क संलिप्तता है। हाल ही में कथित फर्जी मुठभेड़ों के छह मामलों की सूचना मिली थी। इनमें से पांच मामले वर्ष 2006 और एक वर्ष 2007 का है।

(ग) और (घ) इन आरोपों की जांच करने के लिए जम्मू–कश्मीर सरकार ने एक विशेष जांच दल गठित किया है। एक न्यायिक जांच कराए जाने की भी घोषणा की गई है।

(ङ) जम्मू–कश्मीर में आतंकवादियों से निपटने के लिए तैनात सुरक्षा बलों को स्पष्ट निदेश दिए गए हैं कि वे अपनी ड्यूटियों के निर्वाह के दौरान मानवाधिकारों का सम्मान करें। मानवाधिकार के कथित उल्लंघन के बताए गए प्रत्येक मामले की शीघ्रता से जांच की जाती है और जो दोषी पाए जाते हैं उन्हें कड़ा दंड दिया जाता है।

आरपीएफ का नवीकरण और सुदृढ़ीकरण

486. श्री भर्तृहरि महताब : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे के पास रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के नवीकरण और सुदृढ़ीकरण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में उठाए गए/उठाए जाने वाले कदम क्या हैं;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(घ) उपरोक्त कार्यक्रम को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां।

(ख) रेल सुरक्षा बल वॉकी–टॉकी, हैंड हैल्ड मेटल डिटेक्टरों, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टरों, बुलेट प्रूफ जैकेटों, बुलेट प्रूफ हेलमेटों, ड्रेगन सर्च लाइटों, क्लोज सर्किट टेलीविजनों तथा कैमरों आदि से सज्जित हैं।

अधिक संख्या में खोजी कुत्तों को सेवा में लगाया जा रहा है। बम डिटेक्शन तथा डिस्पोजल दस्तों का सृजन किया जा रहा है। इन रिक्तियों को भरने के लिए प्राथमिकता के आधार पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। जनशक्ति सृजन के बारे में भी विचार किया जा रहा है।

(ग) निर्माण कार्यक्रम, मशीन एवं संयंत्र (एम एंड पी) शीर्ष, यात्री सुविधा शीर्ष आदि जैसे उपयुक्त लेखा शीर्षों से सुरक्षा उपस्करों की खरीद तथा रेल सुरक्षा बल के आधुनिकीकरण/सुदृढ़ीकरण के लिए धनराशि उपलब्ध कराई जाती है।

(घ) यह एक सतत प्रक्रिया है। बहरहाल, इस प्रक्रिया को तेजी प्रदान करने के लिए विशेष बल दिया जा रहा है।

रेलगाड़ियों में सुविधाएं

487. श्री जुएल ओराम :
श्री कीरेन रिजीजू :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को रेलगाड़ियों में विशेषकर लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में यात्रियों को प्रदान की जा रही घटिया यात्री सुविधाओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने और रेलवे स्टेशनों पर पर्याप्त स्वच्छता के लिए रेलवे ने कौन–सी योजनाएं तैयार की हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अभिकल्प मानकों और निर्धारित मानदण्डों के अनुसार डिब्बों में यात्री सुख–सुविधा मुहैया कराई जाती है और उसका उचित रख–रखाव और कार्यनिष्पादन सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं। सवारी डिब्बों में उपलब्ध सुविधाओं में सुधार लाने और उनको बेहतर करना एक प्रमुख कार्य है और इसमें सुधार करना सतत् प्रक्रिया है। स्टेशनों में साफ–सफाई केरु स्तर में सुधार लाने की दृष्टि से कई कदम उठाए गए हैं जिनमें मशीनों द्वारा साफ–सफाई पर बल देना, धुलनीय एप्रनों की व्यवस्था करना, अतिरिक्त कचरा डिब्बे, कूड़े की नियमित सफाई कीटाणुनाशक दवाइयों का छिड़काव, नालियों की मरम्मत, प्रसाधनों के 'भुगतान करो और उपयोग करों' योजनाओं को शुरू करना आदि शामिल है।

भ्रष्टाचार में वरिष्ठ अधिकारियों की लिप्तता

488. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा बलों के कई वरिष्ठ अधिकारी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने अधिकारी भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं;

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान कितने वरिष्ठ अधिकारी इन आरोपों में दोषी पाए गए और इनमें से प्रत्येक को क्या दंड दिया गया; और

(घ) रक्षा बलों में भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (ग) रक्षा बलों में भ्रष्टाचार के आरापों का सामना करने वाले वरिष्ठ अधिकारियों की सूची तथा ऐसे मामलों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) भारतीय सशस्त्र सेनाएं उनके अपने–अपने अधिनियमों, नामतः सेना अधिनियम, नौसेना अधिनियम तथा वायुसेना अधिनियम द्वारा अधिशासित होती हैं। भ्रष्ट कार्यों में लिप्त होने वाले सेना कार्मिकों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के लिए इन अधिनियमों में समुचित

उपबंध हैं। इसके अलावा, एक सुस्पष्ट अधिप्राप्ति प्रक्रिया है जिसमें जांच तथा नियंत्रण अंतर्निहित हैं। रक्षा सौदों/खरीदों में उच्च स्तर की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने सभी अधिप्राप्ति/खरीद संबंधी बड़े निर्णयों (75 करोड़ रुपये तथा उससे अधिक) की नियंत्रक–महालेखा परीक्षक और जहां आवश्यक हो, केन्द्रीय सतर्कता आयोग से अनिवार्य तथा समयबद्ध जांच कराने हेतु केन्द्रीय सर्तकता आयोग से परामर्श करके आदेश जारी किए हैं। जहां कहीं सरकार को किसी मामले विशेष के बारे में कोई आशंका होती है, उसे तुरन्त केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेज दिया जाता है।

विवरण

क्र.सं.	नाम	अनियमितताएं	दंड
1	2	3	4
1.	लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) एस. के. साहनी		इस अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही शुरू की गई थी। जनरल अफसर ने जांच अदालत और
		सूखे राशन की अधिप्राप्ति में अनियमितताएं	अनुशासनिक कार्रवाई के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की थी। रिट याचिका का निपटारा इस निदेश के साथ किया गया कि अनुशासनिक कार्रवाई कानून की प्रक्रिया के अनुसार की जाए।
2.	मेजर जनरल बी. पी. एस. मंदर		मामला उपर्युक्त क्रम 1 से जुड़ा है।
3.	ब्रिगेडियर एस.के. हांडा		मामला उपर्युक्त क्रम 1 से जुड़ा है।
4	ब्रिगेडियर पी.एस. गिल		मामला उपर्युक्त क्रम 1 से जुड़ा है।
5.	मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) के.टी.जी. नंबियार	वित्तीय और अन्य अनियमितताएं	पेंशन के लिए पिछली सेवा के तीन वर्षों की हानि और कठोर धिग्दंड दिया गया।
6	मेजर जनरल राणा गोस्वामी	वित्तीय और अन्य अनियमितताएं	मध्य कमान के जनरल अफसर कमान प्रमुख द्वारा कड़ा अप्रसाद (रिकार्ड करने योग्य) दिया गया।
7.	श्री जी.आई. सिंह मुलतानी (पूर्व मेजर जनरल)		सकलंक पदच्युति और 1 वर्ष का कठोर कारावास दिया गया।
8.	ब्रिगेडियर डी.एस. ग्रेवाल	वित्तीय और अन्य अनियमितताएं	मामला उपर्युक्त क्रम 7 से जुड़ा है।
9.	बिग्रेडियर जी. इलांगोवन		मामला उपर्युक्त क्रम 7 से जुड़ा है।
10.	बिग्रेडियर राजीव दिवेकर		मामला उपर्युक्त क्रम 7 से जुड़ा है।
11.	बिग्रेडियर आर.एस. राणा		मामला उपर्युक्त क्रम 7 से जुड़ा है।
12.	श्री पी.एस.के. चौधरी (पूर्व मेजर जनरल)	अवैध परितोषण (तहलका प्रकरण)	संकलक पदच्युति और 1 वर्ष का कठोर कारावास दिया गया।
13.	श्री इकबाल सिंह (पूर्व ब्रिगेडियर)	अवैध परितोषण (तहलका प्रकरण)	संकलक पदच्युति और 2 वर्ष का कठोर कारावास दिया गया।

1	2	3	4
14.	मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) एल.के. चोपड़ा	सूचना प्रौद्योगिकी उपस्करों की खरीद में अनियमितताएं।	माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने सेवानिवृत्त जनरल अफसर द्वारा दायर की गई रिट याचिका पर कार्यवाही करते हुए स्थगन मंजूर किया है।
15.	ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) वी.के. आनंद	निजी प्रयोग के लिए सेना कार्मिकों का दुरुपयोग और अधीनस्थ अधिकारियों से अनुग्रह प्राप्त करना।	माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने सेवानिवृत्त जनरल अफसर द्वारा दायर की गई रिट याचिका पर कार्यवाही करते हुए स्थगन मंजूर किया है।
16.	लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. दहिया	जमे हुए मांस की संविदा के संचालन में अनियमितताएं।	उत्तरी कमान के जनरल अफसर कमान प्रमुख द्वारा जनरल अफसर की रिकार्ड करने योग्य परिनिंदा की गई है।
17.	श्री आर.पी. सिंह (पूर्व ब्रिगेडियर)	कैंटीन निधि खाते में वित्तीय अनियमितताएं और सिविल में शराब की अवैध बिक्री।	इस अफसर को 9 माह की कड़ी कैद दी गई है और संकलक पदच्युत किया गया है।
18.	कमांडर (एस.डी.एम.ई.) सी. एस. सिंह	जाली चालान बनाने और अफसर के रूप में अशोभनीय व्यवहार करने के लिए एक लोक सेवक के रूप में अपनी हैसियत का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया है।	इस अफसर को (क) नौसेना की सेवा से बर्खास्त किए जाने के लिए 6 कैलेंडर माह की कड़ी सजा काटने, (ख) कमांडर के रैंक में 24 कैलेंडर माह की वरिष्ठता का समपहरण करने, (ग) 62,500/–रु. का जुर्माना अदा करने और (घ) परिणामी शास्तियां लगाए जाने की सजा सुनाई गई है।
19.	कमोडोर एन.एम.एम. पंडित	इस अफसर पर जाली सरकारी दस्तावेज बनाने, जाली घोषणाएं करने, जानबूझकर कपटपूर्ण विवरण देने, सरकारी सेवक के रूप में अपनी हैसियत का दुरुपयोग करने, और आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक आर्थिक संसाधन रखने और अफसर के रूप में अशोभनीय व्यवहार करने के आरोप लगाए गए हैं।	इस अफसर को (क) 18 कैलेंडर माह की कड़ी सजा काटने, (ख) नौसेना की सेवा से बर्खास्तगी (ग) कैप्टन के मूल रैंक में 36 कैलेंडर माह की वरिष्ठता का समपहरण करने, (घ) तीन लाख रु. का जुर्माना अदा करने और (ङ) अंतर्ग्रस्त परिणामी शास्तियां लगाए जाने की सजा सुनाई गई है।
20.	लेफ्टिनेंट कमांडर (एम.डी.ए.ई.) एम. पी. वर्मा	इस अफसर पर अफसर के रूप में अशोभनीय व्यवहार करने, सरकारी सेवक के रूप में अपनी हैसियत का दुरुपयोग करने और आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक आर्थिक संसाधन रखने के आरोप लगाए गए हैं।	इस अफसर को (क) 12 कैलेंडर माह की साधारण सजा काटने, (ख) नौसेना की सेवा से बर्खास्तगी (ग) 6,91,700/–रु. का जुर्माना अदा करने और (घ) परिणामी शास्तियां लगाए जाने की सजा सुनाई गई है। (सजा पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्थगन दिया है।)

1	2	3	4
21.	कमांडर ए.जी. गांधी (50702–एफ)	इस अफसर पर अफसर के रूप में अशोभनीय व्यवहार करने और जानबूझकर कपटपूर्ण विवरण देने का आरोप लगाया गया है;	इस अफसर को (क) नौसेना की सेवा से बर्खास्तगी (ख) कमांडर के मूल रैंक में 12 कैलेंडर माह की वरिष्ठता का समपहरण करने, (ग) 7870/– रु. का जुर्माना अदा करने और (घ) अंतर्ग्रस्त परिणामी शास्तियां लगाए जाने की सजा सुनाई गई है।
22.	कैप्टन आई.एस. संधू	इस अफसर पर अफसर के रूप में अशोभनीय व्यवहार करने, उन विक्रेताओं से आर्थिक लाभ लेने की मांग करने का आरोप लगाया गया है जिनके साथ वे अपने कार्यालय में सरकारी संव्यवहार करते थे।	इस अफसर को (क) कैप्टन के मूल रैंक में 6 कैलेंडर माह की वरिष्ठता का समपहरण (ख) कड़ी परिनिंदा किए जाने और अन्य परिणामी शास्तियां लगाए जाने की सजा सुनाई गई है।
23.	कमांडर अजय गुप्ता (40457–वाई)	अफसर के रूप में अशोभनीय व्यवहार करने के लिए नौसेना अधिनियम 1957 की धारा 54 (2) के तहत चार आरोप लगाए गए हैं।	नौसेना की सेवा से बर्खास्त किया जाएगा और परिणामी शास्तियां लगाई जाएंगी।
24.	कैप्टन (टी.एस.) देवता कुमार मिश्रा	जाली सरकारी दस्तावेज बनाने और मिथ्या घोषणा करने का आरोप लगाया गया है।	रैंक में 4 कैलेंडर माह की वरिष्ठता का समपहरण किया जाएगा।
25.	ग्रुप कैप्टन शमशेर सिंह	ए.एफ.एस., सिंहारसी में एक सिविलियन सरकारी सेवक के पुत्र का सिविलियन कुक के रूप में चयन करने के लिए उससे 1,45,000/–रु. की राशि आहरण करना।	जनरल सेना न्यायालय की कार्यवाही 6 नवंबर, 2006 को पूरी हो गई थी और उन्हें दोषी पाया गया था तथा निम्नलिखित दंड दिया गया :– (क) पदोन्नति के लिए सेवा के 7 वर्षों का समपहरण। (ख) वर्धित वेतन के लिए सेवा के 5 वर्षों का समपहरण। (ग) कड़ी परिनिंदा

[हिन्दी]

भारत-ईरान गैस पाइपलाइन परियोजना

489. श्री शिशुपाल एन. पटले :

श्री जय प्रकाश (मोहनलाल गंज) :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ईरान और पाकिस्तान के साथ गैस पाइपलाइन परियोजना संबंधी समझौते को पुनः क्रियान्वित करने में सफल हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त समझौते की परिणति में एक ब्रिटिश एजेंसी के सुझाव का तीन देशों में अनुपालन किया गया;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ईरान द्वारा भारत को बेची जाने वाली प्राकृतिक गैस की कीमतों पर कोई समझौता हो गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) भारत–ईरान गैस परियोजना की मौजूदा स्थिति क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (घ) तीन देशों के बीच ईरान–पाकिस्तान–भारत (आईपीआई) गैस पाइपलाइन परियोजना की चौथी त्रिपक्षीय संयुक्त कार्रवाई दल बैठक 24–25 जनवरी, 2007 को तेहरान, ईरान में आयोजित की गई। बैठक के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय सलाहाकार मैसर्स गैफनी क्लाइन एंड एसोसिएट्स द्वारा भारत–पाकिस्तान सीमा में गैस मूल्य पर भेजी गई रिपोर्ट पर चर्चाएं आयोजित की गई। ईरान–पाकिस्तान सीमा पर गैस के मूल्य निर्धारण के बारे में गैस मूल्य निर्धारण सूत्र पर ईरान और पाकिस्तान पक्ष में संबंधित सरकारों से अनुमोदन के अधीन सहमति हुई। भारतीय पक्ष चार सप्ताहों की अवधि में मूल्य निर्धारण सूत्र का जवाब देने पर सहमत हो गया।

बाद में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तान से गुजरने वाली आईपीआई पाइपलाइन के मार्ग से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 22–23 फरवरी, 2007 को पाकिस्तान के साथ चौथी द्विपक्षीय कार्य समूह बैठक में भाग लिया। ईरान ने प्रेक्षक के रूप में बैठक में भाग लिया। पाकिस्तान से गैस के रास्ते के लिए परिवहन प्रशुल्क और मार्गस्थ शुल्क से संबंधित मुद्दों पर अन्य मुद्दों के साथ–साथ चर्चा की गई।

[अनुवाद]

निजी विमान कंपनियों द्वारा आई.ए. टर्मिनल का उपयोग

490. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार और अधिक निजी विमान कंपनियों को अनुमति देने का है जिससे कि वे आईजीआई विमानपत्तनों के आई. ए. टर्मिनल का उपयोग कर सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) निजी विमान कंपनियों को इसका उपयोग करने देने के क्या कारण हैं; और

(घ) इससे यात्रियों को किस सीमा तक सहायता मिलेगी?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) टर्मिनल–I बी में यातायात क्षमता से अधिक हो गया है जिसके परिणामस्वरूप यहां भारी भीड़–भाड़ हो गई है जबकि टर्मिनल–I ए का पूरा उपयोग नहीं हो रहा है। टर्मिनल Iबी से एक या अधिक एयरलाइनों को टर्मिनल–Iए में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है ताकि दोनों टर्मिनलों का इष्टतम उपयोग किया जा सके। इससे यात्रियों को काफी लाभ प्राप्त होगा।

फर्जी सैन्य वारंट

491. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सैन्यबल इस बात को लेकर अब आहत हुए हैं कि इसमें कोई एक ऐसा गिरोह है जो रेल टिकटों को पाने के लिए फर्जी सैन्य वारंटों का उपयोग करता है जैसाकि दिनांक 9 दिसंबर, 2006 के "टाइम्स ऑफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस बारे में कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ङ) दोषी पाए गए व्यक्यिों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (ङ) रेलवे प्राधिकारियों द्वारा एक ऐसे मामले की रिपोर्ट की गई है जिसमें टिकट चैकिंग दल ने 4 अगस्त, 2006 को ग्वालियर और निजामुद्दीन के बीच 2779 अप गोवा एक्सप्रेस में पांच व्यक्तियों (एक सैन्य कार्मिक और चार सिविलियन) को पकड़ा था। ऐसा प्रतीत होता है कि जिन वारंटों पर ये व्यक्ति यात्रा कर रहे थे, सैन्य अस्पताल, मेरठ द्वारा जारी किए गए थे। रेलवे प्राधिकारियों द्वारा दिनांक 04.08.2006 को एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी जिसका नंबर 87 था।

विमान/हेलीकाप्टरों की दुर्घटनाएं

492. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी :
श्री के. सी. पल्लानी शामी :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले छह महीनों के दौरान कितनी विमान और हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं हुईं;

(ख) इसके फलस्वरूप कितनी जान–माल की हानि हुई;

(ग) विमानों/हेलीकाप्टरों की बार–बार दुर्घटनाओं के क्या कारण हैं; और

(घ) इन दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) गत छः माह (01 अगस्त, 2006 से 23 फरवरी, 2007 तक) के दौरान रक्षा सेनाओं के कुल सात विमान तथा चार हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं।

(ख) इन दुर्घटनाओं में छः पायलट/सेना कार्मिक मारे गए। इनमें सिविल जीवन का कोई नुकसान नहीं हुआ। इनमें से एक दुर्घटना

में 86,309 रुपए की सिविल संपत्ति का नुकसान हुआ था। दिनांक 24.01.2007 को हुई एक अन्य दुर्घटना में विमान एक जोत भूमि में गिर गया था जिससे फसल का नुकसान हुआ था।

(ग) रक्षा सेनाओं की विमान दुर्घटनाओं के कारण मानवीय चूक तथा तकनीकी खराबी रहा है। तथापि, दुर्घटना के प्रत्येक कारण की जांच की जाती है तथा समुचित उपचारात्मक कदम उठाए जाते हैं।

(घ) उड़ान सुरक्षा में वृद्धि करने तथा इसका उन्नयन करने हेतु रक्षा सेनाओं में एक सतत् तथा बहुआयामी प्रयास सदैव जारी रहता है। कौशल स्तर में सुधार करने, सही निर्णय की योग्यता तथा पायलटों की स्थितिजन्य जागरूकता में सुधार लाने के लिए प्रशिक्षण गुणता में वृद्धि के उपाय किए जाते हैं। विमान की तकनीकी खराबी पर काबू पाने के लिए मूल उपस्कर विनिर्माताओं, दोनों स्वदेशी तथा विदेशी के साथ सतत् सहक्रियात्मक तालमेल बनाए रखा जाता है। इसके अलावा, पक्षीरोधी उपाय भी किए जाते हैं।

रेलवे द्वारा खुदरा विक्रेताओं को पट्टे पर भूमि देना

493. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार अपने राजस्व में वृद्धि करने के लिए खुदरा विक्रेताओं को भूमि पट्टे पर देकर सरकारी–निजी भागीदारी उद्यम के माध्यम से खुदरा बैण्ड वैगन में शामिल होने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में निजी क्षेत्र के साथ कोई वार्ता की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) राष्ट्रीय खुदरा केन्द्रों की स्थापना के लिए पहचान किए गए स्थलों/रेलवे स्टेशनों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) रेलवे स्टेशन तथा उसके आस–पास की भूमि में कृषि से संबंधित कारोबार स्थापित करने की क्षमता है और इससे कृषकों को थोक विक्रेताओं को माल सीधे बेचने में आसानी होगी।

(ख) जी हां।

(ग) अभी तक जो भी बातचीत हुई है वह केवल विषयात्मक प्रवृत्ति की है।

(घ) स्थलों/रेलवे स्टेशनों के नामों की अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.30 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

डा. शफीकुर्रहमान बर्क (मुरादाबाद) : अध्यक्ष जी, माननीय मुलायम सिंह के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी ...*(व्यवधान)* सीबीआई सरकार के हाथों में खेल रही है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपका कोई नोटिस नहीं है, कोई सूचना नहीं है।

[अनुवाद]

आइए कुछ काम निपटा लें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको सुनूंगा, आप सीट पर जाइये।

[अनुवाद]

मैं ऐसे कैसे खड़ा होकर कुछ भी कर सकता हूं?

अब सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र लिए जाएंगे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप सीट पर जाइये, यह ठीक नहीं है। आप अपनी सीट पर जाइये, हम आपको मौका देंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात सुनूंगा।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.01 बजे

(इस समय डा. शफीकुर्रहमान बर्क और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभापटल के निकट खड़े हो गए।)

अपराह्न 2.02 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री ए.आर. अंतुले – उपस्थित नहीं।

श्रीमती अम्बिका सोनी – उपस्थित नहीं।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : मैं, श्री प्रफुल पटेल की ओर से निम्नलिखित पत्रों को सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) वायुयान (संशोधन) नियम, 2006 जो 29 मार्च, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 181(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(दो) वायुयान (भवनों तथा पेड़ों आदि द्वारा उत्पन्न बाधाओं को हटाना) संशोधन नियम, 2006 जो 25 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 314 (अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5806/07]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) एयर इंडिया लिमिटेड और इसकी अनुषंगी कंपनियां, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एयर इंडिया लिमिटेड और इसकी अनुषंगी कंपनियां, नई दिल्ली का वर्ष 2005–2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5807/07]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : मैं निम्नलिखित के बीच हुए उत्पादन शेयरिंग संविदा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) ब्लॉक केजी–डीडब्ल्यूएन–98–3 के रूप में पहचान किए गए संविदा क्षेत्र के संबंध में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और निको रिसोर्सेज लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच।

(2) ब्लॉक एनइसी–ओएसएन–97–2 के पहचान किए गए संविदा क्षेत्र के संबंध में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और निको रिसोर्सेज लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 5808/07]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी अपनी सीटों पर जाइए। मैं आपकी बात नहीं सुन सकता।

...(व्यवधान)

अपराह्न 2.02½ बजे

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति

25वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री चरणजीत सिंह अटवाल (फिल्लौर) : मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का 25वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 2.03 बजे

मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति

187वें प्रतिवेदन से 190वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

प्रो. बसुदेव बर्मन (मथुरापुर) : मैं मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(1) स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की अनुदानों की मांगों 2006–2007 (मांग सं. 55) के बारे में 173वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी समिति का 187वां प्रतिवेदन;

(2) उच्चतर शिक्षा विभाग की अनुदानों की मांगों 2006–2007 (मांग सं. 56) के बारे में 174वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी समिति का 188वां प्रतिवेदन;

(3) महिला और बाल विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 2006–2007 (मांग सं. 57) के बारे में 175वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी समिति का 189वां प्रतिवेदन; और

(4) युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 2006–2007 (मांग सं. 104) के बारे में 176वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी समिति का 190वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 2.03¼ बजे

कार्य मंत्रणा समिति

33वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का तेंतीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 2.03½ बजे

समितियों के लिए निर्वाचन

(एक) प्राक्कलन समिति

[अनुवाद]

श्री के.एस. राव (एलूरू) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 311 के उप नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 2007 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2008 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से तीस सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 311 के उप नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 2007 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2008 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से तीस सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.04 बजे

(दो) लोक लेखा समिति

[अनुवाद]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 309 के उप नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 2007 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2008 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से पंद्रह सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 309 के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 2007 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2008 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से पंद्रह सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपको बोलने का समय दिया जाएगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यहां से हम आपकी बात नहीं सुन सकते हैं। आप कृपया अपनी सीट पर चले जाएं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 1 मई, 2007 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2008 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयोजित करने के लिए राज्य सभा के सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 1 मई, 2007 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2008 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयोजित करने के लिए राजसभा के सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.04¼ बजे

(तीन) सरकारी उपक्रमों संबंधी

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल (हुगली) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि इस सभा के सदस्य लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 312ख के उप नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 2007 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2008 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से पंद्रह सदस्य निर्वाचित करे।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 312 ख के उप नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 2007 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2008 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से पंद्रह सदस्य निर्वाचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रूपचंद पाल : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 1 मई, 2007 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2008 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के साथ सहयोजित करने के लिए राज्य सभा के सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 1 मई, 2007 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2008 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के साथ सहयोजित करने के लिए राज्य सभा के सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वरिष्ठ नेतागण यहां बैठे हुए हैं। वे कृपया उन सदस्यों, जो अध्यक्ष के आसन के समीप आ गए हैं, को अपने-अपने स्थान पर वापस जाने के लिए करे।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी सीटों पर चले जाएं। यहां से हम आपकी बात नहीं सुन सकते हैं।

...(व्यवधान)

अपराह्न 2.05 बजे

(चार) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य (करीमगंज) : मैं प्रस्ताव करता हूं:-

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 331ख के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 2007 के आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2008 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से बीस सदस्य निर्वाचित करे।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 331ख के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 2007 के आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2008 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से बीस सदस्य निर्वाचित करे।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 1 मई, 2007 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2008 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के साथ सहयोजित करने के लिए राज्यसभा के दस सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हों तथा राज्य सभा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 1 मई, 2007 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2008 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के साथ सहयोजित करने के लिए राज्यसभा के दस सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हों तथा राज्य सभा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.05½ बजे

[अनुवाद]

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : महोदय, मुझे खेद है कि जब मेरा नाम पुकारा गया था तब मैं अनुपस्थित थी। मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) (एक) साऊथ सेन्ट्रल जोन कल्चरल सेन्टर, नागपुर के वर्ष 2004-05 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) साऊथ सेन्ट्रल जोन कल्चरल सेन्टर, नागपुर के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5803/07]

(3) (एक) नेशनल कल्चर फंड, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल कल्चर फंड, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5804/07]

(5) (एक) कलाक्षेत्र फाउंडेशन, चेन्नई के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) कलाक्षेत्र, फाउंडेशन, चेन्नई के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5805/07]

अपराह्न 2.06 बजे

सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित

(क) राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2007

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : महोदय, मैं श्री रामविलास पासवान की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 1998 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न है:

"कि राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 1998 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री विजय हान्डिक : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 2.06½ बजे

राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) अध्यादेश के बारे में विवरण*

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : महोदय, मैं श्री रामविलास पासवान की ओर से राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान

* भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-2, दिनांक 1.03.2007 में प्रकाशित।
* सभापटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया, **देखिए** संख्या एल.टी. 5809/07

(संशोधन) अध्यादेश, 2007 (2007 का संख्यांक 2) द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारण दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 2.07 बजे

(दो) खेल प्रसारण सिगनल (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य हिस्सेदारी) विधेयक, 2007*

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रसार भारती के साथ खेल प्रसारण सिगनलों में अनिवार्य हिस्सेदारी के माध्यम से राष्ट्रीय महत्व के खेल आयोजनों की अधिकतम संख्या में श्रोताओं और दर्शकों की फ्री टू एयर आधार पर पहुंच का और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्रसार भारती के साथ खेल प्रसारण सिगनलों में अनिवार्य हिस्सेदारी के माध्यम से राष्ट्रीय महत्व के खेल आयोजनों की अधिकतम संख्या में श्रोताओं और दर्शकों की फ्री टू एयर आधार पर पहुंच का और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 2.07½ बजे

खेल प्रसारण सिग्नल (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य हिस्सेदारी) अध्यादेश के बारे में वक्तव्य*

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दास मुंशी) : महोदय, मैं खेल प्रसारण सिगनल (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य हिस्सेदारी अध्यादेश, 2007 (2007 का संख्यांक 4) द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारण दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 2.08 बजे

(तीन) राष्ट्रीय कर अधिकरण (संशोधन) विधेयक*, 2007

[अनुवाद]

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रीय कर अधिकरण अधिनियम, 2005 के संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि राष्ट्रीय कर अधिकरण अधिनियम, 2005 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री हंसराज भारद्वाज : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 2.09 बजे

राष्ट्रीय कर अधिकरण (संशोधन) अध्यादेश के बारे में वक्तव्य*

[अनुवाद]

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज) : महोदय, मैं राष्ट्रीय कर अधिकरण (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (2007 का संख्यांक 3) द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारण दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 2.10 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आज की कार्यसूची में शामिल नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा गया मान लिया जाए।

(एक) मदुरै को क्वालालमपुर और सिंगापुर के साथ हवाई संपर्क से जोड़ने की आवश्यकता

श्री एन.एस.वी. चित्तन (डिंडीगुल) : मंदिरों का शहर मदुरै जिसकी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत है वहां अब अंतर्राष्ट्रीय मानक के समकक्ष विश्वस्तरीय अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है।

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण भाग–II, खंड–2, दिनांक 01.03.2007 में प्रकाशित।
* सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया देखिए संख्या एल.टी. 5810/07

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–II, खंड–2 दिनांक 1.3.2007 में प्रकाशित।
** सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5811/07

*सभा पटल पर रखे गए माने गए।

तमिलनाडु सरकार मदुरै में एक आई.टी. पार्क और तिरुनेलवेली के समीप विशेष आर्थिक जोन विकसित कर रही है।

सेतु समुद्रम परियोजना का कार्य भी शीघ्र पूरा होन की उम्मीद है। एक बार इस परियोजना के पूरा हो जाने पर तुतीकोरिन में पूरे विश्व से जलयानों का आगमन होगा तथा पत्तन में यात्री और कार्गो ट्रैफिक की भीड़–भाड़ होगी।

यह देखा गया है कि मदुरै तुतीकोरिन पट्टी को अंतर्राष्ट्रीय हब के रूप में विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं जिससे विमान यातायात को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। तुतीकोरिन पत्तन न्यास तुतीकोरिन में क्रूज पर्यटन को विकसित कर रही है।

मदुरै और चेत्तिनाड की मलेशिया के साथ नृजातीय समानता। इन क्षेत्रों के लोग या ता मलेशिया में बस गए हैं या वहां व्यवसाय का कार्य कर रहे हैं। कई ऐसे परिवार हैं जो चेन्नई होते हुए मदुरै और कुआलालम्पुर के बीच यात्रा करते हैं। चेन्नई से कुआलालम्पुर और सिंगापुर तथा अन्य खाड़ी देशों के लिए सीट उपलब्ध न होने के कारण यातायात के अन्य वाहकों पर जाने की संभावना है।

वर्तमान में औसतन 30 से 35% अंतर्राष्ट्रीय यात्री मदुरै से यात्रा कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय यातायात के विकास की दर 11% से 15% है।

एक विश्लेषण के अनुसार मदुरै विमानपत्तन ने वर्ष 2005 के दौरान काल 77138 पैक्स अन्तर्राष्ट्रीय यातायात का परिवहन किया जो उसी अवधि के दौरान कोयम्बटूर के (13143 पैक्स), जयपुर (48252 पैक्स) और वाराणसी (35569 पैक्स) के अंतर्राष्ट्रीय यातायात से अधिक है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया और खाड़ी के देशों के बीच सप्ताह में तीन बार उड़ान की संभावनाएं हैं। इनके प्रचालन में विलंब से अन्य एयरलाइनों को मौका मिलेगा। एजेंट और यात्रियों की सोच के कारण इस चरण में इंडियन एयरलाइंस के बाजार में प्रवेश कर पाना कठिन होगा।

अतः मदुरै–बंगलौर कुआलालम्पुर, मदुरै–बंगलौर–सिंगापुर और चेन्नई तुतीकोरिन–मदुरै–चेन्नई के बीच हवाई संपर्क से पर्यटन, व्यापारिक संबंध रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि उपर्युक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए मदुरै विमान पत्तन पर अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवा उपलब्ध कराने के लिए शीघ्र कदम उठाएं।

(दो) दूरदर्शन केन्द्र, पोर्ट ब्लेयर से प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम के प्रसारण क्षेत्र में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : पोर्ट ब्लेयर में, केवल एक दूरदर्शन केन्द्र है और समस्त कार्यक्रम पोर्ट ब्लेयर तथा उसके आस–पास के लगभग 25 कि.मी. रेडियस के सीमित क्षेत्र में उपलब्ध हैं। इस प्रकार दूरदर्शन केन्द्र, पोर्ट ब्लेयर से प्रसारित किए जा रहे स्थानीय कार्यक्रम अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में रहने वाले अधिकतर लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं।

वर्तमान में, दूरदर्शन केन्द्र के पास पूरे अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के लिए 3 एलपीटी हैं (2 एलपीटी पोर्ट ब्लेयर में हैं और 1 एलपीटी कार निकोबार में है)। स्थानीय लोगों, दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित विभिन्न द्वीपसमूहों की जनजातीय परिषद ने अपने संबंधित क्षेत्रों में स्थानीय कार्यक्रमों के संबंध में निरंतर मांग की है। इस प्रकार, दूरदर्शन केन्द्र, पोर्ट ब्लेयर से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का कवरेज क्षेत्र बढ़ाए जाने की अविलम्ब आवश्यकता है। स्थानीय कार्यक्रमों का कवरेज क्षेत्र बढ़ाने के लिए सभी एलपीटी सैण्ड वी एल पी टी में ऑटोमैटिक स्विच ओवर सिस्टम आरंभ किए जाने की आवश्यकता है जैसा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल आदि जैसे अन्य राज्यों में किया गया है। इस उद्देश्य से दूरदर्शन केन्द्र, पोर्ट ब्लेयर में स्थित अर्थ स्टेशन फैसिलिटीज का भी उपयोग किया जा सकता है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, मैं केन्द्रीय सरकार से आग्रह करता हूं कि वह दूरवर्ती द्वीपसमूहों में रह रहे स्थानीय लोगों की चिरस्थायी आकांक्षाओं को पूरा करने पर विचार करे।

(तीन) वित्त आयोग द्वारा संसद सदस्यों के सुझावों को पर्याप्त महत्व दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री वी.के. दुग्मर (अमरेली) : महोदय, भारत सरकार समय–समय पर वित्त आयोग का गठन देश की अर्थव्यवस्था एवं वित्त व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु करती है, परंतु इस आयोग के गठन से लेकर कार्यों की चर्चा करने में केवल नौकरशाही, उद्योगपतियों एवं व्यापारी लोग भूमिका निभाते हैं। इसलिए वित्त आयोग के कार्यों में संसदों की राय ली जाए और जो कार्य जिस सांसद के क्षेत्र में हो रहे हैं, उससे संबंधित सांसद को अवगत करवाया जाए और राय भी ली जाए।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि वित्त आयोग के गठन एवं कार्यों के निष्पादन में सांसदों की राय ली जाए और आम आदमी के जीवन स्तर का अवलोकन भी किया जाए। साथ ही साथ मेरे संसदीय क्षेत्र अमरेली में 12वें वित्त आयोग द्वारा जो कार्य किये गये हैं, उसकी जानकारी उपलब्ध करवाई जाए।

(चार) पालनपुर शहर गुजरात से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के चौराहे पर एक ऊपरि पुल के निर्माण की आवश्यकता

श्री हरिसिंह चावड़ा (बनासकांठा) : अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र बनासकांठा के मुख्यालय पालनपुर शहर होकर राष्ट्रीय राजमार्ग

निकलता है। पालनपुर शहर के इन राष्ट्रीय राजमार्ग के चौराहों पर अत्यंत भीड़ होती है और आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं जिसमें कई जानें चली जाती हैं। इन राष्ट्रीय राजमार्गों के जो चौराहे हैं, उन्हीं पर ये दुर्घटनाएं होती हैं। ये चौराहे अत्यंत आबादी वाले भी हैं। इसके लिए डिशा पालनपुर के राजमार्ग एवं अहमदाबाद पालनपुर राजमार्ग, पालनपुर से बालाराम, पालनपुर से अम्बा जी राजमार्ग एवं पालनपुर से एगोला राजमार्ग पर पालनपुर शहर के जो चौराहे हैं, उन पर ऊपरि पुल बनाया जाना अति आवश्यक है जिससे दुर्घटना को रोका जा सके और यातायात को सुगम बनाया जा सके।

सदन के माध्यम से अनुरोध है कि उपरोक्त कार्यों को जनहित में अतिशीघ्रता पूर्वक क्रियान्वित किया जाये।

(पांच) आंध्र प्रदेश के गुंटूर और चिलकलूरपेट के बीच एक नया विमानपत्तन स्थापित करने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री रायापति सांबासिवा राव (गुंटूर) : महोदय, यदि लोग गुंटूर, कृष्णा, प्रकाशम और पश्चिम गोदावरी से विमान द्वारा हैदराबाद जाना चाहते हैं, तो उन्हें विजयवाड़ा स्थित गन्नवरम विमानपत्तन पहुंचने में दो घंटे का समय लग जाता है। हैदराबाद पहुंचने में और एक घंटे का समय लग जाता है। कुल मिलाकर गुंटूर से हैदराबाद जाने में तीन घंटे लग जाते हैं। दूसरी ओर, यदि सड़क मार्ग द्वारा गुंटूर से हैदराबाद जाना चाहते हैं, तो मुश्किल से चार घंटे का समय लगता है। समय की इस प्रकार बर्बादी से विमान यात्रियों को अत्यधिक असुविधा होती है।

इसके अलावा, 60 से 70 प्रतिशत यात्री जो विजयवाड़ा से विमान यात्रा करते हैं, गुंटूर के हैं जो तम्बाकू, कपास और मिर्ची के लिए प्रमुख व्यापारिक, वाणिज्यिक और निर्यात के केन्द्र हैं। क्रेता न केवल देश के सभी भागों से आते हैं बल्कि यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों से भी आते हैं। इस व्यापार और निर्यात केन्द्र का कारोबार हजारों करोड़ रुपए का है। गुंटूर को न केवल एक घरेलू बाजार के रूप में देखा जाता है बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र भी माना जाता है।

इन परिस्थितियों में, महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इस क्षेत्र की व्यापारिक संभावना पर विचार करते हुए गुंटूर और प्रकाशम जिलों के यात्रियों की सुविधा के लिए गुंटूर और चिलकालूरपेट के बीच एक नया विमानपत्तन बनाया जाए। वस्तुतः, विमानपत्तन के लिए भूमि आसानी से उपलब्ध है जिसका अधिग्रहण सरकार युद्ध स्तर पर नये विमानपत्तन का निर्माण आरंभ करने के लिए कर सकती है।

(छह) राजस्थान में लंबित रेलवे परियोजनाओं के लिए बजटीय आबंटन प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राम सिंह कस्वां (चुरू) : महोदय, रेवाड़ी–बीकानेर, सादुलपुर–हिसार, रतनगढ़–डेगाना, गंगानगर–जयपुर, रेलमार्ग के आमान परिवर्तन की मांग वर्षों से की जा रही है। रेवाड़ी से सादुलपुर व सादुलपुर से हिसार रेलमार्ग के आमान परिवर्तन की स्वीकृति 8 वर्ष पूर्व जारी की गई थी। लेकिन बजट के प्रावधान पूरा नहीं होने के कारण ये कार्य आज भी लम्बित हैं। आमान परिवर्तन में इस क्षेत्र की घोर उपेक्षा की गई है। इस सम्बन्ध में राजस्थान के सांसदों, सामाजिक व राजनीतिक संगठनों ने काफी ज्ञापन दिए हैं। माननीय रेल मंत्री महोदय से काफी बार व्यक्तिगत मिलकर इस संबंध में आमान परिवर्तन की मांग की गई है, लेकिन कोई सार्थक परिणाम नहीं निकले।

कृपया चालू बजट में रेवाड़ी से सादुलपुर व सादुलपुर से हिसार मार्ग के आमान परिवर्तन के लिए सम्पूर्ण राशि उपलब्ध करवाते हुए शेष बचे हुए भाग सादुलपुर से बीकानेर व रतनगढ़ से डेगाना के आमान परिवर्तन की स्वीकृति जारी कर राहत प्रदान करने की कृपा करें।

(सात) अफीम की खेती में लगे लोगों के हित के लिए एक व्यापक नीति बनाने की आवश्यकता

श्री श्रीचन्द कृपलानी (चित्तौड़गढ़) : महोदय, राजस्थान सहित मध्य प्रदेश एवं देश के अन्य राज्यों में अफीम उत्पादकों की स्थिति विगत दो वर्षों से आर्थिक एवं सामाजिक रूप से विषम बनती जा रही है। सरकार द्वारा देश के किसानों को आर्थिक विकास की गति में पूर्ण भागीदारी प्रदान करने की निरंतर की जा रही घोषणाएं एवं विभिन्न स्तरों पर की जा रही कार्य प्रणाली का असर सरकार की घोषणा एवं मंशा के अनुरूप नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में किसानों द्वारा ऋणों के बोझ से दबकर एवं कृषि उत्पादन की विभिन्न जिन्सों का लाभकारी मूल्य प्राप्त नहीं हो पाने के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में आत्महत्याओं की ओर प्रेषित हो रहे हैं, जिसे रोका जाना अतिआवश्यक है। वर्तमान में राजस्थान के झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बारां आदि जिलों के हजारों किसानों द्वारा अफीम उत्पादित कर अपनी आर्थिक स्थिति एवं सामाजिक स्तर बनाए हुए हैं, जिन्हें वर्तमान सरकार द्वारा गत दो वर्षों से निरंतर कृषि क्षेत्र अफीम के रकबे में कटौती एवं कृषि उत्पादकों की संख्या में कमी कर संभावित उत्पादन कम किया जा रहा है, जिससे किसानों को अफीम उत्पादन से पृथक उत्पादन की ओर जाने के लिए विवश होना पड़ रहा है।

अतः इस दृष्टि से मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से आग्रह है कि राजस्थान सहित देश के अन्य राज्यों के अफीम उत्पादकों के हितों

एवं वर्तमान अफीम भण्डारण की स्थिति सहित सभी राजनीतिक परिस्थितियों का विश्लेषण कर अफीम उत्पादन की नीति निर्धारण में क्षेत्रीय सांसदों एवं विधानसभा के सदस्यों सहित जन–प्रतिनिधियों की आम सहमति बनाकर अफीम नीति घोषित की जाए।

(आठ) महाराष्ट्र में शोलापुर रेलवे मंडल में लंबित रेलवे परियोजनाओं को पूरा करने और क्षेत्र में मानवरहित रेल समपार पर कर्मचारी उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख (शोलापुर) : महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र शोलापुर, जिसमें शोलापुर रेलवे डिवीजन, जो देश का सबसे पुराना रेलवे डिवीजन है, के अंतर्गत जेउर रेलवे स्टेशन और सोलापुर स्टेशन के पूना साइड के होम सिग्नल के पास फ्लाईओवर का निर्माण न किए जाने के कारण बड़ी कठिनाई हो रही है। इस डिवीजन के अंतर्गत लगभग 400 ऐसे रेलवे गेट हैं, जिन पर रेलवे का कोई कर्मचारी तैनात नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप आए दिन भयंकर रेल दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इन रेलवे गेट पर कम से कम रात्रि में रेलवे कर्मचारी तैनात किए जाने की आवश्यकता है।

विगत काफी समय से शोलापुर–पूना–शोलापुर इंटरसिटी रेलगाड़ी को दोनों तरफ से एक साथ प्रारम्भ किए जाने और शोलापुर–नागपुर के बीच वाया हैदराबाद होते हुए एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाए जाने तथा शोलापुर डिवीजन के अन्तर्गत भिगवन से सोलापुर के बीच दोहरी रेल लाईन बनाए जाने एवं सोलापुर से पूना के बीच रेलवे विद्युतीकरण किए जाने की मांग की जा रही है, किंतु अभी तक इस बारे में कोई कदम नहीं उठाए गए हैं।

देश में रेलवे के विभिन्न जोनों में विशेषकर, शोलापुर जोन में रेल मार्ग के अनुपात में गेंगमेन की तैनाती नहीं की गई है और इन गेंगमेन को विशेषकर रात्रि में ग्रामीण अंचलों में ड्यूटी पर आने जाने हेतु सुरक्षा एवं संचार संबंधी समुचित सुविधा भी उपलब्ध नहीं कराई जाती है, जिस कारण उनको आने–जाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इन कार्यों को वरीयता के आधार पर शीघ्र करवाए जाने हेतु आवश्यक कदम उठाने का कष्ट करें।

(नौ) नागपुर में उच्चतम न्यायालय की एक खंड पीठ स्थापित करने की आवश्यकता

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर) : महोदय, भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया है। दिल्ली स्थित उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपने दावों के निपटान हेतु देश के सभी राज्यों से लोग यहां आते हैं।

दिल्ली उत्तर भारत क्षेत्र में देश की राजधानी का शहर है। यहां पर उच्चतम न्यायालय में अपना न्याय पाने के लिए आने वाले मध्य भारत तथा दक्षिण भारत के लोगों को बहुत तकलीफ होती है। मध्य भारत के महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और दक्षिण भारत के कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी और अंडमान निकोबार से उच्चतम न्यायालय के लिए आने वालों को दिल्ली से अधिक दूरी तथा संपर्क सुविधा के अभाव से बेहद तकलीफ झेलनी पड़ती है। यह उनके लिए आर्थिक रूप से अधिक खर्चीला तथा समय की बर्बादी स्वरूप होता है। इस बात को देखते हुए मध्य भारत तथा दक्षिण भारत के विधिवेत्ताओं द्वारा भी उच्चतम न्यायालय की शाखा खोलने की मांग की गई है।

मध्य भारत तथा दक्षिण भारत के लोगों को दिल्ली आने–जाने में होने वाली तकलीफ तथा यहां के विधिवेत्तताओं की मांग को देखते हुए मध्य भारत स्थित नागपुर में उच्चतम न्यायालय की पीठ बनाया जाना सबके लिए सुविधाजनक हो सकता है। नागपुर देश के शून्य मिल (जीरो माइल) स्थित और सभी राज्यों से सड़क, रेल तथा हवाई सेवा के माध्यम से जुड़ा हुआ शहर है। मध्य भारत और दक्षिण भारत के लोगों के लिए यह सुविधाजनक होने से यहां के लोग इसका समुचित लाभ उठा सकते हैं। यह देखते हुए नागपुर में उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना तत्काल करने की आवश्यकता है।

(दस) छत्तीसगढ़ में रायपुर और आंध्र प्रदेश में विजयनगरम के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग-43 का निर्माण कार्य पूरा किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री परसुराम माझी (नवरंगपुर) : मैं राष्ट्रीय राजमार्ग–43 जो रायपुर (छत्तीसगढ़) और विजयनगरम (आंध्र प्रदेश) को जोड़ता है, की स्थिति के बारे में सरकार की जानकारी में लाना चाहता हूं, विशेषकर उड़ीसा राज्य के अंदर आने वाले राजमार्ग के भाग की अत्यंत ही खराब स्थिति में है। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग के मानदंडों के अनुसार सुधार लाए जाने की आवश्यकता है। पिछले पांच वर्षों से बोरिगुमा और कटपड़ के बीच राजमार्ग का कुछ सुधार कार्य चल रहा है। परंतु निर्माण कार्य की धीमी गति के कारण उड़ीसा और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में जन असंतोष व्याप्त है क्योंकि लोगों को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

अतः महोदय, मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह निर्माण कार्य की गुणवत्ता और उसमें हो रहे अनावश्यक विलम्ब से संबंधित मामले की जांच करें। जन असंतोष से बचने के लिए कार्य निष्पादन में शामिल लोगों की जवाबदेही तय करने के लिए आवश्यक कदम भी यथाशीघ्र उठाए जाएं।

(ग्यारह) पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर बांध के निकट दामोदर नदी की गाद हटाने के लिए कदम उठाये जाने की आवश्यकता

श्री सुनील खां (दुर्गापुर) : जल संसाधन विभाग संबंधी स्थायी समिति ने पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी पर दुर्गापुर बांध तथा फरक्का

जैसे अन्य पुल का पहले ही दौरा कर लिया है। वर्ष 1996 के बाद से मैं इस अत्यावश्यक मुद्दे को तीसरी बार उठा रहा हूं। हमनें वर्ष 1978 और 1995 में दामोदर नदी पर दुर्गापुर बांध के नजदीक अभूतपूर्व बाढ़ की स्थिति देखी थी। गांवों के धनों और खेतिहर भूमि पर और नदी में गाद और बालू जमा होने के परिणामस्वरूप पश्चिम बंगाल में बांकुरा जिले की मेझिया पंचायत समिति के जल्लनपुर, तेलेंदा–पूर्णिया–माना जैसे गांवों, बरोजा पंचायत समिति के अंतर्गत कुल्दिहा–पिंगरूई, माधवपुर, नपाड़ा, पखरना, ताजपुर, बड़ा–माना, माझेर माना, सीतारामपुर माना जैसे गांवों तथा सोनामुखी पंचायत समिति क्षेत्र के बेहारी–माना रूपई साह जैसे गांवों के दोनों तरफ की कृषि भूमि जलमग्न हो गई। वर्षा ऋतु में पर्याप्त जल रखने तथा अन्य मौसम में खरीफ फसल को जलापूर्ति करने की नदी की क्षमता समाप्त हो गई।

निकटवर्ती गांवों की कृषि भूमि को बाढ़ से बचाने के लिए दामोदर नदी और उसके आस–पास के क्षेत्रों की गाद हटाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, नदी की तरफ मेझिया–जल्लनपुर से नपाड़ा तक की सड़क को गांव से नदी तक की नाली की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ऊंचा किए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, नदी के किनारे की बोल्डर को व्यवस्थित किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि सड़क की अपेक्षा नदी की ऊंचाई अधिक है। अतः, सरकार से मेरा आग्रह है कि वह फरक्का बांध मरम्मत निधि से 23 करोड़ रुपये जिसका अन्यत्र उपयोग केन्द्रीय निधि से किसी अन्य शीर्ष में किया गया है, की निकासी के संबंध में कदम उठाए।

(बारह) उत्तर प्रदेश में हाल ही में आई वर्षा और ओलावृष्टि के कारण जिन किसानों की फसलें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, उन्हें विशेष वित्तीय पैकेज प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : इस माह में बारिश तथा अत्यधिक ओलावृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य में किसानों की फसलों का भारी नुकसान हुआ है। जहां एक ओर किसानों की फसल चौपट हुई है वहीं इस ओलावृष्टि की चपेट में भारी संख्या में पशुओं की भी मृत्यु हुई है जो किसानों की खेती के बाद सबसे अधिक आय का जरिया था। आगरा जनपद में यूं तो रबी की इस मौसम होने वाली समस्त फसल पर प्रभाव पड़ा है लेकिन जनपद की तहसील खेरागढ़ के जगनेर तथा सैंया ब्लॉक, आगरा सदर तहसील के बरौली अहीर तथा अकोला ब्लॉक एवं वाह में अत्यधिक ओलावृष्टि से किसानों की सरसों, गेहूं, चना और आलू की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। हजारों हेक्टेयर फसल बर्बादी से किसानों की रीढ़ की हड्डी टूट गई है। अत्यधिक ओले बरसने का आलम यह था मानो फसल पर बर्फ की चादर जम गई हो।

रबी की इस फसल से ही किसान अपने पूरे वर्ष का आर्थिक ताना–बाना बुनता है। इस तबाही के कारण उसके लिए सभी प्रकार के देयों का भुगतान करना एवं अपने परिवार का भरण–पोषण करना अत्यधिक मुश्किल हो गया है। यद्यपि फसलों की क्षति के आकलन की रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज दी गई है लेकिन जो इमदाद मिलेगी वह संभवत किसान की क्षतिपूर्ति की भरपाई प्रदेश सरकार किसी भी कीमत पर नहीं कर पाएगी। प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहे किसानों को अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है। वे भारत सरकार से मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश के अति ओलावृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्रदान करें।

(तेरह) समस्तीपुर जिला, बिहार में गंगा और बागमती नदियों द्वारा भूमि कटाव के कारण विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास की आवश्यकता

श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर) : महोदय, बिहार प्रांत के समस्तीपुर जिला अंतर्गत मोहनपुर प्रखंड के मोहिउद्दीनगर एवं मोहनपुर तथा कल्याणपुर प्रखंड में क्रमशः, गंगा नदी एवं बागमती नदी के कटाव से बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए हैं। इनकी जमीन, मकान एवं माल–जान इन नदियों के कटाव के कारण इनकी आगोश में आ गए। ये लोग किसी तरह दूसरे के मकानों में रहकर मजदूरी करके अपना जीवनयापन कर रहे हैं। इन लोगों के सामने भुखमरी की स्थिति है।

मैं केंद्र सरकार से मांग करना चाहूंगा कि इसका सर्वेक्षण कराकर लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था की जाए।

(चौदह) प्रायद्वीपीय नदियों को आपस में जोड़ने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री डी. वेणुगोपाल (तिरूपत्तूर) : दक्षिण क्षेत्र की प्रमुख नदी प्रणालियों में निरंतर जल प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए प्रायद्वीपीय नदियों को आपस में जोड़ने के कार्य को उपयुक्त पाया गया है। राष्ट्रीय शासन के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में यह व्यावहारिक परियोजना शामिल है। अंतर–राज्यीय जल विवाद और मौसम तथा मानसून की आकस्मिक स्थितियों से देश की जीवन–रेखा अर्थात् कृषि के विकास में समस्याएं खड़ी हो रही हैं। सिंचाई और पेयजल दोनों उद्देश्यों से जल उपलब्ध कराने से संबंधित अंतिम समाधान ढूंढे जाने की आवश्यकता है। अतः, देश के दक्षिणी भागों में नदियों को जोड़ने के संबंध में गारलैंड कैनाल योजना या कोई अन्य उचित रूप से संशोधित परियोजना आरंभ किए जाने की नितांत जरूरत है। हाल ही में हुई राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में भी तमिलनाडु की मुख्यमंत्री ने 11वीं पंचवर्षीय योजना में इस परियोजना को शामिल किए जाने और इसका वित्तपोषण किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया था। अतः, मैं प्रधानमंत्री तथा केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री और योजना आयोग से आग्रह करता हूं कि वे प्रायद्वीपीय नदियों को आपस में जोड़ने के लिए संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाएं। मैं केन्द्रीय जल संसाधन तथा योजना आयोग मंत्री से यह आग्रह भी करता हूं कि वे तमिलनाडु की तटीय सुरक्षा, जो सुनामी के

पश्चात् आवश्यक हो गई है तथा जिस संबंध में तमिलनाडु सरकार द्वारा अनुरोध किया गया है, के लिए समुद्री क्षय–रोधी कार्यों को पूरा करने हेतु निधि के रूप में लगभग 7,000 करोड़ रुपए की राशि जारी करें।

(पन्द्रह) उड़ीसा में पूर्व तटीय रेलवे के खुर्दा रोड मंडल में रंडिया रेल समपार पर रेल उपरि पुल के निर्माण में तेजी लाने की आवश्यकता

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक) : उड़ीसा राज्य में पूर्व तटीय रेलवे के खुर्दा रोड मंडल में रंडिया रेल समपार पर एक रेल उपरिपुल का निर्माण किया जा रहा है। इसके निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2006–07 के लिए एक करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। लेकिन पुल के निर्माण कार्य की गति बहुत धीमी है। परिणामस्वरूप, उपर्युक्त पुल के पूरा होने का लक्ष्य, जो मूलतः वर्ष 2007–08 रखा गया था, समय पर प्राप्त कर लेने की संभावना कम है।

इसलिए, मैं रेल मंत्री से आग्रह करता हूं कि वे प्रशासन को पुल के निर्माण कार्य में तेजी लाने का निदेश दें ताकि निर्माण कार्य 2007–08 में समय पर पूरा हो सके।

(सोलह) कृषि कामगारों के हितों के संरक्षण की दृष्टि से उनके लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाने की आवश्यकता

श्री चेंगरा सुरेन्द्रन (अडूर) : भारत की बहुसंख्यक ग्रामीण जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। इसलिए देश में कृषि कामगारों की संख्या औद्योगिक कामगारों से अधिक है। भारत में कृषि कामगारों की सामाजिक हैसियत और जीवनयापन की स्थिति दयनीय है। इन दिनों उनको काम न मिलने, पर्याप्त मजदूरी न मिलने आदि के खतरों का भी सामना करना पड़ता है। वर्तमान में इस मजदूर वर्ग के हितों की रक्षा के लिए भारत में कोई समान कानून नहीं है।

इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि इस श्रमिक वर्ग के हित में देश में शीघ्र से शीघ्र कृषि कामगारों के लिए राष्ट्रीय नीति बनाई जाए।

(सत्रह) महाराष्ट्र के सतारा जिले में एक नया केन्द्रीय विद्यालय खोलने की आवश्यकता

श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील (कराड) : रक्षा कार्मिकों और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बच्चों को सुविधा प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र के सतारा जिले में एक नया केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की अत्यधिक आवश्यकता है।

सतारा जिले से रक्षा सेवाओं में अधिकतम भर्ती होती है इसलिए एक नया केन्द्रीय विद्यालय शुरू किए जाने की आवश्यकता है।

(अठारह) झारखंड से विधान सभा और लोक सभा में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों के संबंध में यथापूर्व स्थिति बनाए रखने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री हेमलाल मुर्मू (राजमहल) : श्रीमान्, जनगणना 2001 के आधार पर झारखंड राज्य के विधान सभा एवं लोक सभा के आरक्षित सीटों का परिसीमन के अंतर्गत क्रमशः 6 एवं 1 सीट का नुकसान हो रहा है जिसके कारण लाखों आदिवासियों के संबंध में आवाज उठाने वाले जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ने से वंचित हो जाएंगे। इस संबंध में झारखंड के सर्वदलीय दल के प्रतिनिधियों द्वारा माननीय प्रधानमंत्री, विधि मंत्री, गृह मंत्री आदि से मिलकर वर्तमान परिसीमन में सीटों की संख्या नहीं घटाने के लिए आग्रह किया गया है। झारखंड आदिवासी परिषद एवं झारखंड सरकार द्वारा भी आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटों में कमी नहीं करने का फैसला किया गया है और इस संबंध में व्यक्तिगत साक्षात्कार के द्वारा भारत सरकार को अवगत कराया गया है क्योंकि बिहार पुनर्गठन विधेयक, 2000 एवं झारखंड राज्य के प्रखंडों एवं जिले को अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत शासित करने एवं भिन्न कानूनों से आदिवासियों का कल्याण करने का उद्देश्य सीटों की संख्या में कमी नहीं करना था।

मेरा सरकार से आग्रह है कि झारखंड में लोक सभा एवं विधान सभा में आरक्षित सीटों की संख्या में कमी नहीं लाने के लिए कानून बनाया जाए।

(उन्नीस) ग्रीन हाऊस उत्सर्जनों के कारण मौसम में परिवर्तन से, जैसाकि संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट में बताया गया है, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन को बचाने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सनत कुमार मंडल (जयनगर) : मैं सरकार का ध्यान मौसम परिवर्तन के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ की ताजा रिपोर्ट की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जिसमें ग्रीन हाउस उत्सर्जनों में वृद्धि के परिणामस्वरूप पृथ्वी के और अधिक गर्म होने की संभावना व्यक्त करते हुए आने वाले समय में भारत के लिए कठिन दौर की भविष्यवाणी की गई है।

मौसम परिवर्तन संबंधी अंतर्राष्ट्रीय पैनल (आई पी सी सी) के चौथे मूल्यांकन प्रतिवेदन में पूर्वी तट पर समुद्र तल में उच्च वृद्धि, मानसून की अवधि के पश्चात् ज्यादा वृष्टि जिसके कारण फसल क्रम के प्रभावित होने और सूखा क्षेत्र में वृद्धि होने आदि के संबंध में भविष्यवाणियां की गई हैं। इसके अतिरिक्त, 500 अग्रणी लेखकों और वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की गई वैश्विक रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि शीघ्रतापूर्वक उपचारात्मक कदम नहीं उठाए गए तो भारत वैश्विक ग्रीन हाउस उत्सर्जनों में कार्बन डाईआक्साइड का भारी मात्रा में योगदान करने वाला राष्ट्र बन जाएगा। इस संबंध में भारतीय वैज्ञानिकों ने सुन्दरवन में विश्व के प्रथम आवासित द्वीप के डूब जाने और यदि समुद्र तल में वर्तमान दर से वृद्धि होती रही तो बहुत से अन्य द्वीपों का भी यही

हश्र होने की रिपोर्ट दी है और इसका रिकार्ड भी लिया है। भारतीय वैज्ञानिकों ने भी निचले स्तर वाले क्षेत्रों में डूब का अधिक प्रभाव होने की भविष्यवाणी की है।

सुन्दरवन इस ग्रह का सबसे बड़ा डेल्टा है जिसमें बड़े मैन्ग्रूव वन, विश्व प्रसिद्ध रायल बंगाल टाइगर राष्ट्रीय पार्क शामिल हैं जिसमें अनेक प्रकार के वन्य जीव रहते हैं और जहां विश्व भर से हजारों पर्यटक आते हैं। सुन्दरवन में लगभग 45 लाख लोग रहते हैं जिसमें आने वाले दशकों में कई गुणा वृद्धि हो जाएगी। तथापि, सुन्दरवन के डूबने के बारे में ऐसी भविष्यवाणियों को सरकार गंभीरतापूर्वक लेगी और इस पर विचार करेगी ताकि त्वरित उपचारात्मक कदम उठाए जा सके। इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह सुन्दरवन को बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाए।

(बीस) सामुदायिक सूचना केन्द्र (सी आई सी) के कार्यकरण की समीक्षा करने और 11वीं योजना में केन्द्रीय सहायता से उन्हें चालू रखना सुनिश्चित करने की आवश्यकता

डा. अरुण कुमार शर्मा (लखीमपुर) : उत्तर–पूर्व क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विशेष पहल के अंतर्गत संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रत्येक खंड में सामुदायिक सूचना केन्द्र (सी आई सी) स्थापित करने के लिए वर्ष 2002 में शुरू की गई विशेष स्कीम एक सराहनीय प्रयास था। इस स्कीम के अंतर्गत उत्तर पूर्व क्षेत्र के 487 खंड शामिल किए गए, जो कम्प्यूटर साक्षरता, जागरूकता के क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी सेवा प्रदान कर रहे हैं और ग्रामीण समुदायों, जिनमें से अधिकांश गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों से संबंधित हैं, को मूलभूत सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। यह तय किया गया था कि ये सामुदायिक सूचना केन्द्र वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य बन जाएंगे और मार्च, 2007 के पश्चात् सरकारी सहायता के बिना स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करेंगे। तथापि, जमीनी सच्चाई यह है कि अनियमित विद्युत आपूर्ति, तकनीकी सहायता, वी–सेट अनुरक्षण, कम्प्यूटर सामग्री की अपर्याप्तता तथा ग्रामीण क्षेत्रों में लाभान्वितों को अपर्याप्त अवसर और उनकी खराब स्थिति के कारण इनमें से कोई भी सामुदायिक सूचना केन्द्र आत्मनिर्भर नहीं बन सका।

दूसरी तरफ, राज्य सरकारें संसाधनों की कमी के कारण इन सामुदायिक सूचना केन्द्रों को सहायता देने में असमर्थ हैं। यह पता चला है कि केन्द्रीय सरकार से कोई सूचना न मिलने के कारण कुछ जिला प्राधिकरणों ने सामुदायिक सूचना केन्द्र पहले ही बंद कर दिए हैं और इनकी परिसम्पत्तियों को सौंप देने के आदेश दे दिए हैं। इसके परिणामस्वरूप 1000 से भी अधिक नौजवान, जिन्हें इन सामुदायिक सूचना केन्द्रों में काम मिला था और जिन्हें सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में काम करने का अवसर मिला, अब बेरोजगार हो जाएंगे और आतंकी संगठनों द्वारा उनका शोषण करने की संभावना पैदा हो जाएगी।

इसलिए मैं सरकार से और विशेष रूप से प्रधानमंत्री कार्यालय, योजना आयोग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से यह आग्रह करता हूं कि वे पूरे मामले की उचित रूप से समीक्षा करें और ग्यारहवीं योजना में केन्द्रीय सहायता से सामुदायिक सूचना केन्द्रों का जारी रहना सुनिश्चित करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। कृपया अपने–अपने स्थान पर चले जाएं। मैं आपको बोलने का समय दूंगा। यदि आप सब आसन के समीप आ जाएंगे तो मैं आपकी बात नहीं सुन पाऊंगा। कृपया अपने स्थानों पर चले जाएं।

...(व्यवधान)

अपराह्न 2.11 बजे

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

श्री नवीन जिन्दल को स्कीट शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई और भारतीय क्रिकेट टीम को विश्व कप 2007 के लिए शुभकामनाएं

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, जैसा कि आप जानते हैं हमारे एक युवा साथी श्री नवीन जिन्दल ने जयपुर में ओएसिस रेंज में फरवरी, 2007 में सम्पन्न पांचवीं सरदार सज्जन सिंह सेठी मेमोरियल शूटिंग प्रतिस्पर्धा में स्कीट शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता है। पूर्व में, उन्होंने जनवरी, 2007 में गुवाहाटी में आयोजित 33वें राष्ट्रीय खेलों में इसी स्पर्धा में रजत पदक जीता था।

मुझे विश्वास है कि सभा श्री नवीन जिन्दल को उनकी इस सराहनीय उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देने में मेरे साथ शामिल होगी।

श्री नवीन जिन्दल (कुरुक्षेत्र) : आप सबका धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, आप जानते हैं कि हमारी क्रिकेट टीम विश्व कप में भाग लेने के लिए कल वेस्टइंडीज जा रही है। आइए हमारी टीम को अपनी शुभकामनाएं दें ताकि उन्हें सफलता मिले।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे हाथ जोड़ कर कहता हूं कि आप सब अपनी सीट पर जाएं। आप वहां से जो कुछ कहना चाहते हैं, मैं आपकी बात सुनूंगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात सुनूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप जो मुद्दा उठाना चाहते हैं, उसके लिए मैं आपको बोलने का मौका दूंगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री रामजीलाल सुमन, मैं आपसे अनुरोध करता हूं।

...(व्यवधान)

अपराह्न 2.11½ बजे

(इस समय डा. शफीकुर्रहमान और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने स्थानों पर वापस चले गए)

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : महोदय, हमें विश्व कप चाहिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : उसके लिए थोड़ा डिसिप्लिन चाहिए।

[अनुवाद]

खिलाड़ियों को हमारा अनुसरण करने का मौका मत दो।

...(व्यवधान)

अपराह्न 2.12 बजे

सदस्य द्वारा निवेदन

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले महीने की 23 तारीख को संसद का सत्र आरम्भ हुआ और प्रातःकाल हमने राष्ट्रपति का अभिभाषण सुना लेकिन उसी दिन शाम को अचानक मुझे पत्रकारों से यह सूचना मिली कि एक व्यक्ति जिसके बारे में सीबीआई को तलाश थी और सीबीआई ने इंटरपोल को कह कर उसके विरुद्ध रैड कार्नर नोटिस निकाले थे, वह दूर अर्जेंटीना में गिरफ्तार हो गया और उस रैड कॉर्नर नोटिस के आधार पर पकड़ा गया। मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई क्योंकि मैं किसी समय उस विभाग के साथ जुड़ा रहा हूं। मुझे याद है, मैं जब पहली आर अपने कार्यालय में फ्रांस गया था तो मैंने मांग करके कहा कि मैं इंटरपोल का ऑफिस लेआन में देखना चाहूंगा। मैं देखने गया कि उनकी कैसी व्यवस्था है और सब कुछ कैसे चलता है। हमारी ओर से जब भी किसी व्यक्ति के खिलाफ रैड कॉर्नर नोटिस निकलता है और उसकी गिरफ्तारी इंटरपोल के माध्यम से होती है तो स्वाभाविक खुशी होती है। थोड़ी देर बाद पत्रकारों से सूचना मिली कि उसकी गिरफ्तारी अर्जेंटीना में 6 तारीख को हुई थी, मैंने अन्दाजा लगाया था के वह उसी 23 तारीख को गिरफ्तारी हुआ होगा तब मैं समझ नहीं पाया कि 6 तारीख को गिरफ्तारी हुई, उस समय देश के लिए अच्छा समाचार था तो यह खबर हमें क्यों नहीं दी गई? इतना ही नहीं, मैं उसी समय सोचने लगा कि आज प्रातःकाल राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी इसका कोई उल्लेख क्यों नहीं किया गया? उसका कहीं भी जिक्र क्यों नहीं है? इसलिए 24 तारीख को हमने चाहा कि हम इस सवाल को उठा कर सरकार से जानकारी लें कि क्या मामला है और इतने दिन तक इस बात को छुपा कर क्यों रखा गया? जिस देश में इस बात पर गर्व किया जाता है कि अगर आम जनता से कोई बात छुपी है तो राइट टू इनफर्मेशन एक्ट के आधार पर वे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहां संसद और देश को जानकारी नहीं दी गई कि यह कैसे हुआ? 24 तारीख को क्या हुआ, कैसे हुआ, उसकी मैं चर्चा नहीं करूंगा लेकिन इतना ही कहूंगा कि आगे चलकर यह भी पता लगा कि वहां पर जब कोर्ट में यह मामला, उसी अपराधी जिसका नाम है ओटेवियो क्वात्रोची, के दूसरे संदर्भ में आया तब भी सरकार की ओर से जो वहां पर काउंसिल थे, उन्होंने वहां के सुप्रीम कोर्ट को जानकारी नहीं दी कि वह तो वहां गिरफ्तार हो चुका है और उसके बारे में जो कार्रवाई करनी है वह की जाएगी। इन सब बातों के बारे में सदन में धीरे–धीरे ऐसी स्थिति पैदा हो गई है और हमारा कोई दायित्व है, इसी कारण जीवन में पहली बार मैंने सस्पेंशन ऑफ क्वैश्चन ऑवर का नोटिस स्वयं दिया। मैं उन घटनाओं को दोहराना नहीं चाहता हूं, खास तौर से इस कारण से क्योंकि आज सरकार की ओर से हमें कहा गया है कि क्वात्रोची के विषय को ले करके विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। लेकिन बीच में यह बात आ गई कि हमारी ओर से लगातार कहा जाता रहा कि इस विषय में सदन माननीय प्रधानमंत्री से जानना चाहता है कि वास्तविक स्थिति क्या है और प्रधानमंत्री इस बारे में आगे क्या कार्रवाई कर रहे हैं? बहुत प्रयत्न करने के बाद इतना ही हुआ है कि यहां पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट, पार्लियामेंटरी अफेयर ने बयान दिया और प्रधानमंत्री ने इम्प्रॉम्पटू प्रेस कांफ्रेंस में जो कहना था, उन्होंने कहा। हम एनडीए के लोग लगातार इस विषय के संबंध में मिलते रहे, उन्होंने कहा कि जिस मूल विषय पर आपत्ति की थी वह बरकरार है, ज्यों की त्यों है, उसका निवारण तो जब पूरी चर्चा होगी तब होगा और तब पूरे सवालों के बारे में पूछा जाएगा, बैंक एकाउंट्स के बारे में भी पूछा जाएगा और आज की स्थिति के बारे में भी पूछा जाएगा कि अब क्या हो रहा है। लेकिन बीच में जो बात हुई है वह उचित नहीं है। आज प्रातःकाल से

लेकर यहां पर अध्यक्ष जी और अन्य लोगों से चर्चा हुई, उसके अंत में यह निर्णय आया कि जहां से बात शुरू हुई वहीं से फिर से शुरू करें जिससे संसद का जो गतिरोध है वह समाप्त हो जाए और जो सामान्य कार्यवाही होनी चाहिए वह होगी, इसी कारण मैंने इन बातों को थोड़ा उल्लेख किया है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे अवसरों पर प्रधानमंत्री जी जो भी कहना चाहें, सदन में आकर कहें तो यह उचित है, लेकिन उसे बाहर कहना उचित नहीं है जबकि मांग हो रही है कि हम इस महत्वपूर्ण विषय पर सिर्फ प्रधानमंत्री जी से ही जवाब सुनना चाहते हैं। इसलिए जो कुछ हुआ उचित नहीं हुआ इसी कारण यह गतिरोध बना रहा।

मुझे इस समय कुछ और कहना नहीं है, सिवाय इसके कि विगत दिनों में भ्रष्टाचार और अपराधीकरण, दो ऐसे मामले हैं जिनके बारे में सरकार को बहुत सी बातों का उत्तर देना पड़ेगा। अब इसमें वह विषय और जुड़ गया है क्योंकि यह बात तय हुई है कि इस विषय पर, क्वात्रोची के मामले पर चर्चा बाद में होगी। इसीलिए मैं अभी कुछ और नहीं कहता हूं, सिवाय इसके कि हिंदुस्तान में लोकसभा के 14 आम चुनाव हुए हैं और मैंने 14 आम चुनावों में शुरू के आम चुनावों से लेकर आज के आम चुनाव देखे हैं और देखा है कि अनेक विषयों से मतदाता प्रभावित होता है। लेकिन कभी–कभी ऐसी स्थिति आती है कि बाकी सब विषय गौण हो जाते हैं और एक प्रमुख मुद्दा सब पर छा जाता है कि वर्ष 1977 में इमेरजेंसी के कारण सारा निर्णय हो गया, वर्ष 1984 में श्रीमती इन्दिरा गांधी जी की आतंकवादियों ने हत्या की, उसके कारण सारे मतदाता प्रभावित हुए और इसी प्रकार से 1989 में संसद के सदस्य इतने क्षुब्ध हो गए कि आप सहित सबने इस्तीफा दे दिया, उस बोफोर्स कांड ने 1989 के चुनाव को पूरी तरह से प्रभावित किया। और उस कांड के बारे में जब चर्चा होगी, तब हम चर्चा करेंगे।

लेकिन आज मैं इतना कहना चाहूंगा कि इस विषय पर अगर विपक्ष ने इतने जोर से मामला उठाया और उसे आगे बढ़ाया तो उसका एक जस्टिफिकेशन है। कभी–कभी लोग मुझे कहते थे कि बोफोर्स अब पुराना हो गया। मैं कहना हूं कि बोफोर्स पुराना होते हुए भी आज अगर मैं आपके ही अपने भाषणों को कोट करने लगूं को आपको भी शायद आश्चर्य होगा कि आपने उस समय क्या–क्या कहा है।

अध्यक्ष महोदय : आश्चर्य क्यों होगा।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : उसकी तुलना में यहां पर आज जो विपक्ष के लोग बैठे हैं, वे बहुत संयम की भाषा का प्रयोग करते हैं और बहुत संतुलित ढंग से बात रखते हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, अभी प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमैंट के बारे में बोलें।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : आज भी इसके कारण यह प्रस्ताव आया कि गतिरोध दूर करने के लिए यह उपाय अपनाया जाए और हमने सहज ही उसे अपना लिया। मुझे खुशी है कि इस मामले में सदन के नेता, संसदीय कार्य मंत्री और सुरेश पचौरी जी तीनों ने अपने प्रयत्न करके इस गतिरोध को दूर करने के लिए यह सब किया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इसके लिए सभी पक्षों को धन्यवाद देता हूं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह वाद–विवाद नहीं है। यह केवल एक मुद्दा था।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप इस विषय पर चर्चा करने की अनुमति देंगे या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : चर्चा की अनुमति दी जाएगी। क्या मैं एक या दो घटनाओं की याद दिलाऊं?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मुझे स्पष्ट करने दीजिए।

[हिन्दी]

कभी–कभी स्पीकर को भी सुनिये, कभी–कभी हमें भी कुछ बोलने का हक है।

[अनुवाद]

पहले दिन ही मैंने कहा था कि यह मामला उठाया जा सकता है और मैं विभिन्न दलों के नेताओं को बुलाऊंगा। यहां तक कि मैंने सरकार से भी इस संबंध में पूछा था और वे सभा के नेता के माध्यम से उत्तर देने को तैयार हो गए थे। किन्तु वह स्वीकार्य नहीं था।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : किन्तु वे सहमत नहीं हुए।

अध्यक्ष महोदय : मुझे नहीं पता कि वे कौन हैं। आप नहीं बता रहे हो कि वे कौन हैं। इसलिए, मैंने कभी नहीं कहा है कि वाद–विवाद की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रश्न यह है कि जैसा आप सभी जानते हैं कि यह बजट सत्र है जहां राष्ट्रपति के अभिभाषण और हमारे माननीय राष्ट्रपति जी को धन्यवाद प्रस्ताव दिए जाने को हमेशा प्राथमिकता दी जाती है। अतः उसके बाद इस पर विचार किया जाएगा। सरकार ने कभी 'नहीं' नहीं कहा है और मैंने भी कभी ऐसा नहीं कहा है। किन्तु ऐसा

सुझाव आया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की कुछ टिप्पणियां कथित तौर पर सभा से बाहर दी गई हैं। यदि मैं गलत नहीं हूं, वे माननीय प्रधानमंत्री जी से स्पष्टीकरण चाहते थे। मुझे बस इतना ही बताया गया कि प्रधानमंत्री स्पष्टीकरण दें कि उन्होंने ऐसा वक्तव्य क्यों दिया था। मैं तथ्य के संबंध में कुछ नहीं कह रहा हूं। चूंकि माननीय प्रधानमंत्री यहां हैं, उन्हें ही जवाब देना है।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : उन्हें इसी मुद्दे तक सीमित रहना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : वे वहीं तक सीमित रहेंगे। मैं मुख्य विषय पर वाद–विवाद के अवसर को रोक नहीं रहा हूं और जैसा श्री लालकृष्ण आडवाणी ने कहा है, इस पर उचित चर्चा होगी।

...(व्यवधान)

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : माननीय प्रधानमंत्री को इस चर्चा के समय उपस्थित रहना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : हमने इसी सवाल पर कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया है।

अध्यक्ष महोदय : इस इश्यु पर कार्य स्थगन नहीं होता है। आप इतने सीनियर मैम्बर हैं।

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री (डा. मनमोहन सिंह) : महोदय, मैंने माननीय विपक्ष के नेता के वक्तव्य को बहुत ही आदरपूर्वक सुना है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार की यह निरंतर मान्यता रही है कि हम इस सभा में किसी चर्चा से पीछे नहीं हटते हैं। सत्र के आरंभ में ही महोदय, आपको स्पष्ट तौर पर यह बता दिया गया था।

जहां तक तथ्यात्मक वक्तव्य की बात है, मेरे साथी श्री सुरेश पचौरी ने दोनों सभाओं में वह वक्तव्य दिया था। हालांकि, उन्हें वह वक्तव्य देने की अनुमति नहीं दी गई थी, एक विवरण सभा पटल पर रखा गया था। मैं दोबारा कहता हूं कि हम माननीय अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन से फ्लोद प्रबंधकों द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार किसी भी चर्चा के लिए तैयार हैं और हम लोग ऐसी किसी भी चर्चा का स्वागत करेंगे।

जहां तक मेरे द्वारा सभा के बाहर दिए गए वक्तव्य का संबंध है, यह प्रेस–कांफ्रेस नहीं थी। मैंने निर्वाचन के नतीजों पर टिप्पणी की थी और किसी व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि क्वात्रोच्चि मामले के बारे में क्या कहना है। मैंने कहा कि जहां तक हमारी बात है। हमने कोई गलती नहीं की है; और यह कि हमने अनुमति दे दी है और सी.बी.आई. को पूरी आजादी के साथ मामले का अनुसरण करने की अनुमति दी जाएगी। मैं इस बात को दोहराता हूं कि मेरा उद्देश्य किसी भी तरह से किसी भी सदस्य की भावना को चोट पहुंचाने अथवा विपक्ष की भावनाओं को आहत करने का नहीं था। वह मेरा उद्देश्य कभी नहीं था ना ही मैंने ऐसा कुछ कहा जिससे ऐसा भाव उत्पन्न होता हो।

अध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 22 लें। हम लोग बहुत ही गंभीरतापूर्वक इस मामले पर विचार करें। किन्तु इससे पूर्व मैंने कहा है कि मैं श्री रामजीलाल सुमन को अनुमति दूंगा। किन्तु मैं जानना चाहूंगा कि यह केन्द्रीय सरकार से संबंधित है या नहीं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं चाहता हूं कि कम से कम मुझे कोई सूचना दी गई होती।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि उच्चतम न्यायालय में श्री मुलायम सिंह यादव जी की सम्पत्ति के मामले में एक मामला विचाराधीन था। मैं उच्चतम न्यायालय की गरिमा और प्रतिष्ठा के प्रतिकूल कोई बात नहीं कहना चाहता। *...(व्यवधान)* वह मामला अब सीबीआई के सुपुर्द कर दिया गया है। लेकिन चुनाव से पहले ये जो कुछ किया जा रहा है, निश्चित रूप से यह एक षड़यंत्र है और व्यवस्थित तरीके से चुनाव को प्रभावित करने के लिए और मुलायम सिंह जी को परेशानी में डालने के अलावा और कुछ नहीं है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह तो कोर्ट ऑर्डर है।

[अनुवाद]

आपने कहा है। यह न्यायालय का आदेश है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, लेकिन इसमें बिल्कुल षड़यंत्र की बू आती है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात कह दी है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसका इस चर्चा से कोई संबंध नहीं है। कृपया मुझे किसी तरह सभा की कार्यवाही चलाने दीजिए। आपकी बात रिकार्ड कर ली गई है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर मामला है। अपने राजनीतिक विरोधियों से निपटने के लिए सीबीआई को हथियार बना दिया गया है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी बात सुन ली है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी रिकार्ड में नहीं जा रहा है और कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे अपील करता हूं कि आप बैठ जाएं। यह माननीय राष्ट्रपति जी का धन्यवाद प्रस्ताव है। हमें इस पर गंभीरतापूर्वक चर्चा करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष जी, सी.बी.आई. का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यद्यपि, यह सरकार से संबंधित नहीं है फिर भी मैंने इसे उठाने की अनुमति दे दी है। यह रिकार्ड में है। कृपया मेरे साथ सहयोग कीजिए। मेरी आपसे अपील है कि मुझे सहयोग दें। यह माननीय राष्ट्रपति जी के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव है। कम से कम हम इसमें विघ्न नहीं डालें। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। मैं संभा के सभी भागों से सहयोग की सराहना करता हूं।

अपराह्न 2.27 बजे

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब श्री मधुसूदन मिस्त्री प्रस्ताव पेश करेंगे।

[हिन्दी]

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकांठा) : सर, राष्ट्रपति जी ने हमारे दोनों सदनों के सदस्यों को जो संबोधित किया है, उसके ऊपर आभार के प्रस्ताव का मोशन मूव करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं और मैं मोशन मूव करता हूं:

[अनुवाद]

"कि राष्ट्रपति जी को निम्नलिखित रूप में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए:–

"कि इस सत्र में एकत्रित हुए लोक सभा के सदस्य 23 फरवरी, 2007 को संसद की दोनों सभाओं को दिए गए अभिभाषण के लिए माननीय राष्ट्रपति महोदय के प्रति गहरा आभार व्यक्त करते हैं।"

[हिन्दी]

मुझे थोड़ा खेद भी है क्योंकि राष्ट्रपति जी ने बहुत अच्छे वातावरण में अपने अभिभाषण के अंदर इस देश को यह सरकार कौन सी दिशा देना चाहती है, उसका उस दिन निर्देश किया था। *...(व्यवधान)*

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (बेगूसराय) : अभी पता लग गया। *...(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकांठा) : अभी आएंगे। आप चिंता मत कीजिए, आपको भी अभी पता लगेगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम लोग इस पर उचित चर्चा करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मधुसूदन मिस्त्री : सर, मुझे बहुत खेद है कि राष्ट्रपति जी को उनके भाषण के दरम्यान हमारे कितने सदस्यों ने खड़े होकर उनको डिस्टर्ब करने का प्रयत्न किया। लेकिन मैं राष्ट्रपति जी का अभिनंदन करना चाहूंगा कि शिव सेना के जो तीन–चार सदस्य थे, उनके व्यवधान के बावजूद भी उन्होंने बिना डिस्टर्ब हुए अपना भाषण पूरा किया। *...(व्यवधान)* यह आपके लिए शर्म की बात है। कृपया बैठ जाइए।

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण–मध्य) : अध्यक्ष महोदय, अफजल को फांसी नहीं दे रहे हैं। पूरा देश चाहता है कि उसको फांसी दी जाए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अरे, आपकी तबियत कुछ ठीक नहीं है।

श्री मोहन रावले : सर, मेरी तबियत ठीक है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हो गया। अब बैठिए। रिकार्ड हो गया।

[अनुवाद]

वे मेरे बहुत नजदीकी, युवा और अति प्रिय भ्राता हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि उन्हें कोई कष्ट हो।

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री प्रकाश परांजपे (ठाणे) : महोदय, मैं आपका शत्रु नहीं हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप हमारे बड़े मित्र नहीं हैं। वे हमारे बड़े मित्र हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : अध्यक्ष महोदय, हम भी *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। एकदम अनऑथोराइज्ड। यहां आकर शोर करते हैं।

[अनुवाद]

श्री प्रकाश परांजपे : श्री आठवले मंत्री नहीं हैं। वे केवल सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं। वे कभी मंत्री नहीं बनेंगे। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : चर्चा अभी आरंभ ही हुई है। कृपया बैठिए।

[हिन्दी]

श्री मधुसूदन मिस्त्री : यह बड़े ही खेद की बात है कि हमारे माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर सामने बैठे हुए लोग बीच में बोलते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह बात हो गई है, आप दूसरे प्वाइंट पर आइए।

श्री मधुसूदन मिस्त्री : मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि जैसे इन लोगों ने कोई बड़ा गौरव हासिल कर लिया हो। माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण के पहले पैरा में कहा है कि

[अनुवाद]

"यह हमारे देश के लिए बहुत विशेष वर्ष है' ये भारत को सशक्त, आधुनिक, अन्तर्वेधी, धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील बनाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को फिर से नवीन रूप देने के अवसर हैं।"

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको उत्तर देने का पर्याप्त अवसर मिलेगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमें एक दूसरे की बात सुनने की प्रवृत्ति विकसित करनी है। जब तक आप भली प्रकार सुनेंगे नहीं तो आप कैसे ठीक से उत्तर दे सकते हैं। आप इतने अच्छे वक्ता हैं, आपको उनकी बात सुनकर उत्तर देना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मधुसूदन मिस्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं उन्हें कोट कर रहा हूं *...(व्यवधान)* आप लोग अपनी बारी पर बोलियेगा *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : छोड़िये, क्या बात है?

श्री मधुसूदन मिस्त्री : अध्यक्ष महोदय, डायनॉमिक और सैकुलर इंडिया बिल्ड करने के लिए स्ट्रांग डैमोक्रेसी की फाऊंडेशन हमारे फोर फादर्स ने इस कांस्टीट्यूशन के अंदर दी है। इस कांस्टीट्यूशन में हमारे देश के नागरिकों के लिए फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। उसमें ऐसे बहुत सारे राइट्स का समावेश होता है जिसमें एक राइट यह भी है कि

[अनुवाद]

"सभी नागरिकों को वाक्स्वातंत्र्य और विचारों की अभिव्यक्ति तथा बिना हथियार के शांतिपूर्ण समागम और एसोसिएशन या यूनियन बनाने का अधिकार है।"

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, मैं यहां अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि हमारे देश के कई ऐसे राज्य हैं जो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करने का काम कर रहे हैं। खासकर वहां माइनौरटीज के राइट्स को दबाया जाता है। उदाहरण के लिए मैं आपको 2–3 राज्यों के बारे में बताना चाहता हूं। सब से पहले मैं अपने राज्य गुजरात के बारे में शुरू करूंगा जहां फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है। वहां हमारे राइट्स का हनन किया गया है। गुजरात में 2002 के दंगों में एक पारसी बॉय की रीयल लाइफ स्टोरी का जिक्र है जहां वह गुम हो गया है। उसकी फैमिली को यह सब सहन करना पड़ा है। इस रीयल लाइफ पर एक परजॉनिया नाम की फिल्म बनाई गई है लेकिन इस फिल्म को पूरे गुजरात में कहीं भी रिलीज नहीं होने दिया गया। इतना ही नहीं, सरकार की ओर से मल्टीप्लैक्स एसोसिएशन को धमकी दी गई है *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

गुजरात में आपके दल की सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन कर रही है। मैं उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ये लोग जो बात कर रहे हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री मिस्त्री जी, आप अध्यक्ष पीठ को संबोधित कीजिए।

[हिन्दी]

श्री मधुसूदन मिस्त्री : मैं यह बताना चाहता हूं कि उस बारे में उस फिल्म के प्रोड्यूसर ने मल्टीप्लैक्स के सैक्रेटरी से बातचीत की है जिन्होंने कहा है कि वह तो फिल्म को रिलीज करना चाहते हैं लेकिन

सरकार की ओर से सिक्यूरिटी नहीं है। इस तरह का वायलेशन होगा। बजरंग दल के लोगों को एक्स्ट्रा कांस्टीट्यूशनल पॉवर है जो उन लोगों के अंदर वेस्ट की गई है जिससे गुजरात में ऐसी चीजें नहीं आ सकी हैं। इसी तरह फना फिल्म के लिए कहा गया है। मैं इसलिए यह कहना चाहता हूं कि लगातार एक्स्ट्रा कांस्टीट्यूशनल पॉवर का ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप वाद–विवाद पर आइए। आप राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आइए।

श्री मधुसूदन मिस्त्री : महोदय, मैं वाद–विवाद पर आ रहा हूं। माननीय राष्ट्रपति जी चाहते हैं कि हम मजबूत, आधुनिक, अंतर्वेधी, धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील भारत का निर्माण करें। यदि हमारा देश सांप्रदायिक आधार पर विभाजित हो जाएगा तो हम अन्त्रर्वेधी और धर्मनिरपेक्ष भारत का निर्माण कैसे कर सकते हैं। मैं यही बात कह रहा हूं। हम सभी समुदायों को एक साथ लेकर ही मजबूत और गतिशील राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं।

महोदय, मध्य प्रदेश में क्या हुआ?

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में वैलंनटाइन डे पर पुलिस के सामने सिलिब्रेट करने वालों को मारा गया और पुलिस देखती रही लेकिन उन लोगों को अरैस्ट नहीं किया गया। मध्य प्रदेश की सरकार ने उनको छत दे रखी है। यही राजस्थान में हुआ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री मिस्त्री जी, आप मूलतः राज्य के मामले की बात नहीं करते हैं। राज्य पुलिस का हवाला नहीं दीजिए बल्कि अपना वक्तव्य दीजिए।

श्री मधुसूदन मिस्त्री : महोदय, वे इसके हिस्सा हैं। इस देश और इस संसद को सुनिश्चित करना है कि देश के नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकार और विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पालन हो ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

यही स्थिति राजस्थान में हुई। राजस्थान में किसानों की रैली की गई। उनको जयपुर तक नहीं आने दिया। यही स्थिति कोटा में हुई जहां क्रिश्चियनों पर हमला किया गया। उनकी जो मीटिंग थी, वहां हमला किया गया। लेकिन वहां के जो मिनिस्टर्स और दूसरे लोग हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस पार्टी की सरकार से लोकतंत्र की नींव को खतरा उत्पन्न हो गया है जो सरकार बहुत से राज्यों में है। उसको रोकना चाहिए। इसके अलावा, आप यहां मॉडर्न और सेक्यूलर इंडिया बिल्ड नहीं कर सकते, उसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस हिसाब से ऐसा लगता है।

[अनुवाद]

मानो कि इसके पीछे नापाक इरादे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी अनुमति के बिना किसी व्यवधान को कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित मत करिये।

...*(व्यवधान)**

श्री मधुसूदन मिस्त्री : जैसे कि किसी भी कीमत पर सत्ता में आने की कोई कुटिल चाल हो और वह भी लोगों को साम्प्रदायिक आधार पर बांटकर ताकि इस देश में अल्पसंख्यकों का अस्तित्व इस प्रकार खत्म हो जाए मानो वे इस देश के नागरिक ही न हों।

[हिन्दी]

ऐसा एक वातावरण पैदा करके ये सत्ता हासिल करना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इससे न तो आप सेक्यूलर इंडिया बिल्ड कर सकेंगे और न ही मॉडर्न इंडिया बिल्ड कर सकेंगे और इसके ऊपर मैं चिंता जताता हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उसका उत्तर मत दें। आप अध्यक्ष को सम्बोधित करें।

[हिन्दी]

श्री मधुसूदन मिस्त्री : पंजाब पर भी आ रहा हूं, आप चिन्ता मत करिये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : विषय से मत हटिए।

श्री मधुसूदन मिस्त्री : महोदय, मैं अध्यक्ष को सम्बोधित कर रहा हूं। वे केवल टिप्पणियां कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन पर ध्यान न दें।

श्री मधुसूदन मिस्त्री : हम भी ऐसा करेंगे। यदि वे चाहते हैं तो हम भी उसी तरह से जवाब देंगे। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया आगे बढ़िए। आपको धन्यवाद प्रस्ताव पेश करने का सम्मान दिया गया है। इसे करें।

[हिन्दी]

श्री मधुसूदन मिस्त्री : प्रेजीडेन्ट ने अपने भाषण में कहा है ...*(व्यवधान)*

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री मधुसूदन मिस्त्री]

[अनुवाद]

मैं झुकूंगा नहीं ...(व्यवधान)

राष्ट्रपति ने कहा है:

"मैं सबसे पहले समझौता एक्सप्रेस पर हुए कायरतापूर्ण एवं निन्दनीय आतंकी हमले के शिकार निर्दोष लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं। हम इन निर्दोष लोगों के परिवारों के दुःख में शामिल हैं। हमें इस दुःखद घटना का भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को सामान्य करने की हमारी साझी चाह पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ने देना चाहिए।"

[हिन्दी]

राष्ट्रपति जी के साथ-साथ मैं खुद भी इस पर अपनी सिम्पैथी प्रकट करता हूं।

[अनुवाद]

मैं समझौता एक्सप्रेस में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं।

[हिन्दी]

मैं उस इंसीडैन्ट को कंडैम करता हूं। पूरी दुनिया के लोगों ने इस इंसीडैन्ट को कंडैम किया। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या हो रहा है? जब आप बोलें और वे आपके बीच में बोले तो आप क्या करेंगे? कृपया एक दूसरे की बात सुनने की आदत डालिए। आप एक अच्छे वक्ता हैं, जब आपको मौका मिले तो आप ठीक ढंग से जवाब दें।

[हिन्दी]

श्री मधुसूदन मिस्त्री : इसमें पाकिस्तानी नागरिक भी थे। हमारे विदेश मंत्री और यूपीए ने भी उसको कंडैम किया। यूरोपीयन यूनियन ने कंडैम किया, ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस मिनिस्टर किम होवेस ने भी उसको कंडैम किया। बंग्लादेश और जापान ने भी कंडैम किया और पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भी कंडैम किया। इस देश के दूसरे नेताओं ने भी किया। मुझे जानकर बड़ी हैरानी होती है कि इनके जो प्रैजीडेन्ट हैं, उनका जो स्टेटमेंट छपा, जो हमेशा स्टीरियोटाइप होता है, उसमें ऐसा कहा गया है जिसमें सबसे पहले तो ये सब बोलते हैं कि

[अनुवाद]

आंतरिक सुरक्षा दाव पर है ताकि ऐसे इंसीडेन्ट्स हों। उन्होंने कहा कि

[अनुवाद]

'हमें प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भी अपराधियों को दण्ड दिया जाएगा; लेकिन कुछ नहीं हुआ।'

[हिन्दी]

पार्लियामेंट का जो अटैक केस हुआ, उसमें आदमियों को बचाने का काम कर रहे हैं और उनको ऐसा भी कहा कि एक नया कानून इसके लिए लाना चाहिए। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। क्या हुआ जब वे लोग यहां पर थे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं कह सकता कि वे क्या बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : आप समझ रहे हैं कि ये क्या बोल रहे हैं। हम नहीं समझ रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं। आप समझ रहे हैं या नहीं, हम जानना चाहते हैं।

श्री मधुसूदन मिस्त्री : वे क्या बोलने वाले हैं हम भी समझने वाले हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप छोड़िये।

श्री मधुसूदन मिस्त्री : उनकी आदत है प्रोवोक करने की और हमेशा करते रहते हैं। यह ठीक नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप उत्तेजित न हों।

[हिन्दी]

श्री मधुसूदन मिस्त्री : अगर ये बोलेंगे तो हम इन्हें भी नहीं बोलने देंगे। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप उन्हें परेशान कर रहे हैं। वह भी एक इंसान है।

...(व्यवधान)

श्री मधुसूदन मिस्त्री : क्या आप मेरी बात नहीं सुनेंगे?

[हिन्दी]

मैं जो बता रहा हूं, उसे आप सुन नहीं सकते, क्योंकि आप में टोलरेंस नहीं है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मिस्त्री जी, आप बोलिए। आपके बहुत अच्छे अच्छे प्वाइंट्स हैं, आप इधर देख कर बोलिए।

[अनुवाद]

श्री मधुसूदन मिस्त्री : 10 फरवरी, 2000 को सतवाल में चलती ट्रेन में विस्फोट हुआ और पांच लोग मारे गए। मामले का बिना कोई सुराग मिले इसे बन्द कर दिया गया। जब ये सत्ता में थे। दूसरी घटना 7 अगस्त, 2001 को जम्मू रेलवे स्टेशन पर हुई, जहां तीन आतंकवादियों ने लोगों पर गोलियां चला दी जिसमें 12 लोग मारे गए और 29 लोग घायल हुए। एक आतंकवादी मारा गया और उसकी पहचान कर ली गई। इस मामले में कोई सुराग नहीं मिला।

[हिन्दी]

मार्च, 2000 को जब ये सत्ता में थे, हमारे सामने ये जो बैठे हुए हैं मैं इन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि तब छत्तीसगढ़ और जम्मू–कश्मीर में नरसंहार हुआ। दस अक्तूबर को जम्मू और कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेम्बली श्रीनगर के अंदर अटैक हुआ, जब ये सत्ता में थे। 13 दिसम्बर, 2001 को इस पार्लियामेंट के ऊपर हमला हुआ, जब ये लोग सत्ता में थे। 22 जनवरी, 2002 को कोलकाता में अमेरिकन कल्चरल सेंटर के ऊपर हमला हुआ, जब ये लोग सत्ता में थे। 24 सितम्बर, 2002 को अक्षरधाम मंदिर के ऊपर अटैक हुआ, जब ये लोग सत्ता में थे। 21 मई, 2002 को हुर्रियत मीटिंग के अंदर हुआ।

[अनुवाद]

14 मई, 2000 को काललुच में सेना कार्मिकों के परिवार के सदस्यों का नरसंहार हुआ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ललन जी, यह ठीक नहीं है।

[अनुवाद]

देखिए तो सही आपके नेता किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। वह चुपचाप बैठे हैं।

[हिन्दी]

श्री मधुसूदन मिस्त्री : इन्हें क्या मोरल राइट है?

अध्यक्ष महोदय : आप इन्हें छोड़िए, आप हमें देख कर बोलिए।

[अनुवाद]

आपका एक बहुत सुन्दर अध्यक्ष होना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मधुसूदन मिस्त्री : इन्हें क्या अधिकार है, ये लोग कौन से मुंह से बात करते हैं, सरकार की इंटरनल सिक्योरिटी भी वही है, सरकार ने कुछ नहीं किया। इनके जमाने में कितने ही केस हुए, जब ये यहां खुद होम मिनिस्टर थे, आज तक अनट्रेस्ड हुए। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि आपकी सरकार ने उस वक्त क्या किया, कहां गए थे आपके वे लोग? ...*(व्यवधान)* उन लोगों को अरेस्ट क्यों नहीं किया? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जो लोग बीच में बोल रहे हैं उन्हें वाद–विवाद में नहीं बोलने दिया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मधुसूदन मिस्त्री : महोदय, हमेशा एक चीज कही जाती है कि पोटा लाओ, जैसे यह लाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारे यहां गुजरात के अंदर, सन् 2002 के राइट्स के अन्दर जितने लोग भी पोटा के अंदर अरेस्ट हुए, उनमें से 98 परसेंट सिर्फ एक ही कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी के थे। मैं इन्हें कहना चाहता हूं कि पोटा का मिसयूस ये कभी रोक नहीं सकेंगे। पोटा के अंदर जिन्होंने इन्हें सपोर्ट किया था, वे ही आदमी तमिलनाडु के अंदर अरेस्ट होकर महीनों, सालों तक जेल में रहे, इनकी कोई गारंटी नहीं है। ये हमेशा कहते हैं कि पोटा लाओ, जैसे पोटा लाने से पूरे टेरेरिस्ट का जो ऑपरेशन या एक्टीविटीस हैं, इसके आने से जैसे ये सब कम हो जाएंगी। ये लोग जो बात करते हैं, उसके अंदर हमेशा एक चीज ऐसी कही जाती है कि इसके अंदर माइनोरिटी और खास कर मुसलमान लोग इन्वाल्वड हैं या नहीं और अगर हैं, इस इश्यु को लेकर रेज़ करना, जिसकी वजह से यह पूरा देश दो हिस्सों में बंट जाए और ये सत्ता में आ सकें। इंटरनल सिक्योरिटी की बात की गई, मेरे पास जो आंकड़े हैं, उसके अनुसार सभी जगह से यह है कि यह घट रही है। सिक्योरिटी पर्सनल जो हैं, सिविलियंस और टेरेरिस्ट की जो फीगर है, वह इसके अंदर कम होती जा रही है। जब ये लोग सत्ता में थे, उस वक्त जो परिस्थिति थी, उससे कहीं बेहतर परिस्थिति आज है। मैं आपका ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं, कल इन्होंने कहा कि आम आदमी के बारे में क्या हुआ। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आप बताएं कि आम आदमी के लिए इस बजट में क्या नहीं है, जहां तक नेशनल रूरल एम्प्लायमेंट गारंटी की बात है, उसमें बढ़ोत्तरी हुई है।

अध्यक्ष महोदय, जब वे लोग सत्ता में थे, तब डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डैवलपमेंट के अंतर्गत, डिमांड नंबर 78 में आपकी सरकार ने दो वर्षों 1012 करोड़, 1129 करोड़ रुपए रखे थे, वे इस सरकार ने बढ़ाकर 1332 करोड़ कर दिए। यानी 31.50 प्रतिशत इन्क्रीज हुआ। इसी प्रकार यदि हम रूरल रोड डैवलपमेंट का कंपैरीजन करें, तो 62

[श्री मधुसूदन मिस्त्री]

परसेंट का इन्क्रीज हुआ है। इसी प्रकार स्पेशल प्रोग्राम फॉर रूरल डैवलपमेंट में हुआ है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप इसे छोड़िए। यह सही नहीं है।

[अनुवाद]

इस वाद विवाद में किसी भी विषय पर विधिसम्मत रूप से चर्चा की जा सकती है। कृपया ऐसा न करें।

[हिन्दी]

श्री मधुसूदन मिस्त्री : अध्यक्ष महोदय, अगर मेरी इस बात को ये लोग नहीं समझते तो मैं इसमें क्या करूं। यह आपकी अक्ल के ऊपर है कि आप मेरी बात को नहीं समझ रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया ये टिप्पणियां न करें।

[हिन्दी]

आपको ऐसा बोलना शोभा नहीं देता। ऐसा बोलने से क्या लाभ मिलेगा।

श्री मधुसूदन मिस्त्री : मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मैं केवल फिगर ही नहीं दे रहा हूं बल्कि एलोकेशन भी बता रहा हूं।

[अनुवाद]

मैं यह कह रहा हूं कि बजट कभी भी इस देश के गरीब लोगों पर केन्द्रित नहीं रहा। यही सरकार है जिसने गरीब लोगों को केन्द्र में रखा और वास्तव में पूरा बजट इनके अनुसार बनाया और इस बजट में कई तरह के आबंटन किए।

[हिन्दी]

स्पेशल प्रोग्राम फॉर रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत वर्ष 2002–03 और वर्ष 2003–04 में 103 प्रतिशत इन्क्रीज हुआ और वाटर सप्लाई एंड दि सैनीटेशन के अन्तर्गत 85 प्रतिशत इन्क्रीज हुआ।

अध्यक्ष महोदय, वे बोल रहे थे कि आम आदमी के लिए राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में क्या लिखा है। मैं बताना चाहता हूं कि आम आदमी के लिए इसमें क्या है। हमारी गवर्नमेंट ने सिर्फ एलोकेशन ही नहीं बढ़ाया बल्कि वह पैसा कहां और कैसे खर्च किया गया और उससे कितना परिवर्तन हुआ, उसका स्टेटमेंट भी इस हाउस को दिया है।

महोदय, मैं अब जनरल एजूकेशन के बारे बताना चाहता हूं। जहां तक आम आदमी का सवाल है। जिनके पास पैसे हैं, वे तो अपने बच्चों को महंगे प्राइवेट स्कूलों में ऊंची फीस देकर पढ़ाते हैं, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो आम आदमी हैं, वे सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यहां कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाता हो। सभी लोग प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं। वर्ष 2003–04 में एलीमेंट्री एजुकेशन में यू. पी.ए. सरकार ने 236 करोड़ रुपए का अधिक प्रावधान किया है जो इनकी सरकार के समय में किए गए प्रावधान से 54 प्रतिशत अधिक है। अभी हाल ही में आम जनता की उन्नति के अनेक प्रोग्राम चलाए गए हैं जिनकी चर्चा सरकार ने की थी। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में भी इन प्रोग्रामों का जिक्र किया है और सरकार ने धन आबंटित किया है और उन पर काम कर रही है। इनमें मुख्य प्रोग्राम है – भारत निर्माण, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, सुदृढ़ और विस्तारित सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन स्कीम और आई सी डी एस कार्यक्रमों का सार्वभौमीकरण तथा जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन।

[हिन्दी]

ये सभी प्रोग्राम आम आदमी को दिमाग में रखकर बनाए गए हैं। हमने देखा है कि जहां–तहां भारत निर्माण के कार्यक्रम,

[अनुवाद]

ग्रामीण सड़क, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण दूरभाषीकरण, ग्रामीण आवासन और ग्रामीण पेयजल आपूर्ति,

[हिन्दी]

जिनकी मैंने अभी बात कही, उन सब के ऊपर राष्ट्रपति जी ने जोर दिया है और उन्होंने एक दिशा–निर्देश दिया है। इसके लिए मैं उनका आभार मानता हूं।

महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि राष्ट्रपति जी ने तो अपने अभिभाषण में जिक्र किया और सरकार ने धन आबंटित किया है, लेकिन जिन प्रदेशों में इनकी सरकारें हैं वहां इन स्कीमों का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है या हाफ हार्टेडली होता है। रूरल एम्प्लायमेंट गारंटी एक्ट के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से पैसा दिया जाता है, लेकिन इनकी पार्टी के द्वारा शासित राज्यों में मिनीमम वेज ही नहीं बढ़ाया गया है। मैं अपने राज्य की बात बताना चाहता हूं कि हमारे यहां पिछले पांच वर्षों से एक बार भी मिनीमम वेज नहीं बढ़ाया गया है जिसके कारण नेशनल रूरल एम्पलायमेंट गारंटी एक्ट के अंतर्ग काम करने वाले आदमी को 50 रुपए से भी कम वेतन मिलता है, क्योंकि वहां की सरकार इसे बढ़ाना नहीं चाहती। न वेज बढ़ाना चाहती है और न कोई एलाउंस देना चाहती है। केन्द्र सरकार पैसा देने के लिए तैयार है, उसका ध्यान आम आदमी की तरफ है, लेकिन आप लोगों की सरकारें जहां–जहां हैं, वहां आप आम आदमी को पैसा पहुंचाना नहीं चाहते हैं। मैं इस तरफ इस हाउस का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं हाउस का इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

आप देश के लोगों को विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए जाने वाले समस्त प्रकार के लाभ न दिए जाने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं क्योंकि आप समझते हैं

[हिन्दी]

कि हमारी सरकार यदि इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करेगी तो केन्द्र सरकार का इससे ज्यादा नाम होगा। इसी वजह से आपकी सरकारें केन्द्र की स्कीमों को आधे–अधूरे मन से अथवा उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करना चाहती हैं। यह मेरा चार्ज है क्योंकि यह मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में दिख रहा है और यह सही भी है। इसीलिए आप आम आदमी के विरोधी हैं, आप आम आदमी को नहीं देना चाहते हैं। आपकी सरकार के समय में भी आम आदमी को कुछ नहीं दिया गया था।

अध्यक्ष महोदय, हम सब ने मिलकर फॉरेस्ट राइट का विधेयक पास किया था। 23.12.2005 तक इस देश में जितने भी आदिवासी और ट्रैडिशनल फॉरेस्ट डवेलर्स जंगल में रहते हैं, यदि वे कोई जमीन जोतते हैं, तो वह जमीन उनको दी जाएगी। उनको माइनर फॉरेस्ट राइट के तहत जंगल से महूआ और शहद इत्यादि इकट्ठा करने की अनुमति दी होगी। लेकिन आज भी इनकी राज्य सरकारें और वहां का फॉरेस्ट विभाग जिस जमीन पर वहां के आदिवासी वर्षों से फसल बोते आ रहे हैं, उन जमीनों के ऊपर फेसिंग कर रहा है या कब्जा कर रहा है या उनको अरेस्ट कर रहा है अथवा उन पर फॉरेस्ट एक्ट लगाकर उनके ऊपर फाइन कर रहा है। मानवाधिकारों का वहां पर उल्लंघन हो रहा है। वहां पर केन्द्र सरकार के प्रोग्रामों को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, यदि किया भी जा रहा है, तो आधे अधूरे मन से किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में इस बारे में बिल्कुल साफ कहा है, इसके बावजूद भी एक ऐसा एटीट्यूड इनकी ओर से अपनाया जा रहा है कि केन्द्र सरकार इनके ऊपर अन्याय कर रही है अथवा उनकी समस्याओं को हल नहीं कर रही है। इस संबंध में कोई उदाहरण मौजूद हैं। यदि उनको राशन दिया जाता है, योजना आयोग की तरफ से पैसा दिया जाता है, किसी और प्रोग्राम के माध्यम से दिया जाता है तो उसको हाइड करना और लोगों को उसके बारे में नहीं बताना, केवल यही बताना कि केन्द्र सरकार उनके साथ अन्याय कर रही है, क्योंकि इन्हें आने वाले चुनाव जीतने हैं। केन्द्र सरकार की छवि लोगों को अच्छी न दिखाई दे, इसी वजह से यह सब किया जा रहा है। मैं इसकी भर्तसना करता हूं। मेरा इनके ऊपर फिर से चार्ज है कि इस देश के आम आदमी के लिए केन्द्र सरकार की ओर से जितना पैसा दिया जाता है, उस पैसे को डाइवर्ट किया जाता है और उन तक नहीं पहुंचने दिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर प्राइस राइज़ और इन्फलेशन के बारे में बातें कही गई हैं। कल बजट पेश हुआ, उसके अंदर यह बताया गया कि प्राइसिज़ ने एक हफ्ते पहले ही नीचे आना शुरू कर दिया है और हमें आशा है कि ये और भी नीचे आएंगे। लेकिन इसको एक चुनाव का मुद्दा बनाया जा रहा है क्योंकि इसीके बल पर यह जीत सकते हैं। इसके अलावा वायलेशन का मुद्दा अथवा कम्यूनल डिवाइड का मुद्दा बनाया जाता है, जिससे ये लोग चुनाव जीत सकते हैं। इनका इसी तरह का एटीट्यूड रहा है। इन्फलेशन के बारे में बार–बार कहा गया। इसमें न तो आम आदमी है और न ही इन्फलेशन बढ़ रहा है। कितने लोगों ने कहा कि मार्किट क्रेश हो रहा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप अभी तक तो कह रहे थे कि यदि सेंसेक्स ऊपर जाता है तो वह हेल्दी इकॉनामी का साइन नहीं होता है, वह इंडीकेटर नहीं है। अब यदि वह बजट के बाद नीचे आया है तो इससे आप लोगों को समस्या क्यों हो रही है। इससे आम आदमी को कोई परेशानी नहीं हो रही है। लेकिन इन्होंने एक–दो जगह पर चुनाव जीत लिए हैं तो ये कह रहे हैं कि

[अनुवाद]

हम विश्लेषण कर रहे हैं। जैसा आप कहते थे ऐसी हमारी परफार्मेंस नहीं है। पंजाब में हमारी स्थिति बेहतर रही है। उत्तराखंड में भी हमारी स्थिति बेहतर रही है।

[हिन्दी]

उससे भी अच्छा हम आने वाले चुनावों में परफार्म करके दिखाएंगे। चुनाव आयोग की मैं आलोचना नहीं करना चाहता हूं लेकिन हमें सोचना होगा कि चुनाव के जो मैथेड्स हैं, उनके बारे में क्या–क्या किया जा सकता है। कितनी जगहों पर जो इलेक्शन होते हैं और उसमें जो टेकनीक अपनायी जाती है, उसके बारे में भी इस हाउस को सोचना पड़ेगा। दो हजार या पांच हजार वोट डलवाना कोई बड़ी बात नहीं है, मशीन दबायी जा सकती है, बटन दबाए जा सकते हैं, एक कंडीडेट को जिताया जा सकता है, वह सब हकीकत है। इसलिए एक ही इश्यू के द्वारा कि प्राइस राइस की वजह से यह हो गया, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि लोकल इलेक्शन और इसका कोई ज्यादा रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि आप इसको बताना चाहते हैं। जैसे इन सब चीजों की वजह से प्राइज राइज हुए हैं और इसकी वजह से ...*(व्यवधान)*

श्री धर्मेन्द्र प्रधान (देवगढ़) : ये सदन को गुमराह कर रहे हैं। ..*(व्यवधान)* इन्होंने खुद माना है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या हो रहा है?

[अनुवाद]

नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : किसी को भी मेरी अनुमति के बिना हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है।

[हिन्दी]

श्री मधुसूदन मिस्त्री : मैं कहना चाहता हूं कि इस वजह से कीमतें नीचे आएंगी, कीमतें इनके वक्त में भी बढ़ी थी, इनके वक्त में भी इन्फलेशन हुआ था, इनके वक्त भी चीजों के दाम बढ़े थे, इसलिए एक चीज को लेकर इनका जो नजरिया डेवलप करने का है, मैं उसकी निंदा करता हूं और इनसे कहता हूं कि आप भी बहुत ज्यादा दिनों तक खुशी में नहीं रहेंगे।

महोदय, राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण के अंदर और भी विषय लिए हैं,, वीमन एंड चाइल्ड डवेलपमेंट के बारे में और नेशनल एग्रीकल्चर के बारे में कहा है। एग्रीकल्चर के लिए इस सरकार ने ज्यादा से ज्यादा प्रावधान किए हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा इंपोर्टेंस देकर इसका इनहैंसमेंट किया है, इतना ही नहीं इसकी स्पेशल केयर रखी गयी है। खासकर जो आयल सीड्स हैं और जो दूसरे क्राप्स हैं, उनका अच्छी से अच्छी तरह से डवेलपमेंट हो, इसके लिए कहा गया है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इनकी जो खुद की पॉलिसी है, वह नीति और स्ट्रेटजी खासकर जो माइनोरिटी कम्युनिटी है, उसको डिवाइड करके, उसके ऊपर लोगों की फीलिंग्स को जागरूक करके, ये इस देश को डिवाइड करना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं इस वजह से न तो ये मार्डर्न इंडिया बना सकेंगे और न ही सैक्युलर इंडिया बना सकेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि इनमें से किसी ने फ्रीडम स्ट्रगल में हिस्सा नहीं लिया, न ही इनकी पार्टी ने लिया और न ही इनके नेताओं ने हिस्सा लिया, इस वजह से देश की जो डेमोक्रेसी है और जो तानाबाना है, इससे इनको ज्यादा लगाव नहीं हो, यह मैं समझ सकता हूं। लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह जो चीज है उसे इस देश के नागरिक सहन नहीं करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रेसीडेंट के मॉशन ऑफ थैंक्स को मूव करता हूं।

अपराह्न 2.58 बजे

(श्री वरकला राधाकृष्णन *पीठासीन हुए*)

श्री सन्दीप दीक्षित (पूर्वी दिल्ली) : महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा दोनों सदनों के समक्ष अभिभाषण हुआ, उसके लिए मधुसूदन मिस्त्री जी ने जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरे मित्र मिस्त्री जी ने पहले जो राजनीतिक भाषण किए, उन पर उन्होंने काफी व्यापक रूप में प्रकाश डाला। एक बात के लिए विशेषकर महामहिम जी का धन्यवाद करता हूं जो उन्होंने बड़े विस्तार से, बड़ी सुंदरता से और बड़े गहन रूप से जिस तरह से उनकी सरकार ने पिछले तीन वर्षों में काम किया है, गरीबों और आम–आदमी के प्रति जो तानाबाना बुना है और सरकार ने अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को जिस रूप से इस देश में चलाया है, उसको व्यापक रूप से जिस तरीके से इन्होंने प्रस्तुत किया है, मैं थोड़ा–बहुत इस सदन का ध्यान उस तरफ आकर्षित करूंगा।

महामहिम राष्ट्रपति जी ने कहा है कि देश में नौ प्रतिशत की दर से प्रगति हो रही है, उसके बाद उन्होंने जो तानाबाना दिखाया, उसकी बात करना आवश्यक है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने शब्दों में कहा कि केवल ग्रोथ अपने में परिपूर्ण नहीं होता है, ग्रोथ का मजा तब आता है, जब वह व्यापक हो, समतामयी हो, हर जगह, हर क्षेत्र में, हर व्यक्ति के पास पहुंचे।

अपराह्न 3.00 बजे

उसी के साथ महामहिम राष्ट्रपति जी ने बताया कि किस तरह उनकी सरकार ने पिछले तीन–चार सालों में अलग–अलग नीतियों द्वारा इस समग्रता, समता को अपने अंदर लाने की कोशिश की है। उन्होंने नेशनल रूरल इम्प्लायमेंट गारंटी एक्ट की बात की। यह एक्ट क्या करता है। उन्होंने बताया कि केवल एक–डेढ़ साल के अंदर–अंदर तकरीबन पचास लाख ऐसे परिवार हैं जिन्होंने इसका फायदा उठाया। उन्होंने भारत निर्माण की बात की। स्वास्थ्य में आज गांवों में राज्य सरकारों और भारत सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के साथ जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उसके बारे में उन्होंने बात की। उन्होंने नवीनीकृत शिक्षा अभियान की बात की। मिड डे मील की बात की, हायर एजूकेशन की बात की। यह सब कार्यक्रम एक साथ क्या करते हैं। आज आप इस देश के किसी राज्य में चले जाएं, चाहे वहां यूपीए के समर्थित या यूपीए घटक दलों की सरकारें हों, चाहे एनडीए के घटक दलों की सरकारें हों, अगर वे अपने प्रथम कार्यक्रमों की बात करते हैं तो या एनआरईजीए का बात करते हैं या भारत निर्माण की बात करते हैं। मैं महामहिम राष्ट्रपति जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने देश का ध्यान इन दोनों स्कीमों की तरफ केन्द्रित किया और यूपीए सरकार का भी धन्यवाद करता हूं कि जिस तरह की स्कीम वह लाई है, आज यही स्कीमें हर राज्य को उनकी सबसे महत्वपूर्ण स्कीमें दिख रही हैं। यह इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज कोई भी राज्य सरकार अपनी स्कीमों की बात नहीं करती। जब भी गरबी के खिलाफ किसी एक्शन की बात की जाती है, चाहे वह उत्तर प्रदेश में हो, बिहार मे हो, झारखंड में हो, केरल में हो या पंजाब और उत्तराखंड में जो नई सरकारें बनेंगी, वे भी अंततः भारत निर्माण की बात करेंगी, मिड डे मील स्कीम की बात करेंगी और एनआरईजीए की बात करेंगी। जब आम आदमी पर प्रहार की बात आएगी तो तीन साल से चलाई जा रही यूपीए सरकार की नीतियों की बात की जाएगी, उन नीतियों की बात की जाएगी, उन नीतियों की ही बात की जाएगी। यही सबसे बड़ी बात है कि हमने इस देश से गरीबी हटाने का किस तरह ताना–बाना बुना है। ...*(व्यवधान)* यही नहीं, महामहिम राष्ट्रपति जी ने एक और बात बहुत सुंदर रूप से

बताई है कि हम न केवल स्कीम लाए हैं बल्कि गरीबी पर प्रहार करने की आवश्यकता होती है, उसके पीछे के वहशी कार्य किस परिपूर्णता से सरकार ने किए हैं, उन्होंने इस बारे में भी उल्लेख किया है। उन्होंने ट्राइबल बिल की बात की। हमने सदियों से अपने हकों से वंचित आदिवासियों को उनके हक देने का बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उसी तरह उन्होंने डोमैस्टिक वायलैंस बिल द्वारा महिलाओं को उनके अधिकार देने की बात की। इस सरकार को मालूम है कि डोमैस्टिक वॉयलैंस बिल हो, ट्राइबल बिल हो या कोई ऐसा बिल हो, उनमें बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं जिनसे इस समय का पावर स्ट्रक्चर कहीं न कहीं अफैक्ट होगा। लेकिन यह इस सरकार की उपलब्धि है, आदरणीय मनमोहन सिंह जी की उपलब्धि है, सोनिया जी से बार-बार जो दिशा-निर्देश मिलता है, उसकी उपलब्धि है। इस सबके बावजूद भी इन सरकारों ने विधायिकी फ्रेमवर्क बनाया और उस पर महामहिम राष्ट्रपति जी की सरकार आगे बढ़ी है।

यह नहीं, इससे आगे भी राष्ट्रपति जी ने बहुत सी उपलब्धियों के बारे में बताया। एक तरफ पंचायती राज संस्थाओं के गहरीकरण की बात की गई। शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के भाई किसी तरह अच्छी शिक्षा, ऊंची शिक्षा पा सकें, उनके स्कॉलरशिप की बात बताई गई। आज हर जगह ऊर्जा का संकट देखा जा रहा है। राष्ट्रपति जी के भाषण में अल्ट्रा माडर्न पावर प्रोजैक्ट का उल्लेख किया गया है। जिस तरह गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है, महामहिम राष्ट्रपति जी ने इस बात का संतोष जताया है कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कुछ ही समय में पूर्ण हो जाएगा और नार्थ, साउथ, ईस्ट, वैस्ट कॉरीडोर के बारे में कार्य पूरी तरह चलने लगेगा। रेल में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और रेल मंत्री लालू जी ने दिखा दिया कि शायद साठ सालों में इतना प्रगतिशील, संवेदनशील और सक्षम रेलवे मंत्री कोई नहीं हुआ, महामहिम राष्ट्रपति जी ने इस बारे में भी उल्लेख किया है। कई सालों से हवाई जहाज और एयरपोर्ट्स में दिक्कत हो रही थी। यूपीए सरकार ने जिस तरह रेल में कार्य किया, उसी तरह एयरपोर्ट में पोर्ट्स के नवीनीकरण की बात की। इस बारे में महामहिम राष्ट्रपति जी ने उल्लेख किया। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की बात की गई। एनडीए सरकार ने कई वर्षों तक प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की बात की। उन्होंने कहा कि हम प्राइवेट सैक्टर्स को बुलाते हैं लेकिन हमारे सामने उसका एक भी बड़ा उदाहरण नहीं आया। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप वह थी कि अपनी हर चीज उठाकर उनके हवाले कर दें। हमने वह नहीं किया। हमने उन्हें अपने साथ जोड़ा और उनके और हमारे बीच में प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का यही बहुत बड़ा अंतर है।

सभापति जी, उस तरफ से मेरे एक मित्र ने समाजवाद की बात की थी। जब कभी पूंजीवादी लोग स्वयं समाजवाद की दुहाई देते हैं, तो मन में कहीं न कहीं मजे की बात जरूर आती है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण को आगे बढ़ाते हुए टेक्नोलॉजी की बात की है। महामहिम राष्ट्रपति जी स्वयं इस देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं। हिन्दुस्तान में जिस तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, हमको लग रहा है कि आज का युवा वर्ग उस तरफ आकर्षित नहीं हो रहा है, उस आकर्षण को वापस लाने के लिए उनकी सरकार आज जिस नीतियों पर काम कर रही है, उस बारे में महामहिम राष्ट्रपति जी ने सदन का ध्यान आकर्षित किया है। मैं महामहिम राष्ट्रपति जी को विशेष कर इस बारे में धन्यवाद देना चाहूंगा।

यही नहीं, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में पुलिस के माडर्नाइजेशन की बात भी कही गयी है। हम मानते हैं कि पुलिस ज्यादातर राज्यों का विषय होता है। आज जिस तरीके से जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों और नक्सली प्रभावित जिलों में आतंकवाद की बात चल रही है, उसे लिए हमें पुलिस पर ध्यान देना पड़ता है। हमारी आर्म्ड फोर्सेज को आज और सशक्त करना पड़ेगा चाहे उसमें आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो। इन सबके बारे में महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में बहुत ही साफ तरीके से कहा है और इन पर अपनी चिन्ताएं व्यक्त की हैं।

महामहिम राष्ट्रपति जी ने ज्यूडिशियल रिफार्म की बात भी की है। आज हमें आजाद हुए 60 वर्ष के करीब हो गए हैं। हर क्षेत्र में हमने कहीं न कहीं रिफार्म पाया है। ज्यूडिशियरी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें शायद लोगों को लगता है, मैं बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं क्योंकि मैं कोर्ट्स का बहुत आदर करता हूं, लेकिन एक बात कहीं दिखाई दे रही है कि आज हमारी जो ज्यूडिशियरी व्यवस्था है, वह उस तरीके से आगे नहीं बढ़ी जिस तरीके से इस देश की जरूरतें आगे बढ़ती गयी हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में ज्यूडिशियल रिफार्म बिल के बारे में कहा है। उन्होंने नैशनल ज्यूडिशियल काउंसिल के बारे में भी अपने अभिभाषण में भी कहा है। बहुत साफ तरीके से किया गया है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने हमारी विदेश नीति का भी उल्लेख जो ग्रामीण न्यायालय की हम बात कर रहे हैं, उसका भी उल्लेख किया है। आज के वातावरण में यह मानते हुए और जानते हुए कि जगह-जगह आतंकवाद की हरकतें बढ़ती जा रही हैं, कहीं न कहीं हमारे पड़ोसी राज्य भी शायद उसमें लिप्त हैं, उसके बावजूद भी उनकी सरकार ने काफी कोशिशें की हैं। जहां भूटान के साथ हमने एक नयी नीति पर हस्ताक्षर किये हैं, उसी के साथ-साथ बंगलादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान, इन तीनों देशों के साथ हमारी दोस्ती थोड़ी बहुत हर वर्ष एक न एक कदम आगे बढ़ती जा रही है।

महामहिम राष्ट्रपति जी ने इस बात का भी स्वागत किया है कि अफगानिस्तान भी सार्क गुट में शामिल हो। मेरे ख्याल से हम सबको अफगानिस्तान का सार्क में शामिल होने के लिए स्वागत करना चाहिए। लुक ईस्ट पालिसी यूपीए सरकार द्वारा बनायी गयी जिसके कारण ईस्ट एशिया के तमाम देशों के साथ हमारी दोस्ती और बेहतर हुई है। उसमें नालंदा प्रौजेक्ट का विशेष उल्लेख किया गया है। क्योंकि उसमें कई देश ऐसे हैं जो बुद्धिज्म से प्रभावित हैं। बौद्ध के ज्यादा से ज्यादा सैंटर्स

[श्री सन्दीप दीक्षित]

हिन्दुस्तान में हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में नालंदा प्रौजेक्ट का भी उल्लेख किया है। इन सब बातों को मैं इसलिए बताना चाह रहा था क्योंकि बार-बार यह बात आती है कि जब कोई सरकार अपने सामने आती हुई मुसीबातें या दिक्कतों को देखती है, तो अपनी रणनीति में वे किन चीजों को लेती है, इस बारे में महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से बड़े साफ रूप से उल्लेख होता है। यूपीए सरकार के सामने तीन साल पहले जो चुनौतियां आई थीं, जिन परिस्थितियों में यूपीए सरकार बनायी गयी थीं, जिन परिस्थितियों में तमाम घटक दल यूपीए सरकार के अंदर आये थे, जिन चीजों के बारे में हमने सोचा और समझा था कि वे हमें जनता से मिली हैं, उन तमाम दिक्कतों को सामने रखते हुए, इस देश की परिस्थितियों को सामने रखते हुए, नीतियों, कार्यक्रमों और विधायकी का जो एक जामा हमारी सरकार ने बुना है, उस बारे में राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में उल्लेख किया है और रणनीति के बारे में बहुत साफ तरीके से कहा गया है।

मुझे आज कोई संशय नहीं है कि आने वाले दो साल में जब इस सरकार का और समय बीत जायेगा तथा कार्यक्रम सही रूप से जमीनी स्तर पर आगे कार्यान्वित होने लगेंगे, तो इस देश को सही में उस तरह का विकास मिलने लगेगा जिस तरह का विकास पिछले आठ-दस सालों में वंचित रहा है।

अंत में, मैं छोटी सी बात जरूर कहना चाहूंगा कि पिछले दो-तीन दिन से पंजाब और उत्तराखंड के चुनाव का उल्लेख किया जा रहा है। चुनाव में किस राजनीतिक दल को फायदा हुआ है, यह अलग विषय है क्योंकि यह हर राजनीतिक दल की अंदर की समस्या है। लेकिन एक चीज मुझे मजे की लगती है कि एक तरफ पंजाब और उत्तराखंड की जनता ने अपनी राज्य सरकार को बदला वहीं इन दोनों राज्यों में लोक सभा के जो बाय इलैक्शन हो रहे थे, उसमें कुछ दूसरा संदेश वहां की जनता ने दिया। अमृतसर से सिद्धू जी वापस इस सदन में आने वाले हैं। जब वे सदन में आयेंगे, मेरे ख्याल से हम सब उनका स्वागत करेंगे। आज से दो-तीन साल पहले जब उनको वोट मिले थे तब वे तकरीबन एक लाख 10 हजार वोटों से जीत कर आये थे। आज जब हमारी सरकार दो ढाई साल तक भारत सरकार में रह चुकी है तब संभवतः यह माना जाता है कि एंटी-इनकमबैंसी भारत सरकार के प्रति भी लागू होनी चाहिए, तो उनकी लीड एक लाख 10 हजार से घटकर केवल 70 हजार रह गयी। यही नहीं टिहरी-गढ़वाल में हमारे बहुत आदरणीय माननीय सदस्य मानवेंद्र शाह जी की मृत्यु के बाद वहां उपचुनाव हुए। वे वहां के बहुत ही सम्मानित व्यक्ति थे, शायद वे वहां के राजा भी रह चुके हैं। जनता के बीच में उनका अपना स्थान रहा है। वे वहां से कई बार जीते। वहां भी यह माना जा रहा था कि तीन-चार साल के बाद भारत सरकार के प्रति वहां पर एन्टी-इनकम्बेंसी फैक्टर होगा। लेकिन वहां राज्य सरकार के बारे में जनता ने एक आदेश, एक निर्देश दिया और जब वहां संसद का उपचुनाव हुआ तो जनता ने बिल्कुल अलग निर्देश दिया और कांग्रेस के एक नुमाइन्दे को वहां से चुनकर भेजा। अगर आप लोग राज्यों की सरकारों का लेखा-जोखा लेना चाहते हैं और इन चुनावों के जनादेश को पढ़ना चाहते हैं कि जनता ने क्या निर्देश दिया, क्या आदेश दिया, क्या संदेश दिया है, क्या संकेत दिया है तो आपको यह भी देखना पड़ेगा कि इन्हीं दो राज्यों में हुए संसद के उपचुनावों में जनता से क्या संकेत आ रहा है। वह संकेत यही है कि जहां हम हारे, हमारी बढ़त पहले से कम हुई है, वहीं कई जगहों पर हम धीरे-धीरे लीड लेते चले जा रहे हैं। इन्हीं दो इलेक्शन्स को अगर आप आगे बढ़ाते चले जाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि एनडीए को सौहार्दपूर्ण तरीके से इन चुनाव परिणामों को भी पढ़ना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि इन बातों का राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से कोई संबंध है। मैं कहना चाहूंगा कि राष्ट्रपति जी ने बहुत सुन्दर तरीके से सरकार की नीतियों का उल्लेख किया है और साफ रूप से इस देश की जनता को बताया है कि कहां-कहां उनकी सरकार किस-किस समस्या में उसके साथ जुड़ी है। उसके हर पहलू में कहीं न कहीं यूपीए सरकार यह कोशिश कर रही है कि लोगों के बीच जाकर उनके जीवन पर एक सकारात्मक असर कर सके। इन चीजों के लिए मैं राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देता हूं और माननीय मधुसूदन मिस्त्री जी ने जो मोशन मूव किया है, उसका समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : जिन माननीय सदस्यों के धन्यवाद प्रस्ताव पर संशोधन परिचालित कर दिए गए हैं, वे यदि अपने संशोधन पेश करना चाहते हैं तो वे उन संशोधनों के क्रमांक बताते हुए, 15 मिनट के अन्दर पर्चियां सभा पटल पर भेज दें। केवल उन्हीं संशोधनों को पेश किया गया माना जाएगा।

पेश किए गए माने गए संशोधनों के क्रमांक दर्शाने वाली एक सूची इसके थोड़ी ही देर पश्चात् नोटिस बोर्ड पर लगा दी जाएगी। यदि कोई सदस्य इस सूची में कोई विसंगति पाता है तो वह कृपया तुरन्त सभा पटल अधिकारी के ध्यान में यह बात लाए।

यह उन सदस्यों की सूचना के लिए है जिनके संशोधन पहले ही परिचालित कर दिए गए हैं और जो अपने संशोधन पेश करना चाहते थे।

प्रस्ताव पेश हुआ:

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए:-

'कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 23 फरवरी, 2007 को एक साथ

समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं।"

अब श्री लाल कृष्ण आडवाणी।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : सभापति महोदय, मैं आरंभ में कहना चाहूंगा कि राष्ट्रपति जी का अभिभाषण शासन की नीति वक्तव्य है और उसमें राष्ट्रपति जी के अपने विचार नहीं होते हैं। इसलिए उनके प्रति आभार का जो प्रस्ताव है – मोशन ऑफ थैंक्स – मैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन इस नीति वक्तव्य के बारे में अपनी निराशा व्यक्त करता हूं। यह निराशा केवल विपक्ष की है या केवल मेरी पार्टी की है, ऐसा नहीं है। मैं शासन का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहूंगा कि अभी–अभी जिस प्रकार से दीक्षित जी कह रहे थे कि इन दो राज्यों के चुनाव परिणामों का यह अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि इस सरकार की नीतियों से लोग असहमत हैं, बल्कि वह एक प्रादेशिक मामला है। मैंने कल ही सरकार के सहयोगी दलों का एक बयान देखा। भले ही उन सहयोगी दलों से मेरा काफी मतभेद हो, लेकिन मैंने उनके वक्तव्य में देखा, जिसमें सरकार को चेतावनी दी गई थी कि आपने दो राज्य गंवाए हैं, इस पराजय से जो शिक्षा मिलनी चाहिए, उसे मत गंवाएं।

'इकोनॉमिक टाइम्स' में यह लिखना 'आपकी दो राज्यों में हार हुई है; इस अवरोध से सबक लेना मत भूलिए' उनके वक्तव्य को कोट करना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने कहा है –

[अनुवाद]

ये चुनावी पराजय केन्द्र के संप्रग सरकार से संबद्ध है। कांग्रेस नेतृत्व और संप्रग सरकार को इस पराजय से उचित सबक सीखना चाहिए। अपनाई गई नीतियों से मूल्य वृद्धि पर काबू नहीं पाया गया है, कृषि संकट समाप्त नहीं हुआ है और लोगों को राहत नहीं मिली है।

[हिन्दी]

इस सरकार को केन्द्र में बैठे हुए करीब तीन साल हुए हैं। मैं इस बात को कोट करने के बाद भी कहूंगा कि इन दोनों प्रदेशों में जो परिणाम आए हैं, संसद के बजट सत्र आरम्भ होने के बाद आए हैं। इन प्रदेशों में वहां की सरकारों के प्रति जो असंतोष था, वह सामने आया है। इसे कई बार लोग एंटी–इंकम्बैंसी फैक्टर भी कहते हैं। लेकिन विगत तीन साल में बिहार में यूपीए की पराजय, फिर केरल में कांग्रेस पार्टी की पराजय, भले ही उसके सहयोगियों के द्वारा ही हो, ये जितने काम हैं, वे इस बात को प्रमाणित करते हैं कि जिस जनादेश के आदेश पर यह सरकार बनी थी अर्थात् अगर हम शासन में आएंगे तो आम आदमी के जितने कष्ट हैं, उन्हें दूर करेंगे, उनके हितों को आगे बढ़ायेंगे और उनके हितों का संवर्द्धन करेंगे, इस मामले में यह सरकार पूरी तरह से विफल हुई है।

अपराह्न 3.17 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*)

आम आदमी के मन में इस सरकार की कार्य प्रणाली के खिलाफ न केवल असाधारण असंतोष है, बल्कि यह भावना भी है कि इस सरकार ने हमारे साथ विश्वासघात किया है। वह इस तरह से किया है कि लोक सभा के चुनावों से पहले कांग्रेस पार्टी ने देश की जनता के सामने यह नारा दिया था कि "कांग्रेस का हाथ, आम आदमी के साथ।" यह नारा उस समय जनादेश प्राप्त करने के लिए था। आज यह नारा इस तरह से हो गया कि "कांग्रेस पार्टी का हाथ आम आदमी के साथ विश्वासघात।" ...*(व्यवधान)* आप इसे इस रूप में लें कि आम आदमी क्या चाहता है। वह चाहता है कि उसके दैनंदिन जीवन का बजट रोज न बदला जाए।

मैं अपने अनुभव की एक बात आपको बताना चाहता हूं। जब मैं उत्तराखंड में एक छोटे से गांव गंगोली घाट में चुनाव अभियान के लिए गया तो वहां पर मेरी एक सभा थी। वहां हमारी पार्टी की ओर से कुछ बैनर लगे हुए थे, जिसमें रोजमर्रा की चीजों जैसे दाल, आटा, सब्जियों आदि के भाव लिखे हुए थे। इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा दाल की हुई है, क्योंकि गरीब आदमी के लिए प्रोटीन का जरिया सिर्फ दाल ही है। यह बात ठीक है कि हिन्दुस्तान में न्यूट्रिशियस सिक्योरिटी होनी चाहिए, तो उसके लिए दाल है और वह सस्ती मिलनी चाहिए। वहां लगे उन बैनरों पर दाल का दाम 44 रुपए प्रति किलोग्राम लिखा हुआ था। मैं उसे देखकर थोड़ा हैरान हुआ कि कहीं कोई गलती हुई है, क्योंकि हमने सब जगहों पर देखा था कि कुछ दालों की कीमत तो 60 रुपए प्रति किलोग्राम है। मैंने वहां अपनी पार्टी के लोगों से पूछा कि यह 44 रुपए प्रति किलोग्राम लिखा है, क्या यह ठीक है, तो इस पर उन्होंने कहा कि एक महीना पहले चुनाव अभियान शुरू हुआ था, उस समय यह होर्डिंग लगे थे। आपका कहना ठीक है कि आज दालों की कीमत 60 रुपए प्रति किलोग्राम के करीब हो गई है।

हो सकता है दीक्षित जी या अन्य को या मुझे पता न हो और न कोई तकलीफ होती हो, लेकिन कल्पना कीजिए जिसे हम आम आदमी कहते हैं, वह आम आदमी कौन है? या तो गांवों में बसा हुआ किसान हो सकता है या फिर शहर में जो गरीब या मिडिल–क्लास का आदमी रहता है वह आम आदमी है, जिसकी आबादी बहुत अधिक है। उसकी चिंता यह है कि रोजमर्रा काम में आने वाली चीजों की कीमतें ठीक रहनी चाहिए, संतुलित रहनी चाहिए। दूसरी चिंता की बात यह है कि हमारा किसान जो है, वह किसान इस स्थिति में पहुंच जाए कि हजारों किसान आत्महत्याएं करें। यह स्थिति ऐसी है जिसके बारे में इसमें मैंने सब देखा है। पहला प्राइस, दूसरा किसान का कष्ट – आप पूरा पैराग्राफ पढ़ें। प्राइस के बारे में कहा गया है लेकिन उसमें ऑपरेटिव पार्ट नहीं है कि हम कीमतों के बारे में क्या करेंगे? पैराग्राफ 4 में कहा गया है कि :

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

[अनुवाद]

"मेरी सरकार यह मानती है कि अन्तर्वेषी विकास के लिए बनाई गई किसी भी रणनीति का एक महत्वपूर्ण तत्व मुद्रास्फीति को रोकना है।"

यह शुरूआत है।

[हिन्दी]

बीच में उन्होंने कीमतें बढ़ने के कारण बताए हैं। उसका मैं फिर उल्लेख करुंगा। फिर कहा गया है कि :

[अनुवाद]

"मेरी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाना जारी रखेगी कि गरीब व्यक्ति मुद्रास्फीति से दुष्प्रभावित नहीं हों। यह हमारी सत्यनिष्ठ प्रतिबद्धता है।"

[हिन्दी]

इसको क्या नीति–वक्तव्य कह सकते हैं। इसमें कोई कंटेंट नहीं है केवल एक्सप्लेनेशन है कि क्यों बढ़ती है, क्या करें, यह नहीं है।"

[अनुवाद]

"विश्वस्तर पर तेल के मूल्य में बेतहाशा वृद्धि और विश्व–बाजार में माल की कीमत का नतीजा..."

[हिन्दी]

जबकि यह सच नहीं है। ऑयल की ग्लोबल प्राइस पिछले साल बहुत ऊंची थी, 72 डालर प्रति–बैरल थी लेकिन अब 50–55 डालर प्रति–बैरल हो गयी है। यह त्रुटि है और इसलिए राष्ट्रपति द्वारा दिए गए वक्तव्य में भी, उसमें ऐसा भाषण है, वाक्य हो, 'एक्सप्लेनेशन हो। आगे एक्सप्लेनेशन दी गई है कि

[अनुवाद]

"जब वृद्धि और निवेश त्वरित गति से बढ़ता है और आमदनी बढ़ती है तो उत्पादों खासकर रोजमर्रा की खपत वाले उत्पादों की मांग होना निश्चित है।"

[हिन्दी]

सर्वे हुई हैं जिनमें कहा गया है कि गरीबों में खाद्य–पदार्थों का कंजम्पशन पिछले दो दशकों में कम हो गया है और माननीय राष्ट्रपति जी से इस प्रकार का भाषण करवाना क्या सरकार के लिए उचित है? उसके बाद भी अगर कोई दृष्टिकोण होता है कि यह हमारा दृष्टिकोण है और कहते हैं कि हम मानते हैं कि इस मामले में हमें सफलता नहीं मिली है और कारण सही नहीं है, और मानकर कहते कि हम यह–यह करने वाले हैं। बजट पर मेरी तुरंत टिप्पणी हुई तो उसी संदर्भ में हुई। कल हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा

[अनुवाद]

"यहां पशु प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है"

[हिन्दी]

मैं हैरान हो गया। कभी–कभी कोई चुटकला कहा जाता है, ठीक है। आज क्या मेनका जी यहां नहीं हैं। आज की स्थिति में जब लोगों को कष्ट हो और ऐसी स्थिति में ऐसी बात कही जाए तो यह सेंसिटिविटी का अभाव दिखाता है। हिंदुस्तान में सब प्रकार के लोग हैं और सब प्रकार की उनकी इच्छाएं हैं। माननीय राष्ट्रपति जी तो यह कारण नहीं बताते कि ऑयल की प्राइसेज बढ़ गयीं, लोगों में खाद्य पदार्थों की डिमांड बढ़ गयी। मैं मानता हूं कि पिछले सालों में जिस प्रकार से किसानों की आत्महत्याओं के कांड हो रहे हैं उसकी भूमिका अभी नहीं बनी है, आपकी सरकार ने नहीं बनाई है। यह सिलसिला चला है खेती की ओर जितना ध्यान देना चाहिए था उतना नहीं दिया गया और कल हमारे वित्त मंत्री जी ने माननीय नेहरु जी को कोट किया कि खेती की ओर कितना ध्यान होना चाहिए, खेती की उपेक्षा करना यानी इकोनोमी की उपेक्षा करना। यह बात नेहरु जी ने कब कही, उन्होंने तारीख नहीं बताई, लेकिन इसका मतलब तो यही है कि यह एक कमी है जिससे हमें कई दशकों तक दुःख झेलना पड़ा। 40 साल या 50 साल हुए होंगे तब ऐसी बात कही है। इसलिए कम से कम दूसरों को दोष मत दीजिए। मैं कह सकता हूं कि हमारे समय में एसेंशियल कोमोडिटीज में इंफ्लेशन नहीं बढ़ पाई, उसे रोके रखा। यह प्रबंधन का प्रश्न है। यह कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं है, यह मैनेजमेंट का सवाल है और दूसरे फैक्टर का जिक्र मैं बाद में करूंगा। लेकिन यह देखना जरूरी है कि कुल मिलाकर शासन में भ्रष्टाचार कितना है। भ्रष्टाचार का बहुत असर शासन पर पड़ता है।

[अनुवाद]

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी) : हम कृतज्ञ होंगे यदि माननीय विपक्ष के नेता हमें देश में कीमतें बढ़ने की प्रक्रिया के बारे में बताएंगे। यदि मांग का असर कीमतों पर नहीं पड़ता है और यदि पूर्ति मूल्य से अधिक नहीं हो सकती है, हमें उनके भाषण से मुद्रास्फीति के बारे में जानकारी मिलेगी ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : स्वाई जी, आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आठवले जी, यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपको अपने स्थान पर जाना चाहिए। कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, मेरा कहना यह है कि राष्ट्रपति द्वारा सरकार का जो नीति वक्तव्य सदन में प्रस्तुत किया जाए, उसमें परस्पेक्टिवस चाहिए, दिशा चाहिए, सुझाव चाहिए। मैं किसानों की आत्महत्या का मामला कई वर्षों से देख रहा हूं। प्रधानमंत्री जी स्वयं विदर्भ गए थे, जिस दिन गए उस दिन भी आत्महत्याएं हुईं और बाद में भी होती रहीं। पिछले साल मैं विदर्भ गया था, तेलेंगाना भी गया और भी बहुत से प्रदेशों में गया था, जहां भी किसानों द्वारा आत्महत्याएं की गईं। आज इतने समय के बाद अगर हमें आज सरकार से सुनना पड़ता है कि –

[अनुवाद]

"कि एक विशेषज्ञ समूह कृषि–ऋण बोझ की समस्या पर विचार कर रहा है और पीड़ित किसानों को राहत प्रदान करने के उपाय सुझाएगा।"

[हिन्दी]

हमें यह सोचना चाहिए कि जब कोई किसान आत्महत्या करता है, तो इसका मतलब है कि वह उस स्थिति को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इनडेब्टनेस के कारण, लेकिन उसी स्थिति में हजारों और किसान भी हैं, जो बहुत तकलीफ में हैं और स्थिति को सहन कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि कुछ न कुछ होगा, जिसके कारण वे इस स्थिति से मुक्त हो पाएंगे। अगर कहीं 200 किसान किसी क्षेत्र में आत्महत्या करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि दुःख बहुत व्यापक है। कोई साधारणतः आत्महत्या नहीं करता है।

[अनुवाद]

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम) : आंध्र प्रदेश में 3450 मामले हैं।

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मुझे पता है। जब आपकी सरकार वहां थी, तब विपक्षी दल -- कांग्रेस पार्टी ने उसे वास्तविक मुद्दा बनाया था। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मिस्त्री जी, आपने अपनी बात कह ली है। आप कृपया इनकी बात सुनें। *...(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, केवल मिस्त्री जी ऐसे हैं, जिनसे मैं कभी–कभी गुजरात की आलोचना सुनता हूं। मुझे गर्व है कि मैं गुजरात का प्रतिनिधि हूं। मैं जहां भी जाता हूं, वहां मुझे सब कहते हैं कि कमाल का आपका मुख्यमंत्री है और कमाल की आपकी सरकार है। यह प्रमाणपत्र तो सबसे पहले राजीव गांधी फाउंडेशन ने दिया है। मिस्त्री जी, मुझे आप पर तरस आता है।

श्री मधुसूदन मिस्त्री : मैं आपके संसदीय क्षेत्र में रहता हूं, इसलिए सब जानता हूं कि क्या हो रहा है?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : आपकी सरकार ने सच्चर कमेटी बनाई है और उस कमेटी को इसलिए बनाया है क्योंकि यह पता चले कि देश में मुस्लिम समाज की आर्थिक और सामाजिक स्थिति कैसी है। उसने भी कहा है कि गुजरात में मुसलमानों की स्थिति अच्छी है और गुजरात की तुलना में पश्चिम बंगाल में लोग पिछड़े हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आडवाणी के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : प्रधान मंत्री या दूसरा कोई मंत्री जवाब देगा और अगर कृषि मंत्री इसके बारे में कहते हैं कि एक्सपर्ट ग्रुप बनेगा तो वह कब तक रिपोर्ट देगा। हमने उनके लिए गाइडलाइन्स और टारगेट्स दिए हैं। सचमुच इस प्रकार की स्थिति किसी देश में हो तो हमारे सामने लक्ष्य होना चाहिए कि जीरो फार्मर स्यूसाइड होने चाहिए। जिस समय आंध्र प्रदेश में चन्द्रबाबू नायडू का शासन था, इस इशू को उठा कर विपक्ष ने चुनाव लड़ा था और चुनाव के बाद चन्द्रबाबू की सरकर नहीं रही, हमने उसका एग्जामिनेशन करवाया तो देखा कि थोड़ी देर में 6–8 महीने में संख्या इतनी बढ़ गई। आगे इनकी संख्या क्या है, उसके बारे मे यह बताएंगे लेकिन कुल मिला कर हम सब के लिए यह एक चुनौती है, गम्भीर मामला है। इसे पार्टी इशू न बनाकर किस प्रकार से देश भर में फार्मर स्यूसाइड जीरो में ले आएं, यह कोशिश होनी चाहिए। अगर पोलियो को दूर करने के लिए काम करते हैं

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

या दूसरा कोई प्रोग्राम चलाते हैं तो इसके लिए भी एक एप्रोच होनी चाहिए।

[अनुवाद]

कोई सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए जिससे आत्महत्या की दर पूर्णतः नीचे आ जाए। किसानों द्वारा आत्महत्या की कोई घटना नहीं होनी चाहिए।

[हिन्दी]

उसके लिए समय लगेगा क्योंकि बहुत समय से कृषि के क्षेत्र में पूंजी निवेश कम होता जा रहा है, उद्योग के क्षेत्र में होता है, बाकी क्षेत्रों में होता है लेकिन कृषि के क्षेत्र मे इनवैस्टमैंट बहुत कम होता है, इरिगेशन में इनवैस्टमैंट बहुत कम होता है। ये सारे फैक्टर्स हैं। उन सब फैक्टर्स पर होलिस्टिक रूप से एप्रोच करके जीरो फार्मर स्यूसाइड लाने की कोशिश होनी चाहिए।

जब मैं सरकार में था और जिस क्षेत्र से मेरा सम्बन्ध रहा है, अब मैं उस पर आता हूं और वह सुरक्षा है, सिक्योरिटी है। मैं मानता हूं कि आम आदमी को दैनिक उपयोग में लाने वाली चीजों की कीमत ठीक दाम पर चाहिए। आम आदमी का मतलब है जो ग्रामीण इलाके में रहते हैं, किसान हैं। उसे रोज जो कष्ट होता है, वह इस प्रकार से दूर हो जाए कि उसे आत्महत्या न करनी पड़े। लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति ऐसी हो कि आम आदमी सुरक्षित महसूस करे। जितने भी मामले उसकी सुरक्षा से संबंधित हैं, उसके लिए ऐसी सरकार का शासन होना चाहिए कि वह उनको भरोसा दे सके कि इन सब का निवारण होगा।

यहां पर एक पैराग्राफ है। उसमें सिक्योरिटी की जितनी प्रॉब्लम्स हैं, सचमुच एक–एक प्रॉबलम का अलग–अलग से जिक्र होना चाहिए था। हम अगर क्रॉस बॉर्डर टैरारिज्म से डील करेंगे उसमें आईएसआई का जो रोल है, उससे कैसे निपटेंगे, वह आना चाहिए था। मैं जानता हूं कि जिस समय एनडीए की सरकार थी हमने इनीशिएटिव लेकर वहां के राष्ट्रपति को कारगिल युद्ध के बावजूद यहां आगरा में नियंत्रण देकर बुलाया। जब हमने कहा कि हिन्दुस्तान में पाकिस्तान से प्रेरित आतंकवाद है तो उन्होंने बहुत फॉर्मली कहा कि भारत में कम से कम हमारे द्वारा प्रायोजित कोई आतंकवाद नहीं है। यहां जो कुछ भी हो रहा है आजादी की एक जंग है, उसमें बेगुनाह भी मारे जाते हैं, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। जब उन्होंने आतंकवाद के बारे में कुछ कहने से मना कर दिया तब

[हिन्दी]

हमने कहा कि समझौता नहीं हागा। समझौता नहीं हुआ। समझौता अगर हुआ तो जनवरी, 2004 में हुआ। हमारी जब सरकार थी और हमारे प्रधान मंत्री जब इस्लामाबाद सार्क सम्मेलन के लिए गए तो समझौता हुआ। जब उन्होंने संयुक्त वक्तव्य में स्वीकार किया। मैं या हमारी सरकार आतंकवाद को पाकिस्तान के किसी भी इलाके से, जो हमारे कब्जे में हो या हमारा हिस्सा हो, वहां किसी भी प्रकार से होने नहीं देंगे" जब उन्होंने सार्वजनिक वक्तव्य दिया तब समझौता हुआ और बातचीत शुरू हुई और वह बातचीत चल रही है। हम उम्मीद करते हैं कि उसमें से कुछ निकलेगा लेकिन आज भी मैं मानता हूं कि आईएसआई ने अपनी गतिविधियां नहीं छोड़ी हैं, आईएसआई बांग्लादेश से भी ऑपरेट करता है, नेपाल से भी ऑपरेट करता है, कई जगह से ऑपरेट करता है, उसके लिए सावधानी बरतते रहें, यह जरूरी है। लेकिन महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में पैरा 42 में सब बातों को साथ जोड़ दिया गया है और एक शब्द कहकर बात खत्म कर दी गई है।

[अनुवाद]

"मेरी सरकार पुलिस बलों, सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों के आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दे रही है।"

पूरी बात हो गई।

"पूर्वोत्तर क्षेत्र में आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने के लिए एक केन्द्रित और बहु–आयामी प्रयास।"

यह वाक्य भी पूरा हो गया।

".....जम्मू और कश्मीर तथा नक्सली गतिविधि से प्रभावित क्षेत्रों में...."

वह भी इसका हिस्सा हो गया।

".....इससे लाभांश प्राप्त हो रहा है। मेरी सरकार आतंकवाद की चुनौती को मान्यता देती है और इससे निपटने के लिए दृढ़ संकल्प रही है। जबकि हमारी सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां आतंकवादी हमले की कई कोशिशों को निष्फल करने में सफल रही हैं, वहीं दूसरी ओर आतंकवाद की कई दुखांत घटनाएं यथा मुम्बई और असम की घटनाएं और हाल ही में समझौता एक्सप्रेस पर आक्रमण की घटना हुई है। मेरी सरकार सामने आने वाली चुनौतियों से दृढ़तापूर्वक निपट रही है।"

क्या इससे कोई जानकारी प्राप्त होती है? इतना अधिक इसमें असम का नाम लिया गया, उल्फा का नाम नहीं ले सकते कान्सियसली ओमिटेड है। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि हाल ही में असम में हुई सभी घटनाओं के पीछे उल्फा है।

[हिन्दी]

उसमें सबसे दुर्भाग्य की बात है कि जो भी नॉन–असमीज़, हिंदी भाषा, बिहार के लोग वहां बसे हैं, वर्षों से काम कर रहे हैं, उनको पब्लिकली कहते हैं कि ये फार्नर्स हैं, इन्हें यहां से चले जाना चाहिए। 70 लोग एक साथ मारे गए, प्रणव जी जानते होंगे, सदन के नेता हैं, प्रधानमंत्री जी जानते होंगे, प्रधानमंत्री जी असम से इलैक्टिड हैं, विगत दिनों यह सारा प्रकरण हुआ है और जिसमें सार्वजनिक रूप से आरोप लगाए गए हैं कि वहां पर जब गेम्स हो रही थीं तो गेम्स को करने के लिए उल्फा को कीमत देनी पड़ी। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : यह बिल्कुल निराधार और सरासर झूठ है ...*(व्यवधान)*

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : यह पूर्णतः असत्य है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आडवाणी जी के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : आप समझें कि जब उल्फा उस चैनल को धमकी देता है जिस चैनल ने उसे ब्रॉडकास्ट किया तब उस चैनल को प्रोटेक्शन दने के बजाय, उसे बचाने के बजाय सरकार उसका एक्रेडिटेशन कैंसल कर देती है और सुप्रीम कोर्ट को इन्टरवीन करके एक्रेडिटेशन वापस दिलाना पड़ता है।

[अनुवाद]

मैं इसका क्या अर्थ लगाऊं?

[हिन्दी]

कम से कम सरकार में इतनी बुद्धिमत्ता तो होनी चाहिए। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा है, मैंने कहा है कि मुझे खुशी होती अगर यह बात बिल्कुल बेबुनियाद होती। मेरे पास सारे कागजात हैं, उन्होंने भी मुझे पत्र लिखा है लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन मैं केवल हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस जो प्रमुख अखबार वहां के हैं उनको पढ़कर बात कही है, ऐसे नहीं कही है। यह बात सही है कि उस एजेंसी ने आरोप लगाया है और मैं जब देखता हूं ...*(व्यवधान)*

श्री विजय हान्डिक : यह कथित समाचार है ...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : एक बात समझ लें। यदि आपने उस पत्रिका के प्रत्यायन के संबंध में कुछ नहीं किया होता तो कुछ नहीं हुआ होता। मामला न्यायालय में गया और उच्चतम न्यायालय ने हस्तक्षेप किया। आप इस प्रकार के मामलों में उच्चतम न्यायालय को हस्तक्षेप करने का अवसर क्यों देते हैं?

श्री संतोष मोहन देव : उच्च न्यायालय के निर्णय के बारे में क्या कहेंगे? ...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं उच्चतम न्यायालय के एक और निर्णय के बारे में बता रहा हूं जो प्रत्यक्ष रूप से राजनैतिक नेतृत्व से संबंधित है। लेकिन यह विशेष मामला प्रेस से संबंधित है। मैं आपातकाल के आरंभ से अंत तक के बारे में सब कुछ जानता हूं। मैं उस समय भी कहा करता था कि यदि आपातकाल के दौरान केवल राजनेताओं को गिरफ्तार किया गया होता, यदि आपातकाल के दौरान केवल न्यायपालिका के प्राधिकार को क्षीण किया गया होता तो यह लोकतंत्र के लिए उतना विनाशकारी नहीं हुआ होता जितना कि उस समय मीडिया पर किए गए हमलों से हुआ। मीडिया पर थोपी गई पाबंदियां सर्वाधिक शर्मनाक थी। इतने वर्षों बाद मैं यह देखता हूं कि आपातकाल से सीख लेने की बजाय, यहां एक ऐसी सरकार है जो वहां राष्ट्रीय खेलों की कवरेज करने के कारण एक टीवी चैनल का प्रत्यायन कार्ड वापस ले लेती है। इसी प्रकार, मुझे यह भी पता चला है कि आन्ध्र प्रदेश के एक बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रकार श्री रामोजी राव पर हमला किया जा रहा है क्योंकि वे उस सरकार के भ्रष्टाचार का भंडाफोड कर रहे हैं।

इन दो घटनाओं के प्रति अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार संघ ने भी विरोध जताया है। अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार संघ, (आई एफ जे) ने भारत में एक प्रतिबन्धित गुट से मिली धमकियों की निन्दा की है। इस चैनल को असम छोड़ देने के लिए कहा गया है। उन्होंने यह धमकी दी है कि यदि वे असम से बाहर नहीं गए तो उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। इन्हें यह धमकी दी गई थी। हर कोई यह उम्मीद करेगा कि राज्य सरकार उस चैनल की सुरक्षा करेगी न कि इसे अप्रत्यायित करेगी अथवा इसका प्रत्यायन वापस लेगी।

श्री संतोष मोहन देव जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं जानता हूं कि इस देश में जब आपकी ऐसी मानसिकता हो तो आपके लिए श्री जयप्रकाश नारायण जैसे लोग, श्री चन्द्रशेखर जैसे व्यक्ति, यहां तक कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसे व्यक्ति भी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन जाते हैं और उन्हें उन्नीस महीनों के लिए जेल में डाल दिया जाता है। इस देश में ऐसा हुआ है। मैं इसे भूल नहीं सकता।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

अब, जब ऐसी ही मानसिकता दिखाई पड़ती है चाहे वह आन्ध्र प्रदेश में हो या असम में, तो मैं इसका विरोध करना और सरकार की निन्दा करना अपना कर्त्तव्य समझता हूं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल न किया जाए।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मिस्त्री जी, आप बोल चुके हैं, कृपया बैठ जाइये।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : इसलिए संतोष मोहन जी मैंने शुरू में ही कहा कि इस राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में उल्फा का उल्लेख भी न हो, इसे मैं महत्वपूर्ण मानता हूं। मैं इसे एक संकेत मानता हूं कि उल्फा के साथ हमारी कोई मिलीभगत है, जिसके कारण एक समय में उन्होंने पार्टी का समर्थन किया था।

इसमें शक नहीं है कि एक समय आंध्र में भी हमने नक्सलवादियों का समर्थन लेकर अपनी सरकार बनाने की कोशिश की थी। मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री जी स्वयं यहां आये हुए हैं, वह असम के प्रतिनिधि हैं, इसीलिए मैं उनसे अपेक्षा करूंगा कि इस पूरे कांड के बारे में जो कुछ हुआ है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को भी इंटरवीन करना पड़ा और जिस पर विश्व भर के लोगों ने टिप्पणी की, उसके बारे में वह स्पष्टीकरण दें। आसाम से ही संबंधित मैंने संतोष मोहन जी को कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्णय दिया, उस निर्णय के बारे में आपने क्या किया। इं.एम.डी.टी. एक्ट, जिसके बारे में मैं समझता हूं कि वहां पर इल्लीगल इमिग्रेशन चलता रहे और वहां की सारी डेमोग्राफी बदल जाए। हमारी सुरक्षा उस प्रदेश की ही नहीं लेकिन सारे देश की सुरक्षा संकटग्रस्त हो जाए, इसमें आईएमडीटी एक्ट का बहुत बड़ा रोल है और इसीलिए जब सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्ट्रैक–डाउन किया और कहा कि अनकांस्टीट्यूशनल है तो हमें लगा कि इससे सबक सीखकर उसके अनुसार काम होगा। लेकिन उसके बजाए तुरंत उसके बाद जिसके कारण उसे अनकांस्टीट्यूशनल किया, वे सारे जो एक्ट के फीचर्स थे, वे सब इनकॉरपोरेट करके एक नया ऑर्डर इश्यू किया जिसका नाम था असम के लिए विदेशियों के अधिकरण आदेश, 2006। अभी जिन्होंने एक्ट के खिलाफ याचिका दी थी, वे फिर से कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने इस 2006 के एक्ट को पिछले साल के अंत में फिर से स्ट्रैक–डाउन किया और कहा कि

[अनुवाद]

"ऐसा लगता है कि अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारण) अधिनियम के असंवैधानिक घोषित किए जाने के पश्चात् जारी किए गए 2006 के आदेश को इस न्यायालय के निदेशों का कार्यान्वयन न किए जाने की बात छिपाने के लिए ही जारी किया गया है।"

न्यायमूर्ति एस.बी. सिन्हा और न्यायमूर्ति पी.के. बालासुब्रमण्यम की पीठ ने कहा :

"आई एम डी टी पर पूर्व में लिए गए निर्णय में उस सुसंगत सामग्री का उल्लेख किया गया जो यह दर्शाती थी कि उत्तर पूर्वी राज्यों में ऐसे अनियंत्रित आव्रजन से राष्ट्र की अखंडता को खतरा है। इसलिए जिस चीज की जरूरत है वह है इस न्यायालय द्वारा जारी किए गए निदेशों (पूर्व के निर्णय में) का कड़ाई से कार्यान्वयन करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अवैध आप्रवासी देश से बाहर कर दिए जाएं।"

यह केवल असम पर लागू नहीं होता है बल्कि यह संपूर्ण देश पर लागू होता है। मैं आशा करता हूं कि जब माननीय प्रधानमंत्री इस वाद–विवाद का उत्तर देंगे तो वे इस देश को और इस सभा से इस बात से अवगत कराएंगे कि बांग्लादेश से आए अवैध आप्रवासियों, जो यहां आए और पहले असम अथवा उत्तर पूर्व के राज्यों में घुसे, तथा बाद में सम्पूर्ण देश में फैल गए, को बांग्लादेश, जहां के वे हैं, वापस भेजने के लिए कौन–कौन से कदम उठाए जा रहे हैं। हमें यह भी दुःख है कि अवैध आप्रवासियों को बाहर करना सुनिश्चित करने के मामले में इच्छाशक्ति की कमी है। अब, यह सीधे तौर पर भारत सरकार के विरुद्ध है।

मैं और आगे उद्धृत करता हूं:

"अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों में जारी किए गए परमादेश का पालन करने और इंडिया, जो कि भारत है, के एक हिस्से के जनांकिकीय संतुलन को संरक्षित रखने तथा असम में 1964 के आदेश का कार्यान्वयन करने की बजाय प्राधिकारियों ने, ये जो भी हों, इस आदेश को असम में लागू नहीं करने योग्य बताना ज्यादा पसंद किया।"

तत्पश्चात्, उच्चतम न्यायालय का अंतिम अभ्यारोपण बहुत ही गंभीर है। मैं इसे बहुत सावधानीपूर्वक पढ़ रहा हूं। "यद्यपि हम सामान्यतः टिप्पणियां करने से बचते हैं, लेकिन जब राष्ट्र की सुरक्षा का प्रश्न हो तो हमें यह कहना पड़ेगा कि जिस नीयत से यह कार्य किया गया है उसमें इसके अलावा कुछ और भी भांपने की गुंजाइश शेष है।"

* कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया गया।

अब यहां सरकार की सदाशयता पर प्रश्नचिन्ह लगाया जा रहा है। मैं मात्र अप्रत्यायन संबंधी विवाद का ही उल्लेख नहीं कर रहा हूं। उच्चतम न्यायालय ने एक तरह से इसे सुधार दिया है। मैं इस विशिष्ट मामले का उल्लेख कर रहा हूं जो आई.एम.डी.टी. तथा इसके पश्चात् जारी किए गए आदेश तथा सरकार को दिए गए इन निदेशों के बारे में है कि अवैध आप्रवासी बांग्लादेशियों को अवश्य ही बांग्लादेश वापस भेज दिया जाए।

महोदय, सभा में राष्ट्रपति द्वारा अभिभाषण दिए जाने के कुछ ही देर पहले मुझे श्री वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता वाले द्वितीय सुधार आयोग के प्रतिवेदन की एक प्रति मिली है। मैंने सरसरी तौर पर इसको देखा है। आशा है सभा में इस पर पूर्ण रूप से चर्चा करने का अवसर आएगा और तब मैं अपनी टिप्पणियां दूंगा। यद्यपि, उनके द्वारा की गई बहुत सी सिफारिशें पूर्व की समितियों की सिफारिशों आदि से ली गई हैं लेकिन कुल मिलाकर नैतिक शासन और भ्रष्टाचार–मुक्त शासन पर दिया गया जोर स्वागत योग्य है।

इसलिए, मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसका उल्लेख तक नहीं हुआ। एक बार पुनः, यह एक ऐसी गलती है जिस पर मुझे आश्चर्य हुआ। अभिभाषण में उल्का का उल्लेख तक नहीं किये जाने पर भी मुझे आश्चर्य हुआ।

मोईली आयोग ने इसका उल्लेख इसमें क्यों नहीं किया? कम–से–कम, हमें इस बात का कुछ अनुमान तो हो जाता है कि सरकार इसके बारे में क्या सोचती है। पहली बार मैंने सोचा कि इसमें कुछ न कुछ तो है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण के अंतिम पैरा में, भ्रष्टाचार का उल्लेख है। कम–से–कम "भ्रष्टाचार" शब्द का प्रयोग तो किया गया है। मैं इसे पढ़े देता हूं। यह पैरा 58 है।

> "सरकार में सुधार लाना, इसे और अधिक पारदर्शी तथा जवाबदेह बनाना और भ्रष्टाचार के कैंसर को दूर करना समग्र विकास की कार्यनीति के आवश्यक तत्व हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम अपने नागरिकों को सशक्त बनाने का एक साधन है। उनके हाथों में अपेक्षाकृत अधिक सशक्त साधन अपनी आवाज सुनवाने का उनका अधिकार है..." जब महत्वपूर्ण जानकारी को उनसे 17 दिनों तक छिपा कर रखा गया हो तो वे अपनी आवाज़ कैसे सुना सकते हैं? मैंने इसे आज सुबह देखा। अब तक, श्री पचौरी द्वारा सभा पटल पर रखे गए विवरण के बावजूद, जिसमें यही खबर आई कि ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, क्यों सरकार की ओर से 23 तारीख तक चुप्पी साधे रखी गई? इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : उन्हें जमानत पर रिहा किया गया।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : उनके जमानत पर रिहा होने तक का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। यह सत्य है। क्योंकि निचली अदालत ने कहा : "कोई जमानत नहीं। हम जमानत नहीं देंगे।" इसके बाद, वह बड़ी अदालत में गए। उनके जमानत पर रिहा होने तक, कोई स्पष्टीकरण नहीं था। तभी यह समाचार आया। प्रधानमंत्री जी, अब आप कहते हैं कि सूचना का अधिकार मौजूद है, लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। संसद को इसकी जानकारी होनी चाहिए। आखिरकार, सबसे महत्वपूर्ण बात संसद की आवाज है, अपनी बात सुनाने का उनका अधिकार है। यह कहा गया है: "उनके हाथ में अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली साधन है जो हमारी संसद के इस महान परिसर में अपनी आवाज सुनाने और अपनी शिकायतों का निराकरण करने का उनका अधिकार है। शाश्वत सतर्कता, जैसा कि कहा गया है, लोकतंत्र का मूल्य है।"

यही बात मुझे आश्चर्य में डालती है और यह कुछ–कुछ बनावटी–सी प्रतीत होती है। यह बहुत अधिक विश्वसनीय नहीं लगती। कोई भी ऐसा क्यों सोचता है कि अगर यह समाचार जाहिर हो जाता तो इससे पंजाब के, उत्तरांचल के चुनाव प्रभावित हो जाते? मैं इसके बारे में नहीं जानता। लेकिन, शायद सरकार में कुछ ऐसे लोग हैं, जो ऐसा सोचते हैं कि इस तरह के छोटे–छोटे मामले, बोफोर्स का जिक्र, क्वात्रोची का जिक्र होने मात्र से लोगों में ऐसी प्रतिक्रिया हुई जिसने इस दल को उन दो राज्यों में इसे जो धक्का पहुंचा है उसमें इन चीजों का योगदान है। शायद ऐसा हो सकता है कि ऐसा लोगों का फैसला रहा हो। लेकिन, मैं समझता हूं कि यह भी ऐसी बात है जिसके बारे में प्रधानमंत्री को स्पष्ट करना चाहिए कि क्यों 23 तारीख तक एक ऐसे तथ्य को छिपाकर रखा गया जिसके बारे में सरकार को 6 तारीख से और औपचारिक रूप से 8 तारीख से जानकारी थी।

जहां तक मोईली आयोग का संबंध है, मैं केवल यही उद्धरण दूंगा। मोईली आयोग ने यह बात आखिर में कही है।

"यह रिपोर्ट आशावादिता के साथ समाप्त होनी चाहिए। भारतीयों ने हमेशा ही इस जगत को मिथ्या माना है और जीवन जीने के लिए अध्यात्मवाद को अपनाया है।"

मैंने इस उद्धरण का उल्लेख इसलिए किया है क्योंकि दुर्भाग्यवश भारत में प्रायः धर्मनिरपेक्षता को ऐसे किसी विचार के समान मान लिया जाता है जिसका धर्म या अध्यात्मवाद से कोई सरोकार नहीं।

श्री प्रकाश परांजपे : सही है?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : सही क्या है? अतः इस प्रकार की आधिकारिक रिपोर्ट बताती है कि वे आशावादी हैं क्योंकि भारतीयों ने हमेशा ही इस जगत को मिथ्या माना है और जीवन जीने के लिए अध्यात्मवाद को अपनाया है।

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

"हमारे महाकाव्यों में अच्छे व्यवहार, अच्छाई की बुराई पर विजय, संतों की बुद्धिमता का प्रचुर उल्लेख है। विक्रमादित्य जैसे राजाओं की ईमानदारी, उदारशीलता और धर्मनिरपेक्षता की पौराणिक कहानियां आज भी हमारे बच्चों को प्रतिदिन सुनाई जाती हैं।"

इतना ही नहीं, बल्कि जिस बात ने मुझे सबसे अधिक हर्षित किया वह अगले वाक्य में है, जिसमें कहा गया है:

"कोई कारण नहीं है कि राम राज्य लाने के प्रयत्न नहीं किए जा सकते।"

इसी में आगे यह भी कहा गया है :

"आयोग का मानना है कि शासन में नीतिशास्त्र के बारे में यह प्रतिवेदन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है जो कि इस आयोग से अपेक्षित है क्योंकि शासन में अधिकारिक ईमानदारी का भारत के लोगों के दैनंदिन जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इस रिपोर्ट की सिफारिशों के लागू होने पर सरकारी कार्य में और अधिक कुशलता तथा जवाबदेही लाई जा सकेगी क्योंकि अधिकाधिक लोक सेवक निजी हितों के लिए काम न करके लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे। इतना ही महत्वपूर्ण है, अपेक्षाकृत अधिक भ्रष्टाचार–मुक्त व्यवस्था होने से हमारे सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर उच्च रहेगी, अर्थव्यवस्था में समग्र सुधार होगा और जनता की सेवा करते हुए सरकार के कार्यों में अधिक पारदर्शिता आएगी। इस सब के परिणामस्वरूप लोगों को अधिक शक्ति प्राप्त होगी जो एक जीवंत लोकतंत्र की मुख्य आवश्यकता है।"

महोदय, यहां जो कुछ कहा गया है मैं उसका पूर्ण समर्थन करता हूं और अनुभव के आधार पर मैं सभा से तथा विशेष रूप से श्री मधुसूदन मिस्त्री से यह कहना चाहता हूं कि यदि आज देशभर में और देश से बाहर भी गुजरात की विकास व उसके लोगों के कल्याण के लिए प्रशंसा हो रही है, तो उसका एक मुख्य कारण वहां पारदर्शिता और भ्रष्टाचार–हीनता है जो गुजरात सरकार अपने यहां लाई है। अतः, भ्रष्टाचार–मुक्त शासन निस्संदेह ये सब अच्छी बातें लाता है।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं पुनः कहूंगा कि धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मैं उन बातों से निराश हूं जो राष्ट्रपति के माध्यम से एक नीतिगत कथन के रूप में उसमें शामिल की गई हैं।

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए अर्थात् :–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश की आंतरिक सुरक्षा के बारे में सरकार की विफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (43)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं के धर्म के आधार पर आरक्षण रोकने हेतु उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (44)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में लोकपालों की नियुक्ति द्वारा भ्रष्टाचार रोकने एवं लोकपाल विधेयक को अधिनियमित करने हेतु किसी प्रस्ताव के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(45)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में लोकपालों की नियुक्ति द्वारा भ्रष्टाचार रोकने एवं लोकपाल विधेयक को अधिनियमित करने हेतु किसी प्रस्ताव के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(46)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश की सभी नदियों को परस्पर जोड़ने हेतु किसी परियोजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(47)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भविष्य निधि सहित छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दर में वृद्धि के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(48)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बंधुआ मजदूरी विशेषकर बालश्रम प्रथा के उन्मूलन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(49)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के सभी नागरिकों को राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने संबंधी किसी भी योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(50)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में किसानों को दिए गए ऋण के ब्याज में कमी करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(51)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारिया आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(52)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पुनरुद्धार के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(53)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा किसानों को अधिक सिंचाई सुविधा संबंधी किसी योजना के बारे में काई उल्लेख नहीं है।"(54)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजने हेतु उनकी पहचान में तेजी लाने की प्रक्रिया के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(55)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में खाद्यान्नों के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि को कम करने हेतु सरकार के प्रस्ताव के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(56)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के विभिन्न राज्यों में कतिपय संगठनों द्वारा प्रलोभन के माध्यम से धर्मपरिवर्तन की घटनाओं को रोके जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(57)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भू-जल स्तर में कमी को रोकने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(58)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बेरोजगारी की समस्या के निदान के लिए किसी समयबद्ध योजना का कोई उल्लेख नहीं है।"(59)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आतंकवाद प्रभावित परिवारों विशेषकर विधवाओं और अनाथ बच्चों को पुर्नवास पैकेज के तहत राहत पहुंचाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(60)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विशेष आर्थिक जोन नीति जिसके तहत विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा विशेष आर्थिक जोन के लिए किसानों को पर्याप्त मुआवजा दिए बिना उपजाऊ भूमि अधिग्रहित की जा रही है, की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(61)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कतिपय राज्यों में जनसंख्या असंतुलन को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या नीति लागू करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(62)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश की अतिरिक्त विद्युत उत्पादन संबंधी वार्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(63)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में किसानों की दयनीय स्थिति सुधारने हेतु ठोस समयबद्ध कार्यक्रम के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(64)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में नशाखोरी को रोकने हेतु किसी ठोस कार्यक्रम के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(65)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में आईएसआई की गतिविधियों को रोकने हेतु किसी ठोस कार्य योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(66)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पूर्वोत्तर राज्यों में बढ़ते हुए पृथकतावाद तथा आतंकवादी गतिविधियों को रोकने हेतु किसी योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(67)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जम्मू-कश्मीर से विस्थापित लोगों के पुनर्वास हेतु किसी कार्यक्रम के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(68)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बच्चों के विरुद्ध बढ़ते अपराधों को रोकने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(69)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में गो-हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के बारे नें कोई उल्लेख नहीं है।"(70)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् .

[श्री संतोष कुमार गंगवार]

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बच्चों के विरुद्ध अपराधों को रोकने जैसाकि निठारी कांड घटना में देखने में आया है तथा देश के विभिन्न राज्यों में बच्चों पर हो रहे यौन शोषण को रोकने हेतु कोई ठोस कदम उठाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(71)

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उड़ीसा के सभी जिलों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम में शामिल करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(74)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उड़ीसा में एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.) की स्थापना करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(75)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कोयले की रॉयल्टी जो 2002 से बकाया है, में वृद्धि करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(76)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विद्युत उत्पादन पर शुल्क लगाने और लाभ को विद्युत उत्पादक राज्यों को हस्तांतरित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(77)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में के. बी.के क्षेत्र, जो देश के सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्रों में से है और जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की अत्यधिक सघनता है, के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज दिए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(78)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कटक शहर को जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन में शामिल करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(79)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कोयले तथा अन्य मुख्य खनिजों की रायल्टियों में मूल्यानुसार वृद्धि करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(80)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के अधिसूचित क्षेत्र में प्रत्येक खंड में कम से कम एक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय खोलने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(81)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के अधिसूचित क्षेत्रों में 250 अथवा इससे अधिक की जनसंख्या वाले जनजातीय गांवों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधीन सड़क निर्माण के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(82)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कटक में भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के क्षेत्रीय मुख्यालय की स्थापना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(83)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में लौह अयस्क के आयात पर कोई मात्रात्मक प्रतिबंध लागू करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(84)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जनजातीय बहुल उड़ीसा को अन्य औद्योगिक रूप से विकसित राज्यों के समकक्ष लाने के लिए उसके सर्वांगीण और संतुलित विकास के बारे मे कोई उल्लेख नहीं है।"(85)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उड़ीसा को विशेष श्रेणी का राज्य घोषित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(86)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उड़ीसा के पर्यटन स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय मानदंड के अनुसार विकसित किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(980)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए उड़ीसा को विशेष केन्द्रीय सहायता दिए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(981)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभापण में उड़ीसा राज्य सरकार पर बकाया ऋण माफ किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(982)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उड़ीसा में केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(983)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उड़ीसा में एक आई.आई.एम. स्थापित किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(984)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बरला स्थिति उड़ीसा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को आईआईटी घोषित किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(985)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उड़ीसा में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान खोले जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(986)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मूल्य वृद्धि रोके जाने के लिए तत्काल कदम उठाये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(987)

श्री कीरेन रिजीजू : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में, महापरिनिर्वाण की 2550 वीं वर्षगांठ, जो बुद्ध जयंती, परिनिर्वाण तथा भगवान बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति के उपलक्ष्य में इस वर्ष विश्व भर में मनाई जा रही है, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(92)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अरुणाचल प्रदेश के सुदूरवर्ती और सीमावर्ती क्षेत्रों, विशेषरूप से मैकमोहन रेखा के साथ लगते क्षेत्रों को विशेष आर्थिक पैकेज देने तथा सड़क अवसंरचना में सुधार करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(93)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न पारंपरिक व्यापार मार्गों से चीन, भूटान तथा म्यांमार के साथ सीमा व्यापार में वृद्धि करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(94)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अरुणाचल प्रदेश के सभी जिलों को चालू वर्ष में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अधीन शामिल करने के बारे में उल्लेख नहीं है।"(95)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गरीब रथ रेलगाड़ी की तर्ज पर पूर्वोत्तर राज्यों में आने–जाने वाली कम लागत वाली "गरीब विमान" वायु सेवा शुरू करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(96)

श्री विक्रम केशरी देव : मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में कमजोर स्थानों पर उग्रवादी और कट्टरपंथी आतंकी हिंसा की कार्रवाई जैसे ट्रेन बम विस्फोटों और आंतरिक विप्लव को रोकने हेतु किए गए उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(233)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में सूखे और बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(234)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राज्य में नदियों को जोड़ने की परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए आर्थिक रूप से पिछड़े उड़ीसा जैसे राज्यों को किसी भी प्रकार की सहायता प्रदान करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(235)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उड़ीसा में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए बुनियादी अवसंरचना, जैसे भुवनेश्वर विमानपत्तन को एक अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित करने और जेपुर, राउरकेला और संभलपुर जैसे वर्तमान विमानपत्तनों को विकसित करके पर्यटक स्थल बनाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(236)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उड़ीसा राज्य में छोटी विमान सेवाएं उपलब्ध कराने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(237)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(238)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को कारगर बनाने हेतु चिकित्सकों को उपलब्ध कराने तथा पिछड़े राज्यों को सहायता प्रदान करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(239)

[श्री बिक्रम केशरी देव]

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के पिछड़े राज्यों में महिला समाज, स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं (आशा) को आधारभूत चिकित्सा प्रशिक्षण दिए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(240)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारत के विशेषकर उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्र में गांवों के पीयूआरए कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(241)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उड़ीसा में आईआईटी शुरू किए जाने तथा उड़ीसा के कालाहांडी-बोलनगीर कोरापुट (केबीके) क्षेत्र में केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(242)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बड़ी सिंचाई और औद्योगिक परियोजनाओं के निर्माण से बेदखल किए गए लोगों के पुनर्वास के लिए उचित विधान बनाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(243)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में खुदरा बाजार का बहुराष्ट्रीय कंपनियों और बड़े औद्योगिक घरानों को देने की सरकार की नीति में छोटे व्यापारियों और फेरीवालों के पुनर्वास की नीति बनाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(244)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उड़ीसा के कालाहांडी-बोलनगरी-कोरपुट (केबीके) क्षेत्रों में रासायनिक प्रदूषण और भू-जल की अनुपलब्धता से प्रभावित क्षेत्रों को वैकल्पिक पेयजल उपलब्ध कराने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(245)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उड़ीसा में विशेषकर कालाहाण्डी और बोलंगीर जिलों में धावल उत्पादकों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(246)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उड़ीसा राज्य में धावल मिलों को बन्द होने से बचाने हेतु उड़ीसा के कालाहाण्डी की मिलों हेतु लेवी धावल के खरीद मूल्य को बढ़ाए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(247)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उड़ीसा के के.बी.के. क्षेत्र में भारतीय खाद्य निगम की समुचित भण्डारण सुविधाएं उपलब्ध कराने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(248)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में गेहूं उत्पादन बढ़ाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(249)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में खेलों के संवर्धन हेतु युवा प्रतिभाओं का पता लगाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(250)

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गरीब और अमरी के बीच के अंतर को दूर करने के संबंध में उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(991)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्रतिभावान व्यक्तियों तथा ग्रामीण क्षेत्रों से श्रमशक्ति के शहरी क्षेत्रों में प्रवर्जन को रोकने संबंधी प्रस्तावित कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(992)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति को बढ़ाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(993)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि उत्पादन को बढ़ाने तथा सिंचाई क्षेत्र में और अधिक भूमि को लाने हेतु किसी योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(994)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में सभी के लिए एक निर्धारित समय-सीमा के अंदर स्वच्छ पेय-जल उपलब्ध कराने संबंधी ठोस योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(995)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में चिकित्सा क्षेत्र में अबाध तरीके से हो रहे व्यावसायिकरण को नियंत्रित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(996)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के संबंध में किसी ठोस कार्य योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(997)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में लोकपाल विधेयक को पारित करके तथा उसके अधीन लोकपाल की नियुक्ति द्वारा भ्रष्टाचार को समाप्त करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(998)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारिया आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(999)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकार के साथ बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा पत्र–व्यवहार करने के लिए हिन्दी को अनिवार्य बनाए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(1000)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सेना में समान रैंक, समान पेंशन योजना को लागू करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(1001)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं की निरन्तर बढ़ रही घटनाओं को रोकने संबंधी किसी योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(1002)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी किसी योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(1003)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भविष्य निधि योजना और छोटी बचत योजनाओं के लिए 9.5% की दर पर ब्याज के प्रावधान के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(1004)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को पुनःजीवित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(1005)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बंधुआ मजदूरी प्रणाली विशेषकर बाल श्रम प्रणाली को समाप्त किए जाने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम शुरू किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(1006)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उन किसानों के संरक्षण के बारे में, जो कि ऋण के बोझ के कारण प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे हैं कोई उल्लेख नहीं है।"(1007)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को हो रही अत्यधिक क्षति तथा ऐसी आपदाओं से निपटने संबंधी किसी योजना और उन्हें सहायता दिए जाने के बारे में काई उल्लेख नहीं है।"(1008)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में किसानों को 9% की दर के स्थान पर 6% की कम दर पर ऋण दिए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(1009)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का कार्य शीघ्र निपटाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(1010)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सैन्य बलों में मुस्लिमों की गिनती करने को रोकने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(1011)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में धर्म के आधार पर विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण को अस्वीकार करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(1012)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पड़ोसी देशों में खेल प्रतियोगिताओं और अन्य अवसरों के दौरान भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अनुचित तरीके से फहराने के विरूद्ध विरोध प्रकट करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(1013)

[डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय]

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में छोटे व्यापारियों के हितों को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से खुदरा क्षेत्र में 51 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति देने के निर्णय को स्थगित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(1014)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना के कड़े और प्रभावी कार्यान्वयन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(1015)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में साम्प्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए अयोध्या में श्री राम जन्म भूमि मन्दिर के निर्माण के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(1016)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गाय और इसकी प्रजाति की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए कड़े कानून बनाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(1017)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में समान सिविल संहिता लाने के लिए संवैधानिक संशोधन करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(1018)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन पर पूर्ण रोक लगाए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(1019)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विशेष आर्थिक जोनों (एसईजैड) और कृषकों को अधिग्रहीत भूमि की उचित प्रतिपूर्ति देने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भूमि के अधिग्रहण को रोकने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(1020)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश भर में आतंकवाद को प्रभावी तरीके से नियंत्रित किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(1021)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में हमेशा से बढ़ रहे माओवादी और नक्सलवादी गतिविधियों को नियंत्रित किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(1022)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पड़ोसी देशों के साथ परम्परागत सांस्कृतिक संबंध सुधारने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(1023)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि पर रोक लगाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(1024)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पड़ोसी देश से आ रही जाली मुद्रा के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(1025)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में नकली कम्पनियों के माध्यम से देश के शेयर बाजार में आतंकवादियों के प्रवेश के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(1026)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में चूककर्ता अधिकारियों जिन्होंने विभिन्न सैन्य कार्रवाई के दौरान मारे गए सैनिकों के परिवारों को आबंटित पेट्रोल और डीजल के आउटलेट आबंटित करवाने में माफिया की सहायता की और माफिया को सजा देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(1027)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में रेलवे द्वारा बिक्री मूल्यांकन किए बिना लाइसेंस फीस में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण देश में विभिन्न रेलवे स्टेशनों से छोटे-छोटे विक्रेताओं के पलायन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(1028)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में मानव अंगों के अवैध व्यापार पर रोक लगाने की किसी योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(1029)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विभिन्न राज्यों विशेषकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और उससे जुड़े क्षेत्रों में बच्चों के अपहरण, शोषण और हत्या पर रोक लगाने के लिए किसी योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(1030)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में निठारी जैसी घटनाओं की

पुनरावृत्ति पर रोक लगाने के लिए किसी योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(1031)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए स्थगित राष्ट्रीय किसान आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(1032)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि उपज के समर्थन मूल्य में वृद्धि के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(1033)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मध्य प्रदेश के कृषकों और गांवों को बिजली की पर्याप्त आपूर्ति किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(1034)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मध्य प्रदेश की लम्बित परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति दिए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(1035)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, ढाई वर्ष पूर्व संप्रग सरकार दो वायदे करके सत्ता में आई। उसमें से एक धर्मनिरपेक्ष सरकार का गठन था, पिछले लोक सभा चुनाव में जनादेश किसी भी राजनीतिक गठबंधन के पक्ष में नहीं था। परन्तु जनादेश स्पष्ट था, यह सांप्रदायिक ताकतों तथा एन.डी.ए. सरकार के दौरान हुए सांप्रदायिक घटनाओं और सांप्रदायिक हिंसा के विरुद्ध था। देश के लोगों ने सांप्रदायिक सरकार के विरुद्ध मत दिया। परन्तु मैं आश्चर्यचकित हूं कि देश में हो रही सांप्रदायिक घटनाओं का राष्ट्रपति अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इस संबंध में मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण का हिन्दी अनुवाद उद्धृत करता हूं:

[हिन्दी]

"एक सशक्त, आधुनिक, सर्वसमावेशी, पंथनिरपेक्ष और गतिशील भारत बनाने की हमारी प्रतिबद्धता को दोहराने का यह अवसर है।"

[अनुवाद]

'सिक्यूलरिज्म' का हिन्दी अनुवाद धर्म निरपेक्ष है न कि पंथनिरपेक्ष। आर.एस.एस. के किसी व्यक्ति ने अंग्रेजी से अनुवाद किया होगा ...*(व्यवधान)*... मैंने अपना भाषण अभी पूरा नहीं किया है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : संविधान में यह हिन्दी में छपा है जिसकी इन्होंने कसम खाई है। उसमें यही शब्द लिखे हुए हैं। संविधान में यही शब्द लिखे हुए हैं और इसकी कसम खाकर ये यहां सदस्य बने हैं। इसके बाद भी ये कह रहे हैं कि ट्रांसलेशन गलत किया गया है। यह ठीक नहीं है।

अपराह्न 4.00 बजे

आज ये कह रहे हैं कि ये ट्रांसलेशन गलत किया गया है। मैं इन्हें पढ़ कर सुना देता हूं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, अपने भाषण में ...*(व्यवधान)* महोदय, मैं इनके प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहा हूं। आप इन्हें अनमुति क्यों दे रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, ये संविधान की आलोचना कैसे कर सकते हैं? संविधान में ऐसा लिखा है। ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : मैंने अपना भाषण पूरा नहीं किया है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : कांस्टीट्यूशन में यही लिखा है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

श्री बसुदेव आचार्य : आपको जब बोलने का मौका मिलेगा, तब आप बोलना।

[अनुवाद]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : ऐसा संविधान में लिखा है। यह सरकार द्वारा प्रकाशित किया गया है। उन्होंने संविधान के अनुसार शपथ ली है। क्या वे संविधान की आलोचना कर सकते हैं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, कृपया बैठ जाएं।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : तब उन्हें अपना वक्तव्य वापस लेना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : जो ऑब्जेक्शनेबल होगा उसे हम निकाल देंगे, एक्सपंज कर देंगे।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : दक्षिण में बंगलोर से लेकर उत्तर में गोरखपुर और जबलपुर में सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। गोरखपुर में इस सभा के एक सदस्य स्वामी आदित्यनाथ तो यहां उपस्थित नहीं हैं। उनके अनुयायियों ने समस्त गोरखपुर में उपद्रव मचाया ...*(व्यवधान)*

दो व्यक्तियों की मौत हो गई ...*(व्यवधान)* पहली प्रमुख हिंसा श्री अनंत कुमार के क्षेत्र बंगलौर ...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण) : महोदय, मुझे मौका दिया जाए उन्होंने मेरा नाम लिया है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी जब बारी आएगी तब आप बोलना।

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार : महोदय, उन्होंने मेरा तथा मेरे निर्वाचन क्षेत्र का नाम लिया है।

मोहम्मद सलीम (कोलकाता, उत्तर–पूर्व) : उन्होंने कहा कि दो व्यक्तियों को जान से मार दिया गया था। उन्होंने यह नहीं कहा कि उनको इन्होंने मारा है। ...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार : महोदय, जब भाजपा की सरकार थी तब कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ही अच्छी थी। तत्काल नियंत्रण कर लिया जाता था। ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मध्य प्रदेश में ईसाई समुदाय के अल्पसंख्यक वर्तमान में सुरक्षित नहीं हैं। उन पर आक्रमण किया जा रहा है। वे आक्रमण के शिकार हो रहे हैं। मात्र एक महीने पूर्व में मैं रायपुर में था। मैंने पाया कि भाजपा शासित राज्यों में उनके धार्मिक स्थल भी सुरक्षित नहीं हैं। हमारे देश में जहां पिछले चुनाव में मतदाताओं ने सांप्रदायिक शक्तियों के विरुद्ध जनादेश दिया था, वहां ऐसी स्थिति है।

गुजरात की स्थिति क्या है? राष्ट्रपतिजी ने गुजरात की स्थिति के बारे में कोई भी उल्लेख नहीं किया है। हम गुजरात गए थे। इस सदन तथा दूसरे सदन के करीब 8–9 सदस्य दिसम्बर में गुजरात गए थे। मो. सलीम गए थे। श्री मिस्त्री जी उपस्थित नहीं हैं, वे भी गए थे। श्री रामजीलाल सुमन भी वहां गए थे। वे भी इस बारे में बोलेंगे। हमने देखा कि गुजरात में एक समुदाय विशेष के क्षेत्र विशेष में समेटा जा रहा है। मुझे आश्चर्य हुआ जब श्री आडवाणी जी प्रतिपक्ष के नेता ने कहा कि अन्य राज्यों की तुलना में मुस्लिम गुजरात में अच्छी स्थिति में है। ... *(व्यवधान)*

लगभग 2000 व्यक्ति जिंदा जला दिए गए थे। उन्हें इस पर शर्म आनी चाहिए ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण–मध्य) : गोधरा में कितने लोग मारे गए?

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : लगभग दो लाख व्यक्ति बेघर हो गए। ...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार : गोधरा में क्या हुआ? दिल्ली में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद क्या हुआ? ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, राज्य सरकार की प्रतिक्रिया क्या थी? राज्य सरकार ने पुनर्वास और पुनर्वासन में कितनी राशि व्यय की है? हमने अनेक कालोनियों का दौरा किया था।

गुजरात सरकार ने एक भी पैसा व्यय नहीं किया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने केन्द्र सरकार द्वारा भेजी गई राशि भी लौटा दी। गुजरात सरकार ने उस राशि का उपयोग नहीं किया था। यह स्थिति है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वहां जलापूर्ति की व्यवस्था नहीं है। कोई साफ–सफाई नहीं है। कोई शिक्षा की सुविधा और स्वास्थ्य देख–भाल केन्द्र नहीं है। वे गुजरात की तुलना अन्य राज्यों से करते हैं। परन्तु राष्ट्रपति जी ने हमारे देश में सांप्रदायिक स्थिति का उल्लेख नहीं किया है। राष्ट्रपति जी ने हमारी विकास दर का उल्लेख किया है। कल वर्ष 2007–2008 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने भी उल्लेख किया कि आगामी पंचवर्षीय योजना के दौरान हमारा विकास दर 10 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा। वर्तमान में हमारा विकास दर 8.5 प्रतिशत है। अब यह 9 प्रतिशत हो गया है। एक तरफ जी.डी.पी. का विकास हो रहा है। परन्तु मुद्रास्फीति की दर 6.58 प्रतिशत है। उन्होंने अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के दबाव, लोगों की स्थिति, आम आदमी और मध्यम वर्ग का उल्लेख किया है। एक तरफ विकास दर 9 प्रतिशत है और दूसरी तरफ अमीर और गरीब की खाई बढ़ती जा रही है। एक तरफ सकल घरेलु उत्पाद में वृद्धि हो रही है और दूसरी तरफ बेरोजगारी में भी वृद्धि हो रही है। आज हम रोजगार के अवसरों में वृद्धि की बात न करके बेरोजगारी में वृद्धि की बात कर रहे हैं। बेरोजगारी शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रही है। कृषि क्षेत्र में संकट के कारण बेरोजगारी विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रही है। इसके कारण अधिक संख्या में कृषि मजदूर अपनी आजीविका खो रहे हैं। इस विकास के कारण, अमीर और भी अमीर बन रहे हैं। इसका रोजगार के अवसर बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। आज 30 करोड़ व्यक्ति गरीबी में रह रहे हैं। उनकी प्रति दिन की आय एक डालर से कम है।

औद्योगिक मजदूरों तथा कृषि मजदूरों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि हो रही है। जहां तक नौकरी पेशा परिवार का बजट का

संबंध है। ऐसा अनुमान है कि एक वर्ष पूर्व के उपभोग स्तर को कायम रखने हेतु कम से कम 800 रुपए–1000 रुपए की अतिरिक्त आवश्यकता पड़ेगी। मुद्रास्फीति बढ़ गई है। यह कोई नई बात नहीं है। हम पिछले दस–ग्यारह महीने से यह देख रहे हैं। हमने कई बार सभा में इस पर चर्चा की है। 23 मई को मूल्य–वृद्धि विषय पर वाद–विवाद का उत्तर देते हुए। अपने उत्तर के समाप्ति पर वित्त मंत्री ने कहा कि संप्रग सरकार केवल लोगों को आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने का ही प्रयास नहीं करेगी बल्कि सस्ती कीमत पर भी उपलब्ध कराएगी।

महोदय, आज क्या हो रहा है? राष्ट्रपति जी द्वारा यही बताया गया है। यह समस्या का सरलीकरण है। यह सच नहीं है कि लोगों की क्रय शक्ति बढ़ी है। जिसके फलस्वरूप मांग में बढ़ोत्तरी हुई है। पूर्ति में कमी हुई है और उसके कारण प्रायः सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में इजाफा हुआ है।

महोदय, कृषि वस्तुओं के उत्पादन में गिरावट आई है। वर्ष 2004–05 में और पुनः 2005–06 में हमारा अनुमान 4 प्रतिशत था किन्तु कृषि उत्पादन में वास्तविक वृद्धि मात्र दो प्रतिशत थी। इसके फलस्वरूपः कृषि वस्तुओं की पूर्ति में कमी हुई है और सरकार ने विदेशी किसानों को अर्थात् आस्ट्रेलिया के किसानों को अधिक ऊंची कीमत देकर 50 लाख टन तक आयात करने का निर्णय लिया। हमारे किसानों को केवल 650 रु. प्रति क्विंटल और 50 रु. बोनस के रूप में मिला किन्तु विदेशी किसानों को 1,000 प्रति क्विंटल मिला।

महोदय, अग्रणी व्यापार अथवा वायदा व्यापार की पद्धति अप्रैल, 2003 में शुरू की गई थी जब राजग सरकार सत्ता में थी और इसकी वजह से कृषि बाजार में सट्टेबाजी शुरू हो गई और जमाखोरी तथा काला–बाजारी का प्रादुर्भाव हुआ। इसे वापस लेने, कम करने की मांग की गई थी। खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति ने अग्रणी व्यापार और भावी व्यापार को पूर्णरूपेण वापस लेने की सिफारिश की थी। कल, वित्त मंत्री जी ने सभा में कहा कि गेहूं और धान के मामले में अग्रणी व्यापार अथवा वायदा कारोबार को निरस्त कर दिया गया है। वे सभी वस्तुओं के लिए क्यों नहीं कर सकते हैं जिसमें सट्टेबाजी हो रही है और चालबाजी भी किया जा रहा है। उन्होंने एक विशेष समिति नियुक्त की है। समिति नियुक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्ष 2003 में राजग सरकार द्वारा शुरू की गई प्रणाली के कारण बाजार में सट्टेबाजी हुई और सरकार को वायदा–व्यापार तथा अग्रणी व्यापार को वापस लेने के लिए बहुत पहले ही कदम उठाना चाहिए था।

अपराह्न 4.14 बजे

(श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव पीठासीन हुए)

पेट्रोल और डीजल के मामले में, जब संप्रग सरकार ने जून के महीने में पेट्रोल की अन्तर्राष्ट्रीय कीमत 74 डॉलर प्रति बैरल तक हो गई थी, मूल्य में वृद्धि की थी, हम इसके विरुद्ध थे। पेट्रोलियम मंत्री ने एक बैठक बुलाई थी। हम लोगों ने बैठक में भाग लिया था और बहुत से सुझाव दिए और एक सुझाव कर उत्पाद शुल्क का मूल्यानुसार दर समाप्त करने के बारे में था। महोदय, मूल्यानुसार शुल्क के कारण, जब कभी भी कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में बढ़ोत्तरी होती है, तो हमें पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत भी स्वतः ही बढ़ानी पड़ती है।

महोदय, यह प्रणाली राजग सरकार के शासन काल में शुरू की गई थी। यद्यपि कल सामान्य बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री ने कहा है कि उन्होने यह शुल्क आठ प्रतिशत से घटाकर छः प्रतिशत कर दिया है, तथापि इससे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति ने सर्वसम्मति से यह भी सिफारिश की थी कि पेट्रोलियम उत्पादों के मामले में शुल्क संरचना पुनः बनाई जानी चाहिए किन्तु इसे स्वीकार नहीं किया गया है।

महोदय, संप्रग सरकार के गत दो वर्ष के दौरान पेट्रोल और डीजल की कीमत में सात बार वृद्धि हुई है। जब कभी भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, इसका परिणामी असर हुआ है। इसके परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति में वृद्धि हुआ है।

अतः आज पेट्रोलियम उत्पादों पर लगने वाले उपकर तथा शुल्क पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है। अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति जी ने इस समस्या के बारे में उल्लेख किया। किन्तु इसका समाधान कैसे हो सकता है। प्रायः सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है। गेहूं, खाद्य तेल, दाल, दलहन और प्रायः सभी सब्जियों के मूल्यों में वृद्धि हुई है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि दाल की खपत गिरकर 1942 के स्तर तक आ गई है। दलहन को गरीब आदमी का प्रोटीन कहा जाता है। लोग विशेष रूप से निर्धन व्यक्ति, मध्यम–वर्गीय तथा निम्न मध्यम–वर्गीय लोग बहुत कष्ट में हैं। उनकी स्थिति बदतर होती जा रही है। किन्तु इस संकट से निपटने हेतु कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है।

महोदय, अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति जी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने की बात कही है; और वित्त मंत्री जी ने भी बजट प्रस्तुत करने के क्रम में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कंप्यूटरीकरण के बारे में कहा है। किन्तु मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कंप्यूटरीकरण से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है।

संप्रग के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में उल्लेख है कि संप्रग सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को न केवल सुदृढ़ करने बल्कि इसके सर्वभौमीकरण के लिए भी प्रतिबद्ध है। किन्तु वर्ष 2007–08 के बजट प्रस्ताव में खाद्य सब्सिडी में कितनी वृद्धि हुई है। यह केवल 6.05 प्रतिशत है। जब मुद्रास्फीति छह प्रतिशत से अधिक है तो मात्र 6.05 प्रतिशत सब्सिडी बढ़ाना कुछ भी नहीं है। यह बढ़ोत्तरी नहीं है।

[श्री बसुदेव आचार्य]

सभापति महोदय, आप खाद्य नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के सभापति भी हैं; और आपकी समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण तथा सार्वभौमीकरण की सिफारिश की थी। उस अवधि के दौरान, जब आप खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री थे, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की गई थी।

लेकिन सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू करने से आबादी का एक बड़ा प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों में शामिल किए गए जो अन्यथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली से बाहर थे। सार्वभौमीकरण की आवश्यकता है। और साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत और अधिक मदों को भी शामिल करने की आवश्यकता है। अपनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ कर इसके सार्वभौमीकरण द्वारा, जैसा कि संप्रग सरकार की प्रतिबद्धता है। हम आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतों से निपटने में सक्षम हो सकेंगे। आज, उन लोगों की मदद करने की तात्कालिक आवश्यकता है जो न केवल गरीबी रेखा से नीचे नहीं रह रहे हैं बल्कि जो मध्यमवर्गीय तथा निम्न मध्यम वर्गीय समुदाय से हैं। इसलिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की क्या समस्या है? वर्ष 2002–03 में हमारा उत्पादन 696.8 लाख टन था। 206 लाख टन की खरीद की गई थी। वर्ष 2005–06 में भी उत्पादन का स्तर यही था। अधिप्रापण को घटाकर 91 लाख टन कर दिया गया है। फिर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गेहूं के आबंटन को करीब 25.4 लाख टन से कम कर नवम्बर में 8.4 लाख टन कर दिया गया है। संपूर्ण रोजगार योजना के मामले में, गेहूं–आपूर्ति के प्रतिशत में भी कटौती की गई है।

दूसरी समस्या खरीद मूल्य के बारे में है। किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं मिल पा रहा है। इसके परिणामस्वरूप, अभिप्रापण नहीं हो रहा है। गत वर्ष, अधिप्रापण केवल 30 प्रतिशत था। जब तक और अधिक खरीद नहीं की जाती है। जब तक, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ नहीं किया जाता है। हम खाद्य सुरक्षा की समस्या से नहीं निपट पाएंगे।

उस संकट के बारे में भी कुछ उल्लेख किया गया है जो कृषि–क्षेत्र में व्याप्त है। राष्ट्रपति जी ने किसानों की स्थिति के बारे में अपनी चिन्ता व्यक्त की है। किन्तु यह संकट आज का संकट नहीं है। आडवाणी जी किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्या के बारे में बता रहे थे किन्तु किसान आज आत्महत्या नहीं कर रहे हैं। पिछले सात से आठ वर्षों में, किसान हमारे देश के चार या पांच राज्यों में आत्महत्या कर रहे हैं। पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान मैं महाराष्ट्र गया था और मैंने कई गांवों और नगरों का दौरा किया। मुझे ऐसा कोई गांव या शहर नहीं मिला जहां किसी किसान ने आत्महत्या नहीं की है।

किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? एनडीए शासन के दौरान कृषि में पूंजी निर्माण में कमी आई है। सिंचित क्षेत्रफल में कोई विस्तार नहीं हुआ है।

हमारे पास 400 सिंचाई परियोजनाएं लंबित पड़ी हैं। खाद की कीमतों में 100 रुपए की बढ़ोत्तरी, बिजली की कीमत में वृद्धि, बीज पर अधिक खर्च तथा अन्य कृषि संबंधी निवेशों की कीमतों के बढ़ने से कृषक ऋण के जाल में फंस गए। महाराष्ट्र राज्य के 69 प्रतिशत किसान ऋण ग्रस्त हैं। मैं इसके लिए कपास का उदाहरण दे सकता हूं क्योंकि कपास उत्पादक आत्महत्या कर रहे हैं। कपास जैसे कृषि उत्पाद पर आयात शुल्क में कटौती करने से घरेलू कपास उत्पादकों का अस्तित्व ही संकट में पड़ गया। वर्ष 2005–2006 में कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,760 रु. था जबकि उत्पाद लागत 2585 रुपए प्रति क्विंटल थी।

जब यह सरकार बनी इसे राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम का आधार बनाया गया।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आचार्य जी, अभी आपकी पार्टी से दो और माननीय सदस्य बोलने वाले हैं इसलिए आप समय का ख्याल रखिये।

श्री बसुदेव आचार्य : ठीक है, मैं समय का ख्याल रख रहा हूं। आप हमें बोलने के लिए थोड़ा ज्यादा समय दीजिए। मैं 10–12 मिनट के भीतर ही अपना भाषण समाप्त कर लूंगा।

सभापति महोदय : आपको बोलते हुए आधा घंटा हो गया है। अभी आपकी पार्टी से दो और माननीय सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : अभी यह डिसकशन दो दिन और चलेगी।

[अनुवाद]

कपास के बारे में मैंने पहले ही यह उल्लेख किया है कि उत्पादन लागत न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक है। किसानों को सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। यही कारण है कि राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में यह आश्वासन दिया गया था कि किसानों को दिए जाने वाले ऋण को दो गुणा कर दिया जाए। इस बजट में इसे बढ़ाकर 2,25,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। जो किसानों को दिया जाने वाला ऋण होगा।

डा. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की गई। इसने कई सिफारिशों की परंतु आयोग की मुख्य सिफारिश में फसल के नुकसान से प्रभावित किसानों की सहायता के लिए निधि की स्थापना करना और खेती के लिए दिए जाने वाले पर ब्याज को ऋण कम करके चार प्रतिशत करना था। पिछले वर्ष इसे नौ प्रतिशत से घटाकर सात प्रतिशत किया गया, परंतु आयोग की सिफारिशों के

अनुसार इसे कम करके चार प्रतिशत किया जाना था। आयोग ने अखिल भारत ऋण सर्वेक्षण करने और ऋण से राहत प्रदान करने के लिए उपयुक्त उपाय करने की सिफारिश भी की जिसमें व्यथित किसानों को ऋण माफी देना भी शामिल था। इसने कीमत स्थिरीकरण निधि के सृजन की भी सिफारिश की जो कृषि वस्तुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी एक सिफारिश पूरे देश में कृषि विद्यालय और ग्राम ज्ञान केन्द्र खोलकर कृषि विस्तार सेवाओं में सुधार लाने और फसल बीमा को पूरे देश में सभी फसलों पर किसानों की स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप और अधिक लोचदार रूप से लागू करना था।

महोदय, यह अत्याधिक महत्वपूर्ण है।

कृषि के लिए आबंटन में वृद्धि की गई है परंतु यह उस सीमा तक नहीं हो सकी जो किसानों की समस्याओं का समाधान कर सके।

वित्त मंत्री ने यह स्वीकार किया है कि हमारी विस्तार सेवाएं ध्वस्त हो गई हैं उन्होंने यह बताया तो है परंतु इस बजट में भी इसको चालू करने और इसमें सुधार करने के लिए आवश्यक अपेक्षित उपाय नहीं किए गए हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम की परिधि को बढ़ाकर इसमें 330 जिलों को शामिल किया गया है। पिछले वर्ष इसके लिए 11,300 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे। हालांकि शामिल गांवों की संख्या 2300 से बढ़ाकर 330 हो गई है परंतु इसके लिए आबंटन को 11300 करोड़ से बढ़ाकर मात्र 12000 करोड़ रुपए किया गया है। जिन स्थानों पर इस कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जा रहा है उसकी पुनरीक्षा की जा रही है। वास्तविकता क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार लोगों को औसतन केवल 36 दिनों का रोजगार प्रदान किया जा रहा है।

दूसरा इससे यह अधिदेशित है कि यदि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो उस स्थिति में बेरोजगारी प्रतिपूर्ति दी जाएगी। बेरोजगारी प्रतिपूर्ति अधिनियम के अनुसार दी जानी थी जो कि नहीं दी गई है।

महामहिम राष्ट्रपति ने हमारा ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या की ओर खींचा है जिसका हम सामना कर रहे हैं। यह समस्या जमीन से बेदखल लोगों का पुनर्वास और पुनःबसावट की है। प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की है कि सं.प्र.ग. की सरकार शीघ्र ही नई पुनर्वास और पुनः बसावट की नीति की घोषणा करने जा रही है। हम आज भी 1894 के बहुत पुराने अधिनियम के आधार पर भूमि का अधिग्रहण कर रहे हैं। माननीय राष्ट्रपति ने इस अधिनियम का उल्लेख करते हुए सरकार द्वारा इसमें संशोधन करने की बात कही है। यह कानून जिन लोगों या किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया जाता है उनके पुनर्वास के बारे में कुछ नहीं कहता। लोग भूमि के अधिग्रहण के कारण प्रभावित हो रहे हैं और कोई राष्ट्रीय पुनर्वास नीति नहीं है। यद्यपि 12 वर्षों के बाद बनाई गई एक नीति हमारे पास है परंतु यह भी प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए पर्याप्त नहीं है। हम यह देखते हैं कि जनजातीय लोग प्रभावित हो रहे हैं। हजारों जनजातीय लोगों को विस्थापित होना पड़ा है और अभी तक उनका पुनर्वास नहीं हो सका है।

राष्ट्रपति जी ने यह सही कहा कि एक ओर तो कृषि भूमि के अधिग्रहण के बारे में किसानों की वास्तविक चिंताएं हैं और वहीं दूसरी ओर उद्योग से जुड़े कार्यों से रोजगार के सृजन हेतु उस भूमि के उपयोग की आवश्यकता है। अतः मानव पुनर्वास और कृषि भूमि की उचित कीमत तय करने के मुद्दों को नीति और कानून दोनों में स्थान देना चाहिए। मेरी सरकार एक नई पुनर्वास नीति लाने के लिए प्रतिबद्ध है जिसे भूमि अधिग्रहण कानून में यथावश्यक संशोधन करके लाया जाएगा।

जब इस सभा में विशेष आर्थिक क्षेत्र कानून लाया गया था तो हमारी चिंताएं श्रमिकों पर केंद्रित थी – क्योंकि उस अधिनियम में एक ऐसा उपबंध था कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों के भीतर आने वाले उद्योगों पर हमारे देश के श्रम कानून लागू नहीं होंगे। जब हमने इस पर आपत्ति की तो सरकार हमारी बात से सहमत हो गई और उस प्रावधान का लोप कर दिया गया। तत्पश्चात् हमने विशेष आर्थिक क्षेत्र विधेयक का समर्थन किया। यह पारित हुआ और अधिनियम बना। आज क्या हो रहा है? मैं माननीय प्रधान मंत्री का धन्यवाद करता हूं क्योंकि उन्होंने इस समस्त प्रक्रिया पर नियंत्रण रखा है। इस मुद्दे पर मंत्रियों का अधिकार प्राप्त समूह गौर कर रहा है।

एस ई जेड के नाम पर क्या हो रहा है। हजारों हेक्टेयर भूमि खरीदी या अधिग्रहीत की जा रही है। उद्योग स्थापित नहीं किए गए हैं पर रियल एस्टेट का काम हो रहा है। पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार ने यह प्रस्ताव रखा था कि विशेष आर्थिक क्षेत्र की 50 प्रतिशत भूमि का उपयोग रोजगार सृजन हेतु औद्योगिकीकरण के लिए, 25 प्रतिशत भूमि का उपयोग स्थापित किए जाने वाले उद्योगों के लिए अवसंरचना हेतु उपयोग किया जाएगा और 25 प्रतिशत भूमि का उपयोग वे अपनी इच्छा के अनुसार कर सकेंगे। किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जानी चाहिए। यदि कर, उपकर और शुल्क संबंधी कोई छूट दी जाती है तो उससे असमान प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होगी। अब विशेष आर्थिक क्षेत्र संबंधी कानून में संशोधन की आवश्यकता है ताकि इस प्रकार की असामान्य घटनाएं दुबारा घटित न हों। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम में अविलंब संशोधन किए जाने की आवश्यकता है।

राष्ट्रपति जी ने केन्द्र–राज्य संबंधों का भी उल्लेख किया। लगभग सभी राज्य करों में अपनी भागीदारी प्रतिशतता में वृद्धि चाहते हैं। अधिकांश राज्य वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं। विभिन्न राज्यों के सामने आ रही समस्याओं का समाधान किए जाने की आवश्यकता है।

[श्री बसुदेव आचार्य]

राष्ट्रपति जी ने असंगठित कर्मकारों के लिए सामाजिक सुरक्षा की बात की। देश में लगभग 37.5 करोड़ असंगठित कर्मकार हैं। इन 37.5 करोड़ असंगठित कर्मकारों में 22 करोड़ कृषि श्रमिक हैं। असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का कोई कानून नहीं है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में यह वादा किया गया है कि सरकार असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कानून बनाएगी।

डा. अर्जुन सेनगुप्ता की अध्यक्षता वाले आयोग का उल्लेख किया गया है। हालांकि उस समिति ने अपना प्रतिवेदन मार्च, 2006 को प्रस्तुत कर दिया था। रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद भी लगभग एक साल का समय निकल चुका है परंतु सरकार ने अभी तक उस रिपोर्ट पर काई कार्रवाई नहीं की है। इसमें विलंब नहीं किया जाना चाहिए। सरकार को तुरंत विधान लाना चाहिए। यह बताया गया कि सरकार इस पर सक्रियतापूर्वक विचार कर रही है। सरकार असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए विधान लाने पर कब तक विचार करती रहेगी? सरकार को सत्ता संभाले ढाई साल तो पहले ही हो चुके हैं। सरकार का आधार कार्यकाल पूरा हो चुका है। सरकार को लोगों, गरीबों और महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के जनहितकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का अवसर नहीं गंवाना चाहिए।

पिछले वर्ष, राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में महिला आरक्षण का उल्लेख किया था। मुझे इस बात का आश्चर्य है कि राष्ट्रपति जी के इस वर्ष के अभिभाषण में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। सरकार ने इसका वायदा किया है। यह विधेयक, 1996 में पुरःस्थापित किया गया था। पिछले सत्र में इस विधेयक को पुनः पुरःस्थापित किया जाना था लेकिन महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए न तो इस विधेयक को पुरःस्थापित किया गया और न ही इसे पारित किया गया। हम यह देख चुके हैं कि महिला सशक्तीकरण के पश्चात् पंचायती राज संस्थाएं कितने प्रभावी ढंग से कार्य कर रही हैं। हमारे यहां लाखों स्वयं–सहायता समूह हैं। महिलाएं आत्म–निर्भर होना और अपने पैरों पर खड़े होना चाहती हैं। उनके उत्पादों के विपणन में उनकी सहायता किए जाने की जरूरत है।

राष्ट्रपति जी ने एक समुद्री विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने का उल्लेख किया है। मैं इसके लिए चेन्नै का चयन करने के विरोध में नहीं हूं, चेन्नै में समुद्री विश्वविद्यालय स्थापित किए जा सकता है। तथापि, कलकत्ता को इससे वंचित क्यों किया गया। कलकत्ता का मैरिन इंजीनियरिंग कॉलेज देश का सबसे पुराना मैरिन इंजीनियरिंग कॉलेज है। इसका बहुत बड़ा परिसर और अवसंरचना है। मैं चेन्नै के विरोध में नहीं हूं परन्तु कोलकाता को विश्वविद्यालय से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। यदि एक समुद्री विश्वविद्यालय स्थापित किया जाता है तो वह कोलकाता में स्थापित किया जाना चाहिए। जब सरकार ने चेन्नै में विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय ले लिया है तो कोलकाता को केवल परिसर देकर इससे वंचित नहीं किया जाना चाहिए। परिसर या क्षेत्रीय केन्द्र पर्याप्त नहीं होगा। इसलिए, कोलकाता के लिए एक पृथक समुद्री विश्वविद्यालय अथवा एक मैरिन इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए।

हम इस सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे हैं। हमारा समर्थन राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के लिए है। आज हमें अपने देश की जनता का जो अधिदेश मिला है वह परिवर्तन के लिए है; यह राजनीतिक संरचना में परिवर्तन के लिए नहीं बल्कि सरकार की नीति, इसके दृष्टिकोण और रवैये में परिवर्तन के लिए है। हमारे देश की जनता एक वैकल्पिक रास्ता, एक वैकल्पिक नीति चाहती थी जो उन ज्वलंत समस्याओं का समाधान कर सके जिनका आज उन्हें सामना करना पड़ रहा है। स्वतंत्रता के 60 वर्ष पश्चात् भी यहां हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो भूखे पेट सो जाते हैं।

बेरोजगारी बढ़ रही है। धनी और गरीबों के बीच अन्तर है। किसी उद्योगपति के किसी अन्य देश में इस्पात संयंत्र खरीद लेने से भारत नही चमकेगा; भारत तब चमकेगा जब करोड़ों गरीब लोगों और मध्यमवर्गीय लोगों की स्थितियों में सुधार होगा और उनके कष्ट समाप्त होंगे। केवल तभी भारत चमक सकता है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार पहली बार कतिपय कार्यक्रमों के लिए प्रतिबद्ध हुई है। यह वह सरकार है जो न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर बनी है जो गरीबी निवारण, लोगों की स्थिति में सुधार लाने, गरीब लोगों, कृषि मजदूरों, असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों और मध्यमवर्गीय लोगों के सशक्तीकरण का कार्यक्रम है। इसलिए, इस पर पुनर्विचार की जरूरत है।

प्रधानमंत्री जी यहां उपस्थित हैं। ढाई वर्षों के पश्चात्, मुझे आशा है कि कुछ आत्मावलोकन हुआ होगा। यदि आत्मावलोकन हुआ है तो सरकार निश्चय ही अपनी नीति में परिवर्तन के बारे में सोचेगी। इसकी मूल नीति में उन आर्थिक सुधारों के प्रभाव को देखना होगा जिन्हें हम पिछले 15 वर्षों से दोहरा रहे हैं। 15 वर्षों के पश्चात् भी गरीब लोगों, कृषकों और काश्तकारों की स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ है? केवल तभी, सरकार एक वैकल्पिक नीति बना सकेगी। जब तक एक वैकल्पिक नीति नहीं अपनाई जाती, तब तक उनकी नियति ऐसी ही रहेगी। राजग सरकार ने जन विरोधी नीति का अनुसरण किया था। इस देश की जनता ने उस सरकार को उखाड़ फेंका। इस स्थिति में भी, अभी समय है। सरकार हमारे देश के लोगों की समस्याओं पर विचार करने और उनका समाधान करने के लिए एक वैकल्पिक नीति की जरूरत को समझेगी और इसे अपनाने की कोशिश करेगी।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोज़ाबाद) : माननीय सभापति महोदय, यह परम्परा रही है कि दोनों सदनों को मिला कर राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होता है। एक औपचारिकता का राष्ट्रपति जी निर्वहन करते हैं। सही मायने में राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है कि सरकार की क्या सोच है, सरकार आगे आने वाले एक वर्ष में क्या करना चाहती है, उसकी प्राथमिकताएं और प्रतिबद्धताएं क्या हैं? एक तरह से यह स.:कार का नीति वक्तव्य होता है कि एक वर्ष में राज कैसे चलेगा और वह जन कल्याण के लिए क्या–क्या कार्य करेंगे? मई में सरकार के तीन वर्ष पूरे हो जाएंगे। सरकार कितने दिन रहेगी यह बात महत्वपूर्ण नहीं है। किसी भी पार्टी की सरकार कितने दिन रही और उस बीच में उस सरकार ने जन कल्याण और गरीबों के लिए क्या काम किया, यह बात ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं कह सकता हूं कि जिस तरह से श्री मनमोहन सिंह की सरकार अब तक चली है, वह दिशा भ्रमित है, सरकार की दिशा ठीक नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आम आदमी यह एहसास करता है कि सरकार उसके कल्याण के लिए काम कर रही है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया आपस में बात न करें। मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। कृपया बैठ जाइए। कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण की शुरूआत महंगाई और अर्थिक मुद्दे जैसे सवालों को लेकर की। समझौता एक्सप्रेस में आतंकवादियों का जो हमला हुआ, वह एक दुखद घटना थी। साथ–साथ कहा गया कि शांति वार्ता पर इस घटना से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम यह स्वीकार करते हैं कि आतंकवाद सीमा पार से आ रहा है। हम वार्ता बंद करने के पक्षधर नहीं हैं। हम सब चाहते हैं कि अगर बातचीत के जरिए इस समस्या का हल निकल आए तो बहुत अच्छी बात है लेकिन बातचीत जारी रहेगी और सीमा पार से आतंकवाद भी जारी रहेगा यह काम साथ–साथ चल नहीं सकता। इसलिए सरकार को इस दिशा में गम्भीर प्रयास करने होंगे। हिन्दुस्तान के गृह मंत्री कहते हैं कि देश के बड़े–बड़े शहरों में आतंकवादियों ने अपने अड्डे जमा लिए हैं। उनसे निपटने के लिए सरकार ने क्या रणनीति बनाई है? आतंकवाद को समूल नष्ट करने के लिए सरकार क्या सार्थक प्रयास कर रही है? मैं समझता हूं कि इस सिलसिले में सरकार को जल्द एक नीति का ऐलान करना चाहिए था। वह सरकार सबसे अधिक अपनी पीठ इस बात पर थपथपा रही है कि आर्थिक विकास की दर 9 परसेंट तक पहुंच गई है और 11वीं योजना में 9 परसेंट का लक्ष्य रखा है। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि अगर आर्थिक विकास की दर बढ़ रही है तो उससे आम आदमी को क्या मिल रहा है, क्या उसमें आम आदमी शामिल है? उसके ऊपर और ज्यादा भार पड़ रहा है, उसकी क्रय शक्ति कमजोर हो रही है, गरीब आदमी बोझ से दबा जा रहा है। देश का श्रम मंत्री यह कहता है कि देश में बेरोजगारी बराबर बढ़ रही है। एक तरफ बेतहाशा बेरोजगारी बढ़ रही है, दूसरी तरफ सरकार के मुताबिक आर्थिक विकास की दर बढ़ रही है, मुझे लगता है कि आर्थिक विकास की दर चंद लोगों तक सीमित है। आम आदमी को उससे जो लाभ होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है। गरीब की परेशानी निरन्तर बढ़ रही है। उस पर महंगाई की मार अत्यधिक है। देश में दौलत बढ़ती है और उस दौलत का समान वितरण नहीं होता है, गरीब शामिल नहीं होता है तो बढ़ी हुई विकास दर का कोई अर्थ नहीं है। हमारे देश में चंद सरमायदारों की बेशुमार दौलत बढ़ जाए और हम उसी को देश की दौलत मान लें, अपनी दौलत मान लें, लेकिन देश की दौलत में और चंद सरमायदारों की दौलत में फर्क है। इसलिए आर्थिक विकास का मतलब है कि जब तक देश का आम आदमी लाभान्वित नहीं होता, उसे लाभ नहीं मिलता तो मैं नहीं समझता हूं कि देश में गरीब आदमी के पक्ष में न्याय होने का यह कोई शुभ संकेत हो सकता है।

2006–07 में महंगाई चरम सीमा तक पहुंच गई और जुलाई में महंगाई 5 प्रतिशत की लपेट में थी। उस समय सरकार ने महंगाई के संबंध में जो औचित्य दिया और कारण बताए वह दो थे, एक था कि हमारे देश में खाद्यान्न का कम होना और दूसरा था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल का दाम बढ़ना। जनवरी, 2007 तक महंगाई की दर बढ़कर 6.73 परसेंट हो गई जो पिछले दो वर्षों में सबसे ज्यादा थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल का दाम नीचे आ गया और 49 प्रतिशत हो गया। हमने 55 लाख टन गेहूं का आयात सरकार के स्तर पर किया और 7 लाख टन गेहूं निजी क्षेत्र से खरीदा गया इसके बावजूद हमारे देश में महंगाई में कोई कमी नहीं आई। जब कभी क्रूड ऑयल का दाम बढ़ जाता है तब हम अपने देश में क्रूड ऑयल का दाम बढ़ा देते हैं। मैं जरूर जानना चाहूंगा कि क्रूड ऑयल पर हमारी निर्भरता कब तक रहेगी? क्या हिन्दुस्तान की सरकार और पेट्रोलियम मंत्री अहसास करते हैं कि हम तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर कैसे बनें, हम अपने पैरों पर खड़ा कैसे हों तो इसके लिए दीर्घकालीन योजना बने लेकिन इस तरफ हमारा कोई ध्यान नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल का दाम बढ़ जाता है तो हम बढ़ा देते हैं लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल का दाम कम होता है तब हम दाम कम नहीं करते। महोदय, यह सबसे गंभीर सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर हमारी निर्भरता न रहे, इसके लिए तेल के क्षेत्र में दीर्घकालीन नीति बननी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम तेल या पेट्रोलियम उत्पादों के दाम तय करते हैं लेकिन इसके

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री रामजीलाल सुमन]

लिए कोई नीति नहीं है। हमने कोई नीति, मानक या आधार नहीं बनाया है। सरकार ने पेट्रोलियम दाम तय करने की कोई नीति नहीं बनायी है।

महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में जिक्र किया है कि किसानों द्वारा आत्महत्या के अधिक घटनाओं वाले 31 जिलों के लिए 16000 करोड़ की राशि का विशेष पैकेज कार्यान्वित किया जाएगा। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा कि किसानों द्वारा आत्महत्या करने का दौर जारी है, रोज आत्महत्याएं हो रही हैं। श्री बसुदेव आचार्य यहां से चले गए। वे कह रहे थे कि पांच वर्षों से हुआ या सात वर्षों से हुआ लेकिन मैं समझता हूं कि अगर इस देश में एक भी किसान आत्महत्या करता है, इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती है, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि यह दौर कब से शुरू हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष पैकेज की घोषणा की लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। मैं बहुत विनम्रता के साथ सरकार से कहना चाहता हूं कि यह समस्या सिर्फ 31 जिलों की नहीं है। खेती का काम करने वाला, जिसे हम किसान कहते हैं, यह पूरे देश की समस्या है, उसे चंद जिलों तक कैद नहीं किया जा सकता है। पूरे देश में खेती का कल्याण कैसे हो, पूरे देश की खेती के हालात में सुधार कैसे हो, मैं समझता हूं कि इस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। आज सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे देश में खेती अलाभकारी हो गई है लेकिन इसे लाभकारी कैसे बनाएं, इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा। उत्पादन लागत रोज बढ़ रही है, हमें इसे कम करना पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में किसानों के नाम पर सब्सिडी दी जा रही है, इससे बड़ा कोई दूसरा धोखा नहीं है। उर्वरक उत्पादकों की अकुशलता आला अफसरों के करप्शन तक सीमित रह जाती है और इसका कोई मकसद किसानों के हालात या स्थिति में सुधार के लिए नहीं होता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, खास तौर से हिंदुस्तान जैसा देश, जिसकी आबादी 110 करोड़ है, अगर शुरू से देखें तो आजाद हिंदुस्तान में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का कितना योगदान था और आज घटकर कृषि का योगदान कितना रह गया है।

अपराह्न 5.00 बजे

आज कृषि की दुर्दशा हो रही है। मैं कहना चाहूंगा कि अगर इस देश को बचाना है तो जब तक हिन्दुस्तान का बजट कृषि पर आधारित नहीं होगा, श्रम पर आधारित नहीं होगा, श्रम पर आधारित उद्योग हमारे देश में नहीं लगेंगे, इस देश की हालत कोई नहीं सुधार सकता।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक ही चारा है, आज देश में जो स्थिति है, उसमें पूरे हिंदुस्तान के किसानों के कर्ज माफ होने चाहिए, वरना हिंदुस्तान के किसानों की खुदकुशी का दौर नहीं रूकेगा। इस देश का बजट कृषि पर आधारित होना चाहिए या जिस तरह से रेल का बजट बनता है उस तरह से होना चाहिए। पिछली बार भी इस सदन में चर्चा हुई थी, तब माननीय सदस्यों ने कहा था कि जिस तरह अलग से रेल का बजट बनता है, ठीक उसी तरह से खेती का बजट भी अलग से होना चाहिए, तब कहीं इस देश का कल्याण होगा।

मैंने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को पढ़ा। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कुटीर उद्योगों के संरक्षण के लिए एक भी शब्द नहीं है। हमारा इतना बड़ा देश है। दुनिया के तमाम देश जहां श्रम शक्ति कम है, वहां समझ में आता है कि मशीनें काम करें, नई तकनीकी का इस्तेमाल करें। लेकिन गांधी का यह देश, जहां 110 करोड़ की आबादी है। 18वीं शताब्दी में हमारे देश के हर घर में चरखा चलता था और हम कपड़े की अपनी जरूरत ही पूरी नहीं करते थे, बल्कि हम यूरोप के देशों को भी गर्म कपड़े भेजते थे। आज कुटीर उद्योग हमारे देश में चौपट हो गये हैं। लेकन एक शब्द भी कुटीर उद्योगों के संरक्षण के लिए नहीं कहा गया है। यह निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है।

यहां राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की बात की जाती है। इसे सरकार ने शुरू किया, सरकार ने एक कोशिश की। लेकिन यह सही है कि इस योजना के तहत वहां 100 दिन आदमी को काम मिलेगा, लेकिन 265 दिन उसके पास कोई काम नहीं होगा, तब गांव के लोग कहां जायेंगे। मैं कहना चाहूंगा कि हमारे देश में जो बेरोजगारी की समस्या है, यह समस्या हिंदुस्तान में एक तनाव पैदा कर रही है। यही नक्सलवादी पैदा कर रही है। यहि हमने बेरोजगारी की समस्या पर ध्यान नहीं दिया तो मुझे माफ करना, देश में एक गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो जायेगी। 13 राज्यों में आज नक्सलवाद का असर है और यह असर आहिस्ता–आहिस्ता बढ़ रहा है। आदमी के पास डिग्री है, लेकिन उसके पास रोजगार नहीं है। कुल मिलाकर दर–दर की ठोंकरे खाने के बाद कोई नौजवान सोचता है तो उसका इस व्यवस्था तथा कानून और संविधान से विश्वास उठ जाता है। इसलिए बेरोजगारी की समस्या का हल होना बहुत जरूरी है। यदि हमारे परम्परागत कुटीर उद्योगों के संरक्षण का काम नहीं होगा तो मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान जैसे देश, जिसकी विशाल आबादी है, इस विशाल आबादी वाले देश में जो तनाव पैदा हुआ है, उस तनाव में कोई कमी नहीं की जा सकती है।

सभापति महोदय, एक अजीब तमाशा है, हर बा नई योजनाओं की घोषणाएं की जाती हैं। खेती के लिए पानी की बहुत आवश्यकता है और जो सिंचित और असिंचित खेती है, यदि उसके उत्पादन का हम अध्ययन करें तो उसमें तीन गुणा फर्क है। सिंचाई की परियोजनाओं के बारे में हर बार जिक्र किया जाता है, लेकिन क्या मैं सरकार से पूछ सकता हूं कि सिंचाई की जो परियोजनाएं आपने घोषित की थी, क्या वे परियोजनाएं पूरी हुई? उन्हें पूरा करने का हमारे सामने कोई लक्ष्य नहीं होता। नई परियोजनाओं की हम घोषणाएं कर देते हैं, लेकिन पुरानी परियोजनाएं इतने समय में पूरी हो जायेंगी, उसका कोई लक्ष्य हम घोषित नहीं करते। इसका परिणाम यह होता है कि उत्पादन लागत

बढ़ती है और लाभ नहीं मिलता है। इसलिए मैं समझता हूं कि इसका लक्ष्य घोषित होना चाहिए।

इससे पहले जो पंचवर्षीय योजनाएं थी, उन पंचवर्षीय योजनाओं में सिंचाई की जिन परियोजनाओं का ऐलान किया गया था, वे परियोजनाएं आज तक पूरी नहीं हुई। हमारे देश की कृषि पूरी तरह से इंद्र भगवान के भरोसे है। पानी का कोई इंतजाम नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को युद्ध स्तर पर सिंचाई का इंतजाम करना चाहिए और जब तक सिंचाई का उचित बंदोबस्त नहीं होगा, हमारे सामने अच्छे परिणाम आने की कोई संभावना नहीं है।

मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे देश में प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। कहीं बारिश ज्यादा होती है, कहीं सूखा पड़ता है, कहीं ओला पड़ता है। लेकिन इसमें किसानों की मदद करने का जो हमारा मापदंड है, वह बहुत पुराना है। मुझे पश्चिम के बारे में इतना मालूम नहीं है, लेकिन उत्तर भारत में बेमौसम ओला पड़ा, बहुत तेजी के साथ बरसात आई और उसका परिणाम यह हुआ कि आलू और सरसों के किसान बुरी तरह से पिट गये। जो किसान एक वर्ष का बजट बनाकर आशा लगाये बैठा था कि उसे साहूकार का ऋण अदा करना है, उसके ऊपर जो देनदारियां हैं, उन्हें देना है, उसे अपनी बेटी के हाथ पीले करने हैं, उसका पूरा बजट बिगड़ गया। मैं आपकी मार्फत सरकार से कहना चाहता हूं कि प्राकृतिक आपदाओं के लिए जो पुराने मापदंड तय हैं कि अगर किसान का एक लाख रुपये का नुकसान होता है तो उसे पांच सौ रुपये या एक हजार रुपये का चैक मिलता है। मैं नहीं समझता कि इससे ज्यादा उनके साथ कोई मजाक हो सकता है।

इसलिए बदलते परिवेश में, बदलते संदर्भ में यह बहुत आवश्यक है कि हमारे जो इमदाद करने के मापदंड हैं, वे बदलने चाहिए और किसान को जो खामियाजा, नुकसान होता है, उसकी भरपाई के लिए और ज्यादा धनराशि दिये जाने की आवश्यकता है।

मैं कुछ ज्यादा निवेदन नहीं करना चाहता। मैं एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के लोगों ने सच्चर कमेटी का बड़ा प्रचार किया कि अल्पसंख्यकों के लिए एक कार्यक्रम बनेगा। बनना भी चाहिए, हम लोग भी इसी पक्ष में हैं लेकिन क्या इसी तरह से होगा? राष्ट्रपति जी ने भी जिक्र किया। इन लोगों ने एक अल्पसंख्यक मंत्रालय बना दिया। पता नहीं उसका कोई स्टॉफ और बजट है कि नहीं? मिस्त्री साहब, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बाद जो लोग अल्पसंख्यकों के लिए रोना रो रहे हैं, मेहरबानी करके यह करिए कि वह जो मंत्रालय है, वह ठीक चले। इसके लिए तो उसका कोई बंदोबस्त कराइए। इस मंत्रालय का कोई अर्थ नहीं है। ...*(व्यवधान)*...

श्री मधुसूदन मिस्त्री : सभापति महोदय, अगर इन्हें पता नहीं है, तो कोई क्या करे?

सभापति महोदय : मिस्त्री जी, आप कृपया बैठ जाइए।

श्री रामजीलाल सुमन : सभापति जी, अंत में मुझे यही निवेदन करना है कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव श्री मधुसूदन मिस्त्री जी की तरफ से रखा गया है, मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से उसका विरोध करता हूं।

श्री इलियास आजमी (शाहाबाद) : सभापति जी, सदन को मालूम है कि मैं इधर बीमार चल रहा हूं और मैं अस्पताल में था। मैं कल ही अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ हूं। मैं कुछ बातें धीरे-धीरे रखना चाहता हूं, शायद इसमें एकाध मिनट ज्यादा लग जाए।

राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सरकार की नीतियों का आइना होता है और उसमें अगले एक साल के अंदर सरकार क्या करना चाहती है, उसका भी जिक्र होता है। मेरी पार्टी और मैं खुद शुरू से ही यूपीए सरकार का समर्थन कर रहे हैं। वोटिंग होगी तो समर्थन में वोट तो हम देंगे ही लेकिन मैं सदन को और पूरे देश को यह बताना चाहता हूं कि इस साल का अभिभाषण और इस साल के बजट ने, दोनों ने मुझे काफी निराश किया है। अभिभाषण में कुछ है ही नहीं और खास तौर से जैसा कि मैंने बताया कि सरकार को न महंगाई की चिंता है और न ही सरकार जनता को विश्वास में लेना चाह रही है और न सरकार का ऐसा कोई इरादा है। ठीक इसी तरह से इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में भी मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार क्या कर रही है। सिर्फ यही नहीं कि समझौता एक्सप्रेस में धमाका हुआ, सिर्फ यही नहीं कि मुम्बई की लोकल ट्रेन में धमाका हुआ। महाराष्ट्र में 8-10 बड़े-बड़े बारूद और असले के भंडार पकड़े गये। इत्तिफाक से इनमें कोई मुसलमान नहीं था वरना यदि कोई मुसलमान रहा होता तो सब लश्कर-ए-तैइबा और जैश-ए-मोहम्मद के दादा, चाचा, बाबा, नाना, पोते और बेटे बना दिये गये होते लेकिन शर्मनाक बात है कि महाराष्ट्र की सरकार जो अपने को सेकुलर पार्टी कहती है, वह हर भंडार के पकड़े जाने पर पहला बयान यह देती है कि इसका आतंकवाद से कोई ताल्लुक नहीं है और वह इसलिए कि उसमें कोई मुसलमान नहीं पकड़ा गया। आखिर यह सरकार देश को कहां ले जाना चाहती है? खास तौर से कांग्रेस पार्टी कहां ले जाना चाहती है, इका कोई जिक्र इसमें नहीं है।

भ्रष्टाचार के बारे में सरकार को कोई चिंता नहीं है। मेरे जैसा आदमी तीन साल से चीख रहा है कि तकरीबन 50-60 हजार करोड़ रुपया यहां के भ्रष्ट अधिकारी, कर्मचारी और भ्रष्ट नेता और रामजीलाल सुमन जी मुझे माफ करेंगे, मैं सिर्फ यू.पी. के बारे में नहीं कह रहा हूं, राज्य सरकारों के अधिकारी, कर्मचारी और नेता मिलकर पूरा बजट लूट ले रहे हैं लेकिन सरकार को चिंता नहीं हो रही है।

श्री रामजीलाल सुमन : इन्होंने यू.पी. को छोड़कर कहा है।

श्री इलियास आजमी : मैंने यू.पी. को छोड़कर नहीं कहा है बल्कि यू.पी. में सबसे ज्यादा है। ...*(व्यवधान)* सबसे ज्यादा लूट यू.पी. में हो रही है लेकिन सिर्फ यू.पी. में नहीं हो रही है, यह मैंने कहा है। सबसे ज्यादा तो मैं अपने क्षेत्र का शिकार हूं। दो जिले मेरे क्षेत्र में है। एक जिले में एक डकैत बैठा है और दूसरे जिले में एक डकैत बैठा है और मेरी मेहनत से आप इसके गवाह हैं कि काम के बदले अनाज योजना लखीमपुरखीरी जिलें में गई।

मेरा एक भी प्रस्ताव नहीं, 3–4 चोरों का पैसे का प्रस्ताव बनाकर एस.डी.ओ. ने लूट लिया। यह केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं है लेकिन भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इस अभिभाषण में कुछ नहीं है। केन्द्र सरकार की एमपीलैड्स की एक योजना है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह पैसा जिस मकसद के लिये दिया जाता है, उसमें भी 65 से 70 प्रतिशत पैसा खर्च होता है, बाकी 30–35 प्रतिशत पैसा लुट जाता है। सरकार की कोई ऐसी योजना नहीं है जिसमें 15–20 प्रतिशत से ज्यादा खर्च होता हो, उसमें 85–90 प्रतिशत पैसा लूट लिया जाता है। जब एम पीज लोग इस योजना के लिये पैसा चाहते हैं तो सरकार कहती है कि उसके पास पैसा नहीं है। उसमें भी 30–35 प्रतिशत भ्रष्टाचार है। इनमें भी सब से कम खर्च भारत निर्माण कार्य पर हो रहा है। इस प्रकार सब में लूट हो रही है लेकिन एम.पीलैड्स के लिये पैसा नहीं है। जिसमें सब से कम लूट है।

सभापति जी, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के पैरा 10 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का जिक्र किया गया है। यूं तो सरकार सीना तानकर कहती है कि इस योजना के लिये 12 हजार करोड़ रुपये बढ़ाये जा रहे हैं लेकिन अगर यहां ग्रामीण विकास मंत्री बैठे होते तो जोर से चिल्लाते जिनकी आवाज सदन के बाहर तक जाती। काम के बदले अनाज योजना में सरकार ने हजारों करोड़ रुपये खर्च किये हैं लेकिन मैं सरकार को चुनौती देता हूं कि वह बताये कि क्या पूरे देश में 100 हजार करोड़ रुपये भी खर्च किये गये हैं। रोज़गार गारंटी योजना के तहत सारा पैसा लूटा जा रहा है। मेरा सुझाव है कि इस योजना को खत्म किया जाये। इसलिये नहीं कि आप पैसा बढ़ायें, ग्रामीण विकास मंत्री जोर से चिल्लाते रहें और यह सारा पैसा लुटता रहे। इसके अलावा और कोई काम नहीं है। क्या सरकार ने यह तय कर रखा है कि कुछ अधिकारी इतना लूट लें, बाकी हमारे पास पहुंचा दो। इसका मतलब यह है कि कहीं कुछ न कुछ बात जरूर है। हर बार यह बात कही जाती है लेकिन किया कुछ नहीं जाता है।

सभापति जी, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के पैरा 14 में हायर एजुकेशन की बात कही गई है। देश में नये आई.आई.टीज. खोलने की बात कही गई है। यह अच्छी बात है और मैं इसकी भरपूर ताईद करता हूं। इस क्षेत्र में हम देश के नौजवानों को रोजी से जोड़ सकते हैं। अगर सरकार की सच्चर कमीशन बनाये जाने में नीयत साफ थी, सही थी और उस कमीशन ने यह सही साबित कर दिया कि देश में मुसलमान शिक्षा के क्षेत्र में सब से ज्यादा पिछड़े हुए हैं, जो दोनों तरफ बैठने वाले सदस्यों को मालूम है। अगर ऐसा है तो सरकार नये आई.आई.टीज. खोलने की जो योजना बना रही है, उनमें मुस्लिमों को कम से कम 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जाये ताकि वे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें।

सभापति जी, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के 15वें पैरा में कहा गया है कि हम गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को खाद्य संरक्षण दे रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब आप खाद्य मंत्री थे तो यह आपकी बनाई हुई योजना थी और उस समय इस सदन में आपने शानदार तकरीर करते हुये कहा था लेकिन उसके बाद क्या हुआ और आज क्या हालत है। आज बीपीएल के लोगों को सस्ते दर पर अनाज देने के लिए सरकार द्वारा 26–27 हजार करोड़ रुपये सब्सिडी के रूप में दिये जा रहे हैं। मैं दावे और गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर सरकार सी.बी.आई. और रॉ या जितनी जांच एजेंसियां है, उन सब को भी लगा दे तो मालूम हो जायेगा कि गरीबों तक 2–3 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा सब्सिडी नहीं पहुंची है, अगर यह सही न हो तो मैं वह सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। सब तरफ लूट चल रही है।

सभापति जी, चंद रोज पहले मैंने वित्त मंत्री जी से बात की थी और उन्होंने भी माना कि सब लुट रहा है। मैंने कहा कि आप क्यों लुटा रहे हैं, उनका कहना था कि मैं क्या करूं, व्यवस्था ही ऐसी है। लेकिन मेरा सुझाव है कि आप ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि जितने भी बीपीएल लाभार्थी हैं या अन्त्योदय कार्डधारक हैं, उन्हें यहां से उतना पैसा भेज दिया जाये ताक वे सीधे बाजार से महंगे भाव पर अनाज खरीद लेंगे। कम से कम बीच में कोई खाएगा तो नहीं। यह एक सामाजिक समस्या है। लाखों करोड़पति आज इस भ्रष्टाचार के जरिये देश में पैदा हो गए हैं। हर गांव में एक दो करोड़पति बन गए हैं। उनको देखकर गरीबों के लड़के भी बिगड़ रहे हैं और वे रियाल्वर और असला तलाश कर रहे हैं कि कैसे इनके बराबर पहुंचे। काम के बदले अनाज योजना पांच–सात हजार करोड़पति देश में बनाएगी और देश को लूटेगी। इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। मैं कहता हूं कि सारी योजनाएं खत्म कीजिए और जो बीपीएल और अंत्योदय परिवार हैं, उनको सीधे भारत सरकार नकद सहायता दे। बीच में राज्य सरकार को भी मत डालिये। कंप्यूटर का जमाना है। पूरे देश को कंप्यूटराइज कीजिए। कुछ दिन के लिए रोक दीजिए। जब व्यवस्था जो जाए तो सबको सीधे पैसा दीजिए। उसमें कोई एक पैसा नहीं खाएगा। न तो नेता खाएंगे और न कर्मचारी और अधिकारी खाएंगे।

दफा 26 में सच्चर कमेटी का जिक्र है और इसमें मुसलमानों में जो पिछड़े और दलित हैं, उनका जिक्र किया गया है। मैं कहता हूं कि यह हमारे लिए शर्मनाक बात है कि हम धर्मनिरपेक्षता की शपथ लेते हैं। धर्मनिरपेक्षता की शपथ लेकर आप भी यहां पहुंचे हैं और मैं भी यहां

पहुंचा हूं। लेकिन क्या हमारा संविधान वाकयी धर्मनिरपेक्ष है? जब यह शर्त रखी गई थी कि शैड्यूल्ड कास्ट्स में अगर धोबी है तो जब तक वह धोबी हिन्दू नहीं है, तब तक शैड्यूल्ड कास्ट की फैसिलिटी नहीं पाएगा। यह हमारे संविधान के लिए शर्मनाक बात है। यह सदन के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, सरकार के लिए, सबके लिए शर्मनाक बात है। यह भाजपा के दोस्तों के लिए और ज्यादा शर्मनाक है कि जो चिल्ला चिल्लाकर कहते हैं कि धर्म का आधार नहीं होना चाहिए लेकिन धर्म के आधार पर सन 1951 से शैड्यूल्ड कास्ट्स का आरक्षण चल रहा है। उसको खत्म करने की बात ये नहीं करते। आज ज़माना बदल रहा है। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश परांजपे : पाइंट ऑफ ऑर्डर है। ये संविधान की अवहेलना कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा कहा है कि यह शर्मनाक बात है।

श्री इलियास आज़मी : संविधान की अवहेलना नहीं कर रहे हैं।

सभापति महोदय : पाइंट ऑफ ऑर्डर जब भी होगा, किसी रूल के अडर होगा। आज़मी जी, आप अपनी सेहत का ख्याल रखिये। आप बीमार हैं।

श्री इलियास आज़मी : मैं कह रहा हूं कि आप जब कहते हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। तो यह धर्म के आधार की वजह से ही आज संविधान सैक्यूलर नहीं रह गया है और गलत सैक्यूलर होने की शपथ हम ले रहे हैं। उसको आप खत्म कराइए। दफा 143 का सहारा लेकर शैडयूल्ड कास्ट्स के आरक्षण में जो धर्म का आधार है, उसको खत्म कीजिए। जो धोबी है वह शैडयूल्ड कास्ट होना चाहिए चाहे वह हिन्दू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो। जो पासवान है वह शैडयूल्ड कास्ट है या नहीं। अभी पासवान जी अपना मजहब बदल दें तो पासवान ही रहेंगे। वह शेख और सैयद नहीं हो जाएंगे और न ही पंडित हो जो जाएंगे। इसलिए धर्म का आधार खत्म किया जाए। 15 सूत्री कार्यक्रम का जिक्र हर बार ही होता है। मैं कहता हूं कि कितने जमाने तक आप मुसलमानों को खास तौर से बेवकूफ बनाएंगे? 25 सालों से मैं सुन रहा हूं, 15 सूत्री कार्यक्रम और आज तक वह चिड़िया किस पिंजरे में बंद है, किस जंगल में है, किस किले में है, आज तक खुलकर सामने नहीं आई। पिछले साल भी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में 15 सूत्री कार्यक्रम का जिक्र था और चिदम्बरम जी के बजट में भी था। इस साल भी है और मैं इंदिरा जी के जमाने से सुनता रहा हूं। एक आदमी पूरे देश में नहीं तलाश किया जा सकता जिसको 15 सूत्री कार्यक्रम के जरिये फायदा पहुंचा हो। इन लोगों ने हिन्दू भाईयों को महापुरुष राम के नाम पर बेवकूफ बनाया है लेकिन ये संभल गए अब ये कम बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं और आपने 50 सालों से मुलसमानों को बेवकूफ समझ लिया है और बनाते चले जा रहे हैं। भाजपा ने हिन्दुओं को बेवकूफ बनाया लेकिन संभल गए। एक बार बनाकर संभल गए इसलिए फर्क हो गया और पंजाब और उत्तराखंड में आ गए। लेकिन मालूम होता है कि सत्ता पक्ष के लोगों ने समझ लिया है कि मुसलमानों को बेवकूफ ही बनाकर अल्ला मियां ने पैदा किया है, इसलिए बनाते चले जाओ। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब कनक्लूड करें। पूरे सदन को आपकी सेहत की चिन्ता है।

श्री इलियास आज़मी : होनी भी चाहिए। जिस दिन मैं दुनिया से जाऊंगा मुझे मालूम है कि हर हिन्दू–मुसलमान को भाजपा और कांग्रेस समेत, सबको इस बात की तकलीफ होगी कि एक सही बात कहने वाला दुनिया से गया। जाना तो सबको है।

श्री मोहन रावले : आज़मी जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।

श्री इलियास आज़मी : महोदय, 47वें प्वाइंट पर राष्ट्रपति जी ने विदेश नीति की बात कही है, मेरी इस पर इसलिए हंसी छूट गयी कि क्या हमारी कोई विदेश नीति भी है, क्या दासता को कोई नीति कहते हैं? यह अफसोसजनक बात है कि अमेरिका की दासता करने का काम एनडीए ने शुरू किया था और यूपीए ने उसे चरम सीमा तक पहुंचा दिया। यह कोई नीति है, हम जिस नीति की बात करते हैं। अमेरिका जो कह दे, वह सब सही है। अमेरिका अफगानिस्तान पर दिन–दहाड़े हमला करे, उस वक्त एनडीए की सरकार कहे कि हुजूर, हमारे हवाई–अड्डे ले लो, हमारी जमीन एवं सेना ले लो। हम खुद रिकवेस्ट करें, इराक के बारे में हम कहें कि हम अपनी सेना भेजने के लिए तैयार हैं और वह कहे कि हमें आपकी जरूरत नहीं है। आज ये उससे दो कदम आगे बढ़ कर अमेरिका की दासता में, हमारी सरकार जिसे विदेश नीति कहती है, मुझे अफसोस होता है कि हम कितने ढीठ हो गए हैं कि गुटनिरपेक्षता की बात आज भी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कहते हैं और दीगर मंचों पर भी कहते हैं। यह कैसी गुटनिरपेक्षता है, हम खुद एक गुट के दास बन चुके हैं और गुटनिरपेक्षता की बात करते हैं। इस बात से मेरे जैसे व्यक्ति को शर्म महसूस होती है।

सभापति महोदय, मुझे डाक्टरों ने जितना कहा था, उतना ही मैं बोला हूं। अब मुझे महसूस होने लगा है कि अब नहीं बोलना चाहिए। बहुत सी बातें है, मैं एक बात आखिर में आपके माध्यम से कहूंगा कि यह पूरा सदन मिल कर इस सरकार को राज़ी करे कि जिन योजनाओं का 50 परसैंट से ज्यादा पैसा लूट रहा है, उसका पैसा इकट्ठा करके, बीपीएल और अन्त्योदय परिवार जो चिन्हित हैं, उन्हें पैसा सीधे–सीधे चैक, ड्राफ्ट या मनी आर्डर के जरिए दे दें ताकि बीच में कोई लुटेरा या अन्य कोई न आए, बीच में गांव में बड़े–बड़े धन्नासेठ न आएं और गरीबों के बच्चे रिवाल्वर की तलाश में न घूमें कि हमें भी कोई मिल जाए।

श्री सीताराम सिंह (शिवहर) : सभापति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के पक्ष में मैं बोल रहा

[श्री सीताराम सिंह]

हूं। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सरकार की नीति और कार्यक्रमों को रखा गया है। इसके अंदर बहुत अच्छी बाते हैं, एक वर्ष के लिए, फिर आने वाली 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए और जो कुछ भी है, इसमें काफी महत्वपूर्ण बातों का जिक्र है।

महोदय, सभी अपने-अपने नजरियों से इसे देखते हैं। सरकार जो कर रही है, इसमें दो राय नहीं कि काफी महत्वपूर्ण कार्य को कर रही है और विकास की गति को तेज करना भी चाहती है और यह कर भी रही है, लेकिन उसका बहुत सा अंश, जिसके लिए सरकार करना चाहती है, वह नहीं हो पा रहा है। हम सराहना करते हैं कि सरकार ने जिन योजनाओं को लागू किया, अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना महत्वपूर्ण है। इसे पूरे देश के अंदर दो सौ जिलों में लागू किया गया, लेकिन कई राज्यों में यह बिल्कुल शुरू ही नहीं हो सकी, इसका थोड़ा-बहुत अंश शुरू हो रहा है तो उसके जो तौर-तरीके हैं, नियम एवं कायदे हैं, उसे अच्छे तरीके से नहीं किया जा रहा है। मै। इसकी स्थायी समिति में हूं, मैंने देखा है कि इसे आंध्र प्रदेश में बखूबी लागू करने का प्रयास हो रहा है और कर्नाटक में भी हो रहा है, लेकिन मैं जिस राज्य, बिहार से आता हूं वहां यह सरज़मीन पर अभी तक नहीं उतरा है।

महोदय, लगातार प्रयास हो रहा है, लेकिन जमीन पर दिखाई नहीं दे रहा है। जब सरकार ने इस योजना को लागू किया था, तब बड़ी अच्छी सोच थी। यह बात भी सही है कि 365 दिनों के लिए काम नहीं मिले, तो कम से कम 100 दिनों के लिए तो मिले। यह अच्छी बात है और इसके लिए ओर प्रयास होना चाहिए, लेकिन इस कार्यक्रम को सही ढंग से लागू करने की दिशा में सोच बननी चाहिए और इसे पुरजोर तरीके से लागू करना चाहिए।

महोदय, सरकार ने और अनेक कार्यक्रम जनता के कल्याण के लिए तैयार किए हैं। उनमें से एक कार्यक्रम ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है। यह अच्छी बड़ी बात है। इन्होंने ग्रामीण विद्युतीकीण का काम शुरू किया है, यह भी ठीक है, लेकिन ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्यक्रम के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि यह जमीन पर कहीं भी बिहार में दिखाई नहीं दे रहा है। इसका टेंडर भी हो गया। ठेकेदार भी बहाल हो गया। भारत सरकार ने इसे गवर्नमेंट की एजेंसी एन.एच.पी.सी. के माध्यम से कराने का निर्णय लिया है और ठेकेदार के रूप में यह कार्य उसी को सौंपा गया है। हमने मंत्री महोदय से मिलकर व्यक्तिगत तौर पर भी कहा था कि एन.एच.पी.सी. इस काम को नहीं कर पा रही है। मैं राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलते हुए आग्रह कहना चाहता हू कि सरकार इसे देखे कि यह जमीन पर उतरने वाला है कि नहीं। आपने नीति बनाई, कार्यक्रम बनाया, लेकिन यह कार्यक्रम जमीन पर नहीं उतरा है और इसका जनता को लाभ नहीं मिल रहा है। तीन वर्ष बीत चुके हैं और दो वर्ष बाकी है। आपने वर्ष 2009 तक गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने की समय-सीमा भी तय की है। इसलिए सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए और गांवों को बिजली देने का काम पूरा करना चाहिए।

महोदय, सरकार ने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम ग्रामीण पेयजल की आपूर्ति का शुरू किया है। आपने निर्मल ग्रामीण योजना को ग्रामीण विकास कार्यक्रम के माध्यम से शुरू किया है, लेकिन यह योजना भी बिल्कुल विफल हो रही है। आपने इसके लिए पहले जो निर्धारित राशि थी, उसे बढ़ाया है, यह अच्छी बात है, क्योंकि पहले तो बहुत कम राशि थी। जो राशि बढ़ाई है, वह भी कम है। इसलिए हम सरकार से आग्रह करेंगे कि इसे और भी बढ़ाया जाए और निर्मल ग्राम योजना को पूरा करने के लिए आपको काम करना चाहिए और इसे पूरा करना चाहिए।

महोदय, सर्वशिक्षा अभियान नामक एक बहुत अच्छी योजना चल रही है। मुझे पता नहीं दिल्ली में बैठे हुए अधिकारी और पदाधिकारियों को यह बात मालूम है कि नहं कि जो पैसा सरकार ने भवन बनाने के लिए दिया है, उसमें केवल कमरा निर्माण किया जा रहा है। भवन के साथ शौचालय, चापाकल और बाउंड्री वॉल की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि जब हम गांवों में जाते हैं, तो जनता हमसे कहती है कि स भवन में शौचालय, चापाकल और बाउंड्री वॉल का निर्माण आप अपनी सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत कराएं। इसलिएए मैं सरकार को सलाह देता चाहता हूं कि जब आप सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु धनराशि की व्यवस्था कर रहे हैं, तब आप भवन के साथ-साथ शौचालय, चापाकल और बाउंड्री वॉल का भी निर्माण करने की व्यवस्था करें ताकि देश के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों और किसानों के बच्चों को शिक्षा का ठीक प्रकार से लाभ मिल सके।

महोदय, सरकार ने मिड डे मील की व्यवस्था की है। कई माननीय सदस्यों ने इसका यहां जिक्र भी किया है। मैं बताना चाहता हूं कि आपका यह कार्यक्रम बिल्कुल विफल हो रहा है। यह काम कहीं भी सही ढंग से नहीं चल रहा है और विद्यालय के बच्चों को मिड डे मील नहीं मिल रहा है। आपने इसके लिए जो सिस्टम एडॉप्ट किया है उसकी निगरानी नहीं होती है। आपने केन्द्रीय स्तर पर कमेटी बनाई है, लेकिन उस पर भी काम नहीं चल रहा है। जो हम लोग व्यायहारिक रूप से देख रहे हैं उसको देखते हुए हम सरकार से कहना चाहते हैं कि इस व्यवस्था की निगरानी थोड़ी और कठोर तथा चुस्त करनी चाहिए। ताकि जिस पर पैसा खर्च करना चाहते हैं, जिस मिशन को लेकर आप गांवों में लोगों को सुविधा देना चाहते हैं, वह सुविधा बेहतर तरीके से आप दे सकें।

महोदय, आप दूसरी योजनाओं को भी चला रहे हैं। माननीय सदस्य चर्चा कर रहे थे और वे ठीक कह रहे थे कि बपीएल का अनाज गांवों में नहीं जा रहा है। अंत्योदय योजना, अन्नपूर्णा योजना और मिड डे मील का अनाज गांवों में नहीं पहुंच रहा है। इसमें गड़बड़ी हो रही है। यह सही है कि आप यहां से जितना धन उपलब्ध करा दें, लेकिन आपके जो देखने वाले लोग हैं, वे सही तरके से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। भारत सरकार जवाब देती है कि राज्य सरकारों के जिम्मे यह दिया हुआ है। आप राज्य सरकारों को जो पैसा देते हैं, क्या उस पर आपकी निगरानी की आवश्यकता नहीं है। क्या आप पैसा इसलिए देते हैं कि वह गड्ढे में चला जाए, जिसके लिए आप भेज रहे हैं, उसको न मिले। आज़मी साहब ठीक कह रहे थे कि वृद्धावस्था पेंशन और सामाजिक सुरक्षा पेंशन की तरह इस धन को भी अनाज के रूप में आप सीधे पोस्ट आफिस के द्वारा गरीबों के पास भेजें। यह ज्यादा अच्छी व्यवस्था होगी क्योंकि इसमें लगातार लूट हो रही है। यह बात शत–प्रतिशत सही है। इसका हम भी समर्थन करते हैं। इसमें व्यावहारिक रूप से कठिनाई आ रही है।

महोदय, सर्व शिक्षा अभियान का कार्यक्रम चला रहे हैं, उसमें मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं कि मिडिल स्कूल और प्राथमिक स्कूलों को इसमें रखा गया है, लेकिन माध्यमिक विद्यालयों को इसमें नहीं रख गया है। उनका कोई माई–बाप नहीं है। इन स्कूलों के लिए भवन की कमी है। उसके लिए भवन का पैसा नहीं है। राज्य सरकार थोड़ा बहुत पैसा भी मुहैया नहीं करा पाती है। इसलिए हम सरकार से आग्रह करना चाहेंगे कि माध्यमिक विद्यालयों को भी सरकार की ओर से भवन के लिए और उनमें शौचालय की व्यवस्था के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अंदर व्यवस्था करें। आपने सम विकास योजना में इसको रखा है, लेकिन सम विकास की योजनाओं को चयनित करने के जो तौर तरीके बनाए हैं, वे बहुत डिफेक्टिव हैं, क्योंकि राज्यों के अंदर मनमाने तरीके से जिला पदाधिकारी चयनित करते हैं। गाइडलाइंस और आवश्यकतानुसार के अनुसार इसको समाहित नहीं करते हैं और अपने तौर तरीकों से काम करते हैं। उसका समावेश भी नहीं करते हैं और अपने तौर–तरीकों से काम करते हैं। यह दोषपूर्ण कार्यक्रम है। पैसा रहते हुए भी पैसे का सदुपयोग नहीं हो रहा है। सरकार जो धन राज्यों को देती है, गांवों के विकास के लिए वह पैसा अच्छे तरीके से खर्च हो, उस पर सरकार को पुनः सोचना होगा।

महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में आपने साफ–सुथरे शब्दों में कही है और उसे अपनी प्राथमिकता में रखा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बजट में कृषि को प्रथम एजेंडे के रूप में रखा है। वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कृषि पर शुरूआत की है। यह कृषि प्रधान देश है, इस बात को सभी जानते हैं। इस लोक सभा में जीतकर आने वाले लोग चाहे किसी क्षेत्र से आते हों, लेकिन किसान का वोट पा कर ही आते हैं और यहां किसानों के सवालों को उठाते भी हैं और सरकार नीति भी बनाती है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कृषि की गतिशीलता को प्राथमिकता दी गई है। सरकार किसानों को जो ऋण दे रही थी, उसे दुगुना करने की बात कही गई है। उसके लिए आपने राशि भी बढ़ाई है, लेकिन उस राशि को मैं अभी भी कम मानता हूं क्योंकि इस देश में सबसे अधिक आबादी किसानों की है। आप उसे पैसा देने के लिए बजट में व्यवस्था कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप उद्योगपतियों को बैंकों से ऋण दे रहे हैं, यदि इन दोनों की तुलना की जाए तो आप मुट्ठीभर लोगों के लिए अरबों रुपयो की व्यवस्था कर रहे हैं। इतनी बड़ी जनसंख्या पर, जिस पर सारा देश निर्भर करता है, उसके ऋण के लिए आप कम पैसा दे रहे हैं, अगर आप इसे दोगुना भी करते हैं तो भी यह कम है। यह ठीक बात है कि आपने सूद की दर पिछले वित्त वर्ष में थोड़ी कम की, लेकिन अभी भी आप जो कृषि ऋण दे रहे हैं, वह कम है। मैं कहना चाहता हूं कि ऋण मिलने में जितनी कठिनाई गांव के गरीब किसानों को है, उतनी ही कठिनाई आपकी रीति और बैंकिंग नियम काफी दोषपूर्ण होने से है। मैं कहना चाहता हूं कि किसानों को ऋण देने के लिए आपको और सुविधा देनी चाहिए। एक बात साफ होनी चाहिए कि अगर आप ऋण दे रहे हैं तो आप लाभकारी मूल्य की भी बात करिये, सिर्फ ऋण दे देने से, उसके वसूलने से और वारंट काट देने भर से काम नहीं होगा, आप उसका लाभकारी मूल्य दीजिए।

एक बात तो बहुत दुखद है कि जो चीजें कल–कारखानों में बनती हैं, उनकी कीमतें कल–कारखानों के द्वारा तय की जाती हैं, उसके मालिकों के द्वारा तय हो जाती हैं और जो चीजें किसानों के खेत में पैदा होती हैं, उसकी कीमत किसान को तय करने का अधिकारी नहीं है, वह सप्लाई और डिमांड पर चलती है, वह किसान तय नहीं कर सकता। किसान को जब कोई चीज खरीदनी है तो उसकी चीजों की कीमत ज्यादा देनी पड़ती है। उसके बीच के बिचौलयों के बारे में अच्छी बात है कि चलिये, आपने कह दिया कि यह वायदा कारोबार हम बन्द कर देंगे, जो कारोबार आप कर रहे थे, फारवर्ड ट्रेडिंग और क्या–क्या शब्द लिखकर, वायदा कारोबार और क्या–क्या कारोबार आपने कहा, लेकिन आपने जो कहा है, उसमें सिर्फ चावल और गेहूं है, बाकी चीजों का क्या होगा? इस पर तो आप एक शब्द नहीं बोल सके। बोलना चाहिए, क्योंकि एक बात का तो ख्याल रखना होगा कि किसानों के खेत में उपजी हुई चीज अगर महंगी हो गई तो हाय–तौबा मच जाती है, इसलिए कि दैनिक जीवन में उसको काम आना है, वह प्रतिदिन चाहिए और सीमेंट, लोहा या छड़, ये छोटे–बड़े सामान या पेस्ट, जो तमाम चीजें कंपनियों में बनती हैं, उसका रेट कम्पनी के मालिक तय करके खुले बाजार में बेच रहे हैं, सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है और जनता को भी शायद इससे कोई मतलब नहीं, उसकी नींद नहीं खुलती। मेरा साफ कहना है कि किसान के सवाल पर आप उसको जो सुविधा देना चाहते हैं, आप

[श्री सीताराम सिंह]

सिंचाई की सुविधा नहीं दे पा रहे हैं, उसको लाभकारी मूल्य नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए जो लागत है, आपने कभी सोचा कि किसान जो इतनी मेहनत करके खाद खरीदता है, उसको सब्सिडी देकर कितना कम से कम हम खर्च करें, तब जाकर उसकी लागत कम होगी, तब उसकी दर कम होगी। कभी सरकार इस पर नहीं सोचती। मुझे समझ में नहीं आता कि 60 वर्ष आजादी को पूरे होने जा रहे हैं, नीतियां हर साल बनती हैं, महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हर वर्ष होता है, मगर जब इतना लम्बा समय इस लोकतंत्र में चल रहा है तो क्यों नहीं सरकार बहुत लम्बे समय के लिए प्रोजैक्ट तैयार करती और क्यों नहीं इसका मास्टर प्लान किसान और गरीबों के सवालों को ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब आप कन्क्लूड कीजिए।

श्री सीताराम सिंह : महोदय, हम दो–तीन मिनट में कनक्लूड कर देंगे। हम लोगों को तो बोलने का मौका ही बहुत कम मिलता है।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं और सरकार से आग्रह और अपील करना चाहता हूं कि किसान को आपको प्राथमिकता देनी पड़ेगी। यही किसान है, जो आज सारे देश को अनाज दे रहा है। आप बाहर से सामान मंगा रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से आपको महंगा पड़ेगा, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन जो बाहर से सामान मंगाकर आप इस देश के लिए महंगा कर रहे हैं, एक बार के लिए यह ठीक है, लेकिन दूसरी बार का प्रोग्राम आप क्यों तैयार नहीं करते कि यही लागत और खर्च अपने देश के किसान को देंगे और इससे उन्नत किस्म का बीज तैयार करेंगे और अनाज पैदा कर लेंगे, सामान पैदा कर लेंगे, ऐसी योजना आपकी क्यों नहीं है, आपकी ऐसी सोच क्यों नहीं बनती है? यहां एक से एक अर्थशास्त्री बैठे हैं, एक से एक कृषक बैठे हैं, एक से एक किसान के शुभचिन्तक नेता बैठे हैं, लेकिन सिर्फ जुबान से इस देश के किसानों का कल्याण नहीं होगा। मैं साफ कहना चाहता हूं कि किसानों के सवाल पर सरकार को फिर सोचना चाहिए। किसानों को लाभकारी मूल्य देने के लिए और उनके जो समान है, फारवर्ड मार्केटिंग और दूसरी तरह का व्यापार जिसे सारा देश जान गया और महंगाई का सवाल उठ गया, इसको रोकना पड़ेगा। जो होल्डिंग करने वाले लोग हैं, इन लोगों पर रेड करना होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि राज्य सरकारों को हमने पत्र लिखा। पत्र लिख देने मात्र से क्या होता है? क्या राज्य सरकार ने एक्शन नहीं लिया? क्या भारत सरकार उनसे उनके एक्शन के बारे में पूछ नहीं सकती है? उनसे पूछना चाहिए और उस कार्यवाही के लिए आगे कदम उठाना चाहिए। पहले के जमाने में सुना था और स्वर्गीय इंदिरा गांधी के जमाने में भी सुना था कि एक बार जब राज्य सरकारों को हुक्म दिया जाता था, तो जो राज्य सरकार उसका पालन नहीं करती थी, तो दूसरे शो कॉज में राज्य सरकारें थर्रा जाती थीं। आज यह प्रयास यूपीए गवर्नमेंट को करना चाहिए। यह कोशिश करनी चाहिए कि राज्य सरकार में जो होल्डिंग करने वाले लोग हैं, उन पर रेड करे और उन्हें पकड़े, तभी उसका असर महंगाई कम करने पर होगा। मैं महंगाई के बारे में पूछना चाहता हूं कि महंगाई कैसे कम होगी, यह सरकार जाने, जनता को सिर्फ इतना लेना–देना है कि महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए।

महोदय, मैं स्पष्ट शब्दों में अपने नेताओं और सरकार में बैठे लोगों से कहना चाहता हूं कि महंगाई कैसे कम होगी, इसके बारे में आप सोचिए, जनता को महंगाई कम करके दीजिए, ताकि जनता यह जाने कि यूपीए की गवर्नमेंट ने महंगाई कम कर दिया। मैं कहना चाहता हूं कि इस सवाल पर सरकार को मजबूत मन बनाना होगा और इरादा मजबूत करना होगा। केवल बातों से ये काम नहीं हो सकता, जब तक संकल्प नहीं होगा, दृढ़निश्चय नहीं होगा और केवल कागजों में लिखने से कि हम आपको इतना रुपया दे देंगे, इससे कुछ होने वाला नहीं है।

आज रोज किसानों के आत्महत्या की चर्चा हो रही है। एक किसान आत्महत्या करता है, कोइ पूंजीपति आत्महत्या नहीं करता है। वह अरबों रुपया लेता है, फैक्ट्री खोलकर उस पर दिवालिया का साइन–बोर्ड लगा देता है, लेकिन वह आत्महत्या नहीं करता है। मामूली एक या दो लाख रुपए लोन के लिए किसान आत्महत्या करता है, आखिर क्या बात है? उस पक्ष में बैठे हुए लोगों के समय में भी यही हुआ और हमारे जमाने में भी यही हो रहा है। उस पक्ष के समय में हुआ, इसलिए हमारे जमाने में भी हो, यह कहकर काम नहीं चलेगा। हमें इसमें सुधार करना पड़ेगा। आज मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश में सबसे बड़ी आबादी किसान की है, उसके लिए हमें विचार करना होगा। बजट में आपने बहुत अच्छी बात कही है, पर इस बात को आपको सरजमीं पर लागू करना होगा।

महोदय, सिंचाई का सवाल है, यह बात ठीक है कि आपने योजना बना दी। आप की योजना समय–सीमा के अंदर पूरी नहीं हुई, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? प्रतिवर्ष इसकी लागत बढ़ती जा रही है, खर्च बढ़ता जा रहा है, आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? हमारी जो योजना बने, वह समय–सीमा के अंदर पूरी हो, इसके लिए सरकार को निश्चय करना पड़ेगा। समय–सीमा निर्धारित करनी पड़ेगी।

महोदय, जहां तक बेरोजगारी का सवाल है, यह लगातार उठ रहा है। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। गारंटी रोजगार लागू करके अकुशल मजदूरों के लिए गांव में कम से कम सौ दिनों का काम दिया। यह देश के इतिहास में ही नहीं, दुनिया में जहां भी लोकतंत्र है, ऐसे तमाम दुनिया के देशों के इतिहास में बेहतर काम सरकार ने किया है। लेकिन बेरोजगारी का सवाल केवल अकुशल मजदूरों के साथ नहीं है। देश के तमाम नौजवान चाहे वे पढ़े–लिखे हों या अनपढ़ हों या जो रैंक एंड फाइल है, इसीलिए बेरोजगारी के सवाल का जिक्र हुआ है। इन्होंने

कहा कि दो लाख लोगों को नौकरी देंगे, एक सौ दस करोड़ की आबादी में दो लाख लोगों को रोजगार देने से दूसरा, तीसरा और चौथा पुश्त बीत जाएगा, लेकिन किसी को नौकरी नहीं मिलेगी। बेरोजगारी भत्ता देने से ही इस देश के नौजवानों का काम नहीं चलेगा। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं और महामहिम राष्ट्रपति जी के भाषण में जिक्र है, इसलिए सरकार को इस बारे में निश्चय करना पड़ेगा। बेरोजगारी के सवाल पर इस देश की सरकार को तय करना पड़ेगा कि जो लड़का पढ़–लिखकर तैयार हो जाएगा, उसको सर्टीफिकेट के साथ नौकरी मिले, इस तरह की लांग टर्म योजना बनानी पड़ेगी। असंगठित मजदूरों का सवाल इन्होंने कामन मिनिमम प्रोग्राम में रखा है, आज ढाई साल हो चुके हैं और तीसरा वर्ष बीत रहा है। असंगठित मजदूरों के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी ने कहा कि इनको सुरक्षा कवच के प्रस्ताव विचाराधीन है। उनके साथ अन्याय हो रहा है। असंगठित मजदूरों को कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में रखा गया है और उनके सुरक्षा कवच की बात विचाराधीन है जिस बारे में राष्ट्रपति जी के पिछले अभिभाषण में कहा गया है। इस तरह उनके ऊपर जुल्म होगा। असंगठित मजदूरों के बारे में तुरंत निर्णय लिया जाना चाहिए और कानून बनाकर उन्हें सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।

आप मुझे अपनी बात समाप्त करने के लिए कह रहे हैं, इसलिए अंत में एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। अगर आप बेरोजगारों, असंगठित मजदूरों और गांवों के गरीब किसानों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उसे मजबूत इरादे से कीजिए। इन्हीं सुझावों के साथ मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : सभापति महोदय, मुझे कतिपय मामले उठाने की अनुमति देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

माननीय राष्ट्रपति जी ने इस वर्ष, जब हम अपनी स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, की विशेषता की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। हम भारत की स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम की 150वीं वर्षगांठ और सत्याग्रह की सौवीं वर्षगांठ मना रहे हैं। यह 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ होने का भी वर्ष है।

अपराह्न 5.47 बजे

(श्री वरकला राधाकृष्णन पीठासीन हुए)

सत्ता पक्ष के एक माननीय सदस्य ने एक प्रस्ताव पेश किया है। अंततः यह सभा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित कर देगी लेकिन ऐसा करने से पहले हमारा यह प्रयास होगा कि हम उन मामलों पर गहन विचार करें जो अभिभाषण में उठाए गए थे।

संप्रग सरकार का चौथा बजट हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है और यह देखा जा सकता है कि वित्त मंत्री कितने ज्यादा दबाव में हैं। वर्तमान इंद्रधनुषी गठबंधन में जो गहरा लाल रंग अन्य सभी रंगों पर छाया हुआ है वह देश के लिए शुभ संकेत नहीं है।

1980 से इस शताब्दी के 25 वर्ष भारत के अप्रत्याशित खुलेपन और विकास के वर्ष रहे हैं। इस प्रक्रिया से हमारे देश के लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आ गया है। अगले 25 वर्ष सर्वाधिक रोमांचक और सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण भी होंगे। हर किसी के मन में यह विचार आता है कि 2004 का "इंडिया शाइनिंग" स्लोगन "रिसर्जेंट इंडिया", "इंडिया राइजिंग", "इंडिया पाएज्ड" आदि जैसे नए शब्दों के साथ फिर से प्रचलन में आ गया है। इन अभिव्यक्तियों का उद्देश्य है लोगों को इस विश्वास में रखना कि भारत वैश्विक महाशक्ति बनने की राह पर है।

भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि क्षमता के संबंध में गोल्डमैन सैश की नवीनतम रिपोर्ट ने आत्म–प्रशंसा के एक नए दौर की शुरूआत का एक और अवसर प्रदान कर दिया है। गोल्डमैन सैश 2006 रिपोर्ट में इसकी 2003 की रिपोर्ट की तुलना में भारत के लिए एक अधिक आशावादी विकास चार्ट दिया गया है जिसमें यह भविष्यवाणी की गई है कि इसकी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ते हुए 2050 तक चीन के बाद दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। किन्तु चीन के साथ विश्व की अर्थव्यवस्था में दो शीर्षस्थ देशों के साथ भागीदारी भारत के लिए नया अनुभव नहीं है चूंकि 18वीं शताब्दी में भारत और चीन ने एक साथ मिलकर विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का आधा हिस्सा प्राप्त कर लिया था। किन्तु कई कारणों से यह नीचे लुढ़क गया और 20वीं सदी के मध्य तक यह घटकर विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 10 प्रतिशत तक आ गया है।

नीचे रहने के दो सदी बाद हम स्वाभाविक तौर पर साढ़े चार दशक की अल्पावधि में विश्व की अर्थव्यवस्था में दूसरे स्थान पर आने की संभावना पर प्रसन्नता अनुभव करेंगे।

लेकिन क्या हम चेतावनियों की दिशा में सजग हैं – राजनीतिक जोखिम, उपभोक्तावाद की वृद्धि, श्रम सुधारों का अभाव, व्यावसायिक माहौल और पर्यावरणीय क्षरण जिससे विकास प्रभावित हो सकता है।

सर्वाधिक विक्षुब्धकारी उद्धरण जिसे मैंने हाल ही में 'द इक्नोमिस्ट' में पढ़ा था, में उल्लेख है:–

> "किसी व्यक्ति के पास मोबाइल फोन तो हो सकता है तथापि उसे पेयजल के लिए घंटों पंक्ति में खड़ा रहना पड़ता है।"

यह कितना बेमेल है! क्या इस स्थिति में बदलाव लाने का कोई प्रयास किया गया है? अब तक विकास का लाभ केवल शीर्षस्थ और उच्च मध्यम वर्ग तक सीमित रह गया है और न्यून मध्य–वर्गीय तथा निर्धन व्यक्ति व्यवहार में विकास की धारा से अछूते हैं।

[श्री भर्तृहरि महताब]

सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि अपने आप में जनसंख्या के सभी वर्गों के निमित्त नहीं हो सकती हैं। विभिन्न वर्गों के बीच बहुत बड़ा फासला है और यह फासला बढ़ता ही जा रहा है और लाखों गरीब लोग जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं यथा खाद्य, पेयजल, परिधान और आश्रय के बगैर ही किसी तरह जीवन बसर कर रहे हैं।

अमीर और गरीब व्यक्तियों के बीच बढ़ती हुई असमानताओं के अलावा, कई अन्य गंभीर समस्याएं जो विकसित राष्ट्र के स्तर तक पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण हैं, भारत में व्याप्त है। जब तक इनका कोई प्रभावी समाधान नहीं निकला जाता है, आशाएं मूर्तरूप में परिणत नहीं हो पाएंगी।

एक खतरा राजनीतिक अस्थिरता का है और दूसरा खतरा देश की शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार के लिए इच्छाशक्ति का अभाव है।

पिछली बार, हमने देखा कि वर्ष 1989 में एक दल की सरकार थी। गठबंधन की सरकारें आवश्यक तौर पर कमजोर या अस्थायी नहीं होती हैं किन्तु गठबंधन सरकार के ढांचा का असर उस पर पड़ता है। जब, सरकारें चुनाव के बाद होने वाले गठबंधन से बनती हैं जिसमें मतदाताओं के समक्ष उभयनिष्ठ चुनावी घोषणा पत्र नहीं प्रस्तुत किया जाता है, ऐसी गठबंधन सरकारों के स्वाभाविक तौर पर सुधार करने के लिए जनादेश की विश्वसनीयता का अभाव होगा। और वही समस्या है जिसका सामना आज हमारा देश कर रहा है। ये समस्याएं और भी बढ़ जाती हैं जब बहुत सी राजनीतिक पार्टियों को सत्ता में बने रहने के लिए बाहर से आधा-दर्जन पार्टियों के समर्थन की आवश्यकता होती है। राजनीतिक स्थायित्व के लिए यह शुभ-संकेत नहीं है। तीव्र विकास के बारे में क्या बात करें?

हमारे पास विश्व की सर्वाधिक उन्नत अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ने की क्षमता है किन्तु हमें अपने बच्चों और युवा लोगों को शिक्षित करना है। हमें शिक्षा प्रणाली के मूलभूत परिवर्तन करने की आवश्यकता है। किन्तु दुःख की बात है कि सरकार सुधार के नाम पर व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ कर रही है।

आज के समय में जब विभिन्न समय विस्तार में भारत की आर्थिक संभावनाओं के बारे में ऊंची-ऊंची भविष्यवाणियां की जा रही हैं, अपूर्ण कार्यों का उल्लेख करने से बहुत से लोग सुधारों की शेष कार्यसूची के बारे में सोचते हैं।

महोदय, सामान्य शब्दों में, जबकि स्वीकृत मानदंड के अनुसार भारत और चीन दोनों गरीब विकासशील देश हैं, भारत की अपेक्षा चीन ने गरीबी मिटाने की दिशा में कहीं अधिक बड़ा कदम उठाया है। गरीबी अब चीन में उतनी अधिक द्रष्टव्य नहीं है जिस तरह से यह हमारे देश में आज भी व्याप्त है और व्यापक विश्व की कल्पना में, चीन वस्तुतः अब गरीब देश नहीं रहा। भारत की कहानी की व्यथा यह है कि "नेशनल सैम्पल सर्वे" के नवीनतम निष्कर्ष के अनुसार हमारी आबादी का 220 से 230 मिलियन अर्थात् कुल आबादी का 22 प्रतिशत गरीब है।

इससे पता चलता है कि भारत में विश्व के सर्वाधिक निर्धन व्यक्ति रहते हैं, भले ही गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत वर्ष 1993-94 के 36 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2004-05 में 22 प्रतिशत हो गया है।

विश्व की चौथी सबसे बड़ी इस अर्थव्यवस्था में गरीबी के बारे में अन्य ऋणात्मक आंकड़े हैं। पहला यह कि विश्व मानव विकास सूचकांक में 177 देशों में भारत का स्थान 126वां है। बाल-कुपोषण की दर उप-सहारा अफ्रीका की उपेक्षा दोगुनी है।

मौजूदा पक्षपात को सुदृढ़ करने वाले ऐसे तथ्यात्मक और द्रष्टव्य प्रमाण से, हमारी अर्थव्यवस्था मुख्यतः हमारे लाखों गरीब लोगों से पहचानी जाएगी। हालांकि आप इसके विपरीत स्थिति चाहते हैं। गत कुछ वर्षों में निरंतर आर्थिक विकास की उच्च दरें और सन् 1950 से ही आर्थिक नियोजन के माध्यम से अपनाई जा रही सतत् विकास की कोशिशों के बीच ऐसी गरीबी की दर्दनाक विडम्बना से भारत के परिप्रेक्ष्य में व्यथा का अनुमान लगाया जा सकता है।

इससे अधिक चौंकानेवाला तथ्य यह है कि गरीबी उन्मूलन की आवश्यकता को मुख्य उद्देश्य स्वीकारने के प्रति राजनैतिक मत अथवा शासकीय विचारधारा में कोई कमी नहीं है किन्तु वस्तुतः जो किया गया है और जो उपलब्धियां हुई हैं, वे घोषित अपेक्षाओं से काफी कम है।

सन् 1971 के गरीबी हटाओ अभियान के अलावा योजना आयोग ने पांचवीं योजना के अपने दृष्टिकोण पत्र में घोर गरीबी के उन्मूलन के बारे में कहा था। उस तात्कालिक आह्वान के चौंतीस साल बाद, जिस तरह से सरकार गरीबी से निपट रही है, यह देखना दिलचस्प है।

डा. अमर्त्यसेन का अक्सर उद्धरण दिया जाता है। मैं उन्हें उद्धृत करना चाहूंगा। मैं कतिपय उदाहरण देना चाहूंगा जिसे उन्होंने कहा था। वह अनौपचारिक कोलकाता समूह के मित्र, दार्शनिक और पथ-प्रदर्शक हैं। डा. सेन उन दुर्लभ अर्थशास्त्रियों में से हैं जो नहीं पूछते हैं कि अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है। इसकी बजाय वह पूछेंगे कि गरीब लोग कैसे जीवन-निर्वाह कर रहे हैं और बच्चों और महिलाओं की देख-रेख कैसे की जाती है। वे इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि भारत चीन के बराबर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है या नहीं अथवा, क्या भारत दो दशकों में विकसित राष्ट्र बन जाएगा। यह उचित नहीं है क्योंकि वह एक अर्थशास्त्री के रूप में इस बात को जानते हैं कि ऐसी भविष्यवाणियां कितनी भ्रामक हैं।

हम विभिन्न क्षेत्रों में देश की उपलब्धियों को कम नहीं करें। किन्तु

हम टाटा द्वारा कोरस के अधिग्रहण और लक्ष्मी मित्तल द्वारा आर्सेलर को खरीद कर विश्व का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक होने जैसी घटनाओं से अति–प्रभावित नहीं हों।

मेरी चिन्ता है कि क्या राष्ट्र हमारे बच्चों की पोषक और शैक्षणिक आवश्यकताओं से पूरा कर रहा है। हमारे विदेशी मुद्रा भंडार काफी अधिक हैं। सरकार की आय में वृद्धि हुई है। हमें अब संसाधन की कमी की बात सुनने को नहीं मिलती। किन्तु बस कमी है तो "सरकारी धन के भविष्यलक्षी उपयोग" की।

बुनियादी ढांचा में विनिवेश आवश्यक है किन्तु विकास के लिए मानव संसाधन में निवेश अत्यावश्यक है। मैं इस बात को नहीं मानता कि आर्थिक विकास से स्वतः ही शिक्षा और लोक स्वास्थ्य जैसी देश की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी। भारत में प्रति वर्ष 30,000 चिकित्सक बनते हैं किन्तु पाकिस्तान को छोड़कर हम अपने किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में बाल–जीवन का अधिक उच्च स्तर प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पाए हैं। शिशु और बाल मृत्यु की दरें बंगलादेश में काफी कम हैं।

सभापति महोदय : क्या आज आप अपनी बात समाप्त कर रहे हैं? या, आप कल भी अपना वक्तव्य जारी रखेंगे?

श्री भर्तृहरि महताब : हां, मैं कल भी जारी रखूंगा।

सायं 6.00 बजे

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम 'शून्य काल' के विषयों को लेंगे।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। आज – हिन्द मजदूर सभा जो 58 लाख सदस्यता वाला एक केन्द्रीय श्रमिक संघ है, के हजारों युवक और महिलाएं जंतर मंतर, नई दिल्ली में धरना दे रहे हैं, और वे काम के अधिकार को संविधान में मूल अधिकार के रूप में शामिल करने और महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए तत्काल कानून बनाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।

उन्होंने इन दो मांगों सहित अपना 16 सूत्री–मांगों का ज्ञापन भारत के माननीय प्रधान मंत्री को उनके द्वारा तत्काल विचार करने के लिए प्रस्तुत किया है। मुझे आशा है कि सरकार इन मांगों की गंभीरता को देखते हुए इन पर शीघ्र विचार करेगी और इन मुद्दों के संबंध में तत्काल आवश्यक कदम उठाएगी।

***श्री लोनाप्पन नम्बाडन** (मुकुन्दपुरम) : 20 फरवरी, 2007 को 15 विद्यार्थी और तीन शिक्षक जो एर्नाकुलम के थट्टेक्कट पक्षी विहार में भ्रमण के लिए गए थे। वे नाव से यात्रा के दौरान धारा के बीच में फंसने से डूब गए और उनकी मृत्यु हो गई।

ये छात्र और शिक्षक, अनकामली के पास के एलावूर सेंट एन्टोनी अपर प्राइमरी स्कूल के थे यह हमारे मुकुंदपुरम लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में आता है। 15 बच्चों की जानें गईं। एक परिवार ने अपनी दोनों पुत्रियों को खो दिया। सम्पूर्ण केरल राज्य इस त्रासदी पर अभी भी आंसू बहा रहा है।

एक नाव जिसमें केवल 8 लोग बैठ सकते हैं उसमें 40 लोगों को बैठा दिया गया। नाव का कोई लाइसेंस नहीं था और यह यात्रियों को लाने ले जाने के लिए अनुपयुक्त थी जिसके कारण यह बीच में फंस गई और 15 निर्दोष बच्चों और 3 महिला शिक्षकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा।

इससे यह संकेत मिलता है कि जल परिवहन के सभी साधनों में सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक कानून बनाए जाने और उसे तत्काल लागू किए जाने की आवश्यकता है।

पर्यटन केन्द्रों में होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सभी गैर मान्यता प्राप्त नावों की सेवा पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। जो नावें यात्रियों के परिवहन के लिए उपयुक्त नहीं है तथा जो सुरक्षा मानदंडों का पालन नहीं करते हैं, उन्हें लाइसेंस नहीं दिया जाना चाहिए।

मेरा यह सुझाव है कि सभी राज्य सरकारों को केन्द्र द्वारा तत्काल यह निर्देश दिए जाएं कि वे स्कूलों द्वारा आयोजित सभी भ्रमण कार्यक्रमों में सुरक्षा संबंधी पूर्व शर्तों को लागू करें।

सभी राज्यों में शिक्षण संबंधी नियमों में ऐसे प्रावधान होने चाहिए जिनके अंतर्गत भ्रमण का आयोजन करते समय स्कूलों द्वारा उठाए जाने वाले कदमों का विस्तार से उल्लेख हो।

अब केरल सरकार राज्य में विद्यमान शिक्षा संबंधी कानून के सशक्तीकरण के लिए विचार कर रही है जिससे स्कूलों द्वारा आयोजित भ्रमण कार्यक्रम सुरक्षित हो सकेगा।

केन्द्र द्वारा भी ऐसे कदम उठाए जाने की आवश्यकता है जिससे अन्तर्देशीय जल यात्रा, विशेषकर पर्यटन केन्द्रों में, जोखिम रहित बन सके। हमारे कानून में ऐसे कठोर उपबंध किए जाने चाहिए ताकि ऐसे सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वालों को दंडित किया जा सके।

दुर्घटना की दशा में संबंधित स्कूलों और सरकार को चाहिए कि वे इसका उत्तरदायित्व अपने ऊपर लें और पर्याप्त मुआवजे का भुगतान करें। स्कूल बसों में क्षमता से अधिक संख्या में बच्चों को ले जाये जाने पर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए। स्कूली बच्चों को आटो रिक्शा, कार और जीप में ठूंसकर ले जाए जाने की प्रथा पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।

पुरानी बसों को स्कूल बसों में बदलने की प्रथा भी चल रही है

* मूलतः मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

[श्री लोनाप्पन नम्बाडन]

जो कि मोटर यान अधिनियम का उल्लंघन है जिस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। मैं पुनः यह अनुरोध करता हूं कि केन्द्र बच्चों के जीवन की रक्षा के लिए तुरंत कदम उठाए और पूरे देश में अभिभावकों के मन में व्याप्त चिंता को दूर करे।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इदुक्की) : मैं इस मुद्दे पर स्वयं को सहयोजित करना चाहूंगा।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर) : सभापति जी, मैं आपकी इजाजत से संक्षेप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय सदन में उठाना चाहता हूं। हमारे राज्य जम्मू–कश्मीर में तीन किस्म के रिफ्यूजी पार्टिशन के समय माइग्रेट हुए थे। हमारा काफी एरिया पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसे पाकिस्तान आक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है। वहां से काफी लोग यहां आए थे। लेकिन उनकी जमीन, प्रापर्टी आदि का जो सैटलमेंट होना था, वह आज तक नहीं हो पाया है। वे लोग बहुत परेशान हैं और इसके साथ ही जो लोग वैस्ट–पाकिस्तान से चले आये थे वे लोग आज तक न तो असेम्बली में वोट डाल सकते हैं, न ही उन्हें आईएवाई के अंतर्गत मकान मिल सकता है और न ही उनके बच्चों को स्कूल में पढ़ाने की सुविधा है। उनके पास नौकरी नहीं है, मकान नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है और अपने बच्चों को पढ़ाने की सुविधा नहीं है, यह कहां का इंसाफ है। सन् 1971 में जब जंग हुई तो छम्ब और रजौरी के इलाके जो पाकिस्तान में चले गए, उनकी 37 हजार कैनाल जमीन पाकिस्तान में चली गयी। शिमला समझौते में कुछ चीजें सेटल हुईं कि इन लोगों को कैसे सेटल किया जाएगा और किस–किस को कितनी जमीन दी जाएगी, नौकरियां दी जाएंगी, बिजनैस दिए जाएंगे और उनके बच्चों को फ्री–एजूकेशन दी जाएगी, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपनी मांग रखें और अपना भाषण समाप्त करें। यह केवल 'शून्य काल' के लिए सूचनाओं का उल्लेख का समय है न कि भाषण देने का।

चौधरी लाल सिंह : महोदय, यह भाषण नहीं है। मैं समस्या का उल्लेख करने का प्रयास कर रहा हूं। मुझे यहां भाषण नहीं देना है। हमें कोई शौक नहीं है। मैं उस क्षेत्र की समस्या को प्रस्तुत कर रहा हूं।

सभापति महोदय : आप उस विषय को उठा सकते हैं और अपनी बात पूरी कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : कृपया लंबा भाषण मत दीजिए *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह : सर, आप मेरी बात सुनेंगे तो मेरी बात खत्म हो जाएगी। यह लंबा भाषण नहीं है। ये जो हमारी तीन मुश्किलें खड़ी हुई हैं, उनके लिए मेरी सरकार से रिक्वैस्ट है कि इन लोगों के साथ इंसाफ कीजिए। यह बहुत बड़ी आबादी है। यह गवर्नमैंट ऑफ इंडिया और जे. एंड के. का मसला है और हमारी सरकार दोनों ही जगह पर है। इस समस्या का हल किया जाए।

[अनुवाद]

श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश (कनकपुरा) : महोदय, मैं चौधरी लाल सिंह द्वारा उठाए गए विषय से सहयोजित होना चाहूंगी।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : महोदय, नोएडा (उत्तर प्रदेश) के निठारी में बच्चों की निर्मम हत्या से सभी राज्य सकते में आ गए हैं जहां प्रत्येक वर्ष हजारों बच्चों के गुम होने की सूचना मिलती है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 2004 में यह कहा था कि उड़ीसा, बिहार, झारखण्ड और छत्तीसगढ़ में बच्चों के गुम होने और उनके अवैध व्यापार के मामलों की संख्या अधिकतम है जो इसका कारण हो सकता है। ऐसी घटनाओं पर विरले मामलों में ही कोई जांच हो पाती है क्योंकि गुमशुदा बच्चों के बारे में सूचना पुलिस थाने में सिर्फ नोट की जाती है उस पर कोई मामला दर्ज नहीं होता है। जब तक शिकायत दर्ज नहीं हो पाती है बच्चे को बचाने के लिए और अनुवर्ती कार्यवाही के लिए कोई जांच नहीं होती। इस संबंध में कानून बनाए जाने की आवश्यकता है।

क्या सरकार इस संबंध में तत्काल कदम उठाएगी? क्या कारण है कि केन्द्रीय निगरानी आयोग – जिससे किशोर न्याय अधिनियम के अधीन बच्चों पर होने वाले अपराध की निगरानी रखने की अपेक्षा की जाती है – अपनी बैठक सन् 2000 में अधिनियम में संशोधन करने के बाद एक बार भी आयोजित नहीं की गई है?

सभापति महोदय : कृपया अपना प्रश्न रखें।

श्री भर्तृहरि महताब : महोदय, मैं अपना प्रश्न रख रहा हूं। क्या प्रत्येक पुलिस स्टेशन में एक किशोर पुलिस यूनिट है? यदि कार्यान्वयन की पुनरीक्षा नहीं की जाती है तो क्या आप किसी प्रकार की कार्यवाही की अपेक्षा कर पाते।

[हिन्दी]

श्री किशन सिंह सांगवान : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले की ओर दिलाना

चाहता हूं। पूरे देश में पिछले महीने जबरदस्त ओला वृष्टि हुई है, जिससे पूरे देश में और विशेषकर हरियाणा में फसलों की भारी तबाही हुई है। गेहूं की फसल, सरसों की फसल और सब्जियों में भारी तबाही हुई है और किसानों का भारी नुकसान हुआ है। इस तबाही का नोटिस न तो केन्द्र सरकार ने और न ही राज्य सरकारों ने लिया है। न कोई मुआवजे का ऐलान किया गया। हम हर बजट में किसानों की स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन जब वास्तविक विपत्ति किसानों पर आती है, तो सब मौन हो जाते हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार और प्रदेश से आग्रह करना चाहता हूं कि किसान ओलावृष्टि की वजह से पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। कम से कम तीन हजार रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किसान को मुआवजा सरकार की ओर से मिलना चाहिए, नहीं तो किसानों द्वारा आत्महत्या करने की घटनाएं बढ़ती जाएंगी। अगर समय पर किसानों को हम नहीं सम्भालेंगे तो बाद में सिर्फ चर्चा करते रहने से कोई फायदा नहीं है।

श्री संतोष गंगवार (बरेली) : सभापति महोदय, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर सरकार का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित कर... चाहता हूं। देश में आतंकवादी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। लखनऊ का एक समाचार है कि वहां जिला कचहरी में, दो ऐसे आतंकवादी, जिन पर पोटा लगा हुआ है और पाकिस्तान के निवासी हैं तथा उनमें से एक को फांसी की सजा हुई थी, उन्हें लखनऊ की अदालत में भेजा गया था। वहां वे शौचालय के बहाने गए और बंदूक ले आए। उसके बाद बंदूक लहराते हुए पुलिस की अभिरक्षा से भाग गए। इसमें एक आतंकवादी का नाम सईद उर्फ निसार अहमद और दूसरे का नाम मकसूद उर्फ अशफाक है। ये दोनों पाकिस्तान के रहने वाले थे। इनमें से एक को अगस्त 2004 में अदालत ने मृत्युदंड की सजा भी सुना दी थी। इसके बाद भी केवल एक सब इंस्पेक्टर और दो सिपाही के साथ बिल्कुल सामान्य तरीके से अदालत में लाया गया। जिस प्रकार से वे भागे, कचहरी में मौजूद लोगों का मानना है कि जिस प्रकार से इन गंभीर अपराधियों को रखना चाहिए था, उस अभिरक्षा में नहीं ले जाया गया और वे पुलिस अभिरक्षा के बावजूद भागने में सफल हो गए। मैं चाहता हूं कि सरकार गंभीरता से इस मामले की जांच करे कि किस वजह से वे भागने में सफल हुए। और इस संदर्भ में क्या कार्यवाही की गई है?

डा. करण सिंह यादव : सभापति महोदय, राजस्थान के सिंहद्वार अलवर, जहां का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं में केन्द्र सरकार द्वारा की जाने वाली आईआईटी की स्थापना की पूर्ण पात्रता रखता है। लेकिन राजनैतिक भेदभाव के कारण पूर्वी राजस्थान के सबसे बड़े जिले अलवर में आजादी के 60 वर्ष बाद भी सरकारी क्षेत्र में न कोई मेडिकल कॉलेज है, न ही इंजीनियरिंग कॉलेज है। कृषि व पशु पालन व डेयरी क्षेत्र में राजस्थान के इस अग्रणी जिले में एग्रीकल्चर कॉलेज, वैटरनी कॉलेज अथवा डेयरी कॉलेज भी नहीं है। अलवर को अभी तक विश्वविद्यालयी शिक्षा का भी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रस्तावित आईआईटी को किसी ऐसे क्षेत्र में ले जाना चाहती है, जहां से बीजेपी के सांसद जीते हों। अलवर राज्य में आईआईटी के लिए काफी भूमि उपलब्ध है। भिवाड़ी, नीमराणा, बहरोड़ तथा एमआईए अलवर में काफी औद्योगिक इकाईयां हैं, एयर स्ट्रैच भी उपलब्ध है तथा पालम व इन्दिरा गांधी इन्टरनेशनल एयरपोर्ट से अलवर जिला मात्र एक घंटे की दूरी पर है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मानव संसाधन मंत्री से अपनी ओर से और अलवर की जनता की ओर से प्रार्थना करना चाहूंगा कि राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र के इस जिले में आईआईटी की स्थापना की जाए।

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, दक्षिण पश्चिम तट जैसे अपतटीय क्षेत्रों में, विशेष रूप से कोचीन के पास जिसे कोचीन हाई कहा जाता है, तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्रों में भारी कमी है। कोचीन हाई में, अन्वेषण जारी है। हमें यह सूचना मिली है कि ओ एन जी सी द्वारा अगले वर्ष के अंत तक एक पूर्ण सुविधायुक्त कूप की खुदाई की जाएगी लेकिन प्रचालन कार्य बहुत धीमी गति से किया जा रहा है। बजट में ऊर्जा क्षेत्र तथा पेट्रोलियम और साथ ही प्राकृतिक गैस के लिए हमारे अपतटों के अन्वेषण के बारे में एक वक्तव्य दिया गया है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वह कोचीन हाई में इस कार्य को गंभीरतापूर्वक ले और इस कार्य में तेजी लाई जानी चाहिए। मैं ईमानदारीपूर्वक यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसके परिणाम सरकार द्वारा इस मामले में उठाए जाने वाले कदमों की गति पर निर्भर करेंगे।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : सभापति महोदय, आज देश को महंगाई मार गई है। महंगाई के साथ–साथ ओले भी मार गए। इससे दोहरी मार देश की जनता पर पड़ी है। आज आटा, दाल और चावल के दाम बहुत बढ़ गए हैं। तेल और गैस लोगों को मिल नहीं रही है। उसकी एक–दो महीने की बुकिंग है। उन्हें समय पर गैस और मिट्टी का तेल भी नहीं मिल पा रहा है। पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ने से सब्जियां महंगी हो गई हैं। लकड़ियां जिन से दाह संस्कार किया जाता है, वे भी महंगी हो गई हैं। आज यह स्थिति हो गई है कि कमाओ तो टैक्स, जोड़ो तो टैक्स और मर जाओ तो टैक्स। लाश भी उस समय उठेगी जब टैक्स चुका दिया जाएगा। कमाओ, जोड़ो और मर जाओ। इन सब चीजों पर टैक्स देना पड़ता है। आज देश की जनता महंगाई और ओलावृष्टि से बहुत दुखी है। संसदीय कार्य मंत्री मेरे सामने

[श्री पी.सी. थामस]

विराजमान हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि वह एक स्पैशल चर्चा महंगाई और ओलावृष्टि पर करवाएं। जो चीजें आसानी से नहीं मिल रही हैं, वे उपलब्ध करानी चाहिए। जिन चीजों के भाव बढ़ रहे हैं, केन्द्र सरकार को उन पर रोक लगानी चाहिए। जनता ने इनका दो जगह पर असर दिखा दिया है। वह आगे यूपी वगैरह दूसरे राज्यों में भी दिखाने वाली है। सरकार इस बारे में सचेत हो जाए। ओलावृष्टि के कारण भगवान की कुदृष्टि पड़ रही है। हम महंगाई को रोकें। मुझे विश्वास है कि मेरी बात पर सरकार गम्भीरता से विचार करेगी और एक दिन महंगाई और ओलावृष्टि पर चर्चा करवाएगी।

[अनुवाद]

डा. बाबू राम मिडियम (भद्राचलम) : सभापति महोदय, मैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एन आई टी) में आरक्षण के नियमों का पालन न होने के मामले की ओर मानव संसाधन विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जैसा कि आप जानते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को संघ लोक सेवा आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेजों (आर ई सी) से परिवर्तित किया गया था। सभी बड़े राज्यों में केन्द्रीय और राज्य सरकार की स्कीमों के अधीन ये क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज थे। इनको राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में बदल दिए जाने के बाद से ये संस्थान भर्ती और पदोन्नति में आरक्षण के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। जब ये क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज थे तो इन नियमों का पालन होता था और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों की प्रोफेसर, प्रवक्ता और सहायक प्रोफेसरों के रूप में चर्चा की जाती थी।

अध्यक्ष महोदय : यह मामला अभी भी उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है और सरकार बड़े जोर शोर से इस मामले को आगे बढ़ा रही है।

डा. बाबू राव मिडियम : मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में पदोन्नति और प्रवक्ताओं की सीधी भर्ती के लिए दिशा निर्देश तैयार करते समय आरक्षण नीति को इनमें शामिल करे। ये 'बार्क' और 'नीरी' की तरह वैज्ञानिक संस्थान नहीं हैं। ये माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा के कार्य में संलग्न है और मानन संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन हैं। इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस पर विचार करे और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग की पदोन्नति और भर्ती में आरक्षण की नीति की अनुमति दे।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान में एलपीजी गैस की किल्लत दूर की जाए। राजस्थान में विगत कई महीनों से और विशेषकर विवाह आदि सामाजिक समारोहों की धूम होने के कारण उपभोक्ताओं को घरेलू एलपीजी गैस की आपूर्ति में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अनेक नगरों में एलपीजी सिलेण्डर प्राप्ति के लिए लम्बी–लम्बी लाइनें लगानी पड़ती हैं और लंबी प्रतीक्षा के बाद भी लोग वंचित रह जाते हैं। उपभोक्ताओं को सात दिन की जगह 10–15 दिन तक और एक सिलेण्डर वाले उपभोक्ताओं को 3–4 दिन तक इंतजार करना पड़ता है। पिछले दो–तीन महीनों से विवाहों की अत्यधिक तिथियां होने एवं त्यौहारों की प्रचुरता के कारण उपभोक्ताओं को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। नए गैस सिलेण्डर प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का पंजीकरण करने में भी कोताही बरती जा रही है और पंजीकरण होने पर भी कई महीनों तक गैस उपलब्ध नहीं हो पा रही है। गैस एजेंसियों का कहना है कि हमें जितनी आवश्यकता है आपूर्ति उससे कम की जाती है, हम मजबूर हैं। अतः भारत सरकार से अनुरोध है कि राजस्थान के गांवों और नगरों में एलपीजी गैस की किल्लत अविलम्ब दूर करने के आदेश प्रदान करें जिससे गैस उपभोक्ताओं को सहज गैस उपलब्ध हो तथा आवश्यकतानुसार डीलरों की संख्या बढ़ाई जाए एवं व्यावसायिक दुरुपयोग रोकने के लिए ऑटो गैस के पम्प स्थापित किए जाएं।

[अनुवाद]

श्री ए.वी. बेल्लारमिन (नागरकोइल) : महोदय, मैं कन्याकुमारी जिले के मछुआरों के सामने आ रही विषय परिस्थितियों की ओर सरकार का ध्यान तत्काल आकर्षित करना चाहूंगा। कन्याकुमारी में, कन्याकुमारी से थूथूर तक तीन समुद्रों के 64 किलोमीटर लम्बे तट के साथ–साथ 58 गांवों और बस्तियों में उनकी आजीविका मछली पकड़ने और समुद्री उत्पादों पर निर्भर करती है। दक्षिणी राज्यों के आर्थिक विकास में मछली पकड़ने और इससे संबंधित व्यापार का बहुत अधिक योगदान है। मछली पकड़ने संबंधी कार्यों के माध्यम से काफी विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है।

लेकिन बहुत दुःख के साथ कहना पड़ता है कि समुद्र में जाने वाले मछुआरों को खतरों का सामना करना पड़ता है जिनकी बार–बार पुनरावृत्ति होती रहती है और इनमें तेजी से वृद्धि हो रही है। ऐसी आपदाओं में फंसे मछुआरे बहकर गहरे समुद्र में अनजानी जगहों पर पहुंच जाते हैं। उनकी प्रायः डूबने से मृत्यु हो जाती है जैसा कि दुःखद समाचार मिलते हैं। मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि पिछले एक माह के दौरान, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के रामंथुराई, पेरियाविलाई, मरमाडी और कोडीमुनाई गांवों में ऐसी घटनाएं हुई हैं। ऐसी खबर सुनकर, प्रायः स्थानीय लोग खोज अभियानों के लिए देशी नावों में निकल पड़ते हैं। लेकिन इससे भी अधिक खतरा तूतीकोरीन, विजागम और कोचीन से सरकारी बचाव मशीनरी की सहायता प्राप्त करने में झेलना पड़ता है

क्योंकि ये स्थान कन्याकुमारी के तटों से काफी अधिक दूर हैं। प्रायः ऐसा होता है कि कुछ ऐसे मछुआरे से बचावकर्ताओं द्वारा अपने अभियान शुरू करने से पहले ही मर जाते हैं।

पिछले माह 22 तारीख को कोडीमुनाई के दो मछुआरे श्री अमलराज और श्री जस्टिन राज मछली पकड़ने के लिए गए और तब से लापता थे। काफी अधिक अनुनय विनय के बाद जिला प्रशासन दो दिन बाद ही बचाव दल की सेवाएं ले सका। दुर्भाग्यवश, केवल एक व्यक्ति को ही बचाया जा सका और दूसरा डूबकर मर गया।

ऐसी परिस्थितियों में, मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह कन्याकुमारी में एक तट रक्षक केन्द्र स्थापित करे। जब हेलीपेड सुविधा पहले से ही उपलब्ध है, तो उस केन्द्र को हैलीकॉप्टर, खोज पोतों और गोताखोरों से सज्जित किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : सभा अब कल प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.23 बजे

तत्पश्चात् लोकसभा शुक्रवार, 2 मार्च, 2007/11 फाल्गुन, 1928 (शक) ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका

क्रम सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1.	श्री नरहरि महतो	41
	श्री प्रभुनाथ सिंह	
2.	श्री रनेन बर्मन	42
3.	श्रीमती नीता पटैरिया	43
4.	श्री एम. अंजनकुमार यादव	44
	श्री हरिभाऊ राठौड़	
5.	श्री वी.के. थुम्मर	45
	श्री सर्वानन्द सोनोवाल	
6.	श्री कीर्ति वर्धन सिंह	46
	श्रीमती निवेदिता माने	
7.	डा. चिन्ता मोहन	47
	श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन'	
8.	श्री हरिसिंह चावड़ा	48
	श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु	
9.	डा. एम. जगन्नाथ	49
	डा. धीरेंद्र अग्रवाल	
10.	एडवोकेट सुरेश कुरूप	50
	श्री एस. के. खारवेनथन	
11.	श्री पंकज चौधरी	51
	श्री मो. ताहिर	
12.	श्री दलपत सिंह परस्ते	52
13.	श्री रघुराज सिंह शाक्य	53
	श्री हेमलाल मुर्मू	
14.	श्री ए. साईं प्रताप	54
	श्री इकबाल अहमद सरडगी	
15.	श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया	55
	श्री मोहन सिंह	
16.	श्री विजय कृष्ण	56
17.	श्री असादूद्दीन ओवेसी	57
18.	श्री भर्तृहरि महताब	58
	प्रो. महादेवराव शिवनकर	
19.	श्री जुएल ओराम	59
	श्री रवि प्रकाश वर्मा	
20.	श्री अब्दुल रशीद शाहीन	60

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका

क्रम सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरुन रशीद, श्री जे.एम	293
2.	आचार्य, श्री बसुदेव	329, 418, 472
3.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	303, 305, 313, 429, 479
4.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	350, 462
5.	अहीर, श्री हंसराज गं.	265, 351, 395, 431, 481
6.	अप्पादुरई, श्री एम.	344, 375
7.	आठवले, श्री रामदास	325, 343, 413, 468
8.	'बचदा' श्री बची सिंह रावत	281, 443
9.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	380
10.	बर्मन, श्री हितेन	275, 389, 451
11.	बर्मन, श्री रनेन	270
12.	बखला, श्री जोवाकिम	269, 397
13.	भडाना, श्री अवतार सिंह	293
14.	भगोरा, श्री महावीर	318
15.	भक्त, श्री मनोरंजन	297, 309, 400, 458
16.	भार्गव, श्री गिरधारी लाल	294, 383
17.	बोस, श्री सुब्रत	272, 356, 381, 473
18.	बुधौलिया, श्री राजनरायन	283, 365
19.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	307, 398, 456
20.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	291, 438
21.	चिन्ता मोहन, डा.	371, 437, 483
22.	चित्तन, श्री एन.एस.वी.	300, 388
23.	चौधरी, श्री पंकज	373, 440
24.	चौधरी, श्री अधीर	290, 303, 368, 453, 471

1	2	3
25.	चर्चिल, श्री अलीमाऊ	346, 430
26.	दासगुप्त, श्री गुरूदास	297, 485
27.	देवरा, श्री मिलिन्द	287, 321, 366, 435
28.	देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचन्द्र	340, 418
29.	धनराजू, डा. के.	380
30.	ढींढसा, श्री सुखदेव सिंह	485
31.	फैन्थम, श्री फ्रांसिस	334
32.	गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर	282
33.	गढ़वी, श्री पी.एस.	475
34.	गायकवाड़, श्री एकनाथ महादेव	370, 436, 482
35.	गंगवार, श्री संतोष	301, 310, 361, 384, 391
36.	गेहलोत, श्री थावरचन्द	291
37.	हसन, चौधरी मुनव्वर	348
38.	हुसैन, श्री अनवर	293, 317, 409, 439, 463
39.	जयप्रकाश, श्री	264, 407, 489
40.	जटिया, डा. सत्यनारायण	268
41.	जयाप्रदा, श्रीमती	303, 341
42.	झा, श्री रघुनाथ	298
43.	जिन्दल, श्री नवीन	278, 295, 359, 449
44.	कनोडीया, श्री महेश	462
45.	खैरे, श्री चंद्रकांत	274, 404
46.	खारवेनथन, श्री एस.के.	363, 370, 382, 449
47.	कृष्णदास, श्री एन.एन.	338, 426, 462
48.	कुरूप, एडवोकेट सुरेश	372
49.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	371, 378, 437
50.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	345, 428, 478
51.	महतो, श्री नरहरि	369
52.	महतो, श्री सुनिल कुमार	350
53.	माहेश्वरी, श्रीमती किरण	383
54.	महताब, श्री भर्तृहरि	376, 444, 486
55.	महतो, श्री टेक लाल	331, 395, 473
56.	मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार	301, 310, 384
57.	माने, श्रीमती निवेदिता	370, 436, 482
58.	मनोज, डा. के. एस.	302, 392
59.	मसूद, श्री रशीद	294, 321, 382, 440
60.	मिडियम, डा. बाबू राव	385
61.	मेघवाल, श्री कैलाश	314, 386, 395, 406
62.	मेहता, श्री आलोक कुमार	380
63.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	303, 320, 375
64.	मिश्रा, डा. राजेश	293
65.	मिस्त्री, श्री मधुसूदन	476
66.	मोघे, श्री कृष्णा मुरारी	311, 401, 422, 459
67.	मोहले, श्री पुन्नूलाल	326, 415
68.	मोहन, श्री पी.	279, 405, 462
69.	मो. ताहिर, श्री	355, 370, 417, 474
70.	मंडल, श्री अबु अयीश	295, 328
71.	मुर्मू, श्री हेमलाल	374, 441
72.	नन्दी, श्री अमिताभ	336, 424, 475
73.	नायक, श्री अनन्त	322, 411, 450, 465
74.	नायक, श्रीमती अर्चना	339, 427
75.	निखिल कुमार, श्री	471
76.	ओराम, श्री जुएल	377, 445, 487

1	2	3
77.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	349, 402, 443, 485
78.	पल्लानी शामी, श्री के.सी.	280, 353, 434, 492
79.	पाण्डा, श्री प्रबोध	375
80.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	321, 375
81.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	361
82.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	273, 291, 421, 438
83.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	321, 323, 410, 429, 448
84.	पाटिल, श्री डी.बी.	347
85.	पाटील, श्रीमती रूपाताई डी.	351, 481
86.	पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	267, 381, 447
87.	पटले, श्री शिशुपाल एन.	293, 295, 384, 448, 489
88.	पिंगले, श्री देविदास	289, 367, 480
89.	पोन्नुस्वामी, श्री ई.	297, 319
90.	प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर	380
91.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	277, 335
92.	राजगोपाल, श्री एल.	299, 381, 387
93.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	270, 354, 364, 467
94.	राणा, श्री काशीराम	357, 457
95.	राव, श्री के.एस.	312, 403, 451, 460
96.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	291, 370
97.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	412, 466
98.	रवीन्द्रन, श्री पन्नियन	307, 398
99.	रावले, श्री मोहन	316, 408
100.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	286, 295, 414, 469
101.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	292, 379, 446
102.	रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर	297, 456
103.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	335, 423
104.	रिजीजू, श्री कीरेन	324, 487
105.	साई प्रताप, श्री ए.	322
106.	सज्जन कुमार, श्री	293
107.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	293, 360, 386, 433
108.	शर्मा, डा. अरुण कुमार	333, 420
109.	सतीदेवी, श्रीमती पी.	306, 396
110.	सत्यनारायण, श्री सर्वे	300
111.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	375, 484
112.	शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	374, 432, 488
113.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	374, 441
114.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	303, 305, 395, 493
115.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	293, 295, 417, 455, 470
116.	शुक्ला, श्रीमती करूणा	284, 418
117.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	266, 352, 461
118.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	301, 399
119.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	330, 388
120.	सिंह, श्री चन्द्रभान	321
121.	सिंह, श्री दुष्यंत	332, 418, 419, 444
122.	सिंह, श्री गणेश	285
123.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	370, 436, 482
124.	सिंह, श्री मोहन	382
125.	सिंह, श्री रेवती रमन	327, 416
126.	सिंह, श्री सुग्रीव	321, 410, 442, 454, 464, 479

1	2	3
127.	सिंह, श्री उदय	303, 393, 453
128.	सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह	462
129.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	276, 358
130.	सुगावनम, श्री ई.जी.	294, 321
131.	सुमन, श्री रामजीलाल	378, 483
132.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	323, 399, 476
133.	थामस, श्री पी.सी.	288
134.	तुम्मर, श्री वी.के.	273, 362, 477
135.	तोपदार, श्री तरित बरण	342
136.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	296, 381, 385, 450, 490
137.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	301, 304, 394, 454, 492
138.	वर्मा, श्री रतिलाल कालिदास	337, 425, 476
139.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	308, 357, 399, 457
140.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	390, 429, 452, 491
141.	यादव, श्री बालेश्वर	271, 402, 474
142.	यादव, श्री गिरिधारी	421
143.	यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह	293, 295, 370, 377, 407
144.	यादव, श्री राम कृपाल	315

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका

नागर विमानन		44, 48, 50, 60
संस्कृति		–
रक्षा		–
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग		–
भारी उद्योग और लोक उद्यम		42
अल्पसंख्यक मामले		47
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस		43, 45, 51, 54, 55, 58, 59
रेल		41, 49, 53, 56
सामाजिक न्याय और अधिकारिता		57
पर्यटन	:	46, 52

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका

नागर विमानन	266, 270, 272, 275, 282, 286, 292, 303, 306, 309, 314, 323, 325, 327, 352, 353, 354, 356, 357, 360, 373, 375, 380, 381, 385, 386, 393, 394, 397, 406, 410, 414, 430, 436, 451, 455, 460, 475, 480, 490
संस्कृति	264, 269, 273, 291, 296, 305, 313, 331, 332, 367, 401, 433, 439, 452, 459
रक्षा	283, 288, 302, 319, 330, 346, 359, 384, 402, 407, 416, 420, 424, 427, 432, 435, 440, 442, 444, 454, 470, 484, 485, 488, 491, 492
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	304, 311, 372, 387, 415, 467, 478
भारी उद्योग और लोक उद्यम	326, 338, 342, 343, 369, 371, 408, 418, 437
अल्पसंख्यक मामले	443, 483
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	271, 277, 279, 290, 293, 295, 297, 298, 300, 308, 312, 315, 318, 339, 345, 350, 362, 368, 377, 378, 382, 391, 395, 396, 399, 400, 417, 421, 425, 429, 431, 446, 448, 453, 456, 461, 462, 464, 469, 471, 474, 476, 477, 479, 481, 489

रेल	267, 268, 280, 281, 285, 287, 289, 294, 307, 316, 317, 321, 322, 328, 329, 333, 334, 335, 336, 337, 340, 344, 347, 348, 351, 355, 358, 365, 370, 374, 379, 383, 388, 389, 398, 403, 409, 411, 413, 419, 423, 428, 434, 438, 441, 445, 447, 449, 450, 457, 463, 465, 466, 468, 472, 473, 486, 487, 493
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	265, 301, 310, 320, 341, 349, 361, 412, 458
पर्यटन	274, 276, 278, 284, 299, 324, 363, 364, 366, 376, 390, 392, 404, 405, 422, 426, 482

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद–विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी. वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद–विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली–110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

© 2007 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स धनराज एसोसिएट्स प्रा. लि., नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)

गुरूवार, 1 मार्च 2007 / 10 फाल्गुन, 1928 (शक)

का

शुद्धि - पत्र

*****

कालम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
134	5	भारतीय उद्योग विभाग	भारी उद्योग विभाग
139	6	अधिविशेष	अधिशेष
147	26	में राज्य मंत्री	के राज्य मंत्री
183	16	में राज्य मंत्री	के राज्य मंत्री
333	19	काललुच	कालुचक